पंचदश माला, खंड 32, अंक 14

बुधवार, 13 मार्च, 2013
22 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 11 Feb 2016

(खंड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

विपिन कुमार मित्तल
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

उमेश कुमार
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2013/1934 (शक)
अंक 14, बुधवार, 13 मार्च, 2013/22 फाल्गुन, 1934 (शक)

विषय — **कॉलम**

निधन संबंधी उल्लेख ..

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 224 2-57

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 240 58-160

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 160-904

सभा पटल पर रखे गए पत्र 905-915

राष्ट्रपति से संदेश 915

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

32वां प्रतिवेदन 916

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

26वां और 27वां प्रतिवेदन 916

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

23वां प्रतिवेदन 916

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ....

(एक) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित "मुख्य पत्तनों का आधुनिकीकरण" विषय पर परिवहन, पर्यटन और सस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पवन सिंह घाटोवार 916-917

(दो) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. क्रुपारानी किल्ली 917

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

सदस्यों द्वारा निवेदन

दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने के दोषी दो नाविकों के प्रत्यावर्तन के लिए इटली की सरकार द्वारा कथित इंकार किए जाने के बारे में 918-926

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मलयालम भाषा को श्रेण्य भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री एन. पीताम्बर कुरूप........ 926-927

(दो) पी.जी.आई. चंडीगढ़ की तर्ज पर पंजाब के होशियारपुर जिले में एक चिकित्सा संस्थान खोले जाने जाने की आवश्यकता।

श्रीमती संतोष चौधरी........ 927

(तीन) मेवाड़ के सलूम्बर के चूण्डावत सेनापति की बहादुर पत्नी रानी हाड़ा के नाम पर राजस्थान में उदयपुर से रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता।

श्री रघुवीर सिंह मीणा........ 927-928

(चार) केरल में धर्मार्थ आश्रयों को रियायती दर पर पर्याप्त संख्या में एल.पी.जी. सिलेण्डर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुधाकरण........ 928-929

(पांच) महाराष्ट्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बच्चों को उत्तम शिक्षा देने से संबंधित योजना के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से की धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुरेश कलमाड़ी........ 929

(छह) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे........ 930

(सात) दिल्ली में विद्युत उत्पादक संयंत्रों को पर्याप्त गैस दिए जाने की आवश्यकता।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल........ 930-931

(आठ) बिहार के नवादा जिले में फतेहपुर और अकबरपुर के बीच काकोलत जलप्रपात एक जाने वाली सड़क की मरम्मत किए जाने तथा उक्त जलप्रपात के आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता।

डॉ. भोला सिंह........ 931

(नौ) पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 तथा उत्तर प्रदेश के अयोध्या और बिहार

के जनकपुर के बीच राम जानकी मार्ग की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता।

श्री कमलेश पासवान.. 931-932

(दस) उत्तराखंड के उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग क्षेत्रों में भारी वर्षा और बदल फटने के कारण जिन परिवारों को जान-माल का नुकसान हुआ है, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह.. 932-933

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर एक रेल फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री रामकिशुन 933

(बारह) उत्तर प्रदेश में गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

श्री धनंजय सिंह.. 934

(तेरह) बिहार में बख्तियारपुर से खगड़िया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य में तेजी लाने तथा बेगुसराय और खगड़िया के बीच इस राष्ट्रीय के राजमार्ग खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता।

श्री दिनेश चन्द्र यादव.. 934-935

(चौदह) दिल्ली में वक्फ सम्पत्तियों को वापस सौंपे जाने के मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता।

श्री अब्दुल रहमान.. 935

(पन्द्रह) ओडिशा में पारादीप बंदरगाह कसब और उसके आस-पास रहने वाले गरीब झुग्गी वासियों को मूलभूत जन सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता।

श्री बिभू प्रसाद तराई 935-936

(सोलह) पंजाब फरीदकोट में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन.. 936

(सत्रह) पूर्वी रेलवे के सियालदह दक्षिण मंडल में रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. तरूण मंडल.. 936-937

विषय	कॉलम

रेल अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन के अनुमोदन के बारे में संकल्प

रेल बजट (2013-14) - सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2013-14

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2012-13

और

अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल), 2010-11

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर.......... 937-941

श्री विलास मुत्तेमवार 942-947

श्री हरीश चौधरी 947-949

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल.......... 949-950

श्री ए.के.एस. विजयन 950-953

श्री दत्ता मेघे.......... 954-955

श्री सुदर्शन भगत.......... 955-958

श्री पवनकुमार बंसल.......... 958-986

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2013

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव.......... 990-991

विचार करने के लिए प्रस्ताव.......... 991

खंड 2 और 3 तथा 1 991

पारित करने के लिए प्रस्ताव.......... 991-992

विनियोग (रेल) विधेयक, 2013

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 992

विचार करने के लिए प्रस्ताव 992

खंड 2 और 3 तथा 1 993

पारित करने के लिए प्रस्ताव 993

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2013

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 993

विषय **कॉलम**

विचार करने के लिए प्रस्ताव 993-994

खंड 2 और 3 तथा 1 994-995

पारित करने के लिए प्रस्ताव 994-995

झारखण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री सुशील कुमार शिंदे 995-998

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 998-1001

श्री जगदम्बिका पाल 1001-1006

श्री शैलेन्द्र कुमार 1006-1008

डॉ. बलीराम 1008-1009

श्री भूदेव चौधरी 1009-1011

श्री अजय कुमार 1011-1014

श्री इन्दर सिंह नामधारी 1014-1016

सामान्य बजट (2013-14)-सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2013-14
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2012-13
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2010-11

डॉ. मुरली मनोहर जोशी 1039-1066

श्री संजय निरूपम 1066-1084

श्री शरद यादव 1084-1092

श्री सी. शिवासामी 1092-1093

श्री एन. पीताम्बर कुरूप 1093-1097

श्री कल्याण बनर्जी 1097-1101

श्री राधा मोहन सिंह 1101-1105

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 1105-1111

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव 1111-1119

विषय	कॉलम

श्री पी. करूणाकरन 1120-1126

श्री वीरेन्द्र कुमार 1126-1130

श्री सतपाल महाराज 1130-1135

श्री आनंदराव अडसुल 1135-1139

श्री अजय कुमार 1139-1146

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 1146-1150

श्री बलीराम जाधव 1150-1152

श्री निखिल कुमार चौधरी 1152-1155

डॉ. के.एस. राव 1155-1173

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1191-1192

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1192-1202

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1203-1204

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1203-1206

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

डा. एम. तम्बिदुरई

डा. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 13 मार्च, 2013/22 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने तीन भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री कुमार माझी, टिंडीवनम जी. वेंकटरमन और श्रीमती माया रे के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री कुमार माझी 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तत्कालीन ओडिशा राज्य के क्योंइर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री माझी एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने पिछड़ों के उत्थान के लिए अनवरत रूप से कार्य किया।

श्री कुमार माझी का निधन 69 वर्ष की आयु में 27 जनवरी, 2013 को कटक, ओडिशा में हुआ।

श्री टिंडीवनम जी. वेंकटरमन 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन टिंडीवनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री वेंकटरमन 1989 से 1995 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री वेंकटरमन एक प्रतिष्ठित संसदविद् थे और उन्होंने केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया।

वह अनेक परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री टिंडीवनम जी. वेंकटरमन का निधन 82 वर्ष की आयु में 21 फरवरी, 2013 को चेन्नई में हुआ।

श्रीमती माया रे 1972 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा की सदस्य थीं तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल के रायगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक सुयोग्य संसदविद् थीं और वह दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, संविधान (बत्तीसवां) संशोधन विधेयक तथा न्यायाधीश (जांच) नियम से संबंधित संयुक्त समितियों की सदस्य भी थी।

श्रीमती माया रे का निधन 86 वर्ष की आयु में 11 मार्च, 2013 को कोलकाता में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं इस सभा की ओर से तथा अपनी ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 221 श्री सैयद शाहनवाज हुसैन।

[हिन्दी]

विकास का धीमा पड़ना

*221. **+श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**

डॉ. संजय सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान स्थिति क्या है और आगामी वर्षों में विकास की क्या संभावनाएं हैं;

(ख) विकास में गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, विकास में वृद्धि करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) विश्व की अन्य विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति क्या है?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2012-13 में जी.डी.पी. की विकास दर (2004-05 के नियम मूल्य पर कारक लागत) 5.0 प्रतिशत रहने की संभावना है। विकास धीमे पड़ने के लिए घरेलू कारकों के अलावा अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल उत्तरदायी रहे हैं। घरेलू कारकों में, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए मार्च, 2010 और अक्टूबर, 2011 के बीच मौद्रिक नीति को सख्त किये जाने के कारण निवेश और विकास में कमी आई - खासकर औद्योगिक क्षेत्रक में। खासकर बड़ी परियोजनाओं में अवसंरचना संबंधी बाधाओं के कारण भी विकास धीमा पड़ा। वैश्विक कारकों में 2012 में खासकर यूरो-जोन का संकट तथा कई औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का धीमा विकास शामिल हैं। 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान किया गया है कि 2013-14 में जी.डी.पी. की विकास दर 6.1 से 6.7 प्रतिशत के बीच रहेगी।

(ग) जी.डी.पी. विकास में कमी के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय निवेश समिति (सी.सी.आई.) के गठन सहित कई कदम उठाए गए हैं ताकि बड़ी निवेश परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके, वित्तीय तथा बैंकिंग क्षेत्रक को मजबूत बनाया जा सके; मल्टीब्रांड खुदरा, पावर एक्सचेंज तथा विमानन जैसे क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा सके। संघीय बजट 2013-14 में अवसंरचना तथा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें अन्य के साथ अवंसरचना ऋण निधि को बढ़ावा देना, अवसंरचना से जुड़ी कम्पनियों के लिए ऋण में वृद्धि, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के काय की स्थापना, अधिक मूल्यवान नए निवेशों के लिए निवेश भत्ते की शुरुआत करना आदि शामिल हैं। अनुमान है कि इन कदमों से बाजार में आत्मविश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त बनाने, वित्तीय घाटे में कमी लाने, आयात शुल्कों को कम करने तथा खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने सहित कई उपाय किए हैं।

(घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 2011 तथा 2012 के लिए जनवरी, 2013 में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट तथा वर्ष 2013 और 2014 के अनुमानों के अनुसार, प्रमुख विकसित, उभरते बाजार तथा भारत सहित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर का ब्यौरा संलग्न अनुबंध पर है।

अनुबंध

*सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर**

	2011	2012	अनुमान	
			2013	2014
1	2	3	4	5
1. विश्व आउटपुट	3.9	3.2	3.5	4.1
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	1.6	1.3	1.4	2.2
अमरीका	1.8	2.3	2.0	3.0

1	2	3	4	5
यूरो क्षेत्र	1.4	-0.4	-0.2	3.0
जापान	-0.6	2.0	1.2	0.7
यूनाइटेड किंगडम	0.9	-0.2	1.8	2.3
कनाडा	2.6	2.0	1.8	2.3
उभरते बाज़ार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	6.3	5.1	5.5	5.9
रूस	4.3	3.6	3.7	3.8
चीन	9.3	7.8	8.2	8.5
भारत	7.9	4.5	5.9	6.4
ब्राजील	2.7	1.0	3.5	4.0
दक्षिण अफ्रीका	3.5	2.3	2.8	4.1

स्रोत - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी, 2013

*यहां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की दरें बाज़ार मूल्यों पर जी.डी.पी. के लिए तथा कैलेंडर वर्ष के लिए हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के लिए दी गई संख्या के अंतर को अंशत: स्पष्ट करती हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, कोल के मामले में मैंने आपको नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। बहुत हो गया है, रोज इस तरह से नहीं करते। आप लोग बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शाहनवाज जी, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: अध्यक्ष महोदया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप हैडफोन लगा कर पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपके माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप लोग उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपना पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपके माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इस तरह से मत कीजिए। प्रश्नकाल चलने दीजिए। बसुदेव जी, आप कितने वरिष्ठ सांसद हैं। आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। जो भी बातें हैं, आप शून्य प्रहर में बहुत संक्षेप में पूछ सकते हैं क्योंकि कई दिन से रेल मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं और वे बोल नहीं पा रहे हैं। उनका बोलना संवैधानिक आवश्यकता है।

शाहनवाज जी, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैडम, जिस भी विषय पर ये चर्चा करना चाहते हैं, हम सरकार की तरफ से तैयार हैं। ये नोटिस दे दें, आप समय तय कर दें और हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप नोटिस दे दीजिए। हम चर्चा करवा देंगे। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यदि आप सूचना देंगे, तब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कृपया प्रश्न काल चलने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: अध्यक्ष महोदया, प्र. सं. 221

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, यदि आप सूचना देंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: शाहनवाज़ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: अध्यक्ष महोदया, हम सबको मालूम है कि प्रधान मंत्री जी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और जब प्रधान मंत्री जी देश के वित्त मंत्री बने थे तो देश के लोगों को इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा थी।...*(व्यवधान)* यह भी कहा जाता है कि देश के अर्थशास्त्र को प्रधान मंत्री जी ने पटरी पर लाने का काम किया था। वह नई अर्थनीति लेकर आए थे। लेकिन आज एक अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री जी...*(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم اسپیکر صاحب، ہم سب کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک جانے مانے ماہر معاشیات ہیں اور جب وزیر اعظم ملک کے فائنس منسٹر بنے تھے تو ملک کے لوگوں کو ان سے بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ (مداخلت)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملک کی معاشیات وزیر اعظم نے پٹری پر لانے کا کام کیا تھا۔ وہ ایک نئی معاشی پالیسی (ارتھ نیتی) لے کر آئے تھے۔ لیکن آج ایک ارتھ شاستری وزیر اعظم جی ۔۔(مداخلت)

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन: हमने सूचना दी है। प्रधान मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं। संसद का सत्र जारी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुझे मालूम है कि आप बहुत दु:खी हैं और हमलोग भी हैं। कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: अध्यक्ष महोदया, अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री जी ने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इससे बहुत ही कष्ट हो रहा है। मैंने कहा कि मैं आपको "शून्य काल' में अनुमति दूंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपने सवाल नहीं पूछा। आप अपना सवाल पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: अध्यक्ष महोदया, मैंने सवाल पूछा था। पूरे देश को मालूम है कि प्रधान मंत्री अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री होने के नाते देश के लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थीं। वर्ष 1991 में जब वे देश के वित्त मंत्री बने थे तो जी.डी.पी. की बात शुरू हुई थी। उस समय देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। उस वक्त उनकी अर्थनीति की चर्चा होती थी।...*(व्यवधान)* लेकिन आज जो जवाब हमें मिला है, वह बहुत ही निराशाजनक है। पूरे देश के अंदर सवाल है कि...*(व्यवधान)* आज देश के अंदर जो इकोनॉमी की हालत है, उन्होंने जवाब में कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जवाब में कहा है कि हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन आपने देश के विगत बजट में 90,000 करोड़ रुपये की कमी कर दी है। कोल में 25 साल से कोई क्लिअरेंस नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)* आज रेल के प्रोजेक्ट एनवॉयरनमेंट के नाम पर क्लिअर नहीं हो रहे हैं। आज एनवॉयरमेंट क्लिअरेंस विभिन्न रोड्स को नहीं मिल रही हैं।...*(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم اسپیکر صاحبہ، میں نے سوال پوچھا تھا۔ پورے ملک کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم ماہر معاشیات ہیں اور ماہر معاشیات ہونے کے ناطے ملک کے عوام کو ان سے بہت ساری امیدیں تھیں۔ سال 1991 میں جب وہ ملک کے فائننس منسٹر بنے تھے تو جی۔ڈی۔پی۔ کی بات شروع ہوئی تھی۔ اس وقت ملک کے معاشی حالات کو پٹری پر لانے کے لئے انہوں نے بہت کام کیا تھا۔ اس وقت ان کی اقتصادی پالیسی کی بہت چرچہ ہوئی تھی۔ (مداخلت)۔ لیکن آج جو جواب ہمیں ملا ہے، وہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ پورے ملک کے اندر سوال ہے کہ (مداخلت)۔ آج ملک کے اندر جو معاشی حالت ہے، انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ ہم انفراسٹرکچر بڑھانے کے لئے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ ہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ (مداخلت)۔ لیکن آپ نے ملک کے گزشتہ بجٹ میں 90,000 کروڑ روپے کی کمی کی ہے۔ کول میں 25 سال سے کوئی کلیئرنس نہیں مل رہا ہے۔ (مداخلت)۔ آج ریل کے پروجیکٹ انوائرمنٹ کے نام پر کلیئر نہیں ہو رہا ہے۔ آج انوائرمنٹ کلیئرنس مختلف روڈس کو نہیں مل رہا ہے۔ (مداخلت)۔۔۔

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: यह बहुत गंभीर मामला है। वे वक्तव्य क्यों नहीं दे सकते? प्रधानमंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: अध्यक्ष महोदया, इसके लिए सरकार के विल चाहिए और सरकार ने आज तक जिस तरह की व्यवस्था की है, उससे देश के लोगों को निराशा हुई।...*(व्यवधान)* अभी जो जवाब आया है, वह संतोषजनक नहीं है। क्या प्रधान मंत्री जी देश को आश्वस्त करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि जब जी.डी.पी. पर सवाल हो तो देश के प्रधान मंत्री जी उठकर अगर कोई जवाब दें जिससे देश के लोगों को लगेगा कि आज कोई उम्मीद की किरण जगी है। लेकिन लोग के लोग नाउम्मीद हो गये हैं।...*(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم اسپیکر صاحبہ، اس کے لئے سرکار کی ول چاہئے اور سرکار نے آج تک جس طرح کا انتظام کیا ہے، اس سے ملک کے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ (مداخلت)۔ ابھی جو جواب آیا ہے، وہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم ملک کو یقین دلائیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ جب جی۔ڈی۔پی۔ پر سوال ہو تو ملک کے وزیر اعظم کھڑے ہو کر جواب دیں جس سے ملک کے عوام کو لگے کہ آج کوئی امید کی کرن جاگی ہے۔ لیکن ملک کی عوام ناامید ہوئی ہے۔ (مداخلت)۔

पूर्वाह्न 11.09 बजे

इस समय श्री पी.के. बिजू, श्री पी. करूणाकरन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभापटल के निकट खड़े हो गए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: पूरे देश के लोगों में निराशा का वातारण है।...*(व्यवधान)* सरकार अपने तौर पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है।...*(व्यवधान)* सरकार कहती है कि हमारे यहां यूरोपियन क्राइसिस की वजह से जी.डी.पी. घट रहा है।...*(व्यवधान)* लेकिन हम सिर्फ दो परसेंट व्यापार यूरोपियन यूनियन से करते हैं और वहां से 98 परसेंट व्यापार नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): پورے ملک میں مایوسی کا عالم ہے (مداخلت)۔ سرکار اپنے طور پر کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ (مداخلت)۔ سرکار کہتی ہے کہ ہمارے یہاں یوروپین کرائسس کی وجہ سے جی۔ڈی۔پی۔ گھٹ رہا ہے۔ (مداخلت)۔ لیکن ہم صرف دو پرسینٹ تجارت یوروپین یونین سے کرتے ہیں اور وہاں سے 98% تجارت نہیں ہوتی ہے۔

अध्यक्ष महोदया: आप जल्दी सवाल पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैं इतने हंगामे में सवाल पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब जवाब में कह दिया गया कि यह यूरोपियन यूनियन की वजह से नहीं है, सरकार की विल है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की विल है कि इन पॉलिसियों को ठीक करके देश को जी.डी.पी. को पटरी पर लायेंगे या सरकार सिर्फ खानापूर्ति करेगी? ...*(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم اسپیکر صاحب، میں محترم وزیراعظم صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب جواب میں کہہ دیا گیا کہ یہ یوروپین یونین کی وجہ نہیں ہے، سرکار کی ول ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سرکار کی ول ہے کہ پالیسیوں کو ٹھیک کر کے ملک کی جی۔ڈی۔پی۔ کو پٹری پر لائیں گے یا سرکار صرف خانہ پوری کرے گی۔

श्री राजीव शुक्ला: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने देश को आश्वासन दिया था।...*(व्यवधान)* वर्ष 2002-03 में जी.डी.पी. सिर्फ 4 परसेंट थी उस समय रा.ज.ग. की सरकार थी। अगर मैं आपको उसके बाद से जी.डी.पी. की रिपोर्ट दूं।...*(व्यवधान)* हाइएस्ट जी.डी.पी. 2010-2011 में 9.3 परसेंट तक गई है।...*(व्यवधान)* यह सही है कि 2011-2012 से जी.डी.पी. गिरकर 602 परसेंट तक आई थी, जिसके कई कारण हैं और इनमें ग्लोबल फैक्टर सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व में जिस तरह से अर्थव्यवस्था का हाल रहा, इन्कलूडिंग चीन, सबकी जी.डी.पी. गिरी।...*(व्यवधान)* यह सिर्फ भारत की बात नहीं है।...*(व्यवधान)* अब करंट वर्ष में पांच परसेंट जी.डी.पी. रहेगी और यह अगले साल बढ़कर 6.7 परसेंट तक जा सकती है।...*(व्यवधान)* सरकार ने खास तौर से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए तमाम कदम उठाए हैं।...*(व्यवधान)* इस बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2025 तक टार्गेट है कि कम से कम मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर में दस करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप दूसरा सवाल पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। क्या एमओएस को संसद में गलत बयानी का अधिकार है?...*(व्यवधान)* वह कह रहे हैं कि 2004 में जी.डी.पी. चार, छह परसेंट थी।...*(व्यवधान)* जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी थी तब जी.डी.पी. नौ प्रतिशत थी।...*(व्यवधान)* मंत्री जी को गलत बयानी का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)* जी.डी.पी. 8.6 प्रतिशत थी।...*(व्यवधान)* मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सरकार छोड़ी थी तब देश में महंगाई भी नहीं थी और जी.डी.पी. 8.6 परसेंट थी।...*(व्यवधान)* आप सरकार को निर्देश दीजिए कि संसद के फ्लोर पर गलत बयानी न करे, मिसलीड न करे।...*(व्यवधान)* इनका बयान एक्सपंज कराना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा सवाल है कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकार ने सब्सिडी कम की है इससे दो से तीन परसेंट महंगाई बढ़ेगी।...*(व्यवधान)* पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी कम की है इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का बयान आया है कि इससे दो से तीन परसेंट महंगाई बढ़ने वाली है।...*(व्यवधान)* सरकार ने इस देश में जी.एस.पी. के नाम पर कुछ नहीं किया है।...*(व्यवधान)* आप जी.एस.पी. लागू नहीं कर पाए हैं। आप कह रहे हैं

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि एफ.डी.आई. के भरोसे देश को छोड़ देंगे।...*(व्यवधान)* देश के प्रधानमंत्री, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उनसे देश के लोगों को उम्मीद है, आखिर उनके अर्थशास्त्र का ज्ञान कब काम आएगा?...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री जी का अर्थशास्त्र देश को कब लाभ देगा?...*(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم اسپیکر صاحب، مجھے بہت اعتراض ہے۔ کیا ایم۔او۔ایس۔ کو ایوان میں غلط بیانی کا حق حاصل ہے؟ (مداخلت)۔۔۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2004 میں جی۔ڈی۔پی۔ چار۔چھ پرسینٹ تھی۔ (مداخلت)۔ جب محترم اٹل بہاری باجپئی جی نے سرکار چھوڑی تھی تب جی۔ڈی۔پی۔ 9 پرسینٹ تھی۔ (مداخلت) منتری جی کو غلط بیان دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جی۔ڈی۔پی۔ 8.6% تھی (مداخلت) میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نیتا محترم اٹل بہاری باجپئی جی نے جب سرکار چھوڑی تھی جب ملک میں مہنگائی بھی نہیں ہوری تھی اور جی۔ڈی۔پی۔ 8.6% تھی۔ (مداخلت)۔ آپ سرکار کو حکم دیجئے کہ ایوان کے فلور پر غلط بیانی نہ کریں، مسلیڈ نہ کریں۔ (مداخلت)۔ ان کا بیان ایکس پنج کرانا چاہئے۔

محترم اسپیکر صاحب، میرا دوسرا سوال ہے کہ ریزرو بینک نے کہا ہے کہ سرکار نے سبسڈی کم کی ہے اور اس سے 2% سے 3% مہنگائی بڑھے گی۔ (مداخلت)۔ پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی کم کی ہے اس پر ریزرو بینک کے گورنر کا بیان آیا ہے کہ اس سے 2% سے 3% مہنگائی بڑھنے والی ہے۔ (مداخلت)۔ سرکار نے اس ملک میں جی۔ایس۔ٹی۔ کے نام پر کچھ نہیں کیا ہے (مداخلت)۔ آپ جی۔ایس۔ٹی۔ لاگو نہیں کر پائے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف۔ڈی۔آئی۔ کے بھروسے اس ملک کو چھوڑ دیں گے۔ (مداخلت) ملک کے وزیر اعظم جو ملک کے جانے مانے ماہر معاشیات ہے، ان سے ملک کی عوام کو بہت امید ہے، آخر ان کے ماہر معاشیات ہونے کا فائدہ کب کام آئے گا، وزیر اعظم صاحب کا علم معاشیات ملک کو کب فائدہ پہنچائے گا۔۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.14 बजे

इस समय श्री पी. करूणाकरन, श्री पी.के. बीजू और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदया, अब हल्ला शांत हुआ है, क्या अब मैं सवाल ठीक से पूछ लूं?...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में कन्कलूड करूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, इटली के प्राधिकारियों के आचरण पर यह सभा उत्तेजित है और पूरा देश भी उत्तेजित है। मैं सभा के सदस्यों के चिन्ता से सहमत हूं। हम लोग किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं; चाहे किसी भी रूप में, अध्यक्ष महोदया, आप निदेश दे सकती हैं, हम लोग उचित समय पर चर्चा के लिए तैयार हैं; आप समय नियत कर सकती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्हें अपनी बात पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं। कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप देखिये, अभी आपका जवाब आयेगा, आप बैठ जाइये। सह लोग एक साथ नहीं बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं होगी।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्या बोल रहे हैं, बसुदेव आचार्य जी, आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आपका क्वेश्चन हो गया।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैडम, मैंने समझा कि प्रधान मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हो गया था। मुझे प्रधान मंत्री जी से उम्मीद है, श्री राजीव शुक्ला जी जी.डी.पी. के बारे में जो जवाब देंगे, वह अलग है, लेकिन देश को प्रधान मंत्री जी से उम्मीद है। राजीव शुक्ला जी अर्थशास्त्री नहीं हैं। मेरा सवाल प्रधान मंत्री जी से है, यह सवाल अर्थशास्त्र का है। *(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم اسپیکر صاحب، میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں، میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا۔ مجھے وزیر اعظم صاحب سے بڑی امید ہے، محترم راجیو شکلا جی، جی۔ڈی۔پی۔ کے بارے میں جو جواب دیں گے، وہ الگ ہے، لیکن ملک کو وزیر اعظم صاحب سے بہت امیدیں ہیں، راجیو شکلا جی ماہر معاشیات نہیں ہیں۔ میرا سوال وزیر اعظم سے ہے، یہ سوال معاشیات کا ہے۔ (مداخلت)۔۔۔

अध्यक्ष महोदया: अब आपने सवाल पूछ लिया।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैडम, मेरा ऐतराज है।

अध्यक्ष महोदया: अब आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैडम, मेरा ऐतराज यह है कि उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का जी.डी.पी. जो फोर पाइंट कहा, वह गलत कहा, आप उसे एक्सपंज कराइये। वह 8.6 परसैन्ट था। क्या किसी मंत्री को संसद के फ्लोर पर यह अधिकार है कि वह गलतबयानी करे और हाउस को मिसलीड करे...*(व्यवधान)* जी.डी.पी. के बारे में सवाल का उत्तर देश जानना चाहता है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैं एक सांसद हूं। जनता ने हमें यहां भेजा है, हम अपनी तैयारी से आये हैं। हम जवाब प्रधान मंत्री जी से सुनना चाहते थे। श्री राजीव शुक्ला जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने का गलत जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब देना अच्छा नहीं लगता है। हम आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि आज जी.डी.पी. की हालत ऐसी क्यों है, इस पर खुद प्रधान मंत्री जी दो शब्द कहें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों शोर मचा रहे हैं, आप ही के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैडम, मैं प्रधान मंत्री जी से बहुत इज्जत की अपेक्षा करता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश के जी.डी.पी. की हालत बहुत अच्छी नहीं है। देश के लोगों को आपके मुख से दो शब्द की उम्मीद है और प्रश्न भी आपसे रिलेटिड है। आप देश के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं, देश के प्रधान मंत्री भी हैं। आप अर्थशास्त्र पर जो ज्ञान देंगे वह ज्ञान देश को लाभ देगा। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि देश के हित में आप कुछ कहें।...*(व्यवधान)*

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم اسپیکر صاحب، میرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے محترم اٹل بہاری باجپئی جی کے وقت کا جو جی۔ڈی۔پی۔ جو فور پوائنٹ کہا، وہ غلط کہا، آپ اسے ایکسپنج کرائے۔ وہ 8.6% تھا۔ کیا کسی منتری کو اس معزز ایوان کے طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ غلط بیانی کرے اور ہاؤس کو مس لیڈ کرے (مداخلت) جی۔ڈی۔پی۔ کے سوال کا جواب پورا ملک جاننا چاہتا ہے۔ میں معاشیات کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہوں۔ عوام نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، ہم اپنی تیاری سے آئے ہیں۔ ہم جواب وزیر اعظم سے سننا چاہتے تھے، راجیو شکلا جی اٹل بہاری باجپئی جی کے زمانے کا غلط جواب دے رہے ہیں، غلط جواب دینا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہم آپ کے ذریعے سے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ آج جی۔ڈی۔پی۔ کی حالت ایسی کیوں ہے، اس پر خود وزیر اعظم دو الفاظ کہیں (مداخلت)۔۔۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم اسپیکر صاحب، میں وزیر اعظم سے بہت عزت کی امید کرتا ہوں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی جی۔ڈی۔پی۔ کی حالت بہت اچھی نہیں ہے۔ ملک کے لوگوں کو آپ کے منہ سے دو الفاظ کی امید ہے اور سوال بھی آپ سے ہی متعلق ہے۔ آپ ملک کے جانے مانے ماہر معاشیات ہیں، ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، آپ معاشیات پر جو بھی بات کہیں گے وہ علم ملک کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس لئے آپ سے امید ہے کہ ملک کے مفاد میں کچھ کہیں۔۔۔

[अनुवाद]

डॉ. मनमोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों में आर्थिक क्रियाकलाप में मंदी आयी है और यह सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में परिलक्षित हुई है। चालू वर्ष 2013-14 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में और मैंने जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते समय हस्तक्षेप किया था तो मैंने उन कारणों का विस्तार से उल्लेख किया था जो आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारक है; अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में दो संकट हैं - पहला, 2008-09 का बैंकिंग संकट और तत्पश्चात् 2011 का यूरो जोन संकट।

ये सब बातें हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, लेकिन अन्य कारक भी हैं। कुछ घरेलू कारक हैं और हम इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि जनता को निरुत्साहित करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा; यद्यपि हमें कठिनाईयां हैं, तथापि हमें विश्वास है। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि हमें विश्वास है कि 2-3

वर्षों में हम लोग 7-8 प्रतिशत के जबरदस्त विकास मार्ग पर अर्थव्यवस्था को पुनः ले जाएंगे।

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के विकास की क्या दशा, दिशा है, इसका आकलन घरेलू सकल उत्पाद की विकास की दर से किया जाता है। महंगाई एवं पर्याप्त निवेश की कमी की वजह से हमारी विकास दर में कमी आई है और उदारीकरण नीति के बावजूद विकास दर घटी है। यह बड़ी चिंता का विषय है। सरकार ने इसके लिए सही दिशा में कई नीतियां बनाई हैं। लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए, उसमें अभी भी बहुत कमी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन हमारी कृषि का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। बिजली की कमी है और सिंचाई के साधनों की कमी है। तमाम राज्यों में ये चीज़े देखी जाती हैं। इससे विकास पर फर्क पड़ता है। उत्पादन की गिरावट में भी इसका फर्क पड़ता है। सन् 2012 में नैशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग में 25 प्रतिशत की बढ़त थी और उस समय बेरोज़गारों को देश में दस करोड़ नए रोज़गार मिलेंगे, ऐसी सोच थी। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले साल उसका क्या हिसाब-किताब रहा और आगे आने वाली तमाम योजनाओं से हमें इसमें क्या परिणाम मिलने वाले हैं? क्या हमें कुछ सकारात्मक आशा है और अगर नहीं है तो इसका क्या कारण है?

श्री राजीव शुक्ला: मैडम, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, हम भी उससे पूरी तरह से सहमत हैं। आर्थिक विकास के लिए जितना प्रयास किया जाए, उतना कम है। वह चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हो। 12वीं पंचवर्षीय योजना में और हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी जो बजट अनाउंस किया है, उसके लिए तमाम नए कदम उसमें उठाए हैं। वह चाहे मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर हो, चाहे औद्योगिक विकास की अन्य परियोजनाएं हों। खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष रूप से तमाम कदम उठाए गए हैं। आपको पता है कि इंफ्लेशन की वजह से थोड़ा रेपो रेट बढ़ाया गया था, उसको भी 75 पॉइंट कम किया गया है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। निश्चित रूप से उससे रोज़गार बढ़ेगा। सरकार ने सन् 2025 तक का एक पूरा रोडमैप तैयार किया है, जिसमें कम से कम दस करोड़ रोज़गार सृजित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, हम देश के वित्त और गत दो वर्षों से अर्थव्यवस्था में आ रही लगातार मंदी पर चर्चा कर रहे हैं जिसे माननीय प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है। यह न केवल मंदी है बल्कि निरंकुश मुद्रा स्फीति है जो देश को प्रभावित कर रही है। इसलिये हमारे यहां से विरोधाभासी विशेषतायें हैं: एक मुद्रास्फीति है और दूसरी मंदी है। हमें हवा में महल नहीं बनाना चाहिये। योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री सरकार की ओर से बोल रहे हैं। मैं विशेषकर प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति को रोकने एवं अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिये क्या ठोस कदम उठाने के बारे में सोचा जा रहा है। इसका उत्तर श्री शुक्ला को नहीं देना है। इसका उत्तर या तो माननीय प्रधान मंत्री या फिर माननीय वित्त मंत्री दें क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। सरकार कहती है कि वह कदम उठा रही है। आपने क्या कदम उठायें हैं? देश गत पांच वर्षों से यहां तक कि जब से यू.पी.ए. सत्ता में आई है मुद्रास्फीति की गिरफ्त में है। मंदी से सब कुछ प्रभावित हो रहा है।

इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संकट में न ढूंढे। 2008 में भी अन्तर्राष्ट्रीय संकट आया था लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः अप्रभावित रही। आज भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह प्रभावित क्यों है और सरकार इस संकट का कारण अमरीका संकट में क्यों खोज रही है? भारत एक विशाल देश है। हमारे यहां घरेलू बाजार है।

इसलिये, महोदया, मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री हवाई किले बनाने की बजाए यहां बतायें कि वह क्या करना चाहते हैं। वह पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: माननीय प्रधान मंत्री का माननीय वित्त मंत्री इसे ठोस तरीके से बतायें।

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदया, मैंने सोचा था कि अपने बजट के भाषण के प्रारंभिक छह पैराओं में मैंने स्थिति का संतुलित आकलन प्रस्तुत किया है। प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में इसी का संकेत किया है। 2008 का संकट 2009 में खत्म नहीं हुआ। वास्तव में यह 2011-22 में अधिक संकटपूर्ण हो गया और विश्वभर में हर व्यक्ति इससे सहमत है कि 2008 में शुरू हुआ संकट पूरे विश्व में रहा और जैसा कि प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम अप्रभावित नहीं है। हम उस संकट से अप्रभावित नहीं रह सकते हैं। हमारा आयात और निर्यात जी.डी.पी. का 44 प्रतिशत है तथा पूंजी का अन्तर्वाह एवं बहिर्गमन सकल घरेलू उत्पाद का 108 प्रतिशत है। इसलिये हम प्रभावित होंगे और हम प्रभावित हैं।

माननीय सदस्य ने कहा था कि हम 2009-10 और 2010-11 में अप्रभावित थे लेकिन यह आकलन सही नहीं है और मैं यह बात सम्मान के साथ कहता हूं। हमने तीन क्रमिक प्रोत्साहन पैकेजों से अपने विकास की रक्षा करने का प्रयास किया था। यह प्रोत्साहन पैकेज है जिससे इन दोनों वर्षों के दौरान उच्च विकास दर प्राप्त हुई है। लेकिन जब प्रोत्साहन पैकेज का कार्यान्वयन हो रहा था तब हम मंदी से अवगत थे। मंदी ऐसी है कि वित्तीय घाटा बढ़ेगा। दूसरी मंदी है कि जब वित्तीय घाटा बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अतः, इस दो वर्षों के दौरान यदि आप सकल घरेलू उत्पाद संख्या को देखें तो सकल घरेलू उत्पाद अत्यंत आकर्षक 8.6 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत रहेगा। वित्तीय घाटा भी बढ़ा और इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति भी बढ़ी। इसलिये, हमने वित्तीय घाटे, वित्तीय मुद्रास्फीति को कम करने और विकास की पुनः शुरुआत करने के लिये उपायों के पैकेज पर कार्य किया है। ये सारी बातें बजट भाषण में विस्तार से बताई गई हैं। यह आर्थिक सर्वेक्षण में सविस्तार स्पष्ट किया गया है।

मुद्रास्फीति के तीन भाग हैं। पहला है मूल मुद्रास्फीति डब्ल्यू.पी.आई. मुख्य शीर्ष मुद्रास्फीति है। यह मुद्रास्फीति वास्तव में नीचे आई है। मूल मुद्रास्फीति वास्तव में चार या साढ़े चार प्रतिशत तक आ गई है। लेकिन वह मुद्रास्फीति जो लोगों को प्रभावित करती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

श्री पी. चिदम्बरम: मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, आप मुझे बीच में क्यों रोक रहे हैं? जिस मुद्रास्फीति से लोग प्रभावित होते हैं वह वास्तव में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और बढ़ा हुआ है। वास्तव में यह 10 प्रतिशत से अधिक है। यह खाद्य महंगाई से निर्धारित होता है और खाद्य मुद्रास्फीति का हर घटक उच्च स्तर पर है। दलहन संबंधी मुद्रास्फीति उच्च है क्योंकि दालों में आपूर्ति-मांग का अंतर है। मोटे अनाज महंगे हैं क्योंकि हमने उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य दिये हैं और हम बाजार में और अधिक अनाज भेज रहे हैं...*(व्यवधान)*। यह आप उत्तर चाहते हैं तो मेरी बात सुनें। मुझे पता है कि किसानों के लिये उच्च समर्थन मूल्य की मांग है। संप्रग सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी भी सरकार ने पांच वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना नहीं किया है। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है...*(व्यवधान)* हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना किया है। एन.डी.ए. सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपये प्रति वर्ष बढ़ा था। रा.ज.ग. को सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना हो गया जब हमने कार्यभार संभाला था।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री पी. चिदम्बरम: तीसरा कारण फल एवं सब्जियां हैं। हमें आपूर्ति पक्ष में सुधार करना है। मुद्रास्फीति उच्च होने का एक कारण है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रभावी वितरण चैनल या संभार तन्त्र नहीं है जिसके कारण हम कहते हैं कि वितरण चैनल एवं संभार तन्त्र में सुधार किया जाए ताकि खेतों में जो कुछ पैदा हो रहा है वह बाजार में उपभोक्ता के पास आये। हम खाद्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के लिये अनेक कदम उठा रहे हैं और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या परिणाम मिलता है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मेरा विशेष प्रश्न मंदी पर था...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने उत्तर दे दिया है। अब, प्रश्न सं. 222.

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मेरा प्रश्न अर्थव्यवस्था की मंदी पर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हमने सामान्य बजट पर चर्चा की है और इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री दासगुप्त, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे सभा चलाने दें। हम बजट पर सामान्य चर्चा करेंगे और माननीय मंत्री बजट पर चर्चा का उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

विमानपत्तनों का विकास

***222. श्री अद्गुरु एच. विश्वनाथ:**

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों और औद्योगिकी गंतव्यों में वृद्धि के मद्देनजर कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में विमानपत्तनों को विकसित करने और विमान सेवाओं और सुविधाओं में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितना व्यय किए जाने/सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है तथा उक्त परियोजनाएं राज्य तथा स्थान-वार कब तक क्रियान्वित कर दी जाएंगी;

(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन्न विमानपत्तनों के विकास हेतु भारत-जर्मन सहयोग का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हम इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार देश में विभिन्न विमानपत्तनों के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विमानपत्तनों के विकास हेतु अब तक प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा संलग्न अनुबध-2 में दिए गए विवरण के अनुसार एअरपोर्टों का विकास प्रस्तावित है।

(ग) जी नहीं। सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी, हां। नागर विमानन सेक्टर में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को आकर्षित करने के लिए निर्धारित प्रतिमान संलग्न अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

(ङ) देश में अब तक विमान सेक्टर में कोई भी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नहीं आया है।

अनुबंध-I

नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाने वाले प्रस्तावित हवाईअड्डे

(क) ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे

क्रम सं.	स्थान	परियोजना	परियोजना की लागत
1.	पेक्यांग (गंगटोक) सिक्किम	नया हवाईअड्डा	310 करोड़ रुपए। कार्य प्रगति पर समाप्ति की तिथि जून, 2014
2.	ईटानगर अरुणाचल प्रदेश	नया हवाईअड्डा	1064 करोड़ रुपए (योजना चरण)

(ख) आधुनिकीकरण/हवाई अड्डों के विस्तार

क्रम सं.	स्थान	कार्य	परियोजना की लागत
1.	जलगाँव, महाराष्ट्र	नया हवाईअड्डा	61 करोड़ रुपए कार्य संपन्न
2.	किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान	नया हवाईअड्डा	प्रारंभिक चरण
3.	देवघर, झारखंड	नया हवाईअड्डा	प्रारंभिक चरण
4.	तेजु, अरुणाचल प्रदेश	हवाईअड्डे का स्तरोन्नयन	79 करोड़ रुपए कार्य प्रगति पर समाप्ति की तिथि दिसंबर, 2014
5.	मंगलौर, कर्नाटक	(i) आंशिक समानान्तर टैक्सी ट्रैक, एप्रन तथा रनवे का विस्तार	योजना चरण 45 करोड़ रुपए 27 करोड़ रुपए
		(ii) कंट्रोल टावर सह तकनीकी ब्लॉक	कार्य प्रगति पर परियोजना समाप्त होने की तिथि दिसंबर, 2013
6.	मैसूर, कर्नाटक	टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे, एप्रन तथा टैक्सीवे, ए.टी.सी. टॉवर सह टेक ब्लॉक सह फायर स्टेशन	कार्य समाप्त 81 करोड़ रुपए
7.	बेलगांव, कर्नाटक	भारतीय नौ सेना के साथ संयुक्त विकास के तहत रनवे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन का निर्माण, ए.टी.सी. टावर कम टैक ब्लॉक सह फायर स्टेशन तथा आइसोलेशन बे	परियोजना चरण 293 करोड़ रुपए (इनमें से ए.ए.आई. 142 करोड़ रुपए तथा भारतीय वायु सेना 151 करोड़ रुपए शेयर करती है)
8.	हुबली, कर्नाटक	टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे, एप्रन तथा टैक्सीवे, ए.टी.सी. टॉवर सह टेक ब्लॉक सह फायर स्टेशन	परियोजना चरण 141.44 करोड़ रुपए

(ग) निजी क्षेत्र/राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जाने वाले ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे

इसके अलावा, भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप में भारत सरकार की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के तहत नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति दी है।

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1.	मोपा	गोआ
2.	गुल्बर्गा	कर्नाटक
3.	बीजापुर	

क्र.सं.	स्थान	राज्य
4.	हसन	
5.	शिमोगा	
6.	अर्नामुला (पथानामथिट्टा)	केरल
7.	कन्नूर	
8.	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र
9.	नवी मुंबई	
10.	शिर्डी	
11.	डाबरा	मध्य प्रदेश
12.	कराईकल	पुडुचेरी
13.	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश
14.	अंदल-फरीदपुर	पश्चिम बंगाल

जहां तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित देश में विकसित किए जाने वाले अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का जिसमें कर्नाटक भी शामिल है का संबंध है, की वर्तमान स्थिति अनुबंध-I (क) में दी गई है।

अनुबंध-I (क)

देश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम तथा राज्य	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	गोवा में मोपा हवाई अड्डा	भारत सरकार ने मार्च, 2000 में गोवा में मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए गोवा सरकार के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान की है। सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करते समय यह भी निर्णय लिया गया था कि नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के प्रचालनीकरण के पश्चात मौजूदा डबोलिम हवाई अड्डे को सिविल वाणिज्यिक प्रचालन के लिए बंद कर दिया जाएगा। किन्तु बाद में वर्ष 2010 में गोवा में नागर विमानन परिवहन में तीव्र वृद्धि के कारण केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा डबोलिम हवाई अड्डे के प्रचालन को जारी रखने का निर्णय लिया। तत्पश्चात, गोवा सरकार ने मोपा हवाई अड्डे के विकास पर कार्रवाई आरंभ की। गोवा सरकार ने सूचित किया कि हवाई अड्डा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का प्रमुख भाग (1270 एकड़) पहले ही अधिगृहित किया जा चुका है और इसका कार्य 2013 के आरंभ में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गोवा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का भी गठन किया गया है जिसमें नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व है और यह समिति हवाई अड्डे के विकास के सभी पहलुओं की जांच करेगी। गोवा सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अवधारणा अभिकल्प, बोली दस्तावेज, परियोजना प्रबंधन परामर्श दस्तावेज आदि तैयार करने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार आवश्यक पर्यावर्णीय स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी है।

1	2	3
2.	महाराष्ट्र में नवी मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा	भारत सरकार ने जुलाई, 2007 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से नवी मुम्बई हवाई अड्डे पर नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र के एक सरकारी निकाय - सी.आई.डी.सी.ओ. को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सी.आई.डी.सी.ओ. ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियां आरंभ कर दी हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की कटाई व भराई द्वारा भूमि निकास, ई.एच.वी.टी. लाइनों का स्थान परिवर्तन, जल आपूर्ति, ऊर्जा आदि। 22.11.2010 को प्रमोटर द्वारा पर्यावरण तथा तटीय विनिमय जोन (सी.आर.जेड.) क्लियरेंस प्राप्त की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन को सुलभ बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति यथा परियोजना मॉनीटरिंग तथा क्रियान्वयन समिति (पी.एम.आई.सी.) का गठन किया गया है। पी.एम.आई.सी. की प्रथम बैठक 07 जनवरी, 2013 को आयोजित की गई थी।
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग	भारत सरकार ने सितम्बर, 2008 में सिंधुदुर्ग में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम.आई.डी.सी.) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एम.आई.डी.सी. द्वारा 271 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है। टेलीफोन लाइन, बिजली तथा पानी आपूर्ति लाइनों के मार्ग परिवर्तन संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। आई.आर.बी. सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा प्रा.लि. (आई.ए.एस.पी.एल.) इस हवाई अड्डा परियोजना के विकास के लिए रियायतग्राही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 307.00 करोड़ रुपये है। 21.12.2011 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त की गई है। हवाई अड्डा कंपनी ने कार्य आरंभ करने के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
4.	गुलबर्गा, बीजापुर, हासन	गुलबर्गा, बीजापुर, हासन तथा शिमोगा पर हवाई अड्डे की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार (जी.ओ.के.) को भारत सरकार द्वारा 'सैद्धान्तिक तौर पर' अनुमोदन किया गया है। इन हवाई अड्डा परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: **शिमोगा:** राज्य सरकार तथा शिमोगा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रा. लि. (एस.ए.डी.पी.एल.) के बीच दिनांक 02.04.2008 को परियोजना विकास करार (पी.डी.ए.) किया गया था। एस.ए.डी.पी.एल. को 680 एकड़ अपेक्षित भूमि पहले ही सौंपी जा चुकी हैं और रियायतग्राही तथा कर्नाटक राज्य सरकार के बीच लीज डीड पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। एस.ए.डी.पी.एल. द्वारा परियोजना विकास गतिविधियां तथा जल आपूर्ति के संबंध में कार्रवाई, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, अग्नि शमन, रोड संपर्कता तथा अन्य गतिविधियां पहले ही की जा चुकी है। परियोजना पूर्ण होने के अंतिम स्तर पर है और इसके दिसम्बर, 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

1	2	3
		गुलबर्गा: कर्नाटक राज्य सरकार तथा गुलबर्गा एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रा. लि. (जी.ए.डी.पी.एल.) के बीच पी.डी.ए. पर हस्ताक्षर हो गए हैं। जी.ए.डी.पी.एल. को अपेक्षित 670 एकड़ भूमि पहले ही सौंपी गई है। जी.ए.डी.पी.एल. द्वारा विभिन्न संगठनों/सांविधिक निकायों से आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है। परियोजना पूर्णता के अंतिम स्तर पर है और इसके मई, 2013 तक पूरा होने की संभावना है।
		हासन: हासन हवाई अड्डा परियोजना मैसर्स जूपिटर एवियशन एण्ड लाजिस्टिक लिमिटेड को दिया गया है। इस परियोजना के लिए चिन्हित 960 एकड़ भूमि में से 536.24 एकड़ भूमि रियायतग्राही को सौंप दी गई है। इस परियोजना की लागत लगभग 312.20 करोड़ रु. होगी। विकासकर्ता द्वारा लगभग 225 एकड़ भूमि के लिए संयुक्त सर्वेक्षण कराया गया है तथा सर्वेक्षण संख्या आई.डी.डी., कर्नाटक सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी गई है और दिनांक 13 जून, 2011 को वित्तीय योजना के साथ संशोधित डी.पी.आर. आई.डी.डी. को प्रस्तुत कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार से शेष 424 एकड़ भूमि प्राप्त हो जाने पर विकासकर्ता द्वारा निर्माण कार्य के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु डी.जी.सी.ए. को इंजीनियरिंग संबंधी डिजाइन तैयार करके प्रस्तुत की जाएगी। 250 मीटर तक चार-दीवारी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
		बीजापुर: कर्नाटक सरकार तथा मैसर्स मार्ग एविएशन प्रा. लि. के बीच हवाई अड्डा परियोजना के विकास के लिए दिनांक 18.01.2010 को पी.डी.ए. पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 150 करोड़ रु. होगी। कर्नाटक सरकार को सूचित किया गया है कि परियोजना की आर्थिक अव्यवहार्यता की वजह से विकासकर्ता द्वारा इस परियोजना को छोड़ने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना के स्थान परिवर्तन के लिए उस पर विचार किया गया था। स्थल को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् कार्य आरंभ किया जाएगा। इसलिए, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के अनुसार, नए स्थान के लिए संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक औपचारिकताएं नए सिरे से पूरी करना अपेक्षित है।
5.	केरल में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा	केरल में कन्नूर पर नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा केरल सरकार को जनवरी, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना को स्वयं बनाओ और प्रचालन करो (बी.ओ.ओ.) के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। इस हवाई अड्डे के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा मैसर्स केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (के.आई.एन.एफ.आर.ए.) को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया था। मैसर्स के.आई.ए.एल. द्वारा

1	2	3
		इसके लिए 1278 एकड़ भूमि अर्जित की गई और दूसरी 783 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। परियोजना परामर्शकों की नियुक्ति कर दी गई है और डी.पी.आर., रनवे डिजाइन अनुमान तथा अन्य निविदा दस्तावेजों आदि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। पर्यावरण क्लीयरेंस, रक्षा मंत्रालय संबंधी क्लीयरेंस, गृह मंत्रालय, संबंधी क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है।
6.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा	उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को सितंबर, 2009 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना की कुल लागत 347 करोड़ रुपए है। इसके पश्चात्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को वी.जी.एफ. सहायता के लिए परियोजना हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन दे दिया है।
7.	मध्य प्रदेश में ग्वालियर पर डाबरा हवाई अड्डा	मध्य प्रदेश के दतिया/ग्वालियर जिले में डाबरा पर कार्गो हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड को दिसंबर, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाई अड्डे के विकास का प्रस्ताव आरंभिक स्तर पर है।
8.	ए.ए.आई. द्वारा विकसित सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डा	सिक्किम में पेक्योंग पर एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अक्टूबर, 2008 में "सैद्धान्तिक तौर परद्ध अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाई अड्डा परियोजना के विलंब होने के विभिन्न कारण हैं जैसे कि (i) लंबी वर्षा ऋतु, बेमौसमी बरसात आदि। (ii) जनवरी, 2009 से फरवरी, 2011 तक गोरखालैण्ड बंद के कारण एन.एच. 31ए के बंद हो जाने के कारण डीजल तथा दूसरे आवश्यक निर्माण सामग्री की कमी (iii) सिक्किम सरकार द्वारा निजी मकान मालिकों के भूमि का अधिग्रहण करना। (iv) राज्य सरकार द्वारा रानीपुर से पाक्योंग तक पहुंचे सड़क को चौड़ा करने में विलंब करना। (v) हाल के ही भूकंप आदि के कारण मूल संरचना को क्षति पहुंचना। हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा जून, 2014 तक सम्पन्न होने की संभावना है।
9.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा	पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के अन्दल फरीदपुर ब्लॉक पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिसंबर, 2008 को "सैद्धान्तिक तौर परद्ध अनुमोदन प्रदान किया गया है। हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। मैसर्स

1	2	3
		बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लि. (बी.ए.पी.एल.) द्वारा मैसर्स चांगी एयरपोर्ट प्लानर्स एण्ड इंजीनियर्स, सिंगापुर को परियोजना प्रबंधन परामर्श संबंधी कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 280 करोड़ रु. है। परियोजना पूर्ण होने के अन्तिम स्तर पर है। इसके 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।
10.	पुदुचेरी में कराइकल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा	पुदुचेरी में कराइकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथाकुडी तथा वारिचीकुडी राजस्व गांव के क्षेत्रीय स्तर पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स कराइकल एयरपोर्ट प्रा. लि. को फरवरी, 2011 में "सैद्धान्तिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किया गया।
11.	शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र	भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप में महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास निगम लि. (एम.ए.डी.सी.) को काकड़ी गाँव कोपार गांव तालुक, शिरडी के नजदीक, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में जुलाई, 2011 को एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की स्थापना की अनुमति दी है। 352 एकड़ अपेक्षित भूमि में से, 300 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है। परियोजना का कार्य 31.1.2011 को प्रारंभ किया गया तथा 2015 तक संपन्न हो जाने की संभावना है। एम.ए.डी.सी. ने सूचित किया है कि क्षेत्र ग्रेडिंग, हवाई पट्टी का निर्माण, टैक्सीवे, पार्किंग, एप्रॉन, चारदीवारी तथा दूसरे अवसंरचना संबंधित कार्य, क्षेत्र रोशनी आदि तथा टर्मिनल भवन का निर्माण, हवाईपट्टी पर रोशनी, बैगेज हैंडिलंग, आदि को सौंपा जा चुका है।
12.	अरणमुला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल	भारत सरकार ने सितंबर, 2012 को 'सैद्धांतिक रूप' में अरणमुला, केरल में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की अनुमति दे दी।

नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का मापदंड

क. हवाई अड्डे:-

क्र.सं.	सेक्टर/गतिविधि	एफ.डी.आई./ इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
1	2	3	4	5
1.	ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	स्वचालित	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के मद्देनजर

1	2	3	4	5
2.	मौजूदा परियोजनाएं	100%	74% से अधिक एफ.आई.पी.बी.	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के मद्देनजर
ख.	**एयर यातायात सेवाएं:-**			
1.	घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन्स	49% एन.आर.आई. द्वारा 100%	स्वचालित मार्ग	*
2.	गैर अनुसूचित एयरलाइन्स (क) यात्री/चार्टेड (ख) कार्गो	74% एन.आर.आई. द्वारा 100%	स्वचालित मार्ग द्वारा 49% 49% से आगे और 74% तक एफ.आई.पी.बी. मार्ग द्वारा	* विदेशी एयरलाइनों सीमा तक तथा निर्धारित मार्ग पर कार्गो प्रचालन एयरलाइनों की इक्विटी में भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है।
ग.	**ग्राउड हैंडलिंग सेवाएं तथा अन्य गतिविधियां:-**			
1.	ग्राउड हैंडलिंग सेवाएं	74% एन.आर.आई. द्वारा 100%	49% आटोमैट्रिक रूट के माध्यम से 49% से 74% तक एफ.आई.पी.बी. रूट क्लियरेंस के मद्देनजर	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों तथा सुरक्षा
2.	प्रबंधन एवं मरम्मत संगठन	100%	स्वचालित मार्ग	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के मद्देनजर
3.	उड़ान प्रशिक्षण संस्थान/तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100%	स्वचालित मार्ग	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों तथा ना.वि.म.-नि. की स्वीकृति के मद्देनजर

1	2	3	4	5
4.	हेलीकॉप्टर सेवाएं/सीप्लेन सेवाएं	100%	स्वचालित मार्ग	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के मद्देनजर। विदेशी एयरलाइनों को हेलिकॉप्टर तथा सीप्लेन सेवाएं प्रचालित करने वाली कंपनियों की इक्विटी की भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई।

*विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने वाले भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक की सीमा तक निवेश करने की अनुमति है।

ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के मद्देनजर हैं:

(i) सरकार द्वारा स्वीकृत मार्ग के अंतर्गत होगा।

(ii) एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. निवेश का योग 49 प्रतिशत तक सीमित होगा।

(iii) इस प्रकार किए गए निवेश के लिए सेबी के संगत विनियमों के अनुपालन की आवश्यकता है जैसे पूंजी तथा प्रकटन अपेक्षा जारी करना (आई.सी.डी.आर.), शेयरों तथा टेकओवर विनियमों/व्यापक अधिग्रहण (एस.ए.एस.टी.) विनियम तथा अन्य लागू नियम तथा विनियम

(iv) एक अनुसूचित प्रचालन परमिट केवल एक कंपनी को ही प्रदान किया जाएगा:-

(क) जो पंजीकृत है और जिसका प्रधान व्यवसाय स्थल भारत के भीतर है।

(ख) जिसके अध्यक्ष तथा निदेशकों में एक तिहाई सदस्य भारत के नागरिक है और,

(ग) व्यापक स्वामित्व, जिसका प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है।

(v) सभी विदेशी नागरिक जो ऐसे निवेश के परिणाम स्वरूप भारतीय अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित भारतीय विमान सेवा से संबद्ध होना चाहते हैं, उन्हें तैनाती से पूर्व सुरक्षा दृष्टिकोण से क्लीयर होना होगा और

(vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयात किए जाने वाले सभी तकनीकी उपकरणों को नागर विमानन मंत्रालय में संगत प्राधिकरण से क्लीयरस प्राप्त करने की आवश्यकता है।

उपयुक्त नीति एअर/इंडिया पर लागू नहीं है।

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ: अध्यक्ष महोदया, मैं केन्द्र सरकार का शुक्रगुज़ार हूं कि कर्नाटक में विमानपत्तन क्षेत्र के विकास के लिये 515 करोड़ रु. की राशि तथा मैसूर, जोकि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, के विमानपत्तन के विस्तार की योजना हेतु भी 140 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई है। कर्नाटक में मौजूदा बी.जे.पी. सरकार का रवैया विकास विरोधी है।...*(व्यवधान)* तथा उसने योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई पहल नहीं की है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या नागर विमान मंत्रालय बैठक बुलाकर मैसूर विमानपत्तन के विस्तार की योजना के मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ायेगा?

श्री अजित सिंह: महोदया, विस्तार कार्य चल रहा है। कुछ जगहों पर हमें भूमि की जरूरत है तब ज्यों ही हमें भूमि मिलेगी तो यह कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ: मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि कुर्ग एक पर्यटन केन्द्र है और फील्ड मार्शल करियप्पा की जन्म भूमि भी है। क्या कुर्ग जिले में नई एयरलाइन आरंभ करने के लिये नागर विमान मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव है?

श्री अजित सिंह: महोदया, कुर्ग जिले में नई एयरलाइन आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी उपस्थित नहीं।

श्री सुरेश अंगड़ी: कर्नाटक में श्री जगदीश शेररयर के नेतृत्व वाली मौजूदा बी.जे.पी. सरकार राज्य में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। विगत आठ वर्षों में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम में किसानों ने भारत सरकार को जमीन मुहैया कराई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं अधिकारी विगत वर्ष बेलगाम गये थे। बेलगाम सबसे पुराना खाई अड्डा है और एयर इंडिया आज़ादी के समय से बेलगाम में हवाई प्रचालन सेवायें दे रहा है। किंतु विगत वर्षों से मेरे क्षेत्र में एअर इंडिया की किसी उड़ान का प्रचालन नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या एअर इंडिया बेलगाम में हवाई उड़ानें आरंभ करेगा। पूर्व के दिनों में जब श्री बी. शंकरानंद केन्द्रीय मंत्री थे तो केवल एयर इंडिया की उड़ान से ही यात्रा किया करते थे। इसके अलावा, श्री अनंत कुमार नागर विमान मंत्री थे तो उस समय की बेलगाम में एअर इंडिया की उड़ानें प्रचारलनरत थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की अनदेखी क्यों की जा रही है। महात्मा गांधी जी भी बेलगाम गये थे और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से बेलगाम की सीमा एक ओर गोवा राज्य से और दूसरी ओर महाराष्ट्र राज्य से लगती है। यह एक लघु भारत की तरह है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि बेलगाम के लिये एअर इंडिया की उड़ानों का प्रचालन किया जाये। कर्नाटक सरकार ने पानी एवं पुलिस स्टेशन सहित समस्त सुविधाएं मुहैया करा दी हैं। कर्नाटक राज्य में बी.जे.पी. सरकार उत्कृष्ट कार्य कर रही है। अतः, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि बेलगाम को यह सुविधा प्रदान की जाये।

श्री अजित सिंह: महोदय, बेलगाम हवाई अड्डे का भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त रूप से विकास किया जा रहा है। कुल परिव्यय 293 करोड़ रु. का है जिसमें से ए.ए.आई. की हिस्सेदारी 142 करोड़ रु. और भारतीय नौसेना 151 करोड़ रु. का भुगतान कर रही है। जहां तक ए.ए.आई. से बेलगाम के लिये हवाई उडानें, आरंभ किये जाने के लिये कहने का प्रश्न है, तो एयरलाइनें वाणिज्यिक लाइनों पर हवाई उड़ानों का प्रचालन करने के बारे में निश्चत करती हैं कि उन्हें हवाई उड़ानों का प्रचालन कहाँ करना है। मैं निश्चत ही स्थिति का पता लगाऊँगा और यह भी पता लगाऊँगा कि बेलगाम के लिये हवाई उड़ानों का प्रचालन करने की उनकी क्या योजना है। किन्तु हम एयरलाइनों को उत्तर-पूर्व, जम्मू और अंडमान को छोड़कर किसी स्थान विशेष के लिये उड़ानें आरंभ करने के लिये नहीं कहते तथ्य इस बारे में निर्णय का अधिकार एयरलाइनों का ही है।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसी झांसी बुंदेलखण्ड के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सैंटर में है। यह अंग्रेजों के ज़माने में सबसे बड़ा फ़ायरिंग रैंज था। झांसी से ही उत्तर और दक्षिण का रास्ता बनता है। झांसी में सेटलाइट एयरपोर्ट बनाने से दिल्ली की भी रक्षा होगी। झांसी की रानी ने भी दिल्ली की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। मंत्री जी लैण्ड के बारे में हमेशा कहते हैं, लेकिन झांसी में इतनी लैण्ड है कि आप वहां दो एयरपोर्ट बना सकते हैं। पहला फ़ायदा यह है कि प्रोटेक्शन एण्ड सेटलाइट ऑफ दिल्ली और दूसरा फ़ायदा यह है कि चित्रकूट, खजूराहो, महोबा और कालींजर के पर्यटकों के लिए रास्ता, प्लस वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, कम्प्यूटर में मद्रास, हैदराबाद और बैंगलोर से बेटर हो सकता है। जब एयरपोर्ट बनता है तो कम्प्यूटर इंडस्ट्री चलती है। क्या झांसी में भी कोई एयरपोर्ट खोलने के बारे में कोई सोच-विचार, कोई कन्सीव या कनसैप्शन है?

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह: महोदया, झाँसी में विमानपत्तन प्राधिकरण का एक हवाई अड्डा है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था जिसने उसे रक्षा विभाग को दे दिया। अब हमने रक्षा विभाग से एवं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि उस हवाई अड्डे से लगती कुछ भूमि दी जाये ताकि वहाँ एक सिविल एंक्लेव हो जाये और यदि यह वहाँ हो गया तो एयरलाइनें निश्चय करेंगी कि क्या वे वहाँ प्रचालन कर सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री साबछुमा खुंगुर बैसीमुलियारी: महोदया, मुझे भी प्रश्न पूछने का मौका दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: महोदया यह प्रश्न विमानपत्तनों को विकसित किये जाने एवं विभिन्न राज्यों में विमान सेवाओं और सुविधाओं में बढ़ोतरी किये जाने के सरकारी प्रस्तावों से संबंधित है। मेरा प्रश्न यह है। कोलकाता विमानपत्तन का उद्घाटन माननीय भारत के राष्ट्रपति ने माननीय मंत्री श्री अजित सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ 23 जनवरी, 2013 को नेपाली सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के शुभ अवसर किया गया था। इसी प्रकार, चेन्नई विमानपत्तन का उद्घाटन भी किया गया। विमानपत्तन का उद्घाटन बहुत ही उत्साहपूर्वक ढंग से किये जाने के बावजूद ये दोनों विमानपत्तन प्रचालनरत नहीं हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि ये विमानपत्तन कब प्रचालनरत हो पायेंगे। कौन सी कठिनाईयां आ रही हैं जिनकी वजह से इन विमानपत्तनों को अब तक प्रचालनरत नहीं बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा इन विमानपत्तनों को कब प्रचालनरत बनाया जायेगा?

डॉ. एम. तंबिदुरई: प्राधिकारी चेन्नई विमानपत्तन प्रचालनरत हुए बगैर ही वहाँ अतिरिक्त पैसे का संग्रहण कर रहे हैं।

श्री अजित सिंह: महोदया, कोलकाता विमानपत्तन में टर्मिनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि चेन्नई विमानपत्तन पर ग्राउंड हैंडलिंग से संबंधित कुछ समस्या है, उसका समाधान किया जा रहा है। उन्होंने इस बात को भी इंगित किया है कि विमानपत्तन प्रचालनरत हुए बगैर वे यू.डी.एफ. की वसूली कर रहे हैं; इस बारे में हमने ए.ए.आई. से कहा है कि उस टर्मिनल के प्रचालनरत होने तक यूज़र डेवलेपमेन्ट फीस की वसूली न की जाये।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: कोलकाता में टर्मिनल अब प्रचालनरत हो पायेगा?...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: कोलकाता टर्मिनल-1 में हवाई उड़ानें पहले से ही प्रचालनरत हैं किन्तु यह पूर्णत: प्रचालनरत नहीं है। किन्तु वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चेन्नई में टर्मिनल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि कुछ ग्राउण्ड हैंडलिंग की समस्याएं हैं किन्तु हमें इन समस्याओं को शीघ्र सुलझा लिये जाने की उम्मीद है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया।

महोदया, मैं भारत सरकार से एक बात सीधे पूछना चाहता हूं, दिल की बात जानना चाहता हूं कि आज के देश के तमाम अंचलों में, विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट बन चुके हैं। लेकिन मैं जिस कोकराझार संसदीय क्षेत्र से आया हूं वहां आज तक एक भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं है।

[अनुवाद]

गुवाहाटी एवं बागडोगरा के मध्य कोई हवाई अड्डा नहीं है।

[हिन्दी]

यह मालूम है। पिछले जुलाई-अगस्त में कोकराझार और बोडोलैण्ड में जो हिंसात्मक कांड हुआ था उस को देखने के लिए सोनिया जी गयी थीं, राहुल जी गए थे, उस समय के गृह मंत्री गए थे और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी गए थे। लेकिन उन्होंने वहां क्या देखा? उन्हें गुवाहाटी से हेलिकॉप्टर से आना पड़ा। कोकराझार से गुवाहाटी तक उन्हें हेलिकॉप्टर से वापस जाना पड़ा। अगर वहां कोई एयरपोर्ट होता तो उन्हें उस तरह की तकलीफ और प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

सरकार कोकराझार में एक घरेलू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने में कंजूसी क्यों कर रही है?

[हिन्दी]

इस से क्या देश को नुकसान होता है? क्या हिन्दुस्तान इतना गरीब है? बोडोलैण्ड एक

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है।

[अनुवाद]

इसकी स्थापना 2003 में हिंसा एवं बगावत की स्थिति से निपटने हेतु की गई थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आपने अपनी बात कह दी है। अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: अगर मिलिटैन्सी को, इन्सर्जेन्सी को कंट्रोल करना है तो सिर्फ कागज पर मिलिटैन्ट के साथ समझौता करने से काम नहीं चलेगा। दिल से, मुहब्बत से हमें प्यार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदया: अब मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए।

[अनुवाद]

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कोकराझार में एक अन्तर्देशीय विमानपत्तन, स्थापित किये जाने हेतु कौन से कदम उठाये जायेंगे। पूर्व में, रूपसी में एक पुराना विमानपत्तन था। यदि आप इतने कृपण हैं तो आपको एक वक्तव्य दे देना चाहिये कि जनसंख्या भारत संघ का अभिन्न अंग नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह सब कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

श्री अजित सिंह: मैडम स्पीकर, गवर्नमेंट बड़े प्यार और मोहब्बत से जो हमारे सांसद महोदय ने कहा है, उस के बारे में विचार करेगी। हमारा प्लान है कि रुपसी एयरपोर्ट जो असम में है और जो कवर करेगा बोडो को भी और आप जो कह रहे हैं उस को भी, उसे रिवाइव करने का प्लान एयरपोर्ट अथोरिटी बना रही है।

'सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट'

***223. श्री भूदेव चौधरी:**

श्री प्रदीप माझी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के अन्तर्गत 'सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) परियोजना के चयन और 'सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के अन्तर्गत बिहार सहित विभिन्न राज्यों को सरकार द्वारा राज्य और वर्ष-वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन राज्यों में 'सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' शुरू किए जाएंगे?

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपादास मुंशी): (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना (एस.यू.टी.पी.) का अंशतः कार्यान्वयन किया गया है।

(ख) परियोजना का उद्देश्य सुस्थिर शहरी परिवहन प्रणाली के नियोजन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रचालन एवं प्रबंधन में भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं शहरों की क्षमता सुदृढ़ करना है, एवं शहरी पर्यावरण में हरित भवन गैसों की कमी के लिए संबंधी पाइलट परियोजना के रूप में कतिपय "हरित परिवहन" प्रदर्शन परियोजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों तथा शहरों की सहायता करता है। वर्तमान प्रदर्शन शहर एवं परियोजनाएं निम्न हैं:-

राज्य	शहर	ऋण या अनुदान	सार्वजनिक परिवहन	एन.एम.टी.	आई.टी.एम.	समेकित विकास
महाराष्ट्र	पिम्परी	अनुदान	✓		✓	✓
	चिन्चवाड	और ऋण				
छत्तीसगढ़	नया	अनुदान	✓	✓	✓	✓
	रायपुर	और ऋण				
मध्य प्रदेश	इन्दौर	अनुदान	✓		✓	
कर्नाटक	मैसूर	अनुदान	✓		✓	

एन.एम.टी.-गैर-मोटरीकृत परिवहन

आई.टी.एस.-बेहतर परिवहन प्रणाली

इसके अतिरिक्त, एस.यू.टी.पी. में कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ में बस द्रुत परिवहन प्रणाली (बी.आर.टी.एस.) को शामिल करने का प्रस्ताव अंतिम चरण पर है।

(ग) परियोजना के चयन एवं सहायता के आबंटन के लिए मानदण्ड निम्नानुसार है:-

(i) जनसंख्या

(ii) देश के सभी भागों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय विस्तार

(iii) प्रदर्शन प्रभाव/मूल्य

(iv) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए शहर/राज्य प्राधिकरण की वचनबद्धता एवं सकारात्मक कार्रवाई।

(घ) एस.यू.टी.पी. का कार्यान्वयन वर्ष 2010-2011 से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत उक्त परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 एवं वर्तमान वर्ष (दिनांक 31-12-2012 की स्थिति के अनुसार) से अब तक विभिन्न राज्यों को अपने अंशदान के रूप में प्रदान की गई सहायता का राज्य एवं वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	शहर	जारी करने का वर्ष			कुल
		2010-11	2011-12	2012-13	
2008	355629	2709	11149	742	8326
2009	295572	1719	11033	1312	307
2010	213544	2219	8854	1226	256
2011*	8354	239	71	उ.न.	उ.न.

जहां तक बिहार का संबंध है किसी भी शहर ने एस.यू.टी.पी. से जुड़ने के लिए भागीदारी नहीं की है।

(ङ) सभी सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजनाएं (एस.यू.टी.पी.) मई, 2010 से नवंबर, 2014 अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कार्यान्वयन के लिए बनाई गई हैं।

[हिन्दी]

श्री भूदेव चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, आप ने मुझे महत्वपूर्ण सवाल पर पूछने का जो अवसर दिया है, इस के लिए मैं आप का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी क़ाबिल हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं, इस में कहीं कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे प्रश्नों का जो जवाब इन्होंने दिया है वह काफी भ्रामक है और गोल-मटोल है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत जो योजनाएं चलायी गयी हैं उस में कितने शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्ष 2005 से चालू इस परियोजना की आधी से अधिक योजनाएं अभी पूरी क्यों नहीं हुईं? इस के क्या कारण हैं? जिन संबंधित पदाधिकारियों ने इस परियोजना को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं ली, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? जो अधूरी योजना है वह कब तक पूरी होने की संभावना है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती दीपा दासमुंशी: मैडम स्पीकर, जो प्रश्न पूछा गया था वह स्पेसिफिकली है सतत शहरी यातायात नीति (एस.यू.टी.पी.) के ऊपर था। जो पॉलिसी इस सरकार ने बनायी है, वह जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्दर है। लेकिन अभी जो माननीय सांसद ने प्रश्न पूछा है, वह प्रश्न और है। जब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम सोचते हैं तो हम लोग यह कहते हैं कि जो बसें चलायी जाएंगी वे ग्रीन एनवायरनमेंट के हिसाब से ली जाएंगी। स्टेट की तरफ से या जो सिटीज हैं उनकी तरफ से प्रोजेक्ट जमा होगा। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग वर्ल्ड बैंक से भी सलाह लेते हैं। इसे रिव्यू करते हैं। हम लोगों ने उस के ऊपर कोई गोल-मटोल जवाब नहीं दिया। सिर्फ़ जो क्वैश्चन पूछा गया था, उन्हीं के ऊपर जवाब आए हैं, जो टेबल पर रखे गए हैं। अभी माननीय सदस्य ने जे.एन.एन.यू.-आर.एम. के अंदर जो बसें दी गईं, उसके बारे में पूछा है। माननीय सांसद बिहार से आते हैं। बिहार में जे.एन.एन.यू.-आर.एम. के अंदर बसों के लिए हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया था, लेकिन बसें खरीदी नहीं गईं। उसके बावजूद हम लोग और बसें देना चाहते हैं। फर्स्ट इंस्टॉल में अगर बसें खरीदी नहीं गईं तो उसकी सैकिंड इंस्टॉलमेंट राज्यों के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। जब तक वह यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई स्टेट इन्हें खरीदना चाहती है, खरीद लिया है, उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं, जिन्होंने खरीद लिया है, लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाए। जैसे बंगाल है, वैसे

अगर कोई स्टेट सैकिंड इंस्टॉलमेंट के लिए नई बसें खरीदने के लिए हम लोगों के पास कोई भी प्रोजेक्ट जमा करते हैं तो जरूर उस विषय पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री भूदेव चौधरी: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि बिहार में कुछ पैसे दिए गए हैं, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं और इन्होंने जो दिए हैं, उसमें बिहार को शामिल किया ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, बिहार एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है। भले ही बिहार ने सात वर्षों के अंतराल में विकास की गाड़ी को तेजी से बढ़ाया है। आदरणीय मुख्य मंत्री काफी जागरूक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिस्थितियों में साढ़े दस करोड़ की आबादी वाले इस पिछड़े राज्य को शामिल नहीं किया गया?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि पिछड़े राज्य बिहार को कब तक इस योजना में शामिल किया जाएगा? यह जानकारी मैं चाहता हूं?

श्रीमती दीपा दासमुंशी: मैडम, पटना शहर के लिए हमारे पास बसें खरीदने के लिए एक प्रपोजल आया था, लेकिन अभी जो माननीय सांसद पूछ रहे हैं, एम.ओ.यू.डी. यहां से केन्द्रीय सरकार नहीं देती है। ये राज्य सरकार की तरफ से या कोई सिटी की तरफ से आती है। इसमें दो स्कीम्स अलग-अलग हैं। जो यू.आई.जी. स्कीम में आते हैं, वे बड़े शहरों के लिए हैं और जो यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. स्कीम्स हैं, वे छोटे शहरों के लिए हैं। अगर छोटे शहरों के लिए बस खरीदने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं तो जरूर हम लोग देंगे। लेकिन बिहार से जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, उनका डी.पी.आर. ठीक ढंग से तैयार नहीं किया गया, इसलिए वे भी पाइप लाईन पर चले गए।...*(व्यवधान)* लेकिन बसें खरीदने के लिए जो सवाल है...*(व्यवधान)* मैं आपको बोल रही हूं कि मैं आपको दे दूंगी।...*(व्यवधान)* ऐसी बात नहीं है, मैं सही बता रही हूं कि जो बसें खरीदने का मामला है...*(व्यवधान)* *इस बार 12वें प्लान में सरकार घोषणा कर चुकी है कि और भी जे.एन.एन.यू.आर.एम. बसों के लिए पैसा दिया जाएगा। अगर बिहार सरकार हमारे पास लिख कर भेजे तो जरूर उस पर ध्यान दिया जाएगा।...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री प्रदीप माझी - उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमती दीपा दासमुंशी: अध्यक्ष महोदया, एस.यू.टी.पी. के बारे में प्रश्न पूछा गया था...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए। सस्टेनेबल अरबन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, जिसमें ग्रीन एनवायरमेंट के हिसाब से सी.एन.जी. बसों को शामिल किया जाएगा। उसके ऊपर बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रोजेक्ट हमारे पाए आए नहीं हैं, एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

डॉ. संजीव गणेश नाईक: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों से अपने शहरों के लिए मांग आई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के पिम्परी चिंचवड़ के लिए बसों के लिए मदद की है, उसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे से नवी मुंबई, मीरा भायन्दर और ठाणे, इन तीन बड़े शहरों के लिए उन्होंने भी मांग की है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके प्रपोज़ल्स आपके पास आए हुए हैं, क्योंकि ये दस लाख से भी बड़ी आबादी वाले शहर हैं। क्या आप इन शहरों के लिए इस योजना में कुछ मदद करेंगे?

श्रीमती दीपा दासमुंशी: मैडम, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एक ही शहर के लिए बसें खरीदने के लिए हमारे पास प्रपोजल भेजा था, जिसे हम दे चुके हैं। अभी जो माननीय सदस्य ने बताया है...*(व्यवधान)* जो पाइपलाइंस पर है, यह सतत् परियोजना है। ये चलती हुई गाड़ी ट्रेन जैसी है, कोई भी स्टेशन पर उतरे, उस स्टेशन से अगर हमारे पास मांग आती है, तो जरूर हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजैक्ट्स अभी भी हैं और यह जो दिया हुआ है, इसके कुछ स्टैप्स होते हैं, जो स्टैप्स सिर्फ एक डी.पी.आर. बन जाने से या राज्य सरकार या सिटी की तरफ से प्रोजेक्ट्स आने से नहीं होता है, इसके लिए रिव्यू बहुत जरूरी है। वह रिव्यू वर्ल्ड बैंक करत है और इसमें यू.एन.डी.पी. और वर्ल्ड बैंक की तरफ से वे रिव्यू जब तक नहीं आते हैं, तब तक उसके ऊपर चर्चा नहीं की जाती है और वह रिव्यू अभी तक चल रहा है। रिव्यू के जवाब अभी तक आये नहीं हैं और एक रिव्यू के बाद दूसरा रिव्यू आता है।

इसमें दो कम्पोनेण्ट्स हैं, जो सिर्फ एक पैसा देने से बस चलाने का नहीं है। इसके लिए एक डिमोंस्ट्रेशन भी होता है। इसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रपोज़ल्स भी हैं, जिसमें इण्डीविजुअल को ट्रेनिंग दी जाती है और बाहरी देशों में भी, यह ट्रेनिंग सिंगापुर में हुई है और सियोल में भी हुई है। इस ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेण्ड लोग आते हैं, वे अपनी किट के साथ बस चलाने के लायक हैं या नहीं, यह देखा जाता है और उसके बाद बसेज़ जाती हैं। इसमें सी.एन.जी. की तैयारी भी वह स्टेट कर चुका है या नहीं, वह शहर कर पाएगा या नहीं, यह भी देखा जाता है।

[अनुवाद]

वह विचाराधीन है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं, डॉ. संजीव गणेश नाइक, आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती दीपा दासमुंशी: यदि माननीय सदस्य किसी परियोजना विशेष के बारे में पूछ रहे हैं तो वे बाद में मुझे एक पत्र दे सकते हैं। मैं उसका उत्तर दूंगी।

[हिन्दी]

श्री पोन्नम प्रभाकर: मैडम, मैं इस मौके पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से तेलंगाना जिले के बारे में जरूर पूछूंगा कि एस.यू.टी.पी. के अन्दर आन्ध्र प्रदेश को आपके जवाब में शामिल नहीं दिखा रहे हैं और उसमें पोपुलेशन क्राइटीरिया बताया है। एक्चुअली वह क्राइटीरिया क्या है, पूरे सदस्यों को आप बताइये? उसके बाद में भी मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि इस क्वश्चन के ताल्लुक से जो अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम के पैसे दिये गये हैं, 2005 से आज तक उस पैसे के इस्तेमाल में, इएग्जीक्यूशन सिस्टम में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारी जगह पैसे की वजह से या कांट्रेक्टर के काम नहीं करने की वजह से आधे से काम रुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और एस.यू.टी.पी. में ऐसा हमारा करीमनगर है, जहां म्युनिसिपल कारपोरेशन है, वहां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी है, वहां कुछ काम एस.यू.टी.पी. में बस सर्विस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ लागू करने का फर्स्ट ऑप्शन में आप बहुत स्टैप्स ले रहे हैं, मगर सैकिण्ड ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स लेने की कुछ सुविधा बना रहे हैं क्या, यह बताइये?

[अनुवाद]

श्रीमती दीपा दासमुंशी: मैंने आपको बताया कि इस एस.यू.टी. परियोजना हेतु कतिपय कदम हैं। आन्ध्र प्रदेश के कुछ अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आए। विश्व बैंक द्वारा जिन परियोजनाओं की समीक्षा की जानी होती है, नहीं की जा रही हैं।

[हिन्दी]

जिसके बारे में माननीय संसद ने पूछा कि ऐसी बहुत सारी जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम्स हैं, जिनका कि सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, सही ढंग से शुरुआत तो हुई है, लेकिन अभी तक समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके बारे में मैं इतना ही कह सकती हूं कि इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेंट है और सिटी की जो लोकल बॉडी है, वह है तो हम लोग इसमें सिर्फ मोनीटर कर सकते हैं। हमारे पास जब भी फर्स्ट इंस्टालमेंट का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, तभी सैकिण्ड इंस्टालमेंट हम लोग दे सकते हैं। इस बारे में जब भी कोई ऐसे प्रोजैक्ट्स के नाम आते हैं तो इसमें कई बार हम लोगों ने देखा कि एनक्रोचमेंट है, कई बार हम लोगों ने देखा कि लैंड एक्वीजीशन की प्रोब्लम है, इसके कारण जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम बहुत स्लो चल रही है, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी स्टेट्स हैं, जहां जे.एन.एन.यू.आर.एम. में अच्छे ढंग से काम किया है। फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड इंस्टालमेंट तक हम लोग दे चुके हैं और काम भी समाप्त हो गया है। अगर कोई स्पेसिफिक अपने शहर के बारे में माननीय सांसद कह रहे हैं तो वह थ्रू स्टेट हमारे पास अगर पहुंचेगा तो हम लोग जरूर इस पर ध्यान देंगे, लेकिन अगर स्टेट के एम.ओ.यू.डी. के बिना डायरैक्ट कोई एस.यू.टी.पी. प्रोजैक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो तो जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्दर वह डायरैक्ट हम लोग पैसा नहीं दे सकते।

डाक सेवाओं में सुधार करना

*224. **श्री यशवंत लागुरी:**

श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता की व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आमतौर पर ग्राहक अपनी वस्तुओं की सुपुर्दगी हेतु डाक विभाग के बजाए निजी कुरियर कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि डाक विभाग की ओर से वस्तुओं, विशेषकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट पत्रों की सुपुर्दगी में अत्यधिक विलम्ब होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डाक सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाने और इसके घटते शेयर और राजस्व को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) गुणवत्ता और कार्यकुशलता में सुधार करने के उद्देश्य से विभाग ने अपने कार्यकरण की समीक्षा की है तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आरंभ किए हैं:

(i) डाक विभाग ने 'प्रोजेक्ट ऐरो' नामक एक गुणवत्ता सुधार परियोजना प्रारंभ की है जिसे अप्रैल, 2008 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट ऐरो का उद्देश्य डाकघरों के प्रमुख प्रचालनों, जहां डाक संबंधी लेन-देन किए जाते हैं और परिवेश (लुक एण्ड फील) में व्यापक सुधार करना है। प्रमुख क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत डाक वितरण, धन प्रेषण, बचत बैंक और कार्यालय सेवा के स्तर पर विशेष बल देना है। इसका उद्देश्य खुदरा उत्पादों के लिए एक वन-स्टाप शॉप के रूप में उभरने तथा बैंकिंग, धन प्रेषण और सामाजिक व सिविल पहलों सहित अन्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की सहायता करना है।

(ii) *प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के भाग के रूप में विभाग ने डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डाक के संग्रहण, प्रोसेसिंग, पारेषण और वितरण को सुचारू बनाने के लिए 'डाक नेटवर्क का इष्टतम उपयोग परियोजना' (एम.एन.ओ.पी.) के माध्यम से डाक नेटवर्क का पुनर्गठन किया है। इस पहल के अंतर्गत विभाग ने स्पीड पोस्ट नेटवर्क को सक्षम बनाया है तथा 89 छंटाई हबों तथा 107 अंतरा-सर्किल हबों की स्थापना की है।

(iii) विभाग ने सर्वोत्तम-सेवा प्रदाय उत्कृष्टता मॉडल कार्यान्वित किया है। इसमें तीन मॉड्यूल अर्थात् नागरिक घोषणा पत्र जिसमें सेवा मानक हैं, एक गतिशील शिकायत निवारण तंत्र और सेवा वितरण में उत्कृष्ट उपलब्धि को क्रियान्वित किया है। इस परियोजना के अंतर्गत विभाग के नागरिक घोषणा पत्र तथा कम्प्यूटरीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण तंत्र, नामत: कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र (सी.सी.सी.सी.) की समीक्षा की गई तथा उसे अपग्रेड किया गया। अपग्रेड किए गए जी.आर.एम. को विभाग के 14,000 से अधिक कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है। चुनिंदा प्रचालन कार्यालयों के लिए सेवा गुणवत्ता प्रमाणन का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) वस्तुओं के वितरण के लिए डाक विभाग की तुलना में प्राइवेट कुरियर कंपनियों के लिए ग्राहकों की पसंद की पुष्टि करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। समय पर वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग

ने देश में शहरी, ग्रामीण, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट सहित डाक वस्तुओं के संग्रहण, प्रोसेस, पारेषित और वितरित करने के लिए एक व्यापक नेटवर्क की स्थापना की है। अपंजीकृत, पंजीकृत और स्पीड पोस्ट वस्तुओं के संचयी परियात संबंधी आंकड़े 2009-10 में 658.31 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 660.84 करोड़ हो गए हैं। देश भर के कुल डाक परियात के संदर्भ में शिकायतों का प्रतिशत 0.013% है। ऐसी शिकायतों की मॉनीटरिंग करना और उन्हें शीघ्रतापूर्वक निपटाना एक सतत् प्रक्रिया है तथा प्रत्येक स्तर पर इस कार्य की मॉनीटरिंग की जाती है।

(ङ) डाक सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए विभाग ने अनेक पहलें की हैं जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है। डाक की कुशल और त्वरित प्रोसेसिंग, पारेषण और वितरण के लिए डाक नेटवर्क की मॉनीटरिंग, स्पीड पोस्ट के लिए ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधाएं, प्रशिक्षण द्वारा वितरण कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना तथा डाक प्रयोक्ताओं में पिन कोड को लोकप्रिय बनाना कार्यान्वित किया गया है। स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक की बुकिंग और वितरण की मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन डाक मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है। दिल्ली और कोलकाता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। दिल्ली और कोलकाता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र के कार्याकलापों, जैसा कि प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों (के.पी.आई.) में परिभाषित किया गया है, कार्याकलापों की मॉनीटरिंग का कार्य अब 18,600 से भी अधिक डाकघरों में शुरू किया गया है। विभाग ने एक व्यापक नागरिक घोषणा पत्र तैयार और कार्यान्वित किया है जिसमें सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सेवा मानक और गतिशील शिकायत निवारण तंत्र शामिल है। इन पहलों के परिणामस्वरूप अपंजीकृत, पंजीकृत और स्पीड पोस्ट वस्तुओं का कुल परियात 2009-10 में 658.31 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 660.84 करोड़ हो गया है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत लागुरी: मैडम, भारत की डाक सेवा अंग्रेजों के जमाने से शुरू होकर अभी जिस स्थिति में है, मैंने इसके बारे में यह प्रश्न किया था। माननीय मंत्री महोदय ने इसमें विस्तार से जवाब दिए हैं। इसमें जो-जो व्यवस्था डाक सेवा में किये जाने का दावा किया गया है, देश में कहीं भी डाक सेवा में यह उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं लगता है।

महोदया, जिन सेवाओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकांश सेवा हमारे ग्रामांचल के गांव के क्षेत्र के डाकघरों में उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं, क्या मंत्री महोदय इन पदों को प्राथमिकता के स्तर पर फुलफिल करना चाहेंगे?

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां भी कोई पोस्ट्स वैकेंट हैं, वहां हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें हम पूरी तरह से फिल करें। पोस्टल असेसमेंट, इसमें लगभग 21 हजार वैकेंसीज हैं, हमने वर्ष 2009-10 में 7 हजार वैकेंसीज फिलअप की हैं। ...*(व्यवधान)* वर्ष 2010-11 में 20 हजार वैकेंसीज थीं, जबकि लगभग 7 हजार फिल की हैं और इस साल भी वर्ष 2011-12 में भी हमने वैकेंसीज फिल की हैं, लेकिन वर्ष 2013 में जो वेकेंसीज हैं, वे पांच हजार के लगभग हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से फिलअप करें।...*(व्यवधान)* बाकी पोस्टमैन्स की भी वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं और मल्टी टास्किंग जो वैकेंसीज हैं, वे भी फिलअप हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

यशवंत लागुरी: महोदया, जो लगातार पोस्टल सर्विस के कर्मचारियों की संख्या में कमी आयी है, जब तक इसमें सुधार नहीं लाया जाएगा, तब तक हमें नहीं लगता है कि पोस्टल सर्विस में सुधार हो पाएगा।

मैडम, अंग्रेजों के जमाने का बहुत ही पुराना पोस्टल कानून हमारे देश में लागू होता है। मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय, इस पुराने कानून को बदलकर कुछ नया कानून लाने का प्रस्ताव रखेंगे और नए कानून के तहत पोस्टल विभाग को चलाने का प्रयास करेंगे?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: कोई नया कानून लाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से बस इतना अनुरोध करता हूं। यह प्रश्न विशेष कतई भी डाक संबंधी रिक्तियों से संबंधित नहीं है बल्कि यदि वे मुझसे कोई स्पष्ट प्रश्न विशेष करें तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री लक्ष्मण टुडु: महोदया, यह उल्लेख किया गया है कि जनजातीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में डाक सेवा आज कल बहुत ही खराब है। वर्ष 2011 में लगभग 1,48,381 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 67421 शिकायतें डाक की विलंब से सुपुर्दगी और 80961 शिकायतें डाक सामग्री की सुपुर्दगी न हो पाने से जुड़ी हैं। इन अनियमितताओं से लोगों का भारतीय डाक सेवा से विश्वास उठ रहा है। महोदया, निस्संदेह, ये खराब सेवाएं मोबाइल सेवा के चलते हो सकती हैं किन्तु यदि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर डाकघरों में बैंकिंग पद्धति आरंभ कर दी जाये तो इसमें सुधार हो सकेगा, जिससे कि सीधे-सीधे सरकार के राजस्व में इज़ाफा होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब आप सवाल पूछिये ज्यादा समय नहीं है।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण टुडु: क्या मंत्री जी मुझे बोलने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बारे में भारतीय डाक सेवा हेतु किसी व्यापक कार्य-योजना पर विचार किया है अथवा उसे बनाया है?

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, वास्तव में, हम डाक बैंक की स्थापना के लिये प्रयासरत हैं ताकि डाकघर उस समुदाय को बैंक सेवाएं प्रदान कर सके जिसके आसपास यह डाकघर है। अत:, उस दिशा में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हम निश्चय ही यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह हो जाये किन्तु इस मामले पर निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से किया जाएगा। हम उस मामले पर कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी शिक्षा संस्थाएं

***225. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010 की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन के परिणामस्वरूप शिक्षा क्षेत्र को क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है;

(घ) देश में इन संस्थाओं के प्रचालन को विनियमित करने हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दिनांक 3.5.2010 को विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010 संसद में पुर:स्थापित किया है। इस विधेयक में विदेशी शिक्षा संस्थाओं (एफ.ई.आई.) के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक का आशय सरकार को प्रख्यात विदेशी शिक्षा संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना और संदेहास्पद गुणवत्ता वाली विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अधिकार प्रदान करना है। इस विधेयक की मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी

समिति ने जांच की है, जिसने दिनांक 01.08.2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) यह विधेयक इस बात को सुनिश्चित करता है कि केवल उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी शिक्षा संस्थाओं को ही देश में प्रवेश तथा शिक्षा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाए। घटिया मानकों वाली संस्थाओं के संचालन तथा रातों रात गायब होने वाले संचालकों पर प्रतिबंध लगाया जाए। उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी शिक्षा संस्थाओं की मौजूदगी से उच्चतर शिक्षा प्रणाली की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने, देश से प्रतिभा पलायन को रोकने; अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली शिक्षा एवं अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सहयोग एवं भागीदारी इत्यादि के माध्यम से भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। इससे उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अधिक निवेश करने में भी सहायता मिलेगी।

(घ) और (ङ) विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत, कोई भी विदेशी शिक्षा संस्था भारत में तब तक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकेगी जब तक कि इसे केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी शिक्षा प्रदाता के रूप में मान्यता प्रदान कर अधिसूचित नहीं किया जाता है। भारत में कार्य करने की इच्छुक विदेशी शिक्षा संस्था उस देश में, जिसमें इसकी स्थापना हुई है या निगमित किया गया है, कम से कम 20 वर्ष से शैक्षिक सेवाएं प्रदान कर रही हो और उसे वहां की प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित किया गया हो। विदेशी शिक्षा संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय एवं अन्य संसाधन होने चाहिए तथा उसके द्वारा कम से कम 50 करोड़ रुपए या ऐसी राशि जिसे समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के कार्पस फंड को अनुरक्षित करने का शपथ-पत्र दिया गया हो। विदेशी शिक्षा प्रदाता द्वारा भारत में सृजित राजस्व के अधिशेष का कोई भी भाग भारत में इसके द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के विकास एवं वृद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए निवेश नहीं किया जाएगा। अधिशेष को स्वदेश भेजने की अनुमति नहीं होगी।

प्रत्येक शिक्षा प्रदाता के लिए दाखिला प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिन पूर्व विवरणिका का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क, जमा राशि एवं अन्य प्रभारों, अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम के संबंध में सीटों की संख्या, दाखिला प्रक्रिया, शिक्षण संकाय का ब्यौरा, भौतिक एवं अकादमिक अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा तथा अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या की विस्तृत रूपरेखा के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी होगी।

सभी विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी होगी तथा यह उसके द्वारा अपने देश के मुख्य परिसर में प्रदान की जा रही गुणवत्ता के समान होनी चाहिए। केंन्द्रीय सरकार प्रस्तावित विधान के उपबंधों या किसी अन्य कानून या कानून के अंतर्गत बनाई गई नियमावली एवं विनियमों के उल्लंघन के आधार पर विदेशी शिक्षा प्रदाता की मान्यता को समाप्त कर सकती है। प्रस्तावित विधान में ऐसी विदेशी शिक्षा संस्थाओं जो विदेशी शिक्षा प्रदाता नहीं हैं तथा जो विद्यार्थियों को दाखिला प्रदान करती हैं या शुल्क एकत्रित करती हैं अथवा कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करती हैं या भ्रामक विज्ञापनों का प्रकाशन करती हैं, के लिए दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित विधान के अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने तकनीकी शिक्षा में भारतीय संस्थाओं के साथ सहयोग करने हेतु विदेशी शिक्षा संस्थाओं को अनुमति प्रदान करने के लिए नियम जारी किए हैं। इसी प्रकार से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने भारत एवं विदेशी शिक्षा संस्थाओं के बीच अकादमिक सहयोग को बढ़ाने और मानकों के उन्नयन एवं अनुरक्षण संबंधी विनियम, 2012 को भी अंतिम रूप दे दिया है।

शहरी परिवहन प्रणाली हेतु सरकारी निजी भागीदारी मॉडल

***226. श्री सुवेन्दु अधिकारी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी परिवहन प्रणाली में, विशेषकर एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, अवसंरचना विकास हेतु सरकारी निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू की गई/शुरू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहरी परिवहन संबंधी कार्य दल ने प्रमुख शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए सरकारी निजी भागीदारी मॉडल को अस्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में शहरी परिवहन अवसंरचना का विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) भारत सरकार के वित्तपोषण वाली सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल के तहत शुरू की गई शहरी परिवहन आवस्थापना परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(एक)	आई.जी.आई. (इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय) एयरपोर्ट होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से द्वारका सेक्टर-21 तक हाई स्पीड एक्सप्रेस लिंक	लम्बाई 22.7 कि.मी.
(दो)	हैदराबाद मेट्रो परियोजना	लम्बाई 71.16 कि.मी.
(तीन)	मुम्बई मेट्रो लाइन 1	लम्बाई 11.40 कि.मी.
(चार)	मुम्बई मेट्रो लाइन 2	लम्बाई 31.871 कि.मी.

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शहरी परिवहन शहरी विकास से जुड़ा है जो राज्य का विषय है। इस प्रकार शहरी परिवहन अवस्थापना के विकास के लिए प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधी राज्य सरकार एवं शहर की है। तथापि, शहरी परिवहन अवस्थापना की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 तैयार करने, द्रुत बस परिवहन प्रणाली परियोजनाओं की मंजूरी, यातायात परिवहन प्रबंधन केन्द्रों, सड़कों एवं फ्लाइओवरों जैसे सक्रिय कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार ने विभिन्न शहरों के लिए या तो सरकारी वित्तपोषण पद्धति अथवा पी.पी.पी. मॉडल पर मेट्रो रेलवे परियोजनाएं भी स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

***227. श्री पूर्णमासी राम:**

श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के निकट संबंधियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मामले में मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने के अनेक मामले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का मंत्रालय/विभागवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने पर कोई प्रतिबंध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसे दावे को अस्वीकृत करने अथवा अगले वर्षों में ले जाने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सरकार में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 09.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित होती

है। इन सभी अनुदेशों को दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सुदृढ़ किया गया है।

(ख) और (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) केवल अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की नीति निर्धारित करता है जिसका कार्यान्वयन अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामलों पर विचार करते समय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्रों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करें। डी.ओ.पी.टी., विभागवार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए संघ सरकार के विचाराधीन आवेदनों की संख्या जैसे विशिष्ट ब्यौरों पर सूचना को केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए दावे को योजना में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने तथा समूह 'ग' पदों में सीधी भर्ती के 5% कोटा के तहत किसी रिक्ति की उपलब्धता के अधीन अगले अथवा अधिक वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

हवाई यातायात में गिरावट

***228. श्री अर्जुन राम मेघवाल:**

श्री एम.के. राघवन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार गत एक वर्ष के दौरान घरेलू विमान यात्री यातायात में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या विगत कुछ वर्षों से विमानन क्षेत्र के विकास और साथ ही भारकारक (लोड फैक्टर) में आमतौर पर गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश को विश्व में विमानन हब के रूप में विकसित करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट हेलीपैड निर्माण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों को चिन्हित किया गया है और क्षेत्रीयता अंतर्राष्ट्रीय दोनों सम्पर्कों के विस्तार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) सरकार को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, घरेलू एयरलाइनों द्वारा लाए ले जाए गए यात्रियों की संख्या वर्ष 2011 में 60.70 मिलियन की तुलना में वर्ष 2012 में 58.80 मिलियन थी, जिसके कारण यातायात वृद्धि में 3.04 प्रतिशत की गिरावट आई। सरकार द्वारा विमानन उद्योग में तेजी लाने और इस सेक्टर की दीर्घावधिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनेक उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(एक) विदेश व्यापार महानिदेशक ने एयरलाइनों द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर ए.टी.एफ. के सीधे आयात की अनुमति दी है।

(दो) घरेलू अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाहकों में विदेशी एयरलाइनों द्वारा उनकी प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है।

(तीन) एयरलाइनों को उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ई.सी.बी. की अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) उक्त अवधि (वर्ष 2012) में विभिन्न एयरलाइनों के लोड फैक्टर में आंशिक गिरावट देखी गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(घ) देश में हवाई अड्डों को विमानन केन्द्रों (हब) के रूप में विकसित करने की नीति प्रारंभिक अवस्था में है। तथापि, विमानन केन्द्रों को विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार छोटे और मध्यम हवाई अड्डों सहित मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार/स्तरोन्नयन और साथ ही नए हवाई अड्डों की स्थापना के द्वारा भी, हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

(ङ) फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट ग्रीनफील्ड हेलीपोर्टों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने वर्ष 1994 में मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिनका उद्देश्य देश के दूरस्थ/क्षेत्रीय स्थानों के लिए बेहतर संपर्कता सुनिश्चित करना था। घरेलू सेक्टर में प्रचालनों पर से विनियमन हटा लिया गया है और एयरलाइनों द्वारा उड़ानों का प्रचालन मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वर्ष 2007 में अनुसूचित हवाई परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाओं की एक पृथक श्रेणी पहले से ही शुरू की जा चुकी है। अनुसूचित क्षेत्रीय एयरलाइन उस क्षेत्र में प्रचालन करने के लिए बाध्य हैं, जिसके लिए उसे अनुमति प्रदान की गई है। तथापि, प्रचालनिक आपात स्थितियों में वह, अन्य क्षेत्रों के महानगरों को छोड़कर, अन्य शहरों को भी जोड़ सकते हैं।

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संपर्कता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 109 देशों के साथ हवाई सेवा करार किए हैं, और इन के साथ संलग्न मार्ग अनुसूची के रूप में यातायात अधिकार, करार का हिस्सा होते हैं। सरकार द्वारा भारतीय वाहकों को संबंधित द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के तहत भारत में किसी भी स्थान से अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन आरंभ करने की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यातायात अधिकारों की उपयोगिता की मानीटरिंग एक सुयोजित फॉर्मेट के माध्यम से की जाती है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

विवरण

यात्री लोड फैक्टर

एयरलाइन	यात्री लोड फैक्टर	
	2011	2012
1	2	3
एअर इंडिया	71.6	71.2
जेट एयरवेज	73.8	72.9
जेटलाइट	77.6	75.4
किंगफिशर	81.1	66.4
स्पाइस जेट	75.8	73.7
गो एयर	77.9	75.4
इंडीगो	83.3	80.5
मंत्रा	-	14.6

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

*229. **श्रीमती मीना सिंह:**

श्री एम.बी. राजेश:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने से लेकर आज तक इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वित हुए बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार प्रतिशत क्या है;

(ख) इस अधिनियम के लागू होने से लेकर अब तक स्कूलों में नामांकन के प्रतिशत और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में वृद्धि/कमी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत खेल परिसर का प्रावधान करने और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने का कोई उपबंध है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में नियत की गई और खर्च की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अधिनियम को कब तक पूरी तरह से लागू किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

(आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 जो 01 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ था, 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा I-VIII में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है जो 2009-10 के 14.69 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 15.28 करोड़ हो गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) डी.आई.एस.ई. के अनुसार वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच कक्षा I-VIII में कुल नामांकन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की वार्षिक औसत दर घटकर 9.1 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत रह गई है जिसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में स्कूलों में खेल के मैदान और खेल सामग्रियों, खेलों और खेलकूद उपकरणों का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसे आर.टी.ई. अधिनियम के अनुरूप बनाया गया है, खेल सामग्रियों, खेलकूद उपकरणों के लिए स्कूल अनुदान के एक भाग के रूप में प्राथमिक स्कूलों के लिए 5,000 रुपए प्रतिवर्ष और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 7,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। आर.टी.ई. अधिनियम में उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशकों का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए वर्ष 2012-13 तक सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत 65,965 अंशकालिक अनुदेशकों के लिए मंजूरी दी गई है। पिछले 3 वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिय गया है।

(ङ) आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत 30,808 प्राथमिक स्कूलों और 10,644 उच्च प्राथमिक स्कूलों, 6.88 लाख अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, 31,678 पेयजल सुविधाओं, 5.18 लाख शौचालयों के निर्माण और 7 लाख से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल अवसंरचना के लिए संस्वीकृतियां जारी की हैं।

विवरण-I

डी.आई.एस.ई. के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर पर वच्चों के नामांकन का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकित बच्चों की संख्या	
	2009-10	2011-12
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36758	35974
आन्ध्र प्रदेश	7437790	7612376
अरुणाचल प्रदेश	260953	262892
असम	4710960	5283784
बिहार	17876297	19649670
चण्डीगढ़	25309	26873

1	2	3
छत्तीसगढ़	3762167	3892421
दादरा और नगर हवेली	37920	42660
दमन और दीव	14914	16051
दिल्ली	768514	412628
गोवा	108499	109818
गुजरात	5621754	5819071
हरियाणा	2540438	2717607
हिमाचल प्रदेश	918963	886870
जम्मू और कश्मीर	1592074	1522837
झारखंड	5824439	5730227
कर्नाटक	4899399	5189278
केरल	2801273	3086004
लक्षद्वीप	10557	7823
मध्य प्रदेश	11542123	11239096
महाराष्ट्र	9163774	9178657
मणिपुर	362205	393721
मेघालय	514516	604886
मिज़ोरम	152287	147800
नागालैण्ड	271320	273066
ओडिशा	5314836	5702018
पुदुचेरी	85511	80845
पंजाब	2089010	2670607
राजस्थान	9821405	9959618
सिक्किम	110014	106805

1	2	3
तमिलनाडु	5934067	5676703
त्रिपुरा	570627	509553
उत्तर प्रदेश	27895002	30372067
उत्तराखंड	1317067	1320259
पश्चिम बंगाल	12578926	12279122
सभी राज्य	146971668	152819687

विवरण-II

डी.आई.एस.ई. के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों तथा प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के नामांकन का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारंभिक स्तर पर कुल नामांकन		2009-10 तथा 2011-12 के बीच नामांकन में कमी/वृद्धि की प्रतिशतता	पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की वार्षिक औसत दर	
	2009-10	2011-12		2009-10	2011-12
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56565	53332	-5.7%	1.54	उपलब्ध नहीं*
आन्ध्र प्रदेश	10851248	11251101	+3.7%	5.75	6.17
अरुणाचल प्रदेश	334449	341311	+2.1%	20.70	14.82
असम	5162100	5760967	+11.6%	9.64	11.71
बिहार	19007493	20852093	+9.7%	13.44	5.68
चण्डीगढ़	142345	156869	+10.2%	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*
छत्तीसगढ़	4515735	4742902	+5.0%	6.20	4.93
दादरा और नगर हवेली	52290	59994	+14.7%	2.82	2.48
दमन और दीव	26435	26459	+0.1%	2.29	2.61

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	2666589	2818457	+5.7%	0.30	उपलब्ध नहीं*
गोवा	178667	186005	+4.1%	5.00	उपलब्ध नहीं*
गुजरात	7814391	8376967	+7.2%	3.86	2.99
हरियाणा	3336753	3724481	+11.6%	0.15	उपलब्ध नहीं*
हिमाचल प्रदेश	1036117	1005942	-2.9%	2.83	0.72
जम्मू और कश्मीर	1973294	1908230	-3.3%	3.47	11.33
झारखंड	6523933	6660259	+2.1%	15.79	12.62
कर्नाटक	7636745	8424857	+10.3%	4.11	2.03
केरल	3355998	3819863	+13.8%	उपलब्ध नहीं*	0.08
लक्षद्वीप	10557	10165	-3.7%	4.20	1.29
मध्य प्रदेश	15484989	15317828	-1.1%	8.20	8.31
महाराष्ट्र	15854058	16185891	+2.1%	3.32	1.86
मणिपुर	470287	508064	+8.0%	10.48	12.06
मेघालय	606327	705616	+16.4%	17.28	15.11
मिज़ोरम	246609	258653	+4.9%	5.28	7.04
नागालैण्ड	401411	414405	+3.2%	11.41	6.04
ओडिशा	5989512	6520130	+8.9%	6.34	5.37
पुदुचेरी	183994	180992	-1.6%	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*
पंजाब	2908324	3989063	+37.2%	4.73	1.80
राजस्थान	12175129	12397172	+1.8%	10.54	7.79
सिक्किम	124102	125618	+1.2%	4.46	4.34
तमिलनाडु	9924561	9776252	-1.5%	0.15	0.98
त्रिपुरा	663819	603580	-9.1%	8.82	6.18
उत्तर प्रदेश	31537647	35404745	+12.3%	16.71	11.85

1	2	3	4	5	6
उत्तराखंड	1579729	1658918	+5.0%	9.93	4.93
पश्चिम बंगाल	15040794	14827957	-1.4%	8.66	6.61
सभी राज्य	187872996	199055138	+6.0%	9.11	6.50

*उपलब्ध नहीं

विवरण-III

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल अनुदान के खर्च का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (दिसम्बर, 2013 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.02	23.91	23.76	25.49
आन्ध्र प्रदेश	4314.49	4705.94	4819.36	4623.12
अरुणाचल प्रदेश	176.96	उपलब्ध नहीं*	205.76	220.74
असम	2401.22	2382.77	2649.50	2382.80
बिहार	4840.35	4758.62	4990.73	4617.64
चण्डीगढ़	10.52	10.51	9.91	12.30
छत्तीसगढ़	2554.19	2594.72	2615.24	2631.34
दादर और नगर हवेली	21.91	19.98	20.07	20.24
दमन और दीव	4.69	0.05	4.97	4.97
दिल्ली	192.12	198.58	198.37	198.80
गोवा	84.26	83.89	82.78	83.37
गुजरात	3179.82	3268.76	3311.92	3312.22
हरियाणा	828.73	837.88	846.85	861.68
हिमाचल प्रदेश	837.94	838.44	834.04	816.91

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (दिसम्बर, 2013 तक)
जम्मू और कश्मीर	1605.37	उपलब्ध नहीं*	1783.86	उपलब्ध नहीं*
झारखंड	2941.01	3029.41	3001.87	2656.23
कर्नाटक	4081.73	4116.17	4125.87	4126.37
केरल	305.90	807.92	807.94	802.75
लक्षद्वीप	2.63	2.91	3.01	उपलब्ध नहीं*
मध्य प्रदेश	6024.07	6101.11	6194.94	6148.00
महाराष्ट्र	6037.78	6116.87	5986.12	6362.35
मणिपुर	196.91	175.89	188.44	191.60
मेघालय	486.75	639.07	607.87	628.99
मिजोरम	136.90	143.49	142.15	उपलब्ध नहीं*
नागालैण्ड	106.24	109.82	117.60	उपलब्ध नहीं*
ओडिशा	3735.12	3853.84	3955.13	3938.66
पुदुचेरी	33.76	33.64	31.93	32.78
पंजाब	1089.88	1143.47	1105.12	1144.48
राजस्थान	5793.66 I	5759.55	5747.46	4009.06
सिक्किम	62.91	63.54	65.S9	66.94
तमिलनाडु	2910.58	उपलब्ध नहीं*	3007.43	2979.20
त्रिपुरा	33S.57	356.25	366.23	361.0S
उत्तर प्रदेश	808S.53	8416.76	8499.44	7676.78
उत्तराखंड	962.82	902.10	983.75	976.96
पश्चिम बंगाल	3198.45	3200.75	4202.90	4066.72
सभी राज्य	68104.84	64696.62	71537.96	65980.56

*उपलब्ध नहीं

विवरण-IV

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत संस्वीकृत स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	32
आन्ध्र प्रदेश	-	991	2235
अरुणाचल प्रदेश	274	-	-
असम	-	2027	-
बिहार	-	-	2790
चण्डीगढ़	-	-	-
छत्तीसगढ़	4216	445	274
दादरा और नगर हवेली	28	30	2
दमन और दीव	11	7	1
दिल्ली		-	-
गोवा	15	-	26
गुजरात	-	-	-
हरियाणा	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	-
जम्मू और कश्मीर	-	-	-
झारखंड	-	-	3663
कर्नाटक	1421	-	-
केरल	1945	-	-
लक्षद्वीप	6	-	-
मध्य प्रदेश	11630	1392	-
महाराष्ट्र	2859	-	3356
मणिपुर	106	-	-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13
मेघालय	241	-	-
मिज़ोरम	404	-	-
नागालैण्ड	211	-	-
ओडिशा	4433	-	-
पुदुचेरी	37	-	-
पंजाब	375	-	-
राजस्थान	-	-	-
सिक्किम	108	-	-
तमिलनाडु	5392	-	-
त्रिपुरा	741	-	-
उत्तर प्रदेश	137969	-	-
उत्तराखंड	407	65	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-
सभी राज्य	**48629**	**4957**	**12379**

[अनुवाद]

लिट्टे नेता के पुत्र की हत्या

*230. **श्री एस.आर. जेयदुरई:**

श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लिट्टे नेता प्रभाकरन के पुत्र की तथाकथित नृशंस हत्या संबंधी वीडियो/फोटोग्राफों के मीडिया में आने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार की इस मुद्दे को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) सरकार ने चैनल 4 द्वारा हाल ही में दिखाई गई त्रासदीपूर्ण तस्वीरें देखी हैं।

सरकार ने कई अवसरों पर श्रीलंका सरकार को सूचित किया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा आम लोगों की जान हानि की घटनाओं की स्वतंत्र एवं विश्वसनीय तरीके से जांच किए जाने की आवश्यकता है। नवम्बर, 2012 में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(यू.एन.एच.आर.सी.) में श्रीलंका की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दौरान भी इसे दोहराया गया था।

सरकार श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए समानता, महत्ता, न्याय तथा आत्म-सम्मान से परिपूर्ण भविष्य के निर्माण जैसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ निरन्तर विचार-विमर्श करती रहती है।

अल्पसंख्यक स्कूलों में निःशुल्क सीट कोटा

*231. **श्री संजय धोत्रे:**

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 25% निःशुल्क सीट कोटा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आतीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अल्पसंख्यक स्कूलों ने उनके लिए उक्त कोटे के लागू होने के संबंध में आपत्ति दर्ज की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक स्कूलों को उक्त कोटे के दायरे में लाने के लिए प्राथमिक स्कूल संबंधी धाराओं को पुनर्परिभाषित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 जो 01 अगस्त, 2012 से लागू किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान करने से संबंधित आर.टी.ई. के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों के अध्यधीन लागू होंगे। कई गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ने, जिनमें गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल शामिल हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। इसमें आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 12(1)(ग) भी शामिल है जिसमें यह प्रावधान है कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल और विशिष्ट श्रेणी के स्कूल कक्षा 1 (अथवा प्राथमिक पूर्व कक्षा, जैसी भी स्थिति हो) में कक्षा की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत दाखिले ऐसे बच्चों को देंगे जो पड़ोस के अपवंचित समूह और कमजोर वर्ग के होंगे और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 95/2010 और इसके साथ संबद्ध की गई कई रिट याचिकाओं के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के अपने फैसले में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया था कि आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 12(1)(ग) गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होगी क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होगी क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों की सुनिश्चित की गई मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है।

(घ) और (ङ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासों की कमी

*232. **श्री एन. पीताम्बर कुरुप:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवासों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो टाइप-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कमी को दूर करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत आवासों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिहायशी आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) जी, हां। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बंगलुरू और चेन्नई जैसे शहरों में आवासों की कमी है। अन्य केन्द्रों में स्थिति ठीक है।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मकानों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(एक) घिटौरनी, दिल्ली में आवासीय और कार्यालय/वाणिज्यिक आवासों का निर्माण;

(दो) अधिकतम उपलब्ध फर्श क्षेत्र अनुपात (फ्लोर एरिया रेशियो) का इस्तेमाल किए जाने के लिए दिल्ली में पूर्वी किदवई नगर, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी, मोहम्मदपुर, कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर और सरोजनी नगर जैसी पुरानी सरकारी कालोनियों का पुनर्विकास;

(तीन) कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के 96 फ्लैटों का अधिग्रहण; और

(चार) हैदराबाद एस्टेट, मुंबई में टाइप-VI के उन 48 फ्लैटों जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है, को गिराकर टाइप-V और टाइप-VI श्रेणियों को 120 इकाइयों का निर्माण करना और इसी बीच टाइप-VI श्रेणी के समतुल्य 50 फ्लैटों को किराए पर लेना ताकि मौजूदा फ्लैटों को गिराए जाने के कारण हुई कमी को तत्काल पूरा किया जा सके।

विवरण

सामान्य पूल रिहायशी आवास की मांग एवं उपलब्धता के ब्यौरे

1. दिल्ली

08-03-2013 के अनुसार स्थिति

मकान का टाइप	सामान्य पूल में स्टॉक	आज की तारीख के अनुसार कुल मांग	कमी/अधिकतम (+) - कमी (-) - अधिकतम
1	2	3	4
1	16722	16788	66
2	23716	34832	11116
3	11723	20189	8466
4	5343	9290	3947
4स्पे.	792	3117	2325
5ए	1402	2148	746
5बी	860	2265	1405

1	2	3	4
6ए	791	1457	666
6बी	146	305	159
7	181	372	191
8	125	254	129
योग	61801	91017	29216

2. राज्य: महाराष्ट्र

मुंबई

मकान का टाइप	सामान्य पूल में स्टॉक	आज की तारीख के अनुसार कुल मांग	कमी/अधिकतम (+) - कमी (-) - अधिकतम
1	2	3	4
I	1957	1752	-205
II	3217	4902	1685
III	1562	2780	1278
IV	552	657	105
IV	64	174	110
V	241	405	164
VI	92	232	140
डी.एस.	156	141	-15
एस.के.	11	59	48
उप-योग	**7852**	**11102**	**3310**
		नागपुर	
I	247	140	-107

1	2	3	4
II	930	863	-67
III	447	454	07
IV	173	151	-22
V	93	60	-33
VI	12	02	-10
उप-योग	**1902**	**1670**	**-232**
		पुणे	
I	15	15	0
II	75	96	21
III	120	132	12
IV	60	52	-08
V	10	10	0
उप-योग	**280**	**305**	**25**
योग	**10034**	**13077**	**3103**
		3. राज्य: पश्चिम बंगाल	
		कोलकाता	
1.	1288	430	-858
2.	2489	2726	237
3.	1461	1508	47
डी.एस.	97	140	43
एस.के.	52	48	-4
4.	162	402	240
5.	180	260	80
6.	94	138	44
योग	**5823**	**5652**	**-171**

1	2	3	4
		4. राज्य: तमिलनाडु	
		चेन्नई	
I	450	549	99
II	944	1506	562
III	660	1295	635
IV	379	694	315
V	138	249	111
VI	20	51	31
एस.के.	20	100	80
डी.एस.	30	133	103
हॉस्टल के.के.एन.	30	30	0
योग	**2671**	**4607**	**1936**
		5. राज्य: हिमाचल प्रदेश	
		शिमला	
I	346	319	-27
II	388	452	64
III	374	399	25
IV	96	93	-3
V	25	25	0
VI	04	04	0
योग	**1233**	**1292**	**59**
		6. संघ शासित क्षेत्र: चंडीगढ़	
		चंडीगढ़	
I	415	373	-42

1	2	3	4
II	1058	1086	28
III	542	573	31
IV	109	176	67
V	70	92	22
VI	05	18	13
योग	**2199**	**2318**	**119**

7. राज्य: हरियाणा

फरीदाबाद

I	482	483	01
II	832	874	42
III	328	522	194
IV	140	155	15
V	52	61	09
Vi	16	18	02
योग	**1850**	**2113**	**263**

8. संघ शासित क्षेत्र: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

पोर्ट ब्लेयर

I	36	33	-3
II	63	63	0
III	88	117	29
IV	22	30	08
V	10	14	04
योग	**219**	**257**	**38**

1	2	3	4
		9, राज्यः असम	
		गुवाहाटी	
I	24	23	-1
II	24	42	18
III	72	80	08
IV	24	34	10
योग	**144**	**179**	**35**
		10. राज्यः उत्तर प्रदेश	
		लखनऊ	
I	272	297	25
II	474	622	148
III	223	253	30
IV	90	109	19
V	32	42	10
उप-योग	**1091**	**1323**	**232**
		आगरा	
I	15	01	-14
II	30	32	02
III	60	47	-13
IV	14	16	02
V	05	06	01
उप-योग	**124**	**102**	**-22**
		इलाहाबाद	
I	108	95	-13

1	2	3	4
II	413	347	-66
III	270	182	-88
IV	42	35	-7
V	10	09	-1
VI	02	01	-1
उप-योग	**845**	**669**	**-176**
		कानपुर	
I	354	231	-123
II	406	328	-78
III	174	148	-26
IV	64	42	-22
V	31	30	-01
उप-योग	**1029**	**779**	**-250**
		वाराणसी	
I	24	10	-14
II	60	21	-39
III	102	53	-49
IV	12	03	-09
उप-योग	**198**	**87**	**-111**
		बरेली	
I	12	12	0
II	18	12	-6
III	18	0	-18

1	2	3	4
IV	05	2	-3
उप-योग	**53**	**26**	**-27**
योग	**4160**	**3872**	**-288**
		गाजियाबाद	
I	176	173	-3
II	480	501	21
III	132	175	43
IV	24	28	4
V	8	9	1
उप-योग	**820**	**886**	**66**
		11. राज्य: राजस्थान	
		जोधपुर	
I	104	104	0
II	103	99	-4
III	92	90	-2
IV	22	21	-1
V	04	04	0
VI	03	03	0
उप-योग	**328**	**321**	**-7**
		जयपुर	
I	89	71	-18
II	128	164	36
III	228	228	0
IV	72	71	-1

1	2	3	4
V	24	16	-8
VI	06	03	-3
उप-योग	**547**	**553**	**6**
		बीकानेर	
I	06	06	0
II	06	06	0
III	08	08	0
IV	01	01	0
उप-योग	**21**	**21**	**0**
योग	**896**	**895**	**-1**
		12. राज्य: आन्ध्र प्रदेश	
		हैदराबाद	
I	184	73	-111
II	416	459	43
III	224	271	47
IV	32	30	-2
V	36	38	2
हॉस्टल	32	16	-16
कुल	**924**	**887**	**-37**
		13. राज्य: केरल	
		कोचीन	
I	32	25	-7
II	116	111	-5

1	2	3	4
III	68	67	-1
IV	24	28	4
V	04	07	3
उप-योग	**244**	**238**	**-6**
		कालीकट	
I	14	0	-14
II	14	0	-14
III	14	0	-14
IV	14	0	-14
V	02	0	-02
उप-योग	**58**	**0**	**-58**
		त्रिवेन्द्रम	
I	16	34	18
II	16	43	27
III	134	139	05
IV	52	55	03
V	12	10	-2
उप-योग	**230**	**281**	**51**
योग	**532**	**519**	**-13**
		14. उत्तराखण्ड	
		देहरादून	
I	36	43	07
II	22	59	37

1	2	3	4
III	26	62	36
IV	04	24	20
V	03	06	03
योग	**91**	**194**	**103**
		15. राज्य: मणिपुर	
		इम्फाल	
I	16	17	1
II	20	27	07
III	08	13	05
IV	04	06	02
योग	**48**	**63**	**15**
		16. सिक्किम	
		गंगटोक	
I	24	26	02
II	24	79	55
III	40	50	10
IV	12	25	13
V	06	07	01
योग	**106**	**187**	**81**
		17. मेघालय	
		शिलाँग	
I	22	26	04
II	24	61	27
III	24	42	18

1	2	3	4
IV	08	23	15
V	02	04	02
योग	**90**	**156**	**66**
		18. त्रिपुरा	
		अगरतला	
I	18	19	01
II	36	60	24
III	54	51	-3
IV	12	17	05
V	04	0	-4
योग	**124**	**147**	**23**
		19. राज्य: मध्य प्रदेश	
		भोपाल	
I	32	30	-2
II	52	80	28
III	60	63	03
IV	14	40	26
V	08	15	07
उप-योग	**166**	**228**	**62**
		इंदौर	
I	111	39	-72
II	138	128	-10
III	119	117	-2

1	2	3	4
IV	26	28	2
V	08	09	1
उप-योग	**402**	**321**	**-81**
योग	**568**	**549**	**-19**
		20. राज्य: गुजरात	
		राजकोट	
I	48	43	-5
II	48	48	0
III	36	31	-5
IV	08	08	0
उप-योग	**140**	**130**	**-10**
		21. राज्य: नागालैंड	
		कोहिमा	
I	08	8	0
II	16	20	04
III	40	47	07
योग	**64**	**75**	**11**
		22. राज्य: जम्मू और कश्मीर	
		श्रीनगर	
I	30	0	-30
II	114	58	-56
III	84	52	-32
IV	16	14	-2
V	06	0	-6
योग	**250**	**124**	**-126**

1	2	3	4
		गोवा	
I	05	18	13
II	17	31	14
III	06	12	06
योग	**28**	**61**	**33**
		24. राज्य: कर्नाटक	
		बंगलूरू	
I	380	374	-6
II	480	723	243
III	374	613	239
IV	214	254	40
V	46	62	16
VI	04	14	10
एकल हॉस्टल	56	56	0
डबल हॉस्टल	34	29	-5
उप-योग	**1588**	**2125**	**537**
		मैसूर	
I	32	24	-8

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास लम्बित मामले

*233. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:**

श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार के अनेक मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालयों में लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं और इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार और अधिक संख्या में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों को चिन्हित किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पूरे देश में विभिन्न सी.बी.आई. न्यायालयों में 6894 मामले जांच के अधीन लंबित हैं। दिनांक 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 तथा 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार इन मामलों का राज्यवार तथा वर्ष-वार विवरण संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) किसी भी मामले में आरोप पत्र दायर करने के पश्चात्, मामले की जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है तथा निपटान हेतु यह न्यायालय पर निर्भर करता है। सी.बी.आई. के मामले जटिल होते हैं तथा इनमें भारी-भरकम दस्तावेजों तथा बड़ी संख्या में गवाह शामिल होते हैं। मामलों पर विचारण, उचित न्यायिक प्रक्रिया जैसे सुनवाई, आरोपित व्यक्तियों, गवाहों की समय पर उपस्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विलंब से मामले लंबित होते जाते हैं।

देश भर में केवल सी.बी.आई. मामलों की जांच के लिए विशेष न्यायाधीश के 46 न्यायालय तथा विशेष मजिस्ट्रेटों के 10 न्यायालय कार्यरत हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार ने केवल सी.बी.आई. मामलों पर विचारण के लिए विभिन्न राज्यों में 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इन 71 न्यायालयों में से 66 न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(घ) और (ङ) 2003 की आपराधिक अपील संख्या 88-93 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश पर सरकार विभिन्न राज्यों में 22 और अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्वीकृत करने की कार्रवाई कर रही है। इन 22 न्यायालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार सी.बी.आई. न्यायालयों में जांच के लिए लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के राज्यवार एवं वर्षवार मामले

राज्य/संघ शासित राज्य	<=2 वर्ष	>2 और <=5 वर्ष	>5 और <=10 वर्ष	>10 और <=15 वर्ष	>=15 और <=20 वर्ष	>20 वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
अण्डमान और निकोबार	0	1	1	1	0	0	3
आन्ध्र प्रदेश	99	162	150	9	2	0	422
अरुणाचल प्रदेश	2	9	0	0	0	0	11
असम	39	42	58	30	9	2	180
बिहार	41	69	89	20	41	25	285
चण्डीगढ़	39	5	6	2	1	0	53

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़	11	12	12	6	1	1	43
दादर और नागर हवेली	2	0	0	0	0	0	2
दमन और द्वीव	0	1	6	0	0	0	7
गोवा	12	12	11	2	0	0	37
गुजरात	89	70	135	60	32	29	415
हरियाणा	22	18	19	2	0	0	61
हिमाचल प्रदेश	13	6	7	0	0	0	26
जम्मू और कश्मीर	34	31	48	1	3	0	117
झारखण्ड	78	100	155	47	53	41	474
कर्नाटक	49	62	110	43	7	3	274
केरल	44	76	55	5	2	0	182
लक्षद्वीप							0
मध्य प्रदेश	60	75	39	0	3	0	177
महाराष्ट्र	175	182	279	146	45	23	850
मणिपुर	2	3	3	3	0	0	11
मेघालय	2	3	1	0	1	2	9
मिजोरम	0	2	0	1	2	0	5
नागालैंड	1	2	1	0	0	1	5
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	233	414	336	227	38	5	1253
ओडिशा	68	83	69	8	3	1	232
पुदुचेरी	19	0	4	0	0	0	23
पंजाब	17	56	18	1	0	0	92
राजस्थान	97	87	90	19	9	1	303
सिक्किम	1	1	2	2	0	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	154	128	130	43	12	6	473
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	71	104	165	81	37	45	503
उत्तराखण्ड	18	12	7	4	2	0	43
पश्चिम बंगाल	129	141	173	82	96	41	662
कुल	1621	1973	2175	845	399	226	7239

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार सी.बी.आई. न्यायालयों में जांच के लिए लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के राज्यवार एवं वर्षवार मामले

राज्य/संघ शासित राज्य	<=2 वर्ष	>2 और <=5 वर्ष	>5 और <=10 वर्ष	>10 और <=15 वर्ष	>=15 और <=20 वर्ष	>20 वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
अण्डमान और निकोबार	0	0	2	1	0	0	3
आन्ध्र प्रदेश	80	143	180	13	0	0	416
अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	0	0	0	9
असम	41	49	59	33	11	4	197
बिहार	29	62	103	18	45	19	276
चण्डीगढ़	29	14	5	3	1	0	52
छत्तीसगढ़	13	12	14	4	1	1	45
दादर और नागर हवेली	0	2	0	0	0	0	2
दमन और द्वीव	0	1	5	0	0	0	6
गोवा	15	15	14	2	0	0	46
गुजरात	35	117	134	77	34	15	412

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	8	28	24	2	0	0	62
हिमाचल प्रदेश	0	14	0	0	0	0	14
जम्मू और कश्मीर	33	43	43	10	3	0	132
झारखण्ड	61	104	147	59	42	37	450
कर्नाटक	45	49	92	50	10	1	247
केरल	29	75	73	2	4	0	183
लक्षद्वीप							0
मध्य प्रदेश	68	86	34	4	3	0	195
महाराष्ट्र	289	202	241	106	56	7	901
मणिपुर	4	4	3	3	0	0	14
मेघालय	2	3	2	0	1	0	8
मिजोरम	0	1	1	0	2	0	4
नागालैंड	1	2	1	0	0	1	5
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	133	389	336	185	87	5	1135
ओडिशा	52	98	56	27	4	0	237
पुदुचेरी	15	6	0	0	0	0	21
पंजाब	10	28	47	2	0	0	87
राजस्थान	67	123	85	23	12	3	313
सिक्किम	0	2	2	2	0	0	6
तमिलनाडु	154	149	138	49	11	4	505
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	45	119	157	70	45	41	477
उत्तराखण्ड	26	14	7	4	3	0	54
पश्चिम बंगाल	100	165	183	87	81	48	664
कुल	1384	2128	2188	836	456	186	7178

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार सी.बी.आई. न्यायालयों में जांच के लिए लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के राज्यवार एवं वर्षवार मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	<=2 वर्ष (क)	2-5 वर्ष (ख)	5-10 वर्ष (ग)	10-15 वर्ष (घ)	15-20 वर्ष (ङ)	>20 वर्ष (च)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11	10	6	1	0	0	28
2.	आन्ध्र प्रदेश	69	142	189	25	0	0	425
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	8	0	0	0	0	9
4.	असम	42	54	54	20	16	3	189
5.	बिहार	36	66	116	30	35	24	307
6.	चण्डीगढ़	22	14	4	3	1	0	44
7.	छत्तीसगढ़	17	12	14	7	0	1	51
8.	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0	1
10.	गोवा	13	14	18	1	1	0	47
11.	गुजरात	43	110	130	84	32	14	413
12.	हरियाणा	15	9	25	1	0	0	50
13.	हिमाचल प्रदेश	0	12	0	0	0	0	12
14.	जम्मू और कश्मीर	33	41	46	18	0	0	138
15.	झारखण्ड	60	104	141	665	39	33	442
16.	कर्नाटक	29	40	65	48	5	1	188
17.	केरल	32	62	88	0	6	0	188
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	101	68	37	1	2	0	209
20.	महाराष्ट्र	241	186	183	71	47	16	744

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	मणिपुर	3	5	1	4	0	0	13
22.	मेघालय	2	2	3	1	0	0	8
23.	मिजोरम	4	0	1	1	2	0	8
24.	नागालैंड	0	3	0	1	0	1	5
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	158	282	294	155	52	25	966
26.	ओडिशा	46	91	64	38	3	0	242
27.	पुदुचेरी	7	20	1	0	0	0	28
28.	पंजाब	14	28	23	3	0	0	68
29.	राजस्थान	53	114	97	24	12	0	300
30.	सिक्किम	1	1	0	0	0	0	2
31.	तमिलनाडु	136	143	138	46	13	3	479
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	134	134	151	98	68	9	594
34.	उत्तराखण्ड	23	17	17	3	3	1	64
35.	पश्चिम बंगाल	61	186	188	103	74	49	661
	कुल	**1408**	**1978**	**2094**	**852**	**41**	**180**	**6923**

दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार सी.बी.आई. न्यायालयों में जांच के लिए लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के राज्यवार एवं वर्षवार मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	<=2 वर्ष	>2 और <=5 वर्ष	>5 और <=10 वर्ष	>10 और <=15 वर्ष	>15 और <=20 वर्ष	>20 वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10	7	10	0	1	0	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	आन्ध्र प्रदेश	69	142	188	26	0	0	425
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	8	0	0	0	0	9
4.	असम	42	55	55	18	17	2	189
5.	बिहार	37	62	119	30	35	24	307
6.	चण्डीगढ़	23	13	4	3	1	0	44
7.	छत्तीसगढ़	13	18	14	7	0	1	51
8.	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	2	0	4	0	0	0	6
10.	गोवा	13	14	18	1	1	0	47
11.	गुजरात	42	110	133	82	32	14	413
12.	हरियाणा	15	29	23	0	0	0	67
13.	हिमाचल प्रदेश	4	8	0	0	0	0	12
14.	जम्मू और कश्मीर	34	38	48	18	0	0	138
15.	झारखण्ड	60	104	141	65	39	33	442
16.	कर्नाटक	31	38	55	47	4	2	187
17.	केरल	31	57	94	0	6	0	188
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	104	65	39	1	2	0	211
20.	महाराष्ट्र	169	198	227	75	53	14	736
21.	मणिपुर	3	5	1	3	1	0	13
22.	मेघालय	2	2	2	2	0	0	8
23.	मिजोरम	4	1	1	1	1	0	8
24.	नागालैंड	0	3	0	1	1	3	8
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	158	259	286	166	58	23	950

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	ओडिशा	42	93	66	38	3	0	242
27.	पुदुचेरी	5	18	1	0	0	0	24
28.	पंजाब	12	26	24	3	0	0	65
29.	राजस्थान	53	87	93	35	12	0	280
30.	सिक्किम	1	1	1	0	0	0	3
31.	तमिलनाडु	146	121	139	50	15	3	474
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	131	132	155	100	68	8	594
34.	उत्तराखण्ड	22	18	17	3	3	1	64
35.	पश्चिम बंगाल	59	185	186	106	78	47	661
	कुल	**1338**	**1915**	**2154**	**881**	**431**	**175**	**6894**

विवरण-II

सी.बी.आई. के लिए विशेष न्यायालयों की अतिरिक्त आवश्यकता

राज्य का नाम	न्यायलय का स्थान	प्रस्तावित न्यायालय की संख्या
हैदराबाद क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	01
दिल्ली क्षेत्र		
राजस्थान	जयपुर	02
लखनऊ क्षेत्र		
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	02
	गाजियाबाद	01
मुम्बई क्षेत्र		
गुजरात	अहमदाबाद	05

राज्य का नाम	न्यायलय का स्थान	प्रस्तावित न्यायालय की संख्या
चण्डीगढ़ क्षेत्र		
जम्मू और कश्मीर	श्री नगर	01
पंजाब	पटियाला	01
भोपाल क्षेत्र		
मध्य प्रदेश	भोपाल	01
महाराष्ट्र	नागपुर	02
कोलकाता क्षेत्र		
पश्चिम बंगाल	अलीपुर	02
	असनसोल	01
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
असम	गुवाहाटी	01
चैन्नै क्षेत्र		
तमिलनाडु	चेन्नै	01
केरल	एर्नाकुलम	01
	कुल	22

आर्थिक विषमता

***234. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित एस.आर. हाशिम पैनल/समिति की रिपोर्ट के अनुसार नव-उदार आर्थिक सुधार लागू होने के बाद लोगों में आर्थिक विषमता बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में अपनाई जा रही उदार आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लोगों में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग ने, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान करने हेतु विस्तृत कार्यपद्धति की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया था। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि

2004-05 और 2009-10 के दौरान शहरी क्षेत्रों में उपभोग व्यय में असमानता में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी। अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि विकास के प्रारंभिक चरण में असमानताओं में वृद्धि होने की प्रवृत्ति रहती है। तथापि, सुदृढ़ आर्थिक मूलाधारों की वजह से, भारत में हाल ही में देखी गई आर्थिक विकास की उच्च दर ने, आम जनता विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर निर्णायक प्रभाव डालने की क्षमता में बहुत सुधार किया है।

(ग) और (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने का प्रस्ताव किया गया है और तदनुसार इसमें 'अधिक तीव्र, संधारणीय और अधिक समावेशी विकास' पर ध्यानकेंद्रण किया गया है। आर्थिक विषमताओं को कम करना, सरकार की विकास नीति की हमेशा प्राथमिकता रही है। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर और जीवन-गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने, ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, आदि की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने की कार्यनीति अपनाई गई है। सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.-एच.एम.), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्याह्न भोजन स्कीम (एम.डी.एम.एस.) तथा सामाजिक सुरक्षा के उपाय जैसे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) आदि। विकास और पुनर्वितरण के संयुक्त प्रभाव ने लोगों के रहन-सहन और जीवन-गुणवत्ता के स्तरों में सुधार किया है। यह 1993-94 से 2004-05 तक के ग्यारह वर्षों के दौरान गरीबी अनुपात में प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशतांक की कमी की तुलना में 2004-05 से 2009-10 तक के पांच वर्षों के दौरान गरीबी अनुपात में प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशतांक की कमी में परिलक्षित होता है।

विदेशों में भारतीय महिलाओं का शोषण

***235. श्री गणेश सिंह:**

कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार विदेशों में भारतीय महिलाओं के शोषण/उन्हें परेशान किए जाने के कितने मामले सामने आए;

(ख) विदेशों में संकटग्रस्त महिलाओं को क्या सहायता दी जा रही है;

(ग) संकटग्रस्त भारतीय महिला कामगारों के लिए आश्रय गृह स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव की देश-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ऐसी महिलाओं की संख्या कितनी है जो आज तक ऐसी सहायता/आश्रय गृहों से लाभान्वित हुईं है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) रोजगार के वास्ते उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ई.सी.आर.) देशों को जाने वाले उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ई.सी.आर.) पासपोर्ट धारकों के रिकार्ड प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में रखे जाते हैं। इन 17 उत्प्रवासन जांच अपेक्षित देशों में भारतीय महिलाओं के शोषण/उन्हें परेशान किए जाने संबंधी सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:-

(एक) शिकायतें प्राप्त होने पर मामले को संबंधित कम्पनी/प्रायोजक के साथ उठाया जाता है और सौहार्दपूर्ण ढंग से उसका समाधान किया जाता है। यदि अपेक्षित हो तो मामले को संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाया जाता है। जहां आवश्यक हो कानूनी सहायता और परामर्शसेवा भी प्रदान की जाती है।

(दो) भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना सभी भारतीय मिशनों में की गई है ताकि व्यथित उत्प्रवासियों को यथास्थान कल्याणकारी सहायता

प्रदान की जा सके। प्रदत्त सहायता में, लघु अवधि के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था; चिकित्सा सुविधा; असहाय प्रवासी भारतीयों को जहां आवश्यक हो, हवाई-टिकटें प्रदान करना; सुपात्र मामलों में शुरूआत कानूनी सहायता मुहैया करवाना; ऐसे मामलों में जहां प्रायोजक सहायता करने हेतु उपलब्ध हो, मृतक प्रवासी भारतीय के पार्थिक शरीर को विमान द्वारा भारत भेजने अथवा स्थानीय शमशान घाट/कब्रिस्तान तक ले जाने का आकस्मिक खर्च वहन करना; मेजबान देश में गैरकानूनी रूप से रूकने के लिए भारतीय नागरिकों के मामले में जुर्माने की अदायगी करना जहां कामगार प्रथम दृष्टया दोषी न हो और जेल में/कारावास केन्द्रों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई हेतु छोटे अर्थदंड/जुर्माने का भुगतान करना; शामिल है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत लगभग 28000 उत्प्रवासियों को लाभ प्राप्त हुआ है और 37 करोड़ रु. की राशि इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है।

(तीन) मिशनों द्वारा व्यथित उत्प्रवासियों के लिए आश्रय स्थलों का प्रचालन करना।

(चार) उत्प्रवासियों को सूचना उपलब्ध करवाने और उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दुबई, यू.ए.ई. में एकल विंडो सेवा केन्द्र के रूप में एक भारतीय कामगार संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) 17 ई.सी.आर. देशों में से, प्रमुख खाड़ी देशों और मलेशिया से संबंधित लाभ प्राप्त महिलाओं की संख्या और आश्रय स्थलों से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्तमान वर्ष और पिछले 3 वर्षों के दौरान 17 उत्प्रवासन जांच अपेक्षित देशों में कार्यरत भारतीय महिलाओं के शोषण/उन्हें परेशान करने के मामलों की संख्या

देश का नाम	2010	2011	2012	2013	कुल
अफगानिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बहरीन	53	71	92	23	239
इंडोनेशिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ईराक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जार्डन	प्रतिक्षित	प्रतिक्षित	प्रतिक्षित	प्रतिक्षित	प्रतिक्षित
कुवैत	1205	803	1038	99	3145
लेबनान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लीबिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मलेशिया	*	*	*	*	52
कतर	154	36	120	प्राप्त नहीं हुआ	310

देश का नाम	2010	2011	2012	2013	कुल
ओमान	221	198	138	26	583
सउदी अरब					
रियाद	150	207	177	22	556
जेद्दाह	10	26	28	05	69
सूडान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सीरिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
थाईलैंड	शून्य	शून्य	02	प्राप्त नहीं हुआ	02
संयुक्त अरब अमीरात	60	56	76	15	207
यमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1853	1397	1671	190	5163

*मलेशिया में वर्ष 2010-2012 के दौरान भारतीय मिशनों को भारतीय महिलाओं की ओर से 52 शिकायतें प्राप्त हुई है।

विवरण-II

लाभ प्राप्त महिलाओं की संख्या और आश्रम स्थलों से संबंधित स्थिति

देश का नाम	वर्तमान वर्ष और पिछले 3 वर्षों के दौरान की संख्या	टिप्पणी
1	2	3
बहरीन	209	प्रवासी कामगार संरक्षण समिति, गैर सरकारी संगठन सभी निर्वासित व्यथित महिलाओं को बहरीन में (भारतीय महिलाओं समेत) भोजन, आश्रय और वापसी हेतु हवाई टिकटों के रूप में सहायता उपलब्ध करवाता है। इसलिए व्यथित भारतीय महिला कामगारों के वास्ते अलग से आश्रय स्थल अपेक्षित नहीं है।

1	2	3
कुवैत	1255	व्यथित महिला कामगारों के वास्ते अलग से आश्रय स्थल है, जहां भोजन, कपड़े और अन्य मूलभूत जरूरतें उपलब्ध हैं, जबकि उनकी शिकायतों का निवारण किया गया है।
कतर	मिशन अत्यंत व्यथित कामगारों, जिन्हें कतर में कोई सहायता प्राप्त नहीं है, को दूतावास परिसर में तब तक ठहरने की अनुमति देता है जब तक उनकी वापसी के लिए उन्हें अपराध साक्ष्य और अन्वेषण विभाग को नहीं सौंपा जाता।	
ओमान	583	मिशन ने एक तीन कमरे वाला फ्लैट किराए पर लिया है ताकि व्यथित भारतीय महिला कामगारों को आश्रय स्थल उपलब्ध करवाया जा सके। आश्रय स्थल में उनके रहने के दौरान भोजन-आवास तथा चिकित्सा उपचार आदि से संबंधित खर्च का वहन मिशन द्वारा किया जाता है जिसका स्रोत भारतीय समुदाय कल्याण कोष है, जिसकी स्थापना विशेष रूप से भारतीय कामगारों के कल्याण के वास्ते की गई थी।
सउदी अरब (ई.ओ.आई. रियाद)	556	भारतीय मिशन व्यथित महिला घरेलू कामगारों और महिलाओं के लिए आश्रय स्थल संचालित करते हैं, जो पलायित हो चुकी है। इन आश्रय स्थलों में रखी गई महिलाओं को पारगमन आवास सुविधा, भोजन व्यवस्था शुरूआती चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाता है, यदि जरूरत हो तो हवाई टिकट भी।

एअर इंडिया की उड़ानों में सीटों की उपलब्धता

*236. **श्री विलास मुत्तेवार:**

श्री जगदीश शर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान एअर इंडिया ने ऐसी अनेक उड़ानें प्रचालित की थीं, जिनमें उनकी सीटों की क्षमता से कम यात्री सवार थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विमान कंपनी को कितना घाटा हुआ; और

(घ) इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) एअर इंडिया का औसत यात्रीभार घटक (पी.एल.एफ.) वर्ष,

2011-12 के दौरान 68.5 प्रतिशत तथा अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 की अवधि के दौरान 71.8 प्रतिशत था। किसी उड़ान के अधिभोग का निर्धारण बाजार मांग, स्पर्धा के स्तर, समयावली, मौसम के आधार पर किया जाता है। उड़ान का पूरे वर्ष में पूर्ण अधिभोग होना केवल तकनीकी संभाव्यता है जो विश्व में किसी एयरलाइन द्वारा यदा-कदा ही प्राप्त की जाती है।

(ग) न्यून पी.एल.एफ. का एयरलाइन के राजस्व अर्जन में प्रभाव पड़ता है किंतु इस घटक की किसी मात्रा को निश्चित करना संभव नहीं है।

(घ) एअर इंडिया बाजार परिवर्धन पर नजर रखती है और इस उद्देश्य से बाजार का अध्ययन करती है ताकि नए मार्ग शुरू किए जा सके, मौजूद मार्गों पर सेवाओं की संख्या में वृद्धि की जा सके, मौजूद अनुसूची में संशोधन किया जा सके, किसी मार्ग में उपलब्ध सीटों को (विमान परिवर्तित करके) सीटों की मांग के सापेक्ष में इस प्रकार समायोजित करती है कि सीटों की मांग पूरी की जा सके। एअर इंडिया ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न विपणन योजनाएं भी शुरू की है। टिकट की कीमतों की भी नियमित आधार पर समीक्षा की जाती हैं।

[अनुवाद]

विमानन मौसम स्टेशन

***237. श्री वैजयंत पांडा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थान-वार विमानन और विमानपत्तनों के लिए कितने मौसम स्टेशन हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओडिशा में राउरकेला सहित देश के विभिन्न महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में विमानन मौसम स्टेशन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को ऐसे स्थानों पर संभावित विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए या तो मार्गनिर्देशन सहायता अथवा मौसम स्टेशनों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) भारत में 72 नागर वैमानिक मौसम स्टेशनों (ए.एम.एस.) तथा एयरोड्रम मौसम कार्यालयों (ए.एम.ओ.) द्वारा मौसम संबंधी सेवाएं दी जा रही हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कई मौसम कार्यालय, राडार स्टेशन, अपर एयर स्टेशन, पायलट बैलून स्टेशन तथा स्वचालित मौसम स्टेशन, सेटेलाइट केन्द्र हैं, जिनमें प्राप्त आंकड़ों का उपयोग विमानन संबंधी मौसम सेवाओं में भी किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विमानन मौसम स्टेशन का प्रयोग केवल हवाईअड्डे के लिए है और यह किसी औद्योगिक केन्द्र के लिए नहीं है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा विमान के सुरक्षित दिक्चालन के लिए हवाई अड्डों तथा विमान यातायात सेवा (ए.टी.एस.) मार्गों पर विभिन्न दिक्चालन उपकरण, यथा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेन्ज (वी.ओ.आर.) तथा नॉन-डायरेक्शनल बीकन (एन.डी.बी.) लगाए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डों पर तथा भारतीय वायु क्षेत्र में संचार दिक्चालन सर्विलांस (सी.एन.एस.) तथा विमान यातायात प्रबंधन (ए.टी.एम.) प्रणालियों का आधुनिकीकरण सतत् रूप से किया जा रहा है।

हवाई अड्डों पर मौसम सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले भारतीय मौसम विभाग (आई.एम.डी.) द्वारा भी हवाई अड्डों पर अपने उपकरणों के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संस्थापित किए गए विभिन्न दिक्चालन उपकरणों का स्थान वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। उन हवाईअड्डों की सूची विवरण-II पर संलग्न है जहां पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारतीय मौसम विभाग से अपनी मौसम संबंधी सेवाओं को अपग्रेड करने/आधुनिक बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

आई.एम.डी. विमानन मौसम विज्ञान कार्यालयों की सूची - 08.03.2013

क्र.सं.	हवाई अड्डो का नाम	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	हवाई अड्डे के मौसम विभाग की श्रेणी
1	2	3	4
		चेन्नई एफ.आई.आर.	
1.	बंगलौर (देवनहल्ली)	कर्नाटक	हवाई अड्डा मौसम कार्यालय (ए.एम.ओ.)
2.	चेन्नई	तमिलनाडु	वही
3.	हैदराबाद (शमशाबाद)	आन्ध्र प्रदेश	वही
4.	तिरुवनंतपुरम	केरल	वही
5.	अगाती	लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश	वैज्ञानिक मौसम स्टेशन (ए.एम.एस.)
6.	बंगलौर (पुराना)	कर्नाटक	वही
7.	बेलगाम	कर्नाटक	वही
8.	कोयंबटूर	तमिलनाडु	वही
9.	हुबली	कर्नाटक	वही
10.	हैदराबाद (बेगमपेट)	आन्ध्र प्रदेश	वही
11.	कोचि	केरल	वही
12.	कोझीकोड	केरल	वही
13.	मदुरै	तमिलनाडु	वही
14.	मंगलौर	कर्नाटक	वही
15.	मैसूर	कर्नाटक	वही
16.	पुदुचेरी	पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश	वही
17.	पुट्टापार्थी	आन्ध्र प्रदेश	वही
18.	राजामुंदरी	आन्ध्र प्रदेश	वही

1	2	3	4
19.	सलेम	तमिलनाडु	वही
20.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	वही
21.	तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश	वही
22.	तूतीकोरिन	तमिलनाडु	वही
23.	विजयवाडा	आन्ध्र प्रदेश	वही
		मुंबई एफ.आई.आर.	
1.	नागपुर	महाराष्ट्र	ए.एम.ओ.
2.	भोपाल (बैरागढ़)	मध्य प्रदेश	ए.एम.एस.
3.	इंदौर	मध्य प्रदेश	वही
4.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	वही
5.	खजुराहो	मध्य प्रदेश	वही
6.	रायपुर	छत्तीसगढ़	वही
7.	मुंबई (सांताक्रुज)	महाराष्ट्र	ए.एम.ओ.
8.	अहमदाबाद	गुजरात	वही
9.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	ए.एम.एस.
10.	कांडला	गुजरात	वही
11.	भावनगर	गुजरात	वही
12.	मुंबई (जुहू)	महाराष्ट्र	वही
13.	पोरबंदर	गुजरात	वही
14.	वडोदरा	गुजरात	वही
15.	राजकोट	गुजरात	वही
16.	सूरत	गुजरात	वही
17.	दीव	दमन और दीव केन्द्र शासित प्रदेश	वही
18.	नांदेड़	महाराष्ट्र	वही

1	2	3	4
		कोलकाता एफ.आई.आर.	
1.	अगरतला	त्रिपुरा	ए.एम.ओ.
2.	भुवनेश्वर	ओडिशा	वही
3.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वही
4.	पटना	बिहार	वही
5.	कूच-बिहार	पश्चिम बंगाल	ए.एम.एस.
6.	गया	बिहार	वही
7.	जमशेदपुर	झारखंड	वही
8.	रांची	झारखंड	वही
9.	मोहनबाड़ी	असम	ए.एम.ओ.
10.	गुवाहाटी	असम	वही
11.	आइजोल	मिज़ोरम	ए.एम.एस.
12.	दीमापुर	नागालैंड	वही
13.	इम्फाल	मणिपुर	वही
14.	उत्तरी लखीमपुर	असम	वही
15.	पासी	अरुणाचल प्रदेश	वही
16.	शिलांग	मेघालय	वही
		दिल्ली एफ.आई.आर.	
1.	दिल्ली (पालम)	केन्द्र शासित प्रदेशों	ए.एम.ओ.
2.	दिल्ली (सफदरजंग)	केन्द्र शासित प्रदेशों	वही
3.	जयपुर	राजस्थान	वही
4.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	वही
5.	अमृतसर	पंजाब	ए.एम.एस.
6.	भुंतर	हिमाचल प्रदेश	वही

1	2	3	4
7.	देहरादून	उत्तराखंड	वही
8.	फुरसतगंज	उत्तर प्रदेश	वही
9.	कोटा	राजस्थान	वही
10.	लुधियाना	पंजाब	वही
11.	पंतनगर	उत्तराखंड	वही
12.	उदयपुर	राजस्थान	वही
13.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	वही
14.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	वही
15.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	वही

ए.एम.ओ.-हवाईअड्डा मौसम कार्यालय

ए.एन.एस.-वैमानिकी मौसम स्टेशन

विवरण-II

93 अति उच्च आवृत्ति ओमनी डायरेक्शनल रेंज (वी.ओ.आर.) के क्षेत्रवार स्थल निम्नानुसार हैं:

पूर्वी क्षेत्र	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
पोर्टब्लेयर	डिब्रुगढ़	अलीगढ़	हैदराबाद	भुज
जमशेदपुर	बारापानी	चिल्लरकी	त्रिची	जामनगर
रांची	गुवाहाटी	जलालाबाद	मदुरै	पुणे
भुवनेश्वर	अगरतला	सकारस	कांचीपुरम	वडोदरा
पटना	दीमापुर	सिकंदराबाद	मंगलोर	अहमदाबाद
गया	जोरहाट	सांपला	बेल्लारी	रायपुर
कोलकाता	सिलचर	आगरा	विजाग-I	सूरत
कटिहार	तेजपुर	ग्वालियर	विजाग-II	गोंदिया
	इम्फाल	लुंका-I	विजयवाड़ा	बेलगाम

पूर्वी क्षेत्र	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
	बागडोगरा	लुंका-II	तिरुपति	भावनगर
	लेंगपुई	चंडीगढ़	बैंगलौर	गोवा
	लीलाबाड़ी	उदयपुर	कालीकट	राजकोट
		जोधपुर	कोयंबटूर	नागपुर
		चकेरी (कानपुर)	त्रिवेंद्रम	नांदेड़
		लुधियाना	गुलबर्गा	जलगाँव
		लखनऊ	हुबली	भोपाल
		प्रतापगढ़	शमशाबाद	जबलपुर
		श्रीनगर	देवनहल्ली	मुम्बई
		वाराणसी	बंगलौर-I	पोरबंदर
		लेह	बंगलौर-II	औरंगाबाद
		जम्मू	चेन्नई	इंदौर
		दिल्ली (डी.पी.एन.)	मैसूर	
		दिल्ली (डी.आई.जी.)	कोचीन-I	
		इलाहाबाद	कोचीन-II	
		देहरादून	राजामुंदरी	
		अमृतसर		
		खजुराहो		
		जयपुर		

55 नॉन - डायरेक्शनल बीकन (ए.डी.बी.) के क्षेत्रवार स्थल निम्नानुसार हैं:

पूर्वी क्षेत्र	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
झारसुगुडा	तेजू	पंतनगर	तूतीकोरिन	कोल्हापुर
कूचबिहार	अगरतला	उदयपुर	हुबली	केशोड

पूर्वी क्षेत्र	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
किशनगंज	डिब्रुगढ़	अमृतसर	पुदुचेरी	सोनगढ़
भुवनेश्वर	गुवाहाटी	शिमला	सालेम	औरंगाबाद
रांची	इम्फाल	देहरादून	त्रिची	इंदौर
	लीलाबाड़ी	दिल्ली (डी.पी.)	कोयंबटूर	गोंदिया
	दीमापुर	दिल्ली (डी.एच.)	मंगलोर	वडोदरा
	लेंगपुई	भुंतर	विजयवाड़ा	सूरत
	तूरा	कोटा	विजाग	दीपु
		लुधियाना	खम्माम	कांडला
		खजुराहो	अगाती	पोरबंदर
		वाराणसी	विकाराबाद	राजकोट
		गग्गल	राजमुंदरी	
			कालीकट	
			मदुरै	
			कोचीन	

विवरण-III

भारतीय मौसम विभाग (आई.एम.डी.) द्वारा मौसम सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्राथमिकतावार सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	हवाई अड्डे
वाइड बॉडी विमान प्रचालनों की व्यवस्था करने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जहां आई.एम.डी. ने पहले ही अपना आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ कर दिया है (क्रम सं. 1-8)	
1.	अमृतसर
2.	बी.आई.ए.एल.
3.	चेन्नई
4.	दिल्ली
5.	गुवाहाटी
6.	एच.आई.ए.एल.
7.	जयपुर
8.	मुम्बई
एयरबस या अन्य वाइड बॉडी विमान प्रचालनों की व्यवस्था करने वाले राज्य राजधानियों में स्थिति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (क्रम सं. 9-12)	
9.	कोलकाता

क्र.सं.	हवाई अड्डे
10.	लखनऊ
11.	अहमदाबाद
12.	त्रिवेंद्रम

अन्य स्थानों में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो विमान यातायात व्यवस्था के क्रम में व्यवस्थित हैं (क्रम सं. 13-20)

13.	कोचीन
14.	कलीकट
15.	कोयंबटूर
16.	नागपुर
17.	मंगलोर
18.	त्रिची
19.	वाराणसी
20.	गया

राज्य राजधानियों में स्थित घरेलू हवाई अड्डे जो विमान यातायात व्यवस्था के क्रम में व्यवस्थित हैं (क्रम सं. 21-31)

21.	भुवनेश्वर
22.	रायपुर
23.	अगरतला
24.	रांची
25.	भोपाल
26.	इम्फाल
27.	पटना
28.	देहरादून
29.	लेंगपुई

क्र.सं.	हवाई अड्डे
30.	पुदुचेरी
31.	शिमला

घरेलू हवाई अड्डे जहां आई.एल.एस. कैट-I उपलब्ध है/विमान यातायात व्यवस्था के क्रम में (क्रम सं. 32-45)

32.	इंदौर
33.	मदुरै
34.	वडोदरा
35.	उदयपुर
36.	तिरूपति
37.	औरंगाबाद
38.	डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी
39.	दीमापुर
40.	विजयवाड़ा
41.	राजकोट
42.	भावनगर
43.	ज़बलपुर
44.	खजुराहो
45.	लीलाबाड़ी

घरेलू हवाई अड्डे जहां आई.एल.एस. सुविधा उपलब्ध नहीं है या निकट भविष्य में प्रस्तावित है और इस प्रकार आर.बी.आर. उपकरण की आवश्यकता नहीं है, और यह विमान यातायात व्यवस्था के क्रम में व्यवस्थिति (क्रम सं. 46-53)

46.	पंतनगर
47.	पोरबंदर

क्र.सं.	हवाई अड्डे
48.	बेलगाम
49.	हुबली
50.	सूरत
51.	कांडला
52.	केशोद
53.	कोटा
आई.ए.एल. प्रक्रिया के बिना घरेलू हवाई अड्डे (दृश्य मौसम परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवस्थित विमान यातायात) यातायात व्यवस्था के क्रम में व्यवस्थित (क्रम सं. 54-57)	
54.	कुल्लू मनाली
55.	कांगड़ा धर्मशाला
56.	लुधियाना
57.	मैसूर

परमाणु विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***238. श्री एस. सेम्मलई:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए उपस्कर और सेवाओं की आपूर्ति में निजी क्षेत्र की कितनी भागीदारी है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र ने परमाणु विद्युत उत्पादन में मुख्य भागीदार के रूप में भागीदारी करने के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) देश में नाभिकीय विद्युत उत्पादन के लिए उपस्करों और सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी में पिछले कुछ समय के दौरान काफी वृद्धि हुई है। भारतीय निजी क्षेत्र, कई रिएक्टर संघटकों, उपस्करों तथा प्रणालियों का विनिर्माण करता है, और प्रमुख क्षेत्रों में सेवाओं उपलब्ध कराता है जिसमें, निर्माण कार्य, उपस्करों का संविरचन और उनकी स्थापना, पाइपिंग, वैद्युत, यंत्रीकरण, और परामर्शी, सहायक और संचालन सेवाएं शामिल हैं।

(ख) फेडरेशन ऑफ इंडिया चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफ.आई.सी.सी.आई.) ने असैन्य नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में अपने कार्य दल की रिपोर्ट (2009) में अन्य बातों के साथ-साथ, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में कुछ संशोधनों के बारे में सुझाव दिया था, ताकि नाभिकीय विद्युत उत्पादन के संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक प्रमुख भागीदार के रूप में हो सके।

(ग) फिलहाल, नाभिकीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के मौजूदा उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी। निजी क्षेत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना में, एक जूनियर इक्विटी भागीदार के रूप में प्रतिभागिता कर सकता है।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं पर बकाया राशि

***239. डॉ बलीराम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. का घाटा बढ़ता जा रहा है और उन्हें उपभोक्ताओं से भारी बकाया राशि की वसूली करनी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोनों के लिए पृथक-पृथक, उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली देय राशि और अब तक वसूल की गई राशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली और मुंबई में सरकारी कार्यालयों तथा जन-प्रतिनिधियों पर एम.टी.एन.एल. की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एम.टी.एन.एल. ने बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण उनके टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाने के संबंध में उन्हें नोटिस जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपभोक्ताओं से शेष बकाया राशि की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) को घाटा हुआ है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं पर बकाया राशि तथा इस बकाया राशि में से अब तक वसूल की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

बकाया राशि (करोड़ रु. में)

कंपनी	दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार
बी.एस.एन.एल. (वायरलाइन)	4449	5441	5070	3976
बी.एस.एन.एल. (बेतार)	628	1261	1252	1212
एम.टी.एन.एल. (वायरलाइन)	844	829	776	749
बी.एस.एन.एल. (बेतार)	274	273	279	278

बकाया राशि में से वसूल की गई राशि (करोड़ रु. में)

कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 (31.12.2012 तक)
बी.एस.एन.एल. (वायरलाइन)	1126	1511	1345	1754
बी.एस.एन.एल. (बेतार)	147	441	382	423
एम.टी.एन.एल. (वायरलाइन)	87	45	86	68
बी.एस.एन.एल. (बेतार)	19	10	8	6

(ग) और (घ) एम.टी.एन.एल. की दिल्ली में 14.76 करोड़ रु. और मुंबई 4.24 करोड़ रु. की बकाया राशि है, जो सरकारी अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों से वसूली की जानी है। एम.टी.एन.एल. द्वारा कानूनी कार्रवाई सहित भारतीय टेलीग्राफ नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। नोटिस जारी करने की सामान्य प्रक्रियाविधि भी अपनाई गई है।

(ङ) उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूल करने के लिए बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- उपभोक्ताओं को उनके टेलीफ़ोन कनेक्शन को काटने से पहले भुगतान करने हेतु सहमत करने के लिए इंटरैक्टिव वायस रेसपांस सिस्टम (आई.वी.-आर.एस.) एवं शार्ट मैसेज सर्विस (एस.एम.एस.) के माध्यम से भुगतान अनुस्मारक जारी किए जा रहे हैं।
- पुरानी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए चूककर्ता उपभोक्ताओं को छूट देने के बारे में श्रेणीकृत छूट योजना (ग्रेडेड डिस्काउंट स्कीम) शुरू की गई थी।
- चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली करने हेतु बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन स्कीम भी शुरू की गई है।
- बकाया राशि की वसूली में राज्य सरकार के विभागों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी बी.एस.एन.एल. सर्किलों को कहा गया है।
- स्थाई रूप से बंद कनेक्शनों के संबंध में टेलीफोन बकाया राशि की वसूली के लिए लोक अदालत के माध्यम से चूककर्ताओं के मामलों का निपटारा करने की प्रक्रियाविधि शुरू की गई है।

स्कूलों में सतत् और व्यापक मूल्यांकन

***240. डा. भोला सिंह:**

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूलों में छात्रों के सतत् और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाई गई है/अपनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों से प्रतिक्रिया मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूरे देश में गणित और विज्ञान में कोर पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ग) वर्ष 2000 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से संबद्ध स्कूलों में सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) पद्धति प्रचलन में है। सी.बी.एस.ई. ने 2009 में कक्षा IX और X के स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत् सी.सी.ई. का सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया है। सी.सी.ई. के तहत् किया गया मूल्यांकन शैक्षिक वर्ष 2010-11 से कक्षा X के अंतिम ग्रेडों में जोड़ा जा रहा है। यह परिवर्तन छात्रों का समग्र विकास और परीक्षा संबंधी दबाव कम करने के लिए किया गया है। सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श के बाद सी.सी.ई. और अंतिम रूप दिया गया और इसे कक्षा IX और X में लागू किया गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) की 6 जून, 2012 को हुई इसकी 59वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसरण में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में छात्रों को कक्षा में फेल न करने के प्रावधान के संदर्भ में सी.सी.ई. के मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उप-समिति गठित की गई।

(घ) और (ङ) अगस्त, 2008 में हुई भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् (सी.ओ.बी.एस.ई.) की बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की कॉमन कोर पाठ्यचर्या लागू करने का निर्णय लिया गया। भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् द्वारा विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान) और गणित की ओर पाठ्यचर्चा तैयार की गई और 16-02-2010 को आयोजित बैठक में उपस्थित राज्य शिक्षा बोर्ड सत्र 2011 से अपने संबंधित बोर्डों में इसे लागू करने पर सहमत हुए। 2011-12 से सी.बी.एस.ई. अपने संबद्ध स्कूलों में गणित और विज्ञान की कोर पाठ्यचर्या लागू कर रहा है।

[अनुवाद]

उपग्रहरोधी प्रौद्योगिकी

2531. श्री अनुरोग सिंह ठाकुर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय उपग्रहरोधी प्रौद्योगिकी क्षमताओं की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संदर्भ में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग के पास उपग्रहरोधी प्रौद्योगिकी क्षमताओं के विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के लिए बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग करना है। अत: उपग्रहरोधी प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार नहीं किया जा रहा है।

अनुसंधान और विकास पार्क

2532. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न अनुसंधान पार्क/संस्थान और/या अकादमिक/अन्य विकास क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पार्कों के स्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्रों का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और अन्य द्वारा किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुसंधान के किन-किन क्षेत्रों पर ये केन्द्र मुख्य रूप से कार्य करेंगे;

(ङ) इन केन्द्रों की स्थापना के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है; और

(च) क्या सरकार अनुसंधान और विकास पर हो रहे व्यय को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शोध के लिए 50 केन्द्रों की स्थापना हेतु एक योजना तैयार करने के लिए डॉ. सी.एन.आर. राव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन से डॉ. टी. रामासामी, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक उप समिति ने खुले विज्ञापन की कड़ी और पारदर्शी प्रणाली के पश्चात प्रमुख योजना के कार्यान्वयन के लिए 30 संस्थाओं में से 35 केन्द्रों का चयन किया। तदनुसार, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति ने विस्तृत परियोजना प्रस्तावों (डी.पी.आर.) पर रामासामी समिति द्वारा चयनित संस्थानों के साथ परस्पर विचार-विमर्श आयोजित किए जिसमें (क) उद्योग जगत, समाज और शोध पर मुद्दों पर प्रभाव, (ख) कार्यक्रम में शामिल संकाय/शोध एसोशिएट, (ग) उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) के लिए बजट और (घ) सी.ओ.ई. की अनन्य पहचान पर विशेष ध्यान देते हुए प्रस्तुतीकरण शामिल था और आरंभ में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र में प्रशिक्षण और शोध के लिए 16 केन्द्रों का चयन किया। जबकि चालू वर्ष 2012-13 के दौरान इसके लिए 1.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। वर्ष 2013-14 के लिए 100.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। शोध के क्षेत्रों सहित राज्य/संस्था-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

पूर्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आई.आई.-टी.एम.) शोध पार्क की स्थापना उद्योग जगत के साथ भागीदारी, नवाचार के पोषण और नए उद्यमों की वृद्धि में सहायता और आर्थिक विकास को तेज करने में शोध तथा विकास के संवर्द्धन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई थी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	संस्था	शोध केन्द्र/क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	सिग्नल प्रक्रिया
2.	दिल्ली	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	नैनोस्केल उपस्कर और प्रणालियां
3.	कर्नाटक	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	बायो-मौलीक्यूलर इंटरैक्शन अध्ययन
4.	केरल	बायो इंर्फोमेटिक्स केन्द्र केरियावट्टम कैम्पस, तिरुवनंतपुरम	कम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी
5.		राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट	परिवहन शोध
6.	ओडिशा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	टिशू इंजीनियरिंग
7.	तमिलनाडु	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	परिवहन
8.		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	नॉन इंस्ट्रूसिव डायगोनिस्टक
9.		अमृता विश्वविद्यापीठम विश्वविद्यलय, कोयम्बतूर	उन्नत सामग्री पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां
10.		कोयम्बतूर प्रौद्योगिकी संस्थान, कोयम्बतूर	निर्माता विज्ञान
11.		अन्ना विश्वविद्यलय, चेन्नई	जैव-चिकित्सा अनुप्रयोग
12.		समद्री जीव विज्ञान में प्रोन्नत अध्ययन केन्द्र, अन्नामलाई विश्वविद्यलय	ऊर्जा और पर्यावरण
13.		त्यागराज कॉलेज, मदुरै	जैव संसाधन प्रबंधन
14.	उत्तर प्रदेश	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	उन्नत कम्प्यूटर शोध
15.		संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ	जैव-चिकित्सीय विज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान
16.	पश्चिम बंगाल	भारतीय विज्ञान शिक्षा और शोध संस्थान, कोलकाता	कम्प्यूटेशनल स्पेस सेंटर

अनुसंधान कार्य

2533. **श्री हमदुल्लाह सईदः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों से संबद्ध विद्यार्थियों को ही वैज्ञानिक माना जाता है और कृषि तथा खाद्य प्रौद्योगिकी

जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबद्ध विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नहीं माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्रों के अनुसंधान कार्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें उनके समतुल्य मानने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एम.एस.सी. (प्राकृतिक और वास्तविक विज्ञान), एम.टेक. (इंजीनियरी विज्ञान), पशु चिकित्सा में एम.वी.एस.वी. डिग्री, कृषि में एम.एस.सी. कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक/एम.एस.सी. की डिग्री और फार्मेसी (एम.फार्म) की डिग्री धारक छात्र यदि स्थायी पद पर नियुक्त हैं तो वे वैज्ञानिक माने जाने के पात्र होते हैं। जिन छात्रों ने बेसिक विज्ञान के रूप में वर्गीकृत पंचवर्षीय पाठ्यक्रम (स्नातक और स्नाकोत्तर) तथा जिन छात्रों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में वर्गीकृत स्नातकोत्तर डिग्री + 4 वर्षीय अवर स्नातक डिग्री पूरी की हों, वे भी डॉक्टरेट पूरी करने के पश्चात् वैज्ञानिक माने जाते हैं।

मदरसों का पुनरुद्धार

2534. श्री नारनभाई काछड़िया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मदरसों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित राज्य-वार ऐसे प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधि प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। गुजरात से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 31.1.2013 तक	
		मदरसों की संख्या	राशि	मदरसों की संख्या	राशि	मदरसों की संख्या	राशि	मदरसों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	40	260.00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	-	-	40	260.00	-	-	-	-
3.	बिहार	-	-	-	-	-	-	80	55.54
4.	चण्डीगढ़	1	0.36	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	439	811.67	255	229.7	234	592.78
6.	हरियाणा	-	-	6	37.5	-	-	-	-
7.	जम्मू और कश्मीर	-	-	372	347.87	जारी पिछली राशि का बकाया	538.6	-	-
8.	झारखंड	164	497.18	-	-	-	-	-	-
9.	कर्नाटक	-	-	160	490.17	48	210.58	-	-
10.	केरल	-	-	547	1490.09	-	-	जारी पिछली राशि का बकाया	776.88
11.	मध्य प्रदेश	329	561.35	764	1343.24	1028	1085.53	1667	1794.48
12.	महाराष्ट्र	-	-	11	36.59	34	147.52	11	30.94
13.	राजस्थान	-	-	220	547.46	21	71.95	220	392.66
14.	त्रिपुरा	129	374.18	-	-	-	-	129	199.41
15.	उत्तर प्रदेश	1356	3190.47	1758	3554.55	4539	11175.37	5020	9811.93
16.	उत्तराखंड	-	-	65	188.86	9	34.62	130	432.64

पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास

2535. **श्रीमती मौसम नूर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "पर्यावरण-अनुकूल शहरी विकास" परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) द्वारा स्वीकृत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर योजना, 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में पर्यावरण अनुकूल

विकास का उल्लेख है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सूचित किया है कि वह राजधानी क्षेत्र और काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों (सी.एम.ए.) में बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना लागत के 75% तक ऋण उपलब्ध कराता है। ये परियोजनाएं सहभागी राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती हैं और ऋण सहायता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को प्रस्तुत की जाती हैं। बोर्ड द्वारा वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं में जल क्षेत्र, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, बिजली (पारेषण एवं वितरण), सड़कें, सड़कों पर पुल, मेडिकल कॉलेज, सिंचाई नहरें, तकनीकी संस्थान और भूमि विकास परियोजनाएं आदि शामिल हैं। अपनी स्थापना से लेकर अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 277 बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया है। 31-12-2012 की स्थिति के अनुसार उक्त 277 परियोजनाओं में से 188 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष में कार्य जारी है।

क्षारीय द्वीपसमूह

2536. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई के क्षारीय द्वीपसमूह का उपयोग आवास निर्माण के लिए करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.आर.जेड. विनियम के तहत स्वीकृति ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय अर्हक परीक्षा

2537. **श्री अमरनाथ प्रधान:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय अर्हक परीक्षा को समाप्त करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षकों के हो रहे शोषण को रोकने के लिए केवल केन्द्रीय अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों को नियुक्त करना अनिवार्य बनाने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अपनी अधिसूचना में निजी स्कूल सहित सभी स्कूलों में कक्षा-I-VIII तक के शिक्षक के रूप में पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना एक अनिवार्य अर्हता माना गया। तदनुसार, केवल वे व्यक्ति, जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की है, कक्षा I-VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. फ्लैट्स का घटिया निर्माण

2538. **श्री जगदीश सिंह राणा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने फ्लैटों के निर्माण और अनुरक्षण हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उन मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने उल्लेख किया है कि वह डी.डी.ए. फ्लैटों के निर्माण में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) विनिर्देशनों/मेनुअलों संबंधित भारतीय मानक (आई.एस.) संहिताओं जैसे निर्धारित मानकों का पालन कर रहा है।

(ख) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि मानदण्डों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ग) ड्यूटी पर तैनात डी.डी.ए. फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित मॉनीटरिंग/जांच और सतत् निगरानी के अलावा डी.डी.ए. की गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। डी.डी.ए. की आवासीय स्कीम, 2010 के तहत आबंटित मकानों के लिए 30 वर्षों तक रखरखाव करने का प्रावधान किया गया है।

(घ) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि जब कभी निर्माण और उसके रखरखाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा कमी पाई जाती है तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एयरलाइनों पर बकाया

2539. **श्री रामसिंह राठवा:**
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का अधिकांश निजी एयरलाइनों पर भारी रकम बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चूक अवधि के लिए ब्याज लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाये की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी हां।

(ख) 31.12.2012 तक निजी एयरलाइनों के कुल यातायात तथा गैर यातायात बकाया की राशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार 526.75 करोड़ रु. है:-

गो एयर-	8.55 करोड़ रुपए
इंटर ग्लोब एवेऐशन लिमिटेड-	9.26 करोड़ रुपए
जेट एयरवेज-	82.17 करोड़ रुपए
जेट लाईट-	27.62 करोड़ रुपए
स्पाईसजेट-	58.77 करोड़ रुपए
किंगफिशर एयरलाइन्स लिमिटेड-	295.50 करोड़ रुपए
पैरामाउंट एयरवेज (बंद)-	4.80 करोड़ रुपए
ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स (बंद)-	14.15 करोड़ रुपए
मेस्का को एयरलाइन्स (बंद)-	2.49 करोड़ रुपए
स्काईलाइन एन.ई.पी.सी. दमनीया एयरलाइन्स (बंद)-	1.35 करोड़ रुपए
एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स (बंद)-	3.04 करोड़ रुपए
अन्य -	19.05 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) जी हां। यातायात बकायों के लिए 12% वार्षिक दर से ब्याज वसूला जाता है, तथा गैर यातायात हेतु करार के शर्तों के अनुरूप चूक की अवधि के लिए ब्याज लगाया जाता है जो या तो 18% या 12% वार्षिक हो सकता है।

(ङ) निजी एयरलाइनों की बकाया को नियमित आधार पर मानीटर किया जाता है। विलंब होने की स्थिति में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) एयरलाइनों को बकाया चुकाने के लिए नोटिस जारी करता है। इन बिलों के भुगतान में देरी होने पर जुर्माना ब्याज भी लगाया जाता है। जिन मामलों में, देरी होती रहती है उनमें जमानत जमा के नगदीकरण के साथ, चूक करने वाली एयरलाइनों को कैश एंड कैरी आधार पर रखा जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद

2540. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया सहित मंत्रालय के कुल पदों में से संवर्ग-वार कितने पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं;

(ख) क्या कुल पदों में से आरक्षित पदों की संख्या बैकलॉग नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन पदों के रिक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल पदों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या का संवर्ग वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि जहां तक नागर विमानन मंत्रालय का संबंध है अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से नामांकन के अनुसार भरा जाता है।

(ख) जी हां। आरक्षण नीति पर सरकार द्वारा निर्धारित संगत अनुदेशों का अनुपालन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है।

(ग) पदों का ब्यौरा अनुबंध पर देखा जा सकता है। पवन हंस लिमिटेड (पी.एच.एल.) में भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पद रिक्त रह गये हैं। पी.एच.एल. में खाली पड़ी रिक्तियों को भरने के लिए नई शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पुनर्संरचना तथा उन्हें जे.वी.सी. को सौंपे जाने के फलस्वरूप, बड़ी संख्या में कर्मचारियों (लगभग 4000) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) में वापस किए गए हैं। ए.ए.आई. द्वारा दूसरी इकाईयों में इन अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती किए जाने के फलस्वरूप ए.ए.आई. मानवशक्ति की स्थिति की समीक्षा कर रही है। कुछ विशेष संवर्गों में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। एक बार यह समीक्षा पूर्ण हो जाने पर तथा पदों को विनियोजित कर लिए जाने पर एक अंतिम स्थिति उभरकर सामने आएगी। एअर इंडिया में वित्तीय संकट के कारण 2008 से भर्ती संबंधी सारी कार्रवाई स्थगित कर दी गई हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति की रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती की कार्रवाई पुनर्संरचना प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी प्रारंभ की जाएगी।

(घ) समय-समय पर संबंधित सम्बद्ध कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

आरक्षित पदों का ब्यौरा

संगठन का नाम	संवर्ग स्वीकृत संख्या				के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या अनुसूचित जातियों				अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या				बैकलॉग पदों की संख्या (अनुसूचित जाति)				बैकलॉग पदों की संख्या (अ.ज.ज़ा.)			
	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ
डी.जी.सी.ए.	574	258		269	86	39		40	42	18		19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी.सी.ए.एस.	46	24	85	02	1	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी.आर.एस.	25	30	91	शून्य	शून्य	03	18	शून्य	शून्य	01	05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए.ए.आई.	3272	5225	6133	3396	464	704	724	432	218	338	382	228	0	3	89	08	0	01	90	16
एअर इंडिया लिमिटेड	9569	7151	2588	6140	1618	1239	435	1873	675	501	204	414	48	40	54	03	57	17	23	16
पी.एच.एल.	193	172	134	शून्य	16	24	39	शून्य	5	12	23	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	04	शून्य	शून्य	शून्य
ऐरा	अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही की जाती है, इसलिए आरक्षण नीति लागू नहीं है।																			
इग्रुआ	संगठन में भर्ती और पदोन्नति पर पूर्ण प्रतिबंध है। इग्रुआ एम/एस सी.ए.ई. कनाडा प्रबंधन हवाले अनुसार, संगठन के पुनर्गठन वर्तमान में विचाराधीन है।																			

[अनुवाद]

बी.आर.टी. कोरीडोर

2541. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) कोरीडोर का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बी.आर.टी.एस. कोरीडोर में केन्द्रीय निधि का कितना योगदान है;

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.-आर.आई.) ने बी.आर.टी.एस. कोरीडोर की व्यवहार्यता के संबंध में कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सी.आर.आर.आई. के उक्त अध्ययन में बी.आर.-टी.एस. कोरीडोर में धीमी गति से वाहन चलने के कारण होने वाली ईंधन की क्षति का कोई प्राक्कलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली बी.आर.टी.एस. परियोजना के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई है।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ने बी.आर.टी.एस. कोरीडोर की व्यवहार्यता के संबंध में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.) के माध्यम से कोई अध्ययन नहीं करवाया है।

(घ) से (च) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

नए मोबाइल कनेक्शन के लिए दिशानिर्देश

2542. श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन संबंधी नियम सख्त कर दिए हैं तथा खुदरा विक्रेताओं और अनुज्ञप्तिधारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन नए नियमों और दिशानिर्देशों को जारी करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पुलिस द्वारा उपभोक्ताओं का सत्यापन किया जाना अनिवार्य बना दिया है या बनाने का विचार है तथा सत्यापन शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को करना होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विभिन्न हितधारकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नियम एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर खुदरा विक्रेताओं और अनुज्ञप्तिधारियों पर क्या शास्ति अधिरोपित किए जाने की संभावना है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग ने मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करने के बाद, मोबाइल उपभोक्ताओं की जांच करने के बारे में दिनांक 09.08.2012 के अपने पत्र की मार्फत सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों को संशोधित अनुदेश जारी किए हैं। इन नए अनुदेशों का उद्देश्य ग्राहक जांच अनुपालन में सुधार करना है। इन अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

(एक) ग्राहक अधिप्राप्ति प्रपत्र (सी.ए.एफ.) पर एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगा होना चाहिए और सी.ए.एफ. के साथ में उपभोक्ता की पहचान और उसके पते के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज लगे होने चाहिएँ।

(दो) बिक्रीकर्ता को बिक्री के समय उपभोक्ताओं का दिनांक सहित विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित सी.ए.एफ. (उपभोक्ता के अशिक्षित होने की स्थिति

में उसके अंगूठे का निशान) प्राप्त करना होगा। प्राधिकृत बिक्रीकर्ता को सी.ए.एफ. में यह दर्ज करना होगा कि उसके उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से देखा है और सी.ए.एफ. में लगे हुए फोटो से उसका मिलान कर लिया है तथा सी.ए.एफ. में संलग्न पहचान और घर के पते के साक्ष्यों के रूप में संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों की मूल दस्तावेजों से मिलाकर जांच कर ली है तथा उसके बाद ही सी.ए.एफ. और सभी संलग्न दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

(तीन) ग्राहक द्वारा सी.ए.एफ. के भरे जाने और साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की प्रतियों को लगाए जाने तथा लाइसेंसधारक के उपभोक्ता डाटा बेस में उपभोक्ता का ब्यौरा अद्यतन किए जाने तथा लाइसेंसधारक के कर्मचारी द्वारा उसकी जांच करने की प्रक्रिया के बाद ही मोबाइल कनेक्शन को प्रारंभ किया जाएगा।

(चार) सिम कार्ड को चालू करने के बाद भी लाइसेंसधारक द्वारा उपभोक्ता की टेली-जांच की जानी है।

जहां तक रिटेलरों का संबंध है, वे लाइसेंसधारकों के संविदाकर्ता हैं और ये अनुदेश रिटेलरों पर लागू नहीं होते।

दिनांक 09-08-2012 के विस्तृत अनुदेश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट एच.टी.टी.पी.//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.डीओटी.ओजीवी. इन/एएस/2012/डीओसी 181012 पीडीएफ पर उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समय-समय पर, जारी किए गए अन्य अनुदेशों में उल्लिखित किए गए दंडों के अलावा, इन अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, दंड के निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं:-

(एक) यदि लाइसेंसधारक किसी कनेक्शन के रद्द होने के सात कार्य-दिवसों के अंदर-अंदर इस बारे में टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठ को सूचित करने में असफल रहता है तो उस पर प्रति सप्ताह प्रति कनेक्शन 3000 रु. या उसके किसी अंश का दंड लगाया जाएगा।

(दो) यदि यह पाया जाता है कि सत्यापन/कनेक्शन रद्द किए जाने की तारीख पर या उससे पहले उक्त नंबर वास्तव में रद्द नहीं किया गया था तो इस बारे में लाइसेंसधारक को सूचित किए जाने की तारीख से कनेक्शन को वास्तविक रूप से रद्द किए जाने की तारीख तक नॉन-कनेक्शन के दंड सहित 1000 रु. प्रतिदिन की दर से दंड लगाया जाएगा।

जाली दस्तावेजों संबंधी मामले में बिक्री के स्थल/फ्रेंचाइजी के बारे में, अन्य बातों के साथ-साथ, इन अनुदेशों में निम्नलिखित प्रावधानों को पुनः दोहराया गया है:-

(एक) उपभोक्ता द्वारा जाली दस्तावेज जमा कराए जाने और उसके मूल दस्तावेजों के भी जाली होने की स्थिति में उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध बिक्रीकर्ता (पॉइंट ऑफ सेल)/फ्रेंचाइजी द्वारा पुलिस शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी।

(दो) यदि पी.ओ.एस./फ्रेंचाइजी ऐसे उपभोक्ता के विरुद्ध पुलिस शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज कराने में असफल रहता है तो लाइसेंसधारक उस उपभोक्ता और फ्रेंचाइजी/पी.ओ.एस. के विरुद्ध एफ.आई.आर./पुलिस शिकायत दर्ज कराएगा।

(तीन) पॉइंट ऑफ सेल/फ्रेंचाइजी द्वारा जालसाजी किए जाने की स्थिति में, लाइसेंसधारक उक्त फ्रेंचाइजी/पॉइंट ऑफ सेल के विरुद्ध पुलिस शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज कराएगा और वित्तीय दंड भी लगाएगा।

(चार) यदि लाइसेंसधारक द्वारा उपरोक्त कार्रवाई नहीं की जाती या वह स्वयं ही जालसाजी में लिप्त पाया जाता है तो दूरसंचार विभाग का दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं निगरानी (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठ ऐसे लाइसेंसधारक के विरुद्ध पुलिस शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज कराएगा। ऐसे सभी जालसाजी

वाले मामलों में दंड भी लगाया जाएगा।

(पांच) यदि यह पाया जाता है कि पी.ओ.एस. द्वारा किसी अन्य उपभोक्ता या किसी व्यक्ति के दस्तावेजों का उपयोग करके कनेक्शन जारी करने की कार्रवाई की गई थी या फ्रेंचाइजी/पी.ओ.एस. द्वारा जाली दस्तावेज जारी किए गए थे तो लाइसेंसधारक द्वारा उस पी.ओ.एस./फ्रेंचाइजी के विरुद्ध पुलिस शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज कराने के साथ-साथ, उस फ्रेंचाइजी/पी.ओ.एस. की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। अन्य लाइसेंसधारक भी ऐसे पी.ओ.एस. को नियुक्त नहीं करेंगे/उसकी सेवाओं को समाप्त कर देंगे।

(च) इन नए अनुदेशों में, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए, कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं प्रतीत होता, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो।

[हिन्दी]

परीक्षा की ओपन बुक प्रणाली

2543. श्री राकेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सी.बी.एस.ई. में "परीक्षा की ओपन बुक प्रणाली" शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई प्रणाली में प्रकरण अध्ययन आधारित परीक्षा के समाविष्ट किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे 10वीं, 12वीं और उच्चतर शिक्षा के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों पर दबाव बढ़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) का मार्च, 2014 में कक्षा XI व X के योगात्मक मूल्यांकन-II में परीक्षा की ओपन बुक प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। योगात्मक मूल्यांकन-II का एक घटक छात्रों को पहले से दी गई पाठ्य-सामग्री पर आधारित होगा।

(ग) और (घ) परीक्षा की ओपन बुक प्रणाली कक्षा XI व XII में ओपन केस स्टडी आधारित पहले के रूप में कार्यान्वित की जाएगी। प्रश्नपत्र में केस स्टडी अनुभाग के नाम से अलग अनुभाग होगा जिसमें विषय से संबंधित केस स्टडीज पर आधारित प्रश्नों का सेट होगा।

(ङ) और (च) केस स्टडीज की सामग्री के विषय में स्कूलों को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों एवं अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए निर्देशन सामग्री प्रकाशित करेगा और परीक्षा की तैयारी में उनकी सहायता करेगा। शिक्षकों को भी बहुपद्धतियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्रों पर दबाव बढ़ाने की बजाए, एक ऐसी परीक्षा जिसमें रट कर याद करने की आवश्यकता नहीं है, उन पर दबाव का वर्तमान स्तर कम कर सकती है।

[अनुवाद]

वित्तीय सहायता

2544. डॉ. रत्ना डे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर, केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को इस योजना के उद्देश्य के लिए लगभग 17665 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस सहायता में राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के 7145 करोड़ रु. तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए दिए गए 10520 करोड़ रु. शामिल है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.-जी.एफ.) के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना हेतु 5 वर्षों की अवधि

में 8750 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

हज़ सद्भावना दल

2545. श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हज के दौरान सऊदी अरब हज सद्भावना दल भेजती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय इस परंपरा को समाप्त करने के पक्ष में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) हज-2012 के दौरान माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल ने सऊदी अरब की यात्रा की थी। इस प्रतिनिधिमण्डल का मुख्य प्रयोजन हज के पाक मौके पर सऊदी अरब की सरकार और भारतीय हज यात्रियों को अपनी सद्भावना प्रेषित करना था। यह प्रतिनिधिमण्डल भारतीय हज यात्रियों के साथ बातचीत करता है और सऊदी अरब के प्राधिकारियों के साथ हमारे हज़ यात्रियों के लिए सरोकार वाले मुद्दों को उठाता है। यह प्रतिनिधिमण्डल भारतीय हज मिशन के साथ नियमित बैठकें भी करता है। हज संचालन के संबंध में और आगामी हज यात्रा के दौरान संभावित सुधारों हेतु सिफारिशों पर सरकार की रिपोर्ट सौंपी जाती है।

(ग) और (घ) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 08 मई, 2012 के अपने अंतरिम आदेश के जरिए कहा है कि सद्भावना हज प्रतिनिधिमण्डल भेजने की वर्तमान प्रथा अवश्य समाप्त होनी चाहिए। यदि भारत सरकार हज के अवसर पर सऊदी अरब अधिराज्य को सद्भावना संदेश भेजना ही चाहती है तो वह एक नेता तथा एक उपनेता वहां भेज सकती है।

एअर इंडिया द्वारा हवाई अड्डा प्रभार का भुगतान किया जाना

2546. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बैंगलूरू, मुंबई, कोचीन, दिल्ली और हैदराबाद में निजी हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए एअर इंडिया (ए.आई.) द्वारा कितने वार्षिक प्रभार का भुगतान किया गया/किया जा रहा है;

(ख) क्या एअर इंडिया ने इन हवाई अड्डों के साथ बाध्यकारी समझौते किए थे यद्यपि यह किराये वाले दरवाजों सहित पूरी सेवाओं का उपयोग भी नहीं करता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनावश्यक सुविधाओं को घटाकर अपने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एअर इंडिया द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) एअर इंडिया और निजी हवाई अड्डों के बीच समझौतों पर पुनर्विचार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) बेंगलुरू, मुंबई, कोचीन, दिल्ली तथा हैदराबाद में पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में एअर इंडिया द्वारा निजी हवाई अड्डों के इस्तेमाल के लिए दिया गया/ दिया जा रहा वार्षिक शुल्क का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

हवाई अड्डा	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी तक)
दिल्ली	36.07	44.65	52.67	70.08
मुम्बई	25.57	2.48	28.83	25.33

हवाई अड्डा	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी तक)
बेंगलुरु	12.02	13.37	12.72	12.36
हैदराबाद	3.99	4.16	5.01	3.78
कोचीन	7.75	9.03	9.78	8.23

(ख) प्रापर्टी शुल्क का विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित दर के अनुसार भुगतान किया जाता है तथा इस संबंध में कोई विशेष करार नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त ख के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत सुधार

2547. **श्री प्रहलाद जोशी:**

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत राज्यों तथा यू.एल.बी. द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों के नाम क्या हैं तथा इन सुधारों के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने यू.एल.बी. को 12 अनुसूची के कार्यकलापों को हस्तांतरित नहीं किया है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने यू.एल.बी. हेतु नियमित चुनाव नहीं करवाया है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सार्वजनिक घोषणा कानून तथा समुदाय भागीदारी कानून को अधिनियमित नहीं किया है;

(ङ) क्या सुधारों के कार्यान्वयन में विलंब के बावजूद इन राज्यों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के तहत लगातार धन मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इन राज्य सरकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत सुधारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है। राज्य/शहरी स्थनीय निकायों (यू.एल.बी.) ने समझौता ज्ञापन में अपनी वचनबद्धता के अनुसार कुछ सुधार प्राप्त कर लिए हैं, कुछ सुधार अभी करने हैं अथवा विभिन्न कारणों से जैसे कि संसाधन गहन सुधार होने तथा राज्यों के राजस्व आदि पर प्रभाव पड़ने की वजह से इनके लिए राजनैतिक समर्थन अपेक्षित है, उनके कार्यान्वयन की गति धीमी है।

(ख) से (घ) राज्यों की तिमाही प्रगति रिपोर्टें और सुधार मूल्यांकन एजेंसियों की रिपोर्टों पर आधारित संलग्न विवरण-II पर है।

(ङ) जी हां। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की अगली किस्त का जारी किया जाना 70 प्रतिशत तक अनुदान (केन्द्रीय और राज्य) के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्रों तथा समझौता ज्ञापन में उल्लिखित अनुसार राज्यों और शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति के अध्यधीन है। राज्यों और शहरों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सभी सुधारों को पूरा नहीं करने पर किस्तें जारी नहीं की गई जिसकी वजह से लागत में वृद्धि हुई, ठेका संबंधी दायित्व में जटिलता आई, परियोजना

के कार्यान्वयन का स्तर आदि खराब रहा, इसलिए सरकार ने 01 दिसंबर, 2002 को अनुमोदित किया कि शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) के तहत जिन परियोजनाओं में राज्यों/शहरों द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, उन्हें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, इस सहायता का 10 प्रतिशत हिस्सा रोकने के बाद, जारी की जा सकती है। राज्य शेष धनराशि के लिए अपनी स्वयं की निधियों का उपयोग कर निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं और सुधार पूरे हो जाने पर रोकी गई राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

(च) और (छ) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का 7 वर्ष का सामान्य कार्यकाल 31 मार्च, 2012 को पूरा हो गया है और निर्माणाधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए सरकार ने इसका कार्यकाल 2 वर्ष यानी 31 मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ाया है। राज्य/शहरी स्थानीय निकायों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के बढ़े हुई कार्य काल में लंबित सुधार पूरे करने हैं।

विवरण-I

जे.एन.एन.आर.यू.एम. के अन्तर्गत सुधारों का ब्यौरा

क्र.सं.	सुधार
	शहरी स्थानीय सुधार
1.	ई-शासन स्थापित करना
2.	एक्रुअल आधारित दोहरी प्रवृष्टि लेखांकन प्रणाली अपनाना
3.	सम्पत्ति कर (85% कवरेज)
	सम्पत्ति कर (90% एकत्रीकरण कार्यकुशलता)
4.	100% लागत वसूली (जलापूर्ति)
	100% लागत वसूली (ठोस कचरा)
5.	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं हेतु धनराशि का आन्तरिक निर्धारण
6.	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान
	राज्य स्तरीय सुधार
7.	74वां संविधान संशोधन अधिनियम (12वीं अनुसूची कार्यों का अंतरण)
	74वां संविधान संशोधन अधिनियम (डी.पी.सी. का गठन)
	74वां संविधान संशोधन अधिनियम (एम.पी.सी. का गठन
8.	अंतरण-नगर नियोजना कार्य
	अंतरण-जलापूर्ति और सफाई
9.	किराया नियंत्रण में सुधार
10.	स्टाम्प शुल्क को 5% तक युक्तियुक्त बनाना
11.	यू.एल.सी.आर.ए. का निरसन
12.	सामुदायिक भागीदारी कानून का अधिनियमन
13.	सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून का अधिनियमन
	वैकल्पिक सुधार
14.	शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाणन प्रणाली शुरू करना
15.	भवन उपनियमों का संशोधन-अनुमोदित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना
16.	भवन उपनियमों का संशोधन-वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना
17.	ई.डब्ल्यु.एस./एल.आई.जी. के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं में 25 प्रतिशत विकसित भूमि का निर्धारण
18.	कृषि भूमि को गैर कृषि परियोजनार्थ परिवर्तित करने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे का सरलीकरण

क्र.सं.	सुधार
19.	भूमि और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरू करना
20.	संसाधित जल के पुन: उपयोग संबंधी उपनियम
21.	प्रशासनिक सुधार
22.	संरचनात्मक सुधार
23.	सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन

विवरण-II

राज्यों के क्यू.पी.आर. पर आधारित ब्यौरे और स्पोर्ट्स अपरेजल एजेंसियों की रिपोर्ट

क्र.सं.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम जिन्होंने 12वीं अनुसूची कार्य संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित नहीं किये हैं
1.	अरुणाचल प्रदेश
2.	असम
3.	चंडीगढ़
4.	गोवा
5.	जम्मू और कश्मीर
6.	मणिपुर
7.	मेघालय
8.	मिजोरम
9.	नागालैण्ड
10.	राजस्थान
11.	सिक्किम
12.	उत्तराखण्ड

क्र.सं.	उन राज्यों के नाम जिन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव नहीं कराए हैं
1.	अरुणाचल प्रदेश (अप्रैल, 2013 में आयोजित किये जाने हैं)
2.	असम
3.	मेघालय

क्र.सं.	उन राज्यों के नाम जिन्होंने सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून अधिनियमित नहीं किया है	उन राज्यों के नाम जिन्होंने सामुदायिक भागीदारी कानून अधिनियमित नहीं किया है
1.	चंडीगढ़	अरुणाचल प्रदेश
2.	गोवा	बिहार
3.	मिजोरम	गोवा
4.	-	मेघालय
5.	-	पुदुचेरी
6.	-	पंजाब
7.	-	ओडिशा
8.	-	उत्तराखण्ड

यू.ए.ई. की माफी योजना

2548. **श्री सुरेश अंगड़ी:**

श्री आर. ध्रुवनारायण:

श्री एम. कृष्णास्वामी:

श्री जयराम पांगी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यू.ए.ई. की माफी योजना का लाभ कितने अवैध भारतीय अप्रवासियों ने लिया है; और

(ख) सरकार ने उन भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं तथा उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई/देने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) राजक्षमा स्कीम का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों से 3575 आवेदन भारतीय मिशनों (यू.ए.ई. स्थित) को प्राप्त हुए हैं, जिनमें आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने के वास्ते अनुरोध किया गया है।

(ख) जिन राज्यों से खाड़ी देशों को अधिकतर कामगार उत्प्रवास करते हैं उनकी राज्य सरकारों से, उन जरूरतमंद और पात्र कामगारों के लिए निशुल्क हवाई-टिकटों हेतु प्रावधान करने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें राजक्षमा स्कीम के तहत यू.ए.ई. छोड़ने की अनुमति प्राप्त है।

25 भारतीय नागरिकों ने भारत वापस लौटने के लिए हवाई-टिकटें प्राप्त करने हेतु भारतीय मिशनों से सम्पर्क किया था और उन्हें टिकटें उपलब्ध करवाई गई थी।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने मिशन द्वारा उपगत लागत का वहन करने हेतु उन आवेदकों के लिए प्रति आवेदक 40 ए.ई.डी. मंजूर किए हैं जिन्होंने आपातकालीन प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं और भारतीय समुदाय कल्याण कोष के लिए दिए जाने वाले प्रति आवेदक 10 ए.ई.डी. सर्विस चार्ज (सेवा कर) को हटाया है।

एविएशन टरबाइन फ्यूल

2549. श्रीमती ज्योति धुर्वे:

श्री नारनभाई काछड़िया:

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत एक वर्ष में एविएशन टरबाइन फ्यूल के मूल्य-स्तरों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान मूल्य में सहयोजित वृद्धि या कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वैश्विक जेट फ्यूल के मूल्यों की तुलना में घरेलू मूल्य-स्तरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का घोषित सामग्री श्रेणी में एविएशन टरबाइन फ्यूल को लाने के लिए इस पर बिक्री कर को सरल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नकदी की कमी से जूझ रही विमान कंपनियों पर जेट फ्यूल के मूल्यों के वित्तीय भार को कम करने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) वर्ष 2012 में, एयरलाइनों के घरेलू प्रचालनों के लिए ए.टी.एफ. की कीमतें 61169.08 रु. से 73710.69 रु. प्रति किलो लीटर रहीं जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए ये कीमतें 50501.33 रु. से 55222.55 रु. प्रति किलोलीटर रही हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, ईंधन संकट के वित्तीय भार को कम करने के लिए सरकार ने वास्तविक उपयोग आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में घरेलू वाहकों द्वारा ए.टी.एफ. के सीधे आयात की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

पॉलीटेक्नीक संस्थानों को खोलना

2550. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार कितने पॉलीटेक्नीक संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राज्यों में खोले गये पॉलीटेक्नीक संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) राज्यों में पॉलीटेक्नीक संस्थानों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्यों के कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) क्या सरकार की देश में नये पॉलीटेक्नीक संस्थानों की स्थापना करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) फिलहाल देश में 3479 पॉलीटेक्नीक कार्य कर रहे हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्ष के दौरान देश में खोले गए पॉलीटेक्नीकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) वर्ष 2010 से, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद वार्षिक आधार पर अनुमोदन प्रदान करती है और जो आवेदन अनुमोदित नहीं होते हैं उन्हें उस शैक्षिक वर्ष के लिए रद्द कर दिया जाता है। अत: जो आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं उन्हें आगामी वर्ष के लिए नए सिरे से आवेदन करना होता है, अतएव कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(घ) "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलीटेक्नीकों का उप-मिशन" के तहत भारत सरकार राज्य सरकारों को 300 असेवित/अल्पसेवित जिलों में प्रत्येक में एक पॉलीटेक्नीक की स्थापना की लागतों को वहन करने के लिए प्रति पॉलीटेक्नीक 12.30 करोड़ रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो इस शर्त के अध्यधीन है कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें नि:शुल्क भूमि प्रदान करें, और शत-प्रतिशत आवर्ती व्यय को वहन करें तथा यदि 12.30 करोड़ रुपए से अधिक कोई अनावर्ती व्यय हो तो उसे भी वहन करें। इस योजना के तहत शामिल 300 जिलों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण-III में दिया गया है। साथ ही, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न राज्यों से 275 पॉलीटेक्नीकों से प्राप्त आवेदनों के अनुमोदनार्थ कार्रवाई कर रही है।

विवरण-I

देश में वर्तमान में वर्ष 2012-13 के दौरान संचालित पॉलीटेक्नीकों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पॉलीटेक्नीकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	405
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	9
5.	बिहार	21
6.	चंडीगढ़	5
7.	छत्तीसगढ़	39
8.	दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	1
10.	दिल्ली	17
11.	गोवा	8
12.	गुजरात	115
13.	हरियाणा	213
14.	हिमाचल प्रदेश	35
15.	जम्मू और कश्मीर	14
16.	झारखंड	23
17.	कर्नाटक	334
18.	केरल	66
19.	मध्य प्रदेश	86
20.	महाराष्ट्र	627
21.	मणिपुर	1
22.	मेघालय	3
23.	ओडिशा	104
24.	पुदुचेरी	9
25.	पंजाब	163
26.	राजस्थान	207
27.	सिक्किम	2

1	2	3
28.	तमिलनाडु	475
29.	त्रिपुरा	3
30.	उत्तर प्रदेश	322
31.	उत्तराखंड	79
32.	पश्चिम बंगाल	89
	सकल योग	3479

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राज्यों में खोले गए पॉलीटेक्नीकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	-	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	13	21
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	-	-
4.	असम	0	-	01
5.	बिहार	0	03	03
6.	चंडीगढ़	0	-	-
7.	छत्तीसगढ़	1	03	03
8.	दादरा और नगर हवेली	0	-	-
9.	दमन और दीव	0	-	-
10.	दिल्ली	1	-	-
11.	गोवा	0	-	-
12.	गुजरात	11	05	10
13.	हरियाणा	25	26	12
14.	हिमाचल प्रदेश	0	06	06
15.	जम्मू और कश्मीर	1	03	13
16.	झारखंड	5	-	03
17.	कर्नाटक	3	07	10

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13
18.	केरल	0	03	04
19.	मध्य प्रदेश	11	04	07
20.	मणिपुर	2	-	-
21.	नागालैंड	1	-	-
22.	मेघालय	0	-	-
23.	मिजोरम	0	-	-
24.	महाराष्ट्र	18	35	40
25.	ओडिशा	4	21	14
26.	पुदुचेरी	2	-	-
27.	पंजाब	22	26	10
28.	राजस्थान	97	32	28
29.	सिक्किम	0	-	-
30.	तमिलनाडु	69	40	42
31.	त्रिपुरा	1	1	-
32.	उत्तर प्रदेश	27	62	62
33.	उत्तराखंड	1	05	09
34.	पश्चिम बंगाल	8	07	17
	सकल योग	310	303	315

विवरण-III

योजना के तहत शामिल 300 जिलों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अभिचिन्हित जिलों की संख्या
1.	दिल्ली	05 जिले
2.	हरियाणा	07 जिले
3.	हिमाचल प्रदेश	05 जिले
4.	जम्मू और कश्मीर	18 जिले
5.	पंजाब	07 जिले
6.	राजस्थान	15 जिले

क्र.सं.	राज्य	अभिचिन्हित जिलों की संख्या
7.	उत्तर प्रदेश	41 जिले
8.	उत्तराखंड	01 जिले
9.	आन्ध्र प्रदेश	01 जिले
10.	तमिलनाडु	07 जिले
11.	लक्षद्वीप	01 जिले
12.	दमन और दीव	01 जिले
13.	गुजरात	05 जिले
14.	छत्तीसगढ़	11 जिले
15.	मध्य प्रदेश	21 जिले
16.	महाराष्ट्र	02 जिले
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02 जिले
18.	बिहार	34 जिले
19.	झारखंड	17 जिले
20.	ओडिशा	22 जिले
21.	पश्चिम बंगाल	11 जिले
22.	अरुणाचल प्रदेश	14 जिले
23.	असम	21 जिले
24.	मणिपुर	08 जिले
25.	मेघालय	04 जिले
26.	मिजोरम	06 जिले
27.	नागालैंड	08 जिले
28.	सिक्किम	02 जिले
29.	त्रिपुरा	03 जिले
	कुल	300 जिले

[अनुवाद]

एन.ई.आर. के लिए सामाजिक-आर्थिक योजनाएं

2551. **श्री बदरुद्दीन अजमल:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधियों की अनुमानित धनराशि कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के समग्र समाजार्थिक विकास के लिए लगातार ध्यानकेंद्रण किया गया है, जैसा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न नीतिगत पहलों और विकास कार्यक्रमों/स्कीमों में दर्शाया गया है। राज्य योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) की योजना के अंतर्गत, अंतर्राज्जीय और क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यक्रम/स्कीमें प्रारंभ करने के लिए योजना बजट का कम से कम 10% निर्धारित किया जाना अनिवार्य है। राज्यों की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को शुरू करने के लिए संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) की योजना के अंतर्गत भी निधियां उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% निर्धारित निधि के अव्ययित शेष में से एन.एल.सी.पी.आर. का सृजन किया गया है।

वर्ष 2010-11 और 2012-13 के दौरान विकास स्कीमों/परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए राज्य योजनाओं, एन.ई.सी. और एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत आबंटनों का दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

केन्द्र सरकार इस क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए, समर्पित कार्यक्रमों के अंतर्गत, एन.ई.आर. में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं (सड़क, रेल, विद्युत, विमानपत्तन इत्यादि) का कार्यान्वयन कर रही है। कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं में से कुछेक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

(सिल्चर को जोड़ने वाली), पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर.डी.पी.-एन.ई.), ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग, रेलवे गेज परिवर्तन और लाइन विस्तार कार्यक्रम, प्रमुख जल एवं ताप बिद्युत परियोजनाएं, विमानपत्तन विकास कार्यक्रम इत्यादि हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनके ब्यौरे संबंधित मंत्रालयों में उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13
1.	अरुणाचल प्रदेश	2500.00	3200.00	3535.00
2.	असम	7645.00	9000.00	10500.00
3.	मणिपुर	2600.00	3210.00	3500.00
4.	मेघालय	2230.00	2727.00	3939.00
5.	मिजोरम	1500.00	1700.00	2300.00
6.	नागालैंड	1500.00	1810.00	2300.00
7.	सिक्किम	1175.00	1400.00	1877.00
8.	त्रिपुरा	1860.00	1950.00	2250.00
	कुल	21010.00	24997.00	30201.00

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत वार्षिक योजना 2010-11 से 2012-13 तक के लिए एन.ई.सी. तथा एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्कीम	2010-11	2011-12	2012-13
1.	एन.ई.सी.	700.00	700.00	770.00
2.	एन.एल.सी.पी.आर.	800.00	800.00	880.00
	कुल	1500.00	1500.00	1650.00

शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन

2552. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने पूरे देश में पाठ्यक्रम स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो चिन्हित किये गए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या अमेरिका और अन्य विकसित देशों में पाठ्यक्रमों के स्तर के मूल्यांकन के बिना मान्यता प्रदान नहीं की जाती है जबकि भारत में इस संबंध में बिना किसी मूल्यांकन के मान्यता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने शैक्षणिक अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ पाठ्यक्रमों एवं संस्थाओं का चुनिंदा मूल्यांकन गुणवत्ता सुधार का समाधान नहीं। इसकी अपेक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का अनिवार्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन) विनियम, 2012 नामक विनियम जारी किए हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा प्रत्यायन प्रक्रिया के माध्यम से अकादमिक गुणवत्ता के मूल्यांकन को आवश्यक बनाते हैं।

(ग) और (घ) यह सही है कि अब तक भारत में प्रत्यायन वैकल्पिक था तथा संस्थाएं बिना प्रत्यायन करवाए ही मान्यता/अनुमोदन/संबंधन प्राप्त कर रही थीं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपर्युक्त विनियम जारी किए जाने के बाद, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (अपने अस्तित्व के 6 वर्ष से अधिक पूरे करने वाली) के लिए प्रत्यायन अनिवार्य हो गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने दिनांक 14.02.2013 को आयोजित अपनी बैठक में तकनीकी संस्थाओं के लिए इसी प्रकार के विनियम अनुमोदन किए हैं।

(ङ) XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्र सरकार ने शैक्षिक अवसंरचना के विस्तार पर बल दिया है। योजना अवधि के दौरान 19 नई केन्द्रीय संस्थाओं (राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने सहित) की स्थापना की गई है। आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.), 7 नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई.आई.एम.) तथा 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) वाले जिलों में मॉडल कॉलेज की स्थापना हेतु राज्य विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने की एक स्कीम भी कार्यान्वित की गई थी तथा 45 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई। केन्द्र सरकार ने XIवीं योजना अवधि के दौरान 279 राजकीय पालिटेक्निकों की स्थापना करने हेतु भी राज्यों को सहायता प्रदान की थी। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार लाने के लिए "सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वित की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा की सुलभता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान जारी करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसके द्वारा उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विभिन्न स्कीमों जैसे उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.), उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज (सी.पी.ई.), विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.), मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता इत्यादि का कार्यान्वयन किया जाता है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए निधियां

2553. **श्री प्रदीप कुमार सिंहः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, हां।

(ख) सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रस्तावों का मूल्यांकन और की गई कार्रवाई

क्र.सं.	पी.आई.पी. 2012-13 के एक भाग के रूप में एन.आर.एच.एम. के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास के लिए बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा	इन प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	11 जिला अस्पतालों अर्थात् पश्चिम चंपारन, सीवान, सहरसा, शियोहर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, माधेपुरा, भागलपुर, खगरिया, पूर्णिया और अररिया में 11 रुग्ण नवजात देखभाल इकाइयों के निर्माण हेतु 2.23 करोड़ रु.	अनुमोदित
2.	12 एस.डी.एच., 58 आर.एच. और 115 पी.एच.सी. में सोलर वाटर हीटर प्रणाली की संस्थापना हेतु 71.23 लाख रु.	अनुमोदित
3.	46 स्वास्थ्य सुविधाओं के मान्यकरण/आई.एस.ओ.: 9000 प्रमाणीकरण हेतु 6.00 करोड़ रु.	अनुमोदित
4.	174 प्रसूति स्थलों अर्थात पी.एच.सी., सी.एच.सी., रेफरल अस्पताल और जिला अस्पताल की अवसंरचना के क्रमोन्नयन हेतु 7.66 करोड़ रु.	अनुमोदित
5.	53 नए स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के निर्माण हेतु 8.25 करोड़ रु.	अनुमोदित
6.	13 नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए 9.88 करोड़ रु.	अनुमोदित
7.	9 जिला अस्पतालों के क्रमोन्नयन के लिए 50 लाख रु.	अनुमोदित नहीं किया गया
8.	सिविल कार्यों के लिए अवसंरचना विंग की स्थापना करने हेतु 52.8 लाख रु.	अनुमोदित
9.	7 डी.एच. अर्थात अरवल, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारन और सासाराम के क्रमोन्नयन हेतु 1.30 करोड़ रु.	अनुमोदित
10.	रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज (भागलपुर) के पुनरुद्धार के लिए 15 लाख रु.	अनुमोदित
11.	मौजूदा 27 (21 ए.एन.एम. एवं 6 जी.एन.एम. प्रशिक्षण स्कूलों) प्रशिक्षण संस्थानों/नर्सिंग स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए 10.99 करोड़ रु.	अनुमोदित

1	2	3
12.	5 रेफरल अस्पतालों अर्थात् दुमारिया, तरैया, इस्लामपुर, तरियानी और ताजपुर के पुनरुद्धार के लिए 60 लाख रु.	अनुमोदित
13.	जिला अस्पताल खगरिया के क्रमोन्नयन के लिए 2.23 करोड़ रु.	अनुमोदित
14.	9 जिला अस्पतालों, 9 उप मंडल अस्पतालों और 6 रेफरल अस्पतालों में स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए 39.01 करोड़ रु.	अनुमोदित
15.	पी.एच.सीज में 24 घंटे की सेवाओं के प्रचालन के लिए प्रमुख सिविल कार्यों के लिए 75 लाख रु.	अनुमोदित नहीं किया गया
16.	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में 100 बेड वाला मां और शिशु अस्पताल (एम.सी.एच.) केन्द्र तथा 6 सरकारी मेडीकल कॉलेज अर्थात पी.एम.सी.एच., एन.एम.सी.एच. एस.के.एम.सी.एच., डी.एम.सी.एच., ए.एन.एन.एम.सी.एच., जे.एल.एन.एम.सी.एच. तथा 30 बेड वाला मातृत्व देखभाल वार्ड अर्थात् पी.एच.सी. कटडा (जिला मुजफ्फरपुर), ए.पी.एच.सी. मोहम्मदपुर (मुजफ्फरपुर जिला) और रूनीसैदपुर पी.एच.सी. (जिला सीतामढ़ी) के लिए 10 करोड़ रु.	अनुमोदित
17.	20 ए.एन.एम. और 3 जी.एन.एम. प्रशिक्षण स्कूलों में स्किल लैब की स्थापना हेतु 6.44 करोड़ रु.	अनुमोदित
18.	4 जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. भवन के निर्माण हेतु 93.89 लाख रु.	अनुमोदित

दिल्ली का 3डी मानचित्र

2554. **श्री महाबली सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने 3डी मानचित्र परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के माध्यम से बेहतर शहरी योजना और शासन प्रदान करने का लक्ष्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियां

2555. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में ग्राम शिक्षा समितियों (वी.ई.सी.) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा के सुधार में इनकी भूमिका सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वी.ई.सी. के माध्यम से इस क्षेत्र में जन-भागीदारी को बढ़ाने के लिए जागरूकता और प्रचार-अभियान शुरू करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि उद्दिष्ट की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

(आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के लागू होने से पहले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत ग्राम/स्कूल स्तरीय समितियों का गठन किया गया था। तथापि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्रारंभिक स्कूल के लिए एक स्कूल प्रबंध समिति (एस.एम.सी.) का गठन किया जाएगा।

दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्कूल प्रबंधन समितियों के गठन अधिसूचित कर दिए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत एस.एम.सी. को स्कूल के कार्यकरण की मॉनीटरिंग, स्कूल विकास योजना तैयार करने और उसकी सिफारिश करने तथा स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग करने के कार्य सौंपे गए हैं।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक जिला परिव्यय का 0.5 प्रतिशत समुदाय गतिशीलता के लिए प्रदान किया जाता है जिसमें इस कार्यक्रम का समर्थन और जागरूकता अभियान शामिल है। राज्य इस कार्य के लिए "शिक्षा का हक" अभियान का संचालन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सूचना और संचार तकनीकगत अंतर

2256. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के बीच सूचना और संचार तकनीकगत अंतर (डिजिटल डिवाइड) को पाटने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और गरीब लोगों को वहनीय मूल्य पर पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को वहनीय, अभिगम्य तथा पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना शुरू की। एन.ई.जी.पी. में राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) तथा राज्य डेटा केन्द्र (एस.डी.सी.) के रूप में आधारभूत आई.सी.टी. मूलसंरचना की स्थापना करने, विभिन्न विभागों के 31 मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.) के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराने तथा ई-सेवाओं को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर तथा मानक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के रूप में फ्रंट एण्ड प्रदायगी प्रणाली तैयार की गई है। वर्तमान में किए गए प्रयासों में नागरिकों को सीधे मोबाइल फोन के माध्यम से ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल सेवा प्रदायगी गेटवे की स्थापना करना शामिल है।

(ग) विभाग के ई-अधिगम तथा डिजीटल साक्षरता प्रयासों के माध्यम से डिजीटल साक्षरता को भी बढ़ावा दिया गया है। लोगों को पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उपर्युक्त में बताए गए सामान्य सेवा केन्द्रों (सी.एस.सी.) तथा मोबाइल सेवा प्रदायगी गेटवे के माध्यम से ई-सेवाओं को उनके उपयोग करने के लिए समर्थ बनाया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी दूरसंचार उद्यमों का विलय

2557. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:**

श्री नारनभाई काछड़िया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आर.पी.-एस.ई.) ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड (आई.टी.आई.एल.) के भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) में विलय की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त विलय के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार का सरकारी दूरसंचार उद्यमों, विशेषकर बी.एस.एन.एल. के विनिवेश का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बी.एस.एन.एल. के विस्तार के लिए कितने पूंजी-निवेश की आवश्यकता है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) से (ग) सरकारी उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) ने दिनांक 29.11.2012 को आयोजित की गई अपनी बैठक में दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को समयबद्ध तरीके से इन दोनों निकायों के विलय के लिए कार्ययोजना तैयार करने की सिफारिश की है। बी.आर.पी.एस.ई. ने इन दोनों सरकारी उपक्रमों के बीच प्रचालनात्मक सहयोग के लाभों को बढ़ाने के लिए विलय की सिफारिश की है। इन दोनों सरकारी उपक्रमों की अधिशेष जनशक्ति, वेतनमानों में अंतर, पेंशन देनदारियों और वित्तीय दायित्वों संबंधी मुद्दों की जटिलता को देखते हुए, इनके क्रियान्वयन के लिए किसी निर्धारित समय-सीमा के बारे में सूचित करना कठिन है।

(घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असैन्य परमाणु समझौता

2558. श्री कपिल मुनि करवारिया:

श्री राम सुन्दर दास:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने कितने देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कज़ाकिस्तान के साथ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत को इस समझौते के तहत मध्य-पूर्व के देशों से अपने परमाणु-संयंत्रों हेतु यूरेनियम प्राप्त होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) सरकार ने नौ देशों अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका, रूसी संघ, अर्जेन्टीना, नामीबिया, कनाडा, कजाखस्तान, फ्रांस, कोरिया, गणराज्य और चेक गणराज्य के साथ सिविल परमाणु सहयोग से संबंधित द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) भारत गणराज्य की सरकार और कजाखस्तान गणराज्य की सरकार ने 15.04.2011 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में द्विपक्षीय सहयोग हेतु कानूनी कार्यढांचे की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी, नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानद विश्वविद्यालय का दर्जा

2559. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान देश में और कर्नाटक में राज्य-वार कुल कितने निजी विश्वविद्यालयों ने मानद विश्वविद्यालय दर्जे के लिए आवेदन किया;

(ख) उक्तावधि के दौरान राज्य-वार कितने विश्वविद्यालयों को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) उक्त योजनाओं की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन मानद विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या कर्नाटक और देश में इन विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्तियों और वेतनमान के संबंध में कोई नियमोल्लंघन हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए किसी निजी विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यू.जी.सी. ने किसी निजी विश्वविद्यालय को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए सिफारिश नहीं की है।

(ग) 10वीं योजना के दौरान, विकास एवं गैर-योजना शीर्षों के अंतर्गत, मानद विश्वविद्यालयों को 450.67 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी। इसी प्रकार 11वीं योजना के दौरान इन विश्वविद्यालयों को 977.30 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी।

(घ) और (ङ) निजी तथा मानद विश्वविद्यालय, नियुक्तियों और वेतन ढांचे के संबंध में यू.जी.सी. विनियमों अथवा इन विश्वविद्यालयों पर लागू होने वाले अधिनियमों, सांविधियों एवं अध्यादेशों के अध्यधीन, स्वायत्त हैं।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमान-यातायात

2560. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते हुए विमान यातायात के कारण दिल्ली सहित अन्य अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों पर भारी दबाव रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर और अधिक हवाई पट्टियों के निर्माण/मौजूदा हवाई पट्टियों का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी नहीं। हवाई अड्डे की हवाई पट्टियों (रनवे) पर कोई दबाव नहीं है। तथापि, मुम्बई हवाई अड्डे पर सिंगल रनवे और एक क्रॉसिंग रनवे के कारण रनवे क्षमता संबंधी दिक्कत महसूस की जाती है। चेन्नै, कोलकाता और गोवा हवाई अड्डों पर भी दिक्कतें महसूस की गई हैं।

(ख) और (ग) चेन्नै अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सेकेंडरी रनवे का 1032 मीटर तक विस्तार किया गया है। इसी प्रकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता का 431 मीटर तक विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का चेन्नै और कोलकाता हवाई अड्डों पर समानांतर टैक्सी ट्रैक के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है ताकि प्रचालनिक दक्षताएं बढ़ाई जा सके और मुख्य रनवे पर रनवे अधिभोग समय में कमी लाई जा सके; साथ ही जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बी-747 श्रेणी के विमानों के लिए रनवे को 2797 मीटर से बढ़ाकर 3507 मीटर किए जाने का प्रस्ताव है।

तथापि, सी.एस.आई. हवाई अड्डा, मुंबई का प्रबंधन करने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी, मायल का, भूमि की अनुपलब्धता की वजह से, दूसरे समानांतर रनवे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) इस मुद्दे के समाधान के लिए, सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा नवी मुंबई में और गोवा के निकट मोपा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

[अनुवाद]

शिक्षकों की भर्ती हेतु दिशा-निर्देश

2561. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात बनाए रखने के लिए कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता है;

(ख) राज्यों में शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 जो अप्रैल, 2009 से लागू हुआ, में यह प्रावधान है कि प्रत्येक स्कूल में उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्तर पर छात्र : अध्यापक अनुपात बनाए रखा जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप बनाया गया है, के अन्तर्गत छात्र अध्यापक आनुपातिक मानदण्डों को पूरा करने के लिए अप्रैल, 2010 के बाद 7 लाख से अधिक अतिरिक्त अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) से (घ) शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम की धारा 23 के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) ने 23, अगस्त, 2010 की अपनी अधिसूचना के द्वारा कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं जो प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विद्यालयों, जिनमें राज्य सरकारों के स्कूल भी शामिल हैं, पर लागू हैं। अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि समुचित सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति ही कक्षा I-VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा।

विमानपत्तन प्रवेश परमिट

2562. **श्री पोन्नम प्रभाकर**: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अतिविशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों और दूतावासों के कार्मिकों के लिए स्थायी विमान तल प्रवेश परमिट और अन्य आवश्यक पास जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संसद-सदस्यों को उनके परिवारजनों को भी ऐसे पास जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली को बदलकर इसकी जगह कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. व्यक्तियों और दूतावासों के कार्मिकों को अपेक्षानुसार स्थायी हवाई अड्डा प्रवेश पास (ए.ई.पी.) और अन्य अपेक्षित पास जारी किए जाते हैं। माननीय संसद सदस्यों के लिए एक सहायक के लिए दिल्ली में और एक सहायक के लिए संसद सदस्य के चुनाव क्षेत्र में ए.ई.पी. जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) ए.ई.पी. के संबंध में एक व्यापक नीति निरूपित की गई है, जिस पर इस मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

गरीब परिवारों का पुनर्वास

2563. **श्रीमती दर्शना जरदोश**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के विभिन्न शहरों में रेल-पटरी के समीप रेलवे की जमीन पर रहने वाले गरीब परिवारों के पुनर्वास हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार के समन्वय से इन गरीब परिवारों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) 02.06.2011 को शुरू की गई है। इसके अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उन राज्यों को प्रदान की जाती है जो स्लम वासियों को सम्पत्ति के अधिकार देने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए शहरी गरीबों/स्लम निवासियों को मूलभूत सेवाओं के लिए म्यूनिसिपल बजट का 25 प्रतिशत आरक्षित रखेंगे और शहरी गरीबों के लिए भूमि तथा किफायती आवासों की कमी को पूरा करने के लिए कानून में संशोधन करेंगे और नीति संबंधी परिवर्तन करेंगे। बुनियादी और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा स्व स्थाने स्लम का पुनर्विकास करने के लिए किराए के आवास और

ट्रांजिट आवास सहित आवास की सुविधाओं तथा मकानों के प्रावधानों की 50 प्रतिशत लागत का वहन केन्द्र द्वारा किया जाएगा। तथापि, पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र का अंशदान 90 प्रतिशत होगा, जिसमें भूमि अधिग्रहण, यदि अपेक्षित है, की लागत शामिल है।

राजीव आवास योजना का चरण-I जो कि प्रारंभिक तैयारी का चरण है, जो योजना के अनुमोदन की तारीख से दो वर्षों की अवधि, अर्थात् जून, 2013 तक की अवधि के लिए है, इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि प्रारंभिक तैयारी के क्रियाकलापों और प्रायोगिक परियोजनओं को शुरू किया जा सके।

यह योजना "संपूर्ण शहर" - "सम्पूर्ण स्लम" की अवधारणा को बल देती है। केन्द्रीय सरकार की भूमि के संबंध में ऐसी आशा की जाती है कि संबंधित एजेंसियां राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के समन्वय से कार्य करेंगी और स्लम निवासियों को उचित संपत्ति अधिकार दे कर स्लमों का पुनर्विकास करने/नए स्थानों पर बसाने के लिए उपयुक्त उपाय करेंगी।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को राजीव आवास योजना के अंतर्गत गुजरात के शहरों में रेल पटरियों के निकट रेलवे की भूमि पर रह रहे गरीब परिवारों के पुनर्वासन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, राज्य सरकार से अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने रेल विभाग सहित केन्द्रीय सरकार के भूमि के स्वामित्व वाले मंत्रालयों/विभागों का ध्यान, राजीव आवास योजना के अंतर्गत नवीनतम प्रायोगिक परियोजनाएं बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा परिचालित किए गए दिशा-निर्देशों की ओर आकर्षित किया है जिनका उद्देश्य ऐसे मॉडल बनाना, प्रदर्शित और स्थापित करना है जिन्हें बाद में उन्नत बनाया जा सकता है। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रेल मंत्रालय और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रायोगिक परियोजनाएं भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। केन्द्रीय सरकार की भूमि के स्वामी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे अपने नियंत्रण अधीन संबंधित एजेंसियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे अपनी भूमि पर स्थापित स्लमों का पुनर्विकास करने के लिए नवीनतम प्रायोगिक परियोजनाओं को तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाएं।

विभिन्न श्रेणियों की भूमि पर अवस्थित स्लमों सहित राजीव आवास योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आवास प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। रेलवे की भूमि सहित केन्द्रीय सरकार की भूमि पर स्थित स्लमों के मुद्दे को सचिवों की समिति के साथ उठाया गया था जिसमें भूमि के स्वामी विभिन्न मंत्रालयों नामत: रेलवे, वन, नागर विमानन, रक्षा आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने केन्द्रीय/राज्य सरकारों, भूमि के स्वामी मंत्रालयों/विभागों के साथ अनेक बार विचार-विमर्श किया है ताकि राजीव आवास योजना के अंतर्गत रेलवे की भूमि सहित उनकी भूमि पर स्थित स्लमों का पुनर्विकास/पुन: बसावट करने के लिए नीतिगत उपाय किया जा सके। रक्षा मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच सचिव स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की गई थी। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे राजीव आवास योजना के वर्तमान चरण में स्लम सर्वेक्षण और अन्य प्रारंभिक तैयारी के क्रियाकलाप शुरू करें तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं तैयार करें।

सी.बी.एस.ई. के क्षेत्रीय केन्द्र

2564. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केरल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) का एक क्षेत्रीय कार्यालय और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चिन्हित किए गए स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) का एक

क्षेत्रीय कार्यालय और एक प्रशिक्षण केन्द्र केरल के क्रमश: तिरूवनंतपुरम और कोच्चि में स्थापित करने की योजना है।

दिल्ली हवाई अड्डा

2565. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली का अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व में अत्यधिक महंगे हवाई अड्डों में से एक बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका विमानन उद्योग पर क्या प्रभाव होगा;

(ग) क्या निजीकरण इसका एक प्रमुख कारण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के दस्तावेजों 7100-2011 से विश्वभर के हवाई अड्डों के प्रभारों और आई.जी.आई. हवाई अड्डा, नई दिल्ली के संशोधित प्रभारों के संकलन से, पता चला है कि आई.जी.आई. हवाई अड्डा, नई दिल्ली, लम्बी दूरी के अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए शीर्ष से 7वें, मध्यम दूरी के अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए 6ठें और कम दूरी के अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए 19वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त यात्रियों पर बोझ को कम करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर उगाहे जाने वाले विकास शुल्क को दिनांक 1.1.2013 से 200/- रुपए प्रति से संशोधित करके 100/- रुपए प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री और 1300/- रुपए प्रति यात्री की दर से संशोधित करके 600/- रुपए प्रति प्रस्थानकर्ता अंतरराष्ट्रीय यात्री कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रभारों की दृष्टि से दिल्ली हवाई अड्डे की रैंकिंग में और कमी आएगी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वेतनमान का बकाया

2566. **श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्यरत विश्वविद्यालय तथा कॉलेज-शिक्षकों एवं समतुल्य संवर्गों को छठे वेतन आयोग के बकाया के भुगतान में विद्यमान गतिरोध की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत भाग देने पर सहमत हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों की सरकारों को उसके हिस्से की कोई राशि जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस राशि को राज्य सरकारों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। राज्य सरकारें यह मांग करती रही हैं कि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापकों के वेतन हेतु बकाया के भुगतान की 80% की केन्द्रीय सहायता को सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने की शर्त से अलग किया जाए। इस गतिरोध का समाधान कर लिया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने संबंधी शर्त को बकायों के केन्द्रीय भाग के भुगतान से अलग कर दिया गया है। इस संबंध में, आगे की कार्रवाई करने हेतु सभी राज्य सरकारों के एक पत्र दिनांक 14.08.2012 को भेज दिया गया है, जो मंत्रालय की वेबसाइट http://mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/ReimbursementArrears 1 4082012.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार 1.1.2006 से 31.3.2010 तक की अवधि हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनों के कार्यान्वियन हेतु अध्यापकों को भुगतान किए जाने वाले बकायों का अतिरिक्त 80% वहन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। तथापि, यह राशि राज्यों को केवल प्रतिपूर्ति के रूप में, राज्यों के अध्यापकों को बकायों का भुगतान करने के बाद जारी की जा सकती है।

(ग) और (घ) जी, हां। आज तक, केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 98.22 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की है। हिमाचल प्रदेश के अलावा राजस्थान या किसी राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(ङ) निधियां केवल, सभी शर्तें पूरी करने और राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित सूचना और निर्धारित शपथपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन जारी की जा सकती है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन

2567. **श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कौशल संबंधी रूपरेखा और इसे रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के पुनर्गठन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता अवसंरचना (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) के कार्यान्वयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) ने "व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, समुदाय कॉलेज पाठ्यक्रम और कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को अनुमोदन संबंधी विनियम, 2012" अधिसूचित किए हैं। कौशल अवसंरचना का उद्देश्य शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना है।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार ए.आई.सी.टी.ई. ने इन विनियमों के अंतर्गत 39 एस.के.पी. और 349 व्यावसायिक संस्थाओं को पंजीकृत किया है।

फोन टैप करना

2568. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की टेलीफोन पर होने वाली सारी वार्ताओं तक सीधी पहुंच है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो टेलीफोन पर होने वाली वार्ता में अंत-क्षेप करने के संबंध में दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-कानूनी फोन-टेपिंग के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा व्यक्तियों की निजता के अधिकार के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) टेलीफोन पर होने वाले वार्तालाप के विधि सम्मत अंतरावरोधन एवं अनुश्रवण का अभिशासन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के उपबंधों द्वारा किया जाता है और इन्हें भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 419क के द्वारा निर्देशित किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 26 के अंतर्गत गैर-कानूनी अंतरावरोधन एक दंडनीय अपराध है, और इसके लिए एक अवधि जिसे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, के कारावास या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान किया गया है।

सामुदायिक भागीदारी हेतु योजनाएं

2569. **श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन क्षेत्रों, जहाँ परमाणु विद्युत संयंत्र का प्रस्ताव किया जा रहा है, में इस हेतु सामुदायिक भागीदारी की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हाँ।

(ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के आस-पास कल्याण कार्य,

और नई परियोजनाओं के स्थलों पर पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना संबंधी कार्य हाथ में लिए हैं। इन कार्यों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में पहल करना, और आधारभूत ढांचे में उदाहरणार्थ पेयजल संबंधी स्कीमों, गाँव तक पहुंचने वाली सड़कों आदि में सुधार किया जाना शामिल है। स्थानीय लोगों के कौशल के विकास के लिए दर्जीगिरी, सिलाई, कम्प्यूटर शिक्षा आदि के संबंध में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

नवीनतम विशेषताओं वाली ब्रॉडबैंड-सेवा

2570. श्री एम. कृष्णास्वामी:

श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार कंपनियां एशिया प्रशान्त महासागर क्षेत्र में स्मार्ट फोन, लैपटॉप और टेबलेट कम्प्यूटरों सहित उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई ब्रॉडबैण्ड सेवाओं के क्षेत्र में कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार कंपनियां, देश की नीति के अनुसार और अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनियों के निम्नलिखित संयुक्त उद्यम हैं:

(एक) भारतीय कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी-यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड, नेपाल, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा एक स्थानीय नेपाली कंपनी।

(दो) महानगर टेलीफोन मारीशस लिमिटेड, मारीशस, एम.टी.एन.एल. की 100% सहायक कंपनी।

(तीन) बांग्लादेश और श्रीलंका में भारती एयरटेल का संयुक्त उद्यम।

समुद्र के अध्ययन के लिए 'सरल'

2571. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने समुद्रविज्ञानी उपग्रह 'सरल' का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। अर्गोस और अल्टिका युक्त उपग्रह (सरल) को भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) सी-20 में रख कर 25 फरवरी, 2013 को 18:01 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एस.डी.एस.सी.), श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।

(ख) सरल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सी.एन.ई.एस.के. संयुक्त प्रयास से विकसित एक समुद्रविज्ञानी उपग्रह है। 407 कि.ग्रा. वजन वाला यह उपग्रह समुद्री सतह की स्थलाकृति के अध्ययन हेतु अल्टिका (एक के.ए. बैंड तुंगतामापी), एक आंकड़ा संग्रहण प्लेटफार्म अर्गोस और एस.डी.एस.सी., शार में भू राडारों के अंशांकन के लिए उपयोग में आने वाला एक ठोसावस्था सी-बैंड ट्रांसपोंडर (एस.सी.बी.टी.) नामक तीन नीतभार अपने साथ ले गया हे। उपग्रह का निर्माण इसरो ने किया है जबकि सी.एन.ई.एस. ने अर्गोस और अल्टिका जैसे नीतभारों का निर्माण करके अपना योगदान दिया है।

सरल उपग्रह का मुख्य उद्देश्य समुद्री मौसमविज्ञानी तथा सागर की स्थिति का पूर्वानुमान, जलवायु मानीटरन, महाद्विपीय हिम अध्ययन, पर्यावरणीय मानीटरन, जैवविविधता की संरक्षा और समुद्री सुरक्षा में सुधार जैसे उपयोगों के लिए एक संयुक्त भारत-फ्रांसीसी समुद्रविज्ञानी उपग्रह का विकास और प्रमोचन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में अनियमितताएं

2572. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के संचालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) पर कदाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जून, 2012 में आयोजित हुई राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के अनंतिम अर्हक मानदंड के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों को शिकायतें रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसने जून, 2012 में आयोजित हुई यू.जी.सी.-नेट के लिए अधिसूचना में अभ्यर्थियों को सूचित किया था कि अभ्यर्थियों द्वारा नीचे दिए गए अनुसार प्रश्न पत्र-I, प्रश्न पत्र-II और प्रश्न पत्र-III में पृथक-पृथक रूप से न्यूनतम अंक प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे:-

श्रेणी	प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक (प्रतिशत)		
	प्रश्न पत्र-I	प्रश्न पत्र-II	प्रश्न पत्र-III
सामान्य	40(40%)	40(40%)	75(50%)
अन्य पिछड़ा वर्ग	35(35%)	35(35%)	67.5(45%) लगभग 68
अनु. जाति/अनु. जनजाति/नि:शक्त व्यक्ति	35(35%)	35(35%)	60(40%)

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि परिणाम की अंतिम तैयारी के लिए 'केवल ऐसे अभ्यर्थियों' पर विचार किया जाएगा जो यथा उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार, प्रत्येक प्रश्न-पत्र में पृथक रूप से न्यूनतम अपेक्षित अंक प्राप्त करते हैं। तथापि, परिणाम घोषित करने से पूर्व जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जे.आर.एफ.) और लेक्चरशिप के लिए पात्रता हेतु अंतिम अर्हक मानदंडों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया है कि परीक्षा होने के पश्चात् अंतिम अर्हक मानदंड को निर्धारित करने के लिए शिकायतें प्राप्त की गई थीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिकायतों कीजांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी और उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर इसने दिनांक - 12.11.2012 को एक अनुपूरक परिणाम घोषित किया, जो दिनांक 18.09.2012 के पिछले परिणाम में योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के अतिरिक्त था। कुछ अभ्यर्थियों ने यह अभिव्यक्त करते हुए, उच्च न्यायालयों में मामले दायर कर दिए हैं, कि नेट के लिए अंतिम अर्हक मानदंड परिवर्तित हो गया है। और यह मामला निर्णयाधीन है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी सूचित किया है कि इसे, दिसम्बर, 2012 को हुई यू.जी.सी.-नेट परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की जांच में धोखेबाजी के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। तथापि, शिकायत की जांच करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाया है कि यह शिकायत दिनांक 23.12.2012 को हुई नेट परीक्षा से संबंधित है, जिसका संचालन, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया था।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव

2573. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) आज की तारीख तक कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कैरिज वे का निर्माण

2574. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने अलीपुर-नरेला सड़क और पश्चिमी यमुना नहर के बीच कैरिज वे के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यस्थल से अतिक्रमण हटा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि दिल्ली करनाल रेलवे लाईन से सान्नोथ तक शहरी विस्तार सड़क सं. 1 यू.ई.आर.-I नामक 80 मार्गाधिकार (आर.ओ.-डब्ल्यू.) वाली प्रस्तावित सड़क का सेन्ट्रल वर्ज के दोनों तरफ 7.32 मीटर कैरेज वे समेत निर्माण किया जाना है।

डी.डी.ए. द्वारा सान्नोथ से पश्चिमी यमुना नहर तक की सड़क पर अभी कार्य शुरू किया जाना है।

(ग) और (घ) डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि इस भूमि पर सान्नोथ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को छोड़कर कोई अतिक्रमण नहीं है। जो इस सड़क के एलाइनमेन्ट पर है और विद्यालय भवन के नए भवन में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है जिसका डी.डी.ए. द्वारा आबंटित वैकल्पिक स्थल पर निर्माण किया जा रहा है।

स्पेक्ट्रम को छोड़ना

2575. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र बलों के अधिकार वाले स्पेक्ट्रम को छोड़ने तथा इसकी नीलामी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सशस्त्र बलों द्वारा स्पेक्ट्रम को छोड़ देना सुनिश्चित करने के लिए देश में उनके लिए वैकल्पिक नेटवर्क की स्थापना करने में असाधारण विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.-एन.एल.) द्वारा विलंब किये जाने को ध्यान में रखकर दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) ने प्रस्तावित कार्य के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना करने हेतु कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाया है/उठा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय (डी.ओ.टी.) के मध्य दिनांक 22 मई, 2009 को संपन्न किए गए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने 2जी के लिए (10+10) मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और 3जी के लिए 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जारी किया है। 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी वर्ष 2010 में पहले ही पूरी कर ली गई है। 2जी स्पेक्ट्रम को नीलामी नवंबर, 2012 में की गई थी तथा 2जी स्पेक्ट्रम की और नीलामी मार्च, 2013 में किए जाने की योजना बनाई गई है।

(ख) से (ङ) अवसंरचना से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.आई.) ने दिनांक 3 दिसंबर, 2009 को आयोजित की गई अपनी बैठक में निम्नलिखित का अनुमोदन किया है:

(एक) स्पेक्ट्रम जारी करने के लिए रक्षा सेवाओं हेतु अनन्य, समर्पित ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.-सी.) आधारित संचार की व्यवस्था करना।

(दो) 36 माह की अवधि में रक्षा सेवाओं के लिए वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाने हेतु 9175.16 करोड़ रु. (वायु सेना के लिए 1077.16 करोड़ रु. और थल सेना तथा नौसेना के लिए 8098.00 करोड़ रु.) का वित्तीय अनुमोदन और दूरसंचार विभाग के बजट में इसकी बजट व्यवस्था का अनुमोदन करना।

(तीन) इस परियोजना की अवधि के दौरान सृजित की गई परिसंपत्तियां दूरसंचार विभाग की होगी और इस परियोजना को पूरा किए जाने के बाद ये परिसंपत्तियां लेखा अंतरण के रूप में रखा मंत्रालय को अंतरित की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त अवसंरचना से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने 36 माह की अवधि में वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाने के लिए स्वयं द्वारा दिनांक 3.12.2009 को पहले से ही अनुमोदित किए गए 8098 करोड़ रु. के अतिरिक्त, दिनांक 3 जुलाई, 2012 को आयोजित की गई अपनी बैठक में 5236 करोड़ रु. का वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया है।

फर्जी नामांकन

2576. श्री नवीन जिन्दल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में सरकारी विद्यालयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का फर्जी नामांकन किए जाने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार ऐसे कितने मामलों की खबर मिली है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वाउचर, सीधे नकद-राशि का हस्तांतरण आदि जैसे उपायों सहित शिक्षा के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में फर्जी नामांकन को रोकने तथा विद्यमान फर्जी नामांकनों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने पिछले 3 वर्ष में सरकारी स्कूलों में जाली नामांकन की सूचना नहीं दी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है, जिसके लिए मानदंड और मानक भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(ङ) आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के अनुसार प्रत्येक स्कूल की एक स्कूल प्रबंध समिति है, जिसके 75 प्रतिशत सदस्य माता-पिता हैं। अभिभावकों और समुदाय की अधिक भागीदारी से स्कूल के कार्यकरण में सुधार होने और अधिक पारदर्शिता और जनता द्वारा संवीक्षा लागू होने की आशा है।

हवाई अड्डों पर अग्नि-दुर्घटनाएं

2577. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे की एक विमानशाला में हाल में भीषण अग्नि-दुर्घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के अन्य हवाई अड्डों पर ऐसी दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में हवाई अड्डों पर ऐसी अग्नि-दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी हां।

(ख) दिनांक 17.12.12 को भारतीय मानक समय अनुसार लगभग 2315 बजे (रात्रि 11.15 बजे) हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे के परिसर में स्थित हैंगर नं. 3 में भीषण

आग लग गई थी। कुल मिलाकर सात विमान नष्ट हो गए जिनमें आन्ध्र प्रदेश सरकार का एक हेलीकॉप्टर ऑगस्ता 139 और आन्ध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी के छह प्रशिक्षण विमान (04 उड़नयोग्य और 02 गैर-उड़नयोग्य) शामिल थे। आन्ध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी द्वारा दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, कुल वित्तीय हानि आन्ध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश एविएशन कॉरपोरेशन लि., आन्ध्र प्रदेश सरकार के लिए 63 करोड़ रुपए और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए 3 करोड़ रुपए बनती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी घटना की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

(घ) हवाई अड्डों के हैंगरों सहित हवाई अड्डा अवसंरचना के संबंध में अग्नि निवारण और इनकी सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित अनुदेश वर्ष 2012 के अग्नि आदेश संख्या 5 द्वारा सभी हवाई अडडों को जारी किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अनुदेश इस प्रकार हैं:

- फायर, सिविल और इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग विभागों के कार्यपालकों के एक दल द्वारा संयुक्त मासिक निरीक्षण।
- ए.एच.यू. में फायर डैंपरों की कार्यप्रणाली की जांच, अर्थात् ब्लोअर मोटर से परीक्षण और इंटर-लॉकिंग।
- संबंधित हवाई अड्डों के प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्नि-शमन सुविधाओं, जैसे जलापूर्ति के स्रोत, जल भंडारण टंकी की क्षमता, हाईड्रैंट/वैट राइजर/स्प्रिंकलर सिस्टम की पर्याप्तता/संवर्धन का आकलन करने के लिए, प्रतिवर्ष गहन सर्वेक्षण किया जाता है।
- अग्नि शमन के लिए या प्रभावी अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फायर डिरेकशन/एलार्म सिस्टम, फर्स्ट एवं फायर फाइरिंग एप्लायंस या कोई अन्य अग्नि शाम उपस्कर/सहायक उपकरण।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विस्तार

2578. श्री रवनीत सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सुधार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी मजबूती से विश्व-बिरादरी के सामने रखने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की भारत की कितनी संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार के मुद्दे पर अंतर सरकारी वार्ताओं में चर्चा की जा रही है जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा में मार्च, 2009 में प्रारंभ हुआ, जिसके पीछे मुख्यत: भारत तथा अन्य समान विचारधारा वाले देशों का प्रयास था। दिसम्बर, 2009 में इस बातचीत को पाठ आधारित बातचीत में स्तरोन्नत करने हेतु समर्थन जुटाने में हम कामयाब रहे। अब तक अंतर सरकारी बातचीत के 8 दौर संपन्न हो चुके हैं। इन बैठकों में बड़ी संख्या में सदस्य राष्ट्रों ने स्थायी तथा अस्थायी श्रेणियों की सदस्यता में विस्तार पर आधारित एक सुधार मॉडल के पक्ष में अपने अभिमत व्यक्त किए हैं। उम्मीद है कि अंतर-सरकारी वार्ता के अध्यक्ष द्वारा शीघ्र ही अगले दौर की बैठक बुलाई जाएगी।

(ख) हम अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के दोनों श्रेणियों की सदस्यता का विस्तार करने और साथ ही इस विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु हमारी उम्मीदवारी हेतु संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच समर्थन जुटाने के बाबत कार्य करते रहे हैं। इन प्रयासों के एक भाग के रूप में भाग, ब्राजील, जर्मनी तथा जापान भाग के साथ-साथ जी-4 का एक सदस्य है। भारत सुधार समर्थक विकासशील देशों के एल-69 समूह का भी एक सदस्य है जो अफ्रीकी संघ, कैरेबियन समुदाय और अन्यों के साथ भी सम्बद्ध है जिसका उद्देश्य परिषद के शीघ्र सुधार हेतु सक्रियता से प्रयास करना है।

(ग) सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से यू.के., फ्रांस, यू.एस.ए. तथा रूस ने विस्तारित परिषद ने सर्वोच्च

स्तर पर स्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। जहाँ तक चीन का संबंध है, सर्वोच्च स्तर पर भारत के साथ जारी संयुक्त वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि चीनी पक्ष सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ी भूमिका निभाने हेतु भारत की आकांक्षाओं को समझता है तथा इसका समर्थन करता है।

(घ) बड़ी संख्या में देशों ने परिषद में सुधार हेतु भारतीय पहल का समर्थन किया है और साथ ही स्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी का अनुसमर्थन भी किया है। इस भावना को विभिन्न स्वरूपों में एवं मंचों पर व्यक्त किया गया है जिनमें भारत सरकार के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं भी शामिल हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के कार्य-निष्पादन ने स्थायी सदस्यता हेतु उसके दावेदारी को उल्लेखनीय मजबूती प्रदान की है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षा परिषद विस्तार के स्वरूप एवं आकार पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच आपसी सहमति का होना एक पूर्व शर्त है। तदनुसार, भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी श्रेणियों की सदस्यता का विस्तार एवं तत्काल सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का समर्थन जुटाने के बाबत सक्रिय प्रयास करता रहा है।

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की साझेदारी

2579. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा देशभर में अन्य निजी दूरसंचार सेवाप्रदाताओं को उपलब्ध कराई गई अवसंरचनात्मक सेवाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) अवसंरचनात्मक सेवाओं का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों द्वारा देय प्रभार/शुल्क का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार निजी दूरसंचार कंपनियों पर बकाया राशि का सेवाप्रदाता-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त बकायों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. अपनी निष्क्रिय अवसंरचना सेवाएं अन्य प्राइवेट दूरसंचार प्रदाताओं को प्रदान करते हैं।

(ख) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. से इस प्रकार की अवसंरचना सेवा का लाभ उठाने के लिए प्राइवेट दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रभार/शुल्क स्थान-दर-स्थान के आधार पर और सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा विभिन्न प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के साथ सम्पन्न किए गए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)/करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की बकाया/शेष राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. अपनी बकाया राशि को वसूल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर इनसे संबंधित मामलों को उठाते हैं।

विवरण

अवसंरचना स्थलों को किराए पर लेने के लिए प्राइवेट दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की बकाया राशि/शेष राशि का ब्यौरा

प्राइवेट दूरसंचार सेवा प्रदाता	बी.एस.एन.एल. की (दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार) बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	एम.टी.एन.एल. की (दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार) बकाया राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
भारती एयरटेल	7.97	0.37

1	2	3
एयरसेल	5.18	-
आईडिया	4.88	-
टी.टी.एस.एल.	3.63	0.21
रिलायंस	3.34	4.40
वोडाफोन	2.43	4.35
वीडियोकोन	1.40	0.17
डाटाकॉम	1.31	-
एम.टी.एस.	0.11	-
यूनिनॉर	0.09	-
बी.पी.एल.	-	8.06
ए.टी.सलेट	-	0.16

[हिन्दी]

कॉलेजों/संस्थानों की संबद्धता

2580. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में कॉलेजों/संस्थानों की संबद्धता हेतु निर्धारित मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालय स्वयं से अनेक कॉलेजों के संबद्ध होने के कारण अतिभारित हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार प्रत्येक विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की संख्या घटाने हेतु क्या कदम उठा रही है;

(ङ) ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोन्नत होने पर इनसे संबद्ध संस्थानों की स्थिति क्या होगी;

(च) क्या सरकार ने हाल में संबद्धता हेतु विनिर्धारित मानकों की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने कॉलेजों की संबद्धता (विश्वविद्यालयों द्वारा) विनियम, 2009 अधिसूचित किए हैं, जो वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/oldpdf/regulations/gazetteofIndia24-04-12pdf पर उपलब्ध है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार बिहार में विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों/संस्थाओं की कुल संख्या 706 है।

(ग) जी, हां। कई राज्य विश्वविद्यालयों में संबद्ध कॉलेजों की संख्या 100 से अधिक है, जिससे विश्वविद्यालयों के शिक्षण, अधिगम एवं परीक्षा अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव होता है।

(घ) उपर्युक्त विनियम जारी करने के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले कॉलेजों को स्वायत्त कॉलेज घोषित करने की एक स्कीम का भी कार्यान्वयन करता है, जिससे संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों पर दबाव कम होता है। तथापि, नए संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों का सृजन करना तथा मौजूदा कॉलेजों की विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है।

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुसार तीन राज्य विश्वविद्यालयों नामतः गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (बिलासपुर), डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय (सागर) तथा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (श्रीनगर) की स्थापना उनके अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव किए बिना उसी नाम से इस अधिनियम के अन्तर्गत निकाय कॉरपोरेट के रूप में की गई थी। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4(च) में विशेष तौर पर राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किए जाने के बाद भी संबंधित विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की संबद्धता का संरक्षण किया गया है।

(च) और (छ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यू.जी.सी. (विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों की संबद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 द्वारा वर्ष 2012 में विनियमों को संशोधित किया है। ये विनियम वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/oldpdf/requlations/gazetteofIndia24-04-12pdf पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

'माई स्टाम्प' योजना

2581. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाक विभाग 'इंडिया पोस्ट' का वैयक्तिक छायाचित्रों को 'माई स्टाम्प' योजना के अंतर्गत विधिमान्य डाक टिकट के रूप में बदलने की सुविधा शुरू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक ऐसे कितने डाक-टिकट तैयार/जारी किए गए हैं;

(ग) क्या इस सुविधा को देश में सभी डाकघरों तक विस्तारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाक विभाग द्वारा ज्यादा राजस्व कमाने तथा अपने घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) 'माई स्टाम्प' वर्ष 2011 में दिल्ली में आयोजित विश्व फिलैटली प्रदर्शनी के दौरान प्रारंभ की गई थी। माई स्टाम्प के दो भाग हैं-मूल्य भाग जिसमें सामान्य डाक टिकट होती है और वैयक्तिक भाग जिसमें कि ग्राहक की थंबनेल फोटो, संस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, कलाकृतियों की तस्वीर, धरोहर भवन, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक शहर, वन्य जीवन, पशु और पक्षी इत्यादि हो सकते हैं। केवल वैयक्तिक भाग कानूनी रूप से वैध एक डाक टिकट नहीं है।

(ख) अब तक 12, 17, 496 'माई स्टाम्प' तैयार/जारी किए जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं। उक्त सुविधा डाक सर्किलों के प्रमुखों के निर्णय अनुसार सामान्यतः विशेष अवसरों के दौरान सीमित अवधि के लिए कुछ चयनित डाकघरों से प्रदत्त की जाती है।

(घ) जी, नहीं। यह एक विशेष उत्पाद है जिसके लिए विशेष उपकरणों और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

(ङ) डाक विभाग द्वारा ज्यादा राजस्व कमाने तथा अपने घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(एक) गुणवत्ता मानीटरिंग एवं सुधार

(दो) विपणन एवं टाई अप

(तीन) नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत

(चार) नई एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार।

(पांच) बेहतर सेवा गुणवत्ता और वितरण के लिए क्षमता निर्माण।

विमान कार्गो

2582. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रायपुर हवाई अड्डे सहित देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर विमान कार्गो टर्मिनल की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रायपुर हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल बनाने तथा अतिरिक्त धावन पट्टी/टैक्सी-पथ और ऐप्रन के विस्तार/निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां। 24 हवाई अड्डों को, वहां पर अनावश्यक पड़े यात्री टर्मिनलों में आंशिक आशोधन करके, कार्गो टर्मिनलों की स्थापना के लिए चिन्हित किया गया है। ये हवाई अड्डे हैं : (जम्मू कश्मीर - श्रीनगर), (पंजाब-अमृतसर), (उत्तर प्रदेश-लखनऊ, वाराणसी), (राजस्थान-जयपुर), (गुजरात-अहमदाबाद और सूरत), (तमिलनाडु-चेन्नई, कोयंबटूर, त्रिची और मदुरै), (केरल-त्रिवेंद्रम और कालीकट), (कर्नाटक-मंगलौर), (महाराष्ट्र-पुणे और औरंगाबाद), (आन्ध्र प्रदेश-विजाग), (पश्चिम बंगाल-कोलकाता), (ओडिसा-भुवनेश्वर), (बिहार-गया), (गोवा-गोवा), (झारखंड-रांची), (छत्तीसगढ़-रायपुर) और (असम-गुवाहाटी) हैं। इस संबंध में वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रायपुर हवाई अड्डों का चरणबद्ध तरीके से विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से 2206 एकड़ भूमि (1158 एकड़ भूमि चरण के विकास के लिए और 1048 एकड़ द्वितीय चरण के विकास के लिए) मुहैया कराने का अनुरोध किया है।

विवरण

हवाई अड्डों की स्थिति

क्रम सं.	हवाई अड्डे का नाम	स्थिति
1.	त्रिची	1.12.2011 को चालू
2.	मैंगलोर	मार्च, 2013 में चालू किया जाना है
3.	श्रीनगर, विजाग, अहमदाबाद	निर्माण/आशोधन प्रगति पर है।
4.	लखनऊ, चंडीगढ़, सूरत, पुणे, गोवा, कोयम्बटूर, त्रिवेन्द्रम, गुवाहाटी	कार्गो, संभाव्यता, व्यवहार्यता, अध्ययन पूर्ण
5.	अमृतसर, जयपुर, वाराणसी, औरंगाबाद, कालीकट, मदुरै, चेन्नै, भुवनेश्वर, रांची, गया, रायपुर	कार्गो, संभाव्यता, व्यवहार्यता, अध्ययन अभी किया जाना है।

भारतीय प्रत्यायन बोर्ड

2583. **श्री मानिक टैगोर**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) तकनीकी शिक्षा हेतु एक नए अभिकरण भारतीय प्रत्यायन बोर्ड (आई.बी.ए.) की स्थापना की स्थापना करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आई.बी.ए. की स्थापना के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) आई.बी.ए. को कब तक प्रचालित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने 30-10-2012 को आयोजित अपनी 30वीं परिषद बैठक में तकनीकी शिक्षा के लिए भारतीय प्रत्यायन बोर्ड (आई.बी.ए.) गठित करने का संकल्प लिया।

(ख) भारतीय प्रत्यायन बोर्ड (आई.बी.ए.) के प्रस्तावित उद्देश्य तकनीकी संस्थाओं और/अथवा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं अथवा उनकी एक अथवा अधिक इकाइयों अर्थात विभागों, संस्थाओं, कार्यक्रमों इत्यादि का मूल्यांकन करना और प्रत्यायित करना है।

(ग) फिलहाल इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्रसंघ का सैन्य पर्यवेक्षक दल

2584. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्रसंघ का सैन्य पर्यवेक्षक दल (यू.एन.एम.ओ.जी.आई.पी.) नियंत्रण-रेखा (लाइन ऑफ कंट्रोल) का सम्मान बनाए रखने में विफल साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले ढाई दशकों से ज्यादा समय से यू.एन.एम.ओ.जी.आई.पी. ने नियंत्रण-रेखा के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यू.एन.एम.ओ.जी.आई.पी. ने युद्धविराम के उल्लंघन की घटनाओं की कोई भर्त्सना नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) भारत तथा पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यू.एन.एम.ओ.जी.आई.पी.) का गठन यू.एन. सुरक्षा परिषद के एक संकल्प के तहत किया गया था और इसका कार्य जुलाई, 1949 के कराची करार के तहत जम्मू व कश्मीर में बनाई गई युद्धविराम रेखा का पर्यवेक्षण करना था। भारत तथा पाकिस्तान के बीच वर्ष 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात, दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों का निपटारा करने का संकल्प किया है। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि 17 दिसंबर, 1971 को हुए युद्धविराम से बनी नियंत्रण रेखा का दोनों पक्षों द्वारा सम्मान किया जाएगा और यह कि दोनों में से कोई भी पक्ष आपसी मतभेदों तथा कानूनी व्याख्याओं के बावजूद, इसमें एकपक्षीय बदलाव का प्रयास नहीं करेगा। भारत सरकार का यह विचार है कि शिमला समझौते तथा इसके परिणामस्वरूप स्थापित नियंत्रण रेखा से यू.एन.एम.ओ.-जी.आई.पी. की भूमिका समाप्त हो गई है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

2585. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दलित, जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदायों आदि के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ योजना (डी.बी.एस.) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) डी.बी.एस. योजना के शुरू होने के बाद से अब तक इसके तहत विभिन्न राज्यों में वर्ष-वार कुल कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई है तथा कुल लाभार्थियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और

(ग) प्रत्यक्ष लाभ योजना के लाभार्थियों का सही ब्यौरा रखने के लिए सरकार ने अन्य मंत्रालयों के समन्वय से क्या तंत्र विकसित किया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 43 जिलों में तथा 26 चिन्हित स्कीमों में 01 जनवरी, 2013 से प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें छात्रवृत्तियां, पात्रताएं तथा अन्य लाभ शामिल हैं। दलितों, जनजातीय तथा अल्पसंख्यक समुदायों आदि के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति स्कीमें निम्नानुसार चलाई जा रही हैं-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्कीम का नाम
1.	सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
		अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीमें
		अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
		उच्चस्तरीय शिक्षा स्कीम
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रों को छात्रवृत्ति
		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैलोशिप स्कीमें
		ए.आई.सी.टी.ई. की फैलोशिप स्कीमें
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम
		उच्चस्तरीय शिक्षा प्रणाली
		राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप
4.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम
		मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप
		योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति स्कीम
5.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

(ख) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम शुरू किए जाने के पहले ही, लाभार्थियों को काफी छात्रवृत्तियां जारी की जा चुकी थीं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रारम्भ (1.1.2013) से, उच्च शिक्षा के लिए दी गई छात्रवृत्ति राशि का स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत चिन्हित कुछेक स्कीमों से लाभान्वित हुए लोगों की कुल संख्या नीचे दर्शाई गई है:

मंत्रालय का नाम	स्कीम का नाम	लाभान्वित हुए लाभार्थियों की कुल संख्या
मानव संसाधन विकास मंत्रालय-उच्च शिक्षा	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति	29571
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैलोशिप स्कीमें	2477
जनजातीय कार्य मंत्रालय	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	22588
	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा	13
	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप	22588
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति स्कीम	38
	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	297
	कुल	55,068

(ग) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) को प्रारम्भ किए जाने से जुड़े ब्यौरे के रखरखाव के प्रयोजन से, एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉनीटरण तथा सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) सृजित की गई है। संबंधित मंत्रालयों से अपेक्षित है कि वे जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को शुरू किए जाने की स्थिति संबंधी ब्यौरा संग्रहित और सत्यापित कर डी.बी.टी. एम.आई.एस. प्रणाली पर अपलोड कर दें तथा लाभार्थियों का कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस विभागीय स्तर पर रखें।

विवरण

डी.बी.टी. के अंतर्गत उच्च शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति स्कीमों के लिए 1 जनवरी, 2013 से 4 मार्च, 2013 की अवधि के लिए स्कीमवार विस्तृत रिपोर्ट

स्कीम/राज्य का नाम	निवल राशि (रु.)
यू.जी.सी. की फैलोशिप स्कीम	17,84,000.00
पुदुचेरी	17,84,000.00

स्कीम/राज्य का नाम	निवल राशि (रु.)
अल्पसंख्यकों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति	60,147.00
चण्डीगढ़	147.00
राजस्थान	60,000.00
ओ.बी.सी. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1,31,53,813.00
दिल्ली	274,240.00
हरियाणा	3424,945.00
मध्य प्रदेश	51,19,429.00
महाराष्ट्र	41,43,199.00
पुदुचेरी	1,92,000.00
अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	7,11,84,775.00
आन्ध्र प्रदेश	35,454.00

स्कीम/राज्य का नाम	निवल राशि (रु.)
दमन और दीव	11,700.00
दिल्ली	23,13,800.00
हरियाणा	3,74,53,309.00
कर्नाटक	74,010.00
मध्य प्रदेश	20,30,841.00
महाराष्ट्र	35,81,327.00
पुदुचेरी	8,41,511.00
पंजाब	2,43,78,910.00
राजस्थान	4,63,913.00
अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1023644
कर्नाटक	4,600.00
मध्य प्रदेश	10,19,044
राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप	5,35,400.00
पुदुचेरी	5,35,400.00
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	18.900.00
महाराष्ट्र	18,900.00
कुल योग	रु. 8,77,60,679.00

स्रोत: एन.ए.सी.एच.-ए.पी.बी. ट्रांजेक्शन्स, यू.आई.डी.ए.आई.

मदरसों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियां

2586. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदरसों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए मान्य है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) मदरसों द्वारा कोई डिग्री प्रदान नहीं की जाती है। हालांकि, राज्य मदरसा बोर्डों के प्रमाणपत्र/अर्हताओं जिन्हें संबंधित राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा अपनी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक अर्हताओं की समतुल्यता प्रदान की गई है, को रोजगार और शिक्षा के उच्चतर स्तरों में प्रवेश के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् (सी.ओ.बी.एस.ई.) तथा अन्य स्कूल परीक्षा बोर्डों के संगत स्तरों के समान बनाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 42012/13/2007-स्था.(डी) दिनांक 23.02.2010 द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय खनि विद्यापीठ को आई.आई.टी. में बदलना

2587. **श्री इन्दर सिंह नामधारी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि धनबाद स्थित भारतीय खनि विद्यापीठ (आई.एस.एम.) एक पूर्ण-विकसित अभियांत्रिकी संस्थान में विकसित हो चुका है और यहां प्रायः सभी विषयों के पाठ्यक्रमों का शिक्षण उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त आई.एस.एम. संस्थान को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) में बदलने का कोई प्रस्ताव है जैसे कि प्रो. एस. सम्पत की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन और समीक्षा समिति ने वर्ष 1994 में पुरजोर सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आई.एस.एम. को आई.आई.टी. में कब तक बदले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय खनि विद्यापीठ (आई.एस.एम.), धनबाद ने अपनी वित्त समिति, कार्यकारी बोर्ड और महापरिषद

के अनुमोदन से मंत्रालय को भारतीय खनि विद्यापीठ विद्यालय (आई.एस.-एम.), धनबाद से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), धनबाद में रूपांतरित करने का एक प्रस्ताव भेजा था।

भारत सरकार द्वारा प्रो. एस. सम्पत (पूर्व निदेशक, आई.आई.टी. कानपुर और आई.आई.टी., मद्रास) की अध्यक्षता में 1994 में गठित मूल्यांकन और समीक्षा समिति (ई.आर.सी.) ने पुरजोर सिफारिश की थी कि आई.एस.एम. को एक प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाए।

(घ) आई.एस.एम. को आई.आई.टी. में रूपांतरित करने के प्रस्ताव पर आई.आई.टी. परिषद की 7 जनवरी, 2013 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि एक समिति द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जानी चाहिए।

रासायनिक इकाइयों का स्थान-परिवर्तन

2588. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरानी दिल्ली से रासायनिक इकाइयों को हटाकर अन्यत्र ले जाने के संबंध में कोई निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली में काम कर रही रासायनिक इकाइयों की सूची क्या है;

(ग) उन रासायनिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज तक दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों का पालन नहीं किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फर्जी जाति-प्रमाणपत्र

2589. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में आरक्षण का लाभ उठाने के प्रयोजन से शिक्षा-संस्थानों में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र सहित अन्य फर्जी जाति-प्रमाणपत्र इस्तेमाल किए जाने के उदाहरण/मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उदाहरणों में/मामलों में जांच का आदेश दिया गया है/पूरी जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी घटनाओं में इन संस्थानों के कुछ कार्मिक भी संलिप्त पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले में चूक करने वाले व्यक्तियों/कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(च) क्या सरकार का देशभर में ऐसी समस्या से निपटने के लिए कोई नीतिगत निर्णय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) जबकि शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जनजाति सहित जाली जाति प्रमाणपत्रों के प्रयोग के ऐसे दृष्टांतों की रिपोर्ट मिली है किन्तु, केन्द्र द्वारा इन दृष्टांतों/मामलों में आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि, विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित और नियंत्रित की जाती है। इसके अतिरिक्त, जाति प्रमाणपत्र जारी और सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। इसके अलावा विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं स्वायत्त संगठन हैं जिन्हें अध्यादेशों के माध्यम से नियम बनाने के अधिकार इसलिए राज्यों/विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं को ऐसे मामलों में लिप्त पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के पूरे अधिकार हैं।

(च) स्वायत्त संगठन होने के नाते विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम हैं। विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाओं के

दिन-प्रति-दिन के शासन में सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती। तथापि, भारत सरकार ने जाति संबंधी प्रमाणपत्र उचित रूप से जारी और सत्यापन करने के लिए समय-समय पर अनेक परिपत्र जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक अहर्ता के राष्ट्रीय डेटाबेस के इलेक्ट्रानिक निक्षेपागार (डिपाजिटरी) की स्थापना के लिए "राष्ट्रीय अकादमी निक्षेपागार, विधेयक, 2011" 5.9.2011 को लोक सभा में पेश किया गया है। निक्षेपागार, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जारी शैक्षणिक अर्हताओं का आनलाईन सत्यापन और प्रमाणन सरल बनाएगा और जाली प्रमाणपत्रों और डिग्रियों की घटनाएं नियंत्रित की जा सकेंगी। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के अनुदेश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया है जिससे सामाजिक हैसियत के प्रमाणपत्र (एस.टी. सर्टिफिकेट्स) जारी करने, तब समीक्षा और अनुमोदन की प्रणाली सुप्रवाही बनाई जाए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला प्राधिकारियों द्वारा जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं।

विभिन्न राज्यों में विकास दर

2590. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न राज्यों की विकास दर राज्य-वार कितनी रही है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के विकास की दर इसके राष्ट्रीय औसत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न राज्यों की विकास दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश की औसत विकास दर 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जो इस अवधि में राष्ट्रीय औसत विकास दर 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों की वार्षिक औसत विकास दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकास दर (प्रतिशत)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.5
3.	असम	6.8
4.	बिहार	9.9
5.	छत्तीसगढ़	7.7
6.	गोवा	9.1
7.	गुजरात	9.5
8.	हरियाणा	9.0
9.	हिमाचल प्रदेश	8.0
10.	जम्मू और कश्मीर	5.9
11.	झारखण्ड	9.3
12.	कर्नाटक	7.2
13.	केरल	8.2
14.	मध्य प्रदेश	9.2
15.	महाराष्ट्र	8.6
16.	मणिपुर	6.2
17.	मेघालय	7.8
18.	मिजोरम	10.8
19.	नागालैंड	6.2

1	2	3
20.	ओडिशा	7.1
21.	पंजाब	6.7
22.	राजस्थान	8.5
23.	सिक्किम	22.8
24.	तमिलनाडु	7.7
25.	त्रिपुरा	8.9
26.	उत्तर प्रदेश	7.1
27.	उत्तराखण्ड	12.8
28.	पश्चिम बंगाल	7.3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.4
30.	चण्डीगढ़	8.1
31.	दिल्ली	11.5
32.	पुडुचेरी	9.1
अखिल भारत जी.डी.पी. (2004-05 आधार)		8.0

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

2591. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता के प्रत्यक्ष नकद अंतरण का उद्देश्य इसके अंतर्गत होने वाली चोरी, धन का अन्यत्र उपयोग तथा भ्रष्टाचार को रोकना है;

(ख) यदि हां, तो क्या गरीबों के पास आधार-कार्ड होने के बावजूद बैंकों द्वारा उनसे कोई दस्तावेजी सबूत मांगा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों ने सरकार ने कहा है कि यह प्रणाली पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है और इसके अंतर्गत आम आदमी को बैंक-खाता खोलने में परेशानी झेलनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, हां। सब्सिडी के प्रत्यक्ष नकद अंतरण से अपेक्षित है कि चोरी, धन के अन्यत्र उपयोग और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। तथापि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उर्वरक विभाग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में लाभार्थियों के लिए सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद अंतरण नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकों के लिए 'अपने ग्राहक को जानें' संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह भी दी गई है कि वे विभिन्न स्तरों का पालन करने के लिए अर्थात् बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय वित्तीय लेनदेन करते हुए या जब पूर्व में हासिल किए गए ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता/सत्यनिष्ठा का पर्याप्तता के बारे में बैंक को संदेह हो, ग्राहक पहचान प्रक्रिया का अनुसरण करने की सलाह दी गई है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए पत्र में नाम, पता और आधार संख्या, जो कि आर.बी.आई. ग्राहक की पहचान के उद्देश्य से अनुमत दस्तावेजों में से एक है, शामिल हैं। आर.बी.आई. द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है यदि भावी ग्राहक द्वारा पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर पता खाता खोलने के प्रपत्र में उसके द्वारा घोषित पते के समान हो, तो उस दस्तावेज को पहचान और पता दोनों के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए। तथापि, पहचान के प्रमाण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर दर्शाया गया पता यदि खाता खोलने के प्रपत्र में उल्लिखित मौजूदा पते से भिन्न हो, तो पते का एक पृथक प्रमाण प्राप्त किया जाए। आर.बी.आई. के दिनांक 10.12.2012 के पत्र की प्रति संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आर.बी.आई./2012-13/322

बैंपविवि. ए.एम.एल. बी.सी. सं. 65/14.01.001/2012-13

10 दिसंबर, 2012

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदय

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) मानदंड/धन शोधन निवारण (ए.एम.एल.) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सी.एफ.टी.)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व

कृपया अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) मानदंड/धन शोधन निवारण (ए.एम.एल.) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सी.एफ.टी.)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व पर 02 जुलाई, 2012 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि., ए.एम.एल., बी.सी. सं. 11/14.01.001/2012-13 देखें। के.वाई.सी. दिशानिर्देशों की रचना धनशोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे और धोखाधड़ियों से वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करने के लिए की गई थी। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि इस संबंध में बनाए गए कुछ प्रावधानों के कारण या बैंकों द्वारा उनके कार्यान्वयन के कारण आम जनता को परिहार्य असुविधाएं हुई हैं तथा वित्तीय समावेशन के प्रयासों को भी बाधा पहुंची है।

2. इस संबंध में, हम आपका ध्यान 30 अक्टूबर, 2012 को घोषित मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा के पैरा 101 (उद्धरण संलग्न) की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों/नियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सीमा के भीतर मौजूदा के.वाई.सी. मानदंडों की समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, मौजूदा प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

(एक) **नए खातों का खोला जाना**-पहचान एवं पते का प्रमाण-ऊपर उल्लिखित मास्टर परिपत्र के अनुबंध-I में ऐसे सभी दस्तावेजों/सूचनाओं की प्रकृति एवं प्रकार की सांकेतिक सूची दी गई है जिन्हें ग्राहकों की पहचान का आधार बनाया जा सकता है। उक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 2.4(ज) एवं 2.4(झ) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सूची केवल सांकेतिक है, न कि परिपूर्ण। व्यक्तियों के खातों के लिए अनुबंध I में पहचान एवं पते के सत्यापन के लिए सांकेतिक दस्तावेजों के भिन्न-भिन्न सेट सूची में दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप बैंक पहचान एवं पते के सत्यापन के लिए तब भी भिन्न-भिन्न दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं जब पहचान के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (पासपोर्ट, चालक लाइसेंस इत्यादि) में संबंधित व्यक्ति का पता भी अंकित रहता है। इस पृष्ठभूमि में, ग्राहक बहुधा पहचान एवं पते दोनों के लिए कागजात के अलग-अलग दो सेट प्रस्तुत करने की अपेक्षा को लेकर शिकायत करते हैं।

नए खाते खोलने के लिए के.वाई.सी. अपेक्षाओं का पालन करने में संभावित ग्राहकों का भार कम करने हेतु अब यह निर्णय लिया गया है कि:

(क) यदि पहचान के प्रमाण के रूप में संभावित ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में वही पता है कि जो ग्राहक ने खाता खोलने के फार्म में घोषित कर रखा है तो उस दस्तावेज को पहचान एवं पता दोनों के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए।

(ख) यदि पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में दिया गया पता खाता खोलने के फार्म में उल्लेख किए गए पते से भिन्न है, तो पते का अलग से प्रमाण प्राप्त

किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, मास्टर परिपत्र के अनुबंध । में बताए गए सांकेतिक दस्तावेजों के अतिरिक्त, राज्य सरकार या उसके समकक्ष पंजीकरण प्राधिकरण के पास सम्यक रूप से पंजीकृत किराया करार को भी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए जिसमें ग्राहक का पता दर्शाया गया हो।

(दो) **खाते खोलने के लिए परिचय अनिवार्य नहीं**-धनशोधन निवारण अधिनियम/नियमावली में निर्धारित, दस्तावेज के आधार पर पहचान का सत्यापन करने की प्रणाली लागू करने से पहले, नए खाते खोलने के लिए बैंक के किसी मौजूदा ग्राहक द्वारा परिचय प्रस्तुत करना अनिवार्य माना जाता था। कई बैंकों में, खाते खोलने के लिए परिचय प्राप्त करना अब भी ग्राहक स्वीकार करने की नीति का अनिवार्य हिस्सा है भले ही हमारे अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित पहचान एवं पते के दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हों। इससे खाता खोलने में भावी ग्राहकों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनके लिए किसी मौजूदा ग्राहक से परिचय प्राप्त करना दुरूह होता है।

चूंकि पी.एम.एल. अधिनियम एवं नियमावली तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा के.वाई.सी. अनुदेशों के अंतर्गत खाते खोलने के लिए परिचय आवश्यक नहीं है, बैंकों को ग्राहकों का खाता खोलने के लिए परिचय का आग्रह नहीं करना चाहिए।

(तीन) **के.वाई.सी. उद्देश्यों के लिए 'आधार' पत्र को स्वीकार करना**-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.-ए.आई.) ने भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि बैंक खाते खोलने के लिए यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा जारी आधार पत्र पहचान के प्रमाण के रूप में तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2(i) में निर्दिष्ट किया गया है, यदि खाताधारक द्वारा दिया जाने वाला पता वही है जो आधार पत्र में है, तो इसे पहचान और पता दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए।

(चार) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के जॉब कार्ड को सामान्य खातों के लिए स्वीकार करना**-उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 2.7 (ख) के अनुसार, केवल नरेगा जॉब कार्ड के आधार पर खोले गए खाते हमारे 27 जनवरी, 2011 के परिपत्र बैंपविवि. ए.एम.एल. सं. 77/14.01.001/2010-11 में किए गए निर्धारण के अनुसार 'छोटे खातों' पर लागू सीमाओं के अधीन हैं। इससे ग्राहकों को असुविधा हुई है जो, कि अधिकांशत: ग्रामीण इलाकों से आते हैं।

ऊपर उद्धृत किए गए अनुदेशों को संशोधित करते हुए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि अब वे नरेगा 'जॉब कार्ड' को 'छोटे खातों' पर लागू सीमाओं के बिना ही 'आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करें।

(पांच) **परिचय के साथ खाते** - किसी मौजूदा खाताधारक द्वारा परिचय दिए जाने या बैंक को संतुष्ट करने वाले पहचान या पते के अन्य प्रमाण के साथ कुल क्रेडिट तथा बकाया जमा शेषों पर प्रतिबंधों के साथ खाते खोलने के प्रावधान ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए बनाए गए थे जो खाते खोलने के लिए 'आधिकारिक वैध दस्तावेज' प्रस्तुत कर पाने में समर्थ नहीं थे। धनशोधन निवारण नियमावली में 'छोटे खातों' के लिए किए गए प्रावधानों को शामिल किए जाने के मद्देनजर **दिनांक 23 अगस्त, 2005 के हमारे परिपत्र बैंपविवि, सं. ए.एम.एल., बी.सी. 28/14.01.001/2005-06** तथा मास्टर परिपत्र के पैरा 2.6 में यथानिर्धारित 'परिचय के साथ खाते' खोलने के मौजूदा अनुदेश हटा लिए गए हैं। हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि बृहत्तर वित्तीय समावेशन के लिए बैंक 'छोटे खातों' के खोले जाने को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सभी इच्छुक व्यक्तियों के लिए 'छोटे खाते' खोलें। यह दुहराया जाता है कि 'छोटे खातों' के

लिए लागू सभी सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

3. उपर्युक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को 'अपने ग्राहक को जानिए' नीति की समीक्षा करनी चाहिए तथा उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

भवदीय

(सुधा दामोदर)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त

उद्योग में मंदी

2592. श्री सोनवणे प्रताप नारायण राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमि/श्रम शक्ति की कमी, अवसंरचनात्मक अवरोध आदि, उद्योग जगत में मंदी के मुख्य कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) लघु उद्योग, सरकारी-निजी साझेदारी आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश में औद्योगिक विस्तार हेतु सरकार की भावी कार्य-योजना क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) देश में उद्योग में मंदी के कुछेक कारण हैं:- भूमि/जनसाधन की कमी, अवसंरचनात्मक अवरोध इत्यादि।

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में विनिर्माण क्षेत्र में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना लघु एवं मध्यम उद्योगों (एस.एम.ई.) सहित सभी उद्योग खंडों के उच्चतर विकास पर विचार करती है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न नीतिगत पहल, जारी स्कीमों का सुदृढ़ीकरण और नये हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। अवसंरचनात्मक क्षेत्रक के अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है। यह विभिन्न स्कीमों जैसे एकीकृत टेक्सटाइल पार्क (वस्त्र मंत्रालय) स्कीम, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग), पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र और प्लास्टिक पार्क (रसायन एवं पेट्रोरसायन) तथा अन्य स्कीमों के अंतर्गत पहले से ही किया जा रहा है।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक के विस्तार के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमें समूह विकास कार्यक्रम, ऋण संबंधी पूंजीगत सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उधार गारंटी निधि न्यास हैं।

[हिन्दी]

आर.टी.आई. दुरुपयोग

2593. श्री कमलेश पासवान: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के अंतर्गत निजी लाभ हेतु सूचना प्राप्त करने और मीडिया के दुरुपयोग द्वारा देश के सम्माननीय नागरिकों को प्रताड़ित करने संबंधी मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किये गये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर.टी.आई. अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) मीडिया में कुछ चिन्ताएं सूचित की गई हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी 2011 की सिविल अपील संख्या 6454 (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य) में सुझाव दिया है कि अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने वाले ईमानदार कर्मचारियों पर अत्याचार करने अथवा धमकाने के शस्त्र के रूप में अधिनियम को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम में ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत हितों को हानि पहुंचा सकती है, प्रदान न करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निकट एयरोसिटी

2594. श्री हर्ष वर्धन:

श्रीमती ऊषा वर्मा:

श्री महेश्वर हजारी:

श्रीमती सुशीला सरोज:

श्रीमती रीमा उपाध्याय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस, एविएशन रिसर्च सेन्टर और गुप्तचर ब्यूरो सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में एयरोसिटी परियोजना के अंतर्गत निर्माण द्वारा संभावित सुरक्षा खतरे के बारे में आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जिन बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा आशंकाओं सहित व्यक्त की गई आशंकाओं के बावजूद उक्त परियोजना का निर्माण पूरा हो गया है और आवश्यक सुरक्षा मंजूरी और जरूरी लाइसेंस प्राप्त किए बिना होटलों में बुकिंग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) द्वारा विकसित की जा रही एयरोसिटी परियोजना में होने वाली नागर विमानन सुरक्षा निहितार्थों की जांच करेगी। समिति की सिफारिशों के अनुसार डॉयल को सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय करने के निदेश दिए गए हैं:-

(i) एयरो सिटी से प्रचालित सभी इकाईयां बी.सी.ए.एस. की सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुसार अपने सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगी तथा सुरक्षा अवसंरचना तथा प्रशिक्षित मानवशक्ति के होने के बाद बी.सी.ए.एस. से अनुमोदन लेकर प्रचालन प्रारम्भ करेगी। सुरक्षा कार्यक्रम में विभिन्न सुरक्षा उपकरणों जैसे एच.एच.एम.डी., डी.एफ.एम.डी., एक्स-रे बिस, सी.सी.टी.वी., इ.टी.डी. आदि के विनिर्देशों तथा तैनाती से पहले सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के मानकों की अपेक्षा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा। सुरक्षा योजना में सुरक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में दिल्ली पुलिस की विभिन्न अपेक्षाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(ii) सभी इकाइयां बायोमीट्रिक प्रवेश पासों/कार्ड रीडर प्रणाली द्वारा सभी बिल्डिंगों पर सख्ती से नियंत्रण बनाए रखेंगी, होटलों/बिल्डिंगों के प्रबंध तंत्र की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बायोमीट्रिक कार्ड रिडरों को इनस्टाल करें तथा अपने सभी कर्मचारियों को एंट्री कार्ड जारी करें।

(iii) प्रत्येक बिल्डिंग के प्रबंध तंत्र द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे तथा बी.सी.ए.एस. अनुमोदन से पूर्व सुरक्षा कार्यक्रम के इस भाग को सुनिश्चित करेगा।

(iv) एयरो सिटी क्षेत्र की बिल्डिंगों में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की पूरी सुरक्षा जांच की जाएगी तथा यह प्रक्रिया सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा होगी।

(v) एयरो-सिटी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने से पहले सभी कर्मचारियों की सुरक्षा जांच होगी तथा अपडेट किए गए रिकार्ड संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा अति सावधानी से रखे जाएंगे। कार्मिक सूचना का विवरण दिल्ली पुलिस को जब भी आवश्यकता होगी प्रबंध तंत्र द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(vi) एयरो सिटी की बिल्डिंगों में कार्य में तैनात सरकारी

सशस्त्र कार्मिक के अतिरिक्त फॉयर आर्म ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(vii) रनवे के सामने की सभी खिड़कियों में मजबूत ग्लासों सहित बुलेट प्रूफ फिल्म/स्क्रीन लगाई जाएगी।

(viii) ऊपरी तल पर केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के पहुंचने की अनुमति होगी तथा वी.वी.आई.पी. आवागमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और रनवे के सामने के होटल/बिल्डिंगों की छतों पर सशस्त्र कार्मिक तैनात किए जाएंगे।

(ix) एयरो सिटी क्षेत्र की सभी बिल्डिंगों पर समर्पित सुरक्षा विंग होगी, जो सभी वांछित सुरक्षा प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। बी.सी.ए.एस. सुरक्षा कार्यक्रम को अनुमोदित करने से पूर्व सुरक्षा कर्मियों के निबंधन एवं शर्तों का सख्ती से अनुप्रयोग सुनिश्चित करेगा।

(x) डायल की यूटिलिटी बिल्डिंग (जिसमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है) के लिए एयरो सिटी के लिए निर्धारित समान सुरक्षा प्रक्रिया ही लागू होगी। बी.सी.ए.एस. तदनुसार निदेश जारी करेगा। तथापि निर्माण पूरा नहीं हुआ है और वाणिज्यिक प्रचालन अभी शुरू नहीं हुआ है।

बी.सी.ए.एस. द्वारा सुरक्षा जांच

2595. श्री ए.टी. नाना पाटील:

प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हवाई अड्डों पर सुरक्षा और संरक्षा की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार हवाई अड्डों पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के सुरक्षा कार्मिकों हेतु परीक्षा का आयोजन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी एजेंसी-वार ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या हाल ही में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा आयोजित की गई विमानन सुरक्षा परीक्षा में अधिकतर अधिकारी असफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(च) विमानन सुरक्षा की चुनौतियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) हाईजैक की स्थिति और बम धमकियों से निपटने के लिए आतंकवाद का सामना तथा आकस्मिक योजनाओं से एयरपोर्टों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ये योजनाएं/प्रक्रियाएं इकाओ द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) ब्यौरे विवरण I, II, III तथा IV में दिया गया है।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) अनुबंध 17 की अपेक्षा के अनुसार एयरलाइनों, ए.एस.जी. और एयरपोर्ट आपरेटर के सुरक्षा कर्मी विमानन सुरक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे बेसिक ए.वी.एस.इ.सी., स्क्रीनर प्रमाणन, पर्यवेक्षक, प्रबंधन, अनुदेशक तथा लेखा परीक्षकों में प्रशिक्षित तथा प्रमाणन प्राप्त होते हैं।

विवरण-I

31 दिसंबर, 2010 तक आयोजित ए.वी.एस.ई.सी. प्रशिक्षण का रिकार्ड

माह	ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक (12 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. इंडाक्शन (5 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. (6 दिन)			स्क्रीनर्स ट्रेनिंग (7 दिन)		
	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सी.आई.एस.एफ.	1435	688	747	0	0	0	0	0	0	2819	1199	1620
एयर इंडिया	103	16	87	217	217	0	0	0	0	390	209	181
जेट एयरवेज	235	141	94	31	31	0	0	0	0	468	278	190
किंगफिशर	239	157	82	8	8	0	0	0	0	412	314	98
इंडिगो	191	89	102	148	148	0	0	0	0	268	178	90
गो एयर	43	8	35	0	0	0	0	0	0	176	86	90
स्पाइस जेट	158	62	96	158	158	0	0	0	0	178	103	75
डायल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	97	32
एम.आई.ए.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	88	60
जी.एच.आई.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	47	12
बी.सी.ए.एस.	0	0	0	41	41	0	24	18	6	0	0	0
कुल संख्या	2404	1161	1243	603	603	0	24	18	6	5047	2599	2448

माह	इनलाइन स्क्रीन्स ट्रेनिंग (3 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक रिफ्रेशर (3 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक क्रू (रिफ्रेशर 2 दिन)			कुल संख्या		
	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
सी.आई.एस.एफ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4254	1887	2367

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
एयर इंडिया	0	0	0	0	0	0	196	196	0	906	638	268
जेट एयरवेज	0	0	0	0	0	0	145	145	0	879	595	284
किंगफिशर	0	0	0	0	0	0	128	128	0	787	607	180
इंडिगो	0	0	0	0	0	0	128	128	0	735	543	192
गो एयर	0	0	0	0	0	0	105	105	0	324	199	125
स्पाइस जेट	0	0	0	0	0	0	192	192	0	686	515	171
डायल	318	258	60	0	0	0	0	0	0	447	355	92
एम.आई.ए.एल.	195	113	82	0	0	0	0	0	0	343	201	142
जी.एच.आई.एल.	58	39	19	0	0	0	0	0	0	117	86	31
बी.सी.ए.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	59	6
कुल संख्या	571	410	161	0	0	0	894	894	0	9543	5685	3858

प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या = 9543

विवरण-II

31 दिसंबर, 2011 तक कराए गए ए.वी.एस.ई.सी. प्रशिक्षण का रिकार्ड

माह	ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक (12 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. इंडाक्शन (5 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. (5 दिन)			स्क्रीनर्स ट्रेनिंग (3 दिन)		
	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सी.आई.एस.एफ.	2051	1356	695	0	0	0	0	0	0	3120	1884	1236
एयर इंडिया	895	395	498	591	591	0	687	687	0	213	118	95
जेट एयरवेज	434	255	179	31	31	0	1603	1430	173	425	192	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
किंगफिशर	337	251	86	8	8	0	992	929	63	371	237	134
इंडिगो	391	213	178	253	250	3	713	697	16	232	144	88
गो एयर	159	96	63	0	0	0	153	153	0	114	54	60
स्पाइस जेट	317	158	159	225	203	22	639	565	74	150	150	0
डायल	255	130	125	0	0	0	0	0	0	115	94	21
एम.आई.ए.एल.	63	55	8	0	0	0	0	0	0	189	22	167
जी.एच.आई.एल.	27	25	2	0	0	0	0	0	0	37	37	0
बी.सी.ए.एस.	298	164	134	41	41	0	0	0	0	0	0	0
कुल	5225	3098	2127	1149	1124	25	4787	4461	326	4966	2932	2034

माह	इनलाइन स्क्रीन्स ट्रेनिंग (3 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक रिफ्रेशर (3 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक क्रू (रिफ्रेशर 2 दिन)			कुल संख्या		
	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
सी.आई.एस.एफ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5171	3240	1991
एयर इंडिया	75	50	25	121	121	0	196	196	0	2276	2158	618
जेट एयरवेज	0	0	0	311	249	62	2671	2571	100	5475	4728	747
किंगफिशर	0	0	0	278	247	31	685	684	1	2671	2356	315
इंडिगो	0	0	0	151	135	16	388	386	2	2128	1825	303
गो एयर	0	0	0	33	32	1	152	126	26	611	461	150
स्पाइस जेट	0	0	0	59	54	5	192	192	0	1582	1322	260
डायल	119	64	55	244	244	0	0	0	0	733	532	201

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
एम.आई.ए.एल.	189	137	52	113	95	18	0	0	0	554	309	245
जी.एच.आई.एल.	37	11	26	0	0	0	0	0	0	101	73	28
बी.सी.ए.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	205	134
कुल	420	262	158	1310	1177	133	4284	4155	129	22141	17209	4932

प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या = 22141

विवरण-III

31 दिसंबर, 2012 तक कराए गए ए.वी.एस.ई.सी. प्रशिक्षण का रिकार्ड

माह	ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक (12 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. इंडाक्शन (5 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक (6 दिन)			स्क्रीनर्स ट्रेनिंग (3 दिन)		
	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सी.आई.एस.एफ.	3350	2167	1183	0	0	0	0	0	0	2837	1797	1040
एयर इंडिया	1194	428	766	89	89	0	317	316	1	138	56	82
जेट एयरवेज	435	352	83	89	77	12	96	92	4	458	274	184
किंगफिशर	87	63	24	0	0	0	9	9	0	166	118	48
इंडिगो	469	200	269	214	214	0	1099	1093	6	386	226	160
गो एयर	66	31	35	16	16	0	83	83	0	94	48	46
स्पाइस जेट	371	155	216	217	185	32	504	492	12	248	235	13
डी.आई.ए.एल.	61	23	38	0	0	0	0	0	0	50	48	2
एम.आई.ए.एल.	106	59	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जी.एच.आई.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सी.आई.ए.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी.आई.ए.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी.सी.ए.एस.	250	76	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	6389	3554	2835	625	581	44	2108	2085	23	4377	2802	1575

माह	इनलाइन स्क्रीन्स ट्रेनिंग (3 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक रिफ्रेशर (3 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक क्रू (रिफ्रेशर 2 दिन)			कुल		
	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
सी.आई.एस.एफ.	0	0	0	289	289	0	0	0	0	6476	4253	2223
एयर इंडिया	0	0	0	26	26	0	2611	2611	0	4375	3526	849
जेट एयरवेज	0	0	0	404	359	45	1953	1953	0	3435	3107	328
किंगफिशर	0	0	0	142	120	22	265	265	0	669	575	94
इंडिगो	0	0	0	264	249	15	703	703	0	3135	2685	450
गो एयर	0	0	0	80	71	9	142	142	0	481	391	90
स्पाइस जेट	0	0	0	159	158	1	534	534	0	2033	1759	274
डी.आई.ए.एल.	360	182	178	120	119	1	0	0	0	591	372	219
एम.आई.ए.एल.	228	126	102	120	84	36	0	0	0	454	269	185
जी.एच.आई.एल.	60	34	26	70	70	0	0	0	0	130	104	26
सी.आई.ए.एल.	64	54	10	0	0	0	0	0	0	64	54	10
बी.आई.ए.एल.	65	51	14	0	0	0	0	0	0	65	51	14
बी.सी.ए.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•250	76	174
कुल	777	447	330	1674	1545	129	6208	6208	0	22158	17222	4936

प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या = 22158

विवरण-IV

प्रशिक्षण सार 2013

माह	ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक (12 दिन)			ए.वी.एस.ई.सी. बेसिक क्रू (6 दिन)			स्क्रीनर्स ट्रेनिंग (3 दिन)			इनलाइन स्क्रीनर्स ट्रेनिंग (3 दिन)			कुल		
	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग लिया	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	भाग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
सी.आई.एस.एफ.	368	126	242	0	0	0	320	231	89	0	0	0	688	357	331
एयर इंडिया	133	22	111	0	0	0	56	19	37	0	0	0	189	41	148
जेट एयरवेज	31	13	18	0	0	0	62	43	19	0	0	0	93	56	37
किंगफिशर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इंडिगो	29	10	19	0	0	0	33	20	13	0	0	0	62	30	32
गो एयर	14	7	7	0	0	0	28	17	11	0	0	0	42	24	18
स्पाइस जेट	42	6	36	0	0	0	47	24	23	0	0	0	89	30	59
डी.आई.ए.एल.	20	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	18
एम.आई.ए.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जी.एच.आई.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जी.एच.आई.ए.एल.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एन.एस.ओ.पी.	36	21	15	0	0	0	51	23	28	0	0	0	87	44	43
कुल संख्या	673	207	466	0	0	0	597	377	220	0	0	0	1270	584	686

[अनुवाद]

शिक्षा की गुणवत्ता

2596. श्री शिवकुमार उदासी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अनुसार, देश में शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति में अभी भी बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या कमियां पाई गई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-योजना बनाई गई हैं/बनाई जा रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के लिए बाह्य निधीयन एजेंसी के रूप में विश्व बैंक को देश में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त समीक्षा मिशनों (जे.आर.एम.) की छमाही बैठकों के आयोजन में नियमित रूप से सहयोजित किया जाता है।

एस.एस.ए. के संबंध में आयोजित जे.आर.एम. की बैठकों में पहुंच, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी, बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि, एस.एस.ए. के अंतर्गत स्कूल अवसंरचना में सुधार के क्षेत्रों के सरकार के प्रयासों की लगातार प्रशंसा की गई। तथापि, विशेष रूप से छात्रों के शिक्षा-परिणामों पर नजर रखते हुए प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की गुणता में और सुधार करने तथा अधिक ध्यान देने की सिफारिश की गई है।

(घ) शिक्षा की गुणता में सुधार लाने के लिए एस.एस.ए. छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों, शिक्षकों के नियमित सेवा-कालीन प्रशिक्षण, शिक्षक अनुदान, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों (बी.सी.आर.सी.) और क्लस्टर संसाधन केन्द्रों (सी.आर.सी.) के जरिए शिक्षकों को अकादमिक सहायता तथा कक्षा-III, V और VIII के लिए राष्ट्रीय नमूना अध्ययनों में छात्रों की उपलब्धियों के स्तरों के आवधिक मूल्यांकन की व्यवस्था करता है।

प्रतिकूल नागर विमानन पर्यावरण

2597. श्री ए. गणेशमूर्ति:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री ताराचन्द भगोरा:

श्री रवनीत सिंह:

श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह आशंका है कि देश में नागर विमानन प्रचालनों की लागतें, भीड़-भाड़ और घटिया एयर नैवीगेशन सेवाएं भारतीय नागर विमानन क्षेत्र में भागीदारी करने वाली विदेशी एयरलाइनों में बाधक होंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विमानन क्षेत्र के विदेशी निवेश आकर्षित करने में समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) उच्च वायुपत्तन प्रभार, जेट ईंधन पर कठोर कर और निम्न किराए सहित प्रतिकूल पर्यावरण के कारण भारत से उड़ान कटौती करने वाली वैश्विक एयरलाइनों की संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं, वर्तमान में भारतीय एयरपोर्टों में हवाई यातायात की कोई भीड़-भाड़ नहीं है। ए.ए.आई. द्वारा प्रदान की जा रही एयर नैविगेशन सेवाएं विश्व में प्रदान की जा रही सेवाओं के समकक्ष हैं।

(ग) नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।

विवरण

नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का मापदंड

क. हवाई अड्डे:-

क्र.सं.	सेक्टर/गतिविधि	एफ.डी.आई./इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
1.	ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	स्वचालित	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के मद्देनजर
2.	मौजूदा परियोजनाएं	100%	74% से अधिक	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के मद्देनजर

ख. एयर यातायात सेवाएं:-

क्र.सं.	सेक्टर/गतिविधि	एफ.डी.आई./इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
1.	घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन्स	49% एन.आर.आई. द्वारा 100%	स्वचालित मार्ग	*
2.	गैर अनुसूचित एयरलाइन्स (क) यात्री/चार्टेड (ख) कार्गो	74% एन.आर.आई. एन.आर.आई. द्वारा 100%	स्वचालित मार्ग द्वारा 49% 49% से आगे और 74% तक एफ.आई.पी.बी. मार्ग द्वारा में भागीदारी की अनुमति	* विदेशी एयरलाइनों को सीमा तक तथा निर्धारित मार्ग पर कार्गो प्रचालन एयरलाइनों की इक्विटी

प्रदान की गई है।

ग. ग्राउड हैंडलिंग सेवाएं तथा अन्य गतिविधियां:-

क्र.सं.	सेक्टर/गतिविधि	एफ.डी.आई./इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
1.	ग्राउड हैंडलिंग सेवाएं	74% एन.आर.आई. द्वारा 100%	49% आटोमैट्रिक रूट के माध्यम से 49% से 74% तक एफ.आई.पी.बी. रूट	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों तथा सुरक्षा क्लियरेंस के मद्देनजर

क्र.सं.	सेक्टर/गतिविधि	एफ.डी.आई./इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
2.	प्रबंधन एवं मरम्मत संगठन	100%	स्वचालित मार्ग	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के मद्देनजर
3.	उड़ान प्रशिक्षण संस्थान/तकनीकी	100%	स्वचालित मार्ग	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों तथा ना.वि.म.नि. की स्वीकृति के मद्देनजर
4.	हेलीकॉप्टर सेवाएं/सीप्लेन सेवाएं	100%	स्वचालित मार्ग	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के मद्देनजर। विदेशी एयरलाइनों को हेलिकाप्टर तथा सीप्लेन सेवाएं प्रचालित करने वाली कंपनियों की इक्विटी की भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई।

*विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने वाले भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक की सीमा तक निवेश करने की अनुमति है।

ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के मद्देनजर हैं:

(i) सरकार द्वारा स्वीकृत मार्ग के अंतर्गत होगा।

(ii) एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. निवेश का योग 49 प्रतिशत तक सीमित होगा।

(iii) इस प्रकार किए गए निवेश के लिए सेबी के संगत विनियमों के अनुपालन की आवश्यकता है जैसे पूंजी तथा प्रकटन अपेक्षा जारी करना (आई.सी.डी.आर.), शेयरों तथा टेकओवर विनियमों/ व्यापक अधिग्रहण (एस.ए.एस.टी.) विनियम तथा अन्य लागू नियम तथा विनियम

(iv) एक अनुसूचित प्रचालन परमिट केवल एक कंपनी को ही प्रदान किया जाएगा:-

(क) जो पंजीकृत है और जिसका प्रधान व्यवसाय स्थल भारत के भीतर है।

(ख) जिसके अध्यक्ष तथा निदेशकों में एक तिहाई सदस्य भारत के नागरिक हैं और,

(ग) व्यापक स्वामित्व, जिसका प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है।

(v) सभी विदेशी नागरिक जो ऐसे निवेश के परिणाम-स्वरूप भारतीय अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित भारतीय विमान सेवा से संबद्ध होना चाहते हैं, उन्हें तैनाती से पूर्व सुरक्षा दृष्टिकोण से क्लीयर होना होगा और

(vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयात किए जाने वाले सभी तकनीकी उपकरणों को नागर

विमानन मंत्रालय में संगत प्राधिकरण से क्लीयरस प्राप्त करने की आवश्यकता है।

उपयुक्त नीति एअर इंडिया पर लागू नहीं है।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों द्वारा सीमा पर टॉवर

2598. **श्री भूपेन्द्र सिंह:**

श्री हरीश चौधरी:

श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों विशेषरूप से चीन और पाकिस्तान की दूरसंचार कंपनियों ने भारतीय सीमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और भारतीय सीमा पर बहुत से मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोबाइल सिग्नलों के बिखराव के अतिरिक्त, ऐसी कंपनियों की उपस्थिति से गंभीर सुरक्षा चुनौती पैदा होती है क्योंकि उनके द्वारा संस्थापित उपस्करों को जासूसी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) पड़ोसी देशों की चालों को रोकने और बेहतर सिग्नल गुणवत्ता मुहैया कराने के लिए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में सीमा क्षेत्रों पर सरकार द्वारा संस्थापित मोबाइल टॉवरों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) इस संबंध में प्राप्त जानकारी से यह पता चला है कि "यू" फोन, "टेलीनार" और "युवांग" ने पाकिस्तान के क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित किए हैं।

(ग) से (ङ) विदेशों से मोबाइल सिग्नल आ जाने के कारण भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से व्यवस्था न होने के बावजूद भी भारत के क्षेत्र से इस प्रकार के देशों के मोबाइल सिम कार्डों का उपयोग करना संभव हो जाता है और इसलिए इस प्रकार के संचार की निगरानी नहीं की जा सकती।

जुलाई, 2008 से पहले भारतीय क्षेत्र के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ 500 मीटर की दूरी के क्षेत्र में कोई सेवा उपलब्ध नहीं क्षेत्र था। दिनांक 11.07.2008 के पत्र के जरिए दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है और तद्नुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके तकनीकी-वाणिज्यिक हितों के अनुसार पाक और चीन सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने दूरसंचार उपस्कर तैनात करने की अनुमति दी गई है। तथापि, उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि इस प्रकार की सीमा के पार औचित्य पूर्ण दूरी के भीतर उनके रेडियो-सिग्नल कमजोर हो जाएं अथवा उपयोग करने लायक न रहे। इस संबंध में प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

प्रशिक्षित शिक्षक

2599. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:**

श्री नारनभाई काछड़िया:

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सहित राज्यों में सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) फिलहाल सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ाने में संविदा आधार पर कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई वित्तीय सहायता देती है और यदि हां, तो

विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ मुहैया कराई गई/मुहैया कराई जा रही निधियों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सभी सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के आरंभ होने के बाद 2012-13 तक शिक्षकों के कुल 19.82 लाख पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 31.12.2012 तक 12.86 लाख शिक्षक भर्ती किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत और भर्ती किए गए शिक्षक पदों की पंजाब सहित राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) 2011-12 (अनंतिम) के अनुसार संविदा आधार पर प्रारंभिक स्तर पर नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान में अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष प्रति अध्यापक 6000 रुपए देने का प्रावधान है ताकि वे मुक्त दूरस्थ शिक्षा माध्यम से व्यावसायिक अर्हता अर्जित कर सकें। पिछले तीन वर्षों के दौरान अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

31 दिसम्बर, 2012 तक शिक्षकों की संचयी संस्वीकृतियों और भर्ती का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	शिक्षक के पद	
		संस्वीकृत	भर्ती किए गए
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	39189	27402
2.	अरुणाचल प्रदेश	7262	6153
3.	असम	48808	40756
4.	बिहार	403413	198035
5.	छत्तीसगढ़	67507	57193
6.	गोवा	179	179
7.	गुजरात	58688	31430
8.	हरियाणा	13435	11286
9.	हिमाचल प्रदेश	5856	3653
10.	जम्मू और कश्मीर	46471	40501
11.	झारखंड	120396	81974

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	29055	24278
13.	केरल	2925	0
14.	मध्य प्रदेश	173855	94745
15.	महाराष्ट्र	42091	15387
16.	मणिपुर	2871	2719
17.	मेघालय	13262	9050
18.	मिज़ोरम	2485	2175
19.	नागालैण्ड	3147	2936
20.	ओडिशा	89901	79817
21.	पंजाब	14090	11488
22.	राजस्थान	114132	100889
23.	सिक्किम	724	405
24.	तमिलनाडु	33214	26374
25.	त्रिपुरा	6980	6435
26.	उत्तर प्रदेश	423553	264466
27.	उत्तराखंड	14316	5046
28.	पश्चिम बंगाल	198253	136630
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	210	198
30.	चण्डीगढ़	1390	1060
31.	दादरा और नगर हवेली	937	452
32.	दमन और दीव	119	42
33.	दिल्ली	7104	3136
34.	लक्षद्वीप	38	17
35.	पुदुचेरी	48	37
	कुल एस.एस.ए.	1982904	1286344

विवरण-II

संविदा आधार पर रखे गए अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ठेके पर रखे गए अप्रशिक्षित शिक्षक
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22
2.	आन्ध्र प्रदेश	10533
3.	अरुणाचल प्रदेश	1700
4.	असम	758
5.	बिहार	281
6.	चण्डीगढ़	49
7.	छत्तीसगढ़	22013
8.	दादरा और नगर हवेली	4
9.	दमन और दीव	5
10.	दिल्ली	18
11.	गोवा	8
12.	गुजरात	56
13.	हरियाणा	208
14.	हिमाचल प्रदेश	3594
15.	जम्मू और कश्मीर	12755
16.	झारखंड	71980
17.	कर्नाटक	11
18.	केरल	122
19.	लक्षद्वीप	14
20.	मध्य प्रदेश	125
21.	महाराष्ट्र	2438
22.	मणिपुर	162
23.	मेघालय	6320
24.	मिजोरम	3660
25.	नागालैंड	666
26.	ओडिशा	35054
27.	पुदुचेरी	14
28.	पंजाब	2159
29.	राजस्थान	2248
30.	सिक्किम	463
31.	तमिलनाडु	211
32.	त्रिपुरा	5
33.	उत्तर प्रदेश	124233
34.	उत्तराखंड	1819
35.	पश्चिम बंगाल	42588
	कुल	346296

विवरण-III

अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आवंटित निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण		
		2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	6.42

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	264.84	261.60
3.	असम	600.00	0.00	600.00
4.	बिहार	1766.28	1696.26	4705.20
5.	छत्तीसगढ़	804.42	450.00	602.70
6.	दिल्ली	87.32	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	217.62
8.	जम्मू और कश्मीर	238.73	1193.64	600.00
9.	झारखंड	0.00	0.00	841.32
10.	मध्य प्रदेश	678.83	815.04	906.06
11.	महाराष्ट्र	0.00	411.12	320.22
12.	मणिपुर	108.00	108.00	108.00
13.	मेघालय	280.00	666.48	439.98
14.	मिज़ोरम	34.38	70.32	96.00
15.	नागालैण्ड	51.00	60.00	60.00
16.	ओडिशा	732.96	1856.52	1212.48
17.	सिक्किम	75.30	193.26	41.22
18.	त्रिपुरा	0.00	1272.84	180.60
19.	उत्तर प्रदेश	2100.00	2794.00	2956.80
20.	पश्चिम बंगाल	0.00	1140.00	1500.00
	कुल	7557.21	12992.32	15656.22

सी प्लेन सेवा

2600. **श्री के.पी. धनपालन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सी प्लेन सेवा की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार की केरल सहित देश में सी प्लेन सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए पहचान किए गए क्षेत्रों/स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावों को कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) मैसर्स मेरीटाइम एनर्जी हेली एयर सर्विसिज प्रा. लि. अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एम्फीबियन विमान सेवाएं प्रचालित कर रही है। प्रचालित किए जाने वाले मार्गों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. पोर्टब्लेयर-हेवलॉक-पोर्टब्लेयर
2. पोर्टब्लेयर-हटबेय-पोर्टब्लेयर

(ख) जी हां।

(ग) केरल सरकार राज्य भर में अपने गंतव्यों के अंतिम छोर तक विमान सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए तथा त्रिवेंद्रम, कोचिन तथा कालीकट के तीन हवाई अड्डों वाले प्राथमिकता सर्किट में आरंभिक सेवाएं तथा प्राथमिक गंतव्यों यथा अस्तमुदी, पुन्नमदा, कुमारकोम, मन्नार, बोलगट्टी एवं बेकाल में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी सी प्लान योजना पुन: आरंभ की है।

(घ) केरल सी प्लेन परियोजना की दिनांक 30.1.2013 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

ए.आई. उड़ानों में अनिवासी भारतीयों के समक्ष आ रही कठिनाइयां

2601. श्री ए. सम्पत:

श्री पी.के. बिजू:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों को एअर इंडिया की उड़ानों में यात्रा के दौरान होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार को मिली शिकायतों का मामला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हल की गई शिकायतों की संख्या और पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुहैया कराई गई राहत और उपर्युक्त अवधि के दौरान गलती करने वाली एयरलाइनों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) जी, हां। तथापि, एअर इंडिया द्वारा अनिवासी भारतीयों से प्राप्त शिकायतों से संबंधित पृथक आंकड़े का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

उड़ानों के विलंब/रद्दकरण, सामान की गुमशुदी, किराये में वृद्धि आदि जैसी शिकायतें एयरलाइनों को कभी-कभी मिलती हैं। ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए एयरलाइनों के पास एक सुपरिभाषित शिकायत निपटान प्रक्रिया है और शीघ्रातिशीघ्र शिकायतों के युक्तसंगत समाधान के लिए हरसंभव कोशिश की जाती है। उड़ानों के रद्द होने के मामले में, रद्द उड़ानों के यात्रियों को, सीटों की उपलब्धता/किराये पर पुनर्भुगतान/एयर इंडिया के उड़ानों के नि:शुल्क पुन:अनुसूचीकरण के अध्यधीन, एअर इंडिया या अन्य एयरलाइनों पर उड़ानों पर यात्रा करने का विकल्प प्रदान किया जाता है।

एअर इंडिया एक्सप्रेस (ए.आई.ई.) की सेवाएं विशेषकर मध्य-पूर्व में कार्य करने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा उपयोग की जा रही है। ए.आई.ई. यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए दिनांक 15.12.2012 को एक नई पहल शुरू की गई है जिसके द्वारा यात्री अपनी शिकायतें ixmailstominister@nic.in ई-मेल पर फाईल कर सकते हैं। इस मेल सेवा को अत्यधिक उच्च स्तर पर मॉनीटर किया जा रहा है। आज तक 45 शिकायतें मिली हैं और इनमें से 43 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सुधार के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप ए.आई.ई. का ऑन-टाइम कार्यनिष्पादन 85 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है और पिछले चार महीनों के दौरान शड्यूल इंटीग्रिटी 100 प्रतिशत के निकट पहुंच गई है।

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की संख्या

2602. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपके मंत्रालय में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या का समूह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के वर्ग में कुल संख्या में निर्धारित नौकरियों की संख्या कितनी है;

(ग) आज की तारीख तक अ.जा./अ.ज.जा. हेतु कितने पद रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अ.जा./अ.ज.जा. हेतु इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) महोदय, मंत्रालय में समूह-वार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

समूह	स्वीकृत संख्या
क	13
ख	43
ग	72

(ख) महोदय, ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

कर्मचारियों की संख्या जिस पर आरक्षण लागू होता है	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रतिनिधित्व		मंत्रालय में आज की स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रतिनिधित्व	
	अनुसूचित जाति (15%)	अनुसूचित जाति (7½%)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
117	18	9	23	12

(ग) महोदय, आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु कोई पद रिक्त नहीं है।

(घ) महोदय, प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षित वर्गों को समान लाभ

2603. श्री हुक्मदेव नारायण यादव:

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान के कड़े अनुपालन हेतु सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरक्षण का लाभ नियम सभी समुदायों/वर्गों को एकसमान रूप से दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अपिव हेतु आरक्षण के प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आरक्षण नीति एवं अन्य आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/

विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं। यह अनुदेश भी विद्यमान हैं कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित आरक्षण एवं अन्य आदेशों का अनुपालन करने के मामले में लापरवाही अथवा चूक होने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए तथा तुरंत उपयुक्त कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि ऐसी रिक्तियों को केवल इन समुदायों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सके।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के सभी समुदायों को समान रूप से क्रमश: 15%, 7.5% एवं 27% आरक्षण मुहैया कराया जाता है। पदोन्नति की स्थिति में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समान रूप से क्रमश: 15% एवं 7.5% आरक्षित उपलब्ध है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुदेशों में प्रावधान है। सम्पर्क अधिकारी को अपनी ड्यूटी प्रभावकारी ढंग से निष्पादित करने में सहायता देने के लिए मंत्रालय/विभाग के भीतर एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए भी अनुदेशों में प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की केन्द्रीय रूप से मॉनीटरिंग करता है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया की वित्तीय स्थिति

2604. **श्री सी. राजेन्द्रन:**

श्री एम.आई. शानवास:

श्री रवनीत सिंह:

श्री पी. विश्वनाथन:

श्री पन्ना लाल पुनिया:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया की मौजूदा स्थिति और इसकी पुनर्निर्माण योजना क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने एअर इंडिया को मजबूत करने के लिए और ज्यादा बजटीय आवंटन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ए.आई. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निधियों से कितनी बार नेशनल कैरियर को जोड़ा गया है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किन प्रयोजनों के लिए निधियों का उपयोग किया गया है;

(च) क्या ए.आई. कर्मचारियों के वेतन/अनुपलब्धियों को अभी भी जारी किया जाना शेष है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और धन को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) अप्रैल-दिसंबर, 2012 के दौरान एअर इंडिया की वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में 2011 की समान अवधि की तुलना में सुधार हुआ है। उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, एअर इंडिया की निवल हानि 5850.79 करोड़ रुपयों से घटकर 4740.30 करोड़ रुपए (1110.49 करोड़ रुपए का सुधार), नकद हानि 4539.75 करोड़ रुपयों से घटकर 3414.25 करोड़ रुपए (1125.5 करोड़ रुपयों का सुधार) हो गई। यात्री राजस्व बढ़कर 680.13 करोड़ रुपए (8.1 प्रतिशत का सुधार) हो गया तथा पैसेंजर लोड फैक्टर में भी 68.4 प्रतिशत से बढ़कर 70.4 प्रतिशत का सुधार हुआ। प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार के बावजूद एअर इंडिया नकद हानि के कारण निरंतर नकदी की कमी का सामना कर रही है।

सरकार ने दिनांक 12.04.2012 को एअर इंडिया की वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफ.आर.पी.) और कायाकल्प योजना पर विचार करके निम्नानुसार अनुमोदन किया:

(i) 6750 करोड़ रुपये की अपफ्रंट इक्विटी का निवेश जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 में पहले से जारी 2011-12 के बजट में मुहैया कराई गई 1200 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है।

(ii) वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2017-18 तक 4552 करोड़ रुपये के नकदी घाटा समर्थन के लिए इक्विटी।

(iii) वित्त वर्ष 2021 तक 18929 करोड़ रुपये के पहले से गारंटीशुदा विमान ऋण के लिए इक्विटी।

(iv) एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय संस्थानों, बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, ई.पी.एफ.ओ. आदि को जारी किए जाने के लिए 7400 करोड़ रुपये के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एन.सी.डी.) पर मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के लिए भारत सरकार की गारंटी। भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा एन.सी.डी. के मामले में, सरकारी परिव्यय ब्याज के लिए 11951 करोड़ रुपये और, मूलधन और ब्याज दोनों पर 8637 करोड़ रुपये की एन.पी.वी. के साथ मूलधन के लिए 7400 करोड़ रुपये होगा (8 प्रतिशत की रियायती दर पर 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार)।

(ख) और (ग) टर्न अराउंड तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अनुसार सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 110114 करोड़ रुपयों की इक्विटी प्रदान करना अपेक्षित है। अभी तक चालू वर्ष के दौरान 6000/- करोड़ रुपयों की धनराशि की इक्विटी प्रदान की जा चुकी है। तदनुसार इस वर्ष 5014 करोड़ रुपयों की और आवश्यकता के संबंध में संबंधित मंत्रालयों को सूचित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। 11वीं योजना और अवधि के दौरान (2007-12) एअर इंडिया को 3200 करोड़ रुपयों (2009-10 के दौरान 800 करोड़ रुपए, 2010-11 के दौरान 1200 करोड़ रुपए, और 2011-12 के दौरान 1200 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता इक्विटी के रूप में प्रदान की गई है और एअर इंडिया द्वारा इस धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

(च) और (छ) एअर इंडिया के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन जनवरी, 2013 तक अदा किया जा चुका है। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रोडक्टिविटी लिंकड इनसेंटिव (पी.एल.आई.) जून, 2012 तक दे दिया गया है तथा कंपनी द्वारा कार्यान्वित वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफ.आर.पी.) के अनुपालन में 1 जुलाई, 2012 से बंद कर दिया गया है। पायलटों को अगस्त, 2012 तक का पूरा ले ओवर भत्ता तथा जुलाई, 2012 तक का क्रेबिन क्रू का पूरा ले ओवर भत्ता दे दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त श्रेणी के कर्मचारी जैसे पायलटों, इंजीनियरों, केबिन क्रू के वेतन तथा भत्तों का संशोधन लंबित होने के कारण नवंबर, 2012 तक के भत्तों का 75 प्रतिशत तदर्थ भुगतान कर दिया गया है, जो अदा किए जाने वाले अंतिम भुगतान के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

गैर लाइसेंस प्राप्त श्रेणियों के कर्मचारियों के भिन्न-भिन्न वेतनों की जुलाई, 2012 से नवंबर, 2012 महीनों का तदर्थ भुगतान कर दिया गया है और न्यायाधीश धर्माधिकारी समिति की रिपोर्ट के संशोधित वेतन और भत्तों का अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने तक, यह अंतिम देय राशि के सापेक्ष समायोजित कर लिया जायेगा।

विदेशों में गुमशुदा भारतीय

2605. श्री एस. अलागिरी:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशों में गुमशुदा भारतीय नागरिकों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पता लगाए गए लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न देशों में लंबित ऐसी याचिकाओं का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) विदेश के 90 भारतीय मिशनों/पोस्टों से प्राप्त विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशों में गुमशुदा भारतीय नागरिकों की देश-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जब कभी मिशन में कोई शिकायत प्राप्त होती है, उनका पता लगाने के लिए मेजबान देश में जाँच पड़ताल हेतु कम्पनी/प्रायोजक/नियोक्ता/कारावास/अप्रवासन प्राधिकरणों आदि के साथ मामले को उठाया जाता है। गुमशुदा भारतीय नागरिकों से संबंधित अद्यतन सूचना संबद्ध शिकायत कर्त्ता को सम्प्रेषित कर दी जाती है।

(ग) देश-वार पता लगा लिए गए 291 भारतीय नागरिकों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं: आस्ट्रेलिया-3, फ्रांस-1, इटली-3, कुवैत-39, मलेशिया-10, निकोसिया-2, कतर-199, स्वीडन-1, संयुक्त अरब अमीरात-16, ब्रिटेन-16 और संयुक्त राज्य अमेरिका-1.

(घ) देश-वार उन व्यक्तियों के ब्यौरे जिनका पता नहीं लगाया जा सका है वे निम्न प्रकार से हैं: अफगानिस्तान-1, आस्ट्रेलिया-3, कनाडा-1, डेनमार्क-1, ग्रीस-1, ग्वाटेमाला-1, इण्डोनेशिया-1, जापान-1, कुवैत-1, मलेशिया-28, कतर-1, संयुक्त अरब अमीरात-99 और संयुक्त राज्य अमेरिका-2.

विवरण

नागरिकों की संख्या

क्र.सं.	देश	भारतीय मिशन/पोस्ट	गुमशुदा भारतीय नागरिकों की संख्या		
			वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान	काबुल	-	-	1 (पता नहीं लगाया जा सका)
2.	आस्ट्रेलिया	कैनबेरा	-	3 (2 का पता लगा लिया गया और 1 का पता नहीं लगाया जा सका)	3 (1 का पता लगा लिया गया और 2 का नहीं लगाया जा सका)
3.	कनाडा	ओटावा	-	-	1 (पता नहीं लगाया जा सका)
4.	डेनमार्क	कोपेनहेगन	-	-	1 (पता नहीं लगाया जा सका)
5.	फ्रांस	पैरिस	-	-	1 (पता लगा लिया गया)
6.	ग्रीस	एथेंस	-	-	1 (पता नहीं लगाया जा सका)

1	2	3	4	5	6
7.	ग्वाटे माला	मैक्सिको	1 (पता नहीं लगाया जा सका)		
8.	इण्डोनेशिया	जर्काता	-	-	1 (पता नहीं लगाया जा सका)
9.	इटली	रोम	-	-	3 (सभी का पता लगा लिया गया)
10.	जापान	टोक्यो	-	-	1 (पता नहीं लगाया जा सका)
11.	कुवैत	कुवैत	18 (सभी का पता लगा लिया गया)	18 (सभी का लगा लिया गया)	14 (13 का पता लगा लिया गया और 1 का पता नहीं लगाया जा सका)
12.	मलेशिया	क्वालालम्पुर	12 (2 का पता लगा लिया गया और 10 का पता नहीं लगाया जा सका)	12 (4 का पता लगा लिया गया और 8 का पता नहीं लगाया जा सका)	14 (4 का पता लगा लिया गया और 10 का पता नहीं लगाया जा सका)
13.	निकोसिया	साइपरस	-	-	2 (पता लगा लिया गया)
14.	कतर	दोहा	41 (सभी का पता लगा लिया गया)	74 (सभी का पता लगा लिया गया)	85(84 का पता लगा लिया गया और 1 का पता नहीं लगाया जा सका)
15.	स्वीडन	स्टॉकहॉल्म	-	-	1 (पता लगा लिया गया)
16.	संयुक्त अरब अमीरात	आबू धाबी	23 (5 का पता लगा लिया गया और 18 का पता लगाया जा सका)	44(4 का पता लगा लिया गया और 40 का पता लगाया जा सका)	48(7 का पता लगा लिया गया और 41 का पता नहीं लगाया जा सका)
17.	ब्रिटेन	लंदन	4	8	4
18.	संयुक्त राज्य अमेरिका	न्यूयार्क	-	-	3 (1 का पता लगा लिया गया और 2 का पता नहीं लगाया जा सका)

निष्क्रिय टेलीफोन नंबर

2606. श्री आधि शंकर:

श्री आर. थामराईसेलवन:

श्री रमेश बैस:

श्री हरि मांझी:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्री-पेड और पोस्ट-पेड टेलीफोन कनेक्शनों का राज्य-वार और कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. सहित टेलीफोन कंपनियों ने निष्क्रिय कनेक्शनों को काट दिया है अथवा काट देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक काटे गए कनेक्शनों की राज्य-वार और कम्पनी-वार संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) पोस्ट-पेड और प्री-पेड नम्बरों के लिए इस संबंध में टी.आर.ए.आई. के विस्तृत दिशानिर्देश क्या हैं;

(ङ) क्या दूरसंचार कंपनियां इन दिशानिर्देशों का पूरा पालन कर रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उल्लंघन की प्रकृति और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सी.आई.सी. में रिक्त पद भरना

2607. श्री के.डी. देशमुख:

श्री जयवंत गंगाराम आवले:

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने बहुत से रिक्त पद नहीं भरे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सी.आई.पी. में स्वीकृत और वास्तविक संख्या का वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपयुक्त कर्मचारियों की कमी और आर.टी.आई. आवेदनों की बढ़ती संख्या के कारण सी.आई.जी. के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार का यह दृष्टिकोण है कि आर.टी.आई. आवेदनों की संख्या बढ़ने से विभिन्न विभागों को व्यावहारिक दिक्कतें हो रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख)

वर्ष	स्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्तियों की वास्तविक संख्या
2010	116	नियमित एवं सह समाप्य-54 आउटसोर्स/अनुबंध-99 कुल - 153

वर्ष	स्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्तियों की वास्तविक संख्या
2011	नियमित पद - 144	नियमित एवं सह समाप्य-41 आउटसोर्स/अनुबंध-88
	विविध कार्यकारी स्टाफ (आउटसोर्स के आधार)-16	
	कुल - 160	कुल - 129
2012	नियमित पद - 144	नियमित एवं सह समाप्य-33 आउटसोर्स/अनुबंध-114
	विविध कार्यकारी स्टाफ (आउटसोर्स के आधार)-16	
	कुल - 160	कुल - 147
2012	नियमित पद - 144	नियमित एवं सह समाप्य-31 आउटसोर्स/अनुबंध-105
	विविध कार्यकारी स्टाफ (आउटसोर्स के आधार)-16	105
	कुल - 160	कुल - 136

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पेक्ट्रम की रीफार्मिंग

2608. **श्री के. सुगुमार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्पेक्ट्रम की रीफार्मिंग की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्यां सेल्युलर टेलीफोन ऑपरेटरों ने स्पेक्ट्रम की रीफार्मिंग पर आपत्ति जताई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एन.टी.पी.) 2012 में, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार अनुप्रयोगों हेतु नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए, समय-समय पर, सेवा प्रदाताओं को वैकल्पिक आवर्ती बैंड के आबंटन एवं स्पेक्ट्रम की रिफार्मिंग का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ट्राई की सिफारिशों, उनके आगे के स्पष्टीकरणों और दूरसंचार आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निर्णय किया है कि नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य के भुगतान के मद्देनजर और नीलामी में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के धारकों द्वारा बोली लगाने और उसमें भाग लेने के मद्देनजर, मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लाइसेंसों के नवीकरण के समय पर 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में 2.5 मेगाहर्ट्ज़ तक स्पेक्ट्रम को बनाए रखने का विकल्प दिया जाए।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ भागीदार दूरसंचार प्रदाताओं और उनके संघ ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सेवा की निरंतरता, निवेश आदि के संबंध में मुद्दे उठाए हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित निर्णय को लेते समय, ऐसे प्रचालकों और उनके संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किया गया।

[हिन्दी]

स्कूलों में मन्दबुद्धि बच्चों के प्रवेश पर रोक

2609. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 40 प्रतिशत मानसिक मंद बुद्धि बच्चों को सरकारी और मान्यताप्राप्त स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरक्षण के प्रावधान के माध्यम से उक्त स्कूलों में ऐसे बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, नहीं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विशेष बच्चों सहित 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत् समावेशी शिक्षा कार्यक्रम विशेष बच्चों सहित विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करता है। विशेष आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों को प्रकार, श्रेणी और निःशक्तता की अवस्था की ओर ध्यान दिए बिना सामान्य स्कूलों में गुणवत्तायुक्त समावेशी शिक्षा दिलाने पर मुख्य जोर दिया जाता है। एस.एस.ए. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा हेतु वृहत् दृष्टिकोण, विकल्प और कार्यनीतियों का समर्थन करता है। इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु स्कूल तैयार करने, गृह आधारित शिक्षा इत्यादि के रूप में विशेष प्रशिक्षण जिसका मुख्य लक्ष्य पड़ोस के स्कूलों में विशेष आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों को मुख्यधारा में लाना है, शामिल है। अतः एस.एस.ए. ने शून्य अपवर्जन नीति अपनाई है।

एस.एस.ए. ऐसे बच्चों की विशेष अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन अध्यापकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित 1000/- रु. के साथ एक वित्त वर्ष में निधियन मानक के रूप में प्रत्येक निःशक्त बच्चे की दर से 3000/- रु. का प्रावधान करता है। समावेशी शिक्षा हेतु एस.एस.ए. के तहत् उपायों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का विशेष प्रशिक्षण, सहायक सामग्री और उपकरणों का प्रावधान, अध्यापक प्रशिक्षण, संसाधन अध्यापकों की नियुक्ति, चिकित्सीय सहायता, बाधारहित पहुंच, समुदाय गतिशीलता, अभिभावक काउंसिलिंग और एस्कार्ट/परिवहन भत्ता शामिल हैं।

माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा (आई.ई.ई.डी.एस.एस.) की केंद्रीय प्रायोजित योजना 2009-10 से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को आठ वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् एक समावेशी और समर्थकारी वातावरण में चार वर्ष की माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से XII) प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है।

आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधान

2610. श्री शिवराज भैया:

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को पोशाकें, पुस्तकें और मध्याह्न भोजन मुफ्त मुहैया कराने का प्रावधान है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में अध्ययनरत वंचित वर्गों और कमजोर वर्गों के बच्चों को भी यह सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेगी क्योंकि उक्त बच्चे उक्त सुविधाओं के लिए पात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आर.टी.ई. अधिनियम के अन्तर्गत अन्य निजी गैर-

सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य निम्न वर्गों के बच्चों के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किए जाने से पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा ऐसी योजना नहीं चलाई जा रही थी, में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में बालिकाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चों को निःशुल्क वर्दियां प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ये प्रावधान लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मध्याह्न भोजन सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय के स्कूलों, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना केन्द्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों/मकतबों सहित विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में पढ़ रहे सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है।

(ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अधीन 25 प्रतिशत दाखिले कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को देने वाले निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती हैं। अब तक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने मानदंड अधिसूचित किए हैं।

चीन निर्मित किट्स

2611. **श्री हंसराज गं. अहीर**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाश टेबलेट में अनेक चीन निर्मित किट्स प्रयोग में लाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्वदेशी टेबलेट के नामकरण का औचित्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) महोदया, इस समय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (एन.एम.ई.आई.सी.टी.) योजना के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना के अंतर्गत शिक्षक सशक्तिकरण एल.सी.ए.डी. (आकाश-2) प्राप्त करने के पश्चात्, निम्नलिखित प्रदेय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है:-

(i) लो कॉस्ट एक्सेस कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसिस की अधिप्राप्ति तथा परीक्षण; और

(ii) लो कॉस्ट एक्सेस कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसिस की हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का इष्टतम प्रयोग।

प्रथम चरण में, समूचे भारत में विभिन्न जलवायु संबंधी और उपयोग दशाओं में प्रयोक्ताओं द्वारा परीक्षण के प्रयोजनार्थ 1,00,000 टेबलेट प्राप्त की जा रही हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई के क्रय आदेश में एक 'भारत में निर्मित' उपकरण का अधिदेश-प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे उपकरणों पर हमेशा ही बल दिया जाता रहा है जो विनिर्देशनों के एक निश्चित सेट को पूरा करते हैं, गुणवत्ता मानदंडों को प्राप्त करते हैं और जो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर द्वारा शुरू की गई निविदा प्रक्रिया के दौरान निर्धारित की गई कीमत के बराबर या उससे कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें, भारत में 50 प्रतिशत विनिर्माण करने और भारत से बाहर से 50 प्रतिशत आपूर्तियां करने की परिकल्पना की गई है।

ऐसे उपकरणों में "की" हार्डवेयर नहीं होता है, बल्कि वह सॉफ्टवेयर होता है जो इसके उपकरण में ही उपलब्ध कराया जाता है। हार्डवेयर केवल एक मंच प्रदान करता है और आकाश उपकरण, इस पर उपलब्ध अनुप्रयोगों की प्रदान की गई पूर्ण कीमत है। आकाश के किसी भी प्रमुख घटक, जैसे कि प्रोसेसर, एल.सी.डी. स्क्रीन, टच पेनल, मेमोरी, बैटरी आदि का भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है। इसलिए, भारत में शुरू किए जा सकने वाले क्रियाकलाप केवल मदबोर्ड का डिजाइयन करना, पुर्जे जोड़ना और इसे एक शक्तिशाली शैक्षिक उपकरण बनाने के लिए अनेक अनुप्रयोग करना है। यह ध्यान में रखते हुए कि आकाश-2 टेबलेट, शिक्षा उद्देश्यों के लिए है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,

मुम्बई ने पहले से ही आकाश-2 टेबलेट में अनेक अनुप्रयोग तैयार किए और लगाए हैं।

[अनुवाद]

एअर इंडिया ऋण

2612. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:**

श्री पन्ना लाल पुनिया:

श्री पी. कुमार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए विमान की खरीद, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं तथा तेल कंपनियों को देय बकाया राशियों सहित विभिन्न पदों पर एअर इंडिया के ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एअर इंडिया पर कुल कितना ऋण दिया है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों, उनके विभागों, उनसे सहायता प्राप्त संस्थाओं, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ऊपर एअर इंडिया की वसूल नहीं की गई कितनी राशि बकाया है; और

(घ) एअर इंडिया को मुनाफे में लाने तथा इसका कार्यनिष्पादन बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) वर्तमान में कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के कारण तथा विनानों की खरीद के कारण एअर इंडिया का ऋण क्रमश: (लगभग) 15000 करोड़ रुपए और (लगभग) 20000 करोड़ रुपए है। तेल कंपनियों के कुल देय राशि 4200 करोड़ रुपए जिसमें तीन महीने की क्रेडिट अवधि के बकाये भी शामिल हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एअर इंडिया पर कुल ऋण लगभग 15000 करोड़ रुपए है।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों, उनके विभागों, उनके सहायता प्रदान संस्थाओं, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, केन्द्र/राज्य सरकारों के ऊपर एअर इंडिया की वसूल नहीं की जा सकी बकाया राशि लगभग 300 करोड़ रुपए है।

(घ) एअर इंडिया द्वारा अपने प्रचालनिक तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं: (i) आयटा की सहायता से ईंधन दक्षता तथा अंतर का विश्लेषण करना (ii) ईंधन परिषद तथा ईंधन प्रबंधक की स्थापना द्वारा सभी उड़ानों पर ईंधन की खपत का समीक्षात्मक विश्लेषण (iii) पूर्ववती एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के मार्गों का मार्ग-युक्तिकरण तथा समानांतर प्रचालनों वाले मार्ग नेटवर्कों को समाप्त करना (iv) कतिपय हानिप्रद मार्गों का युक्तिकरण (v) यात्रियों के आकर्षण में वृद्धि करने के लिए अनेक घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर पूर्णत: नए विमानों को शामिल करना (vi) पुराने विमानों का बेड़े से हटाना और इसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण लागत को कम करना (vii) गैर प्रचालनिक क्षेत्रों में रोजगार बंद करना (viii) अनावश्यक व्यय पर अंकुश लगाने के लिए स्टाफ की पुनर्तैनाती (ix) नए बेड़े का संवर्धित उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर ए.एस.के.एम. का उत्पादन (x) समयोपरि भत्ते तथा कतिपय कार्मिक परिलब्धियों में कटौती तथा विदेशों में तैनात अधिकारियों की भारत में पुन:तैनाती करना (xi) कतिपय स्थलों पर विदेशों में स्थित ऑफलाइन कार्यालयों को बंद करना (xii) एम.आर.ओ. राजस्व तथा कंपनी की रियल एस्टेट परिसंपत्तियों से राजस्व में वृद्धि के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों की लीवरेजिंग।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

2613. **श्री निशिकांत दुबे:**

डॉ. रतन सिंह अजनाला:

श्री एंटो एंटोनी:

श्री पुलीन बिहारी बासके:

श्री लक्ष्मण टुडु:

श्री चन्द्रकांत खैरे:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

श्री भूपेन्द्र सिंह:

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत टेलीकॉम सेवाओं के विस्तार हेतु निर्धारित लक्ष्य को देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान आवंटित धन और व्यय किए गए धन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य सहित ग्रामीण पिछड़ा और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु सरकार द्वारा आवंटित निधियों और बनाई गई कार्ययोजना क्या है;

(घ) कनेक्ट किए गए ग्रामों का ब्यौरा और आज की तारीख तक कितने लैण्डलाइन और मोबाइल टेलीफोनों को कनेक्ट किया जाना है;

(ङ) क्या सरकार ने वंचित गांवों में दूरसंचार सेवाओं के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है/करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के सभी गांवों को लैंडलाइन तथा मोबाइल टेलीफोन की सुविधा से युक्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु निर्धारित लक्ष्य को देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्राप्त कर लिया गया है।

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार समग्र निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर लक्ष्य	दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
उपभोक्ताओं की कुल संख्या	600 मिलियन	951.34 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या	200 मिलियन	330.82 मिलियन
ग्रामीण टेली-घनत्व	25%	39.26%

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के उल्लिखित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ग्रामीण टेली-घनत्व को लगभग 39% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 70% करना है।

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविती उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के मध्य कनेक्टिविटी अंतराल को भरने के लिए, जहां अपेक्षित हो, इंक्रीमेंटल फाइबर बिछाकर और बी.एस.एन.एल., रेलटेल तथा पावर ग्रिड आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मौजूदा फाइबर का उपयोग करके ऑप्टिकल फाइबर की मार्फत देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना का यू.एस.ओ.एफ. द्वारा वित्तपोषण किया जाएगा और इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत दो वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए है। इस प्रकार सृजित नेटवर्क से, प्रत्येक ग्राम पंचायत से कम से कम 100 एम.बी.पी.एस. की बैंडविड्थ सुनिश्चित करने के लिए, समुचित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की जाएगी। इसमें सभी श्रेणियों के सेवा प्रदाताओं को बिना भेदभाव किए नेटवर्क की पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। ये अभिगम प्रदाता/सेवा प्रदाता जैसे मोबाइल प्रचालक, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) केबल टी.वी. प्रचालक, विषय-वस्तु प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं प्रारंभ कर सकते हैं। ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-अभिशासन हेतु विभिन्न अनुप्रयोग उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना का भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) नामक विशेष उद्देश्य परियोजना (एस.पी.वी.) द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 25.02.2012 को निगमन किया गया है।

गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों में से ऐसे 2199 स्थानों की पहचान की है जोकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं और उनमें फिलहाल, किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा कवरेज नहीं दी जा रही है। सुरक्षा और रखरखाव संबंधी बातों को देखते हुए टॉवर और मोबाइल उपस्कर लगाने के लिए इन स्थानों की पहचान की गई है। बी.एस.एन.एल. ने 363 स्थानों पर पहले ही मोबाइल टॉवरों की स्थापना कर दी है। इन स्थानों के आसपास आम जनता एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करने का प्रावधान किया गया है। इन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) यू.एस.ओ.एफ. से राज-सहायता प्राप्त करके दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5,93,601 आवासित राजस्व गांवों में से 5,81,610 गांवों (यानी 97.97%) को सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोनों (वी.पी.टी.) से कवर किया गया है। उन गांवों, जहां वी.पी.टी. सुविधा उपलब्ध कराई गई है और जहां वी.पी.टी. उपलब्ध कराए जाना शेष हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

दूरसंचार विभाग द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश के लगभग 56,397 गांवों को मोबाइल सेवाओं से जोड़ा जाना शेष है। ऐसे राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) यू.एस.ओ.एफ. राज-सहायता का बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नेटवर्क की तैयारी हेतु यू.एस.ओ.एफ. ने दिनांक 1 नवम्बर, 2012 को टेलीमैटिकस विकास केंद्र (सी-डॉट) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया है। देश के शेष आवासित मोबाइल सेवाओं से रहित गांवों में मोबाइल संचार सेवाओं के प्रावधान हेतु यू.एस.ओ.एफ. से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सी-डॉट से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एक स्कीम का प्रस्ताव किया जाएगा।

मौजूदा वी.पी.टी. और भारत निर्माण योजना के तहत उपलब्ध कराए गए वी.पी.टी. को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित गांवों में सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन (वी.पी.टी.) का समाशोधन किया गया। यू.एस.ओ.एफ. से राज-सहायता प्राप्त करके वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शेष सभी आवासित गांवों में वी.पी.टी. सुविधा के प्रावधान हेतु दिनांक 27.02.2009 के बी.एस.एन.एल. के साथ समझौता किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को इस स्कीम के तहत शेष तकनीकी रूप से व्यवहार्य गांवों में (संलग्न विवरण-II के अनुसार) सितम्बर, 2013 तक वी.पी.टी. उपलब्ध कराए जाने हैं।

विवरण-I

गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा पहचान किए गए वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) प्रभावित स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य के नाम	गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए स्थानों की संख्या	बी.एस.एन.एल. द्वारा पहले से शुरू किए गए टॉवरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	227	3
2.	बिहार	184	0
3.	छत्तीसगढ़	497	351
4.	झारखंड	782	0

1	2	3	4
5.	मध्य प्रदेश	22	6
6.	महाराष्ट्र	60	3
7.	ओडिशा	253	0
8.	उत्तर प्रदेश	78	0
9.	पश्चिम बंगाल	96	0
	कुल	2199	363

विवरण-II

दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराए गए वी.पी.टी. की राज्य-वार संख्या

राज्य का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित राजस्व गांवों की संख्या	प्रदान किए गए वी.पी.टी. की संख्या	प्रदान किए जाने वाले वी.पी.टी. की संख्या
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार	501	352	149
आन्ध्र प्रदेश	26613	25102	1511
असम	25124	24679	445
बिहार	39032	38932	100
झारखंड	29354	28807	547
गुजरात	18159	18051	108
हरियाणा	6764	6678	86
हिमाचल प्रदेश	17495	17408	87
जम्मू और कश्मीर	6417	6384	33
कर्नाटक	27481	27449	32

1	2	3	4
केरल	1372	1372	0
मध्य प्रदेश	52117	51986	131
छत्तीसगढ़	19744	18192	1552
महाराष्ट्र	41442	40645	797
मेघालय (पूर्वोत्तर-I)	5782	5106	676
मिजोरम (पूर्वोत्तर-II)	707	704	3
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I)	858	858	0
अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-II)	3863	2774	1089
मणिपुर (पूर्वोत्तर-II)	2315	2171	144
नागालैंड (पूर्वोत्तर-II)	1278	1263	15
ओडिशा	47529	44941	2588
पंजाब	12301	12065	236
राजस्थान	39753	39568	185
तमिलनाडु (टी.एन. सर्किल)	13837	13837	0
चेन्नै मैट्रो	1655	1655	0
उत्तर प्रदेश	97942	97742	200
उत्तराखंड	15761	15366	395
पश्चिम बंगाल (डब्ल्यू.बी. सर्किल)	37062	36481	581
कोलकाता मेट्रो	893	613	280
सिक्किम (डब्ल्यू.बी. सर्किल)	450	429	21
कुल	5,93,601	5,81,610	11,991

एन.ई.:पूर्वोत्तर

टी.एन.: तमिलनाडु

डब्लयू.बी.: पश्चिम बंगाल

विवरण-II

दूरसंचार विभाग के टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मोबाइल सेवाओं रहित गांवों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम/ सेवा क्षेत्र	कवर न किए गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3786
2.	असम	2976
3.	बिहार	271
4.	झारखंड	5308
5.	गुजरात	1938
6.	हरियाणा	32
7.	हिमाचल प्रदेश	1997
8.	जम्मू और कश्मीर	636
9.	कर्नाटक	1197
10.	केरल	0
11.	मध्य प्रदेश	1771
12.	छत्तीसगढ़	5460
13.	महाराष्ट्र	5394
14.	मेघालय	3257
15.	मिजोरम	584
16.	त्रिपुरा	180
17.	अरुणाचल प्रदेश	2382
18.	नागालैंड	451
19.	मणिपुर	1040
20.	ओडिशा	6734
21.	पंजाब	100
22.	राजस्थान	3153
23.	तमिलनाडु	197
24.	उत्तर प्रदेश	5014
25.	उत्तराखंड	1419
26.	पश्चिम बंगाल	886
27.	सिक्किम	13
28.	अंडमान और निकोबार	221
	कुल	56,397

एअर इंडिया का विनिवेश

2614. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के विनिवेश का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी किसी स्थिति के मामले में सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना

2615. **श्री पशुपति नाथ सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड सहित देश में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार झारखंड सहित देश के गरीब छात्रों के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा को वहनीय बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना आयोग से परामर्श कर यह निर्णय लिया है कि 12वीं योजना में, 11वीं योजना में नई स्थापित केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं के समेकन और नई केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की अपेक्षा उनमें गुणवत्ता सुधार करने पर फोकस होना चाहिए। तथापि, नई संस्थाओं को स्थापित करने के लिए चल रही योजनाएं जारी रहेंगी।

XIवीं और XIIवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अभिज्ञात 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए, राज्य सरकारों की साझेदारी से इन शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इन 374 जिलों के ब्यौरे http:/www.ugc.ac.in/oldpdf/xiplanpdf/newmodelcollegesEBD 16nov09.pdf पर उपलब्ध हैं। ऐसे बारह जिलों की पहचान झारखंड में की गई है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा सूचित, झारखंड राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पॉलिटेक्निकों संबंधी उप-मिशन की योजना के तहत, देश के 300 असेवित और अल्पसेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रति पॉलिटेक्निक, एक-बारगी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। 300 जिलों की सूची संलग्न विवरण पर दी गई है। झारखंड राज्य में सभी 17 पात्र जिलों में नए पोलीटेक्निकों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

योजना के तहत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गैर-लाभार्थ सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर बीस नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। सात राज्यों नामत: असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश से सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। झारखण्ड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु भूमि की पहचान कर ली है, लेकिन इसे अभी भी उद्योग साझीदारों की पहचान करनी है।

(ग) और (घ) जी, हां। XIवीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक नई केन्द्रीय सेक्टर की छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उच्चतर अध्ययन करने के लिए कम आय वाले परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनके रोजमर्रा के खर्चों के एक भाग को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। केन्द्र सरकार ने ऋण-स्थगन अवधि (अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि सह एक वर्ष या नौकरी प्राप्त करने के लिए छह महीने पश्चात् इनमें जो भी पहले हो।) के दौरान, भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थाओं से किसी अनुमोदित पाठ्यक्रमों को करने के लिए, भारतीय बैंक एसोसिएशन की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए ऋणों पर पूर्ण ब्याज सहायिकी उपलब्ध कराने हेतु भी वर्ष 2009 में एक योजना शुरू की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी, सामाजिक रूप से लाभवंचित वर्गों जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनु. जाति/अनु. जनजाति के विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां, अनु. जाति/अनु. जनजाति के विद्यार्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्यतावृत्तियों को कार्यान्वित करता है।

विवरण

300 असेवित और अल्पसेवित जिलों की सूची

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	सीतामढ़ी	बड़गाम	ईस्ट गारो हिल्स	जैसलमेर	बाराबंकी
मिडिल और उत्तरी निकोबार अंडमान	सीवान	बारामूला	रीमोई	झुनझुनू	अम्बेडकर नगर
निकोबार	सुपौल	डोडा	साउथ गारो हिल्स	करौली	भरैंच
2. आन्ध्र प्रदेश	वैशाली	कथुआ	वेस्ट खासी हिल्स	टोंक	बस्ती
रंगा रेडडी	मुंगेर	कुपवाड़ा	16 मिजोरम	बासबाड़ा	द्वेरिया
3. अरुणाचल प्रदेश	शेखपुरा	पुंछ	ममीत	21 दिल्ली	गाजीपुर
तवांग	नलंदा	ऊधमपुर	सेम्पाई	उत्तरी	वाराणसी
पश्चिमी कामेंग	भोजपुर	पुलबामा	कोलाशिव	उत्तर पूर्व	मिरजापुर
पूर्वी कामेंग	बक्सर	रजौरी	लवांगटलाई	केंद्रीय	गोंडा
लोवर सुबनसिरी	रोहतास	बांदीपुरा	सिरसिप	पश्चिम	आजमगढ़
पूर्वी सियांग	भागलपुर	गंदेरबल	सहाई	नई दिल्ली	बलिया
अपर सियांग	गया	कुलगांव	17 नागालैण्ड	22 सिक्किम	29 पश्चिम बंगाल
दीवंगवेली	कैमूर (भबूया)	सोफियां	मौन	पश्चिमी जिला	दक्षिण दिनाजपुर
लोहित	जहानाबाद	रामबन	तुनसंग	उत्तरी जिला	जलपाईगुड़ी
चांगलांग	अरबल	किस्तवार	बोका	23 त्रिपुरा	उत्तर दिनाजपुर
तीराप	सारण	रियासी	फेक	दक्षिणी त्रिपुरा	मलदाह
लोअर दलवंगबेरी	24 मणिपुर	सांबा	पिरण	धलाई	बीरभुम
कुरूंग कुमी	सेनापति	12 झारखंड	लॉगलेंग	उत्तीर त्रिपुरा	नाडिया
अनजाव	तमेंगलांग	गिरदी	किफीरी	25 तमिलनाडु	नॉर्थ 24 परगना
अपर सुबनसिरी	चुराचंदपुर	गोडा	18 ओडिशा	थेनी	बंकुरा
4. असम	भिषणपुर	गुमला	संभलपुर	तिरवरूवर	पुरलिया
धुबरी	थोवल	सल्मदेगा	देवगढ़	विल्लूपुरम	मिदनीपुर

गोलपाड़ा	इम्फालपुर	पाकौर	केंद्रपाड़ा	तिरूवन्नामलाई साउथ 24 परगना
बरपेटा	उकरूल	पलामू	जगत सिंगपुर	धरमापुरी
नलबारी	चंदेल	प सिंह भूमि	जजपुर	करूर
दारांग	6 छत्तीसगढ़	साहिबगंज	नयागढ़	पैरामबरूर
मारीगांव	बस्तर	चतरा	पुरी	26 उत्तराखंड
सोनितपुर	बिलासपुर	द्वेघर	गजपती	पिथौड़ागढ़
लखीमपुर	दांतेवाड़ा	दुमका	बौध	27 लक्षद्वीप
धिमाजी	जंजगीर-चम्पा	गरबा	सेनापुर	लक्षद्वीप
तेनसुखिया	कंकेर	हजारीबाग	नौपाड़ा	28 उत्तर प्रदेश
शिवसागर	कोरिया	लोहारदगा	कलाहंडी	कन्नौज
नॉर्थ कछार हील	रायपुर	जमतारा	नवरंगापुर	औरिया
करीमगंज	सरगूजा	खुंती	मलगानगिरी	कौशांबी
हैलाकांडी	बिजापुर	रामगढ़	अंगुल	श्राबस्ती
उदलगिरी	नरायणपुर	13 मध्य प्रदेश	मयुरभंज	बलरामपुर
चिरांग	जसपुर	सियोपुर	बोलनगिर	सिद्धार्थनगर
बसका	7 दमन और दीव	शिवपुरी	बेरागढ़	संत कबीरनगर
कामरूप ग्रामीण	दीव	रेवा	कोरापुट	महराजगंज
नौगांव	8 गुजरात	उमरिया	भदरक	कुशीनगर कुल जिले - 300
कार्बी अंगलूंग	नरमदा	मदासौर	बालासौल	संत रविदासनगर
गोलाघाट	तापी	साहजापुर	गंधमाल	कानपुर देहात
5 बिहार	जुगाड़	डिंडोरी	19 पंजाब	एटा
अरेरिया	खेड़ा	दतिया	कपुरथला	सोनभद्र
बंका	नवसारी	देवास	नवाशहर	ज्योतिबा फुलेनगर
बेगूसराय	9 हरियाणा	कांती	फरिदकोट	हमीरपुर

दरभंगा	यमुनानगर	अनुपपुर	फतेहगढ़ साहिब	चित्रकूट
गोपालगंज	कुरूक्षेत्र	अलिराजपुर	बरनाला	बिजनौर
जमुई	फतेहाबाद	हौशंगाबाद	मुकटसार	मुरादाबाद
औरंगाबाद	पंचकुला	सिंधी	मंसा	रामपुर
कटिहार	कैथल	विदिशा	20 राजस्थान	आगरा
खगड़िया	पानीपत	टिकमगढ़	प्रतापगढ़	फिरोजाबाद
किशनगंज	रेवाड़ी	पन्ना	नागोरे	नैनपुरी
लखीसराय	10 हिमाचल प्रदेश	बरवाणी	जलोर	बुडॉन
मधेपुरा	लाहौल तथा स्पीति	राजगढ़	बरन	पिलीभीत
मधुबनी	कुल्लू	सियोर	भिलवाड़ा	शाहजहापुर
नवादा	बिलासपुर	रायसेन	बुंदी	खेरी
पश्चिमी चम्पारण	किन्नौर	14 महाराष्ट्र	दौसा	हरदोई
पूर्वी चम्पारण	सिरमौर	अकोला	धौलपुर	उन्नाव
समस्तीपुर	11 जम्मू और कश्मीर	हिंगोली	डुंगरपुर	फतेहपुर
श्योहर	अनन्तनाग	15 मेघालय	हनुमानगढ़	प्रतापगढ़

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा

2616. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:**

श्री भास्करराव बापू राव पाटील खतगांवकर:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों और केन्द्र में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संभाल रहे अपने कर्मचारियों के लिए दिसम्बर, 2012 में एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) सरकार द्वारा इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर व्यय कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार साइबर सुरक्षा में निजी कंपनियों को लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) और (ख) जी, हां। साइबर स्पेस से उत्पन्न होने वाले मुख्य सूचना परिसम्पत्ति की चुनौतियों के बारे में बताने के लिए 17 दिसम्बर, 2012 को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र तथा राज्यों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की तरह दिशानिर्देश देने हेतु शैक्षिक और उद्योग जगत को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य दल (जे.डब्ल्यू.जी.) गठित किया गया।

(ग) सौंपे गए कार्य के अनुरूप जे.डब्ल्यू.जी. ने बहुत सारी बैठकें की हैं तथा महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के संदर्भ में सेक्टोरल पणधारकों के साथ भी बैठक करने का प्रयास किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एन.एस.ए.) द्वारा साइबर सुरक्षा पर निजी क्षेत्र के साथ कार्य करने की संयुक्त कार्य दल की रिपोर्ट 15 अक्टूबर, 2012 को जारी की गई। जे.डब्ल्यू.जी. द्वारा जारी की गई रिपोर्ट साइबर सुरक्षा पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के लिए "रोडमैप" है। इसके लिए की गई सिफारिशों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एक सांस्थानिक ढांचा की स्थापना करना, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा मानकों तथा आश्वासन तंत्रों का विकास तथा आई.टी. उत्पादों के लिए जांच और प्रमाणन सुविधा में वृद्धि करना शामिल है। उपर्युक्त सिफारिशों के मद्देनजर 29 नवम्बर, 2012 को एक संयुक्त कार्य दल की स्थापना की गई तथा इसने कार्य शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना

2617. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संस्कृत की पढ़ाई में लोगों की रुचि धीरे-धीरे कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संस्कृत भाषा के विकास और प्रसार के लिए कोई नई योजना बनाई है या बनाने का विचार है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए आवंटित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में संस्कृत भाषा के विकास और प्रसार के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। सरकारी स्वामित्व वाली संस्कृत संस्थाओं में नामांकित छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और विभिन्न संस्थाओं में संस्कृत शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान में भी तद्नुरूप वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत सरकार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति और महर्षि सांदिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के माध्यम से संस्कृत भाषा का संवर्धन कर रही है। इसके अलावा संस्कृत विश्वविद्यालयों से संबद्ध 1057 संस्कृत कॉलेज/केन्द्र हैं जिनका वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा किया जा रहा है। यू.जी.सी. संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान हेतु निधियां उपलब्ध कराती है। यू.जी.सी. विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.) के तहत् चयनित विश्वविद्यालयों को संस्कृत में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के विकास हेतु अनुदान भी उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	2009-2010	2010-11	2011-12
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	8510.00	8748.00	10800.00

क्र.सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	2009-2010	2010-11	2011-12
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1714.61	1798.00	2057.20
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश	1779.07	1448.36	1869.32
4.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार	शून्य	शून्य	196.36
5.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी, केरल	शून्य	285.94	शून्य
6.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी, ओडिशा	105.50	85.76	235.25
7.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	90.00	138.85	शून्य
8.	महर्षि सांदिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, मध्य प्रदेश	1200.00	1200.00	1200.00

[अनुवाद]

विरासत बसावटों का विकास

2618. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में कुछ विरासत बसावटों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता आवंटित की है/आवंटित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त सहायता से शुरू किए गए कार्य या शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) विरासत क्षेत्रों का विकास जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.ए.) के उप मिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) और छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत स्वीकार्य घटकों में से एक है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के विरासत घटक के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) वचनबद्धता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	चारमीनार पैदलपथ परियोजना, हैदराबाद के अन्तर्गत बाहरी रिंग रोड और आन्तरिक रिंग रोड पर सड़क चौड़ीकरण।	3510.00	1228.50

1	2	3	4	5
2.	कर्नाटक	मैसूर में विरासत और मुख्य विरासत शहरी नवीकरण।	3897.00	3117.60

आवास

2619. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:**

श्री ए.के.एस. विजयन:

श्री सुदर्शन भगत:

श्री संजय दिना पाटील:

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आवासों की कीमत बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या बेईमान बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ग्राहकों को लूटे जाने/धोखा देने के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में रियल एस्टेट फर्मों और बिल्डरों से निपटने के लिए विनियम और कानून की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार बेईमान बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों से खरीददारों की रक्षा करने के लिए कड़े विनियम और कानून बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुछ प्रतिशत फ्लैटों का निर्माण किए जाने को निजी बिल्डरों के लिए अनिवार्य बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय आवासीय बैंक (एन.एच.बी.) रेजीडेक्स, जो चुने शहरों में आवासीय मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर नजर रखता है, से यह पता चलता है कि वर्ष 2011 और 2012 के दौरान अवासों के मूल्य में औसत वार्षिक वृद्धि 12.3% (आधार वर्ष 2007) थी। ये आवासीय मूल्य बाजार द्वारा संचालित होते हैं और मांग और आपूर्ति के कारकों पर आधारित होते हैं।

किफायती आवासों के स्टॉक की आपूर्ति को सुगम बनाने की दृष्टि से और शहरी गरीबों के लिए मूल्यों में राहत के लिए, भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है:

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) और इसके दो घटक शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) और एकीकृत विकास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.-डी.पी.)
- राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) स्कीम
- साझेदारी किफायती आवास योजना (ए.एच.पी.)

शहरी गरीबों को सस्ते ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए ताकि वे आवास निर्माण/क्रय करने में समर्थ हो सकें, भारत सरकार शहरी गरीबों की आवास प्रदान करने की ब्याज सब्सिडी योजना (आई.एस.एच.यू.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसे शीघ्र ही राजीव ऋण योजना (आर.आर.वाई.) के नाम से जाना जाएगा।

(ख) से (ङ) "भूमि" और "कालोनाईजेशन" राज्य के विषय हैं, इसलिए, बेईमान निर्माताओं और संपदा व्यापारियों द्वारा क्रेताओं को ठगने/धोखा देने के मामलों का समाधान करना राज्य प्राधिकरणों का मुख्य दायित्व है।

भू संपदा परियोजनाओं का अनुमोदन/कार्यान्वयन पूर्णरूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के भीतर संबंधित स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियमों, विकास प्राधिकरण अधिनियमों और अन्य इसी प्रकार के विधानों द्वारा विनियमित होते हैं।

भू-संपदा संबंधी लेन-देन प्रमुख रूप से संविदा अधिनियम द्वारा विनियमित होते हैं और संविदा के उल्लंघन के मामले में भू-संपदा फर्मों और निर्माताओं के साथ कार्रवाई करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.), अपराध प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम के अंतर्गत उपचार उपलब्ध हैं।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय बेईमान निर्माताओं और संपदा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को धोखा देने/ठगने के मामलों से अवगत है। इसलिए, भू-संपदा लेन देनों में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने, पारदर्शिता लाने और ईमानदारी और नैतिक व्यापारिक पद्धतियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने भू-संपदा (रिअल इस्टेट) (विनियमन और विकास) विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का लक्ष्य भू-संपदा क्षेत्र में प्रकटन, उचित पद्धति और उत्तरदायित्व मानदण्डों के प्रवर्तन के लिए विनियामक निगरानी तंत्र की स्थापना करना है और विवादों के द्रुत समाधान के लिए न्याय-निर्णय तंत्र उपलब्ध कराना है। तथापि, ऐसी स्थिति में इसे अंतिम रूप प्रदान करने के संबंध में कोई समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती है।

(च) इस मंत्रालय ने राज्यों को यह परामर्श दिया है कि वे आवासीय एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. का कम से कम 15% अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए आवासीय एककों का 35%, जो भी अधिक हो, सभी भावी आवासीय परियोजनाओं में क्रास-सब्सीडाइजेशन की प्रणाली के साथ आरक्षित रखें।

रैन बसेरा

2620. **श्रीमती मेनका गांधी**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रैन बसेरों की संख्या कितनी है एवं इनमें से सरकार द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन रैन बसेरों, विशेषकर वे जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, में गर्मी/सर्दी/बरसात के दौरान जरूरत पड़ने वाली बुनियादी सुविधाओं की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन बसेरों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) "भूमि" और "कालोनाईजेशन" राज्य के विषय हैं, इसलिए बेघर परिवारों को आश्रय प्रदान करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है। भारत सरकार न ही कोई रैनबसेरों को चलाती है और न ही यह देश में रैन बसेरों के विवरण रखती है।

(ख) से (घ) उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पॉलीटेक्निक संस्थानों का उन्नयन

2621. **डॉ. रतन सिंह अजनाला** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब और हरियाणा सहित विभिन्न राज्य सरकारी से इन राज्यों में पॉलीटेक्निक संस्थानों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) पॉलीटेक्निकों में अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन की वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार सूची नीचे दी गई है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव
अंडमान और निकोबार	1	मध्य प्रदेश	37
आन्ध्र प्रदेश	88	महाराष्ट्र	54
अरुणाचल प्रदेश	1	मणिपुर	1
असम	9	मेघालय	2
बिहार	12	नागालैंड	3
चंडीगढ़	2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9
छत्तीसगढ़	12	ओडिशा	13
दादरा और नगर हवेली	1	पुदुचेरी	3
दमन और दीव	1	पंजाब	21
गोवा	4	राजस्थान	26
गुजरात	20	सिक्किम	2
हरियाणा	17	तमिलनाडु	58
हिमाचल प्रदेश	9	त्रिपुरा	2
जम्मू और कश्मीर	6	उत्तर प्रदेश	72
झारखण्ड	13	उत्तराखण्ड	38
कर्नाटक	77	पश्चिम बंगाल	37
केरल	57		

(ग) सरकार ने 500 सार्वजनिक वित्तपोषित पॉलीटेक्निकों में अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रति पॉलीटेक्निक दो करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को अनुमति दे दी है और ऐसे 500 पॉलीटेक्निकों के लिए आंशिक वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

यू.आई.डी. कार्ड जारी किए जाने पर विवाद

2622. श्री रामकिशुन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.आई.डी. और स्मार्ट कार्ड के जारी किए जाने के संबंध में मंत्रालयों के बीच भ्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या देश के नागरिकों को दो प्रकार के पहचान कार्ड जारी किए जाने से राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) एक संवर्धनात्मक पहल के रूप में सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (जिसे आधार संख्या कहा जाता है) जारी कर रहा है। आधार व्यक्ति के जनसांख्यिकी और बायोमीट्रिक सूचना से जुड़ी हुई एक विशिष्ट पहचान संख्या है। निवासी को इस संख्या के बारे में सूचना एक पत्र के माध्यम से दी जाती है। यू.आई.डी.ए.आई. कोई कार्ड जारी नहीं करता है।

भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) को सामान्यत: भारत में होने वाले लोगों की एक राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एन.पी.आर.) तैयार करने और नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्रों को जारी करना) नियम, 2003 के अंतर्गत, राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अधिदेश दिया गया है। परिचय पत्रों में आधार संख्या भी होंगी। ई.एफ.सी. ने निवासी परिचय पत्र जारी करने के लिए इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है और इसकी सिफारिश की है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.01.2013 को इस प्रस्ताव पर विचार किया है और यह निदेश दिया है कि मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.), जिसका गठन किया जा चुका है, के द्वारा इस पर विचार किया जाए।

शिक्षकों की कमी

2623. **श्री सज्जन वर्मा:**

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

श्री राम सिंह कस्वां:

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित देश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों से आज तक इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट धनराशि का आवंटन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन विद्यालयों में उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार शिक्षक उपस्थिति प्रतिशत कितना रहा है; और

(च) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्य-योजना बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए 2001-02 के बाद शिक्षकों के 19.82 लाख पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 12.86 लाख शिक्षक भर्ती किए गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत (अर्थात् प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को शामिल करते हुए) संस्वीकृत और भर्ती किए गए शिक्षकों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। सरकारी स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर शिक्षक की कमी से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के वेतन के संबंध में निधियों का राज्यवार और वर्षवार आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 2009 में संचालित माध्यमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षक के वेतनों के संबंध में जारी निधियों का राज्यवार और वर्षवार आबंटन दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

(ङ) 2008-09 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की औसत दर क्रमश: 81.7 प्रतिशत और 80.5 प्रतिशत थी। राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(च) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित छात्र अध्यापक अनुपात बनाए रखा जाएगा। अत: राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत पदों और राज्य क्षेत्र के रिक्त पदों पर अध्यापकों की तैनाती को युक्तिसंगत बनाने और अध्यापकों की शीघ्र भर्ती करने का परामर्श दिया गया है ताकि अध्यापकों की कमी और अध्यापकों की तैनातियों में शहरी ग्रामीण असंतुलन की समस्या का समाधान किया जा सके। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, अध्यापकों के 40,018 अतिरिक्त पद संस्वीकृत किए गए हैं।

विवरण-I

31 दिसंबर, 2012 तक शिक्षकों की राज्य-वार संचयी संस्वीकृतियां और भर्ती

क्र.सं.	राज्य	शिक्षक के पद	
		संस्वीकृत	भर्ती किए गए
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	39189	27402
2.	अरुणाचल प्रदेश	7262	6153
3.	असम	48808	40756
4.	बिहार	403413	198035
5.	छत्तीसगढ़	67507	57193
6.	गोवा	179	179
7.	गुजरात	58688	31430
8.	हरियाणा	13435	11286
9.	हिमाचल प्रदेश	5856	3653
10.	जम्मू और कश्मीर	46471	40501
11.	झारखंड	120396	81974
12.	कर्नाटक	29055	24278
13.	केरल	2925	0
14.	मध्य प्रदेश	173855	94745
15.	महाराष्ट्र	42091	15387
16.	मणिपुर	2871	2719
17.	मेघालय	13262	9050
18.	मिज़ोरम	2485	2175

1	2	3	4
19.	नागालैण्ड	3147	2936
20.	ओडिशा	89901	79817
21.	पंजाब	14090	11488
22.	राजस्थान	114132	100889
23.	सिक्किम	724	405
24.	तमिलनाडु	33214	26374
25.	त्रिपुरा	6980	6435
26.	उत्तर प्रदेश	423553	264466
27.	उत्तराखंड	14316	5046
28.	पश्चिम बंगाल	198253	136630
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	210	198
30.	चण्डीगढ़	1390	1060
31.	दादरा और नगर हवेली	937	452
32.	दमन और दीव	119	42
33.	दिल्ली	7104	3136
34.	लक्षद्वीप	38	17
35.	पुदुचेरी	48	37
	कुल सर्व शिक्षा अभियान	1982904	1286344

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शिक्षकों के वेतन के संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	120.6	104.4	29'1.96	401.88
2.	आन्ध्र प्रदेश	26139.63	62126.1414	90744.83	117793.38

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
3.	अरुणाचल प्रदेश	4855.2	8212.595	18597.0684	17974.56
4.	असम	0	7976.4	25254.336	48506.65
5.	बिहार	138112.79	199437.01	327737.61	397714.05
6.	चंडीगढ़	1258.45	1804.324	2231.186	3901.71
7.	छत्तीसगढ़	49652.048	85124.29	87696.074	98541.48
8.	दादरा और नगर हवेली	324.75	427.425	1060.02	561.75
9.	दमन और दीव	68.67	95.43	210.06	220.50
10.	दिल्ली	34.2	1050.165	8140.64	8884.65
11.	गोवा	268.5	282.6	625.08	1084.20
12.	गुजरात	0	6550.74	26622.08	102755.37
13.	हरियाणा	24163.01	26158.845	35949.33	43610.71
14.	हिमाचल प्रदेश	4435.44	7471.8	9199.926	9638.55
15.	जम्मू और कश्मीर	31674.6	47371.812	67721.88	76681.72
16.	झारखंड	46484.28	49758.26	58676.4	59911.92
17.	कर्नाटक	38643.62	46259.527	46760.67	63899.53
18.	केरल	0	5486.44	15466.9	3712.45
19.	लक्षद्वीप	30.1	47.5	134.82	89.80
20.	महाराष्ट्र	4707.3	27565.49	73506.18	35205.10
21.	मणिपुर	15.6	1625.043	5250.42	7921.68
22.	मेघालय	3459.78	8640.39	9562.38	9415.08
23.	मिजोरम	1666.58	2532.62	6891.90	8205.00
24.	मध्य प्रदेश	72617.295	118941.48	162304.34	190414.61
25.	नागालैंड	270.84	4425.822	4822.75	1679.61
26.	ओडिशा	42371.1	57593.601	58615.713	58360.03

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
27.	पुदुचेरी	53.52	76.71	135.4152	169.08
28.	पंजाब	7844.33	16272.12	37625.4	28534.64
29.	राजस्थान	151962.48	193332.23	256001.4	289343.13
30.	सिक्किम	556.96	1830.471	2283.36	2337.50
31.	तमिलनाडु	25690.5	51610.725	79641.755	77331.76
32.	त्रिपुरा	4265.1	6441.55	8054.2602	9494.42
33.	उत्तर प्रदेश	248670.35	370198.38	502762.469	704770.99
34.	उत्तराखंड	15002.24	25769.9765	32191.08	22241.64
35.	पश्चिम बंगाल	66516.463	167324.8577	225081.027	201021.01
	कुल	1011936.326	1609927.171	2287850.724	2702330.14

विवरण-III

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों के लिए 2009-10 से 2012-13 तक जारी राज्यवार निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत शिक्षकों के वेतन सहित जारी निधियां			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (11.3.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.64	1.05	0.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	15.05	311.57	328.32	354.65
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.89	26.98	20.24	23.66
4.	असम	8.70	19.35	83.46	103.85
5.	बिहार	19.64	77.27	23.50	137.66

1	2	3	4	5	6
6.	चंडीगढ़	0.10	0.45	2.35	0.70
7.	छत्तीसगढ़	58.12	15.25	344.69	165.45
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.20	1.26	0.45
9.	दमन और दीव	0.00	0.31	1.29	0.55
10.	दिल्ली	0.00	0.71	3.97	0.00
11.	गोवा	0.51	0.54	3.12	0.00
12.	गुजरात	2.94	10.69	15.25	82.05
13.	हरियाणा	5.33	23.00	175.56	101.12
14.	हिमाचल प्रदेश	3.74	38.50	57.66	20.36
15.	जम्मू और कश्मीर	11.02	26.40	96.36	109.36
16.	झारखंड	9.41	69.43	17.94	0.00
17.	कर्नाटक	74.43	19.47	48.90	56.41
18.	केरल	10.33	15.13	19.10	15.27
19.	लक्षद्वीप	1.10	0.05	0.74	0.00
20.	मध्य प्रदेश	97.58	196.19	242.39	461.23
21.	महाराष्ट्र	3.50	13.47	73.99	9.85
22.	मणिपुर	18.54	25.26	38.13	43.01
23.	मेघालय	1.86	0.00	12.39	1.60
24.	मिजोरम	17.21	19.08	36.23	63.92
25.	नागालैंड	11.87	5.24	28.26	16.62
26.	ओडिशा	8.04	89.83	128.87	215.43
27.	पुदुचेरी	1.82	1.87	1.96	0.72
28.	पंजाब	25.25	188.25	89.40	258.44
29.	राजस्थान	19.38	52.96	146.89	87.04

1	2	3	4	5	6
30.	सिक्किम	2.70	4.26	6.92	0.00
31.	तमिलनाडु	55.18	77.05	197.19	276.14
32.	त्रिपुरा	9.98	25.26	7.23	47.11
33.	उत्तर प्रदेश	36.10	49.43	204.48	220.87
34.	उत्तराखंड	3.52	76.01	34.07	96.64
35.	पश्चिम बंगाल	12.99	0.00	2.74	0.00
	अन्य	1.30	1.85	3.91	5.10
	कुल	549.13	1481.95	2499.81	2975.24

विवरण-IV

शिक्षकों की उपस्थिति का प्रतिशत दर्शाने वाला ब्यौरा

.राज्य	शिक्षक	
	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	78.1	77.3
असम	79.2	55.2
बिहार	75.8	74.9
छत्तीसगढ़	75.7	73.5
दिल्ली	95.0	उपलब्ध नहीं
गुजरात	70.0	87.6
हरियाणा	86.9	91.9
हिमाचल प्रदेश	80.0	88.0
जम्मू और कश्मीर	80.8	83.1

1	2	3
कर्नाटक	83.9	84.0
केरल	84.5	85.3
मध्य प्रदेश	70.4	67.0
महाराष्ट्र	87.8	87.1
ओडिशा	87.4	86.6
पंजाब	83.5	78.1
राजस्थान	81.1	79.8
तमिलनाडु	86.6	89.6
उत्तर प्रदेश	77.8	82.6
उत्तराखंड	83.0	77.7
पश्चिम बंगाल	96.3	98.1
समग्र	81.7	80.5

[अनुवाद]

उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण

2624. **श्री जोस के. मणि:**

श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर कोरिया द्वारा हाल में किए गए परमाणु परीक्षण को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इसे एक ऐसा कृत्य माना है जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर कोरिया को उसके यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का विकास करने में भारत का संदेह पाकिस्तान पर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डी.पी.आर.के.) ने 12 फरवरी, 2013 को एक परमाणु परीक्षण किया। भारत सरकार ने यह संज्ञान लेते हुए कि डी.पी.आर.के. ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करके यह कार्य किया है, परमाणु परीक्षण पर गहरी चिन्ता व्यक्त की और ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया जो क्षेत्र की शांति तथा स्थिति को विपरीत ढंग से प्रभावित करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने बड़ी संख्या में होने वाली इन गुप्त कार्रवाइयों की भूमिका को समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रेखांकित किया है। सरकार ऐसे सभी घटनाक्रमों का अनुवीक्षण करती रहती है, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

2625. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु बिजली क्षेत्र में अपनायी गई प्रौद्योगिकी रूस, चीन तथा अन्य विकसित देशों के मुकाबले भारत में अधिक महंगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रूस, चीन और अन्य विकसित देशों की तरह देश में परियोजनाएं स्थापित करने और उन्हें चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी नहीं। नाभिकीय विद्युत की लागत, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी की किस्म, संयंत्र के जीवनकाल, ईंधन की लागत आदि पर निर्भर करती है। स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों से प्राप्त विद्युत की समतलीकृत लागत, विकसित देशों में स्थापित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से प्राप्त विद्युत पर आने वाली लागत के तुलनीय है, और देश में विदेशी तकनीकी सहयोग से स्थापित किए जा रहे साधरण जल रिएक्टरों (एल.डब्ल्यु.आर्ज) के मामले में यह लागत भी इतनी ही आने की आशा हे।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कुडनकुलम विद्युत संयंत्र को सुरक्षा संबंधी खतरा

2626. **श्री एम.आई. शानवास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र (के.एन.पी.पी.) को सुरक्षा संबंधी कोई खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या के.एन.पी.पी. में कोई बेनामी धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार/के.एन.पी.पी. द्वारा संयंत्र और कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) हालांकि वर्तमान में कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र को कोई विशेष खतरा नहीं है, परमाणु ऊर्जा विभाग की संस्थापनाएं और इसकी आवासीय कॉलोनियां, लगातार भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले गुटों और तत्वों का संभावित लक्ष्य रही हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र में, 15.05.2012, 03.01.2013 और 08.01.2013 को गुमनाम पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें संयंत्र में बम विस्फोट करने और वरिष्ठ अधिकारियों का अपहरण करने की धमकियां दी गई थीं।

(ङ) उक्त धमकी के मद्दे नजर, संयंत्र तथा कालोनी के क्षेत्र में, केन्द्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की नियुक्ति कर दी गई है। निरंतर अतिरिक्त सतर्कता भी रखी जाती है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में हिंसा

2627. **श्री शैलेन्द्र कुमार:**

श्री डा. बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित देश में विश्वविद्यालयों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालयों में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, सामान्यत: देश के विश्वविद्यालयों में हिंसा की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। केन्द्र सरकार, राज्य विश्वविद्यालयों में सूचित घटनाओं को मॉनीटर नहीं करती है; क्योंकि हिंसा पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित तथा वित्त-पोषित 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल दो अर्थात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल ने विगत वर्ष के दौरान हिंसा और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि को सूचित किया है।

(ग) चूंकि कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों विशेष रूप से जिला प्रशासनों का होता है, जब भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाओं की सूचना मिलती है, केन्द्र सरकार शीघ्रता से उनके बारे में सूचना प्रदान करती है। जिला तथा राज्य प्रशासनों का प्रत्युत्तर इन सभी मामलों में अनुकूल और सहयोगी रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक तथ्य अन्वेषण दल को भी नियुक्त किया है जिसने अभी इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई है।

[अनुवाद]

डाकघरों द्वारा सोने के सिक्कों की बिक्री

2628. श्री मधु गौड यास्खी:

श्री प्रदीप माझी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाक द्वारा देश में विभिन्न मूल्य वर्ग के सोने के सिक्के बेचे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान अब तक भारतीय डाक द्वारा बेचे गए सिक्कों का, वजन के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय डाक द्वारा जिस दर पर प्रतिग्राम सोना खरीदा और बेचा गया, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी बिक्री से भारतीय डाक द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) जी नहीं।

(ख) 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भारतीय डाक द्वारा बेचे गए सोने के सिक्के के वजन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	बेचे गए सोने के सिक्के (ग्राम में)
2011-12	6,36,630
2012-13 (6 मार्च, 2013 तक)	8,43,572

(ग) भारतीय डाक सोने के सिक्के नहीं खरीदता है लेकिन उचित प्रक्रिया के तहत चयनित व्यवसाय पार्टनर के सहयोग से "बिक्री अथवा वापसी" के आधार पर सेवा प्रदान करता है। सोने के सिक्के की दरें अंकित मूल्य के आधार पर तय की जाती है तथा दैनिक आधार पर संशोधित की जाती हैं।

(घ) 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भारतीय डाक द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	भारतीय डाक द्वारा अर्जित राजस्व (लाख रुपये में)
2011-12	731.41
2012-13 (6 मार्च 2013 तक)	1311.53

[हिन्दी]

सूचना आयुक्तों की सेवानिवृत्ति

2629. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक सूचना आयुक्तों के आने वाले महीनों में सेवानिवृत्त होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र और राज्यों में सूचना आयुक्तों के चयन हेतु पारदर्शी नीति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां वर्ष 2013 के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग में निम्नलिखित सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्रीमती अन्नपूर्णा दीक्षित, सूचना आयुक्त	05.06.2013
2.	श्री सत्यानन्द मिश्रा, मुख्य सूचना आयुक्त	04.09.2013
3.	श्री एम.एल. शर्मा. सूचना आयुक्त	07.09.2013
4.	श्रीमती दीपक सन्धु, सूचना आयुक्त	18.12.2013

(ग) और (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12(3) के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में (i) प्रधानमंत्री (ii) लोक सभा में विपक्ष के नेता एवं (iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(3) के अनुसार राज्य सूचना आयोग में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में (i) मुख्यमंत्री, (ii) विधान सभा में विपक्ष के नेता एवं (iii) मुख्य मंत्री द्वारा नामांकित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में गरीब छात्रों का दाखिला

2630. श्रीमती रमा देवी:

श्री प्रताप राव गणपतराव जाधव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उच्च अध्ययन/शिक्षा में दाखिला प्राप्त करने वाले अति गरीब परिवारों के छात्रों का व्यापक आंकड़ा तैयार करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अति गरीब परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा/अध्ययन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण शुरू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यक आदि छात्रों, जो उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में दाखिल हैं, के आंकड़ा-संग्रहण का प्रावधान है।

(ग) सरकार निर्धन परिवारों के छात्रों को उच्चतर अध्ययन में समर्थ बनाने के लिए छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, 'फ्रीशिप', शिक्षा-ऋण, कोचिंग तथा उपचारात्मक पाठ्यक्रमों आदि पर ब्याज सब्सिडी देती है।

फेरीवालों को परेशान करना

2631. श्री आर. थामराईसेलवन:

श्री रमाशंकर राजभर:

श्री खगेन दास:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फेरीवालों को परेशान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को आन्ध्र प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों द्वारा फेरीवालों को कथित रूप से जबरदस्ती हटाने तथा उन्हें परेशान करने के संबंध में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स से कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को फेरीवालों को तब तक हटाने या परेशान नहीं करने का अनुरोध किया है जब तक कि फेरीवालों के लिए केन्द्रीय विधान अधिनियमित नहीं हो जाता; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) नेशनल एसोसिएशन ऑन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया सहित विभिन्न हॉकर्स एसोसिएशनों से कुछ राज्य सरकारों/नगर निगमों द्वारा पथ विक्रेताओं को परेशान करने के बारे में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को इस मामले से संबंधित आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। शहरी पथ विक्रेता से संबंधित राष्ट्रीय नीति 2009 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इस मंत्रालय ने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऐसे अभ्यावेदन अग्रेषित कर दिए हैं।

(घ) और (ङ) शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने शहरी पथ विक्रेताओं पर संशोधित राष्ट्रीय नीति 2009 तैयार की है। शहरी पथ विक्रेताओं से संबंधित राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों को सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है।

शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए एवं पथ विक्रय गतिविधियों के विनियमन के लिए 6 सितम्बर, 2012 प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने यह विधेयक जांच के लिए शहरी विकास से संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया है।

विदेश में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच

2632. श्री अशोक अर्गल:

श्री बलवीर सिंह:

श्री नीरज शेखर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को विदेशों में जांच के लिए भेजे गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और;

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अब तक जिन मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं उनका मामले-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) पिछले 2 वर्षो के दौरान अर्थात् 2011, 2012, तथा 2013 (31.1.2013 तक) में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को विदेश में जांच हेतु कोई मामला नहीं भेजा गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-मान्यताप्राप्त विद्यालय

2633. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं;

(ख) इन विद्यालयों में राज्य-वार कुल कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन विद्यालयों में न्यूनतम स्तर की अवसंरचना बनाए रखने सहित शिक्षा के अधिकार के

विभिन्न मानदंडों का पूर्णतया पालन करने के लिए अपेक्षित धनराशि के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या बजट विद्यालयों सहित अनेक विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कड़े उपबंधों का पालन न कर पाने के कारण बंद हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप इन विद्यालयों में से बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों के विद्यालयों में इन विद्यालयों के बंद होने के परिणामस्वरूप पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को आमेलित करने की पर्याप्त क्षमता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.-एस.ई.) 2011-12 के अनुसार, पूरे देश में 25,928 मान्यता-रहित स्कूलों ने स्कूल के आंकड़े प्रतिवेदित किए हैं, जिनमें 28.40 लाख बच्चों को नामांकन बताया गया है जिनका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मान्यता रहित स्कूलों सहित, निजी स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों के अध्ययधीन हैं, और उन्हें अधिनियम में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को अपने खर्चे पर पूरा करने के लिए कदम उठाने होंगे।

(ङ) से (ज) आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के तहत विनिर्दिष्ट मानदंड और मानक स्वाभाविक रूप से अल्पतम हैं और बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इनका पालन करना प्रत्येक स्कूल के लिए आवश्यक है। मान्यता रहित स्कूलों के लिए भी आर.टी.ई. अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त आवश्यक है, और अधिनियम के मानदंडों और मानकों के अनुसार अपनी अकादमिक जरूरतों को पूरी करने के लिए उन्हें तीन वर्ष का समय दिया गया है। 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों जिनमें आर.टी.ई. के मानदंडों और मानकों का पालन करने के कारण बंद कर दिए गए स्कूलों में भर्ती किए गए बच्चे शामिल हैं, को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पड़ोस के स्कूल में प्रदान की जिम्मेदारी राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण की है।

विवरण

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2011-12 के अनुसार गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या	गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में नामांकन
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
आन्ध्र प्रदेश	2,577	3,19,816
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
असम	10,069	6,82,213

1	2	3
चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
छत्तीसगढ़	30	1741
दादर और नगर हवेली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दमन और द्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दिल्ली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गोवा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गुजरात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
हरियाणा	603	77,004
हिमाचल प्रदेश	1	27
जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
झारखंड	1,905	4,02,361
कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
केरल	957	1,47,804
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र	297	20,549
मणिपुर	114	14,599
मेघालय	19	783
मिज़ोरम	7	227
नागालैण्ड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
ओडिशा	1,460	2,15,463
पुदुचेरी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पंजाब	6,202	767338
राजस्थान	125	8710

1	2	3
सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु	212	20,734
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश	195	48,800
उत्तराखंड	283	16,263
पश्चिम बंगाल	860	93,657
कुल	25,928	28,40,504

जन शिकायत समाधान

2634. **श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल शिकायत समाधान संबंधी सचिवों की स्थायी समिति ने पाया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभाग/कार्यालय जन शिकायत समाधान के विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रवर्तन के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास, सामाजिक न्याय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चार महीनों से अधिक समय से कितनी शिकायतें लम्बित हैं तथा लम्बित शिकायतों के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री का कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) सचिवों की स्थायी समिति ने वर्ष 1999 में टिप्पणी की थी कि 'लोक शिकायत के निवारण' पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सचिवों की स्थायी समिति की इस चिंता के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों को 30 अक्तूबर, 1999 को अवगत करा दिया गया था। तत्पश्चात सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए अनेक उपाय किए तथा इन उपायों में प्रमुख रूप से निम्न बातें शामिल हैं:-

(1) अक्तूबर, 1999 से मई, 2005 तक (i) शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने; (ii) लोक शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने; (iii) लोक शिकायतों के शीघ्र निपटान; (iv) लोक शिकायतों की पावती देने की समय-सीमा; (v) लोक शिकायत तंत्र का प्रचार आदि विषयों पर 12 दिशा-निर्देश जारी किए गए।

(2) वर्ष 2005 में, केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (सी.पी. ग्राम्स) तैयार की गई। तब से इस प्रणाली में सुधार कर इसका पांच बार उन्नयन किया गया है और इसे http://pgportal.gov.in पर देखा जा सकता है। इससे पूरे देश के 105 मंत्रालय/विभाग/संगठन तथा 7,250 अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालय जुड़े हुए हैं। इस प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ (i) लंबित शिकायतों की मानीटरिंग करने, (ii) नागरिक द्वारा शिकायत को आनलाइन दर्ज कराने, (iii) तत्काल

पावती देने, (iv) नागरिकों द्वारा अनुस्मारक भेजने, (v) निवारण की स्थिति देखने, (vi) निवारण के पश्चात नागरिक से फीडबैक प्राप्त करने की सुविधा है।

(3) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में शिकायतों के लंबित मामलों के संबंध में नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन करना।

(4) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली के उपयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कार्मिकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

(घ) सी.पी. ग्राम्स में यथा उपलब्ध पिछले तीन कैलेंडर वर्षों (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

संगठन	2010	2011	2012
दिल्ली विकास प्राधिकरण	150	320	185
शहरी विकास मंत्रालय	708	1128	1435
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	311	588	656

(ङ) 6 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में 371; शहरी विकास मंत्रालय में 785 और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में 437 शिकायतें चार माह से अधिक समय से लंबित हैं।

भारत सरकार में मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों का निवारण विकेन्द्रीकृत तरीके से किया जाता है तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों के निवारण की कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

2635. श्री एंटो एंटोनी:

श्री देवराज सिंह पटेल:

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू:

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई दूरसंचार की नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा प्रशुल्क ढांचे की व्यापक समीक्षा की है जिसमें नि:शुल्क राष्ट्रीय रोमिंग सेवाएं आरंभ करना और पूर्व-परामर्श पत्र जारी करने का प्रस्ताव है और विभिन्न हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राष्ट्रीय रोमिंग हेतु नया प्रशुल्क ढांचा कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने इस संबंध में अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय नि:शुल्क रोमिंग की प्रतिपूर्ति के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा कॉल दो में प्रशुल्क नहीं बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा 31.5.2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति - 2012 (एन.टी.पी.-12) को अनुमोदित कर दिया गया है। इसकी प्रति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट "www.dog.gov.in" पर उपलब्ध है। एन.टी.पी.-12 की प्रमुख विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 20.12.2012 की "राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रभार की समीक्षा" पर एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया था एवं 25.2.2013 को "राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रशुल्क की समीक्षा पर परामर्श पत्र" जारी करके एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया शुरू की गयी है जिस पर हितधारकों की टिप्पणियां अधिकतम 18.3.2013 तक प्राप्त की जानी है। इसलिए परामर्श प्रक्रिया अभी चल रही है और आगे का ब्यौरा ट्राई द्वारा प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा।

विवरण

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 की प्रमुख विशेषताएं

लाइसेंसिंग, अभिसरण और मूल्य वर्धित सेवाएं

- सेवाओं और सेवा क्षेत्रों में **"एक राष्ट्र-एक लाइसेंस"** की व्यवस्था करने के प्रयास करना।
- **"एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी"** के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा **"एक राष्ट्र-फ्री रोमिंग"** व्यवस्था की ओर अग्रसर रहना।
- प्रौद्योगिकी तटस्थ वातावरण में अभिसारित सेवाओं को निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए समयबद्ध रूप में कानूनी, विनियामक और लाइसेंसिंग ढांचे को उन्मुख कला, समीक्षा करना और अनुकूल बनाना। इस अभिसरण में निम्नलिखित कवर किया जाएगा:-
    - o सेवाओं का अभिसरण यथा वायस, डाटा, विडियो, इंटरनेट टेलीफोनी (वी.ओ.आई.पी.) मूल्य वर्धित सेवाओं और प्रसारण सेवाओं का अभिसरण।
    - o नेटवर्कों का अभिसरण यथा नेटवर्क अभिगम, कैरिज नेटवर्क (एन.एल.डी./आई.एल.डी.) और प्रसारण नेटवर्क का अभिसरण।
    - o उपकरणों का अभिसरण यथा टेलीफोन पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन पर्सनल कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो सेट टॉप बॉक्स और इन से संबंधित अन्य उपकरणों का अभिसरण।
- अभिसरण, स्पेक्ट्रम उदारीकरण से संबद्ध लाभों को प्राप्त करने के लिए और सक्रिय व निष्क्रिय अवसंरचना की साझेदारी करके प्रचालकों को अपने नेटवर्क और स्पेक्ट्रम के इष्टतम तथा कारगर उपयोग में सक्षम बनाने के लिए **अंतिम प्रयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए** लाइसेंस व्यवस्था को नेटवर्क से अलग करने के कार्य को **सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था की ओर अग्रसर होना।** यह सेवा दी गुणवत्ता में वृद्धि करेगा और इसकी अधिकतम निवेश होंगे एवं दूसरे डिजीटल डिवाईड की समस्या को हल करने में भी मदद मिलेगी। यह नया लाइसेंसिंग रिजाई लेवल प्लेइंग फील्ड, रोल आउट अलिगेशन विलयन एवं प्रापण, आई.पी. स्तर पर अंतर-संयोजन सहित गैर-विभेदक अन्तर संयोजनों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भी सुनिश्चित करेगा।
- पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ दूरसंचार सेवा क्षेत्र में सुविधाजनक विलयन और अधिग्रहण व्यवस्था को लागू करना।
- खुदरा और थोक दोनों ही स्तरों पर प्रस्तावित लाइसेंस व्यवस्था के तहत **सेवा स्तर पर पुन-विक्रय को सुविधाजनक बनाना।** उदाहरण के लिए, आगामी प्रचालकों के परिचयन के द्वारा सुरक्षा एवं अन्य लाइसेंस संबंधी दायित्वों के यथेचित अनुपालन की सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता छोर से प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यकता के साथ अनुकूल होना।
- **सभी भावी लाइसेंसों के संबंध में स्पेक्ट्रम को अलग करना।** बाज़ार संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्धारित किए गए मूल्य पर स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा।

- ट्राई के परामर्श से नई लाइसेंस व्यवस्था, नई व्यवस्था में मौजूदा लाइसेंसों के अंतरण, एक्जिट नीति पर्याप्त प्रतिस्पर्धा इत्यादि सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में **उपयुक्त नीतियां बनाना।**

- डिज़ीटलीकरण के बाद **स्थानीय केवल टी.बी. नेटवर्कों के संकेंद्रण** को सुकर बनाना।

- **मूल्य-वर्धित सेवाओं को वहनीय कीमत** पर प्रदान करने के लिए उपयुक्त विनियामक कार्य-संरचना की व्यवस्था करना ताकि उद्यमिता, नवाचार और **क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्र विनिर्दिष्ट विषय-वस्तु** के प्रावधान को गति प्रदान की जा सके।

- कैरिज प्रभारों जो **विषय-वस्तु तटस्थ और बैंडविड्थ प्रयोग पर आधारित है को विनियमित** करने के लिए कार्य संरचना की व्यवस्था करना। यह गैर मूल्य संबंधित सेवाओं जैसे मोबाइल प्लेटफार्म पर डाटा एवं सूचना का प्रावधान करने को प्रोत्साहित करेगा।

- **मोबाइल फोन** को मात्र संचार उपकरण के स्थान पर **अधिकारिता के उपकरण** के रूप में प्रस्तुत करना ताकि इसे पहचान के साक्ष्य, पूर्णत: सुरक्षित वित्तीय और अन्य लेन-देन क्षमता, बहुभाषी सेवाओं और अन्य क्षमताओं की पूरी श्रृंखला जो इससे प्रदान की जा सकती है और साक्षरता बाधा दूर की जा सकती है, के माध्यम के रूप में माना जाए।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन

- स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और बाजार आधारित प्रक्रिया विधियों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से इसका आबंटन बरना **वर्ष, 2017 तक आई.एम.टी. सेवाओं के लिए 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और वर्ष 2020 तक अन्य सेवाओं के लिए 200 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना।**

- यथाशीघ्र स्पेक्ट्रम के उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाना ताकि किसी भी प्रौद्योगिकी में कोई सेवा प्रदान करने के लिए किसी बैंड में स्पैक्ट्रम के उपयोग की व्यवस्था की जा सके और उपयुक्त विनियामक कार्य-संरचना के माध्यम से स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग की व्यवस्था करने के लिए **स्पेक्ट्रम पूल बनाने, इसकी साझेदारी करने और बाद में इसके विक्रय की व्यवस्था करना।**

- स्पेक्ट्रम के कारगर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसके उपयोग की **आवधिक लेखापरीक्षा** करना।

- स्पेक्ट्रम को रिफॉर्म करना और सेवा प्रदाताओं के समय-समय पर वैकल्पिक फ्रिक्वेंसी बैंड अथवा मीडिया आबंटित करना ताकि दूरसंचार अनुप्रयोगों के लिए नई प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के उद्देश्य से स्पेक्ट्रम उपलब्ध क्रराया जा सके।

- प्रत्येक 5 वर्ष में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के लिए **रोडमैप तैयार करना।**

ब्रॉडबैंड और ग्रामीण टेलीफोनी

- **ग्रामीण टेलीघनत्व को वर्ष 2017 तक मौजूदा स्तर 39% से बढ़ाकर 70% करना और वर्ष, 2020 तक 100% करना।**

- ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार क्षेत्र को शिखा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के रूप में मान्यता प्रदान करना और **"ब्रॉडबैंड के अधिकार"** की ओर अग्रसर होना।

- **वर्ष, 2015 तक मांग किए जाने पर वहनीय और विश्वसनीय ब्रॉडबैंड** प्रदान करना और **वर्ष, 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन हासिल करना तथा वर्ष, 220 तक न्यूनतम 2 एम.बी.पी.एस. डाउनलोड गति पर 600 मिलियन कनेक्शन प्रदान करना तथा मांग किए जाने पर न्यूनतम 100 एम.बी.पी.एस. की उच्चतर गति उपलब्ध कराना।**

- **वर्ष, 2014 तक प्रौद्योगिकियों के तालमेल से ग्राम पंचायतों को उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाली ब्रॉडबैंड अभिगम सुविधा प्रदान करना और उत्तरोत्तर**

रूप से वर्ष, 2020 तक ये सुविधाएं सभी ग्रामों और बस्तियों में प्रदान करना।

विकास और अनुसंधान, विनिर्माण और दूरसंचार उपस्करों का मानकीकरण

- डिजाइन के लिए ईको प्रणाली, अनुसंधान एवं विकास, आई.पी.आर. सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण अर्थात वर्ष 2017 और 2020 तक क्रमश: 45% और 65% के न्यूनतम मूल्य संवर्धन के साथ **भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की मांग को 60% और 80% तक पूरा करने के लिए दूरसंचार उपस्कर के घरेलू उत्पादन हेतु पूर्ण मूल्य श्रृंखला को उन्नत करना।**

- **12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देशी अनुसंधान एवं विकास, आर.पी.आर. सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, वाणिज्यीकरण तथा स्टेट-आफ-दि-आर्ट टेलीकॉम उत्पादों एवं सेवाओं के विस्तार के लिए संचित निधि की व्यवस्था करना।**

- सरकार उद्योग, अनुसंधान और विकास केंद्रों तथा शिक्षाविदों की सक्रिय सहभागिता से स्वायत्त निकाय के रूप में **दूरसंचार मानक विकास संगठन (टी.एस.-डी.ओ.)** की स्थापना को प्रोत्साहित करना ताकि सुरक्षा आवश्यकताओं सहित राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के मानकों के बारे में सहमति बनाई जा सके। यह सभी पणधारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठनों में अभिगम्यता सुकर बनाएगा एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भारतीय आवश्यकता/आई.पी.आर./मानकों को सम्मिलित करने के रूप में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा।

- हमारी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की प्रतिबद्धताओं के समनुरूप, देश के लिए सुरक्षा निहितार्थ वाले और अपने स्वयं के उपयोग के लिए सरकारी प्रापण में, दूरसंचार उत्पादों के प्रापण में देश में विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को **प्राथमिकता देना।**

दूरसंचार अवसंरचना/मार्गाधिकार मुद्दे, हरित दूरसंचार क्षेत्र, क्लियर स्काईलाईन, आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में किए जाने वाले प्रयासों को कम से कम करना।

- **वायरलाइन और वायरलैस दोनों के लिए अवसंरचना क्षेत्र** के रूप में दूरसंचार क्षेत्र को महत्व प्रदान करने की ओर अग्रसर होना और विकास के लिए अवसंरचना क्षेत्र में उपलब्ध लाभ का दूरसंचार क्षेत्र तक विस्तार करना।

- सभी स्टेकधारकों-सरकार, दूरसंचार उद्योग और उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से हरित दूरसंचार की व्यवस्था करने के लिए दूरसंचार नेटवर्कों को विद्युत प्रदान करने के वैकल्पिक ऊर्जा (अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी) के स्त्रोतों के उपयोग में वृद्धि करने के कार्य को सुकर बनाना। नई और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) और स्टेकधारकों के साथ परामर्श करके हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने की क्षेत्र विनिर्दिष्ट स्कीमों और लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता हितों की रक्षा

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित निष्पादन मानकों और सेवा गुणवत्ता (क्यू.ओ.एस.) पैरामीटरों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विनियामक तंत्र को सुदृढ़ करना।

- पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ता अधिग्रहण से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का समाधान करने के लिए **विक्रय और विपणन संचार के लिए कार्य-संहिता बनाना।**

- दूरसंचार उपभोक्ता और सेवा प्रदाताओं के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित **उपभोक्ता मंच के क्षेत्राधिकार** में लाने के लिए **विधायी उपाय करना।**

सुरक्षा

- विनियामक उपायों के माध्यम से सांस्थानिक कार्य-संरचना सृजित करना ताकि दूरसंचार नेटवर्क में **सुरक्षित संपर्क** करने वाले उपकरणों को शामिल किया जा सके और सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर सकें।

- साइबर स्पेस की बढ़ती असुरक्षा से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्धारित मानकों को शामिल करके देश में ही डिजाइन की गई चिप वाले घरेलू निर्मित बहु-प्रकार्य सिम को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए एवं अन्य प्रयोजनों के लिए संपूर्ण इलैक्ट्रानिक इको सिस्टम प्रणाली, जो वाफर फेस से प्रारंभ होती है निर्मित करने की जरूरत है एवं इसलिए मुख्य नीति उद्देश्य एवं परिणाम के रूप में देखा जाता है।

कौशल विकास और सार्वजनिक क्षेत्र

- इस क्षेत्र की प्रासंगिक आवश्यकताओं को अभिनिर्धारित करने और इस संबंध में रोडमैप तैयार करने के लिए **राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद और उद्योग की सहभागिता से विभिन्न कौशल और विशेषता स्तरों पर जनशक्ति आवश्यकता का मूल्यांकन करना।**

क्लाउड सेवाएं

- इस तथ्य को स्वीकार करना कि क्लाउड कंप्यूटिंग से सेवाओं के डिज़ाइन और रॉलआउट को अत्यधिक गति मिलेगी, सोशल नेटवर्किंग और सहभागी अभिशासन तथा ई-वाणिज्य जैसी सुविधाओं की उस पैमाने पर व्यवस्था होगी जो परंपरागत प्रौद्योगिकी समाधानों से संभव नहीं थी।

- सेवा प्रदान करने की लागत को कम करने के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट उपायों सहित क्लाउड प्रयोक्ताओं और अन्य स्टेकधारकों की चिंताओं का समाधान करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा मूल्य पर नई सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नई नीतिगत पहल करना।

दूरसंचार उद्यम सेवाएं, डाटा उपयोग, नई प्रौद्योगिकी और आई.पी.वी. 6 अनुकूल नेटवर्क

- वहनीय सुविधा और कारगर सेवा व्यवस्था के माध्यम से लोक कल्याण को बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को अत्यधिक विकल्प उपलब्ध कराने में नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका को सुकर बनाना। **मशीन-टू-मशीन (एम.टू.एम.)** संचार (अर्थात् दूर से चलाए जाने वाले सिंचाई पंप, स्मार्ट ग्रिड इत्यादि) जैसे नई सेवा फार्मेट के उभरने से अत्यधिक अवसर उत्पन्न हुए हैं विशेषकर अब रॉल आउट दायित्व अत्यधिक विस्तारी हो गया है।

- सभी स्टेकधारकों के सहभागी दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक नवाचारी आई.पी.वी. 6 अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने और आई.पी. आधारित सेवाएं प्रदान करना शुरू करने के लिए नए इंटरनेट प्रोटोकॉल आई.पी.वी. 6 के महत्व की स्वीकार करना।

दूरसंचार क्षेत्र का वित्त पोषण

- दूरसंचार परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और उनकी व्यवस्था करने के लिए **दूरसंचार वित्त निगम** का गठन करना ताकि दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को सुकर बनाया जा सके।

- इस क्षेत्र से संबंधित कर, **उत्पाद शुल्क और अन्य प्रकार की वसूलियों को तर्क संगत बनाना और स्थायी राजकोषीय व्यवस्था** करने के लिए कार्य करना ताकि निवेश को सुकर बनाया जा सके और सेवाओं को अत्यधिक वहनीय बनाया जा सके।

विनियामक की भूमिका, विधान में परिवर्तन

- ट्राई को अपने कार्यों को कारगर ढंग से निष्पादित करने में पेश आ रही विनियामक कमियों/बाधाओं को दूर करने के लिए ट्राई अधिनियम की समीक्षा करना।

- भारतीय तार अधिनियम और इसके नियमों तथा अन्य संबद्ध कानूनों की व्यापक समीक्षा करना ताकि इन्हें उपर्युक्त नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल बनाया जा सके।

नीति को कार्यान्वित करना

- मौजूदा सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सुविधाजनक उपाय करना ताकि प्रतिस्पर्धा के समान अवसरों के साथ-साथ वे एक समान उदारीकृत वातावरण में तेजी से नई व्यवस्था में अंतरित हो सकें।

- समय-समय पर यथा-उपयुक्त समझे जाने वाले विस्तृत दिशा-निदेर्शों की व्यवस्था करके इस नीति को कार्यान्वित किया जाएगा।

स्लॉटों की नीलामी

2636. **श्री अजय कुमार**: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विमानपत्तनों पर स्लॉटों के आवंटन के लिए नीति बनाई है और नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेषकर स्लॉटों के होर्डिंग आदि के संबंध में नीति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तन प्रचालकों द्वारा उपलब्ध स्लॉटों के बारे में जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या गैर-मेट्रो शहरों को सेवा प्रदान करने वाली एयरलाइनों को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां। सरकार ने स्लॉट आवंटन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों का निरूपण तथा इनकी घोषणा पहले ही कर दी है। दिशा-निर्देशों की एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट "http://civilaviation.gov.in/" पर उपलब्ध है।

(ख) हवाई अड्डा/एयरलाइन प्रचालकों द्वारा इन दिशा-निर्देशों में कुछ आशोधन सुझाए गए हैं। तथापि, इस समय सरकार द्वारा इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की कमी

2637. **श्री नरहरि महतो**:

श्री मनोहर तिरकी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों को नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुछ राज्यों द्वारा शिक्षकों के पदों को नहीं भरने पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अन्तर्गत संस्वीकृत अध्यापकों की भारी संख्या में रिक्तियों की सूचना देने वाले राज्य, बिहार (2.05 लाख), झारखण्ड (0.38 लाख), मध्यप्रदेश (0.79 लाख), उत्तर प्रदेश (1.59 लाख) और पश्चिम बंगाल (0.61 लाख) हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा शिक्षकों की शीघ्र भर्ती करने और वर्तमान शिक्षकों की पुनः तैनाती करने पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जहां यह परीक्षा 31.03.2013 को आयोजित की जानी है, इन सभी राज्यों ने शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) आयोजित की है।

ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा

2638. **श्री अनंत कुमार**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में अनेक उच्चतर शिक्षा संस्थान ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए किसी मानदंड पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग विद्यार्थियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के समक्ष आ रही कठिनाइयों का अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.),

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.आई.टी.) और केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित अन्य तकनीकी संस्थाओं (सी.एफ.टी.आई.) में अवर स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा 31 शहरों में ऑन लाइन पद्धति से और देश भर में 82 शहरी और विदेशों में ऑफ लाइन पद्धति से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) - मुख्य 2013 का संचालन किया जा रहा है। उन विद्यार्थियों के लिए ऑफ लाइन परीक्षा का विकल्प भी उपलब्ध है जो ऑन लाइन पद्धति की परीक्षा में भाग नरीं लेना चाहते हैं। गणित के बगैर वाणिज्य/मानविकी धारा के कक्षा XI के दृष्टि विकलांग (अंधे) विद्यार्थियों को अनुरोध करने पर लिपिकीय (स्क्राइब) प्रदान किया जाएगा और उन्हें एक घंटे के अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी।

अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) 2013-14 के शैक्षिक सत्र के लिए ए.आइ.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार सामान्य प्रबंध प्रवेश परीक्षा (सी.एम.ए.टी.) का संचालन करती है। भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) 2009 से आई.आई.एम. में प्रवेश के लिए कम्प्यूटरीकृत सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी.ए.टी.) का संचालन कर रहे हैं। विकलांग विद्यार्थियों के लाभ के लिए परीक्षण सहायक उपकरण (टी.ए. उपकरण) जिन्हें तकनीकी सहायता के रूप में भी जाना जाता है, को इस प्रकार तैयार किया गया है कि विकलांग व्यक्ति स्वयं ही किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक करने में समर्थ हो सके। दृष्टिहीन छात्रों के लिए सी.ए.टी. केन्द्रों द्वारा आवर्धक स्क्रीनें भी प्रदान की जाती हैं।

कालेजों को अनधिकृत अनुदान

2639. **श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा कतिपय कॉलेजों को कथित रूप से करोड़ों रुपये की निधियां जारी की गई/दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कॉलेजों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/वि.अ.आ. ने इस संबंध में कोई जांच की है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसने पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज, पटियाला और श्री बलदेव पी.जी. कॉलेज, वाराणसी को कतिपय भुगतान किए हैं जो अनधिकृत एवं अनियमित लगते हैं।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच करने के लिए यू.जी.सी. द्वारा डा. एस. सत्यम् सेवानिवृत्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसके निष्कर्ष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके साथ ही, इन्द्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन में दो प्रथम सूचना रिपोर्टें भी दर्ज कराई गई हैं। इन चूकों की जिम्मेदारी जांच समिति की रिपोर्ट आने और पुलिस की जांच पड़ताल पूरी होने पर ही निर्धारित की जा सकती है।

(ङ) यू.जी.सी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसने अपनी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में व्यवस्थित परिवर्तन करने और आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने का निर्णय किया है। यह निर्णय किया गया है कि विश्वविद्यालयों/कालेजों को केवल इलेक्ट्रानिक अंतरणों के माध्यम से ही भुगतान किया जाए। आयोग संस्वीकृति पत्र भी तीन प्रतियों में जारी कर रहा है, एक सहायता अनुदान बिल के साथ बैंक को, एक संबंधित बैंक के क्वरिंग पत्र के साथ प्राप्तकर्ता संस्थान को और तीसरी प्रति भुगतान बाउचर के साथ रिकार्ड के लिए यू.जी.सी. को वापस की जाती है।

नवोन्मेषी अनुसंधान कार्य हेतु निधियां

2640. **श्री के. सुधाकरण:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में नवोन्मेषी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित बिना खर्च हुई निधियों को रोककर रखा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विश्वविद्यालयों की स्थापना में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नवोन्मेषी अनुसंधान कार्य हेतु मौजूदा उत्कृष्ट उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उक्त निधियां वितरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कोई निधियां निर्धारित नहीं की है। केन्द्र सरकार ने अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन हेतु दिनांक 21.5.2012 को 'अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक' संसद में पुनःस्थापित किया है। इसमें विलंब इसलिए हुआ है क्योंकि विधायी प्रस्ताव पर सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना अपेक्षित था और विधेयक अभी पास नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने वर्ष 2012-13 से "नवाचार विश्वविद्यालय" शीर्षक के तहत एक नई योजना प्रारंभ की है। यह स्कीम केवल मौजूदा विश्वविद्यालयों के लिए है। इस स्कीम के अन्तर्गत नवाचारी शोध कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता के निम्नलिखित तीन में से किसी एक वर्ग में शामिल किया जाता है:

1.	नवाचारी परियोजना	25 करोड़ रु. तक एककालिक अनुदान, जिसका पांच वर्ष तक उपयोग करने की अनुमति होगी।
2.	नवाचारी कार्यक्रम	25 करोड़ रु. से 300 करोड़ रु. का अनुदान, जिसका 5 वर्ष तक उपयोग करने की अनुमति होगी।
3.	नवाचार विश्वविद्यालय	100 करोड़ रु. से 300 करोड़ रु. का अनुदान, जिसका 5 वर्ष तक उपयोग करने की अनुमति होगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं आरम्भ करना

2641. श्री पदमसिंह बाजीराव पाटील:

श्री रामसिंह राठवा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में निजी सेवा प्रदाता कंपनियों की कुल संख्या और उनके प्रदेश के वर्ष का सर्किल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की तुलना में इन निजी सेवा प्रदाता कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत कितना है;

(ग) सरकारी और निजी सेवा प्रदाताओं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को दूरसंचार सेवा से जोड़ने के दायित्वों को पूरा किया है, की संख्या का सेवा प्रदाता कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या का सेवा प्रदाता-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं को प्रारम्भ नहीं किया है के विरुद्ध सरकार द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाता-वार एवं राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा विज्ञापनों पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा क्या है; और

(च) बाजार में हिस्सेदारी और लाभकारिता में सुधार हेतु श्रमिकों द्वारा बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के प्रबंधन में अदा की गई भूमिका अथवा संभावित भूमिका का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2.2.2012 की डब्ल्यू.पी. (सी.) सं. 423/210 में निहित अपने आदेश के

द्वारा लाइसेंसों को निरस्त किए जाने से पहले कुल मिलाकर 39 सी.एम.टी.एस. (सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा) और 240 यू.ए.एस. (एकीकृत अभिगम सेवा) लाइसेंस मौजूद थे। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.02.2013 के आदेश के द्वारा उन लाइसेंसों के प्रचालन को जारी रखने की अनुमति दी है जिन्होंने संबंध में नीलामी में रवह स्पैक्ट्रम प्राप्त किया और शेष लाइसेंसों के प्रचालन को बंद कर दिया है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.3.2013 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रतीक्षित है। इस समय प्रचालनाधीन लाइसेंसों की संख्या पर अर्थापत्ति होगी।

(ख) 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निजी वायरलेस प्रचालकों और सार्वजनिक प्रचालकों की बाजार भागीदारी निम्नानुसार दर्शायी गयी है:-

सेवा प्रदाता	शहरी उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	बाजार भागीदारी	शहरी उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	बाजार भागीदारी	कुल उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	बाजार भागीदारी
बी.एस.एन.एल.	65.37	12.26%	34.55	10.42%	99.92	11.56%
एम.टी.एन.एल.	5.3	0.99%	0	0%	5.3	0.61%
निजी	462.45	86.74%	297.05	89.58%	759.5	87.83%
कुल	533.12		331.60		864.72	

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन निजी प्रचालकों और निजी वायरलेस प्रचालकों और सार्वजनिक प्रचालकों की बाजार भागीदारी निम्नानुसार दर्शायी गई है:

सेवा प्रदाता	शहरी उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	बाजार भागीदारी	शहरी उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	बाजार भागीदारी	कुल उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	बाजार भागीदारी
बी.एस.एन.एल	14.15	59.36%	6.89	99.18%	21.04	68.34%
एम.टी.एन.एल.	3.46	14.50%	0	0.00%	3.46	11.22%
निजी	6.23	26.15%	0.06	0.82%	6.29	20.43%
कुल	23.84		6.95		30.79	

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आई.एस.पी. निजी प्रचालकों और सार्वजनिक प्रचालकों और सार्वजनिक प्रचालकों की बाजार भागीदारी निम्नानुसार दर्शायी गयी है:

	आंतरिक उपभोक्ता (मिलियन में)	बाजार भागीदारी
बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. (पी.एस.यू.)	15.04	59.37%
अन्य पी.एस.यू. #	0.004	0.01%
निजी	10.29	40.62%
कुल	25.33	

#अरनेट इंडिया. गुज इन्फोपेट्रो लिमिटेड (जी.पी.आई.एल.), पावर ग्रिड कॉपरेशन ऑफ इंडिया, रेलटेल कॉरपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल इलैक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री डेवेलपमंट और केरल स्टेट डेढ़, कॉर्पोरेशन।

(ग) और (घ) सुल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.)/एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंस शर्त में जिला मुख्यालय आधारित रॉलआउट दायित्वों को अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि:

(i) कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालय/नगरों का चयन और जिला मुख्यालय/नगरों का 50% से अधिक और विस्तारण प्रचालक पर निर्भर करेगा।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों की अनिवार्य रूप से कवर करने की कोई आवश्यकता है।

3जी/बी.डब्ल्यू. स्पैक्ट्रम की नीलामी में रॉल आउट के लिए कोई अलग शर्तें नहीं है: 3जी/बी.डब्ल्यू.ए. स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद संबंधित सफल बोलीदाताओं के सी.एम.टी.एस./ यू.ए.एस. लाइसेंसों में संशोधन किया जाएगा। 3जी./बी.डब्ल्यू.ए. स्पैक्ट्रम नीलामी में सकल बोलीदाताओं को निर्गत यू.ए.एस./ सी.एम.टी.एस. लाइसेंसों में किए गए संशोधन के अनुसार रॉल आउट दायित्वों में अन्य बातों के सथ निम्नांकित प्रावधान किया गया था।

(i) श्रेणी क, ख, और ग सेवा क्षेत्रों से संबंधित लाइसेंस/लाइसेंसों के 3जी स्पैक्ट्रम के लिए: यह लाइसेंसधारक जिसको स्पैक्ट्रम दिया गया है, सुनिश्चित करेगा कि सेवा क्षेत्र में जिला मुख्यालय के कम से कम 50% सेवा क्षेत्र को 3जी स्पैक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए कवर किया जाएगा जिसमें से जिला मुख्यालय के कम से कम 15% क्षेत्र ग्रामीण अन्य दूरी प्रसारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) प्रभावी तारीख के 5 वर्षों के भीतर संचालित रहेंगे। ग्रामीण एस.डी.सी.ए. को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जहां 50% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

(ii) श्रेणी क, ख, और ग सेवा क्षेत्रों से संबंधित लाइसेंस/लाइसेसों के बी.डब्ल्यू.ए. स्पैक्ट्रम सेवा क्षेत्र/ क्षेत्रों के लिए। लाइसेंसधारक, जिसे स्पेक्ट्रम दिया गया है सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) के कम से कम 50% क्षेत्र को बी.डब्ल्यू.ए. स्पैक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए प्रभावी तारीख के 5 वर्षों के भीतर कवर किया जाए। ग्रामीण एस.डी.सी.ए. से अभिप्रेत है कि नगर पालिका/स्थानीय निकाय की सीमाओं में शामिल क्षेत्र के कम से कम 90% क्षेत्र में अपेक्षित स्ट्रीट लेवल कवरेज दी जाए।

प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जब प्रदत्त स्पेक्ट्रम के व्यापारिक उपयोग का अधिकार शुरू हो जाएगा अर्थात् यह तारीख संबंधित 3 जी/बी.डब्ल्यू.ए. के सफल बोलीदाता को संशोधित पत्र जारी किए जाने की तारीख होगी।

चूंकि पांच वर्षों की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए इस अवस्था में सरकार द्वारा नीलामी कराए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बी.एस.एन.एल. द्वारा विज्ञापन पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण पर प्रस्तुत है। उत्पादों/सेवाओं के विज्ञापनों और संवर्द्धन पर एम.टी.एन.एल. से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वित्तीय वर्ष	दिल्ली (करोड़ में)	मुम्बई (करोड़ में)
2009-2010	12.82	21.49
2010-2011	8.26	18.94
2011-2012	11.46	6.06

(च) बी.एस.एन.एल. (भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारा दिए गए प्रयासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और उपभोक्ता के तृष्टिकरण को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कुछ संघों और एसोसिएशनों ने माह मई 2011 को "ग्राहक प्रसन्नता" माह के रूप में मनाया और बाद में संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2011-12 को बी.एस.एन.एल. में "ग्राहक प्रसन्नता" वर्ष घोषित किया गया। इसके बाद संघों और एसोसिएशनों ने ग्राहक प्रसन्नता वर्ष में एक और वर्ष का इजाफा कर दिया।

एम.टी.एन.एल. (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कामगारों पर, सेवाओं में सुधार लाने और बेहतर उपभोक्ता परिचर्चा उपलबध कराने का जोर दिया जा रहा है। उनके द्वारा समय-समय पर नई प्रौद्योगिकियों के आगमन और ग्राहक तुष्टीकरण सेवा सुधार के प्रयोजनार्थ उपकरणों में प्रौद्योगिकीय उन्नयन किया जा रहा है।

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निम्नांकित बातें शामिल हैं:-

- कामगारों को नई तकनीकी विशेषताओं, गति, कुशल सेवा, समुचित उपभोक्ता परिचर्या, बिलिंग आदि के संबंध में मार्गदर्शन किया जाता है जिससे मौखिक संचार के सकारात्मक आधार का मार्ग प्रशस्त होगा जिसकी मार्फत भविष्य में वृद्धिकृत बाजार भागीदारी और लाभ की दिशा तय हो सकती है।
- कामगारों को एम.टी.एन.एल. के प्रचलनात्मक राजस्व को बढ़ाने और प्रशासनिक एवं प्रचालन व्यय को कम करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- कामगारों द्वारा प्रत्येक माह दो कनेक्शन लाकर और प्रत्येक 6 माह में कम से कम 1 विक्रय एजेंट के स्तर पर कार्य शुरू करने के प्रयोजनार्थ एम.टी.एन.एल. उत्पादों का विपणन करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ "एक नई पहल" जैसे क्रियाकलापों को शुरू किया जा रहा है जिसके तहत प्रतिभाग लेने वाले कर्मचारियों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- कामगारों को सलाह दी जाती है कि ये अपने प्रत्येक दिन प्रतिदिन के कार्य में "प्रसन्नचित्त" होकर व्यवहार करें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बी.एस.एन.एल. द्वारा विज्ञापन पर किया गया व्यय

क्र.सं.	सर्किल का नाम	कवर किए गए राज्यों के नाम	व्यय (रुपए में)		
			2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार	107,983	170,428	59,502
2.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	157,971,017	99,529,288	17,666,466।

1	2	3	4	5	6
3.	असम	असम	39,398,482	53,072,122	9,061,034
4.	बिहार	बिहार	13,744,357	11,388,746	8,176,363
5.	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़	9,308,304	3,997,514	3,082,937
6	गुजरात	गुजरात	108,322,097	16,790,233	4,366,528
7.	हरियाणा	हरियाणा	20,152,081	18,035,665	7,516,949
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	6,889,180	3,476,977	512,288
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	2,758,907	1,366,524	123,950
10.	झारखंड	झारखंड	5,379,585	8,198,237	3,169,008
11.	कर्नाटक	कर्नाटक	124,583,578	55,001,641	17,877,734
12.	केरल	केरल	61,283,496	20,033,359	3,083,453
13.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	301,168,633	123,110,506	2,708,021
14.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	12,383,252	14,295,116	283,339
15.	पूर्वोत्तर-I	त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय	1,547,788	3,651,552	2,354,505
16.	पूर्वोत्तर-II	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैण्ड	1548967	2374353	982581
17.	ओडिशा	ओडिशा	51,800,284	37,752,457	15,790,136
18.	पंजाब	पंजाब	16,791,131	14,343,089	8,253,051
19.	राजस्थान	राजस्थान	85,458,222	71,041,602	3,072,989
20.	तमिलनाडु	तमिलनाडु	43,256,270	25,218,933	9,028,912
21.	चेन्नै दूरसंचार जिला	चेन्नै दूरसंचार जिला	109,457,997	33,034,030	2,448,213
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	उत्तर प्रदेश	103,109,483	113,035,668	37,888,742
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	उत्तर प्रदेश	19,900,842	15,283,471	6,355,945
24.	उत्तरांचल	उत्तरांचल	5,680,525	6,917,349	1,572,648

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	36,013,235	22,324,073	10,675,281
26.	कोलकाता दूरसंचार जिला	कोलकाता जिला	116,974,963	81,897,516	18,557,050
	कुल		1,454,990,659	855,340,449	194,667,625

तकनीकी शिक्षा में असंतुलन

2642. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**

श्री हरीश चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की तकनीकी शिक्षा में असंतुलन की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले कालेजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का राज्यों के उन क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां अपेक्षाकृत उक्त कॉलेजों की संख्या कम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) शिक्षा, उद्योग और आम जनता की मांग पर देश के भिन्न-भिन्न भागों में तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई है। देश में 85 केन्द्रीय रूप से निधिकृत तकनीकी संस्थान (सी.एफ.टी.आई.) हैं। इन सी.एफ.टी.आई. के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (www.mhrd.gov.in) पर उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमति प्राप्त तकनीकी संस्थानों की संख्या दर्शाने वाली राज्यवार सूची संलग्न विवरण अनुबंध में दी गई है। तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे लगभग 85 प्रतिशत तकनीकी संस्थान गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थान हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उन सभी आवेदकों को अनुमोदन प्रदान करती हैं जो नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए निर्धारित वैधानिक मानदंडों को पूरा करते हों।

(घ) और (ङ) "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलीटेक्नीकों का उप-मिशन" के तहत मंत्रालय राज्य सरकार को 300 असेवित/अल्पसेवित जिलों में एक पॉलीटेक्नीक की स्थापना की लागतों को वहन करने के लिए प्रतिपॉलीटेक्नीक 12.30 करोड़ रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो इस शर्त के अध्यधीन है कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें नि:शुल्क भूमि प्रदान करें, 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय को वहन करें तथा यदि 12.30 करोड़ रुपये से अधिक कोई अनावर्ती व्यय हो तो उसे भी वहन करें।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2811
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	43

1	2	3
4.	बिहार	76
5.	छत्तीसगढ़	130
6.	दिल्ली	101
7.	गोवा	14
8.	गुजरात	510
9.	हरियाणा	643
10.	हिमाचल प्रदेश	90
11.	जम्मू और कश्मीर	45
12.	झारखण्ड	55
13.	कर्नाटक	921
14.	केरल	401
15.	मध्य प्रदेश	690
16.	महाराष्ट्र	1601
17.	मणिपुर	4
18.	मेघालय	6
19.	ओडिशा	366
20.	पंजाब	483
21.	राजस्थान	555
22.	सिक्किम	6
23.	तमिलनाडु	1758
24.	त्रिपुरा	4
25.	उत्तर प्रदेश	1473
26.	उत्तराखंड	204
27.	पश्चिम बंगाल	291
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
29.	चण्डीगढ़	12
30.	दादरा और नागर हवेली	3
31.	दमन और दीव	1
32.	पुडुचेरी	39
	सकल योग	13341

[अनुवाद]

विधिक शिक्षा संबंधी गोल मेज समिति

2643. श्री जयराम पांगी:

श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'विधिक शिक्षा संबंधी गोल मेज' समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सूचना/सुझाव दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सुझावों/सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) अर्ध-विधिक शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा का घटक बनाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) इस संबंध में तैयार की गई प्रविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने उचित कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के साथ इस विषय पर चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में एक "विधिक शिक्षा संबंधी गोलमेज समिति" गठित की थी। इसके विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) पाठ्यचर्या तैयार करने तथा प्रदान करने के साथ-साथ परीक्षा पद्धति जैसे विधायी शिक्षा के पहलुओं पर विचार करने हेतु देश में विधायी शिक्षा को बदलने और कार्यान्वयन करने पर सलाह और सिफारिशें देने के लिए थी ताकि स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को विविध परम्परागत और उभरते अवसरों की तुलना में व्यापक भूमिका को निभाने हेतु ज्ञान तथा विश्वास से सुसज्जित किया जा सके।

(ग) विधिक शिक्षा संबंधी गोलमेज समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को स्नातक (विधि) के लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करनी चाहिए; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित एक वर्ष की एल.एल.एम. पाठ्यचर्या में सुधार करके और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए; अर्ध-विधिक पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यक्रम की संरचना और अवधि सुझाने हेतु एक व्यापक पाठ्यचर्या तैयार करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा समिति गठित की जानी चाहिए।

(घ) से (च) गोलमेज समिति के निर्णयों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो. जोस वर्गिस, पूर्व कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने, बी.ए. (विधि) के लिए गैर-व्यावसायिक, पैरा लीगल (2 वर्ष) के लिए व्यावसायिक डिप्लोमा कार्यक्रम की योजना और पेरा-लीगल (1 वर्ष) के लिए व्यावसायिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम तथा एक वर्ष के एल.एल.एम. डिग्री कार्यक्रम प्रारम्भ के लिए दिशा-निर्देशों हेतु योजना सहित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया तथा इसे प्रस्तुत किया।

(छ) अभी तक राज्यों के साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है।

टावरों से विकिरण

2644. श्री जयंत चौधरी:

श्री भूपेन्द्र सिंह:

श्री ए.के.एस. विजयन:

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण की अनुमेय सीमा सुरक्षित सीमा से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 1.5 लाख सेल टावरों को अभी तक विकिरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ता सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) भारत में मोबाइल टावरों से विकिरण हेतु अनुज्ञेय सीमा अंतरर्राष्ट्रीय गैर आयनीकरण विकिरण संरक्षा आयोग (आई.सी.एन.आई.आर.पी.) द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमाओं के 1/10 भाग के बराबर है। अत: हमारे मानक आई.सी.एप.आई.आर.पी. के आधार पर अन्य कई देशों द्वारा अपनाए जा रहे मानकों से अधिक सख्त हैं।

(ग) और (घ) दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने प्रत्येक बेस ट्रांस्मिटिंग स्टेशन (बी.टी.एस.) से संबंधित मोबाइल टावर विकिरण मानदंडों के अनुपालन की रिपोर्ट स्व प्रमाणन के माध्यम से अपने संबंधित दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और अनुश्रवण (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत करते हैं। स्व-प्रमाणन हर दो वर्षों के बाद प्रस्तुत करना पड़ता है और 2 वर्षों के मौजूदा ब्लाक की अवधि 31.3.2013 को समाप्त हो रही है।

विद्यालय पाठ्यक्रम में साफ सफाई का समाज विज्ञान

2645. प्रो. सौगत राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यालयों और कालेजों में मुद्दे की जटिलता के समाधान के लिए 'साफ सफाई का समाज विज्ञान' को एक उप-विषय के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) स्कूल और कालेज पाठ्यचर्या में "साफ-सफाई का समाज विज्ञान" एक उपविषय के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एन.सी.एफ.)-2005 में स्कूली बच्चों में साफ-सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के महत्व पर बल दिया गया है। इसमें अभिकल्पना की गई है कि स्कूल में न्यूनतम सुविधाएं आवश्यक तौर पर होनी चाहिए जिनमें आवश्यक फर्नीचर, मूलभूत सुविधाएं (प्रसाधन-कक्ष, पेयजल) तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर "साफ-सफाई" पर्यावरणीय अध्ययन के भाग के एक समय परिप्रेक्ष्य में जीवन के साथ समेकित की गयी है तथा साफ-सफाई से संबंधत विभिन्न मुद्दों का उल्लेख उच्चतर प्राथमिक स्तर की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य-पुस्तकों में किया गया है।

छात्र संघों का निर्वाचन

2646. श्री यशवीर सिंह:

श्री नीरज शेखर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जामिया मिलिया इस्लामिया-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों से छात्र संघों की बहाली और वर्ष 2013-14 सत्र के दौरान छात्र संघों के निर्वाचन आयोजित करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न वर्गों से उठ रही भारी मांग को देखते हुए उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में छात्र संघों की बहाली करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जिनमें से प्रत्येक की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है और ये सम्बद्ध अधिनियम, सांविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विद्यार्थी संघ/परिषद के चुनाव सहित शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। सरकार की ऐसे मामलों में कोई भूमिका नहीं होती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-मेट्रो विमानपत्तन

2647. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देश में कुछ गैर मैट्रो विमानपत्तनों को विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु चिन्हित किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु किए गए वित्तीय आवंटनों का ब्यौरा क्या है और इन विमानपत्तनों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देश में कुछ गैर मेट्रो हवाई-अड्डों के भावी विकास/विस्तार की योजनाएं हैं। गैर मेट्रो हवाई अड्डों के विकास का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर उपलब्ध है।

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए वित्तीय आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I व विवरण-II पर उपलब्ध है। इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें विभिन्न कारक शामिल हैं।

विवरण-I

गैर-मेट्रो हवाई अड्डों के विकास की स्थिति

(जनवरी, 2013)

क्र.सं.	हवाई अड्डे	कार्य की स्थिति		
		पूरा	चल रहे	योजनाबद्ध
1	2	3	4	5
1.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	टर्मिनल भवन का नवीकरण और एप्रन का विस्तार	शून्य	नया सिविल एन्क्लेव
2.	अगरतला (त्रिपुरा)	तकनीकी ब्लॉक सह ए.टी.सी. टॉवर, एप्रन विस्तार तथा रनवे का सुदृढ़ीकरण	शून्य	ए-321 प्रकार के विमान के लिए हैंगर
3.	अमृतसर (पंजाब)	नए टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे विस्तार तथा एप्रन का विस्तार	कार्गो परिवार का विकास। रनवे 34 से आरंभ होते हुए टैक्सीवे एफ तक समानांतर टैक्सीवे	
4.	औरंगबाद (महाराष्ट्र)	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण, एप्रन तथा रनवे का सुदृढ़ीकरण	शून्य	रनवे विस्तार
5.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	नए एकीकृत टर्मिनल भवन, रनवे का सुदृढ़ीकरण, एप्रन तथा लिंक टैक्सीवे आदि का निर्माण	शून्य	नए ए.टी.सी. टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन, एम.टी.
6.	भुवनेश्वर (ओडिशा)	रनवे, एप्रन तथा लिंक टैक्सीवे आदि का सुदृढ़ीकरण	नए घरेलू टर्मिनल भवन का निर्माण	ए.टी.सी. टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन, एम.टी.
7.	चंडीगढ़	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण एप्रन का विस्तार जो अभी प्रचालनिक नहीं है।	नया सिविल एयर टर्मिनल कॉम्प्लैक्स (मोहाली साइड)	शून्य

1	2	3	4	5
8.	कोयंबटूर (तमिलनाडु)	मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन, आंशिक समानांतर टैक्सीवे का निर्माण, एप्रन का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण	शून्य	नया एकीकृत टर्मिनल भवन तथा एप्रन रनवे के अन्य छोर पर
9.	देहरादून (उत्तराखंड)	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण और रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	शून्य	शून्य
10.	डिब्रुगढ़ (असम)	टर्मिनल भवन, एप्रन और रनवे का सुदृढ़ीकरण		रनवे का विस्तार, ए-321 प्रकार के विमान लिए हैंगर, ए.टी.सी. टॉवर सह टेक ब्लॉक
11.	गोवा	शून्य	नया एकीकृत टर्मिनल भवन	समानांतर टैक्सी ट्रैक, लिंक टैक्सी ट्रैक तथा त्वरित निकासी टैक्सीवे का निर्माण, एप्रन का विस्तार
12.	गुवाहाटी (असम)	मौजूदा टैक्सीवे का आशोधन, रनवे, एप्रन आइसोलेशना बे का विस्तार	विमान रखरखाव हैंगर साथ एप्रन का निर्माण	फायर स्टेशन, ए.टी.सी. टॉवर सह टेक ब्लॉक, इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग, समानांतर टैक्सी ट्रैक और कार्गो शेड
13.	इंदौर (मध्य प्रदेश)	एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे के विस्तार, नए एप्रन और लिंक टैक्सी ट्रैक का विस्तार	शून्य	शून्य
14.	इम्फाल (मणिपुर)		टर्मिनल भवन का विस्तार, एप्रन और टैक्सी लिंक विस्तार, फायर स्टेशन, नई अधिग्रहीत भूमि के चारों ओर चारदीवारी	ए-321 प्रकार के विमान के लिए हैंगर, एप्रन के साथ
15.	जयपुर (जयपुर)	नए अंतराष्ट्रीय टर्मिनल भवन, एप्रन, लिंक टैक्सी ट्रैक और समानांतर टैक्सी ट्रैक के भाग का निर्माण	कैट-II प्रकाशन प्रणाली के प्रावधान सहित चौड़ी बॉडी वाले विमान कैट-ई के लिए रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार

1	2	3	4	5
16.	खजुराहो (मध्य प्रदेश)	नए एप्रन और लिंक टैक्सी ट्रेक का निर्माण	नए टर्मिनल भवन	शून्य
17.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	नए एकीकृत एप्रन/टर्मिनल भवन, कार पार्क, समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	भाविप्रा भूमि के चारों ओर चारदीवारी	शून्य
18.	मदुरै (तमिलनाडु)	नए एकीकृत एप्रन/टर्मिनल भवन, कार पार्क, समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	एप्रन का विस्तार	नियंत्रण टावर तकनीकी ब्लॉक सह.
19.	मंगलोर (कर्नाटक)	नए एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण	नया ए.टी.सी. टॉवर सह टेक ब्लॉक	आंशिक समानांतर टैक्सी ट्रैक और एप्रन का विस्तार
20.	मैसूर (कर्नाटक)	टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, एप्रन, टैक्सी, टेक ब्लॉक सह नियंत्रण टावर, फायर स्टेशन के निर्माण	शून्य	रनवे विस्तार
21.	नागपुर (महाराष्ट्र)	नए अंतरराष्ट्रीय आगमन हॉल का निर्माण, मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार	शून्य	नई तकनीक, ब्लॉक सह नियंत्रण टॉवर
22.	पोर्ट ब्लेयर	एप्रन का विस्तार और मजबूत बनाना	हैंगर एनेक्सी भवन, एप्रन/लिंक टैक्सीवे आदि का निर्माण	नई एकीकृत टर्मिनल भवन और एप्रन का विस्तार
23.	रायपुर (छत्तीसगढ़)	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण और प्रचालन आरंभ, रनवे और नए एप्रन का विस्तार	शून्य	रनवे विस्तार और एप्रन विस्तार
24.	रांची (झारखंड)	एप्रन का विस्तार/सुदृढ़ीकरण	नए एकीकृत टर्मिनल भवन ए.टी.सी. टॉवर का निर्माण	एन.आई.टी.बी. के प्रचालनीकरण के पश्चात् मौजूदा टर्मिनल भवन को कार्गो तथा एयरलाइन/भाविप्रा कार्यालय में परिवर्तित करना
25.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन, और कार पार्क का विस्तार और आशोधन	कार्गो परिसर का निर्माण और कार पार्क का विस्तार	शून्य
26.	सूरत (गुजरात)	नई टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे और एप्रन का विस्तार	शून्य	शून्य
27.	त्रिवेंद्रम (केरल)	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन और भाग समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	शून्य	समानांतर टैक्सीवे/मौजूदा एप्रन का विस्तार

1	2	3	4	5
28.	त्रिची (तमिलनाडु)	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण और एप्रन का विस्तार	शून्य	शून्य
29.	उदयपुर (राजस्थान)	नई टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन, लिंक टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन बे का निर्माण, रनवे, तकनीकी ब्लॉक और नियंत्रण टॉवर का विस्तार	शून्य	सी.आई.एस.एफ. बैरक और विवाहित आवास, डॉग हाऊस
30.	विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)	नए एकीकृत टर्मिनल भवन और एप्रन का निर्माण	शून्य	शून्य
31.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, रनवे और एप्रन का विस्तार	नया ए.टी.सी. सह तकनीकी ब्लॉक	शून्य
32.	वडोदरा (गुजरात)		नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग परिसर, समानांतर टैक्सीवे, एप्रन का विस्तार	ए.टी.सी. टॉवर तकनीकी ब्लॉक
33.	अगाती/लक्षद्वीप	टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, रनवे सुदृढ़ीकरण और तकनीकी भवन सह नियंत्रण टावर और अग्निशमन स्टेशन का पुन: सतहीकरण	शून्य	रनवे, नए एप्रन का विस्तार, टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर का स्थान परिवर्तन
34.	अकोला (महाराष्ट्र)	मौजूदा टर्मिनल भवन और अन्य संबद्ध इमारतों का आशोधन, एप्रन का विस्तार	शून्य	*रनवे का विस्तार-नियोजन स्तर
35.	बेलगाम (कर्नाटक)	मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार और संशोधन	शून्य	रनवे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन, ए.टी.सी. टॉवर सह टेक ब्लॉक, फायर स्टेशन का निर्माण
36.	कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)	नए टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे को मजबूत करना	शून्य	शून्य
37.	दीमापुर (नागालैंड)	एप्रन का विस्तार और लिंक टैक्सीवे का निर्माण	शून्य	टर्मिनल बिल्डिंग तथा सिटी साईड का सौंदर्यीकरण
38.	गोंदिया (महाराष्ट्र)	यात्री लाउंज मॉड्यूल I और II, फायर स्टेशन, आवासीय क्वार्टरों, हैंगर का निर्माण और रनवे और आंशिक समानांतर टैक्सी ट्रैक का विस्तार	रनवे और समानांतर टैक्सीवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	शून्य

1	2	3	4	5
39.	हुबली (कर्नाटक)	मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	शून्य	रनवे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन का निर्माण, ए.टी.सी. टॉवर सह टेक ब्लॉक, फायर स्टेशन
40.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	एप्रन का विस्तार	टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	रनवे का विस्तार नए सिविल एयर टर्मिनल का निर्माण
41.	कुल्लू (हिमाचल)	नए टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे की पुन: सतहीकरण, नए एप्रन और टैक्सीवे का निर्माण	शून्य	शून्य
42.	पटना (बिहार)	रनवे टैक्सी, एप्रन और लिंक टैक्सीवे का पुन:सतहीकरण	शून्य	
43.	राजामुंदरी (आन्ध्र प्रदेश)	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	शून्य	एप्रन और लिंक टैक्सी ट्रैक का विस्तार
44.	राजकोट (गुजरात)		शून्य	नए टर्मिनल का निर्माण और रनवे और एप्रन का विस्तार
45.	विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	नए एप्रन और रनवे का विस्तार और मजबूत बनाना	टर्मिनल भवन के विस्तार	नई टर्मिनल बिल्डिंग
46.	तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश)	रनवे का सुदृढ़ीकरण और एप्रन का विस्तार नए एप्रन का निर्माण और आई.एल.एस. का संस्थापन	नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग	शून्य
47.	तूतीकोरिन (तमिलनाडु)	शून्य	शून्य	रनवे का विस्तार और ए.बी. 320 विमान के प्रचालन के लिए संबद्ध सुविधाएं
48.	पांडिचेरी (यू.टी.)	ए.टी.आर. 72 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। 09.02.2013 को नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ तथा इसका उद्घाटन किया गया।		ए.बी.-320 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए रनवे का आगे विस्तार

1	2	3	4	5
49.	बागडोगरा (पश्चिम बंगाल)	4 (ए-321), एक (आई.एल.-76 तथा 02 हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार)	शून्य	शून्य
50.	जैसलमेर (राजस्थान)	3 पार्किंग स्टैंडों के लिए नए एप्रन का निर्माण नए टर्मिनल भवन का निर्माण	शून्य	शून्य
51.	सिलचर (असम)	दोनों में से किसी छोर पर 7500 फुट तक रनवे विस्तार		नया घरेलू टर्मिनल भवन एवं अन्य निर्माण कार्य
52.	कडप्पा (आन्ध्र प्रदेश)	ए.टी.आर.-72 प्रकार के विमान के लिए रनवे और एप्रन निर्माण कार्य	प्री-फैब्रिकेटेड नए टर्मिनल भवन का निर्माण। ए.टी.सी. टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक और अग्निशमन स्टेशन	शून्य
53.	वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)	शून्य	शून्य	ए.टी.आर. श्रेणी के विमान के प्रचालन के लिए रनवे का विस्तार और सहायक सुविधाएं
54.	पंतनगर (उत्तराखंड)	ए.टी.आर. 72 प्रकार के विमान के रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन का नवीकरण और ग्राउंड प्रकाश का प्रावधान	शून्य	शून्य
55.	लेह (जम्मू और कश्मीर)	सिविल एप्रन, कार पार्क का निर्माण	शून्य	नए टर्मिनल भवन का निर्माण
56.	बारापानी (मेघालय)	नया टर्मिनल बिल्डिंग	नई अधिग्रहीत भूमि के लिए चारदीवारी प्रावधान है	A-320 प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु हवाई अड्डे का उन्नयन
57.	जलगांव (महाराष्ट्र)	ए.टी.आर. प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए हवाई अड्डे का विकास	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
58.	किशनगढ़ (राजस्थान)			प्रथम चरण में ए.टी.आर. प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु हवाई पट्टी का विकास
59.	तेजु (अरुणाचल प्रदेश)	शून्य	ए.टी.आर. प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु हवाई अड्डे का विकास	शून्य
60.	सिलचर (असम)	शून्य	एप्रन का विस्तार	शून्य
61.	जामनगर (गुजरात)	शून्य	शून्य	एप्रन का विस्तार
62.	झारसुगुडा (ओडिशा)	शून्य	शून्य	ए.टी.आर. 72 प्रकार के विमान के प्रचालनीकरण के लिए हवाई अड्डे का विकास
63.	बेलगाम (कर्नाटक)	मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	शून्य	भारतीय नौ सेना के साथ संयुक्त विकास के अंतर्गत रनवे का विस्तार नए टर्मिनल भवन, ए.टी.सी. टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक सह अग्निशमन स्टेशन तथा आइसोलेशन बे का निर्माण
64.	हुबली (कर्नाटक)	मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	शून्य	रनवे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन, ए.टी.सी. टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक सह अग्निशमन स्टेशन तथा आइसोलेशन बे का निर्माण
65.	कालीकट (केरल)	रनवे का सुदृढ़ीकरण, एकीकृत प्रचालनों के लिए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	शून्य	नए अंतरराष्ट्रीय आगमन हॉल का निर्माण (निविदा स्तर)

नोट: 1 सभी नियोजित कार्य राज्य सरकार/भारतीय वायु सेना (रक्षा मंत्रालय) से भूमि की उपलब्धता, यातायात की मांग तथा बजटीय सहायता, जहां कहीं लागू हो, के मद्देनजर किए जाएंगे।

2. आगे का ब्यौरा यदि आवश्यक हो, इंजीनियरिंग निदेशालय से प्राप्त किया जा सकता है।

विवरण-II

वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए वित्तीय आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	हवाई अड्डा	2012-13 ब.अ.
1.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	0.00
2.	अगरतला (त्रिपुरा)	3.70
3.	अमृतसर (पंजाब)	9.25
4.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	0.51
5.	बेलगाम (कर्नाटक)	1.10
6.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	1.20
7.	भुवनेश्वर (ओडिशा)	22.20
8.	चंडीगढ़	4.50
9.	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	5.10
10.	देहरादून (उत्तराखंड)	0.50
11.	डिब्रूगढ़ (असम)	2.40
12.	गोवा	64.90
13.	गुवाहाटी (असम)	6.28
14.	हुबली (कर्नाटक)	0.60
15.	इंदौर (मध्य प्रदेश)	4.34
16.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	5.51
17.	मदुरै (तमिलनाडु)	2.02
18.	इम्फाल (मणिपुर)	6.70
19.	जयपुर (राजस्थान)	11.78
20.	खजुराहो (मध्य प्रदेश)	25.11
21.	मंगलौर (कर्नाटक)	2.40
22.	मैसूर (कर्नाटक)	0.09
23.	नागपुर (महाराष्ट्र)	0.00
24.	पोर्टब्लेयर	0.69
25.	रायपुर (छत्तीसगढ़)	9.15
26.	रांची (झारखंड)	8.20
27.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	0.10
28.	सूरत (गुजरात)	6.05
29.	तिरुवनंतपुरम (केरल)	18.85
30.	त्रिची (तमिलनाडु)	0.13
31.	उदयपुर (राजस्थान)	0.10
32.	विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश)	0.00
33.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	0.40
34.	वडोदरा (गुजरात)	15.05
35.	अगेती (लाक्षा गहरे)	0.00
36.	अकोला (महाराष्ट्र)	0.20
37.	कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)	0.02
38.	दीमापुर (नागालैंड)	1.00
39.	गोंदिया (महाराष्ट्र)	11.51
40.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	2.70
41.	कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)	0.10
41.	पटना (बिहार)	0.60
42.	राजमुंदरी (ए.पी.)	2.30
43.	राजकोट (गुजरात)	0.60
44.	विजयवाड़ा (ए.पी.)	0.00

क्र.सं.	हवाई अड्डा	2012-13 ब.अ.
45.	तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश)	17.06
46.	तूतीकोरिन (तमिलनाडु)	0.02
47.	पांडिचेरी (यू.टी.)	5.02
48.	बागडोगरा (पश्चिम बंगाल)	0.40
49.	जैसलमेर (राजस्थान)	0.50
50.	सिलचर (असम)	0.50
51.	कडप्पा (आन्ध्र प्रदेश)	4.82
52.	वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)	0.00
53.	पंतनगर (उत्तराखंड)	1.00
54.	लेह (जम्मू और कश्मीर)	0.20
55.	बारापानी (मेघालय)	3.05
56.	जलगांव (महाराष्ट्र)	10.00
57.	किशनगढ़ (राजस्थान)	0.05
58.	तेजु (अरुणाचल प्रदेश)	7.00
59.	जामनगर (गुजरात)	0.50
60.	झारसुगुडा (ओडिशा)	0.35
	कुल	308.41

लोगों का शहरों में पलायन

2648. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य विकासशील देशों की तुलना में शहरी जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार की प्रवासी लोगों को आवास/बुनियादी सुविधाएं और रोजगार प्रदान करने के लिए कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली सहित शहरों और कस्बों की ओर लोगों के पलायन को रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन सहित अनेक कारणों से शहरों की आबादी बढ़ रही है। भारतीय जनगणना ने प्रवसन की सूचना 2011 की जनगणना में प्रकाशित नहीं करवाई है। भारत में शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की प्रतिशतता वर्ष 2001 में 27.8% से बढ़कर वर्ष 2011 में 31.16% हो गई है। सदृश अवधि के दौरान, कुछ विकसित देशों में संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण परिप्रेक्ष्य, 2011 के संशोधन के अनुसार शहरीकरण के स्तर में हुआ परिवर्तन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	देश का नाम	प्रतिशतता शहरी आबादी	
		2001	2011
1	2	3	4
1.	भारत	27.8	31.16
2.	पाकिस्तान	33.1	36.2

1	2	3	4
3.	श्रीलंका	15.7	15.1
4.	बंगलादेश	23.6	28.4
5.	इथोपिया	14.7	17.0
6.	केन्या	19.9	24.0
7.	मदागास्कर	27.1	32.0
8.	रवान्डा	13.8	19.0
9.	युगांडा	12.1	15.0
10.	जिम्बांबे	33.8	39.0
11.	कम्बोडिया	18.6	20.0
12.	म्यांमार	27.2	32.0
13.	वियतनाम	24.4	31.0

(ग) भारत सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), जो वर्ष 2005-06 में आरंभ किया गया था, के माध्यम से कस्बों के विकास हेतु सहायता प्रदान करता है और इसका उद्देश्य शहरी अवस्थापना, आवास, परिवहन और शहरी बुनियादी सुविधाओं का सुधार करना है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. में उपमिशन-I शहरी अवस्थापना और शासन तथा उपमिशन-II शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं शामिल हैं, जिनमें छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) और एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.), जिसमें अन्य कस्बे शामिल हैं, के अलावा 65 चुनिंदा कस्बें शामिल हैं।

(घ) और (ङ) प्रवसन की जांच करना अथवा प्रवसन को सुगम बनाना सरकार की नीति यह नहीं है कि क्योंकि प्रवसन की प्रक्रिया जनसांख्यिकीय और आर्थिक कारकों से प्रेरित होती है तथा प्रक्रिया के विकारों का आर्थिक संवृद्धि और विकास पर अवांछित प्रभाव पड़ सकता है।

एस.एस.ए. की भागीदारी पद्धति

2649. **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विगत वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत अनुदान की केन्द्रीय हिस्सेदारी में भारी कमी की है;;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अपने निर्णय की समीक्षा करने पर विचार कर रही है और गुजरात सहित राज्यों को अतिरिक्त बोझ की प्रतिभूति किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान

(एस.एस.ए.), जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है; के लिए केन्द्र राज्य निधीयन की भागीदारी को कम करके 11वीं योजना के अंत तक 50:50 किया जाना था जो 11वीं योजना के आरंभ में 65:35 थी। तथापि, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रावधान को संशोधित कर दिया और केन्द्र तथा राज्यों के बीच निधियों के बंटवारे की 65:35 की पद्धति (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10) जारी रखने का निर्णय लिया, जो 2010-11 से 2014-15 तक लागू रहेगी।

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य को भी एस.एस.ए. के अंतर्गत 65:35 (केन्द:राज्य) की पद्धति के आधार पर केन्द्रीय निधियां प्राप्त हो रही हैं।

यू.आर.एल. पर रोक लगाना

2650. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) से न्यायालय के आदेशों पर विषय वस्तुओं और ब्लाग से जुड़े 73 यू.आर.एल. और वे पतों पर रोक लगाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन यू.आर.एल. पर भी रोक लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार वेब पतों संबंधी अन्य यू.आर.एल. पर रोक लगाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, डाबरा, ग्वालियर द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में 73 यू.आर.एल. ब्लॉक किए गए। यह आदेश दीवानी मुकदमा (2012 का 16क) तथा जिला न्यायाधीश, डाबरा, ग्वालियर के न्यायालय में बाद में दायर की गई याचिका के संदर्भ में जारी किया गया।

(ग) और (घ) वर्ष 2013 में सरकार ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 121 यू.आर.एल. ब्लॉक किए हैं। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क तथा इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के उपबंधों के तहत विवादास्पद फिल्म "इनोसंस ऑफ मुस्लिम" का विडियो/ ट्रेलर दिखाने वाले 60 यू.आर.एल. ब्लॉक किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंध लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा भारतीय संविधान में निहित नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 क के अंतर्गत प्रकाशित सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना तक जनता की पहुंच को ब्लाक करने के लिए प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2009 में सूचना तक जनता की पहुंच को रोकने के लिए इस धारा के अंतर्गत जारी आदेशों की समीक्षा का प्रावधान किया गया है। सरकार ने भी अपर जिला न्यायाधीश, डाबरा, ग्वालियर के न्यायालय में 73 यू.आर.एल. को ब्लाक करने के दिनांक 29.01.2011 को जारी किए गए आदेश की समीक्षा करने के लिए एक याचिका दायर की है।

[हिन्दी]

आवास समिति घोटाला

2651. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में समूह आवासीय समितियों में घोटालों की जांच करने के लिए सी.बी.आई. के डी.आई.जी. के अधीन एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.बी.आई. ने इस घोटाले की जांच करने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी):

(क) जी, हां। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने योगीराज कृष्णा सी.जी.एच.एस. लिमि. बनाम डी.डी.ए. एवं अन्य नामक रिट याचिका (सी) सं. 10066/2004 की सुनवाई के दौरान दिनांक 02.08.2005 को एक आदेश पारित किया और निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 135 सहकारी समूह आवासीय समितियों (सी.जी.एच.एस.) के मामलों की जांच के लिए एक अधिकारी, जिसका पद डी.आई.जी. से कम न हो, के अधीन एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया।

(ख) से (घ) सहकारी समिति आवासीय समितियों (सी.जी.एच.एस.) से संबंधित मामले निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेश पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रभाग, विशेष अपराध प्रभाग और आर्थिक अपराध प्रभाग में दर्ज किए गए थे।

दिल्ली क्षेत्र के डी.आई.जी. ई.ओ. डब्ल्यू. के पर्यवेक्षण में जांच अधिकारियों ने सहकारी समूह आवासीय समितियों की जांच की और सी.जी.एच.एस. से संबंधित कुल 202 नियमित मामले दर्ज किए गए।

उपर्युक्त 202 नियमित मामलों में से 03 मामलों में दोषसिद्धि हुई और 1 मामले में दोषमुक्ति हुई। 02 मामलों में अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है और 5 मामलों को बंद कर दिया गया है। शेष 19 मामले माननीय न्यायालय में विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. में शिकायतें

2652. प्रो. रामशंकर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत कार्यान्वयन के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) जी, हां। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे,एन.एन.यू.आर.एम.) के उप मिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि जैसे राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जे,एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) द्वारा उनके नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार शिकायतों परियोजना के कार्यान्वयन में कमियों/परिवर्तन, यदि कोई हो, को राज्य सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार उचित सुधार और उन पर उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजती है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से राजस्व

2653. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

श्री अहीर विक्रमभाई अर्जनभाई मातम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों/प्रभारों के अंतर्गत सरकार को दूरसंचार कंपनियों से अर्जित राजस्व का शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार और जी.एस.एम. और सी.डी.एम.ए. से स्पैक्ट्रम प्रभार सहित बकाया राशि, लाइसेंस शुल्क और ब्याज की राशि का दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों का पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सेवा प्रदाता कंपनियों के नाम जिनसे राशि वसूली गई है और वसूली की जानी है का सेवा प्रदाता कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चूककर्ता सेवा प्रदाता कंपनियों जिन्होंने राशि अदा नहीं की है, को दंडित करने का है और क्या उनको नोटिस जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो जारी किए गए नोटिसों का ब्यौरा क्या है और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों पर लगाई गई शास्ति का दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों से बकाया वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अर्जित राजस्व के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर प्रस्तुत हैं।

(ख) और (ग) बकाया राशि और ब्याज के ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III पर प्रस्तुत है।

(घ) और (ङ) शास्ति की संगणना संबंधित लाइसेंस करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार की जाती है। लगाई गई शास्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV पर प्रस्तुत हैं।

(च) उपर्युक्त अधिकांश देयताएं मुकदमाधीन हैं।

विवरण-I

अर्जित राजस्व

I. **स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार**

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष 2009-10	वित्तीय 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13
3,519.03	*1,09,319.42	4,856.05	**6,889.28

*इसमें नीलामी राशि के रूप में प्राप्त 106262.26 करोड़ रु. की राशि शामिल है।

**इसमें 2जी स्पैक्ट्रम के लिए नीलामी राशि के रूप में प्राप्त 1706.92 करोड़ रु. की राशि शामिल है।

II. **लाइसेंस शुल्क***

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष 2009-10	वित्त 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13 (तीसरी तिमाही तक)
10,128.13	10,297.86	11,416.23	8,540.71

*ये एम.आई.एस. आंकड़े हैं।

विवरण-II

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार/लाइसेंस फीस की बकाया राशि

(रुपए करोड़ में)

दूरसंचार सेवा प्रदाता	स्पैक्ट्रम प्रयोग शुल्क (एस.यू.सी.)									लाइसेंस फीस		
	जी.एस.एम.			सी.डी.एम.ए.			कुल एस.यू.सी.					
	मूलधन	ब्याज	कुल	मूलधन	ब्याज	कुल	मूलधन	ब्याज	कुल	मूलधन	ब्याज	कुल
एयरसेल	40.42	20.61	61.03			0	40.42	20.61	61.03	0	0	0
भारती एयरटेल	432.21	235.84	668.05			0	432.21	235.84	668.05	1,450.68	1,156.83	2,607.51
बी.एस.एन.एल.	0	0	0			0	0	0	0	990.46	1,102.49	2,092.95
डिशनेट वायरलैस	0	0.13	0.13			0	0	0.13	0.13			0
ए.टी. सलाट डी.बी.	4.00	1.85	5.85			0	4	1.85	5.85	15.48	4.73	20.21
एच.एफ.सी.एल.	0	0	0	4.03	9.82	13.85	4.03	9.82	13.85			0
आइडिया	3.09	4.61	7.70			0	3.09	4.61	7.70	216.04	204.32	420.36
लूप टेलीकॉम	0.64	0.29	0.93			0	0.64	0.29	0.93			0
एम.टी.एन.एल.	0	0	0			0	0	0	0	48.85	54.35	103.20
रिलायंस कम्यु.	0.08	0.12	0.20	54.94	139.89	194.83	55.02	140.01	195.03	796.41	664.79	1,461.20
रिलायंस टेलीकॉम	0.04	0.04				0	0	0.04	0.04	58.06	44.29	102.35
एस. टेल	3.41	1.83	5.24			0	3.41	1.83	5.24	7.22	2.49	9.71
सिस्टमा श्याम लि.		0		0	30.78	30.78	0	30.78	30.78	27.5	9.1	36.60

स्पाइस कम्युनिकेशन	0	0.54	0.54			0	0	0.54	0.54			0
टाटा टेलीसर्विसेज (माह.) लि.	0	0	0	21.82	75.45	97.27	21.82	75.45	97.27	25.44	26.67	52.11
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	0	0	0	24.17	82.1	106.27	24.17	82.1	106.27	170.13	181.92	352.05
यूनीटेक वायरलैस	8.66	4.36	13.02			0	8.66	4.36	13.02	16.14	5.92	22.06
वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन	0.68	0.66	1.34			0	0.68	0.66	1.34	19.74	7.21	26.95
वोडाफोन	408.77	255.39	664.16			0	408.77	255.39	664.16.	252.45	205.4	457.85
कुल	901.96	526.27	1,428.23	104.96	338.04	443.00	1,006.92	864.31	1,871.23	4,094.60	3,670.51	7,765.11

विवरण-III

जी.एस.एम. स्पैक्ट्रम के संबंध में 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पैक्ट्रम के लिए एकमुश्त स्पैक्ट्रम प्रभार की बकाया राशि

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	दूरसंचार सेवा प्रदाता	एकमुश्त स्पैक्ट्रम प्रभार			पहली समीकृत वार्षिक किस्त की राशि
		मूलधन	ब्याज	कुल	बकाया राशि
1.	एयरसेल	1,351.51	0	1,351.51	582.43
2.	भारतीय एयरटेल	5,201.24	0	5201.24	1758.07
3.	बी.एस.एन.एल.	6,911.86	0	6,911.86	1282.98
4.	डिशनेट वायरलेस	14.25	0	14.25	1.98
5.	आइडिया	1,882.00	0	1,882.00	726.36
6.	लूप मोबाइल (आई) लि.	606.72	0	606.72	606.72
7.	एम.टी.एन.एल.	3,205.71	0	3,205.71	916.48
8.	रिलायंस टेलीकॉम	173.46	0	173.46	62.60
9.	स्पाइस कम्यूनिकेशन	231.50	0	231.50	84.45
10.	वोडाफोन	3,599.40	0	3,599.40	2093.61
	कुल	23,177.65	0.00	23,177.65	8115.68

नोट: प्रचालकों को विलम्बित भुगतान का विकल्प दिया गया है। प्रचालकों द्वारा पहली किस्त का भुगतान नहीं किया गया है जिसे बकाया राशि के रूप में मान लिया गया है। यह मामला न्यायाधीन है।

विवरण-IV

बकाया स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार/लाइसेंस फीस के संबंध में लगाया गया जुर्माना

(रुपए करोड़ में)

दूरसंचार सेवा प्रदाता	जी.एस.एम.	सी.डी.एम.ए.	एल.एफ.	कुल
एयरसेल	20.09	0.00	0.00	20.09

दूरसंचार सेवा प्रदाता	जी.एस.एम.	सी.डी.एम.ए.	एल.एफ.	कुल
भारती	205.99	0.00	196.68	402.67
बी.एस.एन.एल.	0.00	0.00	951.96	951.96
डिशनेट	0.00	0.00	0.00	0.00
ए.टी. सलाट	1.99	0.00	9.18	11.17
एच.एफ.सी.एल.	0.00	1.14	0.00	1.14
आइडिया	0.00	0.00	0.00	0.00
लूप	0.32	0.00	0.00	0.32
एम.टी.एन.एल.	0.00	0.00	42.25	42.25
रिलायंस कम्युनिकेशन	0.08	33.29	399.86	433.23
रिलायंस टेलीकॉम	0.00	0.00	32.20	32.20
एस. टेल	1.71	0.00	4.4	6.11
सिस्टमा श्याम लि.	0.00	14.94	17.14	32.08
स्पाइस	0.00	0.00	0.00	0.00
टाटा टेलीसर्विसेज (माह) लि.	0.00	13.98	0.00	13.98
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	0.00	12.99	0.00	12.99
यूनीटेक वायरलैस लि.	4.22	0.00	9.50	13.72
वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन लि.	0.37	0.00	11.81	12.18
वोडाफोन	213.64	0.00	0.00	213.64
कुल	448.41	76.34	1,674.98	2,199.73

[अनुवाद]

मोनाजाइट के निर्यात की अनुमति

2654. **श्री खगेन दास:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा कंपनी अथवा संगठन को मोनाजाइट के निर्यात की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछ व्यक्ति/कंपनियां बिना किसी लाइसेंस के मोनाजाइट का अनाधिकृत रूप से निर्यात कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ मामलों में कुछ व्यक्तियों अथवा कंपनियों को अन्य खनिजों को निकालने के पश्चात् मोनाज़ाइट वाला रेत रखने की अनुमति दी है और क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) मोनाज़ाइट, दिनांक 20.01.2006 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 61 (ई) के साथ पठित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 2 (छ) के अंतर्गत एक 'विहित पदार्थ' है। परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्यकरण, खनिज और विहित पदार्थों का हस्तन) नियम, 1984 किसी अयस्क खनिज अथवा अन्य सामग्री, जिसमें से किसी विहित पदार्थ का निष्कर्षण किया जा सकता है के खनन, पेषण, संसाधन और/अथवा हस्तन के लिए लाइसेंस देने की शर्तों को शासित करते हैं। 'हस्तन' शब्द में उक्त पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, भंडारण. उपयोग, बिक्री द्वारा अथवा अन्यथा हस्तांतरण, निर्यात, आयात, परिवहन अथवा निपटान शामिल है। चूंकि मोनाजाइट एक 'विहित पदार्थ' है, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.), भारत सरकार ने एक नीति के तौर पर, इस पदार्थ के संबंध में सभी गतिविधियों को केवल सरकारी एनटिटिज तक ही सीमित रखा है। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.), जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, एकमात्र एक ऐसा संगठन है जिसे आज की तारीख तक मोनाजाइट का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है। विभाग ने अन्य किसी व्यक्ति अथवा कंपनी अथवा एनटिटि को मोनाजाइट का निर्यात करने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

(ग) जी, नहीं। हालांकि, परमाणु ऊर्जा विभाग ने किसी प्राइवेट एनटिटि को इसका निर्यात करने का लाइसेंस प्रदान नहीं किया है, तथापि, प्रेस के कुछ खंडों में कुछ रिपोर्ट, प्रकाशित हुई हैं।ह जिनमें मोनाजाइट का अवैध रूप से निर्यात करने के बारे में सुझाव दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग ने निर्यात से पूर्व उपयुक्त विनियामक जांच के माध्यम से और पत्तनों पर विकिरण का मानीटरन करके ऐसे किसी निर्यात को रोकने के लिए व्यापक प्रणालियां सुस्थापित करने के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विभाग ने निम्नलिखित एनटिटिज को, संयंत्र के परिसर के भीतर मोनाजाइट-पछोड़न को भंडारित करने, जहां परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के संस्थागत नियंत्रण के अंतर्गत संयंत्र के परिसर के भीतर ही एक पृथक स्थल पर अवस्थित खाइयों में ऐसी पछोड़नों को भंडारित किया जाता है, और उसके ऊपर सिलिका समृद्ध बालू की परत बिछाई जाती है, की अनुमति प्रदान की है:

I. मैसर्स ट्राइमैक्स लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश

II. मैसर्स केरल मिनरल्स एंड मैटल्स लिमिटेड, चव्रा, केरल

III. मैसर्स वी.वी. मिनरल्स, तमिलनाडु का आथूर संयंत्र

IV. मैसर्स वी.वी. मिनरल्स. येल्लापेट्टा, आन्ध्र प्रदेश

V. मैसर्स मिरेकल सैंड्स एंड मैटल्स, तमिलनाडु

(च) अप्राधिकृत प्रदेश रोकने के लिए इन भंडारण स्थलों की चारदीवारी की गई है। विकिरण-चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किए गए हैं, और इन स्थलों में तथा आसपास के क्षेत्र में विकिरण के स्तर का आवधिक रूप से मानीटरन किया जाता है। मोनाजाइट समृद्ध भंडारण स्थलों के विकिरण स्तर की जांच भी परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा विनियामक निरीक्षण करने के दौरान यह पता लगाने के लिए की जाती है कि क्या वह विकिरण के प्राकृतिक पृष्ठभूमिक स्तर के तुलनीय है।

[हिन्दी]

विद्यालयों द्वारा अधिक शुल्क वसूलना

2655. श्री महाबल मिश्रा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश पब्लिक स्कूल निःशक्त विद्यार्थियों से अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ शशी थरूर): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के ध्यान में ऐसे कोई दृष्टांत नहीं आए हैं। हालांकि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उप-नियमों के अनुसार लिया गया शुल्क स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के अनुरूप होना चाहिए।

(ख) और (ग) शिक्षा के संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने और अधिकांश स्कूलों के राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में होने के कारण इस मामले में उपयुक्त निर्णय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को लेना है। हालांकि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी करती है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के घाटे वाले मार्ग

2656. श्री हरिन पाठक:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

श्री नित्यानंद प्रधान:

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वायुयान की खरीद और निजी प्रचालकों के लिए लाभ वाले मार्गों को छोड़ने में कथित अनियमितताओं पर सरकार और एअर इंडिया को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा एअर इंडिया को लाभ में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जनहित मुकदमा केन्द्र ने रिट याचिका (सी.) सं. 2302 वर्ष 2010 के संबंध में दिनांक 01.06.2012 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील (सी) सं. 25545 वर्ष 2012 में स्पेशल लीव हेतु एक याचिका दायर की है और विधि संबंधी निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं:

(i) क्या माननीय उच्च न्यायालय से एअर इंडिया के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय की कार्रवाई में आपराधिक जांच के निर्देश न दिए जाने की गलती हुई है?

(ii) क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य के संबंध में भूल हुई है कि पी.ए.सी. को इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए थी?

(ग) सरकार ने एअर इंडिया की टर्न अराउंड योजना (टी.ए.पी.) तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफ.आर.पी.) को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें लागत में कमी करने तथा प्रचालनिक निष्पादन में सुधार करने पर बल दिया गया है। सरकार ने वित्तीय पुनर्संरचना (एफ.आर.पी.) योजना के अंतर्गत और अधिक इक्विटी सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा आवास योजना

2657. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा देश में दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा सहित विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को आवास प्रदान करने हेतु विभिन्न आवास योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाएं निर्धारित योजना के अनुसार लागू की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो योजना-वार उक्त आवासों के आवंटन हेतु समय-सीमा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जैसाकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ.) से सूचना प्राप्त हुई है, देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए इस संगठन के अंतर्गत आवासीय योजनाएं इस प्रकार हैं:-

आवासीय योजनाएं, जहां निर्माण कार्य चल रहा है	योजनाधीन आवासीय परियोजनाएं
1. चैन्नई (चरण-II)	1. विशाखापट्टनम
2. मोहाली (चरण-I)	2. मेरठ (चरण-II)
3. भुवनेश्वर (चरण-I)	3. ग्रेटर नोएडा
4. मेरठ (चरण-I)	4. चैन्नई (चरण-III)
5. कोलकाता (चरण-II)	5. मोहाली (एस.ए.एस. नगर)
6. भुवनेश्वर (चरण-II)	
7. मोहाली (चरण-II)	

(ख) और (ग) जैसा कि सी.जी.डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा सूचित किया गया है, मांग सर्वेक्षण कराने के पश्चात योजनाओं की आयोजना की जाती है और तत्पश्चात राज्य सरकार के प्राधिकरणों से भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। राज्य सरकार के प्राधिकरणों से भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में, आवासीय योजनाओं की आयोजना टर्न-की परियोजनाओं रूप में की जाती है, जिसमें निर्माण अभिकरण द्वारा भी भूमि उपलब्ध करायी जाती है। अत: इस प्रकार की आवासीय योजनाओं के लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवासों का आवंटन ड्रा के पश्चात पात्र आवेदकों को किया जाता है। परियोजना विशेष में आवासीय एकक की संख्या का विशिष्ट आबंटन परियोजना के पूरा होने के समय की जाती है। निम्नलिखित आवासीय योजनाओं में आबंटन किया गया है।

योजनाएं	समय-अनुसूची
1. चेन्नई (चरण-II)	योजना की औपचारिक समाप्ति के तीन महीनों के भीतर इस सभी योजनाओं में आबंटन किया गया है।
2. मोहाली (चरण-I)	
3. भुवनेश्वर (चरण-I)	
4. मेरठ (चरण-I)	
5. कोलकाता (चरण-II)	
6. भुवनेश्वर (चरण-II), और	
7. मोहाली (चरण-II)	

(घ) सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. की आवासीय योजनाओं की आयोजना प्रारंभ में अनुमानों और योजना के अनुसार प्रक्रिया को पूरा कराने की प्रत्याशा के साथ की जाती है। तथापि, सांविधिक म्यूनिसिपल और विकास प्राधिकरणों से पूर्व अनुचित प्राप्त करनी होती है और निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले अग्निशमन, विमानपत्तन, पर्यावरण आदि जैसे संबंधित राज्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। यहां तक कि निर्माण कार्यों के पूरा होने के पश्चात भी सांविधिक प्राधिकरणों से अपेक्षित पूर्णता/काबिज प्रमाण पत्र तथा पश्चातवर्ती सेवा कनेक्शनों अर्थात बिजली, पानी, सीवेज आदि भी में विलम्ब होता है, जोकि सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. के नियंत्रण में नहीं है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

2658. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू पाठ्यक्रम में व्यापक रूप में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जा रहा है, जिनका लक्ष्य बिना किसी परेशानी के औद्योगिक स्थापना में रोजगार प्राप्त करना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई अध्ययन करवाया है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि ऐसे पाठ्यक्रमों से विद्यार्थियों को बिना किसी परेशानी के औद्योगिक संस्थापनाओं में नौकरियां प्राप्त करने में मदद मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में औद्योगिक संस्थापनाओं के लिए कोई ऐसा कानून है कि वे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नौकरी दें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या देश में आन्ध्र प्रदेश सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास को जानने के लिए कोई अध्ययन करवाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ शशी थरूर): (क) से (ग) सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण" का अनुमोदन 15-9-2011 को किया गया था। योजना का विशिष्ट उद्देश्य प्रतियोगिता आधारित माड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाना, योग्यताओं में बहु-प्रवेश, बहु-निर्गम शिक्षण अवसरों और उर्ध्वस्थ गतिशीलता/अन्तर-परिवर्तनशीलता के उपबंधों के माध्यम से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना, शिक्षित और नियोजन-योग्य के बीच अन्तराल को पूरा करना, शैक्षणिक उच्चतर शिक्षा के दबाव को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत मांग आधारित माड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान और उद्योग/नियोक्ताओं के सहयोग से उनका विकास किया गया है। ये पाठ्यक्रम सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। योजना में नए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना, वर्तमान व्यावसायिक स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, व्यावसायिक शिक्षा अध्यापकों की क्षमता-निर्माण, प्रतियोगिता आधारित पाठ्यचर्या का विकास तथा मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए एम.आई.एस. का विकास शामिल है।

(घ) केन्द्र द्वारा शैक्षिक अनुसंधान आयोजना और कार्रवाई (1999) माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की अब तक की योजना की समीक्षा तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्य ढांचा (2011) के बारे में राज्य शिक्षा मंत्रियों के समूह की सिफारिशों से मिली सीख के आधार पर योजना के अंतर्गत हरियाणा में प्रयोग के आधार पर 40 स्कूलों में सितम्बर, 2012 से चार उद्योग क्षेत्रों अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.), आटोमोटिव, सुरक्षा और फुटकर को आरम्भ किया गया था। उपर्युक्त क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए पाठ्यचर्या और संबंधित सामग्री पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, स्किल क्षेत्र विशेष में कौशल परिषद/उद्योग के इनपुट से संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम

बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में योजना के अधीन व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत के लिए आरम्भिक कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। तथापि प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले व्यक्तियों को लगाना अपेक्षित होता बशर्ते उनके पास (क) प्रबंधकीय व्यक्ति (तकनीकी और पर्यवेक्षी) व्यक्तियों सहित) अपेक्षित संख्या में अभिहित ट्रेड में हों, (ख) स्थापना में लगे प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी और (ग) अभिहित ट्रेड में प्रशिक्षण सुविधाएं पूर्णरूप से उपलब्ध हों।

(च) व्यावसायिक शिक्षा के प्रभारी, राज्य शिक्षा मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट मंत्रालय को सितम्बर, 2011 में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में क्षमता आधारित पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्धारण और प्रमाणन तथा राज्य सरकारों इत्यादि की भूमिका सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्य ढांचे के विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी और निजी विमानन कंपनियों के समक्ष पेश आ रही समस्याएं

2659. श्री वैद्यनाथ महतो:

श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की विमानन कंपनियों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं और कमियों का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कोई प्रारूप तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा विमान यात्रा को यात्रियों की पहुंच में लाने और उसे बाधा-मुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के परिणामस्वरूप सुविधाओं में आई कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विमान यात्रियों की सुविधा के लिए क्या कार्य योजना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया है जिसमें वित्त सचिव, सचिव, वित्तीय संवाएं, सचिव, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डी.जी.एफ.टी. और संयुक्त सचिव, नागर विमानन हैं जो नागर विमानन में तनाव पैदा करने वाले कारणों पर चर्चा करेंगे तथा इनके समाधान संबंधी सुझाव देंगे।

(ग) से (ङ) कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विमानन उद्योग के पुनरुत्थान तथा विमानन क्षेत्र की दीर्घकालीन व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

(i) विदेश व्यापार महानिदेशक ने एयरलाइनों को ए.टी.एफ. के सीधे आयात की अनुमति उनके वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर दे दी है।

(ii) घरेलू अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित वाहकों ने विदेशी एयरलाइनों द्वारा उनकी प्रदत्त पूंजी की 49 प्रतिशत तक की एफ.डी.आई. की अनुमति दे दी गई है।

(iii) एयरलाइनों द्वारा उनकी कार्यशील पूंजी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक बिलियन यू.एस.डी. $ तक की ई.सी.बी. की अनुमति दे दी गई है।

(च) घरेलू सेक्टर में प्रचालन अविनियमित कर दिया गया है। इन प्रकार एयरलाइनें मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

2660. श्रीमती भावना पाटील गवली:

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आर्थिक मंदी और सूखे जैसी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की स्थिति के आंकलन के लिए योजना आयोग की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग ने हाल ही में पहले देश में आर्थिक मंदी और सूखे जैसी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के आंकलन के लिए कोई विशिष्ट बैठक आयोजित नहीं की है। तथापि, पूर्ण योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की क्रमश: 15 सितम्बर, 2012 एवं 17 दिसम्बर, 2012 को आयोजित बैठकों में 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज पर विचार किया गया, जो आर्थिक स्थिति का आकलन भी करता है।

[अनुवाद]

विमान सेवाएं

2661. **श्री उदय सिंह:**

श्री जगदीश सिंह राणा:

श्री पी विश्वनाथन:

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार संपूर्ण देश में सुदूर स्थलों को कम लागत क्षेत्रीय विमान संपर्क प्रदान करने हेतु कोई नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा क्षेत्रीय वायुमार्गों और गंतव्य स्थलों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) घरेलू क्षेत्र में प्रचालनों को अविनियमित किया गया है और संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर उड़ाने प्रचालित की जा रही है। देश के दुर्गम/क्षेत्रीय क्षेत्रों के लिए बेहतरीन संपर्कता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा 1994 में मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी अनुसूचित प्रचालकों को ट्रंकमार्गों (श्रेणी-I मार्ग) पर लगाई गई अपनी क्षमता का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप (श्रेणी-II मार्ग) में लगाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार श्रेणी-II मार्गों पर लगाई जाने वाली क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत विशिष्ट रूप से केवल इन क्षेत्रों (श्रेणी-IIक) के भीतर संपर्कता के लिए लगाया जाना अपेक्षित है। सभी अनुसूचित प्रचालकों द्वारा ट्रंक मार्गों (श्रेणी-I मार्ग) पर लगाई गई अपनी क्षमता की कम से कम 50% क्षमता की तैनाती श्रेणी-III मार्गों पर किया जाना अपेक्षित है।

इसके अलावा, देश में क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2007 में अनुसूचित विमान परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाओं की एक पृथक श्रेणी शुरू की गई। अनुसूचित क्षेत्रीय प्रचालक मुख्यत: अनुमति प्रदान किए गए क्षेत्रों में प्रचालन के लिए बाध्य हैं, तथापि, प्रचालनात्मक आकस्मिकता की स्थिति में वे, अन्य क्षेत्रों के मैट्रो शहरों को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों के शहरों के लिए भी विमान सेवा शुरू कर सकते हैं।

स्कूलों में एच.आई.वी. संक्रमित बच्चे

2662. **श्री वरुण गांधी:**

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्कूलों में एच.आई.वी./एड्स वायरस द्वारा प्रभावित बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और प्रवेश

नहीं देने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं कि स्कूलों में ऐसी घटनाएं न हों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स (एक्वायर्ड इम्मियून डेफिशिएंसी सिन्ड्रोम) नियंत्रण संगठन (नार्को) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक एच.आई.वी. संक्रमित 61 बच्चों को दाखिला देने से इंकार करने के अनेक दृष्टांत आए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को सुग्राही बनाने के समर्थक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एच.आई.वी./एड्स वाले छात्रों के साथ मर्यादा और सम्मान का व्यवहार किया जाए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नार्को) और राज्य नियंत्रण सोसायटियां भी अपने राज्य/जिला स्तर के नेटवर्क के साथ स्कूल प्राधानाचार्यों और शिक्षकों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ समर्थक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान स्कूल से बाहर किए गए एच.आई.वी. संक्रमित बच्चों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	27
2.	गुजरात	4
3.	हरियाणा	9
4.	केरल	4
5.	महाराष्ट्र	1
6.	उत्तर प्रदेश	3
7.	पश्चिम बंगाल	13
	कुल	61

[हिन्दी]

समान पाठ्यक्रम

2663. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी/निजी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम, जिसमें नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण और देशभक्ति को सम्मिलित किया जाएगा को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) देश के सरकारी/निजी स्कूलों में एक समान पाठ्यचर्या लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) सरकारी और निजी स्कूलों के बीच कोई भेद नहीं करता और देश में सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान पाठ्यचर्या निर्धारित की जाती है। तथापि, जो स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध नहीं हैं वे राज्य पाठ्यचर्या अपनाते हैं जोकि एक समान नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचा, 2005 ने शिक्षा के सभी चरणों में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों, सांवेधानिक मूल्यों के परिपोषण के लिए एकीकृत और संपूर्ण दृष्टिकोण की सिफारिश की है ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। उपर्युक्त राष्ट्रीय पाठ्यचर्या

कार्य ढांचा, 2005 के सिद्धांतों के अनुरूप सभी विषयों के लिए सभी चरणों पर नये पाठ्य-विवरण और पाठ्य-पुस्तकें विकसित की गई हैं। शांति के लिए शिक्षा को एक कार्यनीति के रूप में मूल्य संदर्भ के अनुसार उपयुक्त बनाने की सिफारिश की गई है। स्कूल लोकाचार, नीतियों और प्रथाओं, शिक्षक का व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्य, कक्ष-कक्ष के अन्दर-बाहर शिक्षण कार्यकलाप तथा विभिन्न विषयों का शिक्षण, एक अलग विषय के रूप में पढ़ने के बजाय ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र ऐसे मूल्यों को अपनाने और विकसित करने में समय हों ताकि स्वयं अपने और अन्यों के साथ जिम्मेदार नागरिकों की तरह अमन-चैन से रह सकें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) संकाय, टीचर एजुकेटर और शिक्षकों का इस प्रकार अभिविन्यास कर रही है कि ऐसे मूल्यों को केन्द्रित शिक्षाशास्त्रीय प्रथा के माध्यम से समुचित रूप से लागू किया जा सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 'स्कूलों में मूल्यों की शिक्षा' पर एक कार्यढांचे को भी अंतिम रूप दिया है।

[अनुवाद]

मुंबई का विकास

2664. श्री संजय निरुपम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुंम्बई के समेकित विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं और ब्यौरा क्या है और इसका चरण-वार ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य सोचे गए है;

(ग) इस दिशा मे क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आवंटन राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, जल निकास प्रणाली, सड़कों एवं फ्लाईओवरों आदि का उन्नयन करने हेतु मुंबई में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार है:-

(i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के एक उपमिशन शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) के अन्तर्गत मुंबई के लिए 5358.48 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की वचनबद्धता के साथ 26 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 1635.56 करोड़ रुपए का ए.सी.ए. जारी किया जा चुका है।

सरकार ने नई परियोजना और क्षमता निर्माण गतिविधियों की स्वीकृत हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. को 31 मार्च, 2014 तक जारी रखने के अधिदेश हेतु शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

(ii) भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2009 में घोषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत महाराष्ट्र सहित राज्यों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत शहरी परिवहन के लिए बसों की खरीद हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए स्कीम के तहत उनकी शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु एक बारगी उपाय के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है। यह निधिकरण विशेषरुप से सभी मिशन शहरो के लिए शहर बस सेवा और द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बी.आर.टी.एस.) के लिए ही है।

वृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट) और नवी मुंबई ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत बसों की खरीद हेतु 1150 आधुनिक सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली (आई.टी.एस.) की स्वीकृति दी है। ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	शहर/संगठन	कुल स्वीकृत बेड़ा	सी.एस.एम.सी. में अनुमोदित कुल लागत	बसों की डिलिवरी	स्वीकृत केन्द्रीय अंश (ए.सी.ए.)	जारी कुल निधियां
1.	बेस्ट	1000	284	1000	99.40	57.85
2.	नवी मुंबई	150	40.5	150	14.18	12.16

(iii) महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति पर दो मैट्रो रेल परियोजनाएं और केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य संयुक्त उद्यम पर एक मैट्रो रेल परियोजना अनुमोदित की गयी है। ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना	परियोजना ब्यौरा	वर्तमान स्थिति	स्वीकृत/जारी निधि
1.	मुम्बई मैट्रो रेल परियोजना लाइन-1 वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर	कॉरिडोर की कुल लम्बाई 11.40 कि.मी. है तथा निर्माण लागत 2356.00 करोड़ रु. है। परियोजना मुंबई मैट्रो जो कि मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रेक्टर लि., मैसर्स वोलिया और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) का संयुक्त उद्यम है, द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)/बूट पद्धति पर कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में परियोजना लागत का 20% अर्थात् 471 करोड़ रु. बी.जी.एफ. अनुमोदित किया है।	कुल 85% कार्य पूरा हो चुका है तथा लाइन के वर्ष 2013 के बांद की छमाही में चालू किए जाने की संभावना है।	471 करोड़ रु. के कुल व्यवहार्यता अन्तराल वित्त पोषण (वी.जी.एफ.) में से, केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 235.50 करोड़ रु. जारी किये हैं।
2.	मुंबई मैट्रो लाइन-2 (महाराष्ट्र) घारकोप-बांद्रा	कॉरीडोर की कुल लंबाई 31.871 कि.मी. है तथा	परियोजना अनुमोदित हो	भारत सरकार ने 1532 करोड़ रु. का

क्र.सं.	परियोजना	परियोजना ब्यौरा	वर्तमान स्थिति	स्वीकृत/जारी निधि
	मनखुर्द कॉरिडोर	अनुमानित पूर्णता लागत 7660 करोड़ रु. है। लाइन-2 मैसर्स रिलायस इन्फ्रास्ट्रैक्चर लि., एस.एन.जी. लावालिन, कनाडा और रिलाइंस कम्युनिकेशन लि. का संयुक्त उद्यम है।	गयी है, तथापि कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	बी.जी.एफ. अनुमोदित किया है तथापि अभी जारी किया जाना है।

(iv) मुंबई में वर्षा जल निकासी के सुधार के लिए ब्रहन मुंबई वर्षा जल निकास ब्रिमस्टोवार्ड परियोजना दिनांक 12.7.2007 को 1200.53 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अनुमोदित की गई थी जिसमें से 1000 करोड़ रु. की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

वक्फ संपत्तियां

2665. श्री अब्दुल रहमान: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) और भूमि एवं विकास कार्यालय के कब्ज़े में 123 वक्फ संपत्तियां है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय और दिल्ली वक्फ बोर्डों की यह लम्बे समय से मांग रही है कि इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संपत्तियों को कब तक वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां,।

(ख) और (ग) रिट याचिका (सिविल) सं. 1512/1984 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 'इन्द्रप्रस्थ हिन्दु परिषद बनाम भारत संघ एवं अन्य' के मामले में स्थायी लीज आधार पर एक रु. प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से कुल 123 सम्पतियों (जिसमें 62 सम्पत्तियां डी.डी.ए. और 61 सम्पत्तियां भूमि एवं विकास कार्यालय की है) को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरण करने के आदेश पर स्थगन दिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में, इस स्तर पर कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन

2665. श्री दत्ता मेघे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्च शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है:

(ख) अन्य देशों की तुलना में उच्च शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है:

(ग) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन "उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के आंकड़े" के अनुसार वर्ष 2009-10 (अनंतिम) के दौरान देश में उच्चतर शिक्षा में

नामांकित छात्रों की संख्या 2,07,40,740 है। उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक एकत्रित आंकड़ों के आधार पर 2010-11 में देश में नामांकित छात्रों की अनुमानित संख्या 2,66,50,953 होने की संभावना है।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन "उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के आंकड़े" के अनुसार वर्ष 2009-10 (अनंतिम) के दौरान 18-23 वर्ष के आयु-वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में देश में उच्चतर शिक्षा में नामांकित छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 15 है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल एजुकेशन डाइजेस्ट (2012) के अनुसार, वर्ष 2009-10 के लिए चीन और श्रीलंका का सकल नामांकन अनुपात विश्व औसत 29 की तुलना 26 और 15 है। उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक एकत्रित आंकड़ों के आधार पर सकल नामांकन अनुपात 18.8 होने की संभावना है।

(ग) और (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह अनुशंसा की गई है कि 12वीं योजनावधि के दौरान उच्चतर शिक्षा में 10 मिलियन अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा

2667. श्री मकन सिंह सोलंकी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्नातकोत्तर में और वनस्पति विज्ञान और जन्तु विज्ञान विषयों वाले उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में बैठने की अनुमति है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीव विज्ञान (लाइफ साइन्स) के स्थान पर वनस्पति विज्ञान और जन्तु विज्ञान विषयों को सम्मिलित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नही तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) ने हमें सूचित किया है कि स्नातकोत्तर में वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों वाले अभ्यर्थियों को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित सी.एस.आई.आर.-यू.जी.सी. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में "जीव-विज्ञान नामक मुख्य विषय क्षेत्र की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यू.जी.सी.-सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पांच मूलभूत विज्ञान विषयों, नामत: रसानक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, जीव विज्ञान, गणितीय विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में आयोजित की जाती है। दर्शाए गए विषय विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर करने वाले अभ्यर्थी इन विषयों में परीक्षा देने के पात्र है। "जीव विज्ञान" विषय में कई विषय विशिष्टताएं शामिल है जैसे जैव-रसायन, जैव-विविधता एवं टैक्सोनॉमी, जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति विज्ञान, जैनेटिक्स, सूक्ष्म जीव विज्ञान, शरीर क्रियाविज्ञान, जन्तु विज्ञान इत्यादि तथा उपर्युक्त में से किसी में भी मास्टर डिग्री करने वाले अभ्यर्थी यू.जी.सी.-सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए "जीवन-विज्ञान" विषय में परीक्षा देने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

विकिरण सुरक्षा निदेशालय

2668. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री प्रदीप माझी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु उर्जा विनियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) ने हाल ही में विकिरण सुरक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) हस्ताक्षरित किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों के क्या नाम है:

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित निबंधन और शर्तो का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन द्वारा लाभान्वित होने वाले ओडिशा और गुजरात सहित इन राज्यों में विभिन्न निदानालय (डायग्नोस्टिक) केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (और) जी, हां। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर.बी.) ने विकिरण संरक्षा निदेशालय (डी.आर.एस.) की स्थापना करने के संबन्ध में, केरल (1999), मध्य प्रदेश (2010), मिजोरम (2011), पंजाब (2011), छत्तीसगढ़ (2012), गुजरात (2012), हिमाचल प्रदेश (2012), महाराष्ट्र (2013) और ओडिशा (2013) राज्यों के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) राज्य स्तर पर विकिरण संरक्षा निदेशालय स्थापित करने का अंतर्निहित उद्देश्य, देशभर में बड़ी संख्या में अवस्थित नैदानिक एक्स-किरण यूनिटों/सुविधाओं के मद्देनजर, चिकित्सीय नैदानिक एक्स-किरण सुविधाओं पर सुरक्षा संबंधी विनियामक नियंत्रण को सुदृढ़ करना है। समझौता-ज्ञापन की निबंधन व शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को विकिरण संरक्षा निदेशालय स्थापित करना है जिसमें विनिर्दिष्ट पदनामों और शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अहर्ताओं वाले और अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। विकिरण संरक्षा निदेशालय पर, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के पास चिकित्सीय एक्स-किरण संस्थापनाओं के निरीक्षण के संबंधी जनजागरूकता कार्यक्रमों कोक आयोजित करने का उत्तरदायित्व है।

(घ) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद और राज्य सरकारों के बीच किए गए समझौता-ज्ञापनों के अनुसार, विकिरण संरक्षा निदेशालय के लिए एक निदेशक, विकिरण संरक्षा निरीक्षकों, तकनीकी सहायकों और सहायक कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार, विकिरण संरक्षा निरीक्षकों, तकनीकी सहायकों और सहायक कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या निर्धारित करेगी। गुजरात और ओडिशा राज्यो सहित, राज्य स्तर पर विकिरण संरक्षा निदेशालयों का गठन होने पर, चिकित्सीय नैदानिक एक्स-किरण उपस्कर का उपयोग करने वाले व्यक्ति, वैकिरणकीय संरक्षा परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से, चिकित्सीय नैदानिक एक्स-किरण उपस्कर को सुरक्षित रूप से प्रचालित करने से लाभान्वित होंगे।

नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश

2669. **श्री सुल्तान अहमदः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों में विशेषकर दिल्ली में नर्सरी में प्रवेश माता-पिता हेतु अत्यधिक चिन्ता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा सभी बच्चों को नर्सरी प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या आने वाले सत्र से नर्सरी प्रवेश को आरटीई अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) में व्यवस्था है कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूल और विशिष्ट श्रेणी स्कूल कक्षा 1 (अथवा पूर्व-प्राथमिक कक्षा, जैसा भी मामला हो) में छात्रों की संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत तक कमजोर वर्गों और लाभवंचित समूहों के बच्चों को दाखिला देंगे और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान में नर्सरी में दाखिले राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं।

नए संस्थान

2670. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान स्वीकृत नए संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विशेषकर बिहार में स्वीकृत संस्थानों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने संस्थानों की गुणवत्ता ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्रक्रिया कम से कम करने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. से कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान 643,357 तथा 201 नई संस्थाएं अनुमोदित की हैं।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वर्ष 2013-14 के लिए कुल 287 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदनों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में छानबीन की जा रही है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान बिहार में क्रमशः 0, 8 और 34 संस्थाओं को संस्वीकृति दी गई।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 द्वारा देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उपयुक्त योजना और समन्वित विकास करने के लिए स्थापित किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुमोदन की समूची प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह है तथा तकनीकी संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ध्यान में रखते हुए न्यूनतम संस्वीकृति प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की इसकी अनुमोदन प्रक्रिया के लिए ई-गवर्नेंस प्रणालियां आरम्भ की हैं।

शिक्षण तकनीकों में सुधार

2671. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम अभिकल्प और शिक्षण तकनीकों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है

(ख) क्या सरकार ने आर.टी.ई. अधिनियम की कमियों के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है: और

(ग) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्यढांचा (एन.सी.एफ.)-2005 के आधार 2006, 2007 और 2008 के दौरान सभी स्कूल-विषयों में I-XII कक्षाओं के लिए पाठ्य-विवरण और अभ्यास/ सामग्रियां तैयार की गई है। शिक्षकों का पूर्वाभिमुखीकरण/ प्रशिक्षण एड्यूसेट वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तथा प्रमुख प्रशिक्षकों का पूर्वाभिमुखीकरण रचनात्मक दृष्टि से कथ्य, शैली, अभ्यास तथा आलोचनात्मक सोच व स्व-चिंतन के विकास पर सचित्र विशेष बल पर केन्द्रीत करते हुए रु-बरु पद्धति पर शुरू किया गया था। अनेक शिक्षण-अधिगम कौशल जिनमें भूमिका-निर्वाह, विचार-विमर्श, क्षेत्र-कार्य, प्रदर्शन, कठपुतलियों का प्रयोग और रंगमंच आदि की भूमिका अपनाए गए, सम्मिलित हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने पाठ्यचर्या डिजाइन और शिक्षण-तकनीक सुधारने के कदम उठाए हैं। बोर्ड सरकारी स्कूलों सहित सभी स्कूलों में बाल-केन्द्रीत पद्धतियों तथा शिक्षा के रचनात्मक दृष्टिकोण का अनुकरण करने के लिए शिक्षकों और प्राचार्यों के अनुकूल अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता रहा है जो बच्चों को अपने अनुभव से कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ बनाएगा।

(ख) और (ग) सरकार ने अप्रैल 2010 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई) अधिनियम, 2009 की शुरुआत से विभिन्न उपलब्धियों का विश्लेषण किया था जिसे अप्रैल, 2011 में जारी की गई "शिक्षा का अधिकार: प्रथम वर्ष" और अप्रैल, 2012 में जारी की गई "शिक्षा का अधिकार: द्वितीय वर्ष" नामक दस्तावेजों में रिपोर्ट किया गया था जिसमें विभिन्न शैक्षिक संकेतकों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति की अद्यतन जानकारी दी गई है।

नासिक-पुणे रेल लाइन हेतु प्रस्ताव

2672. श्री समीर भुजबल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा नासिक और पुणे के मध्य नई रेल लाइन हेतु अप्रैल, 2012 में योजना आयोग को कोई प्रस्ताव भेजा गया था:

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है:

(ग) इसे अंतिम स्वीकृति कब तक दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) जी हां। रेल मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्ताव भेजा गया था। तथापि, नई लाइन संबंधि वर्तमान में चल रहे विशाल सेल्फ कार्य, जो संसाधनो संबंधि बाध्यताओं के कारण पूरा नहीं हुआ है, के मद्देनजर योजना आयोग ने परियोजना प्रस्ताव को उपयुक्त प्रस्ताव सहित, प्राथमिकता एवं निधि जुटाने की संसाधनों की प्रतिबद्धता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए वापस कर दिया था। अत: परियोजना प्रस्ताव योजना आयोग के पास लंबित नहीं है।

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अनाथ

2673. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अनाथों को वरीयता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुख्य साधन है, में विशेष परिस्थितियों में आवासीय स्कूल/छात्रावास स्थापित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों ने अनाथों को भी लाभवंचित समूहों के रुप में अधिसूचित किया है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश के पात्र हैं।

बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी.

2674. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जे.ए.एन.यू.आर.एम. योजना में शहरी गरीबों हेतु मूल सेवाओं (बी.एस.यू.पी.) और समेकित और मलीन-बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत लाभार्थी की पहचान आवासों के आवंटन हेतु जारी दिशानिर्देश क्या है:

(ख) क्या कुछ बी.एस.यू.पी. परियोजना हेतु लाभार्थी सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं और लाभार्थियों की पहचान किस ढंग से की जाती है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि योजना के अंतर्गत कुछ अपात्र लाभार्थियों को मकान आवंटित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्यकोष को कुल कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है और यदि हां, तो ऐसे कुकृत्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा योजना के प्रचार के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए की बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत केवल पात्र लाभार्थियों को ही मकान आवंटित किए जाएं, वर्तमान में अंगीकृत पद्धति का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) बी.एस.यू.पी. और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के लिए परिचालित दिशा-निर्देशों में लाभार्थियों के चयन का प्रावधान है और इस

प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरणों (एस.यू.डी.ए.)/जिला शहरी विकास अभिकरणों/ शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी./) सरकार के नोडल अभिकरणों को प्राधिकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को किसी आवास के आवंटन का कोई निर्णायात्मक स्वरूप का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है और फलस्वरूप सरकार के खजाने में किसी प्रकार की क्षति का कोई आकलन नहीं किया गया है। अतः किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गई है।

(च) बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत पात्र/आशयित लाभार्थियों को आवास आवंटित हो सके, इसके लिए योजना का प्रचार-प्रसार करने के लिए उपयुक्त पद्धतियां अपनाने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों का हैं।

[हिन्दी]

जैतापुर परमाणु विद्युत संयंत्र के विरूद्ध विरोध

2675. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ 'ललन' सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैतापुर परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना पर स्थानीय किसानों और मछुआरों द्वारा कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति दिए जाने के बावजूद भी वे अभी तक विरोध पर अटल हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त परियोजना देश की तापीय और पन बिजली परियोजनाओं से महंगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) स्थानीय लोगों के एक वर्ग द्वारा जैतापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया है।

(ख) और (ग) भू-स्वामियों को मुआवजे की बढ़ी हुई राशि संवितरित करने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। तथापि, नाभिकीय विद्युत का सैद्धांतिक रुप से विरोध करने वाले कुछ वर्गो ने, इस परियोजना का विरोध करना जारी रखा है।

(घ) और (ङ) जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना की लागत का निर्धारण, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और फ्रांसीसी पक्ष के बीच चल रहे तकनीकी-वाणिज्यिक विचार-विमर्श के पूरा होने के बाद ही किया जाएगा। यह प्रयास है कि, एक ऐसी व्यवहार्य शुल्क-दर व्यवस्था निर्धारित की जाए जो इस क्षेत्र में प्रचालनरत समकालीन तापीय और पन विद्युत परियोजाओं के तुलनीय हो।

अल्पसंख्यकों हेतु उच्च/तकनीकी संस्थानों को खोलना

2676. श्री सतपाल महाराज: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी निधियां व्यय की गई हैं; और

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे शिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों में उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाएं संस्वीकृत की हैं। राष्ट्रीय औसत से कम उच्चतर शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में 374 आदर्श डिग्री कालेजों की स्थापना की योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग; असम के कछार, हैलाकंडी, करीमगंज, मोरीगांव, दरांग, नौगांव, बोंगाइगांव, धुब्री और गवालपाड़ा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, तथा जम्मू और कश्मीर के लेह

(लद्दाख) से 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंश में दिसम्बर, 2012 तक 45.33 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है।

पॉलिटेक्निकों की सब-मिशन योजना के अंतर्गत 13 राज्यों के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में प्रस्तावित 57 में से 54 पॉलिटेक्निकों का अनुमोदन किया गया है। अब तक 315.16 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) द्वारा अनुमोदित XIIवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार नई संस्थाएं स्थापित करने के बजाय मौजूदा संस्थाओं के समेकन पर जोर दिया जाएगा।

विवरण

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में पालिटेक्निकों की स्थापना की स्थिति की योजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	पात्र जिलों की संख्या	शामिल जिलों की संख्या	जारी अनुदान
1.	दिल्ली	1	भूमि देने और व्यय करने के लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई है।	-
2.	उत्तर प्रदेश	13	13	135.35
3.	महाराष्ट्र	1	1	11.00
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया गया	-
5.	बिहार	6	6	35.35
6.	झारखण्ड	3	3	21.35
7.	ओडिशा	1	1	10.12
8.	पश्चिम बंगाल	7	7	28.62
9.	अरुणाचल प्रदेश	6	5 जिले के लिए भूमि देने और व्यय करने के लिए राज्य सरकार सहमति प्राप्त नहीं हुई है।	20.125
10.	असम	9	9	18.00
11.	मणिपुर	6	6	12.12
12.	मिजोरम	2	2	16.00
13.	सिक्किम	1	1	7.125
	कुल	57	54	315.16

[अनुवाद]

विद्यालयों का विद्युतीकरण

2677. श्री तथागत सत्पथी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत विद्यालयों में बिजली प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विद्यालयों के विद्युतीकरण के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरुप अब तक विद्युतीकरण किए गए विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार की आगामी वर्षों में एस.एस.ए. के तहत विद्यालयों का 'अनिवार्य रूप से विद्युतीकरण किए जाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) स्कूलों में विद्युत व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। स्कूलों को विद्युत कनैक्शन राज्य सरकारों के विद्युत मंत्रालय की ओर से दिए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत नए स्कूलों के भवनों की मंजूरी में राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार आंतरिक विद्युतीकरण की लागत शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान में मौजूदा स्कूलों में जहां औचित्य हो वहां आंतरिक विद्युतीकरण के लिए निधियां भी प्रदान की गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियमन

2678. श्री पी. कुमार:

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **संचार और सूचना प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियमन पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस विनियमन की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पणधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) दिसम्बर, 2012 में दुबई में आयोजित आई.टी.यू. के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन (डब्ल्यू.सी.-आई.टी.-12) के समाप्त होने पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियम (आई.टी.आर.) पर हस्ताक्षर नहीं किए, तथापि भारत ने निम्नानुसार वक्तव्य दिया है:-

> "भारत प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियमों और संकल्प 1,2,4, और 5 का समर्थन करता है। हम, इंटरनेट की वृहत्तर वृद्धि-विशेषतौर पर इंटरेट के बहु-पणधारी स्वरुप में इसकी पहचान और देश के भीतर तथा समूचे विश्व में सभी देशों में इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से एक सक्षम वातावरण बनाने के संबंध में संकल्प 3 में निर्दिष्ट मुख्य बातों का समर्थन करते हैं। भारत यह चाहता है कि इस संकल्प से, वर्तमान और उभरती हुई वैश्विक वास्तविकताओं और इंटरनेट की गतिशीलता प्रदर्शित होनी चाहिए। हमें आई.टी.आर. पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लेने से पूर्व इस संकल्प के व्यापक विस्तार और प्रसार पर विचार करने की आवश्यकता है। अत: अम अपना अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अपने देश में इस पर आवश्यक विचार-विमर्श करना चाहेंगे।"

आई.टी.आर. की मुख्य विशेषताएं:-

आई.टी.आर. में प्रस्तावना तथा 10 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदो के अंतर्गत प्रावधानों में मद-वार निम्नानुसार विनियम दिए गए हैं:-

1. विनियमों का उद्देश्य और दायरा
2. परिभाषाएं

3. अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क

4. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं

5. जीवन की रक्षा और दूरसंचार प्राथमिकता

5क नेटवर्कों की सुरक्षा और सुदृढ़ता

5ख अवांछित भारी इलैक्ट्रानिक संचार

6. चार्जिंग और एकाउटिंग

7. सेवाओं का निलम्बन

8. सूचना का प्रसार

8क ऊर्जा दक्षता/ई-कचरा

8ख अभिगम्यता

9. विशेष व्यवस्थाएं

10. अंतिम प्रावधान

(ग) जी, हां। सरकार ने सम्मेलन हेतु "इनपुट्स" तैयार करते समय "स्टेकहोल्डरों" के साथ चर्चा की थी और सम्मेलन के दौरान भी सरकार की स्थिति जानने के लिए चर्चा की थी। तथापि, डब्ल्यू.सी.आई.टी.-12 के बाद अब तक "स्टेकहोल्डरों" के साथ कोई औपचारिक बैठक अथवा परामर्श नहीं किया गया है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विश्व सम्मेलन-12 से पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विश्व सम्मेलन-12 के दौरा दूरसंचार विभाग ने विभिन्न "स्टेकहोल्डरों" जैसे संबंधित सरकारी विभागों अर्थात इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.-टी.वाई.), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एन.एस.सी.एस.), विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), अनेक उद्योग संघो और सिविल समाज के सदस्यों से आई.टी.आर. पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय करने से पूर्व उनकी टिप्पणियां प्राप्त कर ली थीं।

डब्ल्यू.सी.आई.टी.-12 के बाद कोई नई चर्चा नहीं की गई है और अत: अभी तक आई.टी.आर. के संबंध में सरकार के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

राज्य विश्वविद्यालयों का आधुनिकीकरण

2679. **श्री जयवंत गंगाराम आवले:**

श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर राज्य विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी व व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई महत्वपूर्ण स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्कीम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं सहित राज्य विश्वद्यालयों, कॉलेजों तथा अन्य संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्र उच्चतर शिक्षा अभियान नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाई है। मसौदा योजना की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट http://mhrd.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd/files/rusa0.pdf पर उपलब्ध है।

(ग) यह नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना, योजना आयोग और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ही शुरू की जा सकती है और इस समय कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

छात्रों को आत्म रक्षा का प्रशिक्षण

2680. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय विद्यालयों के लड़के/लड़कियों को आत्म रक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिलाने हेतु जूडो कराटे और ताइक्वांडो अनुदेशकों की सेवाएं लेने का प्रावधान है।

काम चलाऊ भवनों में जवाहर नवोदय विद्यालय

2681. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि काम चलाऊ भवनों में चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और स्थायी भवनों में इन्हें स्थानान्तरित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): देश में कुल 77 जवाहर नवोदय विद्यालय अस्थाई भवनों से कार्य कर रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 62 जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए स्थाई भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 09 जवाहर नवोदय विद्यालयों के मामलों में संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है जबकि 2 जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए भूमि आबंटित की गई थी लेकिन प्रदान की गई भूमि की अनुपयुक्तता के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। 4 जवाहर नवोदय विद्यालयों को सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत निर्माण करने का प्रस्ताव है।

विवरण

अस्थायी स्थल से कार्यर्स कर रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य	अस्थायी स्थल से कार्य कर रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	2
2.	मध्य प्रदेश	2
3.	ओडिशा	7
4.	हिमाचल प्रदेश	3
5.	जम्मू और कश्मीर	2
6.	पंजाब	2
7.	आन्ध्र प्रदेश	1
8.	हरियाणा	1
9.	राजस्थान	1
10.	उत्तराखण्ड	2
11.	उत्तर प्रदेश	2
12.	बिहार	8
13.	झारखण्ड	4
14.	पश्चिम बंगाल	9
15.	महाराष्ट्र	2
16.	गुजरात	2
17.	अरुणाचल प्रदेश	8
18.	असम	6
19.	मणिपुर	1
20.	मेघालय	2
21.	मिजोरम	2
22.	नागालैंड	6
23.	सिक्किम	1
24.	त्रिपुरा	1
	कुल	77

[अनुवाद]

वेतन में विसंगति

2682. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात पुस्तकालय सूचना सहायकों के ग्रेड-पे से जुड़ी विसंगति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन में यह मांग की गई थी कि पुस्तकालय सूचना सहायकों, जिन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वेतन बैंड-2 (9300-34800) में 4200 रुपए का ग्रेड वेतन दिया गया था, को वेतन बैंड-2 में 4600 रुपए का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाए। आवेदन में उठाए गए मुद्दों की संस्कृति मंत्रालय द्वारा जांच की जानी आवश्यक थी क्योंकि इस मुद्दे के संबंध में वह नोडल मंत्रालय है और तदनुसार व्यय विभाग के परामर्श से आगे कार्रवाई करने के लिए यह मामला उनके पास भेज दिया गया था।

एन.जी.ओ. को निधि

2683. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:

श्री सुरेश कलमाड़ी:

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

श्री हरीश चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को इसके तहत अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए स्कीमों तथा मानदंडों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक सहित देश में एन.जी.ओ. को सरकार द्वारा इन स्कीमों के तहत प्रदत्त अनुदान/वित्तीय सहायता का स्कीम/एन.जी.ओ. और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए एन.जी.ओ. एवं की गई अनियमितताओं की प्रकृति का ब्यौरा क्या और इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) एन.जी.ओ. द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में एन.जी.ओ. को अनुदान सहायता/वित्तीय सहायता के लिए मानदंडों/दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाएं

2684. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

श्री यशवंत लागुरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) परियोजनाओं से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां सरकार को घाटा हो रहा है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजकोष और ग्राहकों/उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से पी.पी.पी. परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए विद्यमान संस्थागत ढांचा क्या है;

(घ) क्या सरकार का अपनी पी.पी.पी. मॉडल नीति को संशोधित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के मॉनीटरण के लिए संस्थागत तंत्र हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका पालन सभी मंत्रालयों, विभागों, सांविधिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाएगा। इन दिशानिदेशों ने मुख्यतया राजकोष और उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से पी.पी.पी. परियोजनाओं हेतु रियायत समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचा सृजित किया है। इन दिशानिदेशों के अनुसार परियोजना प्राधिकरणों के लिए पी.पी.पी. परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के मॉनीटरण हेतु दो-स्तरीय तंत्र सृजित करना अपेक्षित है। इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(i) परियोजना प्राधिकरण के स्तर पर पी.पी.पी. परियोजना मॉनीटरण यूनिट (पी.पी.पी. पी.एम.यू.); और

(ii) मंत्रालय अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, के स्तर पर पी.पी.पी. कार्य-निष्पादन समीक्षा यूनिट (पी.पी.पी.-पी.आर.यू.)।

पी.एम.यू. को मासिक रिपोर्टें पी.आर.यू. को प्रस्तुत करनी चाहिए और पी.आर.यूज को प्रत्येक तिमाही में समीक्षा के लिए उनका संकलन करना चाहिए। संबंधित मंत्रालयों को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट योजना आयोग को तथा उसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई है। योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के परामर्श से, इन रिपोर्टों का सारांश तथा अगली कार्रवाई/सुधारों से संबंधित सिफारिशें तैयार करेगा जिन्हें प्रत्येक तिमाही में एक बार सी.सी.ई.ए. के समक्ष रखा जाएगा।

(घ) और (ङ) विभिन्न क्षेत्रकों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडलों के लिए मॉडल रियायत समझौते (एम.सी.ए.), संबंधित सचिव की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी समितियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। विगत परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर इन मॉडलों का सतत रूप से सुधारा जाता है।

[अनुवाद]

पी.जी./एम. फिल./पी.एच.डी. के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा

2685. श्री आनंदराव अडसुल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) इन सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा और स्नातक परीक्षा के निष्पादनों के आधार पर प्रत्येक के लिए 50% सांकेतिक भार के साथ दिया जाए। सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी.ई.टी.) में प्रवेश लेने वालों के लिए संबद्ध विषय की दार्शनिक योग्यता और ज्ञान निहित हो सकता है। वालों के लिए संबद्ध विषय की दार्शनिक योग्यता और ज्ञान निहित हो सकता है। एम.फिल/पी.एच.डी. में प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति परीक्षा में निष्पादन के आधार पर होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्वयं अपने साक्षात्कार आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, तथापि साक्षात्कार का भार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(घ) और (च) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अपने संबंधित अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय हैं और वे अपने अधिनियम और उनके तहत बनाई गई सांविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। विद्यार्थियों के दाखिले सहित सभी शिक्षा मामलों पर संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय किया जाता है। तदनुसार समिति की रिपोर्ट, उचित कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित सभी संबंधितों को अग्रेषित कर दी गई है। शैक्षिक वर्ष 2012-13 में, 7 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल हो गए हैं जबकि शैक्षिक वर्ष 2013-14 के लिए यह संख्या 3 से बढ़कर कुल 10 तक हो गई है।

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की परिषद की दिनांक 25.10.2012 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित करने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए 7 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अनुभव का उपयोग किया जाए।

विश्व बैंक द्वारा गरीबी का आकलन

2686. श्री अंजन कुमार एम. यादव:

श्री संजय सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर में गरीब लोगों की संख्या के आकलन के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी मानदंडों का उपयोग नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए तरीकों और विश्व बैंक के तरीकों के बीच प्रमुख अंतर क्या है; और

(घ) इन दो तरीकों द्वारा देश में आकलित गरीबी का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल): (क) से (घ) योजना आयोग देश में गरीबों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय गरीबी मानकों का उपयोग नहीं करता। इसकी मुख्य वजह यह है कि अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा देश के विभिन्न राज्यों के बीच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभेद नहीं करती।

योजना आयोग गरीबी का अनुमान इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय से परिभाषित गरीबी रेखा के आधार पर लगाता है। योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर किए जाने वाले परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों से गरीबी का अनुमान लगाता है। पिछले दो नवीनतम सर्वेक्षणों के आधार पर, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 2004-05 के 37.2 से घटकर 2009-10 में 29.8 रह गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी घटाने के लिए प्रगति को मॉनीटर करने हेतु विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर सदस्य देशों में गरीबी का अनुमान लगाता

है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2004-05 में 41.6 प्रतिशत भारतीय 1.25 यू.एस. डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहते थे जो 2009-10 में घटकर 32.7 प्रतिशत हो गया।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंस संबंधी रूपरेखा

2687. श्री आर. ध्रुवनारायण:

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

श्री भाउसाहेब राजाराम वकचौरे:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्पेक्ट्रम नीलामी और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने तथा राजस्व साझा मॉडल की समीक्षा करने के लिए "स्पेक्ट्रम प्रबंधन एवं लाइसेंस संबंधी रूपरेखा" हेतु किसी राष्ट्रीय नीति को बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नीलामी प्रक्रिया एवं इसके मूल्य निर्धारण के संबंध में ठोस कदम उठाने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का खंड-खंड के बजाए सभी स्पेक्ट्रमों की एक साथ नीलामी करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-(एन.टी.पी.-2012) के तहत भविष्य के सभी लाइसेंसों के संबंध में स्पेक्ट्रम को अलग रखने और बाजार संबंधी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित कीमत पर स्पेक्ट्रम को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

(ग) से (च) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.01.2008 को निर्गत दो प्रेस रिलीजों और तदुपरान्त लाइसेंस धारकों को स्पेक्ट्रम आबंटित करने के अनुसरण में दिनांक 10.01.2008 को अथवा इसके बाद निजी प्रत्यर्थियों को प्रदत्त लाइसेंसों को, 2010 की डब्ल्यू.पी. (सिविल) सं. 423 में अपने 2 फरवरी, 2012 के निर्णय के अनुसार निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि ट्राई को लाइसेंस देने और नीलामी द्वारा 2जी बैंड और 22 सेवा क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम आबंटित करने के लिए अपनी नई सिफारिशें उसी तर्ज पर करनी चाहिए जैसा कि 3जी बैंड में स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए की गई थीं।

उच्चतम न्यायालय के निदेशों और इसके फलस्वरूप दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 03.02.2012 को ट्राई को दिए गए हवाले के अनुसार ट्राई ने "स्पेक्ट्रम की नीलामी" के संबंध में दिनांक 23.04.2012 और तदुपरांत दिनांक 12.05.2012 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इन सिफारिशों पर दूरसंचार आयोग द्वारा विचार विमर्श किया गया और दूरसंचार आयोग की सिफारिशों को मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह और मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नवम्बर, 2012 के दौरान 1800 मेगाहर्टज और 800 मेगहर्टज बैंडों के लिए नीलामियां की गई थीं। नवम्बर, 2012 की नीलामी के दौरान 800 मेगाहर्टज बैंड में कोई प्रतिभागिता नहीं हुई थी।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 15.02.2013 के आदेश में यह भी कहा था कि दिनांक 02.02.2012 को लाइसेंसों को रद्द किए जाने के फलस्वरूप निर्मुक्त समस्त स्पेक्ट्रम को अविलम्ब नीलाम कराया जाए। तदुनसार निर्णय लिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.02.2013 के आदेश की अनुपालना में 1800 मेगाहर्टज बैंड में शेष स्पेक्ट्रम के लिए अलग से नीलामी कराई जाए।

नई एयरलाइनें

2688. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री एस.आर. जेयदुरई:

श्री बलीराम जाधव:

श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नई एयरलाइनों के परिचालन को शुरू करने के लिए अनुमति हेतु किन्हीं राज्यों अथवा निजी कंपनियों से कोई आवेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी अनुरोधों को अनुमति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा यदि नहीं, तो इसका प्रस्ताव-वार कारण क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) उक्त अवधि के दौरान देश में नई एयरलाइनें शुरू किए जाने के लिए इस मंत्रालय को राज्य सरकार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

नई एयरलाइनें शुरू करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति और उन पर विचार किया जाना सतत् प्रक्रिया है तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए नई एयरलाइनें शुरू करने के प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2010 में अनुसूचित/क्षेत्रीय यात्री एयरलाइनों के लिए आवेदनों का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष 2010 से अनुसूचित/क्षेत्रीय यात्री एयरलाइनों के लिए आवेदनों का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवेदन का नाम	स्थिति
2010	मैसर्स एयरवन एविएशन प्रा.लि.	आवदेक द्वारा अपेक्षित सूचना नहीं दी गई है।
2010	मैसर्स रेलीगेयर एविएशन	अनुमति प्रदान की गई
2010	मैसर्स किंग एयरवेज	सुरक्षा क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।
2010	मैसर्स फ्रीडम एविएशन प्रा.लि.	अनुमति प्रदान की गई
2010	मैसर्स इण्डस एविएशन	अनुमति प्रदान की गई
2011	मैसर्स एयर पेगासस	अनुमति प्रदान की गई
2011	मैसर्स करीना एयरलाइंस इंटरनेशनल लि.	अनुमति प्रदान की गई
2011	मैसर्स डेक्कन चार्टर्स प्रा.लि.	अनुमति प्रदान की गई
2011	मैसर्स स्वजस चार्टर	पात्रता मानदण्ड पूरा नहीं कर रही इसलिए वापिस कर दिया गया
2012	मैसर्स वोल्क एयरलाइन	अधूरा प्रस्ताव जिसे वापिस कर दिया गया था।
2012	मैसर्स लेप्ल प्रोजेक्ट्स लि.	अनुमति प्रदान की गई
2012	मैसर्स ए.बी.सी. एविएशन एण्ड ट्रेनिंग	अनुमति प्रदान की गई
2012	मैसर्स नार्थ ईस्ट शटल: क्षेत्रीय	अनुमति प्रदान की गई
2012	मैसर्स डेक्कन चार्टर्स प्रा.लि.	लंबित
2013	मैसर्स जेड.ए.वी. एयरवेज	आवेदक द्वारा अपेक्षित सूचना नहीं दी गई।

हवाई अड्डे और वायु सेवाएं

2689. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

श्री संजय धोत्रे:

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

श्री उदय सिंह:

श्री योगी आदित्यनाथ:

कुमारी सरोज पाण्डेय:

श्री नरहरि महतो:

श्री नृपेन्द्र नाथ:

श्री मनोहर तिरकी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में हवाई अड्डो की संख्या कितनी है और उनमें से कितने हवाई अड्डे परिचालन में है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अप्रयुक्त हवाई अड्डों के रख-रखाव पर सरकार द्वारा खर्च की गई राशि और इससे हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा परिचालन शुरू किए गए अप्रयुक्त हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है तथा अगले तीन वर्षों के दौरान परिचालन में लाए जाने वाले प्रस्तावित अप्रयुक्त हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षेत्रीय कैरियर के कोड शेयर अथवा एयर टैक्सी के परिचालकों सहित अप्रयुक्त पड़े हवाई अड्डों के उपयोग के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यों के अधिकाधिक नगरों को वायु मार्गों से जोड़ने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन नए मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार का वायुमार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा उक्त मार्गों पर यह सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में 463 हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां हैं जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के (97), रक्षा के (138), राज्य सरकारों के (161), संयुक्त उद्यम कंपनियों के (6) और निजी हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां (61) शामिल हैं। इनमें से उपलब्ध सूचना के अनुसार, ए.ए.आई. के 65 हवाई अड्डे समेत 281 हवाई अड्डे, 6 संयुक्त उद्यम कंपनी हवाई अड्डे, 90 रक्षा विमान क्षेत्र, 67 राज्य सरकार के हवाई अड्डे और 53 निजी हवाई पट्टियां प्रचालनात्मक हैं। इसके अतिरित 26 सिविल इन्क्लेवों का स्वामित्व, प्रबंधन तथा अनुरक्षण भी ए.ए.आई. द्वारा किया जाता है।

(ख) ए.ए.आई. द्वारा अप्रयुक्त हवाई अड्डों के अनुरक्षण पर किए गए व्यय तथा इनसे होने वाली हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में, ए.ए.आई. के तीन हवाई अड्डों नामतः कर्नाटक में मैसूर, महाराष्ट्र में जलगांव तथा पुदुचेरी, को प्रचालनिक बनाया गया। दो अप्रयुक्त हवाई अड्डे, नामतः आन्ध्र प्रदेश में कुडप्पा, अरुणाचल प्रदेश में तेज, को इस समय प्रचालनिक बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया है। भारत सरकार ने भी संलग्न विवरण-III पर दिए गए 15 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है। देश के कुछ विकसित गैर-प्रचालनिक हवाई अड्डों के लिए प्रचालन शुरू करने हेतु ए.ए.आई. द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क किया जा रहा है।

(ङ) से (च) जी, हां। संघ सरकार को हवाई अड्डों का विकास करने/अधिक से अधिक शहरों के साथ विमान सम्पर्कता स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध मिले हैं। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर दिया गया है।

(छ) घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को अविनियमित किया गया है और मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर, संबंधित एयरलाइनों द्वारा उड़ाने प्रचालित की जा रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के दृष्टिकोण से विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। तथापि यह एअरलाइनों पर निर्भर है कि वे मार्ग संवितरण शिक्षा निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराएं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अप्रयुक्त हवाई अड्डों के रखरखाव पर व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	हवाई अड्डों	2009-10	2010-11	2011-12	बजट अनुमान 2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	दपारिजो	0.00	0.00	0.00	0.00
2.		पासीघाट	2.28	0.00	0.00	0.00
3.		तेजु	0.28	0.25	0.36	0.65
4.	आन्ध्र प्रदेश	कुडप्पा	0.92	3.70	0.95	3.71
5.		दोनाकोंडा	0.00	0.00	0.00	0.00
6.		नादिरगुल	0.00	0.00	0.00	0.00
7.		वारंगल	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	असम	रूपसी	0.00	0.00	0.00	0.00
9.		शेल्ला	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	बिहार	जोगबनी	0.00	0.00	0.00	0.00
11.		रक्सौल	0.00	0.00	0.00	0.00
12.		मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	गुजरात	देरसा (पालनपुर)	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	झारखंड	चकुलिया	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
16.		देवघर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मध्य प्रदेश	खंडवा	0.00	0.00	0.00	0.00
18.		पन्ना	0.00	0.00	0.00	0.00
19.		सतना	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	आइजोल (तुरियल)	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	ओडिशा	झारसुगुदा	1.79	7.00	3.57	2.72
22.	राजस्थान	किशनगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	वेल्लोर	0.13	0.18	0.14	0.07
24.	त्रिपुरा	कैलाशहर	0.81	0.01	0.00	0.00
25.		कमालपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
26.		खोवई	0.08	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.		बालुरघाट	0.09	1.75	0.65	0.16
30.		कूचबिहार	1.58	5.64	1.71	6.94
31.		मालदा	0.52	0.48	0.26	2.20
		कुल	8.48	19.31	7.64	16.45

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अप्रयुक्त हवाई अड्डों से हुए घाटे का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	हवाई अड्डों	2009-10	2010-11	2011-12	बजट अनुमान 2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	दपारिजु	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
2.		पासीघाट	2.26	0.00	0.00	0.00
3.		तेजु	0.28	0.25	0.41	0.65
4.	आन्ध्र प्रदेश	कुडप्पा	0.92	3.69	3.70	3.71
5.		दोनाकोंडा	0.00	0.00	0.00	0.00
6.		नादिरगुल	0.00	0.00	0.00	0.00
7.		वारंगल	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	असम	रूपसी	0.00	0.00	0.00	0.00
9.		शेल्ला	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	बिहार	जोगबनी	0.00	0.00	0.00	0.00
11.		रक्सौल	0.00	0.00	0.00	0.00
12.		मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	गुजरात	देस्सा (पालनपुर)	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	झारखंड	चकुलिया	0.00	0.00	0.00	0.00
16.		देवघर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मध्य प्रदेश	खंडवा	0.00	0.00	0.00	0.00
18.		पन्ना	0.00	0.00	0.00	0.00
19.		सतना	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	आइजोल (तुरियल)	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	ओडिशा	झारसुगुदा	1.78	6.98	2.33	2.71
22.	राजस्थान	किशनगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	वेल्लोर	0.13	0.18	0.16	0.07
24.	त्रिपुरा	कैलाशहर	0.46	0.01	0.00	0.00
25.		कमालपुर	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
26.		खोवई	0.08	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.		बालुरघाट	0.09	1.75	0.14	0.16
30.		कूचबिहार	1.55	5.94	4.28	6.66
31.		मालदा	0.52	0.43	0.44	2.14
		कुल	8.07	19.23	11.46	16.10

विवरण-III

"सैद्धांतिक तौर पर" अनुमोदन प्रदान किए गए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

क्र.सं.	परियोजना और राज्य का नाम
1.	गोवा में मोपा हवाई अड्डा
2.	महाराष्ट्र में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
3.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा
4.	कर्नाटक में गुलबर्गा हवाई अड्डा
5.	कर्नाटक में बीजापुर हवाई अड्डा
6.	कर्नाटक में हसन हवाई अड्डा
7.	कर्नाटक में शिमोगा हवाई अड्डा
8.	केरल में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
9.	उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
10.	डबरा हवाई अड्डा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
11.	सिक्किम में पेक्योंग हवाई अड्डा (ए.ए.आई. द्वारा विकसित)
12.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
13.	पुडुचेरी में कराईकल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
14.	महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिर्डी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
15.	अरणमुला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल

विवरण-IV

पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार से हवाई अड्डा/विमान संपर्कता के संबंध में प्राप्त अनुरोध का ब्योरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	हवाई अड्डे का नाम	टिप्पणियाँ
1.	राजस्थान	2009	किशनगढ़	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।
2.	तमिलनाडु	2010	कोयंबटूर	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	हवाई अड्डे का नाम	टिप्पणियाँ
3.		2010	तुतीकोरिन	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
4.	संघ शासित क्षेत्र	2010	अगाती	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पर्यावरण और CRZ निकासी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। 10 एकड़ भूमि और लैगून क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए अनुमति (20.84 एकड़) के अधिग्रहण के लिए अनुरोध करने के लिए प्रशासन को लक्षद्वीप के लिए भेजा है।
5.	ओडिशा	2011	झारसुगुडा	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
6.	आन्ध्र प्रदेश	2011	तिरुपति	भूमि आंशिक रूप से सौंप दिया गया है शेष भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
7.	पंजाब	2012	लुधियाना	राज्य सरकार द्वारा विस्तार और उन्नयन के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है।
8.	झारखंड	2012	देवघर	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर हैं।
9.	कर्नाटक	2012	बेलगाम	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।
10.		2013	हुबली	राज्य सरकार ने ए.ए.आई. को भूमि सौंप दी है डी.पी.आर. तैयारी की जा रही है।

[हिन्दी]

निजी शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध शिकायत

2690. **श्री प्रेमचन्द गुड्डू:**

श्री भूपेन्द्र सिंह:

श्री देवराज सिंह पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित देश में निजी शैक्षिक संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित मानदंडों के कथित उल्लंघनों के लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य, वर्ष और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसे संस्थानों के क्या नाम हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(ग) ऐसे नियमों/मानदंडों के उल्लंघन के लिए ऐसे संस्थानों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई/शुरू की गई कार्रवाई का राज्य और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी शैक्षिक संस्थानों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एयरोप्रोक्स संबंधी घटनाएं

2691. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**

श्री एस. सेम्मलई:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी गत कुछ वर्षों से कथित रूप से एयरप्रोक्स संबंधी आंकड़ों में धांधली करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जांच की गई एयरप्रोक्स की घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसी अवधि के दौरान एयरप्रोक्स के लिए उत्तरदायी एयर ट्रैफिक नियंत्रकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) एयरप्रोक्स की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2010, 2011, 2012 तथा जनवरी, 2013 में विमानों के अति समीपता से गुजरने की घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-क पर दिया गया है।

1. टी.सी.ए.एस. (यातायात चेतावनी तथा विमानों के टकराव से बचाव प्रणाली) से सज्जित विमान। इस प्रणाली से विमानों के टकराने से बचाव, यातायात संबंधी चेतावनी तथा पायलटों को बचाव कार्रवाई करने संबंधी सुझाव में मदद मिलेगी। इससे पायलटों को यातायात के बारे में परिस्थितिगत जानकारी भी उपलब्ध होती है।

2. विमान यातायात नियंत्रण केन्द्रों को संरक्षा चेतावनी उपस्करों से सज्जित किया गया है, जिससे दो विमानों के अति समीप आने से काफी पहले नियंत्रकों को चेतावनी मिल जाती है।

3. विभिन्न राडारों से प्राप्त राडार डाटा का एकीकरण करने से राड़ार सर्विलांस में सुधार होगा और इस प्रकार नियंत्रक उनके प्रदर्शन बोर्ड पर निरन्तर विमान को देखने में सक्षम होता है तथा उसे बेहतरीन परिस्थितिगत जानकारी भी मिलती है।

4. वी.एच.एफ. आवृत्तियों के क्रॉस कपलिंग/रिमोट प्रचालन से विमान तथा नियंत्रकों के बीच विश्वसनीय संप्रेषण उपलब्ध होता है।

5. डाटा लिंक संप्रेषण प्रणाली, जिसका प्रयोग डाटा लिंक के माध्यम से विमान को पूर्व प्रस्थान क्लियरेंस दिए जाने में किया जाता है, को मेट्रो हवाई अड्डों पर कार्यान्वित किया गया। इस प्रणाली से मानवीय भूल नहीं होती और प्रचालनों की संरक्षा और कुशलता में वृद्धि होती है।

6. विभिन्न राडारों से प्राप्त डाटा के एकीकरण से राडार सर्विलांस में वृद्धि तथा ओवरलैपिंग होती है जिससे नियंत्रक उनके डिस्प्ले पर निरंतर विमान को देख सकता है और उसे बेहतरीन परिस्थितिगत जानकारी भी मिलती है।

7. ए.टी.एस. इंटरफैसिलिटी डाटा लिंक कम्यूनिकेशन्स (ए.आई.डी.सी.), जो कि एक डाटा लिंक एप्लीकेशन है, को ए.टी.सी. केन्द्रों पर उपलब्ध कराया गया है। इससे विभिन्न विमान यातायात नियंत्रण केन्द्रों पर स्थित ओटोमेटेड ए.टी.सी. प्रणाली के बीच उड़ान डाटा के आदान-प्रदान में सक्षमता आती है। इससे नियंत्रकों का कार्यभार कम होता है और अंतर अनुभागीय समन्वय के दौरान मानवीय भूल नहीं होती।

8. निष्पादन आधारित दिक्चालन मानक उपस्कर प्रस्थान (पी.बी.एन.-एस.आई.डी.) तथा मानक आगमन (एस.टी.ए.आर.एस.) से नियंत्रण क्षेत्रों के माध्यम से पृथक रूप से संरचित यातायात आवागमन द्वारा विमान प्रचालनों की संरक्षा और कुशलता बढ़ गई है।

विवरण

एयरोप्रोक्स घटनाओं के ब्यौरे

एयरप्रोक्स डेटा 2010

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
1.	05-01-2010	वाराणसी का 140 एन.एम. साउथ	ए.टी.एस. रूट ए. 791 व एल. 759 की क्रासिंग पर यू.ए.ई. 332 की दुबई से मनीला तक व आई.जी.ओ. 257 की दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच सेपरेशन का अतिक्रम श्रेणी सी	• यू.ए.ई. 332 का संशोधित अनुमान पास नहीं हुआ तथा कंट्रोल पाइंट के ट्रांसफर पर एयरक्राफ्ट, वाराणसी ए सी.सी. में नहीं बदला। • वाराणसी रडार पर यू.ए.ई. 332 की नॉन अपीयरेंस	(क) रडार व प्रक्रियात्मक नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन। (ख) वाराणसी रडार पर विमान के न दिखने के कारणों व संभव समाधानों को खोजने हेतु एक तकनीकी अध्ययन किया गया था।
2.	22.01.2010	वाराणसी के पूर्वोत्तर में 52 एन.एम.	दिल्ली से गुवाहाटी तक जे. एल.एल. 391 आपसी यातायात के स्तर द्वारा आई.ए.सी. 410 पटना से दिल्ली तक भूलवश चली थी।	परस्पर यातायात को अनदेखा करने पर वाराणसी रडार नियंत्रक की ओर से मानवीय चूक।	व्यस्ततम यातायात समय में यातायात को संभालने के लिए उसको दूर करने हेतु रडार नियंत्रक का सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन।
3.	22.01.2010	कोलकाता टी. एम.ए.	कोलकाता आर.एस.आर. में 22.01.2010 को आई.जी. ओ. 205 तथा ए.एफ.एल. 554 के मध्य आर.ए. श्रेणी सी	परस्पर यातायात को अनदेखा करने पर कोलकाता रडार नियंत्रक की ओर से मानवीय चूक।	पारस्परिक सामंजस्य व रडार विन्यास प्रक्रिया में यातायात को संभालने में आने वाली परेशानियों को दूर करने हेतु कोलकाता रडार कंट्रोल का सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन।
4.	09.02.2010	मंगलौर के पूर्वोत्तर में 76	ए.टी.एस. रूट एन. 563 पर जी.यू.एन.आई.एम. के	परस्पर यातायात को अनदेखा करते हुए	(क) व्यस्तम यातायात समय में यातायात को

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
		एन.एम.	निकट बी.ए.डब्ल्यू. 119 की लंदन से बंगलौर तथा यू.ए.ई. 596 की बंगलौर से दुबई के मध्य स्टैण्डर्ड रडार सेपरेशन में कमी थी। श्रेणी सी	मंगलौर रडार नियंत्रक की ओर से मानवीय चूक।	संभालने में आने वाली परेशानियों को दूर करने हेतु रडार कंट्रोलर का सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन। (ख) घटना को मासिक सुग्रहीकरण कार्यक्रम में केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया।
5.	16.02.2010	मुंबई के दक्षिण पूर्व में 150 एन.एम.	ए.टी.एस. रूट डब्ल्यू. 67 व डब्ल्यू. 17 एस.ई.पी.के.ओ.-एस. क्रॉसिंग पाइंट के निकट के.एफ.आर. 2802, ए.टी.आर. गोवा से पुणे व वी.यू.एन. डब्ल्यू.बी.एच.एन. 74 मुंबई से कोचीन के मध्य स्टैण्डर्ड सेपरेशन में कमी थी।	ई.पी.के.ओ.एस. पर क्रासिंग यातायात को अनदेखा करने पर योजना नियंत्रक मुंबई ए.सी.सी. (दक्षिण) की की ओर से मानवीय चूक	(क) संबंधित नियंत्रक को सैद्धांतिक के साथ ही साथ व्यवहारिक और सुधारात्मक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण के अध्यधीन।
6.	19.02.2010	अहमदाबाद के पूर्वोत्तर में 75 एन.एम.	ए.टी.एस. रूट ए. 347 व ए 791 के क्रासिंग पाइंट ए.आर.ए.टी.ओ. के निकट आर 3151 पुणे से दिल्ली तथा यू.ए.ई. 302 दुबई से पुदांग के मध्य स्टैण्डर्ड रडार सेपरेशन में कमी थी।	परस्पर यातायात को अनदेखा करने पर अहमदाबाद रडार नियंत्रक की ओर से मानवीय चूक	(क) रडार नियंत्रक के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन। (ख) प्रक्रियात्मक नियंत्रक नियंत्रक ने "समूह पुन: पाठ्यक्रम प्रबंधन" पर परामर्श दिया।
7.	20.02.2010	इंदौर टावर में द्वितीय वी.ओ.आर. के लगभग 15 एन.एम. उत्तर	द्वितीय वी.ओ.आर. के 15 एन.एम. उत्तर में जे.ए.आई. 2228 दिल्ली से इंदौर तथा जे.ए.आई. 2509 इंदौर से रायपुर के मध्य स्टैण्डर्ड सेपरेशन में कमी थी। श्रेणी सी	इंदौर टावर से अनुदेश के अनुसार प्रमुख स्तर से जे.ए.आई. 2228 के पायलट की ओर से चूक।	इंरिंग पायलट के विरुद्ध डी.जी.सी.ए. द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की जानी की जानी है।
8.	05.04.2010	दक्षिणी दिल्ली लगभग 35 एन.	किंगफिशर 3354 दिल्ली से भुवनेश्वर मध्य स्टैण्डर्ड	एप्रोच कंटोलर व एरिया कंटोलर के मध्य	(क) रडार व संबंधित नियंत्रक को सुधारात्मक

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
		एम.	सेपरेशन में कमी बढ़ रही थी तथा एयर इंडिया 941 हैदराबाद से दिल्ली में कमी हो रही थी। श्रेणी सी	समन्वय की कमी।	प्रशिक्षण के अध्यधीन। (ख) एप्रोच व एरिया कंट्रोल केन्द्र के मध्य समन्वयात्मक प्रक्रिया संशोधित हुई।
9.	09.04-2010	मुंबई महासागरीय विमानक्षेत्र	दो ए.टी.एस. मार्गो के क्रासिंग पाइंट कोनडोर 326 फ्रेंकफर्ट से माले तथा कतर 030 दोहा से वाई एम.एम.एल. के मध्य स्टैण्डर्ड सेपरेशन में कमी	प्रतिकूल यातायात की अनदेखी होने पर नियंत्रक की ओर से मानवीय चूक।	(क) रडार व संबंधित नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन। (ख) घटना को मासिक सुग्रहीकरण कार्यक्रम में केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया।
10.	22.04.2010	दक्षिणी दिल्ली 200 एन.एम.	जब पेलिकेन आई.एल. 86, आगरा से पूना की ओर जा रही तथा पेनटाम, सुखोई-30 औजार से बारले, वी.एफ.आर. एल.टी.ड्यूड का	पेलिकन से वी.एफ.आर. लड़ाकू उड़ान के बारे में यातायात की जानकारी प्रदान करने में नियंत्रक की चूक।	(क) संबंधित नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण।
11.	06.06.2010	मुंबई महासागरीय विमानक्षेत्र पर	दो ए.टी.एस. मार्गों के क्रासिंग पाइंट पर एयर मॉरीशिस 744 मॉरीशस से दिल्ली तथा एन 876 एच नौरोबी से चेन्नई के मध्य स्टैण्डर्ड सेपरेशन में कमी। श्रेणी सी	प्रतिकूल यातायात की अनदेखी होने पर नियंत्रक की ओर से मानवीय चूक	(क) रडार व संबंधित नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण। (ख) घटना को मासिक सुग्रहीकरण कार्यक्रम में केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया।
12.	10.07.2010	मुंबई	चेन्नई से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया उड़ान जोकि उसी क्षेत्र में थी। चेन्नई से मुंबई जाने वाली जेट एयरवेज उड़ान 2119 इस स्तर पर नीचे आ गई।	नियंत्रक चूक- • अनुचित अनुमति • निकट क्षेत्र में यातायात की अनदेखी।	(क) व्यस्ततम यातायात यातायात अवधि के दौरान एप्रोच में यातायात को संभालने हेतु नियंत्रक के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन। (ख) पी.बी.एन. प्रक्रिया द्वारा अनुमति देने हेतु

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
			श्रेणी सी		नियंत्रक जो वर्टीकल सेपरेशन में बनाए गए हैं।
13.	06.09.2010	कोलकाता	मलेशियन 6147, ताशकंद से कवालालांपुर तथा एलाल 081 से टेल अवीव से बैंकाक के मध्य स्टैण्डर्ड सेपरेशन से अतिक्रमण। श्रेणी सी	नियंत्रक द्वारा कनवर्जिंग पॉइंट में प्रतिकूल यातायात में अनदेखी	(क) उड़ान प्रगति बोर्ड की निगरानी से संबंधित नियंत्रकों के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण। (ख) अनुमान प्राप्त होने पर सेपरेशन में अतिक्रमण के बारे में कोलकाता को सूचित न करने के कारण यानगॉन नियंत्रक की ओर से चूक।
14.	15.09.2010	चेन्नई	टी.डब्ल्यू.जी. 2653 प्रतिकूल यातायात के स्तर द्वारा कतर 623, कवालालांपुर से दोहा स्टैण्डर्ड सेपरेशन में अतिक्रमण। श्रेणी सी	नियंत्रक द्वारा पारस्परिक यातायात में अनदेखी।	(क) प्रतिकूल यातायात को संभालने के लिए नियंत्रकों का सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन। (ख) व्यस्ततम यातायात के दौरान महासमुद्रीय नियंत्रक केन्द्र पर एक पर्यवेक्षक उपलब्ध कराया गया है। (ग) अत्यधिक स्ट्रीपस में सामंजस्य के लिए उड़ान प्रगति बोर्ड को संशोधित किया गया।
15.	15-09-2010	चेन्नई	किंगफिशर 2496, विजांग से चेन्नई तथा जेट एयरवेज 2773, चेन्नई से विजांग स्टैण्डर्ड सेपरेशन में	के.एफ.आर. 2496 अनुचित अल्टीटयूड का प्रबंधन कर रहा था जिसका विजाग	(क) विजांग व चेन्नई के मध्य यूनी-डायरेक्शन रूट क्रियान्वित किया जा रहा है।

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
			अतिक्रमण। श्रेणी सी	ए.टी.सी. (नौसेना) द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।	(ख) विजांग ए.टी.सी.ओ. के विरुद्ध नौसेना प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी है। (ग) मिल्टरी कंट्रोलर की जांच के लिए डी.जी.सी.ए. द्वारा जांच प्रक्रिया लंबित है।
16.	17-09-2010	चेन्नई	गो एयर 205, दिल्ली से बंगलोर तथा इंडिगो 259, हैदराबाद से बंगलोर स्टैण्डर्ड सेपरेशन में अतिक्रमण। श्रेणी सी	प्रतिकूल मौसम में उड़ान को उतारने के निर्णय में नियंत्रक द्वारा हुई भूल।	(क) प्रतिकूल मौसम व रडार पर विमान की निगरानी के दौरान यातायात को संभालने हेतु नियंत्रक का सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्यधीन। (ख) डी.जी.सी.ए. द्वारा गो एयर पायलट के लिए कार्रवाई। (ग) बंगलौर ए.सी.सी. की स्थापना।
17.	11-10-2010	मुंबई के उत्तर पश्चिम में लगभग 13 एन.एम.	दृश्यता में अचानक कमी आने से फाइनल रनवे 14 पर इंडिगो 214 को-एप्रोच डिस्कान्टीन्यू करने की सलाह दी गई और दाएं घुमाव हेडिंग 090, के बजाय बाएं घुमाव हेडिंग 270 प्रदान किया गया, जिसकी वजह से रनवे 14 पर बाद में होने वाले आगमन में कॉनफिलक्ट पैदा हुआ। श्रेणी सी	कॉनफिलक्ट को हल करने के लिए नियंत्रक द्वारा त्वरित कार्रवाई शुरू की गई लेकिन स्टैंडर्ड सेपरेशन में विच्छेद रोका नहीं जा सका। यह एक मानवीय भूल थी।	(क) इसमें शामिल नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया। (ख) रनवे के बदलाव के दौरान यातायात के के प्रबंधन हेतु प्रक्रिया में बदलाव किया गया ताकि घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके (ग) इस घटना को मासिक सेन्सिटाइजेशन कार्यक्रम में वृत्त अध्ययन के रूप में शामिल किया गया।

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
18.	06-11-2010	दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में लगभग 130 एन.एम.	घटना ज्यूरिक से फूकिट की उड़ान एडेलविस 50 और मॉरीशस से दिल्ली की उड़ान एअर मॉरीशस 744 के बीच ए.टी.एस. मार्ग एल. 333 और ए 347 के इंटरसेक्शन पर हुई। श्रेणी सी	समान स्तर पर क्रासिंग ट्रैफिक को मिस करने के लिए आर.एस.आर. नियंत्रक को अर्टेशनल स्लिप	(क) इसमें शामिल रडार नियंत्रक को हमेशा सतर्कता बरतने हेतु जागरूक किया गया। (ख) वॉच का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सेक्टर के पूरे हवाई क्षेत्र को स्कैन करने के लिए कार्यमुक्त करने वाले नियंत्रक को जागरूक किया गया। (ग) इस घटना को मासिक सेन्सिटाइजेशन कार्यक्रम में वृत्त अध्ययन के रूप में शामिल किया गया।
19.	13-11-2010	चेन्नई ए.सी.सी.	एफ. 230 पर अवरोही कलकत्ता से बंगलौर की उड़ान जे.ए.आई. 515 तथा एक 210 पर आरोही बंगलौर से कोलकाता की उड़ान एस.ईजे. 528 के बीच स्टैंडर्ड सेपरेशन में कटौती। एस.ई.जी. 528 क्लियर किए गए स्तर से ऊपर चढ़ती रही जिसकी वजह से जे.ए.आई. 515 के साथ कॉनफिलक्ट पैदा हुआ। श्रेणी सी	एस.ई.जे. 528 के पायलट द्वारा ए.टी.सी. क्लियरेंस का अनुपालन न करना।	(क) एस.ई.जे. 528 के पायलट के खिलाफ डी.जी.सी.ए. कार्रवाई प्रारम्भ करेगी।
20.	22-11-2010	मुंबई	सदृश यातायात सी.पी.ए. 001, बी747, हॉंगकांग से	जे.ए.आई. 521 को उतारते समय सदृश	(क) आर.एस.आर. नियंत्रक को उसकी

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
			दुबई का संज्ञान लिए बिना ए.टी.एस. रूट एल. 505 पर जे.ए.आई. 521, बी 738, जेद्दाह से मुंबई को अवतरण दिया गया।	यातायात पर ध्यान न देने के लिए नियंत्रक स्तर पर मानवीय भूल।	अपनी मानवीय कमजोरियों पर विशेष जोर देते हुए मानवीय तथ्यों के संबंध में सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया।
			श्रेणी सी		(ख) सभी नियंत्रकों को 2011 के ए.टी.एम.सी. 4 का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने की सलाह दी गई।
					(ग) महाप्रबंधक (ए.टी.एम.), मुंबई हवाई अड्डा को सलाह दी गई कि वे दैनिक जोखिमों को भांपने तथा उन्हें खत्म करने के बेहतरीन तरीके निकालने के लिए थ्रेट एंड एरर प्रबंधन का उपयोग करें।
21.	02-12-2010	हैदराबाद के ऊपर	चेन्नई से दिल्ली की उड़ान सी.पी.ए. 042 तथा राजामुंद्री से मुंबई की उड़ान वी.टी.आई.-एस.एच. के बीच सेपरेशन भंग होना	• ओ.जे.टी.आई. तथा प्रशिक्षु नियंत्रक द्वारा पोटेन्शियल कन्फिलिक्टिंग यातायात पर निगरानी की कमी	(क) इसमें शामिल नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें हमेशा सतर्कता बरतने पर ध्यान देने के लिए कहा गया।
			श्रेणी सी	• खराब फ्लाइट प्रोग्रेस स्ट्रिप मार्किंग	(ख) इस घटना को मासिक सेन्सिटाइजेशन कार्यक्रम में वृत्त अध्ययन के रूप में शामिल किया गया।

एयरप्रोक्स डेटा 2011

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
1.	16.01.2011	एन.आई.पी.ए.डी. और ओ.पी.ओ.एन.आई. के बीच नागपुर टी.एम.ए. मुंबई एफ.आई.आर.	घटना एन.आई.पी.ए.डी. और ओ.पी.ओ.एन.आई. के बीच ए.टी.एस. रुट जी450 पर घटित हुई जबकि सदृश यातायात आई.जी.ओ. 319, ए320 जोकि एफ290 को मेंटेन कर रही थी, की उपेक्षा करके एस.ई.जे. 803, बी738 को एफ280 से एफ300 पर चढ़ाई दी गई। श्रेणी सी	सदृश्य यातायात पर ध्यान न देने के लिए नागपुर आर.एस.आर. नियंत्रक की तरफ से गलती। उस क्षेत्र के आसपास लगभग 05 विमान थे तथा नियंत्रक द्वारा 21 विमानों की पहचान की गई। कुछ विमान रडार स्क्रिन से गायब हो गए।	1. स्टेशन को दैनिक जोखिमों को भांपने तथा उन्हें खत्म करने के बेहतरीन तरीके निकालने के लिए थ्रेट एंड एरर प्रबंधन का उपयोग करने की सलाह दी गई। 2. कार्यमुक्त होने वाले अधिकारी द्वारा समुचित ब्रीफिंग पर जोर दिया गया व दोहराया गया। 3. कोई उड़ान/अवतरण देते समय रडार स्क्रिन की स्कैनिंग पर जोर दिया गया। 4. उड़ान/अवतरण प्रारम्भ करने से पूर्व विमान को यह सलाह दी जाए कि वह द्विनिदेशक मार्गों पर 10 एन.एम. अथवा अधिक के ऑफसेट से उड़े। 5. किसी भी स्तर का परिवर्तन करने से पूर्व योजना एवं रडार नियंत्रक के बीच निकट समन्वय रखने पर जोर दिया गया। 6. आर.एस.आर. नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया।
2.	10.2.2011	डोनसा मुंबई ओ.सी.सी. के निकट मुंबई	ई.एल.वाई. 071 टाईप-बी762, एल.एल.बी.जी.-	• एफ.पी.एस. बोर्ड पर सही जगह पर ई.एल.-	1. ओ.सी.सी. के सेक्टरों का पुनः निर्धारण करने

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
		एफ.आई.आर.	वी.ए.बी.बी. एअरवे जी450 ई.एस.टी. डी.ओ.एन.एस.ए.-0110 ने एफ.एल.-290 पर डी.ओ.एन.एस.ए. क्रासिंग बाएं से दाएं व एफ.एल. 290 के 3 एन.एम. दूरी पर यातायात की सूचना एच.एफ. पर दी। ट्रैफिक यू.ए.आई. 408 टाईप-बी777, ओ.एम.डी.बी.-वाई.एम.एम.एल. एयरवे एल894 ई.एस.टी. डी.ओ.एन.एस.ए.-0114 एफ.एल.290 था। श्रेणी सी	वाई.081 का एफ.पी.एस. प्रदर्शित न करना • भारी यातायात के दौरान सक्रिय नियंत्रण स्थिति में लम्बे घंटों तक कार्य करने की वजह से आई थकावट। ए.डी.एस./सी.पी.डी.एल.सी. नियंत्रक द्वारा एस.डी.डी. पर निगरानी की कमी क्योंकि वह ए.डी.एस./सी.पी.डी.एल.सी. संदेशों को हैंडल करने में व्यस्त रहा।	की सिफारिश की गई। 2. ओ.सी.सी. (एस) नियंत्रक को परामर्श दिया गया तथा यह निदेश दिया गया कि वे इस घटना का एक वृत्त अध्ययन तैयार करें तथा इस घटना को 3. ओ.सी.सी. नियंत्रक को ओ.जे.टी.आई. के तहत प्रशिक्षण दिया गया।
3.	24.2.2011	बी.बी.एस. से 115 एन.एम. उत्तर पश्चिम, कोलकाता ए.सी.सी., कोलकाता एफ.आई.आर. बी.बी.एस. 310 से 115 एन.एम.	आई.जी.ओ.256, ए320, वी.ई.बी.एस. से वी.आई.-डी.पी. मार्ग एल. 759/डब्ल्यू49 ने एफ.एल. 360 पर जाते हुए वी.आई.डी.पी. से डब्ल्यू.एस.एस.एस. जा रहे जे.ए.आई. 18 बी738 विमान से आर.ए. घटना होने की सूचना दी। यह विमान एफ.एल. 350 पर उड़ रहा था व यह एफ.एल.-340 तक उत्तर आया। श्रेणी सी	• रडार नियंत्रक द्वारा स्क्रीन की खराब स्कैनिंग। • योजना एवं रडार नियंत्रक के बीच खराब समन्वय। • एफ.पी.एस. अपडेट नहीं थे।	1. रडार और योजना नियंत्रक, दोनों ही को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया। 2. एस.डी.डी. की स्कैनिंग, एफ.पी.एस. का उपयोग, रडार एवं योजना नियंत्रकों के बीच निकट समन्वय पर जोर दिया गया। 3. घटना को मासिक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में वृत्त अध्ययन के रूप में रखा गया।

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
4.	1.3.2011	सी.ई.ए. का पश्चिम, कोलकाता ए.सी.सी., कोलकाता, एफ.आई.आर.	पी.आई.ए. 276, ए310 ओ.पी.के.आर. से वी.जी.जेड.आर. मार्ग जी 450 को एफ.एल. 330 तक उतरने की अनुमति दी गई थी किन्तु उसे एफ. 323 तक उतरने देखा गया जिससे क्यू.एफ.ए. 1 के साथ फासले में कमी आई। क्यू.एफ.ए. 1 ने टी.सी.-ए.एस. का पालन किया व एफ. 315 तक उतर आया।	ए.टी.सी. क्लियरेंस का अनुपालन करने में पी.आई.ए. 276 के पी.आई.सी. की विफलता। पी.आई.ए. 276 के पी.आई.सी. ने यह सूचना दी कि एफ.एम.एस. ने त्रुटिपूर्ण व्यवहार किया।	सी.ए.ए. पाकिस्तान को कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए कहा गया।
5.		रनवे 10 के टचडाउन लगभग 04 मील, आई.-जी.आई. हवाई अड्डा दिल्ली, दिल्ली, एफ.आई.आर.	हैडिंग 180 पर आई.-एल.एस. रनवे 11 पर ए.आई.सी. 840 के पूर्ववर्ती विमान जे.ए.आई. 2644 के निकट आता देखकर रडार नियंत्रक ने भूलवश ए.आई.सी. 840 को बाएं मुड़ने के लिए सलाह दी (दाहिने मुड़ने के बजाए) जिसके कारण आगमन आई.एल.एस. रनवे पर आई.जी.ओ. 192 के साथ टकराव की स्थिति पैदा हुई।	(क) ए.आई.सी. 840 एवं जे.ए.आई. 2644 के फ्लाइट क्रू द्वारा गति नियंत्रण का अनुपालन न करना। (ख) रडार नियंत्रक द्वारा ए.टी.आर. 72 के कार्य-निष्पादन विशेषताओं का मूल्यांकन। (ग) रडार नियंत्रक द्वारा ए.आई.सी. 840 को टॉवर नियंत्रक को उस समय रिलीज करना जबकि ए.आई.सी. 840 तेजी के साथ उतर रहे पूर्ववर्ती विमान जे.ए.आई. 2644 के निकट आ रहा था। (घ) ए.आई.सी. 840 के घुमाव की गलत दिशा तय करना। (ङ) विमान के आई.एल.एस. पर होते समय रडार	1. गलत घुमाव पर परिणाम, एस.ओ.पी. तथा मिस्ड एप्रोच प्रक्रिया सहित घटना के प्रत्येक पहलू पर चर्चा करने के लिए आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर एक विशेष संवेदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2. महाप्रबंधक (ए.टी.एम.), आई.जी.आई. हवाई अड्डा को प्रचालन के दौरान आ सकने वाले नए खतरों की पहचान करने के लिए प्रचालनात्मक जोखिम मूल्यांकन किए जाने की सलाह दी गई। 3. प्रचालनों के विभक्त मोड संबंधी एस.ओ.पी. में सुधार किया गया।

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
				नियंत्रक द्वारा स्टैंडर्ड मिस्ड एप्रोच प्रक्रिया का अनुपालन न करना।	
6.	14.03.2011	मुंबई टी.ए.आर. मुंबई एफ.आई.आर.	जे.ए.आई. 316, बी737 जोधपुर से मुंबई तथा जी.ओ.डब्ल्यू. 111, ए320, मुंबई से जयपुर के बीच दूरी में कमी हुई। जी.ओ.-डब्ल्यू. 111 को एफ. 100 तक जाने की अनुमति दी गई थी व जे.ए.आई. 316 को एफ. 110 तक उतरने को कहा गया था। किन्तु जे.ए.आई. 316 गलती से एफ. 106 तक उतर आया। श्रेणी-सी	जे.ए.आई. 316 के पायलट इन कमांड से मुंबई ए.टी.सी. द्वारा दिए गए लेवल से नीचे उतरने की गलती हुई है।	महानिदेशक, नागर विमानन जे.ए.आई. 316 के पायलट इन कमांड के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करें।
7.	15.4.2011	दिल्ली के दक्षिण पश्चिम लगभग 130 एन.एम.	घटना बैंकाक से वियाना जा रहे आस्ट्रियन 26, बी772 तथा तेहरान से बैंकाक जा रहे महान एअर5045, ए306 के बीच घटी। श्रेणी-सी	नियंत्रक ने सामने से आ रहे यातायात को देखने में चूक की ऐसी स्थितियां तब घटती हैं जब नियंत्रक के काम में कुछ कमी आती है विशेषत: भारी यातायात को संभालने के पश्चात्।	1. संबंधित नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया। 2. रेसिप्रोकल ट्रेक पर यातायात को संभालने के लिए ए.टी.एम.सी. 4 जारी किया गया। 3. घटना को संवेदी कार्यक्रम में केस स्टडी के तौर पर शामिल किया गया।
8.	14.05.2011	दिल्ली के दक्षिण पश्चिम लगभग 30 एन.एम.	अमीरात 510 दुबई से दिल्ली तथा गोएअर 172 मुंबई से दिल्ली के बीच स्टैंडर्ड सेपरेशन में कमी। श्रेणी-सी	फ्लाइट क्रू द्वारा रीड बैक्र गलती जिसे नियंत्रक द्वारा सही नहीं किया गया और इसकी वजह से कॉन्फिलक्ट का देर से पता चला।	1. संबंधित नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया। 2. घटना को संवेदी कार्यक्रम में केस स्टडी के तौर पर शामिल किया गया।

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
9.	14.5.2011	कोलकाता के लगभग 200 एन.एम. उत्तरी	गुवाहाटी से मुम्बई तक किंगफिशर 3168 और बंगलादेश, 702, काठमांडू से वी.जी.एच.एस. तक श्रेणी सी के मध्य आए सामान्य विलगन में कमी। श्रेणी-सी	दो विमानों के क्रोसिंग बिन्दु के विरोध को नजरअंदाज करने के लिए कोलकाता आर.एस.आर. नियंत्रक की त्रुटि। क्षेत्र में कोई रडार कवरेज नहीं।	1. संबंधित रडार नियंत्रक को करेक्टिव प्रशिक्षण 2. क्षेत्र में रडार कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। 3. कटिहार में रडार लगाया जा रहा है।
10.	16.5.2011	दिल्ली के लगभग 180 एन.एम. उत्तर पश्चिम	दिल्ली से श्रीनगर तक गो एयर 154 व लंदन से दिल्ली तक ब्रिटिश एयरवेज 3457 के मध्य हुई घटना। श्रेणी-सी	नियंत्रक ने गो एयर 145 के स्थान पर गो एयर 154 को क्लीयरेंस दे दी क्योंकि दोनों सुनने में समान लगते हैं। कॉल साइन कन्फ्यूजन का आम मामला।	1. संबंधित नियंत्रक को कॉल साइन कन्फ्यूजन से परिचित कराया गया। 2. परिचय कार्यक्रमों में इस मामले को केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया। 3. विमान सेवाओं द्वारा समन समय पर समान क्षेत्र में एक रूप कॉल साइन संयुक्त न होने पर डी.जी.-सी.ए. द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता।
11.	3.6.2011	अहमदाबाद के लगभग 25 एम.एस. दक्षिण	मौसम व खराब दृश्यता के कारण एफ. 90 पर एस.ई.जे. 884, बी. 738 वी.ई.सी.सी.-वी.ए.ए.एच. तथा एफ. 080 पर आई.जी.ओ. 0215 ए 320, वी.ए.बी.बी.-वी.ए.ए.एच. ने अहमदाबाद के 20-25 एन.एम. दक्षिण में स्थान घेर रखा था। जिस कारण आई.जी.ओ. 215 का डाटा ब्लॉक एफ.	रडार नियंत्रक द्वारा यातायात को खराब ढंग से संभाला गया।	संबंधित नियंत्रक को खराब मौसम परिस्थितियों में यातायात संभालने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण।

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
			084 दिखा रहा था। जिसे नियंत्रक ने नोटिस नहीं किया उसी क्षेत्र में अन्य विमान जे.ए.12003 को एफ.080 पर उतरने के निदेश दिए गए। जिसके कारण इन तीनों विमानों के बीच स्थान कम रह गया। श्रेणी-सी		
12.	24.6.2011	चेन्नई सामुद्रिक वायुक्षेत्र	घटना सिंगापुर से दुबई तक की उड़ान एमिरेट्स 405 व शमशाबाद से सिंगापुर तक की उड़ान सिल्क एयर 477 के मध्य हुई। श्रेणी-बी	ओ.सी.सी. नियंत्रक द्वारा सिल्क एयर 477 के यू.ए.ई. 405 पर चढ़ने का प्राधिकार देने से पूर्व सामने से आने वाले यातायात की अनदेखी की गई। सिल्क एयर 477 ए.डी.एस./सी.पी.डी.एल.सी. युक्त नहीं था।	1. संबंधित नियंत्रक को करेक्टिव प्रशिक्षण। 2. आमने सामने के ट्रैक पर यातायात को संभालने के लिए ए.टी.एम.सी. 4 जारी। 3. परिचय कार्यक्रमों में इस घटना को केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया। 4. बंगाल की खाड़ी के बड़े भाग के ऊपर निगरानी कवरेज के लिए पोर्टब्लेयर में ए.डी.एस.बी. स्थापित किए जाने पर भा.वि.प्रा. द्वारा विचार।
13.	29.6.2011	चेन्नई के लगभग 150 एन.एम. उत्तर पश्चिम	घटना दिल्ली से बंगलूर तक की एयर इंडिया उड़ान सं. 803 तथा दिल्ली से बेंगलुरु तक की स्पाइस जेट की उड़ान सं. 501 के मध्य हुई। श्रेणी-सी	अत्याधिक यातायात, निगरानी के लिए अत्यधिक बड़े क्षेत्र व क्षेत्र में खराब रडार कवरेज के कारण घटना हुई।	1. चेन्नई में नई ए.टी.एम. ऑटोमेशन प्रणाली प्रचालित होने पर रडार प्रणाली संबंधी कमियां दूर हो जाएंगी। 2. चेन्नई ए.आई.आर. में अपर/लोअर वायुक्षेत्र के प्रारंभ होने पर निगरानी क्षेत्र कम हो जाएगा। 3. संबंधित नियंत्रक को करेक्टिव प्रशिक्षण।

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
14.	24.8.2011	टी.टी.वी. वी.ओ.आर. के लगभग 130 एन.एम. उत्तरी, उत्तरी, पश्चिमी, त्रिवेन्द्रम ए.सी.सी.	एफ.एल. 370 से एफ.एल. 350 पर उतरते समय दुबई से त्रिवेन्द्रम की उड़ान सं. यू.ए.ई. 522, बी. 77 डब्ल्यू. ने सामने से आती पर्थ से दुबई की उड़ान सं. यू.ए.ई. 421, ए 322 को एफ.एल. 360 पर नहीं देखा जोकि उस समय रडार पर नजर नहीं आ रहा था। श्रेणी-सी	1. चूंकि उस समय यू.ए.ई. 421 नजर नहीं आ रहा था इस कारण पारिस्थितिक जागरुकता कम हुई। 2. संबंधित क्षेत्र में अविश्वसनीय रडार कवरेज। 3. योजना व रडार नियंत्रक के मध्य खराब समन्वय।	1. रडार व योजना नियंत्रक दोनों को करेक्टिव प्रशिक्षण। 2. रडार उपकरण की सीमाएं तथा रडार व योजना नियंत्रक के मध्य प्रभावी समन्वय की आवश्यकता को परिपत्र व रिफ्रेशर कक्षा के माध्यम से पुन: बताया गया।
15.	13.9.2011	विजाग से लगभग 100 एन.एम. दक्षिण पश्चिम चेन्नई ए.सी.सी.	मार्ग ए 465 पर चेन्नई से कोलकाता की उड़ान आई.जी.ओ. 523, ए320 को एफ. 290 का स्तर बनाए रखते हुए, मार्ग बी. 009 पर विजाग से चेन्नई की उड़ान सं. डी.ओ.के.ई.टी. एल.एल.-आर. 9601, सी.आर.जे. से पहले बाएं विचलन की अनुमति दी गई, जो कि एफ. 290 पर यातायात होने की वजह से एम. 300 पर ऊपर जा रही थी। आई.जी.-ओ. 523 ने भी अपने स्तर से ऊपर उठते हुए 15 एन.एम. बाएं पर यातायात की सूचना दी। श्रेणी सी	1. ए.सी.सी. में केवल एक क्षेत्र के प्रचालन के साथ रडार नियंत्रक के पास काफी मात्रा में यातायात था। 2. क्षेत्र में खराब रडार कवरेज के कारण कोई भी विमान रडार पर नजर नहीं आ रहा था, जिसके कारण रडार नियंत्रक को स्थिति की जानकारी नहीं थी। 3. चूंकि योजना नियंत्रक ने विजाग से जाने वाले यातायात को एफ. 300 की अनुमति दी थी अत: उसके द्वारा रडार नियंत्रक को विरोध के विषय में जानकारी न दिए जाने की भूल हुई।	1. रडार व योजना नियंत्रक दोनों को करेक्टिव प्रशिक्षण। 2. रडार उपकरण की सीमाएं व रडार तथा योजना नियंत्रक के मध्य प्रभावी समन्वय की आवश्यकता को परिपत्र तथा रिफ्रेशर कक्षा के माध्यम से पुन: बताया गया।

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
16.	1.10.2011	कालीकट के लगभग 230 एन.एम. उत्तर-पश्चिम मंगलौर आर.एस.आर.	यू.ए.ई. 421, बी. 773, ए.एक्स.बी. 348, बी. 738 तथा ए.एक्स.बी. 344, बी. 737 क्रमश: एफ.एल. 360, एफ.एल. 370 व एफ.एल. 350 का स्तर बनाए हुए थे। आर.एस.आर. नियंत्रक ने असावधानीवश ए.एक्स. बी. 344 के स्थान पर ए.एक्स.बी. 348 को एफ. एल. 330 के स्तर पर उतरने के लिए निदेश दे दिए। ए.एक्स.बी. 348 ने निदेश का पालन किया जिसके कारण सामने से आते विमान यू.ए.ई. 421 के साथ विरोध हुआ। श्रेणी-सी	समान गन्तव्य कालीकट के एक जैसे सुनाई पड़ने वाले कॉल लाइन (ए.एक्स.बी. 348 व ए.एक्स.बी. 344) के के कारण रडार नियंत्रक ने अनजाने में गलती करके गलत विमान को नीचे उतरने की अनुमति दे दी।	1. संबंधित नियंत्रक को पन्द्रह दिनों तक प्रक्रियागत सिम्यूलेटर में समान कॉल साइन के विषय पर अधिक बल देते हुए सिम्यूलेटर एक्सरसाइज दी गई। 2. सिम्यूलेटर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, संबंधित नियंत्रक को प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा दस दिनों का करेक्टिव प्रशिक्षण 3. कॉल साइन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए 2011 का ए.टी.एम.सी. 10 जारी।
17.	2.10.2011	कोलकाता ए.सी.सी.	उड़ान प्रगति बोर्ड में एफ.पी.एल. का डिस्पले न होने के कारण कोलकाता ए.सी.सी. नियंत्रक ने जो 450 के माध्यम से के.एफ.आर. 511, ए. 20, वी.ए.बी.बी.-वी.ई.सी.सी. तथा एल. 759 के माध्यम से आई.जी.ओ. 011, ए 320, वी.आई.-डी.पी.-डब्ल्यू.एस.एस.एस. के मध्य ओ.टी.ए.बी.ए. के ऊपर विरोध को नजरअंदाज किया गया। श्रेणी-सी	1. एफ.पी.एस. का डिस्पले न होने के कारण योजना नियंत्रक द्वारा ओ.टी.ए.बी.ए. क्रासिंग बिन्दु पर विरोध नहीं देखा गया। 2. क्षेत्र में वी.एच.एफ. तथा रडार कवरेज की कमी ने भी घटना में योगदान दिया।	1. नागपुर, कोलकाता तथा वाराणसी के मध्य समन्वय प्रक्रिया बदली गई। 2. पश्चिमी क्षेत्र को दो क्षेत्रों में विभाजित कर नया ए.सी.सी. क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। 3. परिचय कार्यक्रम में इस घटना को केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया। 4. संबंधित नियंत्रक को करेक्टिव प्रशिक्षण।

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
18.	5.11.2011	दिल्ली से प्रस्थान के कुछ ही समय पश्चात दिल्ली टी.ए.आर.	दिल्ली से मंगलूर की उड़ान आई जी.ओ.277, ए 320 रनवे 28 से उड़ान भरने के बाद एफ.एल. 070 के स्तर पर चढ़ा क्योंकि धीमी गति से चलने वाला नॉन आर.एन.ए.वी. विमान वी.टी.यू.पी.आर. उड़ान भरने के बाद एफ.एल. 080 पर चढ़ रहा था। दिल्ली से लंदन की उड़ान ए. आई.सी., 111, बी. 777 रनवे 29 से उड़ान भर शुरू में एफ.एल. 060 पर चढ़ रहा था और उसे बाद में एफ.एल. 070 की अनुमति दे दी गई। टी.आर. नियंत्रक ने ए.आई.सी. 111 को गलती से वेस्ट बाउंड के स्थान पर साउथ बाउंड डिपार्चर समझ लिया। दोनों विमान एक ही स्तर पर आने वाले के कारण आर.ए. उत्पन्न हुआ। श्रेणी-सी	अत्याधिक यातायात, धीमी व तेज गति यातायात के एक साथ होने और नियंत्रक द्वारा एयर इंडिया 111 के मार्ग के संबंध में गलत धारणा के कारण विरोध उत्पन्न हुआ।	1. संबंधित नियंत्रक को करेक्टिव प्रशिक्षण 2. घटना को परिचय कार्यक्रमों में शामिल किया गया। 3. संबंधित नियंत्रक को आर.ए./टी.ए. के संबंध में एक प्रस्तुति देने व घटना के संबंध में अपने अनुभव बताने के लिए कहा गया। 4. विरोध अलर्ट के लिए चेतावनी समय बढ़ाए जाने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। 5. नई एप्रोच प्रस्थान स्थिति शुरू कर टी.ए.आर. स्थिति से काम कम किया जा सकेगा।
19.	5.11.2011	हैदराबाद के लगभग 10 एम.एम. उत्तर पूर्व हैदराबाद ए.एस.आर.	वी.यू.ए.वी.सी, बी. 737, वी.ओ.एच.के. - वी.ओ. बी.जी.ए.टी.डी. 0915 अनुमान स्तर एफ.एल.	आई.ए.एफ.बी. 737 द्वारा ए. टी.सी. अनुदेशों का पालन न किए जाने के साथ-साथ रडार नियंत्रक द्वारा खराब	1. हाकिमपेट ए.टी.सी.ओ. द्वारा अनुदेशों की अवहेलना के संबंध में डी.जी.सी.ए.-एफ. के साथ बातचीत

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
			100 पर चढ़ रहा था। बाद में विमान को एफ.-एल. 210 पर चढ़ने की सलाह दी गई। जी.ई.सी. 8415 टी.ओ.एच. एस.-ओ.एम.एस.जे.ए. टी.डी. 0917 को एफ.एल. 100 पर चढ़ने की अनुमति दी गई। नियंत्रक ने देखा कि वी.यू.ए.वी.सी. सूचित किए बिना एफ.एल. 90 का स्तर बनाए हुए है। जी.ई.सी. 8415 के लिए यातायात अवरोध उत्पन्न कर रहा है। नियंत्रक ने बचाव कार्रवाई की। श्रेणी-सी	बचाव कार्रवाई के कारण घटना हुई।	करेगा। 2. संबंधित नियंत्रकों को बचाव कार्रवाई के विषय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3. शमशाबाद और हाकिमपेट के बीच समन्वय प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है।
20.	15.11.2011	कोलकाता आर.एस.आर.	एफ.एल. 350 के स्तर पर दोहा से सिंगापुर तक की उड़ान क्यू.टी.-आर. 640, बी 777 को एल.ई.एम.ए. एक्स. 0816 अनुमानित करते हुए एफ.एल. 370 पर चढ़ने की अनुमति दी गई। एफ.एल. 370 पर चेन्नई से कोलकाता तक की उड़ान जे.एल.एल. 843, बी 738 अनुमानित एल.ई.एम.ए. एक्स 0812। 0813 बजे दोनों उड़ानों ने आर.ए. को सम्पर्क किया श्रेणी-सी	नियंत्रक ने क्रासिंग बिन्दु पर विरोध को नहीं देखा।	1. रडार और योजना नियंत्रक दोनों को करेक्टिव प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2. घटना को परिचय कार्यक्रमों में केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया। 3. सभी सुरक्षा संबंधी प्रमुख सूचनाओं के लिए इंटरकोम के उपयोग की सलाह दी गई। 4. अप्रैल, 2012 के अन्त तक कोलकाता हवाई अड्डे पर सभी सेफ्टी नेट्स के साथ नई ऑटोमेशन प्रणाली के लिए ठेका दिया गया।

क्र.सं.	दिनांक	स्थिति	घटना का विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
21.	9.12.2011	मंगलोर आर.एस.आर.	2358 एफ.एल. 380 के स्तर पर वी.ओ.सी.आई. से ओ.एम.डी.बी. के मध्य उड़ान यू.टी.सी.यू.-ए.ई. 533, ए 332 द्वारा आर.ए. प्राप्त करने पर उपेक्षापूर्ण कार्रवाई की सूचना प्राप्त हुई। एफ.-एल. 330 से एफ.एल. 390 के स्तर पर चढ़ रही ओ.ओ.एम.एस. से वी.ओ.टी.वी. तक की उड़ान सं. जे.ए.आई. 529 ने भी आर.ए. प्राप्त होने की सूचना दी श्रेणी-सी	जे.ए.आई. 529 को आई.जी. ए.एम.ए. से त्रिवेन्द्रम के मार्ग पर सीधे भेजे जाने व खराब रडार निगरानी के कारण घटना हुई। प्रणाली में विरोध अलर्ट उपलब्ध न होने के कारण एक बार नियंत्रक द्वारा अनदेखा किए जाने के बाद स्थिति का पता नहीं चल सका।	1. मंगलोर अपर ए.सी.सी. पर चेन्नई से 24 घण्टों के आधार पर व्यक्ति उपलब्ध कराया गया। 2. मंगलोर पर सभी सेफ्टी नेट्स के साथ नई ए.टी.एम. ऑटोमेशन प्रणाली प्रारम्भ की जा रही है। 3. संबंधित नियंत्रक को करेक्टिव प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एयरप्राक्स डेटा 2012

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
1.	03-01-2012	कोचीन	गरुड़ कोचीन से दिल्ली तक भारतीय वायु सेना इंबरार और एयर इंडिया 520, बंगलूर से कोचीन तक एयरबस 319 के बीच मानक दूरी में कमी	भारतीय वायु सेवा द्वारा गलत स्थिति रिपोर्ट कोचीन नियन्त्रक द्वारा हमेशा अनडीटेरिड इम्बरार श्रेणी: सी	(क) एस.ओ.पी. में चेंज, गरुड़ से प्रस्थान हेतु सुझाव (ख) कोचीन में (टी.ए.आर.) को प्रतिष्ठापन/ए.डी. एस.बी. प्रगति पर (ग) अपनी चूक के लिए संबद्ध नियन्त्रण द्वारा सुधारात्मक प्रशिक्षण (घ) पायलट द्वारा गलती माने पर आई.ए.एफ. के समक्ष मामले उठाने के लिए डी.जी.सी.ए. को सलाह।

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
					(ङ) घटना को केस स्टडी के रूप में सुग्रहीकरण कार्यक्रम में शामिल।
2.	09.02.2012	त्रिवेन्द्रम	भाविप्रा डारनियर के बीच मानक दूरी में कमी जोकि वी.ओ.आर. एवं एमिरट्स 520 का कैलिब्रेशन कर रहा था। लोकेलाइजर को स्थापित करने के लिए दुबई से त्रिवेन्द्रम आने वाले ए 330 को विक्टर्ड किया गया।	पायलट द्वारा ए.टी.सी. अनुदेशों का पालन न किया जाने के साथ-साथ कैलिब्रेशन विमान के पायलट तथा ए.टी.सी. में समन्वय की कमी। श्रेणी: सी	(क) ए.टी.सी. एवं कैलिब्रेशन विमान के पायलट के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से दिक्चालन सुविधाओं के कैलिब्रेशन को अधिक व्यवसायिक ढंग से संभालने के अनुदेश जारी किए गए। (ख) स्थिति को गलत ढंग से संभालने के कारण संबंधित नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। (ग) पायलट एवं सह पायलट का लाइसेंस रद्द किया गया।
3.	09.03.2012	दिल्ली	काबुल से दिल्ली आने वाले कामएयर 115, बी 762 तथा श्रीनगर से दिल्ली आने वाले गोएयर 154ए, 320 के बीच मानक दूरी में कमी	नियंत्रक ने रेसिप्रोकल यातायात का अनदेखा किया जोकि ए.एस.ए.-आर.आई. पाइंट पर सीधे ट्रेक पर था।	(क) दिल्ली से ए.एस.ए.आर.आई. के इनबाउंड एवं आउटबाउंड मार्ग के स्थान को बढ़ाने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई। (ख) नियंत्रकों से सलाह दी गई कि डी.पी.एन. एवं ए.एस.-आर.आई. के सीधे मार्ग को अनुमोदित न करें। (ग) संबंधित आर.एस.आर. नियंत्रक को सुधारात्मक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। (घ) घटना को संवेदी कार्यक्रम के लिए केस-स्टडी के रूप में शामिल किया गया।
4.	16.03.2012	बेंगलुरु	चेन्नई से बेंगलुरु जाने वाली जेटलाइट 234, बी737	इंडिगो विमान ने नीचे आ गया जोकि जेटलाइट	(क) पायलट एवं नियंत्रक द्वारा हियर बैक त्रुटि।

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
			तथा शमशाबाद से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो 151, ए 320 के बीच मानक दूरी में कमी	विमान द्वारा किया जाना था। इसके कारण यातायात में भारी जाम हो गया। श्रेणी: सी	(ख) पायलट एवं नियंत्रक को जागरूक करने की संस्तुति दी गई। (ग) व्यस्ततम यातायात समय के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा वी.ओ.आर. 185 (डी) के प्रयोग के समन्वय की समीक्षा। (घ) घटना को संवेदी कार्यक्रम के लिए केस स्टडी के तौर पर शामिल किया गया।
5.	27.03.2012	नागपुर	रायपुर से इंदौर जाने वाले इंडिगो 245 तथा बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाले इंडिगो 126 के बीच घटना हुई।	खराब राडार निगरानी के कारण राडार नियंत्रक ने टकराव को अनदेखा किया। श्रेणी: सी	(क) क्रासिंग मार्ग के माध्यम से पास होने वाले विमान के प्रभावी डिसेंट हेतु नियंत्रकों को थंब नियम पालन करने का परामर्श दिया गया। (ख) आर.एस.एस. नियंत्रकों को सुधारात्मक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। (ग) घटना को जागरुकता कार्यक्रम हेतु केस-स्टडी हेतु शामिल किया गया।
6.	18.04.2012	मुंबई	अमान से कोलंबो जाने वाली रायल जोर्डनियल उड़ान सं. 194 एयरबस-330 तथा उसी मार्ग पर दुबई से जाने वाली श्रीलंकन उड़ान 228, एयरबस-340, के बीच मानक दूरी में कमी	आटोमेशन प्रणाली द्वारा गलत अनुमान लगाया गया तथा नियंत्रक ने उसी आधार पर स्तर बदलाव किया। श्रेणी: सी	(क) आटोमेशन प्रणाली में आवश्यक सॉफ्टवेयर बदलाव किए गए। (ख) नियंत्रक को पोजीशन रिपोर्ट तथा विमान के प्रकार के आधार पर ब्लॉक समय अद्यतन उड़ान प्रगति बोर्ड अनुमान को सत्यापित करने की सलाह दी गई। (ग) नियंत्रक के द्वारा गलती के कारण उसे सुधारात्मक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
					(घ) घटना को संवेदी कार्यक्रम हेतु केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया।
7.	26.4.2012	दिल्ली	दिल्ली से पटना तक गो एयर फ्लाइट 344 एयरबस-320 और काठमांडू से दिल्ली तक स्पाइस जैट उड़ान 946, बोइंग-738 के बीच स्टैण्डर्ड सेपेरेशन में कमी।	गो एयर 355 को अनुदेश दिए गए थे लापरवाही गो एयर 344 द्वारा बरती गई श्रेणी: सी	(क) संबंधित नियन्त्रण ने अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी। (ख) पायलट और सह-पायलट के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।
8.	1.8.2012	इंदौर	हैदराबाद से इंदौर तक स्पाइस जेड उड़ान 1053, डैश 8 बी के बीच तथा दिल्ली से इंदौर तक स्पाइस जेट फ्लाइट 2225, क्यू 400 के बीच स्टैण्डर्ड सेपेशन में कमी	अनुदेश स्पाइस जेट उड़ान 1053 के लिए था और असावधानी के कारण स्पाइस जेट डान 2225 द्वारा बरती गई। अंतिम क्षण में इंदौर टावर नियंत्रक द्वारा विमानों के अनुक्रम में परिवर्तन करना भी एक मुख्य कारण था। श्रेणी: सी	(क) ए.टी.एस. प्रभारी ने घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग की सलाह दी। (ख) अपनी ओर की भूल के लिए संबंधी नियंत्रक को उपयुक्त प्रशिक्षण का परामर्श दिया।
9.	17.08.2012	कोलकाता	बागडोगरा से बीदर तक आई.ए.एफ. इलयूजन 76 और दुबई से कोलकाता तक इंडिगो उड़ान 319 एयरबस 320 के बीच मानक दूरी में कमी श्रेणी: सी	योजना नियंत्रक द्वारा इंडिगो उड़ान की ऊंचाई में परिवर्तन को अनदेखा किया गया जबकि सामान्य स्तर वायुसेना इल्यूजन 76 को आबंटित था। फ्लाइट प्रोग्रेस स्ट्रिप में गलत स्तर का प्रदर्शन भी, एक सहायक कारण था। श्रेणी: सी	(क) संबंधित योजना नियंत्रक को उसकी गलती के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। (ख) रडार नियंत्रक को टी.सी.-प्रक्रिया का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। (ग) रडार नियंत्रक के एफ.पी.एस. में सुधार करने की पहल हेतु नियंत्रक को सलाह दी गई थी ताकि रडार कवरेज से परे टकराने की स्थिति का पता लगाया जा सके।

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
10.	27.08.2012	कोलकाता	बेंगलुरु से कोलकाता तक एयर इंडिया उड़ान 722 एयरबस 319 और दिल्ली से सिंगापुर तक इंडिगो उड़ान 011 एयरबस 320 के बीच मानक दूरी में कमी श्रेणी: सी	परियोजना नियंत्रक ने क्रासिंग पाइंट को अनदेखा किया क्योंकि चेन्नई एरिया कंट्रोल केन्द्र द्वारा अनुमान में 5 मिनट के परिवर्तन को पारित नहीं किया गया था। रडार नियंत्रक ने भी टकराव को अनदेखा किया। श्रेणी: सी	(क) रडार और परियोजना नियंत्रकों दोनों को उपयुक्त प्रशिक्षण की सलाह दी गई थी। (ख) एल.ओ.ए. के अनुसार चेन्नई ए.सी.सी. नियंत्रक समय परिवर्तन के अनुमान को पारित करने से परिचित नहीं था। (ग) संवेदी कार्यक्रम हेतु केस-स्टडी के रूप में घटना को शामिल किया गया।
11.	31.08.2012	दिल्ली	लाहौर से बैंकाक तक पाकिस्तान अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइंस उड़ान 892, एयरबस 310 के बीच तथा अमृतसर से दिल्ली तक स्पाइसजेट उड़ान 2222, डी.एच. 8 डी. के बीच मानक दूरी में कमी	दिल्ली ए.टी.सी. नियंत्रक द्वारा स्पाइस जेट उड़ान को लेवल का अनुपयुक्त आबंटन श्रेणी: सी	(क) अमृतसर से प्रस्थान हेतु एल.ओ.ए. में परिवर्तन का सुझाव। (ख) अमृतसर में ए.डी.एस., बी. को लाहौर और अमृतसर से लगातार प्रस्थानों पर निगरानी करने हेतु प्रतिस्थापित किया गया। (ग) लाहौर और अमृतसर से यातायात के टकराव को रोकने के लिए एफ 200 तक अमृतसर एप्रोच कंट्रोल के वर्टिकल अधिकार क्षेत्र का मामला उठाया जा रहा है। (घ) अपनी और की भूल के लिए संबंधित ए.सी.सी. नियंत्रक को प्रशिक्षण की सलाह दी गई। (ङ) संवेदी कार्यक्रम हेतु केस-स्टडी के तौर पर घटना को शामिल किया गया।
12.	11.9.2012	कोचीन	कालीकट से कोचीन तक एयरइंडिया एक्सप्रेस उड़ान 474 बी 738 और कोचीन	नियंत्रक द्वारा स्थिति संबंधी जागरुकता में कमी फलस्वरूप मौसम के कारण	(क) एप्रोच नियंत्रक को उपयुक्त प्रशिक्षण की सलाह दी गई। (ख) संवेदी कार्यक्रम हेतु नियंत्रकों

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
			से बहरीन गल्फ एयरइंडिया उड़ान 271 डी.एच. 8डी. के बीच मानक दूरी में कमी।	सामान्य ट्रेक से एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान का परिवर्तन श्रेणी: सी	के लिए मौसम परिवर्तन प्रक्रिया पर जोर देते हुए स्टडी के रूप में घटना को शामिल किया गया।
13.	22.2.2012	वाराणसी ए.सी.सी.	दिल्ली से लखनऊ जा रहे एल (एल.आर. 9811, ए.टी. आर. व रांची से दिल्ली जा रहे वी.टी.के.एस.जे., सी90ए के बीच एल.एल.के. के पूर्व 10 एन.एम. में दूरी की अवहेलना।	योजना नियंत्रक की जानकारी के बिना 'ए' नियंत्रक द्वारा लेवल आवंटित करने में चूक। घटना को 'सी' श्रेणी में रखा जाए क्योंकि नियंत्रक ने समय पर घटना को टालने के लिए कार्रवाई कर दी थी।	(क) 'ए' नियंत्रक को योजना नियंत्रक की जानकारी के बिना लखनऊ ए.टी.सी. को अवतरण की जानकारी देने के संबंध में चेतावनी दी गई। (ख) योजना नियंत्रक को सलाह दी गई कि वह 'ए' नियंत्रक द्वारा पास के ए.टी.एस. केन्द्रों को दी जाने वाली सूचनाओं के संबंध में ध्यान रखे। (ग) इलाहाबाद के अवतरण यातायात के संदर्भ में वाराणसी व लखनऊ के बीच समन्वय प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है तथा एल.ओ.ए. में संशोधन किया जा रहा है। (घ) इलाहाबाद से आने/जाने वाले यातायात के लिए एक अलग एसओपी लखनऊ व वाराणसी ए.टी.एस. प्रभारियों द्वारा तैयार की जाएगी। (ङ) नियंत्रकों को परिस्थितियों अनुसार जागरुक रहने के संबंध में लखनऊ में ए.डी.एस.-बी. स्थापित किया गया है।
14.	04.11.2012	कोयम्बतूर हवाई	कोयम्बतूर से मुंबई जा रहे आई.जी.ओ. 294, ए 320 तथा मुंबई से कोयम्बतूर जा रहे	एप्रोच कंट्रोलर ने मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया तथा पायलट ने ए.टी.सी. क्लियरेंस को	(क) एप्रोच कंट्रोलर को सधारात्मक प्रशिक्षण दिया गया। (ख) आई.जी.ओ. 294 के पायलट को चेतावनी दी गई तथा उन्हें

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
			एस.ई.जे.109, बी738 के बीच कोयम्बतूर के उत्तर-पश्चिम में 13 एन.एम. पर दूरी की अवहेलना।	वापस सूचित (रीड बैक) नहीं किया।	ए.टी.सी. क्लियरेंस को रीड बैक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। (ग) एप्रोच ट्रैफिक को संभालने के प्रति नियंत्रकों के प्रवीणता चेक तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु निगमित मुख्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र। (घ) मासिक संवेदी कार्यक्रम में इस घटना को केस-स्टडी के तौर पर शामिल किया गया है।
15.	10.11.2012	दिल्ली टी.ए.आर.	घटना आई.जी.ओ.212, वी.आई.डी.पी.-वी.ए.बी.ओ., ए.आई.सी.-468, वी.ए.आर.पी.-वी.आई.डी.पी. तथा जी.ओ.-डब्ल्यू 116, वी.ओ. बी.एल.-वी.आई.डी.पी. के बीच लगभग दिल्ली के दक्षिण-पूर्व 13 एन.एम. पर घटी।	एप्रोच प्रस्थान नियंत्रक ने मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया व पायलट ने ए.टी.सी. क्लियरेंस का पालन नहीं किया। घटना को 'सी' श्रेणी में रखा ज़ाए क्योंकि लम्बवत दूरी क्रमश: 600 व 700 फीट थी।	(क.) एप्रोच प्रस्थान नियंत्रक को सलाह दी गई कि वह प्रस्थानगत यातायात के पहुंच/मार्ग के संबंध में सावधान रहे व प्रस्थानगत यातायात को अपने लम्बवत ऊंचाई के अधिकार क्षेत्र तक ही ऊपर जाने तक सीमित रहे। (ख) एप्रोच प्रस्थान नियंत्रक अपने लम्बवत सीमा तक ही प्रस्थानगत यातायात को सीमित रखेगा तथा उसके बाद विमान को एप्रोच आगमन नियंत्रक को सौंपेगा। (ग) अपने को स्मरण कराने के लिए एप्रोच प्रस्थान नियंत्रक विमान के मार्ग की जांच विमान के पहुंच डाटा ब्लॉक पर बी 3 क्लिक करके करेगा। (घ) महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) आई.जी.आई. (ख) व (ग) के संबंध में सख्ती से अनुपालन हेतु एक परिपत्र जारी करेंगे तथा एस.ओ.पी. में तदनुसार संशोधन किया जाए।

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
					(ङ) आई.जी.आई.-212 के पी.आई.सी. तथा को-पायलट को ए.टी.सी. के अनुदेशों का पालन न करने तथा खतरनाक स्थित उत्पन्न करने के प्रति महा-निदेशक नागर विमानन द्वारा चेतावनी दी जाए। (च) इसे मासिक संवेदी कार्यक्रम में केस-स्टडी के तौर पर शामिल किया जाए ताकि नियंत्रक व पायलट द्वारा की गई गलतियों से अन्य सीख ले सकें।

एयरप्रौक्स डाटा 2013

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना का कारण	की गई कार्रवाई
1.	03-01-2012	कोलकाता एरिया कंट्रोल	जब आन दि जाब प्रशिक्षण चल रहा था उस समय फ्रेंकफर्ट से बैकाक जा रहे टी.एच.ए. 923, बी777 तथा कुआलालामपुर से काठमांडू जा रहे एम.ए.एस. 179, 738 के बीच मानक दूरी में कमी।	घटना की जांच की जा रही है।	कंट्रोलर की रडार रेटिंग निलम्बित की गई है। आन दि जॉब प्रशिक्षण के दौरान घटनाओं को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
2.	11.01.2013	चेन्नई एरिया कंट्रोल	दोह से कालम्बो जा रहे क्यू.टी.आर. 302, ए 320 तथा माले से बैंगलोर जा रहे एयर इंडिया ए.आई.सी. 266, ए 319 के बीच मानक दूरी में कमी।	घटना की जांच की जा रही है।	कंट्रोलर की रडार रेटिंग निलम्बित की गई है।
3.	17.01.2013	कोलकाता एरिया कंट्रोल	दोहा से कोलकाता जा रहे कतर एयरलाइन्स क्यू.टी.आर. 6342, बी 777 व हांगकांग से दुबई जा रहे क्वालिटी एयरलाइंस टी.ए.वाई. 052, बी 777 के बीच मानक दूरी में कमी।	घटना की जांच की जा रही है।	कंट्रोलर की रडार रेटिंग निलम्बित की गई है।

नए आपरेटरों के लिए दूरसंचार लाइसेंस

2692. श्री रतन सिंह:

श्री एस. अलागिरी:

श्री राकेश सिंह:

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

प्रो. सौगत राय:

श्री ताराचन्द भगोरा:

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजित करने के लिए नए निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों को अनुमोदित एवं लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या है और इन सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दूरसंचार ऑपरेटरों, जिनके लाइसेंस उच्चतम न्यायालय के निर्णय से रद्द कर दिए गए हैं, वे अभी भी स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और सर्किल-वार ब्यौरा क्या और और इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे ऑपरेटरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा उन पर क्या जुर्माना लगाया गया है/लगाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) से (ग) ट्राई ने एकीकृत लाइसेंस (यू.एल.) पर दिनांक 16.04.2012 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। सिफारिशें मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(i) स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग रखना;

(ii) राष्ट्रीय स्तर, सेवा क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर एकीकृत लाइसेंस;

(iii) वी.एस.ए.टी., पी.एम.आर.टी.एस., आई.एन.एस.ए.टी.-एम.एस.एस. जैसी सेवाओं के लिए लाइसेंसों का वर्गीकरण।

(iv) वॉयस मेल, आडियो टैक्स, विडियो टैक्स और अन्य मूल्य वृद्धित सेवाओं के लिए प्राधिकृत प्रक्रिया के द्वारा लाइसेंस देना।

(v) मौजूदा लाइसेंसों का नए क्षेत्र में माईग्रेशन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रथम चरण एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाओं) को 900, 1800, 800 मेगाहर्टज बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी में सफल नए प्रवेशकों के लिए अंतिम रूप दे दिया है।

ट्राई की सिफारिशों की आगे जाँच करने के बाद निर्णय लिया गया है कि आवेदक को एकीकृत लाइसेंस के तहत शामिल एक अथवा एक से अधिक अथवा सभी सेवाओं को चुनने के प्रयोजनार्थ इस विकल्प के साथ एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया जाए, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं यथा एन.एल.डी. (राष्ट्रीय लंबी दूरी), आई.एल.डी. (अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी) आदि भी शामिल हों। एकीकृत लाइसेंस को स्पेक्ट्रम से अलग रखा जाता है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

पायलटों का कुप्रबंधन

2693. श्री बलीराम जाधव:

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

श्री अब्दुल रहमान:

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

श्री पी. कुमार:

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया में पायलटों का कम उपयोग और कुप्रबंधन हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कतिपय पायलट महीने में 90 घंटे से अधिक उड़ान भरते हैं जबकि कई ऐसे पायलट हैं जो एक महीने में लगभग 30 घंटे की उड़ान भरते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय जोनों में पायलटों की कमी है जबकि कतिपय जोनों में अत्यधिक पायलट हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एअर इंडिया द्वारा पायलटों के साप्ताहिक आराम संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पायलटों की सेवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं। तथापि, छ: बी 787 विमान को बंद किए जाने के कारण इन विमानों को उड़ाने वाले पायलटों का उपयोग कुछ समय के लिए नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। कभी-कभार ऐसा हुआ है जब पायलट ने न्यायोचित उचित कारणों से महीने में कम समय के लिए उड़ान भरी हो। तथापि, ऐसे पायलट को अगले महीने में अधिक उड़ान के लिए लगाया गया। इस तरह, मूल औसत घंटों की अपेक्षा अधिक घंटे के लिए उड़ान भरने वाले पायलटों को अगले महीने में कम उड़ान भरने के लिए लगाया गया ताकि तिमाही के अंत में इनके उड़ान घंटे बराबर हो सके।

(ग) इस समय, अपनी अनुसूचित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एअर इंडिया के पास पर्याप्त पायलट हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) योजना विभाग द्वारा उपलब्ध की गई अनुसूची के अनुसार एअर इंडिया मुख्यालय द्वारा क्षेत्रों के लिए क्रू मार्ग आवंटन जारी किया जाता है। इस आवंटन के आधार पर, क्षेत्रों द्वारा पायलटों को उड़ान प्रचालन के लिए तैनात किया जाता है, जिसमें इस बात का ध्यान इष्टतम उपयोग है और उड़ान रख जाता है कि पायलटों का घंटे बढाकर हों। इसके अलावा मानवीय हस्तक्षेप तथा व्यक्तिनिष्ठता को दूर करने के लिए पायलटों के ड्यूटी रोस्टर हेतु कम्प्यूटरीकृत क्रू प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है।

डाकघरों में बचत सुविधाएं

2694. श्री प्रताप सिंह बाजवा:

श्री निशिकांत दुबे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में परिचालन कर रहे सभी डाकघरों में डाक बचत सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सभी डाकघरों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ग्रामीण और शहरी डाकघरों में डाक बचत खातों और जमा की गई राशि का तुलनात्क राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बचतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) दिनांक 31.03.2012 को ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में कार्यरत 1,53,218 डाकघरों में से 1,53,182 डाकघरों में डाक बचत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) डाकघरों की कुल संख्या और उन डाकघरों की संख्या जिनमें डाक बचत सुविधाएं उपलब्ध है, का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 के रूप में संलग्न है। मात्र कुछ डाकघर जिनमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, डाक प्रचालन के विशिष्ट उद्देश्य हेतु खोले गए थे और बचत सुविधाएं नजदीक के डाकघरों में उपलब्ध है।

(ग) दिनांक 31.03.2012 को ग्रामीण और शहरी डाकघरों के बचत बैंक खातों और उनमें जमा कराई गई राशि का तुलनात्मक राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) केन्द्र और राज्य सरकारें शामिल विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण देकर तथा मेले, सेमिनार और बैठकें आयोजित करके और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती हैं। लघु बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु विगत दो वर्षों में निम्नलिखित उपाय विशिष्ट किए गए हैं:-

1. डाकघर बचत खातों पर ब्याज की दर 3.5% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है पी.ओ.एस.ए. में अधिकतम राशि की सीमा (एकल खाते में 1 लाख रु. तथा संयुक्त खाते में 2 लाख रु.) हटा दी गई है।

2. मासिक आय स्कीम तथा राष्ट्रीय बचत पत्र (एन.एस.सी.) के लिए परिपक्वता अवधि में 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

3. 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाला एक नया राष्ट्रीय बचत पत्र जारी किया गया है।

4. लोक भविष्य निधि स्कीम में निवेश की वार्षिक सीमा 70,000 रु. से बढ़ाकर 1 लाख रु. कर दी गई है।

5. डाकघर सावधि जमा का परिसमापन - 1, 2, 3 और 5 वर्ष - इसमें समान परिपवक्ता की सावधि जमा राशियों की तुलना में 1% कम ब्याज दर पर समय से पहले आहरण की अनुमति प्रदान करके सुधार किया गया है। निवेश के 6-12 माह के बीच समय-पूर्व आहरण के लिए डाकघर बचत खाता ब्याज दर अनुमत्य है।

6. लघु बचत स्कीमों पर ब्याज दरों को 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम को छोड़कर सभी स्कीमों में 25 आधार प्वाइंट की सीमा में समान परिपक्तवा की सरकार की प्रतिभूति दरों के साथ सम्बद्ध किया गया है। उक्त दोनों स्कीमों के लिए क्रमशः 50 बी.पी.एस. और 100 बी.पी.एस. की सीमा है। (100 बी.पी.एस. 1% के बराबर है)। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर उस वर्ष के 1 अप्रैल के पहले अधिसूचित की जाएगी। 01.04.2012 से अधिसूचित लघु बचत स्कीमों की ब्याज दरें निम्नलिखित हैं:-

स्कीम	01.04.2012 से ब्याज दर प्रतिशत में
बचत खाता जमा	4.0
1 वर्षीय सावधि जमा	8.2
2 वर्षीय सावधि जमा	8.3
3 वर्षीय सावधि जमा	8.4
5 वर्षीय सावधि जमा	8.5
5 वर्षीय आवर्ती जमा	8.4
5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम	9.3
5 वर्षीय मासिक आय खाता	8.5
5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम)	8.6
10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम)	8.9
लोक भविष्य निधि	8.8

विवरण-I

कुल डाकघरों की सेवा और उन डाकघरों की संख्या जहां डाकघर बचत सुविधाएं उपलब्ध हैं

क्र.सं.	डाक सर्किल का नाम	राज्य का नाम	डाकघरों की कुल संख्या	पी.ओ.एस.बी. सुविधा देने वाले डाकघरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	15973	15973
2.	असम	असम	4013	4013
3.	बिहार	बिहार	8935	8933
4.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	3144	3143
5.	दिल्ली	दिल्ली	545	542
6.	गुजरात	गुजरात	8979	8976
7.	हरियाणा	हरियाणा	2261	2261
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	2778	2778
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	1691	1691
10.	झारखंड	झारखंड	3096	3096
11.	कर्नाटक	कर्नाटक	9679	9679
12.	केरल	केरल	5067	5066
13.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	8314	8314
14.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	12566	12552
		गोवा	258	258
15.	पूर्वोत्तर	त्रिपुरा	708	708
		नागालैंड	328	328
		मिजोरम	389	389
		अरुणाचल प्रदेश	299	299

1	2	3	4	5
		मेघालय	490	490
		मणिपुर	698	698
16.	ओडिशा	ओडिशा	8163	8163
17.	पंजाब	पंजाब	4017	4017
18.	राजस्थान	राजस्थान	10324	10323
19.	तमिलनाडु	तमिलनाडु	10996	10996
20.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	17726	17726
21.	उत्तराखंड	उत्तराखंड	2719	2708
22.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	8853	8853
		सिक्किम	209	209
	कुल		153218	153182

विवरण-II

क्र.सं.	डाक सर्किल का नाम	राज्य का नाम	31.03.2012 को ग्रामीण डाकघरों में बचत बैंक खातों की संख्या	31.03.2012 को ग्रामीण डाकघरों में बचत बैंक खातों में जमा राशि (करोड़ रु. में)	31.03.2012 को शहरी डाकघरों में बचत बैंक खातों की संख्या	31.03.2012 को शहरी डाकघरों के बचत बैंक खातों में जमा राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	13989142	7435.66	9855166	104842.35
2.	असम	असम	3219050	2263.17	1394203	238.16
3.	बिहार	बिहार	10219205	4864.53	8397841	4907.86
4.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	936908	236.24	970478	234.51
5.	दिल्ली	दिल्ली	76723	16.42	2196170	10578.84

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	गुजरात	4014871	2263.61	4001109	4693.18
7.	हरियाणा	हरियाणा	821403	323.31	912620	405.67
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	2204659	375.41	1845869	5457.13
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	606301	1025.62	669035	1163.28
10.	झारखंड	झारखंड	2899401	1278.32	1710090	1957.87
11.	कर्नाटक	कर्नाटक	6572471	3903.52	5935323	8195.53
12.	केरल	केरल	7632974	5170.79	3297510	3060.86
13.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	8805181	3126.94	7734496	23350.95
14.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	11040582	6933.72	12685699	26050.38
		गोवा	225416	533.50	171088	949.39
15.	पूर्वोत्तर	त्रिपुरा	319769	280.51	240607	309.49
		नागालैंड	5870	0.06	59151	4.20
		मिजोरम	44399	52.00	123615	101.00
		अरुणाचल प्रदेश	64866	101.20	52469	171.40
		मेघालय	112467	108.24	114736	342.89
		मणिपुर	126982	2.00	226983	4.74
16.	ओडिशा	ओडिशा	5183894	2423.91	1960282	2256.23
17.	पंजाब	पंजाब	1993510	5558.03	3498973	22634.48
18.	राजस्थान	राजस्थान	8199279	3840.21	5193228	4692.45
19.	तमिलनाडु	तमिलनाडु	8392324	6624.51	20954925	8856.40
20.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	9376005	14140.15	8229491	6285.27
21.	उत्तराखंड	उत्तराखंड	1718049	459.32	1427152	462.26
22.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	14029430	42464.36	6012612	22865.42
		सिक्किम	46716	50.40	20021	27.14
	कुल		122877847	115855.66	109890942	265099.33

ऑनर्स हेतु चार वर्षीय पाठ्यक्रम

2695. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री एन.एस.वी. चित्तन:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमी परिषद ने ऑनर्स के लिए तीन वर्ष के स्थान पर चार वर्षीय पाठ्यक्रम को लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य के लिये यह कदम उठाया गया है;

(ग) क्या परिषद ने दो वर्षीय और तीन वर्षीय स्नातक उपाधि को शुरू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परिषद ने चार वर्षीय ऑनर्स पाठ्यक्रम के लिए खेल सहित अंतर विषयक कार्य एवं शिक्षणेतर कार्यकलापों को भी अनुमति प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य, ज्ञान विकास, जो परंपरागत पाठ्यक्रमों के डोमेन को अलग करता है, के साथ-साथ कौशल और मूल्य निर्माण करना है। सभी विषयों के विद्यार्थियों से यह अपेक्षित है कि वे कतिपय अनिवार्य पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करें ताकि आधुनिक समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा और चुनौतियों का सामना किया जा सके। यह कार्यक्रम इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह उच्च साध्य ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुप्रयोग का सम्मिलित करता है, विद्यार्थियों को या तो नौकरियां प्राप्त करने या उद्यमी बनने या उच्च साध्य अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) दो, तीन और चार वर्ष पूरा करने के पश्चात् प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की नाम पद्धति क्रमश: एसोसिएट स्नातक, उपाधि/बी.टेक सहित स्नातक होगी। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के अनुसरण में, कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी डिग्रियां प्रदान कर सकता है, जिन्हें आयोग द्वारा शासकीय राजपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया हो। इस समय, उपर्युक्त डिग्रियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित करने के विद्यार्थी अंतर:अनुशासित शिक्षा प्रारंभ करे, यह कार्यक्रम एक प्रयास है। इसके अतिरिक्त, पाठ्येत्तर और सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों से विद्यार्थियों में अपनी डिग्रियों के प्रति विश्वास अर्जित होगा।

वायु सेवा मापदण्डों में छूट

2696. श्री ए. साई प्रताप:

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा भारत में कोई भी वायुयान उड़ाने के लिए वायु सेवा मापदण्डों में छूट दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) नई नागर विमानन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत में अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा किसी भी वायुयान को उड़ाने के लिए विमान सेवा मापदण्डों में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

पड़ोसियों के साथ संबंध

2697. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री एम. वेणगोपाल रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का आह्वान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और यह राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा निवेश आदि संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सर्वोच्च स्तरों पर प्रतिबद्ध है।

हमारी द्विपक्षीय सहायता तथा सहयोग एवं क्षमता-सृजन विषयक कार्यक्रमों में इन संबंधों को और मजबूत करने में योगदान किया है। एक सक्रिय विकास सहयोगी के रूप में, भारत इन देशों में विभिन्न परियोजनाओं में शामिल है।

रोजगार सृजन

2698. श्री संजय दिना पाटील:

डा. संजीव गणेश नाईक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2012 के दौरान भारत के रोजगार सृजन में 21 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गिरावट के कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा और अधिक रोजगार सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) योजना आयोग ऐसे किसी उद्योग संबंधी अध्ययन से अवगत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का उद्देश्य योजनावधि के दौरान गैर-कृषि क्षेत्र में रोज़गार के 50 मिलियन अवसरों का सृजन करना है। योजना के लिए कतिपय श्रमिकबहुल विनिर्माण क्षेत्रकों की पहचान की गई है ताकि रोज़गार के काफी अवसर सृजित हो सकें, जैसे- कपड़ा तथा सिले हुए परिधान, चमड़ा, फुटवियर, रत्न तथा आभूषण, हथकरघा, हस्तशिप तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। योजना के लिए विनियामक ढांचे के सरलीकरण तथा श्रमिकों की निष्पक्षता से कोई समझौता किए बगैर श्रम बाज़ार का लचीलापन सुनिश्चित करने की आवश्यकता की पहचान भी की गई है। इसमें, श्रमबल में शामिल हो रहे लोगों को कुशल बनाने पर बल दिया गया है ताकि युवाओं में रोजगार की संभाव्यता बढ़े। अनुमान है कि इन उपायों से मध्य अवधि में, रोज़गार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

एन.आई.टी. और आई.आई.टी. में शिक्षकों की कमी*

2699. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

श्री संजय दिना पाटील:

श्री वरूण गांधी:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

*दिनांक 13.03.2013 के वाद-विवाद के अतारांकित प्रश्न सं. 2699 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) तथा भाग (घ) के विवरण-II को दिनांक 07.08.2013 को सभा में एक शुद्धि करने वाले विवरण-I के माध्यम से ठीक किया गया और तदनुसार उत्तर को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है:

भाग	के लिए			पढ़िये		
(ख) और (ग)	2608			2545		
भाग (घ) विवरण-II क्र.सं. 16, आई.आई.-टी., भुवनेश्वर	90	0	90	90	63	27

(क) देश में चल रहे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या नवगठित आई.आई.टी. सहित एन.आई.टी. और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आई.आई.टी.) में शिक्षकों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन प्रत्येक संस्थानों में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति का आई.आई.टी.-वार और एन.आई.टी.-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन संस्थानों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) देश में 30 राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) कार्य कर रहे हैं। देश में संचालित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और नवगठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संकाय की कमी का सामना कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए संस्वीकृत संकाय संख्या 6076 एवं 6117 के सापेक्ष क्रमशः 2608 और 3034 की कमी है। इस कमी का मुख्य कारण इन संस्थानों में संकाय की भर्ती की न्यूनतम अर्हता पी.एच.डी. होना है और इंजीनियरी में पी.एच.डी. अभ्यर्थियों की संख्या इन संस्थानों की जरूरतों से कम है। इसके अलावा बहुत से छात्रों को अपने बी.टेक/एम.टेक कार्यक्रम पूरे करने के पश्चात् कम्पनियों/निगमों में नियुक्ति मिल जाती है और वे शिक्षण व्यवसाय को नहीं चुनते।

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षण स्टाफ की संस्वीकृत संख्या एवं भरे गये पदों के संस्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण II दिए हैं।

(ङ) और (च) संकाय की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र एवं छात्रों की बढ़ी हुई संख्या की वजह से अतिरिक्त जरूरतों के कारण रिक्त पद बढ़ते जाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान संविदा, समीपवर्ती और विजिटिंग संकाय को काम में ले रहे हैं और इसके साथ-साथ शिक्षण की ऑनलाइन पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षण व्यवसाय को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संकाय को कंसल्टेंसी शुरू करने के लिए प्रोत्सहित किया जाता और शुरू में वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों में कार्य कर रहे संकाय को दीर्घावधि प्रतिनियुक्ति-आधार पर नवस्थापित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में पदभार ग्रहण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये संस्थान एम.टेक अर्हता वाले व्यक्तियों को संविदा आधार पर लेक्चरर के रूप में काम में ले रहे हैं। इन संविदा लेक्चररों से अपनी पी.एच.डी. पूरी करने और उसके बाद विधिवत चयन प्रक्रिया के पश्चात् नियमित संकाय के रूप में पदभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण-I

30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.) का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम	राज्य
(क)	**20 पुराने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान**	
1.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-अगरतला	त्रिपुरा
2.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम	राज्य
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कालीकट	केरल
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
7.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-जयपुर	राजस्थान
8.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-जालंधर	पंजाब
9.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-जमशेदपुर	झारखंड
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कुरुक्षेत्र	हरियाणा
11.	विश्ववेश्वराय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-नागपुर	महाराष्ट्र
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-पटना	बिहार
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रायपुर	छत्तीसगढ़
14.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-राउरकेला	ओडिशा
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-सिल्चर	असम
16.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
17.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-सूरत	गुजरात
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक-सूरतकल	कर्नाटक
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-तिरुचरापल्ली	तमिलनाडु
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-वारंगल	आन्ध्र प्रदेश
(ख)	**वर्ष 2010 में स्थापित 10 नए एन.आई.टी.**	
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश (पम्पुम परे)
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली	दिल्ली (द्वारका)
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गोवा	गोवा (फरमागुडी)
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मणिपुर	मणिपुर (इम्फाल)
25.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मेघालय	मेघालय (सोहरा)

क्र.सं.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम	राज्य
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मिजोरम	मिजोरम (आइज्वाल)
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-नागालैण्ड	नागालैण्ड (दीमापुर)
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-पुदुचेरी	पुदुचेरी (कराईकल)
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-सिक्किम	सिक्किम (रावंग्ला)
30.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-उत्तराखंड	उत्तराखंड (पौढ़ी गढ़वाल)

विवरण-II

आई.आई.टी. और एन.आई.टी. में शिक्षण स्टाफ की संस्वीकृत संख्या और भरे हुए पदों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	संस्थान का नाम	संस्वीकृत पद	भरे हुए पद (नियमित)	रिक्त पद
1	2	3	4	5
(क)	**आई.आई.टी.**			
1.	आई.आई.टी.-बंबई	778	536	242
2.	आई.आई.टी.-दिल्ली	771	386	385
3.	आई.आई.टी.-कानपुर	429	346	83
4.	आई.आई.टी.-खडगपुर	1004	526	478
5.	आई.आई.टी.-मद्रास	800	511	289
6.	आई.आई.टी.-गुवाहाटी	442	258	184
7.	आई.आई.टी.-रुड़की	575	354	221
8.	आई.आई.टी. (बी.एच.यू.)-वाराणसी	557	241	316
9.	आई.आई.टी.-गांधीनगर	90	16	74
10.	आई.आई.टी.-हैदराबाद	90	89	1
11.	आई.आई.टी.-इन्दौर	90	49	41
12.	आई.आई.टी.-जोधपुर	90	28	62

1	2	3	4	5
13.	आई.आई.टी.-मंडी	90	22	68
14.	आई.आई.टी.-पटना	90	67	23
15.	आई.आई.टी.-रोपड़	90	39	51
16.	आई.आई.टी.-भुवनेश्वर	90	0	90
(ख)	**30 एन.आई.टी.**			
17.	एन.आई.टी.-अंगरतला	318	115	203
18.	एन.आई.टी.इलाहाबाद	362	208	154
19.	एम.ए.एन.आई.टी.-भोपाल	355	202	153
20.	एन.आई.टी.-कालीकट	279	203	76
21.	एन.आई.टी.-दुर्गापुर	320	181	139
22.	एन.आई.टी.-हमीरपुर	198	110	88
23.	एम.एन.आई.टी.-जयपुर	306	166	140
24.	डा. बी.आर. अम्बेडकर एन.आई.टी.-जांलन्धर	207	113	94
25.	एन.आई.टी.-जमशेदपुर	246	97	149
26.	एन.आई.टी.-कुरुक्षेत्र	298	113	185
27.	वी.एन.आई.टी.-नागपुर	335	185	150
28.	एन.आई.टी.-पटना	173	77	96
29.	एन.आई.टी.-रायपुर	290	89	201
30.	एन.आई.टी.-राउरकेला	369	235	134
31.	एन.आई.टी.-सिल्चर	153	103	50
32.	एन.आई.टी.-श्रीनगर	198	82	116
33.	एस.वी.एन.आई.टी.-सूरत	296	170	126
34.	एन.आई.टी.के.-सूरतकल	375	195	180
35.	एन.आई.टी.-तिरुचिरापल्ली	393	234	159

1	2	3	4	5
36.	एन.आई.टी.-वारंगल	420	205	215
37.	एन.आई.टी.-अरुणाचल प्रदेश	22	0	22
38.	एन.आई.टी.-दिल्ली	25	0	25
39.	एन.आई.टी.-गोवा	22	0	22
40.	एन.आई.टी.-मणिपुर	22	0	22
41.	एन.आई.टी.-मेघालय	22	0	22
42.	एन.आई.टी.-मिजोरम	22	0	22
43.	एन.आई.टी.-नागालैण्ड	22	0	22
44.	एन.आई.टी.-पुदुचेरी	22	0	22
45.	एन.आई.टी.-सिक्किम	22	0	22
46.	एन.आई.टी.-उत्तराखंड	25	0	25

विमान को परिचालन से हटाना

2700. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**

श्री रामसिंह राठवा:

डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

श्री खगेन दास:

श्री पी. कुमार:

श्री बलीराम जाधव:

श्री एम. कृष्णास्वामी:

डॉ. पी. वेणुगोपाल

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एअर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एलाइन्स एयर के बहुत से विमानों को परिचालन से हटा लिया गया है और यदि हां, तो परिचालन से हटाए गए विमानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या परिचालन से हटाए गए बहुत से विमानों की आवधिक ओवरहालिंग के अलावा मरम्मत और नए कलपुर्जे लगाने की आवश्यकता है तथा यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एयर परिचालन से हटाए गए विमानों के लिए कलपुर्जे खरीदने की प्रक्रिया में हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कलपुर्जों की खरीद से बचत करने के उद्देश्य से जानबूझकर विलंब किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस तथा एलायंस एयर के विमानों को परिचालन से हटा लिये जाने का ब्यौरा निम्नलिखित है:

पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस

विमान का प्रकार	परिचालन से हटाए गए विमानों की संख्या
ए-319	04
ए-320	02
ए-321	01

एलांयस एअर

विमानों का प्रकार	परिचालन से हटाए गए विमानों की संख्या
सी.आर.जे. 700	02
ए.टी.आर.-42-320	04

(ख) इन विमानों को इंजनों, ए.पी.यू. तथा दूसरे कल-पुर्जो की आवश्यकता के कारण परिचालन से हटाया गया है। एअर इंडिया ने परिचालन से हटाए गए विमानों के लिए पहले से ही आवश्यक कल-पुर्जो का आर्डर दे दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार प्रशुल्क में वृद्धि

2701. **श्री ताराचंद भगोरा:**

श्री सुरेश अंगड़ी:

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्य कर रही निजी मोबाइल कंपनियां अपनी मोबइल सेवाओं की काल दरें स्पेशल वैल्यू वाउचरों में मनमाने ढंग से वृद्धि कर रही हैं तथा वे पोस्ट-पेड और प्री-पेड दोनों सेवाओं के लिए अपनी प्रशुल्क योजनाओं में अक्सर परिवर्तन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आपरेटर-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसी वृद्धि के क्या कारण हैं एवं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस संबंध में क्या दिशानिर्देश दिए हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम प्रभार में वृद्धि को देखते हुए ऐसा किए जाने की संभावना हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा ग्राहकों के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) मौजूदा प्रशुल्क ढांचे के अंतर्गत मोबाइल सेवाओं पर लगने वाला प्रशुल्क स्वत: नियंत्रित होता है लेकिन इस प्रकार का स्वत: नियंत्रण राष्ट्रीय रोमिंग पर लागू नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय रोमिंग पर लगने वाले प्रशुल्क की सीमा तय की गई। मोबाइल प्रचालकों को बाजार स्थितियों और अन्य वाणिज्यिक कारणों के आधार पर विभिन्न प्रशुल्क दरें प्रस्तावित करने की स्वतंत्रता है। मोबाइल सेवाओं के प्रशुल्क एक समूह के रूप में होते हैं। मोबाइल प्रचालकों द्वारा किए जाने वाले संशोधन, उपर्युक्त कीमत वाली मदों में एक अथवा अधिक में हो सकते हैं और ये संशोधन अलग-अलग प्रचालकों द्वारा अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकते हैं। हाल ही में कुछ दूरसंचार अभिगम सेवा प्रदाताओं ने मोबाइल टैरिफों के कतिपय घटकों में वृद्धि की है। अनेक मामला में यह वृद्धि रियायतों को वापिस लेने, निशुल्क मिनटों में कटौती और/अथवा विशेष टैरिफ वाउचर की वैधता में कमी के रूप में होती है। तथापि, ऐसी वृद्धि से प्रति आऊटगोईंग मिनट औसत आऊटगो में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता।

सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षा है कि वे किसी भी प्रकार के नए प्रशुल्क में बदलाव लागू करने की रिपोर्ट इसे लागू करने के 7 दिनों के अन्दर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को उनकी सूचना एवं रिकार्ड हेतु भिजवाएं लेकिन उक्त रिपोर्ट भिजवाने से पूर्व सेवा प्रदाता यह भी सुनिश्चित करें कि "टैरिफ प्लान" हर पहलू से विनियामक सिद्धान्तों के अनुसार है जिसमें अन्य बातों

के साथ-साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन-प्रिडेशन और इंटरकनेक्शन प्रयोग प्रभार अनुपालन (आई.यू.सी.) शामिल है।

(ग) फिलहाल, भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नक्सली क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास

2702. **श्री कामेश्वर बैठा:**

श्री निखिल कुमार चौधरी:

श्री के.डी. देशमुख:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल प्रभावित कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार को अपने राज्यों के सामाजिक-आर्थिक और अवसंरचना विकास के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में क्रियान्वित की जा रही बड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की ऑन-लाइन निगरानी हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के नक्सल प्रभावित जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव क्या है; और

(च) वर्ष 2013-2014 के दौरान स्थिति में और सुधार के लिए कितनी निधि के आवंटन का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) सरकार ने चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) नवम्बर, 2010 में शुरू की थी। प्रारंभ में, आई.ए.पी. के तहत 60 जिले थे, परंतु बाद में इसमें नौ राज्यों के 82 जिलों को शामिल किया गया अर्थात् आन्ध्र प्रदेश (8), बिहार (11), छत्तीसगढ़ (10), झारखंड (17), मध्य प्रदेश (10), महाराष्ट्र (2), ओडिशा (18), उत्तर प्रदेश (3) और पश्चिम बंगाल (3)। इन 82 जिलों में वामपंथ उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) से प्रभावित जिले भी शामिल हैं। आई.ए.पी. के तहत परियोजनाएं शुरू करने के प्रस्तावों पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति विचार किया जाता है जिसमें जिले का पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी सदस्य होते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। आई.ए.पी. के तहत आरंभ की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मॉनीटरण के लिए योजना आयोग द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) विकसित की गई है। संबंधित जिले का जिला कलक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट एम.आई.एस. पोर्टल पर डेटा अपलोड करता है जिसे http://pcserver.nic.in/iapmis पर देखा जा सकता हे। इन क्षेत्रों में अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों का मॉनीटरण, संबंधित स्कीम/कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

(ङ) आई.ए.पी. को नवम्बर, 2010 में शुरू किया गया था और योजना आयोग ने इस कार्यक्रम का कोई प्रभाव अध्ययन नहीं किया है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार इन 82 जिलों में अब तक कुल 108685 परियोजनाएं एकीकृत की गई हैं जिनमें से 104589 परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा 73448 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

(च) आई.ए.पी. को प्रति जिला 30 करोड़ रु. के ब्लॉक अनुदान के साथ फिलहाल 2012-13 तक विस्तारित किया गया है क्योंकि इसे अल्प-अवधि मध्यस्थता के रूप में शुरू किया गया था। वित्त मंत्री ने अपने 2013-14 के बजट भाषण में एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रु. प्रदान करने की घोषणा की है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

2703. **श्री हरीश चौधरी:**

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

डा. संजय सिंह:

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:

श्री रवनीत सिंह:

श्री तथागत सत्पथी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) के अंतर्गत राज्यों और केन्द्र के बीच वर्तमान 'फंडिंग पैटर्न' क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एम.डी.एम.एस. द्वारा लाभ प्राप्त विद्यालयों और छात्रों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस योजना की शुरूआत के बाद विद्यालयों में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी वृद्धि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित/उपयोग की गई निधि का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार एम.डी.एम.एस. को माध्यमिक स्तर तक विस्तार करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार का विचार गुजरात, जिसने योजना के अंतर्गत अपने हिस्से से अधिक व्यय किया है, सहित राज्यों को धनराशि प्रतिपूर्ति करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्न, परिवहन, प्रबंध मॉनीटरिंग और मूल्यांकन (एम.एम.ई.) और रसोई के सामानों पर किए जाने वाला व्यय पूर्णत: केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भोजन पकाने, रसोइया-सह-सहायक को मानदेय की अदायगी और रसोई-सह-भंडारगृह के निर्माण कीलागत की हिस्सेदारी केन्द्र सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के बीच 90:10 और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 75:25 के आधार पर की जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना द्वारा लाभान्वित स्कूलों और बच्चों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सरकार के अनेक कार्यक्रमों और आर्थिक विकास, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, प्रारंभिक शिक्षा में निजी क्षेत्र के विस्तार आदि पर भी निर्भर करता है।

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी और प्रयुक्त राज्य-वार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) और (छ) योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का माध्यमिक स्तर तक विस्तार करने का प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है।

(ज) और (झ) वर्ष 2012-13 के दौरान, केन्द्र सरकार ने गुजरात के लिए राज्य सरकार की हकदारी के अनुसार केन्द्रीय सहायता जारी की है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2011-12 और वर्तमान वर्ष 2012-13 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल बच्चों और संस्थाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
		संस्था	बच्चों की औसत संख्या	संस्था	बच्चों की औसत संख्या	संस्था	बच्चों की औसत संख्या	संस्था	बच्चों की औसत संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	78770	6107962	79355	6304239	80943	5661609	80923	5389042
2.	अरुणाचल प्रदेश	4431	174379	4431	269002	4358	268473	4238	268883
3.	असम	54175	4132618	68881	4515884	67402	4693848	66531	4827248
4.	बिहार	92209	11241336	71772	9877617	70773	8882442	70773	11826059
5.	छत्तीसगढ	47076	3027221	47694	3861048	47868	3750998	47868	3145720
6.	गोवा	1545	163208	1564	156716	1559	153853	1555	153778
7.	गुजरात	57784	3820600	37166	3877695	36798	4110722	34223	4353074
8.	हरियाणा	14703	1993615	15434	2005680	15783	2108820	15596	2054054
9.	हिमाचल प्रदेश	13459	741014	15104	715750	15096	661951	15061	612609
10.	जम्मू और कश्मीर	21504	1056126	22427	840044	22812	769893	22878	972952
11.	झारखंड	52138	4031582	40832	3231921	42041	3215976	40662	2758621

12.	कर्नाटक	55104	5502935	56771	5216970	56083	5278797	56064	5085474
13.	केरल	17387	2902204	17387	2781617	17387	2687079	17387	2631126
14.	मध्य प्रदेश	112439	9003584	114193	8655943	115132	8084242	115132	7840402
15.	महाराष्ट्र	122018	12187761	120960	10634199	121344	10868151	121096	10809155
16.	मणिपुर	3042	225718	3899	230135	2966	197854	2986	209757
17.	मेघालय	10074	471738	10074	459778	10074	484489	10632	537522
18.	मिज़ोरम	2412	150569	2468	151718	2506	167148	2506	165210
19.	नागालैण्ड	2223	221368	2751	271144	2261	260707	2261	260676
20.	ओडिशा	78925	5525792	66773	5227152	86177	4837061	69019	4989696
21.	पंजाब	22648	1855841	22486	1753660	22035	1810346	22035	1780707
22.	राजस्थान	80670	5982376	84941	5781398	79845	5765230	79839	4546667
23.	सिक्किम	873	89432	879	94855	1000	90582	879	85948
24.	तमिलनाडु	42632	5026843	36120	4274715	36807	4129238	41474	4426495
25.	त्रिपुरा	5629	468621	6510	435093	6531	442619	6531	394624
26.	उत्तराखंड	17816	850551	18291	801909	17953	807164	17748	804079
27.	उत्तर प्रदेश	152185	12713580	154076	11314277	158107	11610848	158301	9959375
28.	पश्चिम बंगाल	79870	9216678	89349	9503404	84522	12180117	83686	12073042
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	343	36900	345	32449	345	31746	336	31670
30.	चण्डीगढ़	311	61311	311	58182	115	53940	116	52881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दादरा और नगर हवेली	360	35261	282	34569	368	36067	397	35101
32.	दमन और दीव	127	15227	96	15298	97	15450	98	15800
33.	दिल्ली	3005	1318353	3518	1150332	3496	1233473	3547	1196388
34.	लक्षद्वीप	54	10192	54	9035	43	9485	43	9562
35.	पुदुचेरी	383	91298	457	88138	465	79472	466	69270
	कुल	1248324	110453794	1217651	104631566	1231092	105439889	1212887	104372667

*30.09.2012 तक

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2011-12 और वर्तमान वर्ष 2012-13 के दौरान आबंटित निधियां और किया गया व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय सहायता	व्यय	जारी केन्द्रीय सहायता	व्यय	जारी केन्द्रीय सहायता	व्यय	28.02.2013 की स्थिति के अनुसार जारी केन्द्रीय सहायता	30.09.2012 की स्थिति के अनुसार व्यय
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		32714.33	33823.09	48302.38	42710.38	85191.45	58517.96	58897.92	23730.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	1787.79	1204.10	2043.18	1035.27	2091.75	1068.18	3133.42	774.91
3.	असम	19274.46	4522.20	34408.21	33687.49	53220.90	43999.08	47445.53	18398.43
4.	बिहार	31763.62	45741.24	80506.41	65574.90	81820.31	74035.57	88504.53	35064.67
5.	छत्तीसगढ़	18289.34	18489.69	36187.74	35913.84	47462.95	37890.13	39576.59	19838.15
6.	गोवा	636.45	726.56	1168.28	834.00	825.41	1158.12	1365.00	576.15
7.	गुजरात	29532.80	23586.90	28851.62	26258.40	35301.58	33068.37	37530.43	11096.45
8.	हरियाणा	18516.23	9779.69	15325.13	13894.23	16713.43	20302.21	17852.49	7497.35
9.	हिमाचल प्रदेश	5352.15	4991.33	6487.67	5696.37	7351.60	7652.29	7566.34	3989.45
10.	जम्मू और कश्मीर	3834.54	5056.64	7990.60	6930.70	13430.59	7329.56	6660.10	4656.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	झारखंड	25456.19	19585.96	32595.49	26039.70	52252.17	29951.40	24968.75	12148.92
12.	कर्नाटक	33538.61	32812.33	45368.30	41545.05	56525.78	46357.02	70770.12	21676.70
13.	केरल	14349.88	11841.13	18511.34	14466.70	14277.09	18083.16	19740.25	7828.72
14.	मध्य प्रदेश	61040.79	46699.20	65781.84	51704.08	76704.43	74684.48	74591.11	32449.17
15.	महाराष्ट्र	73289.23	58256.73	107492.09	73956.33	69255.77	90962.03	91320.52	53972.88
16.	मणिपुर	1131.26	1321.50	5658.11	5102.86	1894.19	1655.46	904.31	0.00
17.	मेघालय	6045.46	2594.45	13831.77	11840.83	3528.12	5303.84	3425.11	1563.24
18.	मिज़ोरम	1078.43	1129.90	1902.29	1626.85	3306.57	2800.32	1912.76	297.20
19.	नागालैण्ड	1236.18	1238.78	4026.97	4026.97	2464.37	2464.37	2815.08	506.91
20.	ओडिशा	38715.63	30648.05	38959.13	24341.30	37124.38	36798.46	46150.55	22186.06
21.	पंजाब	10824.15	11780.11	16605.10	15388.45	17561.54	16268.16	14230.01	7977.00
22.	राजस्थान	39405.50	30184.87	46225.76	42117.67	52901.22	49415.32	46977.10	19668.83
23.	सिक्किम	553.40	532.63	899.60	899.35	1035.65	1225.39	650.72	533.08
24.	तमिलनाडु	45757.19	30575.44	44250.57	42231.04	40333.68	40879.27	70054.38	19117.80
25.	त्रिपुरा	3480.89	2463.93	4856.76	4733.02	8408.41	4902.96	5182.25	2344.23
26.	उत्तराखंड	5753.22	5327.11	10963.29	10617.91	14255.51	11839.51	15482.74	4662.04
27.	उत्तर प्रदेश	98506.31	68941.38	102715.36	100567.32	107638.85	105878.56	123253.89	48513.82
28.	पश्चिम बंगाल	67197,73	51561.75	79480.035	66333.59	77251.02	88572.83	90375.45	42739.98

29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	272.71	272.71	247.06715	247.07	509.14	238.44	1328.79	54.94
30.	चण्डीगढ़	397.67	397.67	525.54409	492.83	680.77	680.77	501.68	243.27
31.	दादरा और नगर हवेली	195.55	195.55	290.45398	290.45	342.71	342.71	349,10	72.43
32.	दमन और दीव	112.90	111.30	147.78904	147.79	136.58	136.34	120.93	35.90
33.	दिल्ली	3066.09	5214,23	9072.32	6765.50	6562.19	8429.61	5792.26	4995,86
34.	लक्षद्वीप	58.72	58,72	80,54	48,87	76,32	54.47	76.45	27.56
35.	पुदुचेरी	561.03	499.85	693.24	588.48	635,99	635.99	506,17	310.94
	कुल (लाख में)	693726.40	562166.69	912452.00	778655.61	989072.42	923582.33	1020012.83	429550.18

[हिन्दी]

एम.डी.एम.एस. का कार्यकरण

2704. **श्री महेश जोशी:**

श्री नामा नागेश्वर राव:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) के कार्यकरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय दल ने योजना के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितताओं के मामलों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि हां, तो शिकायत की प्रकृति सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) योजनाओं में अनियमितताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (छ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) के संचालन पर प्राप्त 99 शिकायतों (निधियों का दुर्विनियोजन-31, भोजन की खराब गुणवत्ता-33 और अन्य अनियमितताएं-35) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये रिपोर्ट सम्बद्ध राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को सुधारक कदम उठाने और इस विभाग को कृत कार्रवाई नोट प्रस्तुत करने के लिए भेजी गई थी।

वर्ष 2011 और 2012 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में योजना की समीक्षा के लिए केन्द्रीय दल भेजें गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2012 और 2013 के दौरान संयुक्त समीक्षा मिशनों ने इस योजना की समीक्षा करने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने के लिए ओडिशा, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का भी दौरा किया। दन दलों के निष्कर्षों यथा नामांकन की तुलना में कम छात्रों का शामिल होना, रसोइयें-सह-सहायकों को मानदेय के भुगतान में विलंब, खाद्यान्नों का अनुचित भण्डारण, खाद्यान्नों और निधियों की अनुपलब्धता के कारण स्कूलों में मध्याह्न भोजन में व्यवधान, खाद्यान्नों को उठाने में विलंब, बफर स्टॉक और पूर्ण रिकार्ड का रख-रखाव न किए जाने के बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को सूचित किया गया था। इस योजना के दिशानिर्देशों में स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक मॉनीटरिंग तन्त्र का प्रावधान है।

राष्ट्र स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति की बैठकों और अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के जरिये अनियमितताओं को रोकने के लिए इस योजना की निरन्तर समीक्षा की जाती है। स्वतन्त्र निगरानी संस्थान भी नियमित अन्तरालों पर योजना का मूल्यांकन करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुर्विनियोजन				खराब गुणवत्ता				अनियमितताएं			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	असम	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3.	बिहार	1	0	2	1	2	1	1	0	0	5	2	0
4.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	1	2	0	1	2	1	0	0	2	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
11.	कर्नाटक	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
12.	मध्य प्रदेश	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0
13.	महाराष्ट्र	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14.	ओडिशा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
15.	पंजाब	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
16.	राजस्थान	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
18.	उत्तर प्रदेश	1	3	5	1	1	1	4	0	2	7	2	0
19.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0
	कुल	6	9	13	3	7	9	16	1	4	15	0	

नामांकन दर

2705. **श्री भरत राम मेघवाल:**

श्री सुरेश कलमाडी:

प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

प्रो. सौगत राय:

श्री वरूण गांधी:

श्रीमती मौसम नूर:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन का राज्य-वार, लिंग-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) नामांकन में इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(ङ) विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या ओ.बी.सी. का नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में ओ.बी.सी. के नामांकन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए आवंटित निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "स्कूल शिक्षा के आंकड़ों" के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 (अनन्तिम), 2009-10 (अनन्तिम) और 2010-11 (अनन्तिम) के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य-वार और लिंग-वार नामांकन के संलग्न विवरण-I-III पर दिए गए हैं। इन स्कूलों में श्रेणी-वार नामांकन के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, कक्षा I-V, IX-X और XI-XII में नामांकित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के राज्य-वार और लिंगवार संलग्न विवरण IV-IX पर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई है। देश के कुछ भागों में जन्म दर में कमी आने तथा साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा जाली नामांकनों की जांच के लिए उठाये गये कदमों के कारण कभी-कभी नामांकन आंकड़ों में कमी आ जाती है।

(ङ) सरकार सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिए निरन्तर प्रयास कर रही है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन कार्यढांचे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के समनरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदण्डों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों में नामांकन और बच्चों को स्कूल में रोकने में वृद्धि हो सके। नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षा की सुलभता में महिला-पुरुष संबंधी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है।

(च) और (छ) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के नामांकन आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। एस.एस.ए. में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि. व छात्रों के लिए विषय-वस्तु विशिष्ट उपायों की सुविधा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था है। आर.एम.एस.ए. के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत करने की व्यवस्था है। देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के वर्ष 2009-10 से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों हेतु बालिका छात्रावासों का निर्माण और संचालन की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ज) ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को आवंटित निधियों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न स्कीमों के तहत किया गया वास्तविक व्यय वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

2008-09 (वास्तविक व्यय)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
प्रारंभिक शिक्षा								
28188.48	50812.37	79000.85	32518.06	65981.94	98500.00	39533.97	71057.60	110591.57
माध्यमिक शिक्षा								
4995.81	40508.27	45504.08	7620.74	54610.42	62231.16	10506.31	59268.49	69774.80

विवरण-I

प्राथमिक स्कूलों में नामांकन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2881212	2815285	2715011	2657072	2775065	2688831
2.	अरुणाचल प्रदेश	71711	65498	68536	64205	75777	70525
3.	असम*	1640443	1570829	1218594	1201181	1218594	1201181
4.	बिहार	5912129	4623260	6251583	5034060	6597917	5624435

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	1897618	1762639	1632098	1518958	1647104	1536409
6.	गोवा	51739	47868	53059	48464	51927	48048
7.	गुजरात	673261	690834	712145	656834		
8.	हरियाणा	625282	697191	838811	792817	737452	701972
9.	हिमाचल प्रदेश	254863	245312	236957	233040	233583	226625
10.	जम्मू और कश्मीर*	737482	667239	704268	649676	704268	649676
11.	झारखंड	1759496	1799585	1924311	1761455		
12.	कर्नाटक	605602	581816	552128	530965	531980	509506
13.	केरल	537119	476406	573483	619061	452855	450863
14.	मध्य प्रदेश	6159765	5795845	6230307	5725303	3552909	3799897
15.	महाराष्ट्र	3379329	3095255	3411262	3105589	3462668	3172094
16.	मणिपुर	128638	125569	129002	125683	120897	118145
17.	मेघालय	269260	293189	331638	334991	404384	402417
18.	मिजोरम	78992	72907	81127	74198	86320	79832
19.	नागालैण्ड*	99812	95262	80708	74905	80708	74905
20.	ओडिशा	2349164	2233038	2308957	2184342	2291043	2167135
21.	पंजाब	956279	806617	1081926	855447	661536	595277
22.	राजस्थान	2810457	2347369	2724124	2287430	2617699	2236441
23.	सिक्किम*	56881	53900	55275	52282	55275	52282
24.	तमिलनाडु	3733657	3470463	2624128	2688592	1534133	1534445
25.	त्रिपुरा	106564	101390	101734	98352	63498	61043
26.	उत्तर प्रदेश	11827031	11976544	12104620	11849680	14206147	13113362
27.	उत्तराखंड	564705	538630	562922	532217	567173	531467
28.	पश्चिम बंगाल	3303715	3271003	4100719	3988172	3486005	3499711

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8036	7490	8764	8048	8705	8030
30.	चंडीगढ़	6234	5201	4698	4267	5137	4757
31.	दादरा और नगर हवेली	19653	18158	20739	19041	20881	19151
32.	दमन और दीव	12575	10454	12607	10904	11056	9533
33.	दिल्ली	571986	551386	577117	558415	572990	553858
34.	लक्षद्वीप	2779	2789	3852	3811	3528	3418
35.	पुदुचेरी	36960	36469	35938	35210	33779	33341
	भारत	54130429	50952690	54073148	50384667	48872993	45778612

*: इन राज्यों के 2009-10 के आंकड़े वर्ष 2010-11 में दुहराए गए हैं।

गुजरात ने वर्ष 2010-11 के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में नामांकन के आंकड़े अलग-अलग नहीं दर्शाए हैं। इसलिए प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में कुल नामांकन मिडिल स्कूलों में ही दर्शाया गया है।

झारखंड ने वर्ष 2010-11 में नामांकन के आंकड़े स्कूल के प्रकार के आधार पर उपलब्ध नहीं कराए हैं।

प्राथमिक स्कूल वे स्कूल हैं जिनमें उच्चतम कक्षा IV/V तक है।

विवरण-II

माध्यमिक स्कूलों में नामांकन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2748205	2622928	2797781	2679646	2750725	2646965
2.	अरुणाचल प्रदेश	29939	26066	31396	26989	30874	26982
3.	असम*	650620	536216	706608	643081	857528	693032
4.	बिहार	947920	589298	909624	609156	961251	693268
5.	छत्तीसगढ़	225087	199571	259694	216540	285355	244827

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	32439	29707	30724	27484	30955	27958
7.	गुजरात	705256	440284	758456	498515	794601	539688
8.	हरियाणा	582631	555230	527762	448671	527762	448671
9.	हिमाचल प्रदेश	118484	90993	110582	94673	129558	107101
10.	जम्मू और कश्मीर*	139314	109894	185361	163075	185361	163075
11.	झारखंड	302002	244416	302002	2444.16		
12.	कर्नाटक	1313252	1208792	1341897	1236179	1350548	1253698
13.	केरल	1357007	1300556	1307727	1271596	6037&1	604608
14.	मध्य प्रदेश	919915	512488	910976	600647	1288746	793427
15.	महाराष्ट्र	2959386	2578046	5186843	4331865	2912840	2500708
16.	मणिपुर	123133	112056	123706	112082	131032	115813
17.	मेघालय	61866	61268	59515	65124	27542	28058
18.	मिजोरम	22633	21943	24548	24263	25183	25069
19.	नागालैण्ड*	104139	96213	84139	76213	84139	76213
20.	ओडिशा	762223	632252	774103	681777	797309	712227
21.	पंजाब	248116	203349	446850	354371	488292	383319
22.	राजस्थान	1149123	666136	)188631	740488	1297832	862709
23.	सिक्किम*	5667	5966	5883	6706	5883	6706
24.	तमिलनाडु	591384	619935	560841	603771	541863	552262
25.	त्रिपुरा	110902	110687	112327	112880	116076	113507
26.	उत्तर प्रदेश	2820030	1270908	3030141	1383615	2298325	1585198
27.	उत्तराखंड	121201	116033	182071	157009	178707	158787
28.	पश्चिम बंगाल	1926404	1834670	17563	19435	1561186	1601154
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7721	7125	8363	7805	7747	7349

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	43285	32826	42877	33333	W795	31279
31.	दादरा और नगर हवेली	5270	3395	3950	2798	4880	3493
32.	दमन और दीव	2444	2265	2463	2290	2706	2372
33.	दिल्ली	201286	141326	209995	144897	221993	149339
34.	लक्षद्वीप	1139	1411	1270	1244	1135	1156
35.	पुदुचेरी	39135	35222	37376	34232	39521	35819
	भारत	21378558	17019471	22284052	17656866	20581031	17195837

*: इन राज्यों के 2009-10 के आंकड़े वर्ष 2010-11 में दुहराए गए हैं।

झारखंड ने वर्ष 2010-11 में नामांकन के आंकड़े स्कूल के प्रकार के आधार पर उपलब्ध नहीं कराए हैं।

माध्यमिक स्कूल वे स्कूल हैं जिनमें उच्चतम कक्षा X तक है।

विवरण-III

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नामांकन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	867025	707097	867025	707097	898235	788908
2.	अरुणाचल प्रदेश	38308	33234	39952	34561	40514	35301
3.	असम*	271426	213264	253116	180201	115218	106004
4.	बिहार	461048	256172	630586	415048	894572	613195
5.	छत्तीसगढ़	332913	295057	338935	265440	375638	313220
6.	गोवा	13455	13885	13659	13829	14591	14593
7.	गुजरात	1087886	756857	1028832	759250	1036720	769397
8.	हरियाणा	712902	654894	747967	613627	747967	613627

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	232275	189600	197280	180398	240673	213229
10.	जम्मू और कश्मीर*	90100	74125	135899	116022	135899	116022
11.	झारखंड	105365	83963	105365	83963		
12.	कर्नाटक	487398	476055	496916	490729	496916	490729
13.	केरल	142915	206828	391591	354403	1278977	1238957
14.	मध्य प्रदेश	1035480	583867	1059783	606279	873958	559246
15.	महाराष्ट्र	2713456	2155696	582039	462828	2889948	2337064
16.	मणिपुर	38527	31404	38899	31516	42691	37571
17.	मेघालय	20343	19028	16076	11489	8100	9980
18.	मिजोरम	7482	7167	8661	8388	9274	9163
19.	नागालैण्ड*	44473	40542	39473	35542	39473	35542
20.	ओडिशा	211968	166593	212403	166833	224888	176698
21.	पंजाब	315447	263463	783170	632793	955621	750142
22.	राजस्थान	1509352	834873	1668206	951402	1817390	1083978
23.	सिक्किम*	3722	4077	4077	4339	4077	4339
24.	तमिलनाडु	903871	973884	1942122	1956454	1963760	2018789
25.	त्रिपुरा	125201	116507	127078	116932	130222	116820
26.	उत्तर प्रदेश	4091249	3361229	4495215	3564610	4467336	3371494
27.	उत्तराखंड	266071	233195	179510	153799	181645	160672
28.	पश्चिम बंगाल	2213336	1958704	4320061	4292202	2238745	2068845
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21345	20340	20212	19731	21122	20143
30.	चंडीगढ़	55094	46894	55734	47076	60234	51873
31.	दादरा और नगर हवेली	2273	1447	1750	1249	1982	1386
32.	दमन और दीव	1497	1407	1517	1426	1684	1456

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	1016781	887676	1084202	947717	1166599	1033600
34.	लक्षद्वीप	3385	2789	1175	1161	1038	1111
35.	पुदुचेरी	56977	54500	60449	59580	65449	63988
	भारत	19500346	15726313	21948935	18287914	23441156	19227082

*: इन राज्यों के 2009-10 के आंकड़े वर्ष 2010-11 में दुहराए गए हैं।

झारखंड ने वर्ष 2010-11 में नामांकन के आंकड़े स्कूल के प्रकार के आधार पर उपलब्ध नहीं कराए हैं।

उच्चतर माध्यमिक स्कूल वे स्कूल हैं जिनमें उच्चतम कक्षा XII तक है।

विवरण-IV

कक्षा I-V में नामांकन-अनुसूचित जाति छात्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	674318	664640	687649	674318	688025	669934
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम*	197661	189939	144206	141256	144206	141256
4.	बिहार	1313481	935323	1368496	98538	1521161	1217353
5.	छत्तीसगढ़	254915	23429	237790	220256	25254	232200
6.	गोवा	1422	1341	1033	1070	1142	1059
7.	गुजरात	235731	20554	231294	224708	231294	224708
8.	हरियाणा	331528	320928	395669	357383	350259	313142
9.	हिमाचल प्रदेश	88128	84101	91555	87036	90993	86681
10.	जम्मू और कश्मीर*	58328	51438	49616	42874	49616	4287

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	407258	386261	437955	408727	381126	364925
12.	कर्नाटक	559250	527784	550105	517509	540574	504930
13.	केरल	125604	118644	122439	115965	117204	111105
14.	मध्य प्रदेश	1095038	1009291	1095038	1009291	914165	885581
15.	महाराष्ट्र	801435	737419	780700	721535	767031	712644
16.	मणिपुर	490	4340	4896	4406	529	4986
17.	मेघालय	2862	2442	2759	2970	2750	2336
18.	मिजोरम	14	8	415	332	5	9
19.	नागालैण्ड*	141	115	0	0	0	0
20.	ओडिशा	456341	439531	44119'	423885	439488	422966
21.	पंजाब	472175	418228	54021S	468118	540215	468118
22.	राजस्थान	96614	812621	95639	81219	906750	794989
23.	सिक्किम*	3077	2911	3154	2943	3154	2943
24.	तमिलनाडु	766411	735053	7In320	744966	757535	726879
25.	त्रिपुरा	44984	43038	41851	40246	37379	35840
26.	उत्तर प्रदेश	3451494	330073S	3171033	3109371	3968653	3686572
27.	उत्तराखंड	160296	153050	149911	146757	150120	148105
28.	पश्चिम बंगाल	1251925	1199755	1379448	1332915	1129003	1044811
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	3720	327	3777	3212	4124	3529
31.	दादरा और नगर हवेली	334	28'	378	301	325	268
32.	दमन और दीव	294	246	415	344	35'	195
33.	दिल्ली	100360	85266	95990	81284	96603	85682

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	10614	1029	10627	104Jl	1065	10284
	भारत	13840193	12678158	13779333	12691973	14104361	12947010

विवरण-V

कक्षा I-V में नामांकन-अनुसूचित जनजाति छात्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	377190	354544	389008	365360	3964]0	37.1650
2.	अरुणाचल प्रदेश	82022	76118	86282	81954	88778	84121
3.	असम*	328138	314293	208254	208186	208254	208186
4.	बिहार	89336	60475	130551	72503	107790	73483
5.	छत्तीसगढ़	552735	517432	508558	474692	515217	480322
6.	गोवा	4468	4134	4396	4062	4876	4442
7.	गुजरात	604551	512704	634761	590277	634761	590277
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	18305	16971	18039	16885	17946	17016
10.	जम्मू और कश्मीर*	108458	95163	69940	59897	69940	59897
11.	झारखंड	839041	801018	884217	836201	776465	741070
12.	कर्नाटक	232047	216403	225607	211348	226014	212191
13.	केरल	22231	20840	22689	20953	22408	20447
14.	मध्य प्रदेश	1466919	1392217	1466919	1392217	1414673	1380106

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	695511	630722	692114	628135	699875	635160
16.	मणिपुर	69913	61675	72726	59113	74778	62123
17.	मेघालय	210838	214532	216654	220219	223494	22.1553
18.	मिजोरम	90311	83079	73087	66474	77608	71228
19.	नागालैण्ड*	138342	133963	107526	99190	107526	99190
20.	ओडिशा	685134	656627	679605	650906	684634	654098
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	692543	583800	712561	606189	725213	618299
23.	सिक्किम*	14974	15186	14915	15207	14915	15207
24.	तमिलनाडु	60872	56419	56121	51031	59409	54523
25.	त्रिपुरा	102832	96321	99751	93553	86356	81761
26.	उत्तर प्रदेश	78130	73924	74744	71647	79876	74630
27.	उत्तराखंड	24810	24588	24710	22484	26183	23128
28.	पश्चिम बंगाल	312169	297045	371314	360062	309164	299240
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1315	1196	1241	1171	1222	11
30.	चंडीगढ़	22	24	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	14172	13845	14211	13479	13516	12765
32.	दमन और दीव	1238	1097	1108	970	954	860
33.	दिल्ली	4605	2869	3117	2636	3361	2775
34.	लक्षद्वीप	3463	3529	3314	3320	3001	2846
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	भारत	7926641	7332753	7868040	7300321	767461	7177742

विवरण-VI

कक्षा IX-X में नामांकन-अनुसूचित जाति छात्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	203018	189610	207287	197748	200163	197436
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम*	33440	27431	38070	30595	38941	331571
4.	बिहार	99576	57202	107381	64919	131903	83826
5.	छत्तीसगढ़	41510	31723	39856	30961	48754	41577
6.	गोवा	260	305	269	315	325	287
7.	गुजरात	65954	42915	75110	52366	66952	46759
8.	हरियाणा	70598	62023	103448	96622	103448	96622
9.	हिमाचल प्रदेश	28430	26441	27537	26352	32216	30620
10.	जम्मू और कश्मीर*	11095	9458	12529	10683	12529	10683
11.	झारखंड	24675	14554	24675	14554	43604	35706
12.	कर्नाटक	139490	122295	149055	132273	146230	131932
13.	केरल	51712	48820	49638	48715	52886	51078
14.	मध्य प्रदेश	245745	143363	268831	151499	280162	162081
15.	महाराष्ट्र	239646	199624	246306	203546	244991	208201
16.	मणिपुर	1643	1591	1745	1648	1815	1693
17.	मेघालय	584	552	511	419	506	425
18.	मिजोरम	94	53	84	63	2	2
19.	नागालैण्ड*	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	76153	60561	82084	71418	87294	77110
21.	पंजाब	80002	73511	97493	91862	110004	104707

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	168187	87377	174293	95535	187021	111695
23.	सिक्किम*	273	283	329	326	329	326
24.	तमिलनाडु	244612	246072	248468	249271	250932	247020
25.	त्रिपुरा	9685	9244	11463	11146	12100	11751
26.	उत्तर प्रदेश	332065	223103	744331	507616	744712	508103
27.	उत्तराखंड	29095	18676	38000	27341	42652	35643
28.	पश्चिम बंगाल	226179	203824	258175	241933	264671	287152
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1166	1008	1208	1103	1314	1236
31.	दादरा और नगर हवेली	96	110	100	104	128	120
32.	दमन और दीव	172	136	183	153	142	127
33.	दिल्ली	24508	26168	28432	30055	39678	40649
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3575	3826	3588	3876	4165	4090
	भारत	2453238	1931859	3040479	2395017	3150569	2562228

विवरण-VII

कक्षा IX-X में नामांकन-अनुसूचित जनजाति छात्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	77984	65401	81536	69120	80213	71037

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	12856	11154	13338	11695	14222	12453
3.	असम*	56880	45746	54059	49023	50518	43742
4.	बिहार	6374	3634	11138	6027	9355	5519
5.	छत्तीसगढ़	85230	69067	84879	73545	98903	90308
6.	गोवा	1532	1496	1705	1628	1724	1666
7.	गुजरात	98636	73253	101633	79600	93108	83449
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6223	5729	6292	7878	7272	7075
10.	जम्मू और कश्मीर*	10052	7174	10324	6591	10324	6591
11.	झारखंड	52158	35081	52158	35081	83160	75326
12.	कर्नाटक	57278	48659	59776	52870	60619	53750
13.	केरल	4769	5066	5302	5402	5914	5997
14.	मध्य प्रदेश	152463	91884	175342	100552	185501	109389
15.	महाराष्ट्र	112888	74295	116026	75754	115406	77487
16.	मणिपुर	10576	8893	11208	9062	12315	10152
17.	मेघालय	23151	26085	22959	26639	23220	25804
18.	मिजोरम	13940	13713	14890	14993	15342	15691
19.	नागालैण्ड*	15585	15356	15585	15356	15585	15356
20.	ओडिशा	66557	48852	72991	58171	79148	68134
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	126225	69761	126688	77663	110891	77093
23.	सिक्किम*	1947	2310	2001	2565	2001	2565
24.	तमिलनाडु	9023	8312	12832	14745	10309	9282
25.	त्रिपुरा	15767	13084	17859	15569	19540	17038

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	9896	5622	22851	15618	19822	12998
27.	उत्तराखंड	5596	4669	6382	5795	6688	6490
28.	पश्चिम बंगाल	43836	33483	49086	40760	64580	60667
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	471	440	416	431	524	496
30.	चंडीगढ़	1	3	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	2529	1630	2546	1721	3245	2228
32.	दमन और दीव	257	238	266	254	339	285
33.	दिल्ली	977	895	1035	881	1212	1047
34.	लक्षद्वीप	1313	1178	1245	1219	1085	1106
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	भारत	1082970	792163	1154348	876208	1202085	970221

विवरण-VIII

कक्षा XI-XII में नामांकन-अनुसूचित जाति छात्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	162683	128744	162683	128744	144378	131354
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम*	8292	5609	10416	6797	10882	7420
4.	बिहार	35677	13521	45049	23379	66665	35586
5.	छत्तीसगढ़	21158	15056	25995	19210	28223	21152
6.	गोवा	141	178	236	257	214	217

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	34866	24145	39264	31944	40136	27065
8.	हरियाणा	36571	28255	55636	43747	55636	43747
9.	हिमाचल प्रदेश	18540	11437	18997	17852	22120	20199
10.	जम्मू और कश्मीर*	5169	4590	7008	5797	7008	5797
11.	झारखंड	6514	2312	6514	2312	10186	9812
12.	कर्नाटक	82976	72622	83578	75467	83578	75467
13.	केरल	2268	2386	24306	32611	27888	33852
14.	मध्य प्रदेश	112045	64126	126512	72120	137368	90216
15.	महाराष्ट्र	180809	139623	197624	149849	201088	150641
16.	मणिपुर	468	367	495	478	523	512
17.	मेघालय	107	152	98	87	106	93
18.	मिजोरम	33	18	62	58	3	2
19.	नागालैण्ड*	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	22950	15356	28492	19030	31300	20906
21.	पंजाब	41283	35665	49057	43200	56399	51749
22.	राजस्थान	73840	33046	102488	49545	119796	61646
23.	सिक्किम*	158	151	181	172	181	172
24.	तमिलनाडु	124558	142934	131044	148847	125985	153070
25.	त्रिपुरा	4803	3558	4706	3300	5337	3734
26.	उत्तर प्रदेश	173417	105614	261274	19ti546	328296	220120
27.	उत्तराखंड	13854	7872	18047	13578	22936	18910
28.	पश्चिम बंगाल	104130	66768	134458	91446	124268	95626
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	1064	972	1399	1266	1467	1331
31.	दादरा और नगर हवेली	54	53	65	48	64	65
32.	दमन और दीव	82	83	83	79	112	112
33.	दिल्ली	17213	18350	20109	21525	23682	25613
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1873	2137	2048	2392	1949	2373
	भारत	1287596	945700	1557924	1201683	1677794	1310559

विवरण-IX

कक्षा XI-XII में नामांकन-अनुसूचित जनजाति छात्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 (अनंतिम)		2009-10 (अनंतिम)		2010-11 (अनंतिम)	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	63027	36829	63027	36829	58131	41422
2.	अरुणाचल प्रदेश	7129	5661	8120	6877	9103	8008
3.	असम*	16443	11204	17781	11798	17267	12194
4.	बिहार	5400	2101	6046	3256	6890	3626
5.	छत्तीसगढ़	36358	26371	46559	33877	50790	38661
6.	गोवा	521	499	775	744	1027	1052
7.	गुजरात	43579	31451	40979	32833	52040	41973
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4361	3489	5395	4975	6129	5415
10.	जम्मू और कश्मीर*	3527	3302	6560	4152	6560	4152

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	8535	5006	8535	5006	19918	16649
12.	कर्नाटक	29409	23131	30369	24578	30369	24578
13.	केरल	214	242	2938	3486	1482	1558
14.	मध्य प्रदेश	74082	41795	87828	49492	97620	63329
15.	महाराष्ट्र	85173	65771	93094	71895	94725	72285
16.	मणिपुर	2773	2191	2909	2372	3112	2683
17.	मेघालय	4032	4756	3814	5710	5264	6504
18.	मिजोरम	7354	7026	8476	8238	9105	9029
19.	नागालैण्ड*	10269	9227	10269	9227	10269	9227
20.	ओडिशा	*24178	16496	29889	20256	31596	21413
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	51159	24003	71235	37163	50348	31758
23.	सिक्किम*	1269	1587	1371	1664	1371	1664
24.	तमिलनाडु	4118	3912	5013	4306	4986	5122
25.	त्रिपुरा	5269	3945	5767	4028	5611	3915
26.	उत्तर प्रदेश	5011	2957	9753	7370	12322	7890
27.	उत्तराखंड	3540	2420	4269	4004	4603	4442
28.	पश्चिम बंगाल	17100	9424	21333	12774	35318	23063
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	292	478	309	381	303	342
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1563	800	1142	665	1153	683
32.	दमन और दीव	125	118	125	121	129	155

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	81	759	882	873	1022	970
34.	लक्षद्वीप	1012	1034	1152	1138	984	1056
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	भारत	517641	347990	595714	410088	629547	464818

केरल और उत्तर प्रदेश में नए आई.आई.टी.

2706. योगी आदित्यनाथः

श्री के. सुधाकरणः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित नए आई.आई.टी. में से एक की स्थापना के लिए केरल और उत्तर प्रदेश को चुना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने प्रस्तावित आई.आई.टी. कैम्पस के लिए अपेक्षित भूमि के आवंटन सहित अपने हिस्से की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आई.आई.टी. के प्रस्तावित स्थानों के लिए निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जीवन का न्यूनतम स्तर

2707. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

श्री पी. करूणाकरनः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बारहवीं योजना दृष्टिपत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम जीवन स्तर देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं;

(ग) बारहवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा और रोजगार के सार्वभौमिकरण के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है;

(घ) क्या बारहवीं योजना के दौरान रोजगार गारंटी कार्यक्रम के दायरे को शहरी क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रस्ताव करती है और तदनुसार 'तीव्र, धारणीय तथा और अधिक समावेशी विकास' पर ध्यानकेंद्रण करती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रस्तावित उपायों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दर्शाया गया है, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस दस्तावेज को योजना आयोग की वेबसाइट http://planningcommission.gov.in पर देखा जा सकता है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शिक्षा

2708. श्री नीरज शेखरः

श्री यशवीर सिंहः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षा के विकास के लिए आवंटित, जारी और व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा है;

(ख) क्या सरकार ने मार्च, 2013 तक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 260 नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अभी तक खोले गए विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान देश के 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुल परिव्यय और किए गए खर्च को दर्शाने वाला संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 2012-13 में अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए 258 नए प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए गए थे जिनमें से 31.12.2012 तक 172 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए। राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए शैक्षिक अवसरों का संवर्धन करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूलों, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, अतिरिक्त शिक्षकों, बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कक्षा I-VIII तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, जिनमें उर्दू माध्यम के स्कूलों में उर्दू पाठ्य पुस्तकें भी शामिल हैं, बालिकाओं और गरीबी रेखा से नीचे के बालकों को निःशुल्क वर्दियों का प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

121 अल्पसंख्यक जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल परिव्यय और खर्च

राज्य	जिलों की संख्या	सर्वशिक्षा अभियान के तहत निधियों का आवंटन	31.12.2012 तक व्यय
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2803.02	1528.74
आन्ध्र प्रदेश	1	16182.94	9334.17
अरुणाचल प्रदेश	7	25769.92	8692.35
असम	13	128425.99	56486.40
बिहार	7	204929.10	73520.84
दिल्ली	2	3935.07	2393.59
गोवा	1	1280.88	943.47

1	2	3	4
हरियाणा	2	23366.73	8235.37
हिमाचल प्रदेश	2	1042.66	771.25
जम्मू और कश्मीर	1	3246.22	2824.81
झारखंड	4	44710.57	6235.41
कर्नाटक	3	27047.39	1449.19
केरल	14	40967.57	36369.19
मध्य प्रदेश	I	5144.48	348.01
महाराष्ट्र	9	51860.60	19071.59
मणिपुर	6	33370.91	4615.72
मेघालय	1	9064.48	3081.92
मिज़ोरम	2	7501.36	2470.29
ओडिशा	1	6452.63	3226.32
पुदुचेरी	I	152.08	129.27
राजस्थान	1	9302.86	1810.59
सिक्किम	4	6007.48	2180.11
तमिलनाडु	I	2047.17	655.10
उत्तर प्रदेश	21	281151.56	266530.28
उत्तराखंड	2	11024.77	4203.39
पश्चिम बंगाल	12	480430.47	228382.04

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत प्राथमिक स्कूल	31.12.2012 तक की स्थिति
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	60

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत प्राथमिक स्कूल	31.12.2012 तक की स्थिति
3.	दिल्ली	2	0
4.	मध्य प्रदेश	3	3
5.	मणिपुर	63	63
6.	उत्तराखंड	15	15
7.	पश्चिम बंगाल	100	16
	कुल	258	172

आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं पर हमला

2709. **शेख सैदुल हक:**

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

डॉ. रामचन्द्र डोम:

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

श्री नित्यानंद बुन्देला:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में आर.टी.आई. कार्यकताओं पर हमले, धमकी तथा हत्या की बढ़ती हुई घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं के राज्य-वार ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं तथा व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे और इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि कथित रूप से आर.टी.आई. कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के कारण कुछ लोगों की हत्या की गई है।

(ख) आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों से निपटने के लिए अलग नीति की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता आदि जैसा मौजूदा कानूनी ढाँचा आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं सहित सभी नागरिकों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु पर्याप्त है। इसके अलावा, आर.टी.आई. कार्यकर्ता और सूचना प्रदान करने वाले को दिनांक 27.12.2011 को लोक सभा द्वारा पारित और वर्तमान में राज्य सभा में विचाराधीन "सूचना प्रदाता विधेयक, 2011" के तहत भी संरक्षण मिलेगा।

कानून व्यवस्था बनाए रखना और सभी नागरिकों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार का विषय है। भारत सरकार ने प्रशासन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए आर.टी.आई. का प्रयोग करने वाले लोगों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में मीडिया में आ रही रिपोर्टों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि अगर ऐसी घटना उनके ध्यान में आती है, तो इसकी तुरन्त जांच करें और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

उड़ानों का विलंब/रद्द किया जाना

2710. **श्री ए.के.एस. विजयन:**

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सार्वजनिक एवं निजी कैरियरों द्वारा उड़ानों में अनिर्धारित विलंब तथा उड़ानों के रद्द किए जाने, जिससे विमान यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान एअर इंडिया सहित कैरियर-वार उठाई गई राजस्व हानि कितनी रही;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में यात्रियों अथवा यात्री संघों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(घ) क्या ऐसे मामलों में यात्रियों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो मामला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, तथा साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2012 के दौरा सरकारी तथा निजी एयरलाइनों की उड़ानों के रद्द होने से संबंधित संलग्न विवरण में दिया गया है। ये उड़ानें तकनीकी, प्रचालनिक, मौसम, ए.टी.सी. वाणिज्यिक, कारणों इत्यादि की वजह से रद्द की गई थीं।

(ग) अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 तथा 2012 के दौरान टिकट धनवापसी, गुम सामान, कर्मचारियों का दुर्व्यवहार, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित तथा विविध शिकायतों संबंधी विवरण नीचे दिया गया है।

एयरलाइन	2010 मार्च के पश्चात	2011	2012
एअर इंडिया	692	1244	1220
किंगफिशर	1716	1846	355*
इण्डिगो	1930	2595	1971
जेट लाईट	1166	782	497
गो एअर	989	1207	985
स्पाईस जेट	2155	1860	1121
जेट एअरवेज	4975	3351	1678
पैरामाउंट	90#		

(*22 अक्तूबर, 2012 से परमिट निरस्त किया गया है)

(#अगस्त 2010 से प्रचालन बन्द है)

(घ) विमान द्वारा वहन यात्री तथा वाहक के मध्य एक संविदात्मक मामला है। अतः सरकार इस प्रकार के मामलों में यात्री को दिए गए मुआवजे का रिकार्ड नहीं रखती है।

(ङ) यात्रियों द्वारा सीधे ही एयरलाइनों के पास शिकायतें दायर की जाती हैं तथा सामान्य स्थिति में नागर विमानन महानिदेशालय ऐसे मामलों से सम्बद्ध नहीं होता। तथापि कुछ यात्री अपनी शिकायतें नागर विमानन महानिदेशालय के साथ भी उठाते हैं। ऐसी शिकायतें को दूर करने के लिए संबंधित एयरलाइन के साथ कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान रद्द उड़ानें

	जनवरी-12	फरवरी-12	मार्च-12	अप्रैल-12	मई-12	जून-12	जुलाई–12	अगस्त-12	सितंबर-12	अक्टूबर-12	नवंबर-12	दिसंबर-12
एअर-इंडिया	442	359	320	462	316	182	282	144	207	302	171	274
जेट एयरवेज़	163	85	114	75	97	75	156	372	205	34	72	220
जेटलाइट	69	13	77	18	236	42	54	85	45	7	26	90
किंगफ़िशर	123	221	262	107	115	115	212	175	133	कोई प्रचालन नहीं	कोई प्रचालन नहीं	कोई प्रचालन नहीं
स्पाइसजेट	105	94	106	29	68	13	173	113	235	360	121	190
गो एअर	70	17	13	4	14	34	47	24	24	11	34	43
इंडिगो	61	14	15	5	8	6	15	35	64	19	33	68
एयर मंत्रा	-	-	-	-	-	-	-	40	44	74	16	37

[हिन्दी]

निधियों का उपयोग

2711. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन जैसी केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग केवल महाराष्ट्र राज्य में ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के अनुमोदन से लोगों द्वारा चलाए जा रहे गैर-वाणिज्यिक पब्लिक स्कूलों के 50 प्रतिशत से अधिक को सहायता मुहैया करवाई जानी शेष है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों, स्कूल अनुदानों और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे कुछ ही हस्तक्षेपों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं हैं।

जन शिक्षण संस्थान

2712. **श्रीमती सुशीला सरोज:**

श्री हर्ष वर्धन:

श्री महेश्वर हजारी:

श्रीमती ऊषा वर्मा:

श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जन शिक्षण संस्थान (जे.एस.एस.) खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में कार्य कर रहे जे.एस.एस. की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्थापित जे.एस.एस. की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले में ऐसे जे.एस.एस. की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) स्कीम के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई पंजीकृत सोसायटी या कोई सार्वजनिक न्यास अथवा कोई लाभ न कमाने वाली कंपनी जो कम से कम पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में है और जिसका पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष का न्यूनतम वार्षिक कारोबार 5 लाख रु. तक हो, इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र है।

(ख) कुल 271 जन शिक्षण संस्थान स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से आज की तारीख में 252 जे.एस.एस. काम कर रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान, कोई नया जे.एस.एस. स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रत्यक्ष नकद अंतरण के माध्यम से संवितरण

2713. **श्री अनंतकुमार हेगड़े:**

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ 'ललन' सिंह:

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 2013 की समाप्ति तक प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना के अंतर्गत संवितरित निधियों की कुल राशि कितनी है;

(ख) विभिन्न योजनाओं में योजना-वार इससे लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या चयनित जिलों में बड़ी संख्या में पात्र बी.पी.एल. व्यक्ति उक्त योजना के लाभों से वंचित हैं क्योंकि उनके पास न तो बैंक खाता है और न ही आधार नंबर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) रॉलआउट 1 जनवरी, 2013 से 43 जिलों एवं 26 चिन्हित स्कीमों जिनमें छात्रवृत्ति, हकदारी एवं अन्य लाभ शामिल है, में शुरु किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत वितरित की गई निधियों को कुल धनराशि 10.37 करोड़ रु. है, 01 जनवरी से 04 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए स्कीम-वार विस्तृत रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) डी.बी.टी. के अंतर्गत कुछ चिन्हित स्कीमों में लाभान्वित हुए व्यक्तियों की कुल संख्या का स्कीम-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मंत्रालय का नाम	स्कीम का नाम	डी.बी.टी. के अंतर्गत लाभान्वित हुए लाभार्थियों की कुल सं.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय-उच्च शिक्षा	विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	33403
	यू.जी.सी. की फैलोशिप स्कीमें	4971
एच.आर.डी. मंत्रालय-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता	राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम (एन.एम.एम.एस.एस.)	42
	सेकिंडरी शिक्षा हेतु बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय (एन.एस.आई.जी.एस.ई.)	138
जनजातीय कार्य मंत्रालय	अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकमोत्तर छात्रवृत्रि	31651
	अ.ज.जा. छात्रों हेतु टॉप क्लास शिक्षा	13
	अ.ज.जा. के व्यक्तियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप	64
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	जननी सुरक्षा योजना	1234
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष स्कूलों में बच्चों के लिए वजीफा	2067
	कोचिंग दिशानिर्देश एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अ.ज.जा. के रोजगार तलाशने वालों के कल्याण की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को वजीफा	1411
	वाम मार्गी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) द्वारा प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा	12
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति स्कीम	38
	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम	297
कुल		75341

(ग) और (घ) उच्च आधार नामांकन एवं बैंकों की वृहत कवरेज के आधार पर डी.बी.टी. रॉलआउट के लिए 43 जिलों एवं 26 स्कीमों को चुना गया है। तथापि लाभार्थी जिनके पास आधार संख्या एवं बैंक खाता नहीं है उन्हें उनके लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा और उन्हें हकदारी पहले की भांति मिलती रहेगी।

विवरण

1 जनवरी, 2013 से 4 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए एम.ए.सी.एच. ए.पी.बी. स्कीम-वार विस्तृत रिपोर्ट

स्कीम/राज्य	निवल राशि (रु.)
धनलक्ष्मी स्कीम	2,205,350.00
पंजाब	2,205,350.00
यू.जी.सी. की फैलोशिप स्कीम	1,784,000.00
पुदुचेरी	1,784,000.00
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	3,277,902.00
चण्डीगढ़	2,834,500.00
महाराष्ट्र	108,000.00
पंजाब	902.00
राजस्थान	334,500.00
जननी सुरक्षा योजना (जे.एन.वाई.)	**93,800.00**
आन्ध्र प्रदेश	4,000.00
मध्य प्रदेश	68,800.00
महाराष्ट्र	2,100.00
राजस्थान	18,900.00

स्कीम/राज्य	निवल राशि (रु.)
अल्पसंख्यकों हेतु योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति	**60,147.00**
चण्डीगढ़	147.00
राजस्थान	60,000.00
राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (एन.सी.एल.पी.)	**9,122,309.00**
आन्ध्र प्रदेश	1,087,856.00
झारखण्ड	7,975,353.00
कर्नाटक	3,900.00
मध्य प्रदेश	48,600.00
महाराष्ट्र	6,600.00
ओ.बी.सी. छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	**13,153,813.00**
दिल्ली	274,240.00
हरियाणा	3,424,945.00
मध्य प्रदेश	5,119,429.00
महाराष्ट्र	4,143,199.00
पुदुचेरी	192,000.00
एस.सी. हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	71,184,775.00
आन्ध्र प्रदेश	35,454.00
दमन और दीव	11,700.00
दिल्ली	2,313,800.00
हरियाणा	37,453,309.00
कर्नाटक	74,010.00

स्कीम/राज्य	निवल राशि (रु.)
मध्य प्रदेश	2,030,841.00
महाराष्ट्र	3,581,327.00
पुदुचेरी	841,511.00
पंजाब	24,378,910.00
राजस्थान	463,913.00
एस.टी. हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	**200,336.00**
कर्नाटक	4,600.00
मध्य प्रदेश	195,736.00
जनजाति हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	**823,308.00**
मध्य प्रदेश	823,308.00
अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	**101,750.00**
महाराष्ट्र	101,750.00
एस.सी. हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	**1,228,020.00**
कर्नाटक	14,100.00
राजस्थान	1,213,920.00
राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप	**535,400.00**
पुदुचेरी	535,400.00
विश्वविद्यालय एवं कॉलेज छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	**18,900.00**
महाराष्ट्र	18,900.00
कुल जोड़	103,789,810.00

आर.टी.आई. का दायरा

2714. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. को आर.टी.आई. अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सी.बी.आई. की तरह ही छूट प्राप्त मंत्रालयों और संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने सी.बी.आई. को आर.टी.आई. के दायरे से छूट प्रदान करने का अनन्य निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में आयोग के निर्णय का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, इसके फलस्वरूप, भ्रष्टाचार के आरोपों तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सूचना के सिवाय इसे अधिनियम के दायरे से मुक्त रखा गया है। सरकार ने इस बात से संतुष्ट होकर कि यह (ब्यूरो) एक सुरक्षा तथा आसूचना संगठन है, अत: राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक समझते हुए इसे दूसरी अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

(ग) वर्तमान में, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित पच्चीस (25) संगठनों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में रखा गया है। इन संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) दूसरी अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है।

विवरण

दूसरी अनुसूची

(07.03.2013 की स्थिति के अनुसार)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय का अनुसंधान और विश्लेषण खंड।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमान्त बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।
11. भारत-तिब्बत सीमा बल।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
14. असम राइफल्स।
15. सशस्त्र सीमा बल।
16. आय-कर महानिदेशालय (अन्वेषण)।
17. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन।
18. वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत।
19. विशेष संरक्षा ग्रुप।
20. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन।
21. सीमा सड़क विकास बोर्ड।
22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय।
23. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
24. राष्ट्रीय जांच एजेंसी।
25. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड।

उत्तर प्रदेश में तकनीकी संस्था खोलना

2715. डॉ. संजय सिंह:

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ख) ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश में जिन स्थानों पर ऐसे संस्थान स्थापित किए गए उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन संस्थानों को उत्तर प्रदेश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा सहायता नहीं प्रदान करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाएं (सी.एफ.टी.आई.) कार्य कर रही है।

सी.एफ.टी.आई. का नाम	स्थान का नाम
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)	कानपुर और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.)	इलाहाबाद
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.)	लखनऊ
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.)	इलाहाबाद

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 10(ट) के प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा स्थापित नए तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करती हैं। कौशल विकास के लिए समन्वय कार्रवाई के अन्तर्गत पॉलीटेकनिक पर उप-मिशन के अन्तर्गत भी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को देश के असेवित जिलों/कम सेवित जिलों में पॉलीटेकनिक स्थापित करने की लागत को पूरा करने के लिए 12.30 करोड़ रु. प्रति पॉलीटेकनिक की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है बशर्ते कि यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, 12.30 करोड़ से अधिक की राशि हो तो 100 प्रतिशत आवर्ती और अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए खर्च वहन करे और निःशुल्क भूमि प्रदान करती हो। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 41 जिलों को पहले से आंशिक सहायता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में उपर्युक्त केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाओं को 275.50 करोड़ रु. तक की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त पॉलीटेकनिकों पर उप-मिशन के अन्तर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य को 411.71 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

शहरी विकास योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2716. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी परियोजनाओं का शहर और राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो विदेशी सहायता से देश में क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सहायता के साथ किए गए कार्य का शहर और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) जी हां। सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग

प्राधीकृत सरकारी ऋण 2008-2009 से 2012-2013

(हजारों में)

समझौता राशि

ऋणदाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा/सहमति तिथि		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
सामान्य							
एशिया विकास बैंक	यू.एस.डी.		60,000.00	30,000.00	0.00	81,000.00	100,000.00
		आई.एन.आर.	2,744,526.30	1,423,789.41	0.00	3,874,032.77	5,438,625.90
ए.एस. असम	यू.एस.डी.		0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	3,874,032.77	0.00
2806-भारत असम शहरी अवसंरचना निवेश कार्यक्रम परियोजना-1	यू.एस.डी.	आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	3,874,032.77	0.00
1. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	3,874,032.77	0.00
सी.एन. केन्द्र सरकार	यू.एस.डी.		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	1,423,789.41	0.00	0.00
2528-भारत राष्ट्रीय पूर्वी क्षेत्र	यू.एस.डी.	04-08-2009	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

राजधानी शहर विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना							
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	1,423,789.41	0.00	0.00
2. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	1,423,789.41	0.00	0.00	0.00
यू.आर. उत्तराखंड	यू.एस.डी.		60,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		आई.एन.आर.	2,744,526.300	0.00	0.00	0.00	5,438,625.90
2410-भारत उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	यू.एस.डी.	23-10-2008	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	2,744,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	2,744,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2797-भारत उत्तराखंड क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	यू.एस.डी.	31-01-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,625.90
4. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,625.90
जी.ओ.जे.पी. जापान	जे.पी.वाई.		97,109,000.00	116,893,000.00	0.00	147,749,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	44,408,139.92	59,734,894.65	0.00	89,591,299.88	0.00

ऋणदाता, राज्य, ऋण क्षेत्र		ऋण मुद्रा/सहमति तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
सी.एन. केन्द्र सरकार	जे.पी.वाई.		97,109,000.00	116,893,000.00	0.00	147,749,000.00	0.00
		आई.एन.आर	44,408,139.92	59,734,894.65	0.00	89,591,299.88	0.00
आई.डी.पी.-197 चेन्नई मेट्रो	जे.पी.वाई.	21/11/2008	16,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर	7,756,299.22	0.00	0.00	0.00	0.00
5. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	16,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	7,756,299.22	0.00	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-197ए चेन्नई मेट्रो परियोजना	जे.पी.वाई.	21/11/2008	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	1,095,238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
6. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर	1,095,238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-202 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 (IV)	जे.पी.वाई.	31/03/2009	76,229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	34,859,674.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	76,229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर	34,859,674.16	0.00	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-202ए दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 (IV)	जे.पी.वाई.	31/03/2009	1,524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		आई.एन.आर.	696,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00
8. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	1,524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	696,928.25	0.00	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-206 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 (V)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	33,632,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	17,186,691.90	0.00	0.00	0.00
9. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.	0.00	0.00	33,632,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	17,186,691.90	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-206ए दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 (V)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	4,088.18	0.00	0.00	0.00
10. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	4,088.18	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-207 कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	22,809,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	11,655,900.80	0.00	0.00	0.00
11. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	22,809,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	11,655,900.80	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-207ए कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00

ऋणदाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा/सहमति तिथि		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
12. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	5,93,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	303,036.05	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-208 चेन्नई मेट्रो परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	55,646,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	28,436,330.21	0.00	0.00	0.00
13. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	55,646,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	28,436,330.21	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-208ए चेन्नई मेट्रो परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	4,205,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	2,148,847.51	0.00	0.00	0.00
14. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	4,205,000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	2,148,847.51	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-220 बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	16/06/2011	0.00	0.00	0.00	13,897,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	8,426,793.38	0.00
15. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	0.00	0.00	13,897,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	8,426,793.38	0.00
आई.डी.पी.-220ए बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	16/06/2011	0.00	0.00	0.00	5,935,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	3,598,835.63	0.00

16. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	0.00	0.00	5,935,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	3,598,835.63	0.00
आई.डी.पी.-222 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 3	जे.पी.वाई.	29/03/2012	0.00	0.00	0.00	126,214,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	76,533,014.25	0.00
17. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	0.00	0.00	126,214,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	76,533,014.25	0.00
आई.डी.पी.-222ए दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 3	जे.पी.वाई.	29/03/2012	0.00	0.00	0.00	1,703,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	1,032,656.63	0.00
18. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	0.00	0.00	0.00	1,703,000.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	1,032,656.63	0.00
आई.डी.ए. आई.डी.ए.	**एक्स.डी.आर.**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,100..00**	**0.00**
		आई.एन.आर.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,790,630.84**	**0.00**
सी.एन. केन्द्र सरकार	एक्स.डी.आर.		0.00	0.00	0.00	37,100..00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	2,790,630.84	0.00
4997-आई.एन. शहरी विकास परियोजना के लिए क्षमता निर्माण	एक्स.डी.आर.	08/12/2011	0.00	0.00	0.00	37,100..00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	2,790,630.84	0.00

ऋणदाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा/सहमति तिथि		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
19. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		एक्स.डी.आर.	0.00	0.00	0.00	37,100..00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	2,790,630.84	0.00
एशिया विकास बैंक	**यू.एस.डी.**		**221,000.00**	**0.00**	**186,000.00**	**0.00**	**0.00**
		आई.एन.आर.	**10,109,005.21**	**0.00**	**8,471,622.77**	**0.00**	**0.00**
के.एन. कर्नाटक	यू.एस.डी.		0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	5,602,202.16	0.00	0.00
2638-भारत उत्तर कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परियोजना 2	यू.एस.डी.	18/12/2010	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	5,602,202.16	0.00	0.00
20. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	5,602,202.16	0.00	0.00
म.प्र. मध्य प्रदेश	यू.एस.डी.		71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	3,247,689.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2456-भारत मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति और पर्यावरणीय सुधार परियोजना (आपूर्ति)	यू.एस.डी.	10/11/2008	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	3,247,689.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	3,247,689.46	0.00	0.00	0.00	0.00
राज राजस्थान	यू.एस.डी.		150,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	6,861,315.75	0.00	2,869,420.62	0.00	0.00
2506-भारत राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-2	यू.एस.डी.	18/02/2009	150,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	6,861,315.75	0.00	2,869,420.62	0.00	0.00
22. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	150,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	6,861,315.75	0.00	2,869,420.62	0.00	0.00
7525-भारत राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम परियोजना-3	यू.एस.डी.	17/03/2011	150,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	2,869,420.62	0.00	0.00
23. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	2,869,420.62	0.00	0.00
जी.ओ.डी.ई. जर्मनी	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497,992.20
ओ.आर. ओडिशा	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497,992.20
2167623 ई. पर्यावरण संबंधित शहरी अवसंरचना विकास ओडिशा	ई.यू.आर.	02/08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00

ऋणदाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा/सहमति तिथि		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,.096.49
24. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		ई.यू.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,.096.49
2167623 ई. पर्यावरण संबंधित शहरी अवसंरचना विकास ओडिशा	ई.यू.आर.	02/08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	1,5000.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,397.66
25. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	ई.यू.आर.	02/08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	1,5000.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,397.66
6282843 ई. पर्यावरण संबंधित शहरी अवसंरचना विकास ओडिशा	ई.यू.आर.	02/08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	174,899.61
26. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		ई.यू.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	174,899.61
997707 ई. पर्यावरण संबंधित शहरी अवसंरचना विकास ओडिशा	ई.यू.आर.	02/08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	699,598.44
27. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	ई.यू.आर.	02/08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	699,598.44

जी.ओ.एफ.आर. फ्रांस	**ई.यू.आर.**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,100.00**	**0.00**
		आई.एन.आर.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,677,977.57**	**0.00**
राज स्थान	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	4,677,977.57	0.00
एफ.आर.जी.एल.046ई. जोधपुर-राज के लिए शहरी जलापूर्ति स्कीम का पुनर्गठन	ई.यू.आर.	02/02/2012	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	4,677,977.57	0.00
28. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		ई.यू.आर.	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	0.00	4,677,977.57	0.00
जी.ओ.जे.पी. जापान	**जे.पी.वाई.**		**42,027,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		आई.एन.आर.	**19,219,031.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
आ.प्र. आन्ध्र प्रदेश	जे.पी.वाई.		42,027,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	19,219,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-198 हैदराबाद बाहरी मुद्रिका परियोजना (चरण-II)	जे.पी.वाई.	21/11/2008	41,191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	18,836,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00
29. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	41,191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	18,836,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-198ए हैदराबाद बाहरी मुद्रिका परियोजना (चरण-II)	जे.पी.वाई.	21/11/2008	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ऋणदाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा/सहमति तिथि		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
		आई.एन.आर.	382,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		जे.पी.वाई.	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	382,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00
आई.बी.आर.डी. आई.बी.आर.	यू.एस.डी.		0.00	405,230.00	430,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	19,232,072.75	19,584,934.37	0.00	0.00
आ.प्र. आन्ध्र प्रदेश	यू.एस.डी.		0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	14,237,894.10	0.00	0.00	0.00
7816-आई.एल. आन्ध्र प्रदेश नगर निगम परियोजना	यू.एस.डी.	22/01/2010	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	14,237,894.10	0.00	0.00	0.00
31. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	14,237,894.10	0.00	0.00	0.00
एम.एस. बहु-राज्य	यू.एस.डी.		0.00	105,230.00	430,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	4,994,178.65	19,584,934.37	0.00
7818-आई.एन. सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना	यू.एस.डी.	05/02/2010	0.00	105,230.00	430,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	4,994,178.65	0.00	0.00	0.00
32. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.	05/02/2010	0.00	105,230.00	430,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	4,994,178.65	0.00	0.00	0.00

7914-आई.एन. मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2ए	यू.एस.डी.	23/07/2010	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	19,584,934.37	0.00	0.00
33. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास		यू.एस.डी.	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		आई.एन.आर.	0.00	0.00	19,584,934.37	0.00	0.00
सकल योग (आई.एन.आर.)			76,480,702.58	80,390,756.81	28,056,557.14	100,933,941.06	8,936,618.10

नोट:

उपयोग नहीं की गई धनराशि की समाप्ति के परिणाम स्वरूप ऋण धनराशि की संख्या परिवर्तित हो सकती है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों के आंकड़े अस्थाई हैं।

भारतीय रु. का मूल्य आर.बी.आई. के वित्त वर्ष, जिसमें प्रमाणिकता ली गई है, के वार्षिक औसत विनिमय दर परिवर्तित किया गया है।

(i) सकल योग भारतीय रुपये के हजार में मूल्य को दर्शाती है।

(ii) ऋण मुद्राओं को सारांशिकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विभिन्न मुद्राओं में हैं। तथापि ऋण मुद्राओं का सारांश इस प्रकार है:

सकल योग (यू.एस.डी.)	281,000.00	435,230.00	616,000.00	81,000.00	100,000.00
सकल योग (ई.यू.आर.)	0.00	0.00	0.00	71,000.00	50,000.00
सकल योग (जे.पी.वाई.)	139,136,000.00	116,893,000.00	0.00	147,749,000.00	0.00
सकल योग (एक्स.डी.आर.)	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00

सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग

प्राधिकृत सरकारी अनुदान 2008-2009 से 2012-2013

(हजारों रु. में)

करार धनराशि

ऋणदाता, राज्य, लोन, सेक्टर	वर्तमान ऋण की तिथि	सहमति	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
जी.ओ.डी.ई. जर्मनी	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	174,899.61
ओ.आर. ओडिशा	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	174,899.61
5790678ई पर्यावरण संबंधी शहरी अवसंरचना विकास ओडिसा	ई.यू.आर.	02/08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	174,899.61
यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	174,899.61
यू.ओ.यू.के. यूनाईटेड किंगडम	ई.यू.आर.		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	3,792,090.10	0.00	0.00	0.00
बी.आई. बिहार	जी.बी.पी.		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	3,792,090.10	0.00	0.00	0.00

यू.के. जी.जी.077 बिहार अनुदान 2009 में शहरी सुधारों के लिए सहायता कार्यक्रम	जी.बी.पी.	05/3/2010	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	3,792,090.10	0.00	0.00	0.00
2. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जी.बी.पी.		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	3,792,090.10	0.00	0.00	0.00
आई.बी.आर.डी. आई.बी.आर.डी.	**यू.एस.डी.**		**0.00**	**20,330.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	आई.एन.आर.		**0.00**	**964,854.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
एम.एस. विभिन्न राज्य	यू.एस.डी.		0.00	20,330.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	964,854.62	0.00	0.00	0.00
टी.एफ. 095549 सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना	यू.एस.डी.	05/02/2010	0.00	20,330.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	964,854.62	0.00	0.00	0.00
सकल योग (आई.एन.आर.)			0.00	4,756,944.72	0.00	0.00	174,899.61

नोट:

अप्रयुक्त राशि को रद्द करने की स्थिति में ऋण राशि की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

अंतिम 2 वित्तीय वर्ष के आंकड़े अनंतिम है।

संवितरण की तिथि की कीमत के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इंड़िया की विनिमय दर पर भारतीय रुपए (आई.एन.आर.) के रूप में परिवर्तित किया गया है।

(i) सकल योग हजारों में भारतीय रुपए की कीमत दर्शाती है।

(ii) ऋण मुद्रा को सारांशित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विभिन्न मुद्राओं में हैं। तथापि ऋण मुद्राओं का सारांश निम्नानुसार है:

सकल योग (ई.यू.आर.)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
सकल योग (जी.बी.पी.)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
सकल योग (यू.एस.डी.)	0.00	20,330.00	0.00	0.00	0.00

(राशि हजार में)

(राशि हजार में)

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
सामान्य							
ए.डी.बी. एशियाई विकास बैंक	यू.एस.डी.		170,077.82	141,767.42	91,963.57	84,446.44	48,781.28
	आई.एन.आर.		7,958,867.13	6,748,440.35	4,158,637.32	4,049,401.41	2,758,794.54
ए.एस. असम	यू.एस.डी.		0.00	0.00	0.00	0.00	467.26
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	25,747.52
2806-आई.एल.डी. असम शहरी अवसंरचना निवेश परियोजना-I	यू.एस.डी.	09/03/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	467.26
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	25,747.52
1. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		000	000	000	000	467.26
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	25,747.52
सी.एन. केन्द्र सरकार	यू.एस.डी.		0.00	0.00	3,408.06	4,039.87	1,140.72
	आई.एन.आर.		000	0.00	154,609.86	195,399.75	98,613.40
2528-आई.एन.डी. राष्ट्रीय पूर्वी क्षेत्रीय कैपीटल स्टीज विकास निवेश प्रोग्राम परियोजना-I	यू.एस.डी.	04/08/2009	0.00	0.00	3,408.06	4,039.87	1,140.72
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	154,609.86	195,399.75	98,613.40
2. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		000	000	3,408.06	4,039.87	1,140.72
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	154,609.86	195,399.75	98,613.40

जे.के. जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.डी.		44,373.83	59,387.51	41,986.76	47,158.06	22,727.92
	आई.एन.आर.		2,113,16309	2,788,521.46	1,895,150.44	2,283,640.10	1,278,071.89
2151-आई.एन.डी. जम्मू कश्मीर में अवसंरचना पुनर्स्थापना परियोजना	यू.एस.डी.	17/03/2005	44,373.83	55,957.77	37,481.30	40,665.54	16,757.11
	आई.एन.आर.		2,113,163.09	2,629,186.31	1,690,398.04	1,974,200.09	941,764.04
3. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		44,373.83	55,957.77	37,481.30	40,665.54	16,757.11
	आई.एन.आर.		2,113,163.09	2,629,186.31	1,690,398.04	1,974,200.09	941,764.04
2331-आई.एन.डी. जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश प्रोग्राम (परियोजना-1)	यू.एस.डी.	28/12/2007	0.00	3,429.74	4,505.46	6,492.53	5,970.81
	आई.एन.आर.		0.00	159,335.15	204,752.40	309,44001	336,307.84
4. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		000	3,429.74	4,505.46	6,492.53	5,970.81
	आई.एन.आर.		000	159,335.15	204,752.40	309,440.01	336,307.84
के.एन. कर्नाटक	यू.एस.डी.		15,497.18	12,734.38	0.00	0.00	000
	आई.एन.आर.		737,282.24	616,960.31	0.00	000	0.00
1704-आई.एन.डी. कर्नाटक शहरी विकास एवं तटीय पर्यावरणीय प्रबंधन	यू.एस.डी.	19/05/2000	15,497.18	12,734.38	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		737,282.24	616,960.31	0.00	0.00	0.00
5. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		15,497.18	12,734.38	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		737,282.24	616,960.31	0.00	0.00	0.00

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
एम.पी. मध्य प्रदेश	यू.एस.डी.		44,737.67	35,122.68	17,996.20	12,423.35	9,531.42
	आई.एन.आर.		2,091,141.29	1,678,925.26	812,494.70	586,235.80	554,471.70
2046-आई.एन.डी. मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय कार्यान्वयन	यू.एस.डी.	09/03/2005	44,737.67	35,122.68	17,996.20	12,423.35	9,531.42
	आई.एन.आर.		2,091,141.29	1,678,925.26	812,494.70	586,235.80	554,471.70
6. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		44,73767	35,122.68	17,996.20	12,423.35	9,531.42
	आई.एन.आर.		2,091,141.29	1,678,925.26	812,494.70	586,235.80	554,471.70
आर.जे. राजस्थान	यू.एस.डी.		38,673.07	11,388.21	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		1,777,044.68	556,737.98	0.00	0.00	0.00
1647-आई.एन.डी. राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना	यू.एस.डी.	01/12/1999	38,673.07	11,388.21	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		1,777,044.68	556,737.98	0.00	0.00	0.00
7. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		38,673.07	11,388.21	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		1,777,044.68	556,737.98	0.00	0.00	0.00
यू.आर. उत्तराखण्ड	यू.एस.डी.		1,600.00	930.55	7,406.14	9,752.39	6,642.83
	आई.एन.आर.		79,776.00	43,530.17	333,942.80	457,653.40	356,669.13
2410-आई.एन.डी. उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश प्रोग्राम (परियोजना-I)	यू.एस.डी.	23/10/2008	1,600.00	930.55	7,406.14	9,752.39	6,642.83

	आई.एन.आर.		79,776.00	43,530.17	333,942.80	457,653.40	356,669.13
8. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		1,600.00	930.55	7,406.14	9,752.39	6,642.83
	आई.एन.आर.		79,776.00	43,530.17	333,942.80	457,653.40	356,669.13
डब्ल्यू.बी. पश्चिम बंगाल	यू.एस.डी.		25,196.07	22,204.10	21,166.42	11,072.77	8,271.13
	आई.एन.आर.		1,160,459.84	1,063,765.16	962,439.53	526,472.36	445,220.90
1813-आई.एल.डी. कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना	यू.एस.डी.	18/1212001	25,196.07	22,204.10	21,166.42	11,072.77	8,271.13
	आई.एन.आर.		1,160,459.84	1,063,765.16	962,439.53	526,472.36	445,220.90
9. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		25,196..07	22,204.10	21,166.42	11,072.77	8,271.13
	आई.एन.आर.		1,160,459.84	1,063,765.16	962,439.53	526,472.36	445,220.90
जी.ओ.एफ.आर. फ्रांस	**ई.यू.आर.**		**3,274.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	आई.एन.आर.		**223,303.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
टी.एन. तमिलनाडु	ई.यू.आर.		3,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		223,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एफ.आर.जी.एल. 4014ई चेन्नई जलापूर्ति एवं सीवरेज	ई.यू.आर.	30101/1996	3,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		223,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	ई.यू.आर.		3,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		223,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जी.ओ.जे.पी. जापान	**जे.पी.वाई.**		**56,033,593.33**	**75,230,501.62**	**62,654,236.48**	**33,474,263.82**	**43,541,889.73**
	आई.एन.आर.		**26,243,509.99**	**38,282,099.75**	**37,474,263.82**	**34,877,549.40**	**29,297,152.99**

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
सी.एन. केन्द्र सरकार	जे.पी.वाई.		55,434,328.84	63,089,022.73	44,535,894.23	38,306,845.96	32,808,793.44
	आई.एन.आर.		25,945,113.75	32,176,228.56	23,287,350.84	21,895,887.12	
आई.डी.पी.-141 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (III)	जे.पी.वाई.	13/02/2002	47,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		25,626.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		47,437.73	000	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		25,626.46	0.00	0.00	000	0.00
आई.डी.पी.-145 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (IV)	जे.पी.वाई.	13/02/2003	4,06732	154,922.15	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		2,190.71	79,426.76	0.00	0.00	0.00
12. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.	31/03/2004	4,067.32	154,922.15	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		2,190.71	79,426.76	0.00	0.00	0.00
आई.डी.पी.-151 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (V)	जे.पी.वाई.	13/03/2004	1,864,981.48	906,613.74	375,117.39	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		822,670.37	463,237.13	189,540.76	0.00	0.00
13. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		1,864,981.48	906,613.74	375,117.39	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		822,670.37	463,237.13	189,540.76	0.00	0.00
आई.डी.पी.-159 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (VI)	जे.पी.वाई.	31/03/2005	249,567.42	240,545.77	17,820.23	79,660.55	0.00
	आई.एन.आर.		110,385.30	121,810.33	9,273.65	44,441.45	0.0

14. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		249,567.42	240,545.77	17,820.23	79,660.55	0.00
	आई.एन.आर.		110,385.30	121,810.33	9,273.65	44,441.45	0.0
आई.डी.पी.-170 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना-चरण-2	जे.पी.वाई.	31/03/2006	289,153.28	335,034.29	15,839.48	41,567.26	0.00
	आई.एन.आर.		136,925.54	167,406.00	8,766.96	23,194.57	0.00
15. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		289,153.28	335,034.29	15,839.48	41,567.26	0.00
	आई.एन.आर.		136,925.54	167,406.00	8,766.96	23,194.57	0.00
आई.डी.पी.-179 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना-चरण-2 (II)	जे.पी.वाई.	31/03/2007	1,272,549.90	361,888.99	240,823.48	39,211.86	0.00
	आई.एन.आर.		577,302.13	183,789.61	123,606.36	21,880.26	0.00
16. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		1,272,549.90	361,88899	240,823.48	39,211.86	0.00
	आई.एन.आर.		577,302.13	183,789.61	123,606.36	21,880.26	0.00
आई.डी.पी.-191 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना-चरण-2 (III)	जे.पी.वाई.	10/03/2008	51,329,770.15	8,752,696.87	457,056.93	1,327,060.63	0.00
	आई.एन.आर.		24,078,845.93	4,426,789.99	236,042.52	742,377.82	0.00
17. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		51,329,770.15	8,752,696.87	457,056.93	1,327,060.63	0.00
	आई.एन.आर.		24,078,845.93	4,426,789.99	236,042.52	742,377.82	0.00
आई.डी.पी.-191ए दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना-चरण-2(III)	जे.पी.वाई.	10/03/2008	269,424.98	269,801.42	23,552.87	8,220.73	0.00
	आई.एन.आर.		137,532.66	137,946.38	11,070.74	4,908.40	0.00

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
18. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		269,424.98	269,801.42	23,552.87	8,220.73	0.00
	आई.एन.आर.		137,532.66	137,946.38	11,070.74	4,908.40	0.00
आई.डी.पी.-192 कोलकाता पूरब-पश्चिम मेट्रो परियोजना	जे.पी.वाई.	10103/2008	0.00	3,796,402.32	0.00	357,469.89	336,820.62
	आई.एन.आर.		0.00	1,846,589.00	0.00	228,101.28	228,096.98
19. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	3,796,402.32	0.00	357,469.89	336,820.62
	आई.एन.आर.		0.00	1,846,589.00	0.00	228,101.28	228,096.98
आई.डी.पी.-192ए कोलकाता पूरब-पश्चिम मेट्रो परियोजना	जे.पी.वाई.	10103/2008	107,376.58	1,063,522.29	449,263.59	131,880.13	48,849.59
	आई.एन.आर.		53,634.65	533,716.66	236,356.45	80,461.73	33,394.06
20. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		107,376.58	1,063,522.29	449,263.59	131,880.13	48,849.59
	आई.एन.आर.		53,634.65	533,716.66	236,356.45	80,461.73	33,394.06
आई.डी.पी.-197 चेन्नई मेट्रो परियोजना	जे.पी.वाई.	21/11/2008	0.00	0.00	5,707,733.46	6,999,050.49	1,959,845.98
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	3,150,488.59	4,173,555.77	1,360,353.71
21. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	5,707,733.46	6,999,050.49	1,959,845.98
	आई.एन.आर.		000	000	3,150,488.59	4,173,555.77	1,360,353.71
आई.डी.पी.-197ए चेन्नई मेट्रो परियोजना	जे.पी.वाई.		0.00	2,137,676.28	1,141,336.35	15,987.27	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	1,085,690.42	604,827.54	8,693.88	0.00

22. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	2,137,676.28	1,141,336.35	15,987.27	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	1,085,690.42	604,827.54	8,693.88	0.00
आई.डी.पी.-202 दिल्ली जल द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना 2(V)	जे.पी.वाई.		0.00	44,982,075.54	23,235,044.42	4,919,675.00	979,155.48
	आई.एन.आर.		0.00	23,085,491.88	12,312,044.42	4,919,457.76	635,423.50
23. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	44,982,075.54	23,235,044.42	4,919,675.00	979,155.48
	आई.एन.आर.		0.00	23,085,491.88	12,312,044.42	4,919,457.76	635,423.50
आई.डी.पी.-202ए दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना परण 2 (IV)	जे.पी.वाई.	31/03/2009	0.00	87,843.08	299,009.06	87,307.89	31,646.80
	आई.एन.आर.		0.00	44,334.40	159,594.30	50,960.63	21,583.35
24. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	87,843.08	299,009.06	87,307.89	31,646.80
	आई.एन.आर.		0.00	44,334.40	159,594.30	50,960.63	21,583.35
आई.डी.पी.-206 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2(V)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	0.00	10,002,791.88	8,910,371.29	8,248,598.39
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	5,376,160.01	5,445,222.55	5,3483487,13
25. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	10,002,791.88	8,910,371.29	8,248,598.39
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	5,376,160.01	5,445,222.55	5,3483487,13
आई.डी.पी.-207 कोलकाता पूरब-पश्चिम मेट्रो परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	0.00	719,484.21	1,407,775.45	2,634,932.10
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	389,003.42	836,696.96	1,679,643.75

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
26. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	719,484.21	1,407,775.45	2,634,932.10
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	389,003.42	836,696.96	1,679,643.75
आई.डी.पी.-207ए कोलकाता पूरब-पश्चिम मेट्रो परियोजना (II)	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	177,855.35	472,336.78	256,405.34
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	95,434.42	280,912.33	164,347.49
27. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	177,855.35	472,336.78	256,405.34
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	95,434.42	280,912.33	164,347.49
आई.डी.पी.-208 चेन्नई मेट्रो परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	31/03/2010	0.00	0.00	1,516,458.17	11,182,933.02	14,671,823.23
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	838,893.32	6,962,500.23	9,648,269.72
28. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	1,516,458.17	11,182,933.02	14,671,823.23
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	838,893.32	6,962,500.23	9,648,269.72
आई.डी.पी.-208ए चेन्नई मेट्रो परियोजना (II)	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	156,707.26	1,788,191.00	1,402,663.98
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	87,750.16	1,094,771.05	931,828.16
29. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	156,707.26	1,788,191.00	1,402,663.98
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	87,750.16	1,094,771.05	931,828.16
आई.डी.पी.-220 बैंगलोर मैट्रो रेल परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	16/06/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,333.23
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,256.42

30. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,333.23
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,256.42
आई.डी.पी.-220ए बेंगलौर मेट्रो रेल परियोजना (II)	जे.पी.वाई.	16/06/2011	0.00	0.00	0.00	538,146.72	468,760.48
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	344,214.16	299,319.82
31. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	0.00	538,146.72	468,760.48
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	344,214.16	299,319.82
आई.डी.पी.-222 दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 3	जे.पी.वाई.	29/03/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	524,778.70
32. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	524,778.70
आई.डी.पी.-222ए दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 3	जे.पी.वाई.	29/03/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.21
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.33
33. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.21
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.33
के.एन. कोलकाता	जे.पी.वाई.		599,264.49	12,141,478.89	18,118,342.25	19,092,10786	10,733,096.29
	आई.एन.आर.		298,396.24	6,105,871.19	9,645,107.38	11,590,198.56	7,401,265.87
आई.डी.पी.-165 बैंगलौर जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना चरण-II-I	जे.पी.वाई.	31/03/2005	152,142.39	7,553,818.83	13,214,391.52	10,435,536.56	4,223,454.92
	आई.एन.आर.		69,294.67	3,847,731.13	6,974,474.45	6,307,140.29	2,839,983.90

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
34. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		152,142.39	7,553,818.83	13,214,391.52	10,435,536.56	4,223,454.92
	आई.एन.आर.		69,294.67	3,847,731.13	6,974,474.45	6,307,140.29	2,839,983.90
आई.डी.पी.-171 बेंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	जे.पी.वाई.	31/03/2006	447,122.10	4,587,660.06	4,903,950.73	8,656,571.31	6,509,641.37
	आई.एन.आर.		229,101.57	2,258,140.06	2,670,632.92	5,283,058.28	4,561,281.97
35. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		447,122.10	4,587,660.06	4,903,950.73	8,656,571.31	6,509,641.37
	आई.एन.आर.		229,101.57	2,258,140.06	2,670,632.92	5,283,058.28	4,561,281.97
आई.बी.आर.डी. आई.बी.आर.डी.	**यू.एस.डी.**		**72,421.03**	**92,201.87**	**42,345.01**	**17,326.82**	**-20.56**
	आई.एन.आर.		**3,430,358.01**	**4,369,036.21**	**1,938,146.87**	**843,762.05**	**-1,142.00**
एम.एच. महाराष्ट्र	यू.एस.डी.		72,421.03	92,201.87	42,345.01	17,326.82	-20.56
	आई.एन.आर.		3,430,358.01	4,369,036.21	1,938,146.87	843,762.05	-1,142.00
3923-ए-आई.एन. बोम्बे सीवेज निपटान	यू.एस.डी.	28/12/1995	0.00	0.00	-53.66	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	-2,480.00	0.00	0.00
36. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		0.00	0.00	-53.66	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	-2,480.00	0.00	0.00
4665-आई.एन. मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	यू.एस.डी.	05/08/2002	72,421.03	92,201.87	42,398.66	17,326.82	-20.56
	आई.एन.आर.		3,430,358.01	4,369,036.21	1,940,626.87	843,762.05	-1,142.00

37. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		72,421.03	92,201.87	42,398.66	17,326.82	-20.56
	आई.एन.आर.		3,430,358.01	4,369,036.21	1,940,626.87	843,762.05	-1,142.00
आई.डी.ए. आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.		15,455.51	-831.60	5,803.01	2,939.52	30.12
	आई.एन.आर.		1,075,350.75	-63,561.16	407,243.19	210,089.05	2,527.49
सी.एन. केन्द्र सरकार	एक्स.डी.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.49
4997-आई.एन. शहरी विकास परियोजना के लिए क्षमता निर्माण	एक्स.डी.आर.	08/12/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.49
38. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	एक्स.डी.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.49
जी.यू. गुजरात	एक्स.डी.आर.		8,066.71	0.00	-2,735.68	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		557,205.12	0.00	-187,277.35	0.00	0.00
3637-आई.एन. गुजरात आपातकाली भूकंपीय समाधान परियोजना	एक्स.डी.आर.	04/06/2002	8,066.71	0.00	-2,735.68	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		557,205.12	0.00	-187,277.35	0.00	0.00
39. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	एक्स.डी.आर.		8,066.71	0.00	-2,735.68	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		557,205.12	0.00	-187,277.35	0.00	0.00
एम.एच. महाराष्ट्र	एक्स.डी.आर.		48.62	-2,821.11	8,538.69	2,939.52	0.00
	आई.एन.आर.		3,441.24	-209,371.70	594,520.55	210,89.05	0.00

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
3662-आई.एन. मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	एक्स.डी.आर.	05/08/2002	48.62	-2,821.11	8,538.69	2,939.52	0.00
	आई.एन.आर.		3,441.24	-209,371.70	594.520.55	210,89.05	0.00
40. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	एक्स.डी.आर.		48.62	-2,821.11	8,538.69	2,939.52	0.00
	आई.एन.आर.		3,441.24	-209,371.70	594.520.55	210,89.05	0.00
एम.जेड. मिजोरम	एक्स.डी.आर.		7,340.18	1,989.51	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		514,704.40	145,810.54	0.00	0.00	0.00
3618-आई.एन.ए. मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	एक्स.डी.आर.	06/05/2012	7,340.18	1,989.51	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		514,704.40	145,810.54	0.00	0.00	0.00
41. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	एक्स.डी.आर.		7,340.18	1,989.51	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		514,704.40	145,810.54	0.00	0.00	0.00
बैक टू बैक							
ए.डी.बी. एशियाई विकास बैंक	**यू.एस.डी.**		**60,127.01**	**70,955.95**	**110,883.56**	**96,669.12**	**59,361.68**
	आई.एन.आर.		**2,816,262.69**	**3,362,435.62**	**5,016,963.92**	**4,608,830.53**	**3,223,043.29**
के.एन. कर्नाटक	यू.एस.डी.		1,425.07	1,565.19	6,613.81	24,117.52	15,170.66
	आई.एन.आर.		66,507.78	73,812.17	298,865.09	1,138,319.16	822,501.76
2312-आई.एन.डी. उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश प्रोग्राम (परियोजना-I)	यू.एस.डी.	23/01/2008	1,425.07	1,565.19	6,613.81	4,667.03	1,444.59

	आई.एन.आर.		66,507.78	73,812.17	298,865.09	221,650.46	78,917.92
42. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		1,425.07	1,565.19	6,613.81	4,667.03	1,444.59
	आई.एन.आर.		66,507.78	73,812.17	298,865.09	221,650.46	78,917.92
2638-आई.एन.डी. आई.एन.डी. उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश प्रोग्राम परियोजना 2	यू.एस.डी.	16/12/2010	0.00	0.00	0.00	19,450.49	13,726.07
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	916,668.70	743,583.84
43. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		0.00	0.00	0.00	19,450.49	13,726.07
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	916,668.70	743,583.84
के.आर. केरल	यू.एस.डी.		7,802.00	13,302.32	20,083.57	12,696.58	16,343.24
	आई.एन.आर.		368,873.88	631,620.39	915,556.34	606,376.48	894,812.80
2226-आई.एन.डी. केरल धारणीय शहरी विकास परियोजना	यू.एस.डी.	08/12/2006	7,802.00	13,302.32	20,083.57	12,696.58	16,343.24
	आई.एन.आर.		368,873.88	631,620.39	915,556.34	606,376.48	894,812.80
44. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		7,802.00	13,302.32	20,083.57	12,696.58	16,343.24
	आई.एन.आर.		368,873.88	631,620.39	915,556.34	606,376.48	894,812.80
एम.पी. मध्य प्रदेश	यू.एस.डी.		4,449.80	4,449.33	7,552.64	8,844.11	9,556.14
	आई.एन.आर.		218,973.41	211,324.89	341,567.83	422,116.00	523,643.00
2456-आई.एन.डी. मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार परियोजना (पूर्ति)	यू.एस.डी.	10/11/2008	4,449.80	4,449.33	7,552.64	8,844.11	9,556.14
	आई.एन.आर.		218,973.41	211,324.89	341,567.83	422,116.00	523,643.00

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
45. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		4,449.80	4,449.33	7,552.64	8,844.11	9,556.14
	आई.एन.आर.		218,973.41	211,324.89	341,567.83	422,116.00	523,643.00
एम.एस. मल्टीस्टेट	यू.एस.डी.		34,400.45	27,837.44	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		1,590,639.41	1,320,267.69	0.00	0.00	0.00
2166-आई.एन.डी. सुनामी आपात-कालिक सहायता (क्षेत्र) परियोजना	यू.एस.डी.	12/05/2005	34,400.45	27,837.44	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		1,590,639.41	1,320,267.69	0.00	0.00	0.00
46. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		34,400.45	27,837.44	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		1,590,639.41	1,320,267.69	0.00	0.00	0.00
आर.जे. राजस्थान	यू.एस.डी.		3,053.65	12,159.12	62,180.12	38,899.99	5,534.25
	आई.एन.आर.		147,173.86	571,783.84	2,804,273.41	1,865,660.66	294,739.96
2366-आई.एन.डी. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश प्रोग्राम (परियोजना-1)	यू.एस.डी.	17/01/2008	3,053.65	9,500.29	27,982.85	7,882.52	1,058.41
	आई.एन.आर.		147,173.86	448,305.19	1,267,705.68	383,151.83	56,320.78
47. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		3,053.65	9,500.29	27,982.85	7,882.52	1,058.41
	आई.एन.आर.		147,173.86	448,305.19	1,267,705.68	383,151.83	56,320.78
2506-आई.एन.डी. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश प्रोग्राम परियोजना-2	यू.एस.डी.	18/02/2009	0.00	2,658.83	34.197.27	18.40579	3,753.67

	आई.एन.आर.		0.00	123,478.65	1,536,567.73	884,184.86	200,396.80
48. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		0.00	2,658.83	34.197.27	18.40579	3,753.67
	आई.एन.आर.		0.00	123,478.65	1,536,567.73	884,184.86	200,396.80
2725-आई.एन.डी. परियोजना शहरी क्षेत्र विकास निवेश प्रोग्राम परियोजना-3	यू.एस.डी.	17/03/2011	0.00	0.00	0.00	12,611.68	722.17
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	598,323.98	38,022.38
49. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		0.00	0.00	0.00	12,611.68	722.17
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	598,323.98	38,022.38
डब्ल्यू.बी. पश्चिम बंगाल	यू.एस.डी.		8,996.04	11,642.56	14,453.43	12,110.92	12,757.40
	आई.एन.आर.		424,094.34	553,626.65	656,701.25	576,358.23	687,345.76
2293-आई.एन.डी. कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना... अनुपूरक	यू.एस.डी.	21/02/2007	8,996.04	11,642.56	14,453.43	12,110.92	12,757.40
	आई.एन.आर.		424,094.34	553,626.65	656,701.25	576,358.23	687,345.76
50. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		8,996.04	11,642.56	14,453.43	12,110.92	12,757.40
	आई.एन.आर.		424,094.34	553,626.65	656,701.25	576,358.23	687,345.76
जी.ओ.एफ.आर. फ्रांस	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.33
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	133,619.29
आर.जे. राजस्थान	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.33
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	133,619.29

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
एफ.आर.जी.एल. 046ई. जोधपुर के लिए शहरी जलापूर्ति स्कीम की मान्यता-आर.जे.	ई.यू.आर.	02/02/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.33
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	133,619.29
51. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	ई.यू.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.33
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	133,619.29
जी.ओ.जे.पी. जापान	**जे.पी.वाई.**		**111,637.81**	**2,082,456.44**	**3,588,093.11**	**3,657,245.47**	**3,166,844.73**
	आई.एन.आर.		**48,796.26**	**1,059,042.32**	**1,917,099.56**	**2,089,524.06**	**2,081,285.59**
ए.पी. आन्ध्र प्रदेश	जे.पी.वाई.		0.00	1,660,524.31	2,038,512.41	3,869,713.53	1,117,462.21
	आई.एन.आर.		0.00	847,276.36	1,087,945.77	2,283,303.13	772,360.85
आई.डी.पी.-198 हैदराबाद बाहरी रिंग रोड परियोजना (चरण-II)	जे.पी.वाई.		0.00	1,660,524.31	1,883,760.46	3,724,783.18	925,109.44
	आई.एन.आर.		0.00	847,276.36	1,007,563.58	2,199,438.57	644,520.69
52. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	1,660,524.31	1,883,760.46	3,724,783.18	925,109.44
	आई.एन.आर.		0.00	847,276.36	1,007,563.58	2,199,438.57	644,520.69
आई.डी.पी.-198ए हैदराबाद बाहरी रिंग रोड परियोजना (चरण-II)	जे.पी.वाई.	27/11/2008	0.00	0.00	154,751.94	144,930.34	192,352.77
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	80,382.19	83,864.55	127,840.16
53. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	154,751.94	144,930.34	192,352.77
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	80,382.19	83,864.55	127,840.16

के.एन. कोलकाता	जे.पी.वाई.		0.00	135,784.47	433,449.45	492,953.70	1,201,776.99
	आई.एन.आर.		0.00	66,891.42	231,765.83	292,179.47	779,124.01
आई.डी.पी.-168 बैंगलोर जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना (II-2)	जे.पी.वाई.	31/03/2008	0.00	135,784.47	433,449.45	492,953.70	586,654.45
	आई.एन.आर.		0.00	66,891.42	231,765.83	292,179.47	390,018.89
54. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	135,784.47	433,449.45	492,953.70	586,654.45
	आई.एन.आर.		0.00	66,891.42	231,765.83	292,179.47	390,018.89
आई.डी.पी.-168ए बैंगलौर जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना (II-2)	जे.पी.वाई.	31/03/2006	0.00	0.00	0.00	0.00	615,122.54
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	389,105.12
55. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	0.00	0.00	615,122.54
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	0.00	389,105.12
टी.एन. तमिलनाडु	जे.पी.वाई.		0.00	179,705.27	829,908.64	-889,711.53	497,029.91
	आई.एन.आर.		0.00	91,469.98	446,490.52	-594,810.03	299,448.26
आई.डी.पी.-196ए तमिलनाडु शहरी अवसंरचना परियोजना	जे.पी.वाई.	10/03/2008	0.00	179,705.27	829,908.64	-889,711.53	497,029.91
	आई.एन.आर.		0.00	91,469.98	446,490.52	-594,810.03	299,448.26
56. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	179,705.27	829,908.64	-889,711.53	497,029.91
	आई.एन.आर.		0.00	91,469.98	446,490.52	-594,810.03	299,448.26
आई.डी.पी.-196ए तमिलनाडु शहरी अवसंरचना परियोजना	जे.पी.वाई.	10/03/2008	0.00	0.00	0.00	-1,330,000.00	0.00

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	-851,067.00	0.00
57. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		0.00	0.00	0.00	-1,330,000.00	0.00
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	0.00	-851,067.00	0.00
डब्ल्यू.बी. पश्चिम बंगाल	जे.पी.वाई.		111,637.81	106,442.39	286,222.61	184,289.78	350,575.62
	आई.एन.आर.		48,796.26	53,404.56	150,897.44	108,851.50	230,352.47
आई.डी.पी.-175 कोलकाता ठोस कचरा प्रबंधन सुधार परियोजना	जे.पी.वाई.	31/03/2006	111,637.81	106,442.39	286,222.61	184,289.78	350,575.62
	आई.एन.आर.		48,796.26	53,404.56	150,897.44	108,851.50	230,352.47
58. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जे.पी.वाई.		111,637.81	106,442.39	286,222.61	184,289.78	350,575.62
	आई.एन.आर.		48,796.26	53,404.56	150,897.44	108,851.50	230,352.47
आई.बी..आर.डी. आई.बी.आर.डी.	**यू.एस.डी.**		**38,394,86**	**67,216,81**	**84,470.67**	**106,964,22**	**74,966,37**
	आई.एन.आर.		**1,734,202.27**	**3,131,749.89**	**3,838,069.79**	**5,198,528.25**	**4,036,817.07**
ए.पी. आन्ध्र प्रदेश	यू.एस.डी.		0.00	20,750.00	176.78	2,342.52	699.76
	आई.एन.आर.		0.00	944,732.50	8,078.78	111,768.03	37,621.24
7816-आई.एन. आन्ध्र प्रदेश नगर निगम विकास परियोजना	यू.एस.डी.		0.00	20,750.00	176.78	2,342.52	699.76
	आई.एन.आर.		0.00	944,732.50	8,078.78	111,768.03	37,621.24
59. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		0.00	20,750.00	176.78	2,342.52	699.76
	आई.एन.आर.		0.00	944,732.50	8,078.78	111,768.03	37,621.24
जी.यू. गुजरात	यू.एस.डी.		197.60	0.00	0.00	0.00	103.20

	आई.एन.आर.		8,382.71	0.00	0.00	0.00	5,747.99
पी4250 गुजरात शहरी विकास परियोजना	यू.एस.डी.	01/02/2006	197.60	0.00	0.00	0.00	103.20
	आई.एन.आर.		8,382.71	0.00	0.00	0.00	5,747.99
60. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		197.60	0.00	0.00	0.00	103.20
	आई.एन.आर.		8,382.71	0.00	0.00	0.00	5,747.99
के.एन. कर्नाटक	यू.एस.डी.		15,222.68	8,421.81	20,848.13	24,197.93	29,105.87
	आई.एन.आर.		683,739.42	399,549.49	951,491.89	1,123,493.35	1,575,345.15
4818-आई.एन. कर्नाटक म्युनिसिपल सुधार परियोजना	यू.एस.डी.		15,222.68	8,421.81	20,848.13	24,197.93	29,105.87
	आई.एन.आर.		683,739.42	399,549.49	951,491.89	1,123,493.35	1,575,345.15
61. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		15,222.68	8,421.81	20,848.13	24,197.93	29,105.87
	आई.एन.आर.		683,739.42	399,549.49	951,491.89	1,123,493.35	1,575,345.15
एम.एस. मल्टीस्टेट	यू.एस.डी.		0.00	0.00	8,866.31	55,402.20	12,624.88
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	411,607.93	2,759,252.24	694,287.43
7818-आई.एन. सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना	यू.एस.डी.	05/02/2010	0.00	0.00	7,791.31	5,588.14	6,570.65
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	363,953.18	276,379.47	361,750.70
62. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		0.00	0.00	7,791.31	5,588.14	6,570.65
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	363,953.18	276,379.47	361,750.70
7941-आई.एन. मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-2ए	यू.एस.डी.	23/07/2010	0.00	0.00	1,075.00	49,814.07	6,054.23

ऋण दाता, राज्य, ऋण क्षेत्र	ऋण मुद्रा	करार तिथि	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	47,654.75	2,482,872.76	332,536.73
63. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		0.00	0.00	1,075.00	49,814.07	6,054.23
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	47,654.75	2,482,872.76	332,536.73
टी.एन. तमिलनाडु	यू.एस.डी.		22,974.57	38,045.00	54,579.45	25,021.57	32,432.66
	आई.एन.आर.		1,042,080.15	1,787,46790	2,466,891.20	1,204,014.64	1,723,815.27
4798-आई.एन. तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	यू.एस.डी.	14/09/2005	22,974.57	38,045.00	54,579.45	25,021.57	32,432.66
	आई.एन.आर.		1,042,080.15	1,787,46790	2,466,891.20	1,204,014.64	1,723,815.27
64. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		22,974.57	38,045.00	54,579.45	25,021.57	32,432.66
	आई.एन.आर.		1,042,080.15	1,787,46790	2,466,891.20	1,204,014.64	1,723,815.27
सकल योग (आई.एन.आर.)			43,530,650.09	56,889,242.98	50,750,424.47	51,877,684.74	41,532,098.24

नोट:

उपयोग नहीं की गई धनराशि की समाप्ति के परिणामस्वरूप धनराशि की संख्या परिवर्तित हो सकती है।

पिछले दो वित्तीय वर्ष के लिए आंकड़े अस्थायी हैं।

भारतीय रुपए का मूल्य आर.बी.आई. के वित्त वर्ष, जिसमें प्रमाणिकता ली गई है, के वार्षिक औसत विनिमय दर परिवर्तित किया गया है।

(i) सकल योग भारतीय रुपए के हजार में मूल्य को दर्शाती है।

(ii) ऋण मुद्रा को सरांशित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विभिन्न मुद्राओं में हैं। तथापि ऋण मुद्राओं का सारांश निम्नानुसार है:

सकल योग (यू.एस.डी.)	341,020.71	372,142.04	329,662.81	305,406.59	183,088.77
सकल योग (ई.यू.आर.)	3,274.24	0.00	0.00	0.00	1,855.33
सकल योग (जे.पी.वाई.)	56,145,231.14	77,312,958.07	66,242,329.59	61,056,199.30	46,708,734.46
सकल योग (एक्स.डी.आर.)	15,455.51	-831.60	5,803.01	2,939.52	30.12

सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग

उपयोगिता वाले सरकारी अनुदान 2008-2009 से 2012-2013

(हजार रु. में)

ऋणदाता, राज्य, लोन, सेक्टर	वर्तमान ऋण की तिथि	सहमति	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य							
जी.ओ.यू.के. यूनाइटेड किंगडम	**जी.बी.पी.**		**16,371.51**	**20,740.06**	**37,747.83**	**12,586.59**	**9,859.20**
	आई.एन.आर.		**1,243,862.37**	**1,519,515.02**	**2,697,971.09**	**1,005,331.38**	**856,283.42**
एम.पी. मध्य प्रदेश	जी.बी.पी.		1,698.58	3,962.83	9,859.36	8,213.49	9,859.20
	आई.एन.आर.		130,458.46	283,587.25	707,630.03	633,075.25	856,283.42
यू.के.जी.जी. 63 मध्य प्रदेश गरीबी के लिए शहरी सेवा कार्यक्रम जी.टी. 2006	जी.बी.पी.	10/11/2006	1,698.58	3,962.83	9,859.36	8,213.49	9,859.20
	आई.एन.आर.		130,458.46	283,587.25	707,630.03	633,075.25	856,283.42
1. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जी.बी.पी.		1,698.58	3,962.83	9,859.36	8,213.49	9,859.20
	आई.एन.आर.		130,458.46	283,587.25	707,630.03	633,075.25	856,283.42
डब्ल्यू. पी. बंगाल	जी.बी.पी.		14,672.93	16,777.23	27,888.47	4,373.11	0.00
	आई.एन.आर.		1,113,403.91	1,235,927.77	1,990,341.06	372,256.13	0.00
यू.के.GG047 कोलकाता गरीबों के लिए शहरी सेवा कार्यक्रम	जी.बी.पी.	31/12/2003	14,672.93	16,777.23	27,888.47	4,373.11	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	आई.एन.आर.		1,113,403.91	1,235,927.77	1,990,341.06	372,256.13	0.00
2. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जी.बी.पी.		14,672.93	16,777.23	27,888.47	4,373.11	0.00
	आई.एन.आर.		1,113,403.91	1,235,927.77	1,990,341.06	372,256.13	0.00
आई.बी.आर.डी. आई.बी.आर.डी.	**यू.एस.डी.**		**193.33**	**106.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	आई.एन.आर.		**8,548.62**	**5,131.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
सी.एन. केन्द्र सरकार	यू.एस.डी.		193.33	106.67	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		8,548.62	5,131.96	0.00	0.00	0.00
टी.एफ.90250-आई.एन. सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना की तैयारी हेतु-जी.ई.एफ.	यू.एस.डी.	24/07/2007	193.33	106.67	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		8,548.62	5,131.96	0.00	0.00	0.00
3. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		193.33	106.67	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		8,548.62	5,131.96	0.00	0.00	0.00
यू.एन.डी.पी. यू.एन.डी.पी.	**यू.एस.डी.**		**1,309**	**82.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	आई.एन.आर.		**54,598.38**	**3,932.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
सी.एन. केन्द्र सरकार	यू.एस.डी.		1,309	82.62	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		54,598.38	3,932.74	0.00	0.00	0.00
00044242 विकेन्द्रीकृत शहरी शासन के लिए क्षमता निर्माण	यू.एस.डी.	01/08/2005	777.13	13.31	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		31,481.60	595.67	0.00	0.00	0.00

4. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जी.बी.पी.		777.13	13.31	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		31,481.60	595.67	0.00	0.00	0.00
IND/03/033 शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति	यू.एस.डी.	14/10/2003	531.96	69.31	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		23,116.78	3,337.07	0.00	0.00	0.00
5. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		531.96	69.31	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		23,116.78	3,337.07	0.00	0.00	0.00
ए.डी.बी. एशिया विकास बैंक	यू.एस.डी.		19,193.48	17,302.69	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		874,195.76	819,108.78	0.00	0.00	0.00
एम.एस. विभिन्न राज्य	यू.एस.डी.		19,193.48	17,302.69	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		874,195.76	819,108.78	0.00	0.00	0.00
0005-आई.एन.डी. एशिया सुनामी राशि अनुदान	यू.एस.डी.	12/05/2005	19,193.48	17,302.69	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		874,195.76	819,108.78	0.00	0.00	0.00
6. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		19,193.48	17,302.69	0.00	0.00	0.00
	आई.एन.आर.		874,195.76	819,108.78	0.00	0.00	0.00
जी.ओ.यू.के. यूनाईटेड किंगडम	**जी.बी.पी.**		**0.00**	**0.00**	**7,851.17**	**5,530.44**	**7,431.35**
	आई.एन.आर.		**0.00**	**0.00**	**564,020.57**	**446,271.28**	**624,917.34**
बी.आई. बिहार	जी.बी.पी.		0.00	0.00	7,851.17	5,530.44	7,431.35
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	564,020.57	446,271.28	624,917.34
यू.के. GG077 बिहार में शहरी सुधार हेतु सहायता कार्यक्रम अनुदान-2009	जी.बी.पी.	05/03/2010	0.00	0.00	7,851.17	5,530.44	7,431.35

1	2	3	4	5	6	7	8
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	564,020.57	446,271.28	624,917.34
7. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	जी.बी.पी.		0.00	0.00	7,851.17	5,530.44	7,431.35
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	564,020.57	446,271.28	624,917.34
आई.बी.आर.डी. आई.बी.आर.डी.	**यू.एस.डी.**		**0.00**	**0.00**	**2,069.55**	**612.83**	**788.48**
	आई.एन.आर.		**0.00**	**0.00**	**97,603.14**	**32,478.83**	**43,261.03**
एम.एस. विभिन्न राज्य	यू.एस.डी.		0.00	0.00	2,069.55	612.83	788.48
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	97,603.14	32,478.83	43,261.03
टी.एफ. 095549 सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना	यू.एस.डी.		0.00	0.00	2,069.55	612.83	788.48
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	97,603.14	32,478.83	43,261.03
8. यू.आर.डी.ई. शहरी विकास	यू.एस.डी.		0.00	0.00	2,069.55	612.83	788.48
	आई.एन.आर.		0.00	0.00	97,603.14	32,478.83	43,261.03
सकल योग (आई.एन.आर.)			2,181,205.14	2,347,688.50	3,359,594.80	1,484,081.49	1,524,461.79

नोट:

अप्रयुक्त राशि को रद्द करने की स्थिति में ऋण राशि की संख्या में परिवर्तन हो सकता हैं।

अंतिम 2 वित्तीय वर्ष के आंकड़े अनतिम है।

संवितरण की तिथि की कीमत के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपए (आई.एन.आर.) के रूप में परिवर्तित किया गया है।

(i) सकल योग हजारों में भारतीय रुपए की कीमत दर्शाता है।

(ii) ऋण मुद्रा को सारांशित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विभिन्न मुद्राओं में हैं। तथापि ऋण मुद्राओं में सारांश निम्नानुसार है:

सकल योग (यू.एस.डी.)	20,695.89	17,491.88	2,069.55	612.83	788.48
सकल योग (जी.बी.पी.)	16,371.51	20,740.06	45,599.00	18,117.04	17,290.54

शहरी क्षेत्र के संबंध में दिनांक 28/2/2013 तक पिछले 3 वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यान्वयनाधीन विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

(धनराशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रतिभागी राज्य	करार/बंद होने की तिथि	ऋण की धनराशि	28/2/2013 तक अदायगी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एल.एन. 4665-आई.एन./ सी.आर. 3662 आई.एन.)	महाराष्ट्र	5.8.2002/15.6.2011	ऋण: 463 क्रेडिट: 79 कुल: 542	ऋण: 78.8 क्रेडिट: 369.27	परियोजना बन्द। 0.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर आई.डी.ए. क्रेडिट के तहत समाप्त हुई और 93.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर आई.बी.आर.डी. ऋण के अन्तर्गत समाप्त हुई।
2.	कर्नाटक शहरी जलापूर्ति क्षेत्र सुधार परियोजना (एल.एन. 4730-आई.एन.)	कर्नाटक	18.2.2005/31.3.2011	39.50	36.47	परियोजना बन्द। 3.03 अमेरिकी डॉलर परियोजना के अन्तर्गत बचत के कारण समाप्त हुई।
3.	तीसरी तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना (एल.एन. 4798-आई.एन.)	तमिलनाडु	14.9..2005/21.3.2014	300	243.41	
4.	कर्नाटक म्युनिसिपल सुधार परियोजना (एल.एन. 4818-आई.एन.)	कर्नाटक	2.5.06/31.3.14	216	119.37	

1	2	3	4	5	6	7
5.	आन्ध्र प्रदेश म्युनिसिपल सुधार परियोजना (एल.एन. 4818-आई.एन.)	आन्ध्र प्रदेश	22.01.2010/31.12.2015	300	23.97	
6.	सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना (एल.एन. 7816-आई.एन.) सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना (जी.ई.एफ. टी.पी. 095549)	मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र/ छत्तीसगढ़/ कर्नाटक	05.02.10/30.11.14	105.23	18.60	
7.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-IIए (एल.एन. 4730-आई.एन.)	महाराष्ट्र	23.07.10/15.06.15	430	55.5	
8.	शहरी विकास परियोजना का क्षमता निर्माण (क्रेडिट संख्या 4997-आई.एन.)	केन्द्रीय परियोजना	8.12.11/30.06.16	60	0.1	

ए.डी.बी. सहायता प्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति

28.2.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	ऋण सं.	परियोजना का नाम	ऋण की धन धनराशि (यू.एस.डी. मिलियन)	हस्ताक्षर की तिथि	राज्य/शहर	31.3.2010 को अदायगी (यू.एस.एस. मिलियन)	31.3.2011 को अदायगी (यू.एस.एस. मिलियन)	31.3.2012 को अदायगी (यू.एस.एस. मिलियन)	28.2.2013 को अदायगी (यू.एस.एस. मिलियन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2151-आई.एन.डी.	जम्मू एवं कश्मीर में इन्फ्रा पुनर्वास के लिए बहुक्षेत्रीय परियोजना	250	17.3.2005	जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू एवं श्रीनगर)	135.37	172.85	213.52	230.27
2.	2226-आई.एन.डी.	केरल सुस्थिर शहरी विकास परियोजना	221.2	08.12.2006	केरल (कोच्चि, कोल्लम, कोजी कोड, तिरुवन्तपुरम एवं त्रिशुर)	23.58	43.64	56.36	72.4
3.	2293-आई.एन.डी.	कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना	80	21.2.2007	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	25.78	40.23	52.34	64.94
4.	2331-आई.एन.डी.	जे. एण्ड के. शहरी क्षेत्र विकास निवेश	42.2	28.12.2007	जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू एवं श्रीनगर)	3.43	7.94	14.43	20.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कार्यक्रम (परियोजना-I)							
5.	2366-आई.एन.डी.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I)	60	17.1.2008	राजस्थान (झलवर/झलरपाटन, जेसलमेर, वारनछावरा बाडमेर, भारतपुर, बूंदी, अलबर, चित्तौड़गढ़ राजेसमंड, धोलपुर, करोलीचूरू नागौर सवाई माधोपुर एवं सिकर)	12.55	40.54	48.42	49.48
6.	2312-आई.एन.डी.	नार्थ कर्नाटक शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I)	33	23.01.2008	कर्नाटक (हवेरी इलोसपेट, रायचूर)	2.99	9.6	14.27	15.72
7.	2410-आई.एन.डी.	उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I) राखंड	60	23.01.2008	उत्तराखंड (देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार)	2.53		19.69	26.4
8.	2456-आई.एन.डी.	मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार (अनुपूरक)	71	10.11.2008	मध्य प्रदेश (भोपाल, ग्वालियर इन्दौर, जबलपुर)	8.9	9.84	25.3	33.98

9.	2506-आई.एन.डी.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	150	18.2.2009	राजस्थान (झलवर/झलरपाटन, जेसलमेर, वारनछावरा, बाडमेर, भारतपुर, बूंदी, अलबर, चितौड़गढ़, राजेसमंड, धोलपुर, करो लीचूरू नागौर सवाई माधोपुर एवं सिकर)	12.35	36.86	55.26	59.02
10.	2528-आई.एन.डी.	पूर्वोत्तर क्षेत्र राजधानी शहरी विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I)	30	8.4.2009	सेण्ट्रल त्रिपुरा (अगरतला), मिजोरम (आईजोल), मेघालय (शिलांग), नागालैण्ड (कोहिमा), सिक्किम (गंगटोक)	0	3.41	7.45	8.59
11.	2638-आई.एन.डी.	नार्थ कर्नाटक शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	123	16.12.2010	कर्नाटक (बदामी, बसा वाकल्याण, बेलारी, बेलगांव, विदर, विजापुर, चमराजनगर देवनगर, धार बाड़, गदग बेटेगिरी, गंवाती, गोक्कगुलव र्गा हेवरी होस्केट हुबली, इलकाल झमखंडी कोप्पल निपानी रावकवि बनहाट्टी रानेवेनूर	-	0	19.45	32.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					साहबाद, सिधनूर एवं यादगीर)				
12.	2660-आई.एन.डी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शहरी अवस्थापना हित पोषण सुविधा (परियोजना-I)	78	17.3.2011	सेन्ट्रल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	-	0	0	18.1
13.	2725-आई.एन.डी.	राजस्थान शहरी विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-3)	63	17.3.2011	राजस्थान (अलवर, (जेसलमेर झलवर/ झलर पाटन, वारन छावरा, बाडमेर, भरतपुर, बूंदी, चितौड़गढ़, चूरू, धोलपुर, करो ली नागौर, राजेसमंड, सवाई माधोपुर एवं सिकर)	-	0	12.61	13.33
14.	2806-आई.एन.डी.	असम शहरी विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I)	81	9.3.2012	असम (गुवाहाटी एवं डिवरूगढ़)	-	-	0	0.047
15.	2834-आई.एन.डी.	पूर्वोत्तर क्षेत्र राजधानी शहरी विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I)	72	19.11.2012	सेण्ट्रल (त्रिपुरा (अगरतला), मिजोरम (आई जोल), मेघालय (सिलांग), नागालैण्ड (कोहिमा), सिक्किम (गंगटोक)	-	-	0	0

16.	2797-आई.एन.डी.	उत्तराखंड शहरी विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I)	100	31.1.2013	उत्तराखंड (हल्द्वानी, रूढ़की, रामनगर)	-	-	-	0
17.	2861-आई.एन.डी.	बिहार शहरी विकास निवेश कार्यक्रम	65	हस्ताक्षर किया जाना	बिहार (भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर))	-	-	-	-
18.	2882-आई.एन.डी.	नार्थ कर्नाटक शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	66	हस्ताक्षर किया जाना	कर्नाटक (बीदर, दाबानगरी, धारबाड़, गुलबर्गा, सीधनूर, यादगीर एवं जमखंडी)	-	-	-	-
19.	2925-आई.एन.डी.	जे. एंड के. शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	110	हस्ताक्षर किया जाना	जम्मू और कश्मीर (जम्मू और श्रीनगर)	-	-	-	-

शहरी विकास क्षेत्र में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और वर्तमान वित्तीय वर्ष (28.02.2013 तक) जे.आई.सी.ए. ओ.डी.ए. ऋण द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	आई.डी.पी. सं. तथा परियोजना का नाम	केन्द्रीय/ राज्य क्षेत्र स्थल	क्षेत्र	ऋण राशि (येन मिलियन में)	ब्याज की दर (%)	हस्ताक्षर करने/ समापन की तारीख	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13 (28.02.2013 तक)	कार्य क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आई.डी.पी.-157 बिलासपुर-जयपुर जलापूर्ति परियोजना	राज्य-राजस्थान (बिलासपुर-जयपुर)	जलापूर्ति	8881	1.3	31.3.2004/ 19.10.2013	88.06	30.55	3.73	2.09	संबंधित जलापूर्ति सुविधाओं का निर्माण
2.	(आई.डी.पी.-165) बंगलुरु जलापूर्ति और सीवरेज (ii)	राज्य-कर्नाटक (बंगलुरु)	जलापूर्ति	41997	1.3	31.3.2005/ 28.07.2015	384.77	697.45	159.58	278.60	जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाओं का निर्माण, प्रबंधन उन्नयन और स्लम विकास
3.	(आई.डी.पी.-168) बंगलुरु जलापूर्ति और सीवरेज (ii-2)	राज्य-कर्नाटक (बंगलुरु)	जलापूर्ति तथा सीवरेज	28358	1.3 और 0.75	31.3.2006/ 24.07.2016	6.69	23.18	5.46	77.90	वही
4.	(आई.डी.पी.-171) बंगलुरु मेट्रो	केन्द्र-कर्नाटक (बंगलुरु)	शहरी परिवहन	44704	1.3	31.3.2006/ 24.07.2016	225.81	26.7.06	122.07	437.46	वेंटिलेशन और वातानुकूलन

रेल परियोजना	प्रणाली								प्रणाली, सिगनलिंग, दूर संचार और स्वत: किराया एकत्रीकरण प्रणाली वाले भूमिगत
स्टेशनों के निर्माण कार्य									
5. (आई.डी.पी.-220) बंगलुरु मैट्रो रेल परियोजना	केन्द्र-कर्नाटक (बंगलुरु)	शहरी परिवहन	19832	1.4/0.01	16.6.2011/ 22.09.2017			0.00	131.79	वही
6. (आई.डी.पी.-174) हुसैन सागर झील तथा जलग्रहण क्षेत्र उन्नयन परियोजना	राज्य-आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद)	जलापूर्ति	7729	0.75	31.3.2006/ 24.07.2016	32.48	50.74	4.48	24.11	सीवरेज
7. (आई.डी.पी.-175) कोलकाता ठोस कचरा प्रबंधन सुधार/उन्नयन योजना	राज्य-प. बंगाल (कोलकाता)	स्वच्छता	3584	0.75	31.3.2006/ 24.07.2016	5.34	15.09	2.99	23.03	
8. (आई.डी.पी.-184) केरल जलापूर्ति योजना (III)	राज्य-केरल (तिरुअनंतपुरम, कोज्जीकोड, पटुअम,	जलापूर्ति	32777	1.3	31.3.2007/ 31.03.2013)	274.54	139.17	19.38	138.85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		चेरथला और मीनाडा तथा उनके समीपवर्ती गाँव)									
9.	(आई.डी.पी.-203) केरल जलापूर्ति योजना (III)	वही	जलापूर्ति	12727	1.2/0.01	31.3.2009/ 28.07.2013	15.81	11.67	2.36	41.84	
10.	(आई.डी.पी.-185) आगरा जलापूर्ति योजना	राज्य-उ.प्र. (आगरा)	जलापूर्ति	24822	1.3	30.3.2007/ 11.07.2017	12.68	74.78	13.79	60.68	
11.	(आई.डी.पी.-186) अमृतसर सीवरेज परियोजना	राज्य-पंजाब (अमृतसर)	स्वच्छता	6961	0.75	30.3.2007/ 11.07.2015	1.48	3.67	0.77	32.30	सामाजिक विकास तथा संस्थागत उन्नयन आदि
12.	(आई.डी.पी.-187) ओडिशा समेकित स्वच्छता उन्नयन परियोजना	राज्य-ओडिशा (भुवनेश्वर और कटक)	स्वच्छता	19061	0.75	30.3.2007/ 11.07.2016	3.1	8.91	3.55	4.64	भुवनेश्वर और कटक में सीवरेज सुविधाओं का निर्माण।
13.	(आई.डी.पी.-189) गोवा जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना	राज्य-गोवा (मपूसा और मारगाँव)	जलापूर्ति और सीवरेज	22806	1.3	14.9.2007/ 28.11.2017	19.88	25.5	31.27	84.05	सीवरेज और जलापूर्ति सुविधाओं का निर्माण तथा संस्थागत उन्नयन।

14. (आई.डी.पी.-190) हैदराबाद बाहरी रिंग रोड परियोजना चरण I	राज्य- आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद)	शहरी परिवहन	41853	1.2	10.3.2008/ 25.3.2016	325.4	402.53	77.05	79.32	बाहरी रिंग रोड का निर्माण, संबंधित यातायात उन्नयन तथा दक्ष परिवहन प्रणाली आदि
15. (आई.डी.पी.-198) हैदराबाद बाहरी रिंगरोड परियोजना चरण-II	वही	शहरी परिवहन	42027	1.2	21.11.2008/ 25.2.2017	84.73	108.8	71.11	73.53	वही
16. (आई.डी.पी.-196) तमिलनाडु शहरी बुनियादी सुविधा परियोजना	राज्य- तमिलनाडु (तमिलनाडु के म्यूनिसिपैलिटी और कस्बे)	जलापूर्ति	8551	1.2	10.03.2008/ 25.3.2016	9.15	44.65	14.5	29.94	जलापूर्ति सुविधा का निर्माण और उन्नयन
17. (आई.डी.पी.-192) कोलकाता पूरब पश्चिम मेट्रो परियोजना	केन्द्रीय- प. बंगाल (कोलकाता)	शहरी परिवहन	6437	1.2	10.03.2008/ 04.9.2013	237.93	24.34	1.96	26.15	कोलकाता पूरब पश्चिम मेट्रो संबंधित निर्माण कार्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद
18. (आई.डी.पी.-207) कोलकाता पूरब-पश्चिम मेट्रो परियोजना (II)	वही	शहरी परिवहन	23402	1.4/0.01	31.03.2010/ 15.6.2017	0.00	48.44	14.42	154.85	वही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	(आई.डी.पी.-197) चेन्नई मेट्रो परियोजना	केन्द्रीय-तमिलनाडु (चेन्नई)	शहरी परिवहन	21751	1.2	21.11.2008/ 19.3.2015	108.57	375.53	123.7	128.20	वेटिलेशन और वातानुकूलन प्रणाली सहित भूमिगत स्टेशनों वाली चेन्नई मेट्रो परियोजनाओं संबंधी निर्माण कार्य
20.	(आई.डी.पी.-208) चेन्नई मेट्रो परियोजना (II)	केन्द्रीय-तमिलनाडु	शहरी परिवहन	59851	1.4/0.01	31.03.2010/ 15.6.2017	0.00	92.67	37.25	1062.16	वही
21.	(आई.डी.पी.-201) गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना	केन्द्रीय-असम (गुवाहाटी)	शहरी परिवहन	29453	1.2/0.01	31.03.2009/ 28.7.2019	0.00	50.29	2.0	58.49	जलापूर्ति सुविधाओं का निर्माण तथा सहायक कार्य
22.	(आई.डी.पी.-204) द्रुत जन परिवहन प्रणाली-चरण-II (IV)	केन्द्रीय-असम	शहरी परिवहन	77753	1.2/0.01	31.03.2009/ 28.7.2019	2312.98	1247.19	106.38	58.60	दिल्ली जन परिवहन प्रणाली चरण-II से संबंधित निर्माण कार्य तथा सामान और सेवाओं की खरीद

23.	(आई.डी.पी.-206) द्रुत जन परिवहन प्रणाली-चरण-II (V)	केन्द्रीय-दिल्ली	शहरी परिवहन	33640	1.4/0.01	31.03.2010/ 15.6.2016	0.00	537.62	65.54	534.85	वही
24.	(आई.डी.पी.-222) द्रत जन परिवहन प्रणाली-चरण-III	केन्द्रीय दिल्ली	शहरी परिवहन	127917	1.4/0.01	29.03.2010/ 28.5.2018			0.00	0.11	द्रुत जन परिवहन प्रणाली चरण-III से संबंधित निर्माण कार्य तथा सामान और सेवाओं की खरीद
25.	(आई.डी.पी.-225) दिल्ली जलापूर्ति उन्नयन परियोजना	केन्द्रीय दिल्ली (दिल्ली)	जलापूर्ति	28975	1.4/0.01	29.10.2012/ 23.1.2023				0.00	जलापूर्ति सुविधाओं का निर्माण तथा सहायक कार्य

शहरी विकास योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय/राज्य	ऋण/ अनुदान	वचनबद्ध राशि (मिलियन यूरो में)	अनुबंध की तारीख	वितरण (करोड़ रु. में)			
						2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (दिसंबर 12 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	के.एफ.डब्ल्यू. (भारतीय जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के तहत)								
1.	ओडिशा शहरी विकास निधि	ओडिशा	ऋण+ अनुदान	52.50	02.08.12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
2.	सतत म्यूनिसिपल बुनियादी सुविधा निधि (चरण-I)	तमिलनाडु	ऋण+ अनुदान	77.00	09.07.08	27.00	63.71	102.34	59.77
3.	सतत म्यूनिसिपल बुनियादी सुविधा निधि (चरण-II)		ऋण+ अनुदान	80.00	19.12.12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
	ए.एफ.डी. (भारत फ्रांस सहयोग विकास सहयोग कार्यक्रम)								
4.	जोधपुर, राजस्थान में शहरी जलापूर्ति स्कीम की पुनगर्ठन	राजस्थान	ऋण	71.10	02.02.12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00	0.03

[अनुवाद]

गरीबों का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय

2717. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एस.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2011 से जून 2012 की अवधि के लिए सर्वेक्षण के 68वें दौर के अनुसार 10 प्रतिशत शहरी जनसंख्या की औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एम.पी.सी.ई.) 702.26 रुपये था तथा ग्रामीण जनसंख्या के लिए एम.पी.सी.ई. के आंकड़े 503.49 रुपए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण जनसंख्या 17 रुपये प्रतिदिन से कम पर गुजारा करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बारहवीं योजना के दौरान ग्रामीण जनसंख्या की एम.पी.सी.ई. को बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत तक करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गएह या उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, हां। एन.एस.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2011 से जून 2012 की अवधि के लिए सर्वेक्षण के 68वें दौर के अनंतिम परिणामों के अनुसार शहरी जनसंख्या में न्यूनतम 10% मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एम.पी.सी.ई.) 702.26 रुपये और न्यूनतम 10% ग्रामीण जनसंख्या का एम.पी.सी.ई. 503.49 रु. था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने पर्याप्त मात्रा। में उत्पादक रोजगार सृजित करने की दृष्टि से एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास को तरजीह दी है। गांवों में अवसंरचना के विकास के लिए सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण रोजगार सृजन, ग्रामीण आवासीय, ग्रामीण अवसंरचना, क्षेत्र विकास एवं लक्षित समूहों की सामाजिक सहायता करने के क्षेत्रों में प्रमुख स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनका इरादा ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर गांवों की आमदनी बढ़ाकर एवं ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार करके, विकास करना है।

स्वच्छता सुविधाएं

2718. **डॉ. रत्ना डे:**

श्रीमती मौसम नूर:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित शौचालयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं पर कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अध्ययन के राज्य-वार परिणाम क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) वर्ष 2011 की जनगणना के परिवार के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग देश में लगभग 81.36% शहरी परिवारों के पास परिसरों के भीतर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है जबकि 18.64% परिवारों के पास परिसरों के भीतर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिनमें कुल शहरी परिवारों के 6.01% ऐसे परिवार जो कि सार्वजनिक शौचालय की सुविधा का लाभ उठाते हैं और कुल शहरी परिवारों के 12.63% ऐसे परिवार जो कि खुले में शौच करते हैं, शामिल है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के परिवार के आंकड़ों में दिए गए तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 85% और 15% (3.74% और 11.25%) हैं।

(ग) चूंकि "स्वच्छता" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है, इसलिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कोई भी गहन और प्रतिबद्ध शहरी स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में सीवेज, निकासी और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों की निगरानी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही है। तथापि, शुष्क शौचालयों को समाप्त करके और इस प्रकार हाथ से मैला ढोने वालों को मुक्त करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय देश के शहरी क्षेत्रों में संशोधित निम्न लागत स्वच्छता योजना क्रियान्वित कर रहा है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत शौचालयों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.ए.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत स्वच्छता स्वीकार्य घटाकों में से एक है और रिहायशी यूनिटों की स्वीकृतियों शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत दी गई हैं जबकि शौचालयों की स्वीकृति भी रिहायशी यूनिट के भाग के रूप में दी गई है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए रिहायशी यूनिटों की संख्या के राज्य-वार संलग्न संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं पर कोई अध्ययन शुरू नहीं किया है।

विवरण-I

गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2009-10

क्र.सं.	राज्य का नाम	परिवर्तन के लिए स्वीकृत यूनिटों की संख्या	निर्माण के लिए स्वीकृत यूनिटों की संख्या	स्वीकृत कुल यूनिटों की संख्या
1.	बिहार	2323	-	2323
2.	उत्तर प्रदेश	2647-	-	2647
3.	जम्मू और कश्मीर	4781	-	4781
4.	नागालैण्ड	499	1577	2076
5.	उत्तराखंड	1613	0	
6.	महाराष्ट्र	0	12237	12237
7.	मध्य प्रदेश	0	7423	7423
8.	त्रिपुरा	2429	569	2998
9.	त्रिपुरा	2429	569	2998
	कुल	14292	21806	36098

वित्तीय वर्ष 2010-11

क्र.सं.	राज्य का नाम	परिवर्तन के लिए स्वीकृत यूनिटों की संख्या	निर्माण के लिए स्वीकृत यूनिटों की संख्या	स्वीकृत कुल यूनिटों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	-	-	-
2.	महाराष्ट्र	-	-	-
3.	केरल	-	-	-
4.	मध्य प्रदेश	-	-	-
5.	राजस्थान	-	-	1039
	कुल	-	-	1039

वित्तीय वर्ष 2011-12

क्र.सं.	राज्य का नाम	परिवर्तन के लिए स्वीकृत यूनिटों की संख्या	निर्माण के लिए स्वीकृत यूनिटों की संख्या	स्वीकृत कुल यूनिटों की संख्या
1.	ओडिशा	-	4690	4690
2.	झारखंड	-	3891	3891
3.	छत्तीसगढ़	-	26018	3891
4.	प. बंगाल	-	7751	7751
5.	नागालैण्ड	-	-	-
6.	मणिपुर	-	-	-
7.	मध्य प्रदेश	-	4358	4358
8.	त्रिपुरा	-	22041	22041
	कुल		46622	46622

वित्तीय वर्ष 2012-13: 28.2.2013 की स्थिति के अनुसार शून्य

विवरण-II

जे.एन.एन.यू.आर.एन. वित्तीय वर्ष में पूरी की गई रिहायशी यूनिट

जे.एन.एन.यू.आर.एन. वित्तीय वर्ष में पूर्ण रिहायशी ईकाइयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ	मार्च 2008 तक		2008-09		2009-10		2010-2011		2011-2012		2012-2013		कुल	
		बी.एस.-यू.पी.	आई.एच. एस.डी.पी.	बी.एस.-यू.पी.	आई.एच.-एस.डी.पी.	बी.एस.-यू.पी.	आई.एच. एस.डी.पी.	बी.एस.-यू.पी.	आई.एच.-एस.डी.पी.	बी.एस.-यू.पी.	आई.एच. एस.डी.पी.	बी.एस.-यू.पी.	आई.एच.-एस.डी.पी.	बी.एस.-यू.पी.	आई.एच. एस.डी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह											0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश			10168	5464	49774	12923	21094	2366	20087	3476	562	755	101685	24984
3.	अरुणाचल प्रदेश									92		8	0	100	0
4.	असम				116		343	352	376		435	0	154	352	1424
5.	बिहार				166				1454	352	589	0	158	352	2367
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)					512		1600		10624		0	0	12736	0
7.	छत्तीसगढ़								1076	0	1825	5264	1650	5264	4551
8.	दादरा और नगर हवेली											0	0	0	0
9.	दमन और दीव						12		2			0	0	0	14
10.	दिल्ली			7900				5628		1316		0	0	14844	0

11.	गोवा									0	0	0	0
12.	गुजरात	7757		40517	822	16670	2385	14812	593	1216	670	80972	4470
13.	हरियाणा	226	794	1614	2966	174	1456	842	1819	40	985	2896	8020
14.	हिमाचल प्रदेश									0	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर							356	942	59	1159	415	2101
16.	झारखण्ड									0	0	0	0
17.	कर्नाटक	117		4048	4126	3588	2639	10896	7882	1104	0	1975	14647
18.	केरल	489	2545	4671	3942	3560	3806	3348	3175	1398	1621	13466	15089
19.	लक्षद्वीप									0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1676	24	1565	949	1679	122	4161	448	2178	0	11259	1543
21.	महाराष्ट्र	4339	1262	19728	4954	7592	2278	24727	7618	0	2646	56386	18758
22.	मणिपुर								832	30	1629	30	246
23.	मेघालय					16		144	48	0	0	160	48
24.	मिजोरम					135	347		473	0	331	135	1151
25.	नागालैण्ड					750	480	520		0	0	1270	480
26.	ओडिशा			37	501	627	1352	254	1211	98	645	1016	3709
27.	पुदुचेरी					207		1501		72	0	430	0
28.	पंजाब					140		860		544	702	1544	702
29.	राजस्थान		413	491	2102	160	1527	114	1658	0	1966	765	7666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.	सिक्किम								52			0	0	52	0
31.	तमिलनाडु			2386	2657	5693	4523	8770	11878	16672	6033	2156	1862	35677	26953
32.	त्रिपुरा					256			903		663	0	741	256	2307
33.	उत्तर प्रदेश			1272	1080	6472	1737	6582	3214	14823	6777	1317	3104	30466	16512
34.	उत्तराखंड						6	45	336	9	666	0	0	54	1001
35.	प. बंगाल			5228	1909	21626	15410	18181	11647	20028	7988	7203	1962	72266	38916
	सकल योग			41558	16430	157004	55316	97550	49644	145240	55151	23249	23340	464601	199881

स्कूली शिक्षा में पर्यावरणीय अभिमुखीकरण हेतु वितीय सहायता

2719. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्कूली शिक्षा योजना के प्रति पर्यावरणीय अभिमुखीकरण के अंतर्गत वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सरकारी स्कूलों में वर्ष 2000-2001 से पर्यावरण और वन मंत्रालय के इको-क्लब के अंतर्गत नेशनल ग्रीन कॉर्प्स (एन.जी.सी.) कार्यक्रम के अंतर्गत इको-क्लब चल रहे हैं। इनका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पर्यावरण संबंधी जागरूकता का प्रसार और पर्यावरण के अनुकूल कार्य करना है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-2011, 2011-12 और 2012-13 के दौरान (11.03.2013 तक) क्रमश: कुल 100763, 100298 और 83000 इको क्लबों को वित्तीय सहायता दी गई है। गत तीन वर्षों के नेशनल ग्रीन-कॉर्प्स प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत और जारी की गई वर्ष-वार और राज्य-वार धनराशि का विवरण के रूप में संलग्न है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचा, 2005 के अनुसार स्कूल शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर "पर्यावरण अध्ययन" पर अनिवार्य विषय शामिल होता है। स्कूल शिक्षा के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों में पाठ्यपुस्तकों और अन्य पाठयचर्या सामग्री में समुचित स्थानों पर पर्यावरण सरोकार और संबंधित मुद्दे शामिल किए जाते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा निर्धारित पाठ्क्रम में पर्यावरणीय समस्याओं को संज्ञान में लिया गया है। और देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित स्कूलों सहित अपने संबंधन वाले सभी स्कूलों में माध्यमिक स्तर तक की सभी कक्षाओं में पर्यावरणीय शिक्षा घटकों को आरम्भ किया है। कुल तेरह राज्यों ने वर्ष 2012 में कक्षा VI से X के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार पर्यावरणीय शिक्षा की परियोजना पुस्तकों के अनुवार का कार्य (हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में) शुरू किया है।

विवरण

एन.जी.सी. कार्यक्रम के तहत जारी वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13*	2011-12	2010-11
1.	आन्ध्र प्रदेश	15697500	15697500	15697500
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)			
3.	अरुणाचल प्रदेश (उत्तर-पूर्व)			
4.	असम (उत्तर-पूर्व)	14877125	14102125	14377125
5.	बिहार		24283875	24546375
6.	छत्तीसगढ़	18061500	10911500	10741500
7.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)			

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13*	2011-12	2010-11
8.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)			
9.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)			
10.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	5025750	4950750	4791182
11.	गोवा	1190644		
12.	गुजरात	15651250		18372375
13.	हरियाणा		14300000	
14.	हिमाचल प्रदेश		8107976	
15.	जम्मू और कश्मीर			
16.	झारखंड		3507481	4100985
17.	कर्नाटक			12562262
18.	केरल	9555000	9555000	9450000
19.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)			
20.	मध्य प्रदेश	34125000	34125000	34125000
21.	महाराष्ट्र	23460122	23714781	23718362
22.	मणिपुर (उत्तर-पूर्व)		4780000	
23.	मेघालय (उत्तर-पूर्व)			
24.	मिजोरम (उत्तर-पूर्व)		3451875	3451875
25.	नागालैंड (उत्तर-पूर्व)	7036250	6273125	12097125
26.	ओडिशा	20372260	20193734	20474511
27.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)			
28.	पंजाब	14950000	13650000	13650000
29.	राजस्थान	22306369	22522154	21840000
30.	तमिलनाडु	21651248	21744654	20475000
31.	त्रिपुरा (उत्तर-पूर्व)		2055000	1680000

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13*	2011-12	2010-11
32.	सिक्किम (उत्तर-पूर्व)			
33.	उत्तराखण्ड			
34.	उत्तर प्रदेश			
35.	पश्चिम बंगाल		10767750	
	कुल	223960018	268694280	266534495

*11 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार

ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान

2720. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) को प्रस्तुत ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मास्टर प्लान कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस क्षेत्र के गृहस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दीपा दास मुंशी): (क) से (ग) एन.सी.आर.पी. ने सूचित किया है कि ग्रेटर नोएडा के अंतिम मास्टर प्लान 2021 में निम्नलिखित शर्तों को शामिल करने के अध्यधीन उक्त बोर्ड द्वारा ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान को दिनांक 24.08.2012 को अनुमोदित किया है:-

(i) एन.सी.आर. के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 के अनुसार लक्षित जनसंख्या और घनत्व प्राप्ति के लिए एफ.ए.आर. में वृद्धि, औद्योगिक/आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने जैसे विभिन्न उपायों और दिल्ली, मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर(डी.एम.आर.सी.) परियोजनाओं के एकीकरण और परस्पर संपर्क को बेहतर बनाकर घनत्व स्तर को बढ़ाया जाए।

(ii) उत्तर प्रदेश सरकार और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जी.एन.आई.डी.ए.) सेक्टर वार योजना तैयार करने और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय के समूहों के लिए 20-25% आवास का प्रावधान सुनिश्चित करें।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार और जी.एन.आई.डी.ए. ग्रेटर नोएडा का पर्यावरण मास्टर प्लान तैयार करना सुनिश्चित करें जोकि अधिसूचित मास्टर प्लान का अभिन्न अंग होगा।

(iv) 22255 हेक्टेयर के कुल शहरीकरण योग्य क्षेत्र में से 3580 हेक्टेयर का हरित क्षेत्र प्रस्तावित है जोकि कुल क्षेत्र का लगभग 16% है। इस क्षेत्र को संरक्षित/सुरक्षित किया जाए तथा भविष्य में भी इसका भूउपयोग परिवर्तित नहीं किया जाए।

(v) कार्यान्वयन संबंधी कार्य योजना तथा उसकी चरणबद्धता उत्तर प्रदेश सरकार/जी.एन.आई.डी.ए. द्वारा अंतिम योजना को अधिसूचित करने से पहले की जानी चाहिए।

(घ) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची (सूची-II-राज्य सूची) के अनुसार भूमि और उसका विकास राज्य का विषय है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और उतर प्रदेश सरकार ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में भूमि विकास और भूमि आबंटन का कार्य करते हैं।

पदोन्नति में अनुपात

2721. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990 के दशक के आरंभ में की गई संवर्ग पुनर्संरचना से पूर्व अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किए गए पदोन्नत सहायकों तथा सीधी भर्ती वाले सहायकों का अनुपात कितना था;

(ख) क्या सचिवों की समिति ने सी.एस.एस. की संवर्ग पुनर्संरचना पर विचार करने के दौरान अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत सहायक तथा सीधी भर्ती सहायकों के 75:25 के अनुपात की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान अनुपात का ब्यौरा क्या है जिसमें सहायकों की दो श्रेणियों को अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत किया जा रहा है;

(घ) क्या दो श्रेणियां सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा की गई सिफ़ारिशों से भिन्न हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पदोन्नत सहायकों या सीधी भर्ती से आने वाले सहायकों का कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है। अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति दो तरीके से होती है:-

(i) वरिष्ठता द्वारा; और

(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) द्वारा।

इन दोनों तरीकों में, सीधी भर्ती से आए या पदोन्नत भाग लेते हैं।

(ख) सचिवों की समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(ग) कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समाज सेवा क्षेत्र हेतु निधियों का आवंटन

2722. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाज सेवा क्षेत्र हेतु निधियों के आवंटन हेतु क्या मानदंड है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान समाज सेवा क्षेत्र हेतु कुल कितनी निधि आवंटित की गई है तथा इसमें से कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या वास्तविक आवंटन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई मांगों से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निधियों के उपयोग की सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ङ) विभिन्न सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के तहत निधियों का आवंटन योजना उद्देश्यों कुल संसाधन आकार, व्यय के पैटर्न, योजना प्राथमिकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्रक सेवाओं के लिए आवंटित/व्यय की गई कुल निधियां निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान (बी.ई.)	वास्तविक व्यय/आर.ई.	बी.ई. की तुलना में वास्तविक/आर.ई. का %
2009-2010	155625.01	134161.95	86.21
2010-2011	182760.23	169692.85	92.85
2011-2012	200104.23	182950.80	91.43
2012-2013	229635.14	202042.64 (आर.ई.)	87.98

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेजों का व्यय बजट, भाग II

बी.ई.: बजट अनुमान

आर.ई.: संशोधित अनुमान

नोट: सामाजिक क्षेत्रक में ग्रामीण विकास और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं जो मोटे तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी विकास, श्रम, सामाजिक कल्याण और पोषण, अ.ज., अ.ज.जा. और पिछड़े वर्गों के कल्याण और ग्रामीण विकास को कवर करती हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में वास्तविक व्यय/संशोधित अनुमान 86% से 93% के बीच रहा है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों के लिए स्कीम-वार/प्रमुख शीर्ष-वार निधियों के आवंटन का ब्यौरा संबंधित वर्ष के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों के व्यय बजट, भाग II में उपलब्ध है। विभिन्न स्कीमों के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का मोनीटरण करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों की सुपरिभाषित पद्धतियां हैं। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग भी सभी क्षेत्रकों की छमाही समीक्षा करता है।

उच्च शिक्षा संबंधी व्यय

2723. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में व्यय किए जाने हेतु लक्षित सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत क्या है;

(ख) भारत तथा अन्य देशों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के पृथक-पृथक तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) भारत, चीन, अमरीका एवं ब्रिटेन सहित अन्य देशों में जी.डी.पी. में उच्च शिक्षा का योगदान कितना है;

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारत तथा अन्य देशों में जी.डी.पी. में उच्च शिक्षा के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ङ) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शिक्षा पर विशेष रूप से जी.डी.पी. की प्रतिशत के संदर्भ में किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और शिक्षा क्षेत्र में निधियों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार शिक्षा क्षेत्र में व्यय में वृद्धि करने हेतु पी.पी.पी. मॉडल अपनाने का है और यदि हां, तो इसे किस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान शिक्षा और उच्चतर शिक्षा पर किए गए व्यय हेतु सकल उत्पाद (जी.डी.पी.) का प्रतिशत इस प्रकार है:-

वर्ष	जी.डी.पी. (करोड़ रुपए में)	शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु. में)	शिक्षा पर जी.डी.पी. का प्रतिशत	उच्चतर शिक्षा पर जी.डी.पी. पर प्रतिशत
2008-09	5303567	189068.84	3.56	1.18
2009-10	6091485	242504.82	3.98	1.29
2010-11	7157412	272137.44	3.80	1.22

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा पर बजट व्यय का विश्लेषण (वार्षिक प्रकाशन)।

हालांकि, भारत सरकार द्वारा अन्य देशों के शिक्षा और उच्चतर शिक्षा पर व्यय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह उल्लेख है कि उच्चतर शिक्षा (तकनीकी शिक्षा सहित) में निजी क्षेत्र की वृद्धि को सुगम बनाया जाना चाहिए तथा 12वीं योजना में नवोन्मेषी सार्वजनिक निजी-भागीदारी (पी.पी.पी.) को तलाशा और विकसित किया जाना चाहिए।

एस.एस.ए./आर.टी.ई. अधिनियम हेतु निधियां

2724. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित निधियों के राज्य-वार तथा संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या योजना आयोग ने उक्त निधियों के जारी किए जाने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम. 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने का मुख्य साधन है, के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एस.एस.ए. के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधियां			जारी की गई निधियां (28.02.2013 तक)
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	38569.90	81000.00	183551.72	136049.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	11427.95	20401.77	23880.10	17984.73

1	2	3	4	5	6
3.	असम	47480.00	76854.35	106921.15	90881.60
4.	बिहार	121739.06	204789.63	185108.20	272462.25
5.	छत्तीसगढ़	55592.82	87863.00	69870.22	85015.73
6.	गोवा	550.58	671.27	1079.14	513.04
7.	गुजरात	20031.73	44065.01	88027.79	113918.08
8.	हरियाणा	27600.00	32786.11	40461.41	29910.35
9.	हिमाचल प्रदेश	8608.00	13786.66	14192.78	7052.93
10.	जम्मू और कश्मीर	37363.27	40348.79	30070.50	50805.85
11.	झारखंड	70940.22	89562.26	57903.46	56183.87
12.	कर्नाटक	44220.60	66903.00	62788.35	39936.69
13.	केरल	11989.50	19660.73	17021.85	13449.14
14.	मध्य प्रदेश	113249.00	176783.00	190427.12	135343.30
15.	महाराष्ट्र	56432.00	85537.00	117962.58	99574.73
16.	मणिपुर	1500.00	13253.77	3940.55	15862.44
17.	मेघालय	9383.00	18540.90	14410.60	18670.78
18.	मिजोरम	6617.75	10115.31	10814.05	15320.60
19.	नागालैंड	4913.00	8636.83	9798.33	11232.12
20.	ओडिशा	63061.60	73177.85	92719.98	100807.62
21.	पंजाब	20044.00	39612.74	48112.44	41972.68
22.	राजस्थान	127124.00	146182.29	148580.86	143520.11
23.	सिक्किम	1736.00	4469.19	4022.84	1493.85
24.	तमिलनाडु	48366.00	69068.57	68141.96	62672.47
25.	त्रिपुरा	7473.00	17121.48	17493.76	8010.11

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तर प्रदेश	196011.90	310462.88	263682.61	362476.26
27.	उत्तराखंड	16006.29	25793.94	20892.49	17941.10
28.	पश्चिम बंगाल	104142.00	174703.17	177652.74	258056.58
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	412.44	357.78	907.36	1089.28
30.	चंडीगढ़	1100.72	2155.89	1611.21	972.64
31.	दादरा और नगर हवेली	350.18	413.78	564.35	652.76
32.	दमन और दीव	169.00	162.99	257.06	233.12
33.	दिल्ली	3088.62	3552.71	3783.29	3251.90
34.	लक्षद्वीप	143.80	127.39	127.86	57.62
35.	पुदुचेरी	669.96	485.38	757.62	518.91
	कुल	1Z78107.89	1959407.42	2077538.33	2213894.70

आत्म विमोह से ग्रसित बच्चों को सुविधाएं

2725. श्री यशवंत लागुरी:

श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आत्म विमोह से पीड़ित बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिलवाने को सुकर बनाने हेतु कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सरकार 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है, जिनमें निःशक्तता वाले बच्चे भी शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, जो निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने का एक कार्यक्रम है, आत्मविमोह सहित सभी श्रेणियों की निःशक्तता वाले बच्चों की स्कूल में पहचान, निर्धारण ओर शामिल करने के लिए सहायता दी जाती है।

अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा

2726. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों हेतु प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की दर क्या रही;

(ख) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि अल्पसंख्यक श्रेणी से संबद्ध बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने में काफी पिछड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या पर ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के "स्कूल शिक्षा आंकड़ों", "उच्चतर और तकनीकी शिक्षा आंकड़ों" के वार्षिक प्रकाशनों तथा उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की 2010-11 की अनन्तिम रिपोर्ट, के अनुसार देश में वर्ष 2008-09 (अनन्तिम), 2009-10 (अनन्तिम) और 2010-11 (अनन्तिम) के दौरान अनुसूचित जाति (अ.जा.) अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), तथा कक्षा I-V और उच्चतर शिक्षा में नामांकित सभी श्रेणियों के सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) नीचे दिए गए हैं:-

श्रेणी	कक्षा I-V			उच्चतर शिक्षा		
	2008-2009 (अनन्तिम)	2009-10 (अनन्तिम)	2010-11 (अनन्तिम)	2008-2009 (अनन्तिम)	2009-10 (अनन्तिम)	2010-11 (अनन्तिम)
अनु.जा.	130.1	128.3	132.0	10.5	11.1	-
अनु.ज.जा.	140.8	138.6	137.0	9.2	10.3	-
सभी श्रेणियां	114.4	115.5	116.0	13.7	15.0	18.8

(ख) और (ग) मुस्लिम अल्पसुख्यक श्रेणी की शिक्षा की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के जरिए निरन्तर प्रयास कर रही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अनिधनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुआ है, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वियन कार्यढांचे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के समनरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदण्डों और मानकों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि स्कूलों में नामांकन और बच्चों को स्कूल में रोकने में वृद्धि हो सके। एस.एस.ए. में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. छात्रों के लिए विषय-वस्तु विशिष्ट उपायों की सुविधा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था है। नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षा की सुलभता में महिला-पुरुष संबंधी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का सामाजिक स्कूलों में क्रमोन्नयन करने की व्यवस्था है। मंत्रालय विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए भी मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। जबकि अन्य स्कीमों का कार्यान्वयन, जैसे 374 मॉडल डिग्री कालेज, पालीटेक्निक इत्यादि में अल्पसंख्यक बहुल जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मैट्रिक पूर्व मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां, योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना और मौलाना आजाद अध्येतावृत्ति कार्यक्रम भी इस मुद्दे के समाधान के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

यौन शिक्षा

2727. **श्री पोन्नम प्रभाकर:**

श्री एम. कृष्णास्वामी:

श्री आर. ध्रुव नारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पैनलों ने प्रशिक्षित शिक्षकों तथा बाल परामर्शदाताओं के माध्यम से स्कूलों में क्लीनिकल तरीके से यौन शिक्षा प्रारंभ करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) आपराधिक कानून संशोधन संबंधी न्यायमूर्ति जे. एस. कार्य समिति ने हाल ही में प्रशिक्षित अध्यापकों और बाल-परामर्शदाताओं के माध्यम से स्कूलों में क्लीनिकल शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) पहले से ही निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं:-

- किशोर शिक्षा कार्यक्रमों जैसे कौशल एवं स्वास्थ्य तथा अच्छी सेहत के दौरान तैयार की गई सामग्रियों और मूल्यपरक शिक्षा में बहुत ही संवेदी ढंग से किशोर एवं बालक-बालिका मुद्दों का ध्यान रखा जाता है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सी.बी.एस.ई. स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् और राज्य बोर्डों के माध्यम से किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम में तीन प्रमुख सरोकारों अर्थात् (i) किशोरावस्था के दौरान विकास प्रक्रिया, (ii) एच.आई.वी./एड्स रोकथाम और (iii) मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कार्यान्वित किया गया है।

एकल बालिका को छात्रवृत्ति

2728. **श्री पी.टी. थॉमस:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एकल बालिका योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत बालिकाओं को राज्य-वार कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) जी. नहीं। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर कॉलेज में पूर्णकालिक प्रथम वर्षीय मॉस्टर डिग्री पाठ्यक्रम (गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में नियमित तौर पर दाखिला लेने वाली कोई भी एकल बालिका, इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर एकल बालिका छात्रवृत्ति स्कीम के लिए पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा सभी एकल बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एकल बालिका हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अवार्डी की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-11	2010-12	2011-13	2012-14
1.	आन्ध्र प्रदेश	103	29	142	161
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-11	2010-12	2011-13	2012-14
3.	असम	32	37	31	43
4.	बिहार	3	3	2	1
5.	छत्तीसगढ़	10	14	1	4
6.	दिल्ली	43	57	45	21
7.	गोवा	1	3	4	3
8.	गुजरात	12	16	10	18
9.	हरियाणा	7	15	7	19
10.	हिमाचल प्रदेश	2	5	1	9
11.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	9
12.	झारखंड	6	5	8	12
13.	कर्नाटक	89	109	76	143
14.	केरल	286	650	491	577
15.	मध्य प्रदेश	10	7	4	25
16.	महाराष्ट्र	25	52	59	60
17.	मणिपुर	2	2	5	5
18.	मेघालय	0	4	9	2
19.	मिजोरम	0	1	0	1
20.	नागालैंड	0	0	0	0
21.	ओडिशा	9	16	11	14
22.	पंजाब	8	16	17	35
23.	राजस्थान	10	13	5	17
24.	सिक्किम	0	0	0	2
25.	तमिलनाडु	270	535	291	456
26.	त्रिपुरा	14	32	10	22

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-11	2010-12	2011-13	2012-14
27.	उत्तराखंड	7	7	6	5
28.	उत्तर प्रदेश	51	79	22	37
29.	पश्चिम बंगाल	513	567	502	706
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	16	16	22	4
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	8	8	22	7
	कुल	1538	2299	1803	2419

ए.आई. की कार्यनिष्पादन रैंकिंग

2729. **श्रीमती श्रुति चौधरी:**

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.आर. इंडिया (ए.आई.) का विचार इकोनोमी श्रेणी की सीटें बढ़ाकर अपने लोड फैक्टर में वृद्धि करने का है और यदि हां,. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या समय पर आगमन प्रस्थान (ओ.टी.पी.), प्रति 10000 यात्रियों पर यात्री शिकायतें, विमान उपयोग,. पायलट, उपयोग आदि जैसे प्रचालनात्मक मानदंडों पर अन्य एयरलाइनों की तुलना में ए.आर. इंडिया का प्रदर्शन खराब है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों चालू वर्ष के दौरान इन मानदंडों पर अन्य एयरलाइनों की तुलना में ए.आर. इंडिया की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एयर इंडिया के खराब प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के पीछे के कारणों का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एअर इंडिया ने अपने 2 श्रेणी केबिन वाले 18 पुराने ए320 विमानों में से 14 विमानों को पुन: संरूपित करते हुए 168 किफायती श्रेणी की सीटों वाले एकल श्रेणी केबिन में संरूपित किया है। एयर इंडिया ने 24 नए नैरो बॉडी विमान यथा 20xए320, तथा 4xए320, जो नए अधिग्रहित किए गए 43 ए320 विमानों में से हैं, के पुन: संरूपण का निर्णय लिया है। ये 24 विमान विजनेस श्रेणी केबिन कंपोर्टमेंट में 2 रो कम करते हुए पुन: संरूपित किए जाएंगे, जिससे अनुपालिक तौर पर किफायती श्रेणी में 2/3 रो की सीटिंग में वृद्धि होगी। यह निर्णय किफायती श्रेणी केबिन के लिए उपलब्ध उच्च लोड फैक्टर को ध्यान रखते हुए प्रति उड़ान सीट

अधिकांश तथा राजस्व में वृद्धि के लिए लिया गया है।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय अप्रैल, 2012 से अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के एयरपोर्ट - वार समयबद्ध निष्पादन का अनुरक्षण कर रहा है। छः मैट्रो यथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नै, बंगलुरू तथा हैदराबाद के संबंध में समयबद्ध निष्पादन का एअरलाईन - वार विवरण संलग्न है।

एअर इंडिया के संदर्भ में प्रति 10000 यात्रियों में से शिकायतों का औसत 2 से 2.4 है।

विमान और पायलटों का उपयोग हर विमान पर अलग-अलग होता है।

एअर इंडिया के लिए ए320 तथा बोइंग ए-310 वर्ग के विमानों का पिछले तीनों वर्षों का विमान उपयोग निम्नानुसार है:-

ए-320 वर्ग के विमान (प्रति दिवस उपयोग)

वर्ष	ए319	ए320	ए321
2010	8.05	8.40	9.21
2011	7.65	7.86	9.43
2012	8.55	9.23	9.93

बोईंग/ए310 वर्ग के विमान (प्रति दिवस उपयोग)

वर्ष	ए310	बी 747-400	बी 777	बी 787
2010	5.87	7.76	12.83	-
2011	4.38	6.89	12.74	-
2012	-	4.55	10.17	9.4

एअर इंडिया के पायलटों की सेवाओं के प्रति माह उपयोग के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:-

विमान की प्रकृति	उपयोग/प्रति माह
ए 320	60 घण्टे
ए 330	66 घण्टे
बी 747-400	45 (सीमित वाणिज्यिक प्रचालन तथा वी.वी.आई.पी. आवागमन)
बी 777	70 घण्टे

(घ) से (च) सरकार ने एअर इंडिया के लिए कायाकल्प योजना तथा वित्तीय पुनर्सरचना योजना अनुमोदित की है जिसमें सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी के निवेश, लागत में कमी तथा उन्नत प्रचालन निष्पादन का विचार रखा गया है। लागत में कमी तथा उन्नत प्रचालन निष्पादन के संबंध में एअर इंडिया द्वारा किए गए उपायों में से कुछ का उल्लेख नीचे प्रस्तुत है:-

i) पूर्ववर्ती एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के रूटों का पूर्ण औचित्यकरण तथा नेटवर्क के समान प्रचालन वाले रूट हटाना ii) हानि वाले कुछ रूटों का औचित्यकरण iii) यात्री अपील में वृद्धि के उद्देश्य से कुछ देशीय तथा

अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए बिल्कुल नए विमान लगाना iv) पुराने विमान बेड़े को हटाना जिसके परिणाम स्वरूप अनुरक्षण लागत में कमी v) पट्टे पर लिए विमानों को उनकी समयावधि पूरी होने अथवा समयावधि पूरी होने से पूर्व लौटाना vi) गैर प्रचालनिक क्षेत्रों में रोजगार बन्द करना vii) अलाभदायक व्यय में कमी के लिए स्टाफ का पुन: नियोजन viii) पुराने विमान बेड़े को ग्राउंड करना जिनमें बी 747-400 का प्रयोग कुछ विशेष प्रचालनों तथा वी.आई.पी. उड़ानों के लिए किया जाएगा ix) कार्यपालक निदेशकों/भारत बेस अधिकारियों की विदेश से भारत में पुन: संरचना योजना पर हस्ताक्षर करना, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागतों तथा ऋण की धनवापसी पर अधिस्थगन का लाभ हुआ।

विवरण

समयबद्ध निष्पादन प्रदर्शन प्रतिशत में

अवधि	एअर-इंडिया	जेट और जेटलाइट	किंगफ़िशर	स्पाइस जेट	गो एयर	शून्य
अप्रैल, 2012	79.7	86.5	81.2	80.7	86.8	86.2
मई, 2012	78.0	85.6	80.2	80.8	88.6	91.5
जून, 2012	78.6	88.7	87.0	83.2	85.8	95.1
जुलाई, 2012	81.2	91.6	81.0	84.3	90.3	95.3
अगस्त, 2012	87.4	92.9	81.8	89.7	86.7	96.2
सितम्बर, 2012	86.9	93.7	80.8	87.4	90.8	96.9
अक्टूबर, 2012	83.7	92.9	कोई प्रचालन नहीं	81.9	88.8	96.0
नवम्बर, 2012	67.9	84.8	कोई प्रचालन नहीं	82.2	77.4	96.0
दिसम्बर, 2012	69.2	80.8	कोई प्रचालन नहीं	78.3	81.7	84.0
जनवरी, 2013	60.4	80.1	कोई प्रचालन नहीं	79.1	79.2	84.7

नए विमानों का अधिग्रहण

2730. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानों के अधिग्रहण हेतु एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि विमानन कंपनियां केवल प्रमाणित उड़ान उपयुक्तता वाले विमानों को ही पट्टे पर लें या खरीदें?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) दिनांक 31.10.2012 को नागर विमानन मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में संयुक्त सचिव सहित नागर विमानन महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा आयुक्त तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में लेते हुए विमानों के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विमान अधिग्रहण समिति (ए.ए.सी.) पुर्नगठित की गई है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षाओं के सेक्शन-2 के अंतर्गत उड़नयोग्यता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। एयरलाइन प्रचालनों के विनियामक के रूप में नागर विमानन महानिदेशालय इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

किराए वाले भवनों में डाकघर

2731. **श्री एस. सेम्मलई:**

श्री पी. आर. नटराजन:

श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में इस समय में स्वयं के भवनों अथवा किराए के भवनों में चल रहे डाकघरों तथा तारघरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) किराए के भवनों में चल रहे डाक एवं तार कार्यालयों के किराए पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) सरकार द्वारा अपने स्वयं के भवनों के निर्माण और किराए के भवनों से डाक एवं तार कार्यालयों के स्थानांतरित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने डाक एवं तार कार्यालय के कर्मचारियों हेतु कोई आवास योजना आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. क्रुपारानी किल्ली): (क) वर्तमान में समूचे देश में राज्यवार अलग-अलग निजी भवन तथा किराए के भवन में कार्यरत डाकघरों तथा तार कार्यालयों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) किराए के भवनों में कार्यरत राज्यवार डाक एवं तार कार्यालयों पर किराए के रूप में किए गए व्यय के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) डाक एवं तार कार्यालयों को शिफ्ट करने के लिए निजी भवनों के निर्माण का कार्यकलाप एक सतत कार्य है। सरकार योजना कार्यकलापों द्वारा ऐसे मामलों को संकलित कर किराए के भवन से डाक एवं तार कार्यालयों को शिफ्ट करने हेतु निजी भवनों के निर्माण के लिए कार्रवाई कर रही है, इसके बाद व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के अध्यधीन अग्रता सूची बनाई जाएगी बशर्ते कि योजना आयोग से निधियां उपलब्ध हों।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश में फिलहाल निजी भवनों में या किराए के भवनों में चल रहे डाकघरों और तार कार्यालयों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	संचालित डाकघरों की संख्या		संचालित तार कार्यालयों की संख्या	
		विभागीय भवन	किराए का भवन	विभागीय भवन	किराए का भवन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	306	2016	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	23	11	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	158	475	0	0
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	17	1	0
5.	बिहार	171	800	10	1
6.	छत्तीसगढ़	43	277	1	0
7.	दिल्ली	123	214	4	2
8.	गोवा	79	15	0	0
9.	गुजरात	249	1094	0	0
10.	हरियाणा	75	354	4	0
11.	हिमाचल प्रदेश	76	370	0	
12.	जम्मू और कश्मीर	34	200	8	0
13.	झारखंड	69	329	11	
14.	कर्नाटक	370	1313	0	0
15.	केरल	242	1216	0	0
16.	मध्य प्रदेश	197	786	1	0
17.	महाराष्ट्र	539	1483	1	0
18.	मणिपुर	7	47	0	0
19.	मेघालय	19	32	0	0
20.	मिजोरम	10	27	0	0
21.	नागालैंड	10	26	0	0
22.	ओडिशा	146	948	7	0
23.	पुदुचेरी	8	19	0	0
24.	पंजाब	137	526	13	0
25.	राजस्थान	287	930	0	0
26.	सिक्किम	5	13	0	0

1	2	3	4	5	6
27.	तमिलनाडु	278	2251	2	0
28.	त्रिपुरा	22	47	1	0
29.	उत्तर प्रदेश	325	2059	3	0
30.	उत्तराखंड	51	297	0	0
31.	पश्चिम बंगाल	218	1466	0	0
	कुल योग	4287	19658	67	7

विवरण-II

किराए के भवनों में संचालित डाक व तार कार्यालयों पर वर्ष 2011-12 तथा वर्तमान वर्ष (फरवरी 2012 तक) के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	किराए के भवनों में संचालित डाकघरों के किराए पर व्यय		किराए के भवनों में संचालित तारघरों के किराए पर व्यय	
		2011-12	2012-13 (फरवरी, 13 तक)	2011-12	2012-13 (फरवरी, 13 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	536.71	490.76	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.14	2.64	0	0
3.	असम	125.17	118.47	0	0
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.46	2.25	0	0
5.	बिहार	127.77	125.73	0.79	0.68
6.	छत्तीसगढ़	55.06	53.32	0	0
7.	दिल्ली	131.84	166.23	1.53	0.40
8.	गोवा	9.59	11.44	0	0

1	2	3	4	5	6
9.	गुजरात	206.21	206.20	0	0
10.	हरियाणा	62.48	78.08	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश	57.93	56.84	0	0
12.	जम्मू और कश्मीर	58.47	49.72	2.54	2.32
13.	झारखंड	51.47	56.98	0	0
14.	कर्नाटक	344.00	344.21	0	0
15.	केरल	350.87	329.05	0	0
16.	मध्य प्रदेश	132.14	130.70	0	0
17.	महाराष्ट्र	523.33	516.65	0	0
18.	मणिपुर	14.91	13.10	0	0
19.	मेघालय	16.28	15.27	0	0
20.	मिजोरम	11.53	12.05	0	0
21.	नागालैंड	9.25	1.54	0	0
22.	ओडिशा	175.46	181.20	0	0
23.	पुदुचेरी	1.86	1.80	0	0
24.	पंजाब	106.00	104.10	0	0
25.	राजस्थान	296.77	229.05	0	0
26.	सिक्किम	7.58	6.64	0	0
27.	तमिलनाडु	635.82	597.42	0	0
28.	त्रिपुरा	12.42	11.72	0	0
29.	उत्तर प्रदेश	372.09	384.95	0	0
30.	उत्तराखंड	62.69	67.65	16.63	14.32
31.	पश्चिम बंगाल	358.00	340.16	0	0
	कुल योग	4858.30	4705.92	21.49	17.72

आदर्श दिशा-निर्देश

2732. **श्री एम. कृष्णास्वामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कोई आदर्श दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) निजी विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों की स्थापना या तो राज्य विधान मंडल अथवा संसद के एक अधिनियम द्वारा ही की जा सकती है। अभी तक, देश के सभी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों द्वारा की गई है। तथापि, निजी विश्वविद्यालयों का विनियमन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यू.जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। ये विनियम यू.जी.सी. की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2733. **श्रीमती मौसम नूर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को आवंटित की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 152 शहरों/कस्बों के लिए दो स्केलों अर्थात् 1:10,000 और 1:2000 पर जी. आई.एस. डाटाबेस तैयार करने के लिए मार्च, 2006 में राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एन.यू.आई.एस.) स्कीम प्रारम्भ की थी। इसके अतिरिक्त, 22 कस्बों के लिए 1:10,000 के स्केल पर प्रायोज्यता मानचित्रण का कार्य भी किया जा रहा है। ये मानचित्रण और डाटाबेस शहरी क्षेत्रों में मास्टर/विकास योजनाओं, जोनल योजनाओं को तैयार करने और प्रयोज्यता प्रबंधन के लिए उपयोगी होंगे। एन.यू.आई.एस. स्कीम के अंतर्गत चार शहर नामतः खड्गपुर, दुर्गापुर कुल्टी और बर्धवान शामिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता और कृष्णा नगर यूनाइटेड सेंटर फॉर ह्युमेन सेटलमेंट (यू.एन.सी.एच.एस.) कस्बों के रूप में चयनित किए गए हैं। उपरोक्त सभी कस्बों का 1:10,000 और 1:2000 स्केल पर मानचित्रण पूर्ण कर लिया गया है और इसे राज्य शहरी विकास एजेंसी को जांच के लिए भेज दिया गया है।

(ख) एन.यू.आई.एस. स्कीम के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय ने पं. बंगाल राज्य की राज्य नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को हार्डवेयर/साफ्टवेयर और राष्ट्रीय शहरी डाटाबैंक और इंडीकेटरस (एन.यू.डी.बी. एंड आई.) की खरीद हेतु 43.25 लाख रु. आबंटित किए हैं। ब्यौरे निम्नवत हैं:-

घटक	आबंटन (लाख रु. में)
हार्डवेयर/साफ्टवेयर	32.00
राष्ट्रीय शहरी डाटाबैंक और इंडीकटरस	11.25
कुल	43.25

राजनयिक सुरक्षा बल

2734. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के साथ-साथ भारत में विभिन्न देशों के दूतावासों तथा मिशनों की सुरक्षा के लिए राजनयिक सुरक्षा बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बल की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) भारत सरकार के पास विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों तथा भारत में विभिन्न देशों के मिशनों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पहले से ही एक कार्य प्रणाली उपलब्ध है। इन सुरक्षा प्रबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और स्थानीय सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें सुदृढ़ किया जाता है। संवेदनशील प्रकृति की सूचना होने के कारण, सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

नियंत्रण रेखा की घटना

2735. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हाल के अमानुषिक हमले का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार उक्त हमले पर प्रतिक्रिया किस प्रकार करने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) सरकार 8 जनवरी को मेंधार क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा 2 भारतीय सैनिकों की हत्या तथा उनके शरीरों को बर्बरतापूर्ण क्षत-विक्षत करने के भड़काऊ एवं घृणिता कृत्यों की निंदा करती है तथा उसने पाकिस्तानी सरकार से आह्वान किया है कि इस अस्वीकार्य कार्रवाई की उपयुक्त जांच की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला करार 1972 सम्पन्न होने के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से अपने विवादों का समाधान करने का संकल्प लिया है। 8 जनवरी को नियंत्रण रेखा के निकट हुई घटनाओं के संबंध में यह सूचित किया गया है कि पाकिस्तान को यह नहीं मानना चाहिए कि उसके स्पष्ट इनकार तथा उचित जवाब के अभाव को नजर अंदाज कर दिया जाएगा तथा द्विपक्षीय संबंध प्रभावित नहीं होंगे अथवा सभी कामकाज सामान्य रहेंगे।

[अनुवाद]

विद्यालयों द्वारा उद्यानों को गोद लेना

2736. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री अब्दुल रहमान:

श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को विभिन्न विद्यालयों से पास के उद्यानों को गोद लेने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए ऐसे अनुरोधों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों को प्रदान की गई अनुमतियों का विद्यालय-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन विद्यालयों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या द्वारका के एक विद्यालय सहित कुछ विद्यालयों ने गोद लिए गए उद्यानों मं अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को 25 शिक्षण सोसाइटियों से पार्कों को अपने अधिकार में लिए अनुरोध

प्राप्त हुए हैं तथा स्कीम के मानदण्डों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा 13 मामले अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) जी हां। डी.डी.ए. द्वारा आवेदकों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) द्वारका के निवासियों से एक स्कूल द्वारा अपने अधिकार में लिए गए पार्क में गेट लगाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) स्कूल द्वारा लगाए गए एक बड़े गेट को डी.डी.ए. द्वारा बन्द कर दिया गया है और उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध स्कीम की शर्तों और निबंधनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सुविधाएं

2737. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर समर्थित अधिगम के उपयोग संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देश/उपबंध क्या हैं;

(ख) सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर समर्थित विद्यालयों के लिए खरीदे और उपयोग किए गए आई.सी.टी. उपकरणों का ब्योरा क्या है;

(ग) कुल कितने विद्यालयों को आई.सी.टी. उपकरण प्रदान किए गए हैं तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार तथा उपकरण-वार कितने आई.सी.टी. उपकरण खरीदें तथा उपयोग किए गए हैं;

(घ) क्या अध्यापकों को आई.सी.टी. उपकरणों के प्रयोग के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ताकि विद्यार्थियों को विद्यालयों में आई.सी.टी. उपकरणों का अधिकाधिक लाभ मिल सकें

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक/कमजोर वर्गों की बहुलता वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों और क्षेत्रों पर जोर देते हुए कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करने तथा कम्प्यूटर समर्थित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम दिसम्बर, 2004 में शुरू की और 2010 में संशोधित की गई थी। प्रति स्कूल 6.4 लाख रु. (अनावर्ती) और पांच वर्षों के लिए प्रति स्कूल प्रतिवर्ष 2.7 लाख रु. (आवर्ती) अनुदान दिया जाता है। योजना में राज्य सरकार के मौजूदा स्कूलों में से एक को परिवर्तित करते हुए जिलों में 150 स्मार्ट स्कूल स्थापित करने की भी व्यवस्था है ताकि वह रोल मॉडल की भूमिका निभा सके और पड़ोसी स्कूलों से अवसंरचना और संसाधन साझा कर सके। इसके लिए 25 लाख रु. का (अनावर्ती) और पांच वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 2.5 लाख रु. प्रति स्कूल (आवर्ती) अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच भागीदारी पैटर्न 75:25 के अनुपात में है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जहां यह 90:10 के अनुपात में है। मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन के लिए आदर्श बोली दिशा-निर्देश भी प्रदान किए हैं। स्कूल शिक्षा में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नीति योजना के कार्यान्वयन मं मार्गदर्शन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिचालित की गई थी।

(ख) और (ग) योजना में संकेतात्मक उपस्कर की व्यवस्था है। जो पर्सनल कम्प्यूटर (पी.सी.). प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, मोडम, ब्रॉडबैंड एण्टीना, जेनरेटर/सोलर पैकेज, अनइण्टरप्टिबल पॉवर सप्लाई (यू.पी.एस.), वीडियो कैमरा, फर्नीचर. ऑपरेटिव सिस्टम और एप्लीकेशन साफ्टवेयर और एज्युकेशन साफ्टवेयर इत्यादि जिसे राज्य प्रदान करते हैं, की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में इन उपस्करों की प्राप्ति हेतु कवरेज के लिए अनुमोदित स्कूलों को दर्शाने वाला राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण-I संलग्न है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी और प्रयुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (ङ) स्कूलों मे आई.सी.टी. की शिक्षा देने के लिए समर्पित कम्प्यूटर शिक्षक लगाने तथा योजना के अंतर्गत शामिल अन्य विषयों के अध्यापकों को सेवा पूर्व और सेवा कालीन प्रशिक्षण (इंडक्शन और रिफ्रेशर) प्रदान करने की आई.सी.टी. के दिशा-निर्देशों में व्यवस्था है। मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर दी गई प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से स्थिति की समीक्षा करता है। इस स्कीम में शिक्षक-प्रशिक्षण की पर्याप्तता तक पहुंचने के लिए तृतीय पक्ष-मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

विवरण-I

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में अनुमोदित राज्य-वार स्कूलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	स्मार्ट स्कूल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	28	0	0	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	4031	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	55	24	0	0	0
4.	असम	0	1240	969	0	0
5.	बिहार	0	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	1100	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	11	1	0	2
9.	दमन और दीव	0	6	0	0	2
10.	दिल्ली	0	594*	1110	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	2730	0	0	0	0
13.	हरियाणा	1000	1617	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	618	848	0	0

1	2	3	4	5	6	7
15.	जम्मू और कश्मीर	200	0	0	0	0
16.	झारखंड	0	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	0	0	0	0	0
18.	केरल	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2000*	0	2000	0	0
21.	महाराष्ट्र	0	0	5000	0	0
22.	मणिपुर	130*	260	0	0	4
23.	मेघालय	100	241	164	0	4
24.	मिजोरम	0	37	181	0	4
25.	नागालैंड	0	82	0	121	4
26.	ओडिशा	0	4000	0	2000	0
27.	पुडुचेरी	0	0	182	0	4
28.	पंजाब	870	494	0	134	5
29.	राजस्थान	0	2000	0	0	0
30.	सिक्किम	0	42	0	0	4
31.	तमिलनाडु	1880	461	1999	0	5
32.	त्रिपुरा	0	282	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	0	1500	1608	0	5
34.	उत्तराखंड	500*	500	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	0	2000	0	0	5
	कुल	7935	19474	14062	2255	63

विवरण-II

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी एवं उपयोग की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	6600.00	6600.00	6923.50	5213.50	3927.50	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	105.52	105.52	165.83	165.83	584.37	584.37	69.12	0.00
4.	असम	0.00	0.00	641.00	641.00	2182.40	2182.40	2483.44	0.00
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	182.75	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	14.40	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
10.	दिल्ली	0.00	0.00	399.00	0.00	639.98	0.00	0.00	0.00
11.	गोवा	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	गुजरात	1871.78	1871.78	6915.57	6915.57	5107.64	0.00	0.00	0.00
13.	हरियाणा	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	753.60	753.60	2205.68	773.60	753.60	0.00
15.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0	6229.48	6229.48	330	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	केरल	4071.00	4071.00	2600.00	2600.00	5562.00	5562.00	3075.00	0.00
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	महाराष्ट्र	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	मणिपुर	391.95	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	मेघालय	0.00	0.00	386.59	0.00	20.00	0.00	00.00	0.00
24.	मिजोरम	301.50	301.50	408.06	106.56	672.84	672.84	45.00	0.00
25.	नागालैंड	111.21	111.21	486.82	486.82	542.67	542.67	770.42	339.958
26.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	4000.00	0.00
27.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	4305.00	4305.00	4603.00	4603.00	2890.00	2890.00	7291.35	4787.35
29.	राजस्थान	2300.00	2300.00	4500.00	4500.00	0.00	0.00	6000.00	0.00
30.	सिक्किम	0.00	0.00	418.97	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	तमिलनाडु	318.72	318.72	0.00	0.00	4360.00	0.00	0.00	0.00
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	946.32	450	927.72	927.72	264.25	184.97
33.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	3984.82	3984.83	6268.17	4267.07	4302.72	0.00
34.	उत्तराखंड	151.50	151.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	3500.00	3500	3646.83	0.00	0.00	0.00
	कुल	18292.93	15533.90	38321.63	35820.20	49213.20	30245.70	33379.60	5312.29

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुप्रबंधन और अनियमितताएं

2738. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कुप्रबंधन और अनियमितताओं के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की समिति गठित करके किसी जांच के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित अधिनियम के तहत स्थापित स्वायत्त निकाय हैं और केन्द्र सरकार की इनके दिन-प्रतिदिन कार्यों में कोई भूमिका नहीं होती है। जब भी अव्यवस्था/अनियमितताओं से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो इसे संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालय को उचित कार्यवाई करने के लिए भेज दिया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत. प्रश्न नहीं उठते।

आधार योजना के लिए हेल्पलाइन

2739. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशिष्ट पहचान प्राधिकरण/सरकार के पास आधार योजना संबंधी प्रश्नों का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त हेल्पलाइन के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस सुविधा का विस्तार संपूर्ण देश में करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (च) आधार स्कीम संबंधी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु, निवासियों तथा अन्य पक्षों के लिए हेल्पलाइन के तौर पर एक हेल्पलाइन (सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से) जुलाई, 2010 से ही प्रचलन में है।

इस हेल्पलाइन से निवासियों को दो सहायक चैनलों-फोन तथा ई-मेल के माध्यम से सहायता मिलती है। निवासी इन सहायक चैनलों में से किसी के भी माध्यम से, आधार संबंधी कोई भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन से सम्पर्क कर सकते हैं। फिलहाल, हेल्पलाइन जमशेदपुर और पुणे से प्रचालित हो रही हैं।

फिलहाल, आने वाले फोन के लिए 6 भाषाओं में सुविधा उपलब्ध है: हिंदी, कन्नड़, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगू तथा बंगाली। ई-मेल सहायता केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है।

आवासीय इकाइयों को पूरा करना

2740. **श्री लक्ष्मण टुडु:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित विभिन्न शहरों में आई.एच.एस.-डी.पी. के अंतर्गत आवासीय इकाइयां स्वीकृत योजना के अनुसार पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्य की समीक्षा की है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्वीकृत योजनानुसार आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) ओडिसा सहित विभिन्न शहरों/कस्बों में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत रिहायशी यूनिटों को राज्य सरकारों को स्वीकृत योजना के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होता है। आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत कुल 5.64 लाख रिहायशी यूनिटों में से 3.28 लाख रिहायशी यूनिट या तो पूरे हो गए हैं अथवा पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। आई.एचएस.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय ओर वास्तविक प्रगति के संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर की गई पुनरीक्षा बैठकों से यह पता चला है कि रिहायशी यूनिटों के समय पर पूरा होने से विलंब होने के कारण अन्य बातों के साथ-साथ निम्न अनुसार हैं:-

- अन्य कारकों के साथ स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों के कारण लागत में वृद्धि तथा

इस वृद्धि को पूरा करने में राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभभोगियों की अनिच्छा - म्युनिस्पिल की अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण विशेष कर शहरी स्थानीय निकायों की अनिच्छा।

- राज्य/क्रियान्वयन एजेंसी/शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) स्तर पर परियोजना प्रबंधन क्षमता की कमी।
- स्वस्थाने परियोजनाओं के मामले में स्लम निवासियों का अस्थाई रूप से पुनर्बसाव करने में कठिनाइयां।
- लाभभोगियों द्वारा अपना अंशदान देने में असमर्थता और अनिच्छा।
- मुकदमेबाजी से मुक्त भूमि की कम उपलब्धता।

(ग) से (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिहायशी यूनिट स्वीकृत योजना के अनुसार पूरे हो जाएं तृतीय पक्षकार निरीक्षण और मानीटरिंग (टी.पी.आई.एम.) की नियुक्ति करने का प्रावधान है। टी.पी.आई.एम. रिपोर्टों का मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा भी विश्लेषण किया जाता है और साथ ही जे.एन.एन.यू.-आर.एम. के घटक - बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत दूसरी और परवर्ती किस्तें जारी करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर परियोजनाओं पर विचार करने के लिए स्वीकृति समिति द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जें.एन.एन.-यू.आर.एम.) की उसके घटक बी.एस.यू.पी. और आई.आर.एच.-एस.डी.पी. सहित, कार्य अवधि को 31.3.2012 से आगे दो वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च. 2014 तक बढ़ा दिया गया है ताकि स्वीकृत परियोजनाओं को सुगमता से पूरा किया जा सके। केन्द्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर पुनरीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों से नियमित रूप से आग्रह किया जाता है कि वे स्वीकृत परियोजनाओं को 31.03.2014 तक अवश्य पूरी कर लें।

विवरण

(करोड़ रु. में)

आई.एच.एस.डी.पी.: संयुक्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(1 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अंतर्गत शहर/कस्बा की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	कुल वचनबद्ध ए.सी.ए.	जारी ए.सी.ए.	स्वीकृत रिहायशी ईकाइयों की संख्या	शुरू की जाने वाली आवासीय एकक	प्रगति पर रिहायशी ईकाइयों	पूर्ण रिहायशी ईकाइयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	1	15.15	13.64	5.53	40	40	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	74	56	989.68	677.30	669.22	39945	1615	13346	24984
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	9.95	8.96	4.48	176	176	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	असम	16	16	84.99	70.22	35.11	8668	6751	493	1424
5.	बिहार	32	28	757.89	380.79	223.92	28623	23076	3180	2367
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)						0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	18	17	225.60	158.83	118.31	17922	4508	8863	4551
8.	दादरा और नगर हवेली	2	1	5.74	3.34	1.67	144	144	0	0
9.	दमन और दीव	1	1	0.69	0.58	0.29	16	0	2	14
10.	दिल्ली						0	0	0	0
11.	गोवा	1	1	4.10	1.40	0.70	70	70	0	0
12.	गुजरात	44	43	425.71	254.65	200.08	26002	17988	3544	4470
13.	हरियाणा	25	15	318.42	244.89	166.29	16611	7316	1275	8020
14.	हिमाचल प्रदेश	9	8	75.11	50.09	24.39	2043	1587	456	0
15.	जम्मू और कश्मीर	50	37	147.60	107.41	81.07	7623	2788	2734	2101
16.	झारखंड	10	10	217.93	131.33	65.66	11544	8289	3255	0
17.	कर्नाटक	34	32	410.30	222.56	218.60	17237	746	1844	14647
18.	केरल	53	45	273.32	201.60	149.49	26205	8592	2524	15089
19.	लक्षद्वीप						0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	56	53	376.28	257.43	146.95	22998	13465	7990	1543
21.	महाराष्ट्र	127	91	2558.87	1604.11	944.89	109612	72908	17946	18758
22.	मणिपुर	7	7	70.21	52.20	32.35	4214	1385	368	2461
23.	मेघालय	3	3	41.48	22.43	11.21	912	464	400	48
24.	मिजोरम	11	9	56.07	41.05	29.78	2550	600	799	1151
25.	नागालैंड	4	4	101.86	60.99	29.92	3431	2711	240	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	ओडिशा	38	35	289.50	194.53	144.47	13097	4196	5192	3709
27.	पुडुचेरी	1	1	17.03	5.48	2.74	432	288	144	0
28.	पंजाब	16	11	340.12	145.64	76.93	10911	6515	3694	702
29.	राजस्थान	67	59	1046.61	639.20	382.89	46437	23394	15377	7666
30.	सिक्किम	1	1	19.91	17.92	8.96	39	0	39	0
31.	तमिलनाडु	94	93	566.11	400.45	359.50	37715	5653	5109	26953
32.	त्रिपुरा	5	5	43.64	38.05	34.55	3115	500	308	2307
33.	उत्तर प्रदेश	164	143	1325.10	846.08	687.91	47399	10594	20293	16512
34.	उत्तराखंड	22	19	177.55	97.92	69.23	5410	2301	2101	1008
35.	पश्चिम बंगाल	95	81	944.36	709.02	676.49	52666	7168	6582	38916
	सकल योग	1083	927	11936.89	7660.08	5603.59	563807	235828	128098	199881

विदेशी संकाय की सेवाएं लेना

2741. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत के कुछ अग्रणी विज्ञान संस्थानों में शिक्षण कार्य के लिए भारतीय मूल के विदेशी शिक्षकों (फैकल्टी) की सेवाएं अधिक वेतन का प्रस्ताव देकर प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विदेशी शिक्षकों (फैकल्टी) की सेवाएं लेने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे प्रस्ताव के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है; और

(ङ) कब तक उक्त प्रस्ताव के लागू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) की कुछ स्कीमें हैं जिनका उद्देश्य विदेश स्थित भारतीय प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं को विशिष्ट अवधियों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में विनियोजन हेतु प्रोत्साहित करना है। ऐसी कुछ स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

1. विद्वता/संकाय संसाधन बढ़ाने के अंतर्गत स्कालर-इन-रेजीडेंस "एनकोर" स्कीम। यू.जी.सी., विदेशी अकादमिक अनुसंधान तथा कारोबारी संगठनों में कार्यरत प्रवासी भारतीयों, पी.आई.ओ. स्तर के व्यावसायिकों और विशेषज्ञों के साथ-साथ विदेशी शिक्षाविदों एवं शोधकताओं जिनका भारतीय मुद्दों में प्रदेशीय हित हैं, को 80,000/- रु. प्रतिमाह का एक समेकित पारिश्रमिक और 1,00,000 रु. प्रति वर्ष का आकस्मिक खर्च प्रदान करता है।

2. कनिष्ठ तथा वरिष्ठ शोध फैलोशिप-आई.सी.सी.आर., संस्कृति एवं समाज विज्ञानों के क्षेत्र में भारतीय अध्ययनों में विशेषज्ञता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को कनिष्ठ एवं वरिष्ठ फैलोशिप प्रदान करता है। वरिष्ठ फैलोशिप प्रमाणित अकादमिक प्रत्यायक विख्यात विद्वानों को दी जाती हैं जबकि कनिष्ठ फैलोशिप, युवा विद्वानों को पोस्ट-डाक्टरल शोध करने के लिए अभिप्रेत हैं। एक़ वरिष्ठ फैले को उसकी फैलोशिप अवधि के लिए 1,50,000/- रु. प्रतिमाह एकमुश्त वृत्तिका दी जाएगी जबकि कनिष्ठ फैलो के लिए ये एक-मुश्त वृत्तिका दी जाएगी जबकि कनिष्ठ फैलो के लिए ये एक मुश्त वृत्तिका 50,000/- रु. प्रतिमाह होगी।

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में ऐसी कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, इन संस्थानों में विदेशी संकाय की भर्ती पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा राजस्व वसूली को कम करके बताना

2742. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार कंपनियों की विशेष लेखापरीक्षा की है तथा पाया है कि वोडाफोन इंडिया सहित कुछ दूरसंचार लेखा में धोखाधड़ी करते रहे हैं तथा सकल राजस्व को कम करके रिपोर्ट करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी दूरसंचार ऑपरेटर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इन ऑपरेटरों को कोई नोटिस भेजा है तथा उन पर शास्तियां लगायी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन दूरसंचार ऑपरेटरों ने उक्त राशि का भुगतान किया है; और

(ङ) उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे दूरसंचार ऑपरेटरों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी या प्रस्तावित है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए वोडाफोन समूह सहित पांच प्रमुख निजी दूरसंचार समूह कंपनियों की विशेष लेखापरीक्षा की गई है। संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने उपर्युक्त सभी लाइसेंसधारकों को कारण बताओ नोटिस/डिमांड नोटिस भेजे हैं। इन नोटिसों में लाइसेंस करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ब्याज का भी उल्लेख किया गया है। विशेष लेखा परीक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न मांगों पर केरल उच्च न्यायालय/दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.)/चेन्नई उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश लगा दिया गया है।

विवरण

विशेष लेखा परीक्षा के तहत कम करके बताए गए राजस्व और दूरसंचार कंपनियों के संबंध में निर्गत लाइसेंस शुल्क मांगों के ब्यौरे

(रु. करोड़ों में)

समूह	कम करके बताया गया राजस्व	उठाई गई लाइसेंस शुल्क मांग (ब्याज सहित)
रिलायंस	3402.92	623.18
भारती	1927.50	332.12
टाटा	3156.46	505.31
वोडाफोन	1490.94	246.89
आइडिया	848.87	134.17
कुल	10826.69	1841.67

अवसंरचना का आधुनिकीकरण

2743. श्री एम.के. राघवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अकादमिक संस्थानों में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग हेतु अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा की गयी प्रमुख पहल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों, व्यावसायिक तथा अन्य कालेजों के पास तर्कसंगत आकार की विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थानों को सुव्यवस्थित प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 2002-03 में, 10-12 वर्ष के दीर्घावधि कार्यक्रम के रूप में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) आरंभ किया था जो तकनीकी शिक्षा प्रणाली के प्रणालीगत परिवर्तन हेतु तीन चरणों में लागू होना था। कार्यक्रम का पहला चरण मार्च, 2009 में पूरा हुआ। वर्तमान में कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रक्रियाधीन है। चालू चरण के तहत् शामिल संस्थानों की संख्या संलग्नक पर दी गई है।

भारत सरकार वर्तमान में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.-आई.पी.) का दूसरा चरण राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों के समान अंशदानों के साथ लागू कर रही है जिसमें अवर स्नातक स्तर पर अधिगम परिव्ययों के सुधार और नियोज्यनीयता; स्नातकोत्तर शिक्षा, शोध और विकास तथा नवाचार बढ़ाने और उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 187 इंजीनियरी संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है विज्ञान प्रयोगशाला सहित अतिरिक्त सुविधाओं और मौजूदा सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अवसंरचना में सुधार की व्यवस्था करता है। आर.एम.एस.ए. के आरंभ से मौजूदा सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 23407 विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रावधान का अनुमोदन किया गया है।

विवरण

वर्तमान चरण के अन्तर्गत कवर किए गए संस्थान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	टी.ई.क्यू.आई.पी.-II के तहत शामिल संस्थाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	24
2.	बिहार	2
3.	छत्तीसगढ़	4
4.	गुजरात	7
5.	हरियाणा	6
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	झारखंड	2
8.	कर्नाटक	19
9.	केरल	19
10.	मध्य प्रदेश	5
11.	महाराष्ट्र	18
12.	ओडिशा	2
13.	पंजाब	8
14.	राजस्थान	9
15.	तमिलनाडु	9
16.	त्रिपुरा	1
17.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	3
18.	संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	1
19.	उत्तराखंड	3
20.	उत्तर प्रदेश	5
21.	पश्चिम बंगाल	15
	कुल	163

[हिन्दी]

सीधे नकदी अंतरण स्कीमों को लागू करना

2744. **श्री भूदेव चौधरी:**

श्री तथागत सत्पथी:

श्री मधुसूदन यादव:

श्रीमती मीना सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे नकदी अंतरण स्कीम की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान किया है जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की कोई शाखा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार, छतीसगढ़ तथा ओडिशा सहित चयनित जिलों के उन क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां बैंकों की शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे नकदी अंतरण स्कीम की राह में बाधाओं को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) यद्यपि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को 26 स्कीमों हेतु 43 जिलों में रोलआउट किया गया है, इन जिलों में उच्च आधार नामांकन एवं बैंकों की वृहत् कवरेज को ध्यान में रखा गया है, मौजूदा बैंकिंग अवसंरचना जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे नकद अंतरण सुविधा के सुचारू रूप से कार्य करने को तैयार है का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

देश में दिसंबर, 2012 में 100277 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं (एस.सी.बी.) (जिनमें से 36972 ग्रामीण क्षेत्रों एवं 26595 अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं) एवं 105,784 ए.टी.एम. हैं। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की औसत जनसंख्या प्रति शाखा (ए.पी.पी.बी.) 12,921 है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार भारत में बैंक शाखाओं एवं औसत जनसंख्या प्रति शाखा (ए.पी.पी.बी.) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बैंकिंग अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए आर.बी.आई. ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:-

- आर.बी.आई. ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आर.आर.बी. को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में आर.बी.आई. से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना उसे सूचना देने के अध्ययधीन टियर 2 से टियर 6 केन्द्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 99,999 तक जनसंख्या वाले) में शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।
- आर.बी.आई. ने एम.सी.बी. (आर.आर.बी. को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में आर.बी.आई. से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, सूचना देने के अध्यधीन ग्रामीण, पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में अर्धशहरी एवं शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।
- घरेलू एस.सी.बी. को सलाह दी गई है कि अपना वार्षिक शाखा विस्तार योजना (ए.बी.ई.पी.) तैयार करते समय, उन्हें वर्ष के दौरान खोली जानें वाली शाखाओं के कुल योग का कम से कम 25% बिना बैंक वाले टियर 5 एवं टियर 6 केन्द्रों अर्थात (9999 तक की जनसंख्या) केन्द्र जिनके पास किसी एस.सी.बी. का ब्रिक एवं मार्टर ढांचा नहीं है में आवंटित किया जाना चाहिए।
- आर.आर.बी. ने यह भी सलाह दी है कि वर्ष के दौरान प्रस्तावित शाखाएं खोले जाने की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत का आवंटन बिना बैंक वाले ग्रामीण (टियर 5 एवं टियर 6) केन्द्रों में किया जाए।

"स्वाभिमान-वित्तीय समावेशन अभियान" के तहत 2000 की जनसंख्या एवं इससे ऊपर वाले 74000 से अधिक गांवों को मुख्य रूप से व्यवसाय संपर्की मोडल के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई है। "स्वाभिमान अभियान को आगे पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में 1000 या इससे अधिक

(जनगणना 2001) जनसंख्या वाले गांवों में और ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 2000 या इससे ऊपर है (2001 की जनगणना) में विस्तारित किया गया है।

आर.बी.आई. द्वारा तैयार किए गए डेटा के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक बैंकों ने 152,328 व्यवसाय संवाददाताओं को काम पर लगाया है। वर्ष 2012-13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक 1837.55 लाख लेनदेन जो 16533.34 करोड़ रु. की कीमत के थे, को बी.सी. अवस्थितियों में पूरा किया गया है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स की समिति (एस.एल.बी.सी.) को सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त बैंकिंग आउटलेट की आवश्यकता को चिन्हित करने एवं ऐसे आउटलेट को प्रदान करने की योजना के लिए सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का मापन पूरा करें।

विवरण

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार भारत में राज्यवार औसत जनसंख्या प्रति बैंक शाखा

क्र.सं.	राज्य	जनसंख्या (जनगणना 2011 पर आधारित)	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार शाखाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ए.पी.पी.बी. (हजार में)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	379944	43	8.8359
2.	आन्ध्र प्रदेश	84665533	7785	10.8755
3.	अरुणाचल प्रदेश	1382611	88	15.7115
4.	असम	31169272	1549	20.1222
5.	बिहार	103804637	4373	23.7376
6.	चंडीगढ़	1054686	290	3.6368
7.	छत्तीसगढ़	25540196	1471	17.3625
8.	दादरा और नगर हवेली	342853	39	8.7911
9.	दमन और दीव	242911	31	7.8358
10.	दिल्ली	16753235	2631	6.3676
11.	गोवा	1457723	476	3.0624
12.	गुजरात	60383628	5172	11.6751

1	2	3	4	5
13.	हरियाणा	25353081	2807	9.0321
14.	हिमाचल प्रदेश	6856509	1106	6.1994
15.	जम्मू और कश्मीर	12548926	1062	11.8163
16.	झारखंड	32966238	2009	16.4093
17.	कर्नाटक	61130704	6598	9.2650
18.	केरल	33387677	4681	7.1326
19.	लक्षद्वीप	64429	12	5.3691
20.	मध्य प्रदेश	72597565	4495	16.1507
21.	महाराष्ट्र	112372972	8927	12.5880
22.	मणिपुर	2721756	84	2.4019
23.	मेघालय	2964007	224	13.2322
24.	मिजोरम	1091014	101	10.8021
25.	नागालैंड	1980602	100	19.8060
26.	ओडिशा	41947358	3126	13.4189
27.	पुडुचेरी	1244464	159	7.8268
28.	पंजाब	27704236	4012	6.9053
29.	राजस्थान	68621012	4581	14.9795
30.	सिक्किम	607688	84	7.2344
31.	तमिलनाडु	72138958	6988	10.3233
32.	त्रिपुरा	3671032	247	14.8625
33.	उत्तर प्रदेश	199581477	11261	17.7232
34.	उत्तराखंड	10116752	1344	7.5273
35.	पश्चिम बंगाल	91347736	5703	16.0175
	अखिल भारत	1210193422	93659	12.9213

[अनुवाद]

पी.डी.एस. तथा लाभ का सीधा अंतरण

2745. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीधे नकदी अंतरण के क्रियान्वयन के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आधार कार्ड नहीं रखने वाले लाभार्थियों द्वारा प्रत्यक्ष नकदी अंतरण का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ग) उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत, लाभार्थियों को अनाज के बदले में नकद में खाद्य सब्सिडी के संवितरण के लिए विभाग में वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वी.आई.पी. बंगलों का निर्माण

2746. श्रीमती ज्योति धुर्वे:

श्री नारनभाई काछड़िया:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपने जीवनकाल से ज्यादा समय से मौजूद बंगलों/फ्लैटों के स्थान पर दिल्ली में नए वी.वी.आई.पी. बंगलों/फ्लैटों के निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान एवं टाइप-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नॉर्थ एवं साउथ एवेन्यू, दिल्ली में मौजूद फ्लैटों के स्थान पर नए फ्लैटों के निर्माण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख)

स्थान	टाइप
सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली	टाइप-VIII बंगले-16
2, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली	बहुमंजिल फ्लैट-14
बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली	टाइप-VIII फ्लैट-52

(ग) नॉर्थ एवेन्यू और साऊथ एवन्यू के विद्यमान फ्लैटों को गिराने के पश्चात पुनर्विकास का प्रस्ताव हैं।

(घ) लोक सभा एवं राज्य सभा आवास समितियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रस्ताव अभी भी संकल्पना अवस्था में है और फ्लैटों की संख्या के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

अपशिष्ट प्रबंधन

2747. श्री अद्‌गुरु एच. विश्वनाथ:

श्री कपिल मुनि करवारिया:

श्रीमती अन्नू टन्डन:

श्री एम.के. राघवन:

श्री समीर भुजबल:

डा. बलीराम:

श्री पी.टी. थॉमस:

श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

श्री नित्यानन्द प्रधान:

श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कूड़ा-कचरा, अपशिष्ट एवं मल-जल का प्रबंधन देश के शहरी क्षेत्रों में गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/जा रही है;

(ग) क्या कूड़ा-कचरा तथा मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष, शहर और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति का आंकलन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) कूड़ा-कचरा, अपशिष्ट और सीवेज का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह राज्य का विषय है तथा देश के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन स्कीमों की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रचालन करना राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) का उत्तरदायित्व है। शहरी विकास मंत्रालय म्युनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन पर व्यापक नीतियों, कार्यक्रम और दिशानिर्देश तैयार करने में सहायक के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई स्कीमें ये हैं:

(i) शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.-यू.आर.एम.) शुरू किया है। जिसका उद्देश्य देश के सभी शहरी क्षेत्रों में सुधारोन्मुखी एजेंडा के साथ म्युनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन सहित अवसंरचना सृजित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) और छोटे और मझौले कस्बों के तहत ठोस कचरा प्रबंधन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) प्रदान करने के लिए एक स्वीकार्य घटक हैं।

(ii) शहरी विकास मंत्रालय में मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के सेटेलाइट टाउन मैंगनेटों में शहरी अवस्थापना विकास स्कीम नामक (यू.आई.-डी.एस.एस.एम.टी.) एक स्कीम भी तैयार की है। अन्य बातों के साथ-साथ इस स्कीम का उद्देश्य सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कस्बों/ काउंटर मैंगनेटों में जलाआपूर्ति, सीवरेज, जल निकास ओर ठोस कचरा प्रबंधन आदि जैसी शहरी अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना है।

(iii) मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.) भी शुरू किया है। पांच राज्यों के राजधानी शहर अर्थात् अगरतला (त्रिपुरा), आई.आईजोल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), कोहिमा (नागालैंड) और शिलांग (मेघालय), को प्रथम चरण में शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) शहरी विकास मंत्रालय ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 10 प्रतिशत प्रतिशत एकमुखत प्रावधान संबंधी स्कीम भी शुरू की है।

(v) मंत्रालय द्वारा 2003 में शुरू की गई "10 चयनित भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) एयरफिलड कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकास" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत सभी 10 एयरफिल्ड कस्बों में कूड़े-कचरे को कार्बनिक उर्वरकों से परिवर्तित करने के लिए कम्पोस्ट प्लांटों सहित एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 10 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं में से, सिरसा, जोधपुर, ग्वालियर, तेजपुर, आदमपुर, अम्बाला, डुंडीगल और पुणे नामक कस्बों के लिए 8 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा हिंडन और बरेली नामक शेष कस्बों के लिए 2 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। तेजपुर एयरफिल्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2010 (वित्त वर्ष 2009-10) को कार्यान्वयन एजेंसी (एन.बी.सी.सी.) को 2.88 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

इस स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 और वित्तीय वर्ष 2011-12 और वर्तमान वर्ष के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप-मिशन अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) के तहत पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन और सीवेज के लिए स्वीकृत/जारी और उपयोग की गई निधियों शहर का/कस्बे-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है तथा छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है। मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के सैटेलाइट टाउन मैंगनेटों में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.) का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर है। संबंधित स्कीमों के तहत कार्य की प्रगति की निगरानी की जाती है।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के अंतर्गत सीवरेज और एस.डब्ल्यू.एम. परियोजनाओं के लिए राज्यवार और वर्ष-वार ए.सी.ए. प्रतिबद्धता/जारी ए.सी.ए. के ब्यौरे

धनराशि लाख रु. में

28.02.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ए.सी.ए. प्रतिबद्धता	उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि	ए.सी.ए. प्रतिबद्धता	उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि	ए.सी.ए. प्रतिबद्धता	उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि	ए.सी.ए. प्रतिबद्धता	उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि	ए.सी.ए. प्रतिबद्धता	उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	8423.71	0.00	2306.74	1863.20	5728.18	0.00	4891.12	1,863.20	21,349.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	268.74	0.00	0.00	0.00	429.98	0.00	0.00	-	698.72
3.	असम	0.00	791.26	0.00	0.00	0.00	474.76	0.00	0.00	-	1,266.02
4.	बिहार	0.00	1918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.01	-	3,156.88
5.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7.	दिल्ली	8868.00	2148.00	47520.00	14096.99	0.00	0.00	0.00	1330.19	56,388.00	17,575.18
8.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
9.	गुजरात	9000.00	17008.83	0.00	4930.08	8944.52	11438.84	0.00	4919.98	17,944.52	38,297.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	1352.78	0.00	719.50	0.00	1058.04	-	3,130.32
11.	हिमाचल प्रदेश	3880.00	970.00	0.00	0.00	840.50	0.00	0.00	210.13	4,720.50	1,180.13
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	1828.83	6529.73	0.00	457.20	1,828.83	6,986.93
13.	झारखंड	0.00	1726.13	1668.12	417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.121	2,143.16
14.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3217.68	0.00	2095.34	-	5,313.02
15.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1446.82	0.00	0.00	-	1,446.82
16.	मध्य प्रदेश	0.00	1081.16	0.00	2303.77	0.00	0.00	0.00	5280.14	-	8,665.07
17.	महाराष्ट्र	10336.86	15680.43	0.00	17138.14	3829.55	17837.23	0.00	9701.97	14,166.41	60,357.77
18.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.40	0.00	580.66	-	929.06
19.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
20.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
21.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
22.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5986.96	0.00	9978.27	-	15,965.23
23.	पंजाब	0.00	906.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1810.43	-	2,716.55
24.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2189.00	0.00	252.00	-	2,441.00
25.	राजस्थान	0.00	2772.22	0.00	0.00	0.00	1443.65	0.00	1065.06	-	5,280.93
26.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.92	0.00	538.20	-	861.12
27.	तमिलनाडु	0.00	15798.91	4063.50	165.26	0.00	18108.29	0.00	1953.56	4,063.50	36,026.02
28.	त्रिपुरा	9000.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	2250.00	9,000.00	5,850.00
29.	उत्तर प्रदेश	22500.00	16700.84	0.00	8032.88	0.00	34115.90	0.00	380.19	22,500.00	59,229.81
30.	उत्तराखंड	4628.00	2642.25	3501.86	186.20	0.00	3662.67	0.00	1549.00	8,129.86	8,040.12
31.	प. बंगाल	2829.87	6174.11	0.00	3823.59	0.00	3293.63	0.00	206.36	2,829.87	13,497.69
	कुल	71,042.73	97261.58	56753.48	54753.46	17306.60	118644.14	0.00	51745.85	1,45,102.81	3,22,405.031

विवरण-II

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.: गत तीन वर्षों के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत सीवरेज परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	यू.एल.बी.	एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%) (90%)	पात्र केन्द्रीय अंश (50%) की पहली किश्त	केन्द्रीय अंश (50%) की दूसरी किश्त	डी.पी.आर. तैयार करने के लिए 1.5% की दर से प्रोत्साहन	जारी ए.सी.ए. (2010-11)	जारी ए.सी.ए. (2011-12)	जारी ए.सी.ए. (2012-13)	जारी ए.सी.ए. (2013-14)	जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	कडप्पा	4915.00	3966.41	1983.20	1983.20	34.41	1966.00	0.00	0.00	0.00	1966.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	करीमनगर	6237.00	5083.16	2541.58	2541.58	93.56	2494.80	0.00	0.00	0.00	2494.80
3.	आन्ध्र प्रदेश	मरियालगुडा	3493.00	2829.33	1414.66	1414.66	34.93	1397.20	0.00	0.00	0.00	1397.20
4.	आन्ध्र प्रदेश	नागरी	983.00	786.40	393.20	393.20	0.00	393.20	0.00	0.00	0.00	393.20
5	आन्ध्र प्रदेश	नलगौंडा	4687.50	3793.36	1896.68	1896.68	43.36	1875.00	0.00	0.00	0.00	1875.00
6.	आन्ध्र प्रदेश	नरसारावपेट	2641.00	2120.99	1060.49	1060.49	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	आन्ध्र प्रदेश	नजीमाबाद	8106.00	6606.39	3303.20	3303.20	121.59	3242.40	0.00	0.00	0.00	3242.40
8.	आन्ध्र प्रदेश	रैमींगानुर	3983.00	3244.41	1622.20	1622.20	58.01	0.00	1593.40	0.00	0.00	1593.40
9.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	19025.00	8578.00	4289.00	4289.00	0.00	0.00	4289.00	0.00	0.00	4289.00
10.	दमन और दीव (यू.टी.)	मोती दमन और नानी दमन	942.37	753.90	376.95	376.95	0.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	हरियाणा	अम्बाला	2082.19	1665.75	832.88	832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	हरियाणा	अम्बाला	3728.00	2982.40	1491.20	1491.20	0.00	0.00	0.00	1491.20	0.00	1491.20
13.	हरियाणा	नारनौल	812.99	650.39	325.19	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	कर्नाटक	बसवाना बेगेवाड़ी	844.00	687.86	343.93	343.93	12.66	0.00	337.60	0.00	337.60	337.60
15.	कर्नाटक	चन्नपटना	1311.00	1068,46	534.23	534.23	19.66	0.00	524.40	0.00	0.00	524.40
16.	कर्नाटक	दानगेरे	336.00	273.84	136.92	136.92	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	कर्नाटक	होलनेरा	303.00	246.95	123.47	123.47	4,55	0.00	121.20	0.00	0.00	121.20
18.	कर्नाटक	मल्लावली	730.41	595.29	297.64	297.64	10.96	292.16	0.00	0.00	0.00	292.16
19.	कर्नाटक	नानजंगुड	974.58	794.28	397.14	397.14	14.62	0.00	389.83	0.00	0.00	389.83
20.	कर्नाटक	पंडापुरा	602.09	490.70	245.35	245.35	9.03	240.84	0.00	0.00	0.00	240.84
21.	कर्नाटक	श्रीकाईपुरा	1317.00	1073.36	536.68	536.68	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	कर्नाटक	साउंडदती	867.84	694.27	347.13	347.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	कर्नाटक	श्रीरंगापटना	522.18	425.57	212.78	212.78	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	केरल	चलाकुडडी	4978.00	4057.06	2028.53	2028.53	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	मध्य प्रदेश	बुदनी	195.05	157.99	79.00	79.00	1.95	0.00	0.00	1.95	0.00	1.95
26.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	6650.00	5320.00	2660.00	2660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	मध्य प्रदेश	इटारसी	708.43	577.37	288.69	288.69	10.63	0.00	0.00	10.63	0.00	10.63
28.	मध्य प्रदेश	जसोरा	294.25	238.34	119.17	119.17	2.94	0.00	0.00	2.94	0.00	2.94

29.	मध्य प्रदेश	रेथी	143.48	116.21	58.10	58.10	1.43	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43
30.	मध्य प्रदेश	सागर	7661.55	6244.16	3122.08	3122.08	114.92	0.00	0.00	114.92	0.00	114.92
31.	मध्य प्रदेश	विदिसा	218.00	174.40	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	मध्य प्रदेश	अकोला	13275.0	10620.00	5310.00	5310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	महाराष्ट्र	अलीबाग	1240.00	992.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	महाराष्ट्र	अमरावती	8612.28	6889.82	3444.91	3444.91	0.00	0.00	3444.91	0.00	0.00	3444.91
35.	महाराष्ट्र	अंबाद	811.00	660.97	330.49	330.49	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	7201.30	5761.04	2880.52	2880.52	0.00	0.00	1880.52	0.00	0.00	2880.52
37.	महाराष्ट्र	दौउंद	1915.80	1532.64	766.32	766.32	0.00	0.00	766.32	0.00	0.00	766.32
38.	महाराष्ट्र	गौंदिया	8233.70	6586.96	3293.48	3293.48	0.00	0.00	0.00	3293.48	0.00	3293.48
39.	महाराष्ट्र	कम्पटी	2221.21	1776.97	888.49	888.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	3198.00	2606.37	1303.18	1303.18	47.97	1279.20	0.00	0.00	0.00	1279.20
41.	महाराष्ट्र	मालवन	1884.40	1507.52	753.76	753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42.	महाराष्ट्र	पंचगनी	320.00	256.00	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	128.00
43.	महाराष्ट्र	पनवेल	3107.15	2485.72	1242.86	1242.86	0.00	0.00	1242.86	0.00	0.00	1242.86
44.	महाराष्ट्र	सौनेर	631.50	514.67	257.33	257.33	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.	महाराष्ट्र	श्रीरूर	889.80	711.84	355.92	355.92	0.00	0.00	355.36	0.00	0.00	355.36
46.	महाराष्ट्र	वेनगुरला	795.35	636.28	318.14	318.14	0.00	0.00	318.14	0.00	0.00	318.14
47.	ओडिशा	सम्बलपुर	593.23	483.48	241.74	241.74	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.	पंजाब	जालन्धर	4696.85	3757.48	1878.74	1878.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	पंजाब	मलाउट	2286.00	1828.80	914.40	914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.	पंजाब	मुक्तसर	2789.45	2231.56	1115.78	1115.78	0.00	0.00	0.00	1112.12	0.00	1112.12
51.	पंजाब	पठानकोट	4766.00	3857.84	1928.92	1928.92	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.	पंजाब	पटियाला	8940.00	7152.00	3576.00	3576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.	पंजाब	तलवंडी	1016.00	812.80	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54.	पंजाब	जीरकपुर	4197.61	3436.32	1718.16	1718.16	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.	राजस्थान	बीकानेर	3876.10	3100.88	1550.44	1550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	328.18	262.54	131.27	131.27	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97
57.	राजस्थान	हनुमानगढ़	4279.00	3423.20	1711.60	1711.60	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57
58.	राजस्थान	जालोर	1066.31	869.04	434.52	434.52	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.	राजस्थान	झालावर-झालपतन-II	1904.02	1551.78	775.89	775.89	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.	राजस्थान	झुनझुनु	3781.00	3024.80	1512.40	1512.40	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69
61.	राजस्थान	जोधपुर	6167.00	5026.11	2513.05	2513.05	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62.	राजस्थान	किशनगढ़	2601.00	2080.80	1040.40	1040.40	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
63.	राजस्थान	कोटा	5122.42	4097.94	2048.97	2048.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64.	राजस्थान	माउंटआबू	2715.00	2172.00	1086.00	1085.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
65.	राजस्थान	पाली	3329.53	2663.62	1331.81	1331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66.	राजस्थान	सरदारशहर	3692.00	2953.60	1476.80	1476.80	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64

67.	राजस्थान	सुमेरपुर	927.74	756.11	378.06	378.06	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68.	सिक्किम	जोरेथंग	480.00	432.00	216.00	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00
69.	सिक्किम	नामची	1097.00	987.30	493.65	493.65	0.00	0.00	493.65	0.00	0.00	493.65
70.	सिक्किम	रंगपो	494.00	444.60	222.30	222.30	0.00	0.00	222.30	0.00	0.00	222.30
71.	तमिलनाडु	अरियालूर	2555.20	2044.16	1022.08	1022.08	0.00	0.00	0.00	1022.08	0.00	1022.08
72.	तमिलनाडु	ममाल्लापुरम	608.00	486.40	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.	तमिलनाडु	नगरकोल	6556.47	5245.18	2622.59	2622.59	0.00	0.00	0.00	2622.60	0.00	2622.60
74.	तमिलनाडु	तिरिचिन्दूर	122.00	897.60	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.	तमिलनाडु	उदुमलपेट	3034.23	2427.38	1213.69	1213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.	उत्तर प्रदेश	बेलिया	4472.31	3644.93	1822.46	1822.46	67.08	1786.28	0.00	0.00	0.00	1786.28
77.	उत्तर प्रदेश	पिरोजाबाद	8691.66	7083.70	3541.85	3541.85	130.37	3424.08	0.00	0.00	0.00	3424.08
78.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	4874.18	3972.45	1986.22	1986.22	73.11	1949.67	0.00	0.00	0.00	1949.67
79.	उत्तर प्रदेश	विंदावन	3463.00	2770.40	1385.20	1385.20	0.00	1384.87	0.00	0.00	0.00	1384.87
80.	उत्तराखंड	मसूरी	6173.25	4938.60	2469.30	2469.30	0.00	0.00	0.00	2469.30	0.00	2469.30
81.	प. बंगाल	कुरेसियोंग	1251.59	1001.27	500.63	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		258576.73	201754.47	100877.19	100877.19	1332.88	21725.70	17323.49	12147.52	0.00	51196.71

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.: गत तीन वर्षों के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	यू.एल.बी.	एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%) (90%)	पात्र केन्द्रीय अंश (50%) की पहली किश्त	केन्द्रीय अंश (50%) की दूसरी किश्त	डी.पी.आर. तैयार करने के लिए 1.5% की दर से प्रोत्साहन	जारी ए.सी.ए. (2010-2011)	जारी ए.सी.ए. (2011-2012)	जारी ए.सी.ए. (2012-2013)	जारी ए.सी.ए. (2013-2014)	कुल जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	चिराला	361.00	294,22	147,11	147,11	5,42	0,00	0.00	144.40	0.00	144.40
2.	बिहार	आरा	983.99	787.19	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	हरियाणा	रोहतक	1988.16	1620.35	810.17	810.17	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	जम्मू और कश्मीर	अख्नूर	165.44	151.38	75.69	75.69	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	488.00	439.20	219.60	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00	219.60
6.	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	242.00	217.80	108.90	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00	108.90
7.	जम्मू और कश्मीर	गंदेर्बल	143.00	128.70	64.35	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00	64.35
8.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	146.43	133.99	67,00	67.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	385.00	346.50	173.25	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00	0.00	173.25
10.	जम्मू और कश्मीर	पूंछ	134.52	123.09	61.55	61.55	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	सांबा	165.12	151.09	75.55	75.55	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	जम्मू और कश्मीर	सोपोर	242.00	217.80	108.90	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00	108.90

13.	झारखण्ड	चास	567.62	462.61	231.31	231.31	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	झारखण्ड	हजारीबाग	569.17	463.88	231.94	231.94	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	झारखण्ड	लोहरदगा	447.80	364.96	182.48	182.48	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	केरल	अलप्पुजाह	423.00	338.40	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	केरल	अलुवा	185.00	148.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	केरल	अत्तिंगल	306.00	249.39	124.69	124.69	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	केरल	चंगनासेरी	390.00	317.85	158.93	158.93	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	केरल	कोयलांडी	208.00	166.40	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	केरल	नेदुमनगड	229.00	183.20	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	केरल	नेय्यत्तिंकर	349.00	284.44	142.22	142.22	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	केरल	उत्तर परवुर	183.00	146.40	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	केरल	पथनम्थित्त	380.00	309.70	154.85	154.85	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	केरल	पेरिंथल्मन्न	522.00	425.43	212.72	212.72	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	केरल	पुनलुर	482.00	392.83	196.41	196.41	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	मेघालय	नोंग्पोह	600.16	540.14	270.07	270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	मेघालय	तुरा	833.10	749.79	374.89	374.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	उत्तर प्रदेश	बदौन	578.45	471.44	235.72	235.72	8.68	0.00	0.00	231.38	0.00	231.38
30.	उत्तर प्रदेश	बलिया	681.66	555.55	277.77	277.77	10.22	0.00	0.00	272.67	0.00	272.67
31.	उत्तर प्रदेश	बस्ति	586.11	477.68	238.84	238.84	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर (जिला-फतेहपुर)	937.93	750.34	375.17	375.17	0.00	0.00	375.17	0.00	0.00	375.17
33.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	713.50	581.50	290.75	290.75	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	1563.60	1274.33	637.16	637.16	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	1220.39	976.31	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	उत्तर प्रदेश	झांसी	1216.00	991.04	495.52	495.52	18.24	0.00	485.60	0.00	0.00	485.60
37.	उत्तर प्रदेश	लोनी	1181.28	945.02	472.51	472.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	1100.87	880.70	440.35	440.35	0.00	0.00	440.35	0.00	0.00	440.35
39.	उत्तर प्रदेश	सम्भल	655.09	533.89	266.94	266.94	9.82	0.00	262.04	0.00	0.00	262.04

विवरण-III

कचरा प्रबंधन की सैटेलाइट कस्बों में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	वास्तविक लागत (%)
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	भू-जल निकासी स्कीम, विकाराबाद	2010-11	5179	20%
	कुल:		5179	
	गुजरात			
1.	सनानंद कस्बे की सीवरेज प्रणाली	2010-11	4678.94	ठेका दिया गया।
2.	ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	2010-11	170.9	ठेका दिया गया।
	कुल:		4849.84	
	हरियाणा			
1.	सोनीपत कस्बें के लिए नगरपालिका	2010-11	1996.8	ठेका दिया गया।
	कुल:		1996.8	
	कर्नाटक			
1.	होसकोर्ट कस्बें के लिए भूमिगत	2011-12	2767.12	राज्य द्वारा स्वीकृत
	कुल:		2767.12	
	महाराष्ट्र			
1.	वसाई विरार उप-क्षेत्र एस.टी.पी.-2 के	2011-12	5298.1	निविदा प्रक्रियाधीन
2.	वसाई विरार के लिए एकीकृत ठोस	2010-11	2538.12	25%
	कुल:		7836.22	
	तमिलनाडु			
2.	भूमिगत सीवरेज स्कीम, श्रीपेरमबुदुर	2011-12	4497.6	ठेका दिया गया।

1	2	3	4	5
3.	एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना, श्रीपेरमबुदुर	2011-12	355.02	ठेका दिया गया।
	कुल:		4852.62	
	उत्तर प्रदेश			
2.	पिलखुआ सीवरेज स्कीम	2010-11	2950.01	50%
3.	पिलखुआ कस्बे के लिए नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	2010-11	718.16	राज्य द्वारा अनुमोदित
	कुल:		3668.17	
	सकल योग		43175.41	

विवरण-IV

कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम

शहरी विकास मंत्रालय (श.वि. मंत्रालय) ऐशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) की वित्तीय सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें 5 पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानी शहर अर्थात अगरतला (त्रिपुरा), आईजोल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), कोहिमा (नागालैंड) और शिलांग (मेघालय), शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कचरा प्रबधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

1. निम्नलिखित के लिए वर्ष 2009 में स्वीकृत एस.डब्ल्यू.एम. परियोजनाएं;

क. 16.85 करोड रु. की कोहमा (नागालैंड)

ख. 2.06 करोड़ रु. की शिलांग (मेघालय)

2. निम्नलिखित के लिए वर्ष 2012 में स्वीकृत एस.डब्ल्यू.एम. परियोजनाएं;

ग. 16.48 करोड़ रु. की गंगटोक (सिक्किम)

घ. 4.25 करोड़ रु. की शिलांग (मेघालय) के

2. निम्नलिखित के लिए वर्ष 2012 में स्वीकृत सीवरेज परियोजनाएं;

क. 35.38 करोड़ रु. की आईजोल (मिजोरम)

प्रगति का आंकलन

परियोजनाओं की प्रगति का आंकलन और निगरानी शहरी विकास मंत्रालय में गठित राष्ट्रीय संचालन समिति और परियोजना राज्यों की राज्य स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है। अब तक प्राप्त प्रगति इस प्रकार है:

1. कोहिमा (नागालैंड) और शिलांग (मेघालय) के लिए वर्ष 2009 में स्वीकृत एस.डब्ल्यू.एम. परियोजनाओं के तहत 25%

2. गंगटोक (सिक्किम), शिलांग (मेघालय) और आइजोल (मिजोरम) में वर्ष 2012 में स्वीकृत एस.डब्ल्यू.एम. और सीवरेज परियोजनाएं निविदाएं मंगाई जा रही हैं।

डी.जी.सी.ए. की आई.सी.ए.ओ. लेखापरीक्षा

2748. श्री अधवराव पाटील शिवानी:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री आनन्दराव अडसुल:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.-ए.ओ.) ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया है कि स्टाफ की सेवा लेने तथा प्रशिक्षण देने में नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) के खराब निष्पादन से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अपनी पूर्ववर्ती लेखा परीक्षाओं में आई.सी.ए.ओ. द्वारा डी.जी.सी.ए. में तकनीकी मानव शक्ति के प्रशिक्षण की कमी तथा स्टाफ की कमी के बारे में भी बताया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विमानन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विनियामक निगरानी तंत्र सशक्त करने तथा आई.सी.ए.ओ. द्वारा उजागर की गई खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संघ ने 12 से 20 दिसम्बर, 2012 तक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षण की मसौदा रिपोर्ट भारत को उपलब्ध नहीं करवाई है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संघ ने अक्तूबर, 2006 में भारत में लेखा परीक्षण किया था। इस लेखा परीक्षण के परिणामों तथा अनुशंसाओं में नागर विमानन महानिदेशालय में पर्याप्त संख्या में योग्यता प्राप्त तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता भी सम्मिलित है।

(घ) और (ङ) जी. हां। प्रचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय को विमानन क्षेत्र के कार्यकलापों की देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नागर विमानन महानिदेशालय विमान नियमों तथा नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले प्रचालकों तथा सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित करता है। निरंतर संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारी एयरलाइनों, प्रचालकों, प्रशिक्षण संस्थापनों सहित अनुमोदित संघों का नियमित निरीक्षण करते हैं। निगरानी रखते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षा विनियामक अपेक्षाओं का निरंतर पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार विमानन प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है जो नागर विमानन महानिदेशालय की जगह ले लेगा तथा जिसके पास वायु परिवहन सेवा प्रचालकों, वायु सेवा नौसंचालन प्रचालकों तथा नागर विमानन की अन्य सुविधाओं के प्रचालकों, नागर विमान तथा एअरोनॉटिक्स का विकास तथा मानकीकरण, प्रचालनों की सुरक्षा के लिए वित्तीय दबाव, ग्राहक संरक्षा तथा नागर विमानन क्षेत्र में पर्यावरण विनियमन एवं उससे सम्बद्ध मामलों पर प्रभावी सुरक्षा निरीक्षण की कार्यात्तक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक लचीलापन होगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करना

2749. श्री पूर्णमासी राम:

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक दर्जा प्रदत्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए अपनाए गए मानदंड/मानक क्या है;

(ग) अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान और विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) अनुच्छेद 30(1) के अनुसरण में तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 की धारा 2(1) और 5(2) (ग) के अनुसार, भारत सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक अल्पसंख्यक संस्था मानती है। एक और विश्वविद्यालय नामत: जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग द्वारा एक "अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था" घोषित किया गया है, उक्त दोनों मामले क्रमश: उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित हैं।

(ग) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार में तथा दाखिले में आरक्षण प्रदान करने से छूट प्राप्त है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं

2750. श्री संजय धोत्रे:

श्री रामसिंह राठवा:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन तथा इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं से खराब गुणवत्ता की सेवा एवं इनके अधिकारियों के खासकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों से निष्ठुर रवैये संबंधी प्राप्त शिकायतें का राज्य-वार एवं कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विशिष्ट शिकायतों के समाधान तथा जरूरत पड़ने पर सेवा एवं इनके अधिकारियों के खासकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों से निष्ठुर रवैये संबंधी प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार एवं कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न कार्यों को करने के लिए कार्य-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) निर्धारित समय-सीमा में निपटाई गई शिकायतें कितनी हैं तथा देर, यदि हुई तो क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) सं (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

किराये के भवनों में केन्द्रीय विद्यालय

2751. श्री रमाशंकर राजभर:

श्री पूर्णमासी राम:

श्री सुरेश अंगड़ी:

श्रीमती जयाप्रदा:

श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख में अपने भवन और सभी मूलभूत सुविधाओं वाले केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में विशेषकर बिहार में आज की तारीख में किराये के भवन में चल रहे और मूलभूत सुविधाओं से

रहित केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का कब तक केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण करने और जिन केन्द्रीय विद्यालयों के पास ऐसी अवसंरचना नहीं है उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है और इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में तैयार की गयी कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) देश में कुल 1082 केन्द्रीय विद्यालयों में से. 819 केन्द्रीय विद्यालयों के पास पर्याप्त मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ उनके अपने भवन हैं। अपने भवनों से चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्तमान में देश में 08 केन्द्रीय विद्यालय किराए के भवनों से कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन 02 भवनों अर्थात (i) केन्द्रीय विद्यालय, जैलपुर (ii) केन्द्रीय विद्यालय, द्वारका (गुजरात) के बावत किराए का भुगतान कर रहा है। शेष 06 केन्द्रीय विद्यालयों अर्थात: (1) केन्द्रीय विद्यालय, माहे, पुदुचेरी; (2) केन्द्रीय विद्यालय, रामेश्वरम; (3) केन्द्रीय विद्यालय, विरुद्धुनगर; (4) केन्द्रीय विद्यालय, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु; (5) केन्द्रीय विद्यालय, चेन्नई-कुद और (6) केन्द्रीय विद्यालय, गुलमर्ग-तंगमार्ग, जम्मू और कश्मीर का किराया संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तथापि, ऐसा कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है जो बिहार में किराए के मकान से चलाया जा रहा है।

(ग) और (घ) स्कूल भवनों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, इसके पक्ष में पर्याप्त और समुचित नि:शुल्क भूमि/प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के अंतरण के पश्चात स्थायी विद्यालय भवनों का निर्माण करता है। निर्माण कार्य भी निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

विवरण

उन केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची जिनके पास पर्याप्त मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ अपने भवन हैं

(दिनांक 11.03.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	43
3.	अरुणाचल प्रदेश	10
4.	असम	44
5.	बिहार	22
6.	चंडीगढ़	5
7.	छत्तीसगढ़	19
8.	दिल्ली	37
9.	गोवा	5
10.	गुजरात	39
11.	हरियाणा	24
12.	हिमाचल प्रदेश	14
13.	जम्मू और कश्मीर	17
14.	झारखण्ड	19
15.	कर्नाटक	32
16.	केरल	26
17.	मध्य प्रदेश	73
18.	महाराष्ट्र	51

1	2	3
19.	मणिपुर	4
20.	मेघालय	7
21.	मिजोरम	2
22.	नागालैंड	2
23.	ओडिशा	32
24.	पुदुचेरी	2
25.	पंजाब	34
26.	राजस्थान	53
27.	सिक्किम	2
28.	तमिलनाडु	35
29.	त्रिपुरा	5
30.	उत्तर प्रदेश	86
31.	उत्तराखण्ड	27
32.	पश्चिम बंगाल	46
	कुल	819

जे.एन.वी. के लिए पेंशन स्कीम

2752. **श्री भूपेन्द्र सिंह:**

श्री वैजयंत पांडा:

श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों (जे.एन.वी.) में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक वर्गों के पदों में विभिन्न वर्गों के पदों की संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2004 के पूर्व जे.एन.वी. में नियुक्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक वर्गों में नियुक्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) देश में जवाहर नवोदय विद्यालय में संस्वीकृत पदों में शिक्षण और गैर-शिक्षण वर्गों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वर्ग	संस्वीकृत पद
1.	प्रधानाचार्य	584
2.	उप-प्रधानाचार्य	395
3.	स्नातकोत्तर शिक्षक (पी.जी.टी.)	4332
4.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी.जी.टी.)	5146
5.	विविध वर्ग के शिक्षक	3056
6.	गैर-शैक्षणिक स्टाफ	9023
	कुल	22536

(ख) और (ग) जे.एन.वी. में दिनांक 01.01.2004 से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों को सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत पेंशन प्रदान करने हेतु पात्र नहीं पाया गया है, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति, एक स्वायत्त संगठन को, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत पेंशन हेतु स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्धारित तारीख दिनांक 01.01.1986 के पश्चात पंजीकृत किया गया था। ये कर्मचारी पेंशन के लिए अभ्यावेदन देते रहे हैं और उनमें से कुछ कर्मचारी अपने मांगों को पूरा कराने हेतु दिनांक 06.02.2013 से हड़ताल पर चले गए जिसमें से प्रमुख मांग पेंशन प्रदान किए जाने से संबंधित थी। सरकार द्वारा इस आश्वासन को दिए जाने के पश्चात हड़ताल 15.02.2013 को वापस ले ली गई है, कि उनकी सभी वैध मांगों पर एक समयबद्ध तरीके से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

(घ) सरकार ने 1.4.2009 या उसके बाद पद ग्रहण करने वाले नवोदय विद्यालय समिति के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) को पुर:स्थापित करने हेतु अनुमोदित किया है। वे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1.4.2009 से पहले नियमित आधार पर नवोदय विद्यालय समिति में पद ग्रहण किया था उनके पास यह विकल्प होगा कि या तो वे मौजूदा अंशदायी भविष्य निधि योजना को जारी रखे या नई पेंशन योजना अपनाएं।

सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव

2753. **श्री गणेश सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा किए गए जाने वाले सरकारी क्वार्टरों के रख-रखाव कार्य की गुणवत्ता में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/जा रही है;

(ग) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. में भ्रष्टाचार, खराब गुणवत्ता के कार्य के कारणों में से एक कारण है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए इंजीनियरों/अधिकारियों के पद तथा वर्ष-वार नाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दास मुंशी): (क) और (ख) अनुरक्षण सामान्यत: संतोषप्रद है परन्तु कुछ मामलों में, जहां यह अपेक्षित स्तर का नहीं है तो इसका कारण यह है कि क्वार्टर दिन पर पुराने हो रहे हैं और निधियों की कमी है।

(ग) नियमित जांच के माध्यम से गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। तथापि जहां भी के.लो.नि.वि. कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच की जाती हैं और पर्याप्त कार्रवाई की जाती हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि चार्जशीट जारी की जा चुकी है और न्यायालय में अभियोजन के मामले चलाए गये हैं।

विवरण

अधिकारियों की सूची जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान केलोनिवि विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	सतर्कता यूनिट, केलोनिवि द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	एस.एल. जैन	अधी. अभि. (सि) (सेवानिवृत्ति)	मुख्य शास्ति के लिए आरोप पत्र दिनांक 4.12.2012 के ज्ञा.सं. 14/2/8/2008 ओ.एस.आई./ए.वी./के द्वारा जारी किए गए और दिनांक 12.12.2012 के पत्र सं. 14/2/8/2008-सी.एस. के द्वारा संसूचित किए गए। शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 16-07-2008 के आदेश सं. सी.-15011/5/2007-एव के द्वारा

1	2	3	4
			अभियोजन मंजूरी जारी की गई। शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 24-11-2008 के ज्ञापन सं. सी-15011/5/2007ए.वी.-III के द्वारा सी.सी.एस. (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(i) और (ii) का उल्लंघन करते हुए नियम 14 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए जाए।
2.	राकेश बाबू गर्ग	का. अभि. (सिविल)	(i) दिनांक 28.02.2013 के आदेश सं. 14/सी.बी.आई./17/11/2010 14/सी.बी.आई./17/11/2010 सी.एस. के द्वारा अभियोजन मंजूरी जारी की गई। (ii) शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 13/12/12 के आदेश सं. 20/V-4/आर.सी. 1202011ए0005/2011-वी.एस.आई./ए.वी.-I के द्वारा अभियोजन मंजूरी जारी की गई।
3.	जे.पी. भट्ट	का.अभि (वै)	अल्प शास्ति के लिए आरोप पत्र शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 15.02.2013 के का.ज्ञा.सं. 15/ए(ए-220)/2010-वी.एस.-I के द्वारा जारी किए गए। दिनांक 19.02.2013 के समसंख्याक फाइल पत्र के द्वारा जे.पी. भट्ट को देने के लिए अधी. अभि. (वै), चंडीगढ़, सी.ई.सी., 11, चंडीगढ़ को आरोप पत्र भेजे गए।
4.	आर.सी. रंगराय	का.अभि. (सिविल)	अल्प शास्ति के आरोप पत्र शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 15 फरवरी, 2013 के का. ज्ञा.सं. 18/1/2006-वी.एस.-1/एवी.-III के द्वारा जारी किए गए।
5.	करमवीर सिंह	का.अभि. (सिविल)	मुख्य शास्ति के आरोप पत्र शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 15 फरवरी, 2013 के का.ज्ञा.सं. 21/17/2009-वी.एस.-1/एवी.-III के द्वारा जारी किए गए।
6.	प्रदीप कुमार	का.अभि. (सिविल)	अल्प शास्ति के आरोप पत्र शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 15 फरवरी, 2013 को जारी किए गए।
7.	फनीन्द्रा नाथ	का.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 01.03.2013 के आदेश के द्वारा निलंबन के आदेश दिनांक 22.01.2013 (प्रतिधारण की तारीख) से प्रभावी समझे जाएं।
8.	शैलेश	का.अभि. (सिविल)	श्री शैलेश का.अभि. को अल्प शास्ति के लिए आरोप पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किए गए।

1	2	3	4
9.	अनिल सचान	का.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अभियोजन मंजूरी दिनांक 18.05.11 को दी गई। सी.बी.आई. आरोप पत्र दायर किए गए जिसकी सूचना दिनांक 20.03.2012 को पत्र द्वारा दी गई।
10.	एस.के. जैन	का.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.05.11 के पत्र सं. सी-15015/2/2010-ए.वी.-III द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई। सी.बी.आई. द्वारा आरोप पत्र दायर जिसकी सूचना दिनांक 20.03.2012 को उनके पत्र द्वारा दी गई।
11.	अनिल कुमार सैनी	का.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.05.11 के पत्र सं. सी-15015/3/2010-ए.वी.-III द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल जिसकी सूचना सी..बी.आई. ने अपने दिनांक 3.10.11 के पत्र द्वारा दी।
12.	जगदीप सिंह	का.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.01.11 के आदेश सं. सी.-15011/1/2009-ए.वी.-III द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई।
13.	हनुमान प्रसाद	स.अभि. (सिविल)	दिनांक 24/02/2010 के ज्ञापन सं. 21/2/5/2002 वी.एस.आई. द्वारा नियम-14 के तहत आरोप पत्र जारी।
14.	ए.के. श्रीवास्तव	स.अभि. (सिविल)	दिनांक 24/02/2010 के ज्ञापन सं. 21/2/5/2002 वी.एस.आई. द्वारा नियम-14 के तहत आरोप पत्र जारी।
15.	रूपलाल	स.अभि. (सिविल)	महानिदेशक (निर्माण) के दिनांक 19/05/2010 के ज्ञापन सं. 12/5/6/2009 वी.एस.आई. द्वारा नियम-14 के तहत आरोप पत्र जारी।
16.	राकेश कुमार जैन	स.अभि. (सिविल)	महानिदेशक (निर्माण) के दिनांक 01/06/2010 के ज्ञापन सं. 21/16/6/2009 वी.एस.आई. द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई। सी.बी.आई. द्वारा आरोप पत्र दायर जिसकी सूचना दिनांक 16.07.10 को उनके पत्र द्वारा दी गई।
17.	ए.के. पाण्डे	स.अभि. (सिविल)	सी.बी.आई. द्वारा आरोप पत्र दायर जिसकी सूचना दिनांक 20.03.12 के पत्र द्वारा दी गई।
18.	देवेश चन्द	स.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 18.05.2011 के पत्र सं. सी.-15015/2/2010-ए.वी.111 द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई। न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल जिसकी सूचना सी.बी.आई. ने दिनांक 3.10.11 के पत्र द्वारा दी।

1	2	3	4
19.	साबर खान	स.अभि. (सिविल)	के. अ.ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसकी सूचना उनके दिनांक 2.08.11 के पत्र द्वारा दी गई।
20.	राकेश कुमार मित्तल	स.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 13.10.2011 के पत्र सं. सी.-15015/4/2010-बी.एस.-II द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई। न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल जिसकी सूचना सी.बी.आई. ने दिनांक 3.10.11 के पत्र द्वारा दी।
21.	चंद्रपाल सिंह	स.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 16.11.2011 के पत्र सं. सी.-15015/3/2010-ए.वी.-II द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई। न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल जिसकी सूचना सी.बी.आई. ने दिनांक 3.10.11 के पत्र द्वारा दी।
22.	ए. चन्द्रशेखरन	स.ई. अभि. (विद्युत)	महानिदेशक (निर्माण) के दिनांक 04/06/2010 के आदेश सं. 15/10/02/03/2009-वी.एस.-I द्वारा अभियोजन की मंजूरी जारी की गई।
23.	आर.टी. बैस	स.निदे. (उद्यान)	महानिदेशक (निर्माण) के दिनांक 30/06/2010 के पत्र सं. 10/06/5/2009-वी.एस.-I द्वारा अभियोजन की मंजूरी जारी की गई।
24.	तेजिन्दर सिंह	मु. अभि. (सिविल)	दिनांक 08/02/2012 के पत्र सं. सी. 13015/2/2011-ए.वी.-III(i) द्वारा आरोप-पत्र जारी किया गया।
25.	आर.के. अहूजा	का.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 08.02.2012 के ज्ञापन सं. 13015/2/2011-ए.वी.-III(ii) द्वारा मुख्य शास्ति के लिए आरोप-पत्र जारी किया गया।
26.	बृज मोहन	स.अभि. (सिविल)	केन्द्रीय सतर्कता आयोग की मुख्य शास्ति के लिए प्रथम चरण का परामर्श दिनांक 28.09.11 के संदर्भ सं. 009/डब्लू एवं एच/181/147593 द्वारा प्राप्त हुआ जिसे तैयार किया जा रहा है। आरोप पत्र दिनांक 03.03.12 के पत्र सं. 21/3/10/ सी.सी.बी.आई.-आर.डी.ए.) 08/2010-वी.एस./द्वारा जारी।
27.	ललित कुमार त्रिपाठी	स.अभि. (सिविल)	केन्द्रीय सतर्कता आयोग की मुख्य शास्ति के लिए प्रथम चरण का परामर्श दिनांक 28.09.11 के संदर्भ सं. 009/डब्लू एवं एच/181/147593 द्वारा प्राप्त हुआ जिसे तैयार किया जा रहा है। आरोप पत्र दिनांक 03.03.12 के पत्र सं. 21/3/10/ सी.सी.बी.आई.-आर.डी.ए.) 08/2010-वी.एस.-I द्वारा जारी।

1	2	3	4
28.	बिहारी लाल	स.अभि. (सिविल)	केन्द्रीय सतर्कता आयोग की मुख्य शास्ति के लिए प्रथम चरण का परामर्श दिनांक 28.09.11 के संदर्भ सं. 009/डब्लू एवं एच/181/147593 द्वारा प्राप्त हुआ जिसे तैयार किया जा रहा है। आरोप पत्र दिनांक 03.03.12 के पत्र सं. 21/3/10/ सी.सी.बी.आई.-आर.डी.ए.) 08/2010-वी.एस.-I द्वारा जारी।
29.	सुरिन्दर कुमार	स.अभि. (सिविल)	सी.बी.आई. कोर्ट में मामला लंबित (आर.सी.-36(ए)2004) जिसकी सूचना सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 9.12.11 द्वारा दी गई।
30.	महिन्द्र राम	स.अभि. (सिविल)	दिनांक 31-12-12 के पत्र सं. 17/ए-161/2010-वी.एस. I द्वारा मुख्य शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी।
31.	जी.एन. शुक्ला	का.अभि. (सिविल)	दिनांक 15-2-13 के मुख्य शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी।
32.	एस.पी. खनेजा	स.अभि. (सिविल)	दिनांक 16-1-13 के मुख्य शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी।
33.	आर.बी. सिंह	का.अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.09.2012 के का.ज्ञा.सं. सी.-10/2/4/(ए-82)/2010-ए.वी.-III द्वारा मुख्य शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी।
34.	बिपिन बिहारी	स.अभि. (सिविल)	07.04.2011 को आरोप पत्र जारी।
35.	एस.के. बाली	स.अभि. (सिविल)	07.04.2011 को आरोप पत्र जारी।
36.	वाई.वी. सिंह	स.अभि. (सिविल)	07.04.2011 को आरोप पत्र जारी।
37.	एस.के. गुप्ता	स.अभि. (सिविल)	07.04.2011 को आरोप पत्र जारी।
38.	राकेश कुमार जैन	स.अभि. (सिविल)	सी.बी.आई. कोर्ट में मामला लंबित (आर.सी.-डी.ए.आई.-2009-ए-0023) जिसकी सूचना सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 16.7.10 द्वारा दी गई।
39.	के.ए. वहाने	कार्य अभि. (सिविल)	दिनांक 04/12/2012 के पत्र सं. 12(ए-68)/2009-बी.एस.-I-ए.वी. III द्वारा मुख्य शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी।
40.	जे.एस. संधु	अधी. अभि. (सिविल)	दिनांक 15/10/2012 के पत्र सं. 10(वी-9)/सी.बी.आई.-आर.डी.ए./ जे.एस.एस./2011-बी.एस. I द्वारा मुख्य शास्ति के लिए आरोप-पत्र जारी।
41.	एल. भद्राचलम	कार्य अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.12.2012 के पत्र सं. सी.-19/9/46/सी.-105/07/2007-वी.एस.आई. (खण्ड-II)/ए.वी. द्वारा मुख्य शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी।

1	2	3	4
42.	एस. अन्नवर्था कुमार	कार्य अभि. (सिविल)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.12.2012 के पत्र सं. सी.-19/9/46/सी.-105/07/2007-वी.एस.आई. (खण्ड-II)/ए.वी. द्वारा मुख्य शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी।

स्कूल से वंचित बच्चे

2754. श्री विलास मुत्तेमवार:

श्री जगदीश शर्मा:

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 5 से 14 वर्ष के बीच के बहुत बच्चे प्राथमिक स्कूलों में नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं;

(घ) देश में लड़कों और लड़कियों के शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शशी थरूर): (क) और (ख) स्कूल न जाने वाले बच्चों का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक स्वतंत्र नमूना सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2009 में 81.5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2012-13 तक लगभग 30 लाख बच्चों के स्कूल न जाने का अनुमान लगाया है।

(ग) से (ङ) 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 2012-13 तक सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के माध्यम से 2.14 लाख प्राथमिक स्कूल और 1.76 लाख उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए हैं ताकि पड़ोस के स्कूलों तक पहुंच प्रदान की जा सके। स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का भी प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें नियमित स्कूलों में मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान ने शहरी अपवंचित बच्चों के लिए और विरल आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए 438 आवासीय स्कूलों/छात्रावासों को भी मंजूरी प्रदान की है। सरकार प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क-पुस्तकें, वर्दियां (बालिकाओं, अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति और बी.पी.एल. के बच्चों के लिए) और मध्यान्ह्न भोजन भी प्रदान करती है।

[अनुवाद]

भारतीय भूमि प्राधिकरण की स्थापना

2755. श्री जोस के. मणि: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय भूमि प्राधिकरण बनाकर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण, रक्षा और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों (पी.एस.यू.) द्वारा धारित देशभर में अप्रयुक्त भूमि का वाणिज्यिक उपयोग कर राजस्व घाटा को नियंत्रित करने के लिए छः महीने में 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधिकारिक अनुमान के मुताबिक देश के लगभग 60 पी.एस.यू, जिन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है, के पास लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि पड़ी है और रेलवे के पास लगभग 0.38 लाख हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित भारतीय भूमि प्राधिकरण के ढांचे एवं कार्यकरण का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (घ) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

हवाई किराए

2756. श्री वैजयंत पांडा:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री ए.टी. नाना पाटील:

श्री मधु गौड यास्खी:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री आर. थामराईसेलवन:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि एयरलाइनें, भाड़े संबंधी प्रतिद्वन्द्विता एवं अन्य लूट-खसोट पूर्ण/अनुचित कार्यों में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विमान विशेषज्ञ/कंसलटेन्ट/निजी एयरलाइन विनियामक द्वारा हस्तक्षेप पर असंतोष जता रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किराए में वृद्धि पर विनियामक के हस्तक्षेप संबंधी प्राप्त शिकायतें, यदि कोई हैं, तो क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) एयरलाइन कम्पनियां अपना बाजार में हिस्सा बढ़ाने के लिए बाजार संबंधी विभिन्न कार्य नीतियों का प्रयोग करती है। तथापि, सरकार की जानकारी में एयरलाइनों द्वारा मनमानी/अनुचित प्रक्रिया अपनाने का कोई मामला नहीं आया है।

(ग) से (ङ) विनियामक की दखलंदाजी पर आक्रोश दर्शाते हुए विमानन विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/प्राइवेट एयरलाइनों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

लंबित परियोजनाएं

2757. श्री महाबली सिंह:

श्री सतपाल महाराज:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक योजना आयोग के पास अनुमोदन हेतु लंबित परियोजनाओं/प्रस्तावों की सूची क्या है तथा इन परियोजनाओं के लंबन की तिथि राज्य-वार क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को अनुमोदन नहीं देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के संबंध में राज्यों से सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ङ) योजना आयोग अंतरराज्यीय शाखाओं वाली सिंचाई परियोजनाओं के लिए निवेश संबंधी मंजूरी प्रदान करता है ताकि उन्हें राज्य की वार्षिक योजना में शामिल किया जा सके। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत निधियां प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं को शामिल करने के लिए भी यह मंजूरी अपेक्षित है। जांच के लिए योजना आयोग में लंबित ऐसे प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण-I दी गई है।

इसके अतिरिक्त, योजना आयोग एकल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को भी अनुमोदित करता है और वित्त मंत्रालय को निधियां जारी करने की सिफारिश करता है। उपयुक्तता के संबंध में जांच हेतु योजना आयोग में लंबित ऐसे प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

निवेश संबंधी मंजूरी के लिए लंबित सिंचाई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	कब से लंबित हैं
बड़ी, मध्यम एवं ई.आर.एम. (विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण) सिंचाई परियोजनाएं				
1.	बिहार	पश्चिमी सड़क नहर प्रणाली का पुनरुद्धार (सारन मुख्य नहर और इसका वितरण तंत्र), बड़ी-ई.आर.एम.	2169.51	14.08.2012
2.	हिमाचल प्रदेश	तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में नादौन क्षेत्र मीडीयम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, नई मध्यम	97.59	14.08.2012
3.	उत्तराखंड	(i) मालन नहर प्रणाली का विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण।	11.40	21.01.2013
		(ii) लाखवर बहुउद्देश्यीय परियोजना	3966.51	21.01.2013
		बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं		
4.	असम	(i) असम के गोलपारा जिले में कटाव-रोधी उपायों सहित सोलमारी में खरमूजा से बालीकूची तक सी.एच. 11.55 कि.मी. से सी.एच. 13.46 कि.मी. तक बी/डाइक के रिटायरमेंट का निर्माण	24.4161	06.03.2013
		(ii) असम के कामरूप जिले में कटाव-रोधी उपायों सहित बारनदी नदी के दाहिने तट पर हाल्दा से लेन्गा में इसके आउटफॉल तक विभिन्न विस्तारों पर बाढ़ तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाना और इनका सुदृढ़ीकरण करना	15.7801	05.03.2013
		(iii) असम के नलबारी जिले में सी.एच. 26 कि.मी. से 33 कि.मी. तक डाइक के सुदृढ़ीकरण सहित ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट पर अदाबारी से कुकारजन तक ब्रह्मपुत्र डाइक की सुरक्षा के लिए कटाव-रोधी उपाय	13.6612	06.03.2013

विवरण-II

वार्षिक योजना 2012-13 के दौरान एकल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषित किए जाने हेतु लंबित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	राज्य सरकार से प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख
1.	बिहार	नालंदा जिले के तहत चांदी-सोहसराई सड़क पर सड़क पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	3.85	19.02.2013
2.	तमिलनाडु	सौर ऊर्जा से संचालित ग्रीन हाऊस संबंधी स्कीम	150.00	26.12.2012

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का निजीकरण

2758. श्री पी. करुणाकरन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण ने चेन्नई और कोलकाता विमानपत्तनों के निजीकरण का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं। एयरपोर्टों के विकास के लिए वित्तीय योजना तैयार करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित एक कार्यदल ने यह अनुशंसा की है कि चेन्नै तथा कोलकाता एअरपोर्टों के प्रचालन तथा प्रबंधन का कार्य सरकारी निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) प्रणाली से शुरू किया जा सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने यह सुझाव दिया है कि इन दोनों एयरपोर्टों के प्रबंधन, अनुरक्षण तथा प्रचालन का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रमुख साझेदारी में विश्व श्रेणी के हवाईअड्डा प्रचालकों के साथ संयुक्त उद्यम करते हुए किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में विमान

2759. डॉ. भोला सिंह:

श्री कपिल मुनि करवारिया:

श्री राम सुन्दर दास:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्याप्त संख्या में विमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) देश में अन्य निजी विमानन कंपनियों की तुलना में प्रचालनरत सरकारी क्षेत्र विमानों की कंपनी-वार तथा विमान-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या एअर इंडिया के बेड़े में विमानों का यात्रा क्षमता के संबंध में तथा निजी विमानन कंपनियों की तुलना में उनमें तैनात कर्मचारियों की संख्या के संबंध में अधिकतम उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा प्रमुख निजी/विदेशी विमानन कंपनियों के संबंध में ए.आई. बेड़े का कम उपयोग होने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) मंत्रालय में ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है। तथापि, 31.1.2013 की स्थिति के अनुसार विमानों के आयात से संबंधित सभी पूर्ण प्रस्तावों के लिए अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

(ग) अनुसूचित एयरलाइनों के प्रचालन परमिट में विमानों की संख्या (दिसम्बर 2012 के अनुसार) निम्नानुसार हैं:

एयरलाइन	विमानों की संख्या
एअर इंडिया	99
एअर इंडिया चार्टर्स	22
एलाइंस एयर	22
जेट एयरवेज	96
जेट लाइट	15
स्पाइसजेट	48
ब्लू डार्ट	08
गो एयरलाइंस	13
इंटरग्लोग एविएशन	62
डक्कन कार्गो	02
क्विकजेट	01
रेलीगेयर	02

(घ) एअर इंडिया के पास अपनी कायाकल्प योजना (टर्न एराउंड प्लान) के अनुसार पर्याप्त संख्या में विमान हैं। सरकार निजी एयरलाइनों के कर्मचारियों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखती। इस प्रकार, इस संबंध में तुलना नहीं की जा सकती।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विनिर्माण में अनुसंधान और विकास

2760. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

श्री विजय बहादुर सिंह:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार उपकरण के विनिर्माण तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के विचार प्राप्त करने वाले परामर्श पत्र जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर विभिन्न हितधारकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2014 तक यह 100 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने मांग पूरा करने एवं निर्यात प्रोत्साहित उत्पाद कंपनियों का सृजन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 28 दिसम्बर, 2010 को "भारत में दूरसंचार उपस्करों के निर्माण को प्रोत्साहित करने" संबंधी विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र और उस पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के मत (23 स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां और 3 स्टेकहोल्डरों से प्रति टिप्पणियां) ट्राई की वेबसाइट http://www.trai.gov.in/Content/Consultation/description.aspx?CONSULTID=131&qid=0 पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ)

(i) दूरसंचार उपभोक्ताओं (वायरलैस+वायरलाइन) की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है और पिछले

पांच वर्षों के दौरान कुल उपभोक्ताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

की स्थिति के अनुसार	उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)
31.12.2008	384.79
31.12.2009	562.16
31.12.2010	787.28
31.12.2011	926.53
31.12.2012	895.51

(ii) एक सहक्रियाशील दूरसंचार ईको-पद्धति सृजित करने और दूरसंचार उपस्करों की मांग को पूरा करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी उत्पाद विनिर्मित करने वाली अग्रणी कंपनी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देने के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:-

- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान घरेलू अनुसंधान और विकास आई.पी.आर. सृजन, उद्यमिता. विनिर्माण, वाणिज्यीकरण और अत्याधुनिक उत्पादों और सेवाओं के विनियोजन को बढ़ावा देने के लिए निधि का सृजन करना।
- वर्ष 2017 और 2020 तक भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की क्रमश: 45% और 65% तक न्यूनतम मूल्य वर्धन के साथ 60% और 80% मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन, अनुसंधान और विकास, आई.पी.आर. सृजन. परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण हेतु ईको-पद्धति अर्थात् दूरसंचार उपस्करों के घरेलू उत्पादन हेतु संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना।
- देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले दूरसंचार उपस्करों के प्रापण में और सरकार के स्वयं के प्रयोग के लिए सरकारी प्रापण में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप घरेलू रूप से विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को वरीयता देना।

(iii) सरकार ने दूरसंचार उपस्करों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार उपस्कर और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया है।

(iv) घरेलू रूप से विनिर्मित इलैक्ट्रानिक उत्पादों, जिनमें दूरसंचार उपस्कर भी शामिल हैं, में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 8(78)/2010-आई.पी.एच.डब्ल्यू. द्वारा सुरक्षा कारणों से किए जाने वाले प्रापण में तथा सरकारी प्रापण में घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पादों को वरीयता देने की नीति निर्धारित की है। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार दूरसंचार विभाग ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 को सरकारी विभागों और सरकारी परियोजनाओं द्वारा घरेलू विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों के लिए अधिमानत: बाजार अभिगम्यता अधिसूचित की है। सुरक्षा कारणों से घरेलू रूप से विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को अधिमानत: बाजार अभिगम्यता प्रदान करने की दृष्टि से दूरसंचार विभाग स्टेकहोल्डरों से परामर्श कर रहा है।

दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र

परिणाम बजट 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 (संशोधित अनुमान)	परिणाम सुपुर्दगी/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समय-सीमाएं	कालम (5) के संबंध संबंध में दिनांक 31.03.2012 को उपलब्धियां	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
ख.	**जारी परियोजना कार्यकलाप**						
1.	एन.जी.एन. लेब	एन.जी.एन. शिकायत ट्रांसपोर्ट उपकरण का परीक्षण एवं प्रमाणन करना।					
2.	एस.ए.आर. लैब	विशिष्ट आमेलन दर (एस.ए.आर.) के बारे में मोबाइल उपकरण का परीक्षण एवं प्रमाणन करना।	1.80				
3.	ई.एम.एफ. मापन उपकरणों की प्राप्ति	ई.एम.एफ. परीक्षण					
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क	0.20				
	कुल		2.00				

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें। श्री पबन सिंह घाटोवार।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आवश्वासनों, वचनों और अभिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

चौदहवी लोक सभा

1. विवरण संख्या 27 तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8546/15/13]

2. विवरण संख्या 28 चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8547/15/13]

3. विवरण संख्या 26 छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8548/15/13]

4. विवरण संख्या 26 सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8549/15/13]

5. विवरण संख्या 22 आइवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8550/15/13]

6. विवरण संख्या 21 दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8551/15/13]

7. विवरण संख्या 19 बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8552/15/13]

8. विवरण संख्या 18 तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8553/15/13]

9. विवरण संख्या 16 चौदहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8554/15/13]

पन्द्रहवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या 14 दूसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8555/15/13]

11. विवरण संख्या 12 तीसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8556/15/13]

12. विवरण संख्या 12 चौथा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8557/15/13]

13. विवरण संख्या 9 पांचवां सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8558/15/13]

14. विवरण संख्या 8 छठा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8559/15/13]

15. विवरण संख्या 6 सातवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8560/15/13]

16. विवरण संख्या 6 आठवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8561/15/13]

17. विवरण संख्या 5 नौवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8562/15/13]

18. विवरण संख्या 4 दसवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8563/15/13]

19. विवरण संख्या 2 ग्यारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8564/15/13]

20. विवरण संख्या 1 बारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8565/15/13]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 940(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2012, जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 941(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीसरा) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2013, जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2013, जो 30 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2013, जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्राशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2013, जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 104(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8566/15/13]

(2) समयोपरि भत्ता और रात्रि ड्यूटी भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के बारे में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम संदर्भ संख्या 2004 का 2 औक्र 2004 का संख्यांक 6 के अन्तर्गत माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय की आस्वीकृत संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8567/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं, श्री जितिन प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदना

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8568/15/13]

(3) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेकखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8569/15/13]

(5) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, कोरापुट के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8570/15/13]

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गुजरात गांधीनगर वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8571/15/13]

(9) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बिहार, पटना के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बिहार, पटना वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8572/15/13]

(11) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेकखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8573/15/13]

(13) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8574/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदित दिया जाना) विनियम, 2012 जो 27 सितम्बर, 2012 के भारत के राजत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 37-3/विधिक/ए.आई.सी.टी.ई./2012 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवम् अन्य अकादमी स्टाफ के लिए पदोन्नति स्कीम) (डिग्री) विनियम, 2012 जो 8 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 37-3/विधिक/ए.आई.सी.टी.ई./2012 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवम् अन्य अकादमी स्टाफ के लिए पदोन्नति स्कीम) (डिप्लोमा) विनियम, 2012 जो 8 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 37-3/विधिक/ए.आई.सी.टी.ई./2012 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम और कुशल ज्ञान प्रदाता को संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना) विनियम, 2012 जो 5 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 37-3/विधिक/ए.आई.सी.टी.ई./2012 में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8575/15/13]

(3) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रिजनल), कानपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रिजनल), कानपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8575/15/13]

(4) (एक) बोर्ड ऑफक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजनल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजनल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8577/15/13]

(6) (एक) नोर्थ ईस्टर्न रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नोर्थ ईस्टर्न रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8578/15/13]

(8) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8579/15/13]

(10) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिणक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिणक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखपरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिणक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8580/15/13]

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी, मण्डी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी, मण्डी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी, मण्डी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8581/15/13]

(13) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2011-2012 के

वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8582/15/13]

(15) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8583/15/13]

(17) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8584/15/13]

(19) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8585/15/13]

(21) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बईप, मुंम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8586/15/13]

(23) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8587/15/13]

(25) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8588/15/13]

(27) (एक) सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलइजेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सांइस, फिलोसॉफी एंड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलइजेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सांइस, फिलोसॉफी एंड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8589/15/13]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हू:-

(1) योजना मंत्रालय के वर्ष 2013-14 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेसी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8590/15/13]

(2) (एक) कन्सट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8591/15/13]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8592/15/13]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:- डाक विभाग के वर्ष 2013-2014 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8593/15/13]

अपराह्न 12.01½ बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे राष्ट्रपति से 8 मार्च, 2013 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:

'21 फरवरी, 2013 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।

अपराह्न 12.01¾ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

32वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़ियामुंडा (खुंटी) : अध्यक्ष महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

26वां और 27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी (आंवला) : महोदया, मैं आश्वासन छोड़ने संबंधी अनुरोध के बारे में 26वां और 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

23 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदया मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित "मुख्य पत्तनों का आधुनिकीकरण" विषय पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति

संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (पबन सिंह घाटोवार) : महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री जी.के. वासन की ओर से पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित "मुख्य पत्तनों का आधुनिकीकरण" विषय पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

(दो) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकीक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : महोदया, मैं सभा का बहुमूल्य समय लिये बिना लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 73क के अनुसरण में डाक विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यचयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

प्रतिवेदन को अद्यतन नहीं किया जा सका तथा निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका जिसके लिए खेद है। विलम्ब मुख्यत: इस कारण हुआ। क्योंकि कार्यान्वयन रिपोर्ट को अद्यतन जानकारी (इन्पुट) के साथ समिति के समक्ष रखा जाता है। अत: समिति द्वारा की गई सिफारिशों को डाक विभाग के संबधित सभी मंडलों में आंकड़ों को अद्यतन करने में समय लग गया।

---

* सभा पटल पर रखा गया ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8594/15/13

** सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8595/15/13

अपराह्न 12.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने के दोषी दो नाविकों के प्रत्यावर्तन के लिए इटली की सरकार द्वारा कथित इंकार किए जाने के बारे में।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (दार्जिलिंग) : धन्यवाद महोदया, जिसे मैं 'अपूर्व इटली जॉब' कहता हूं उसका उल्लेख करते हुए मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा उसके पीछे कोई कारण है। विगत एक वर्ष से भी अधिक समय से हमने जो घटनाक्रम देखा है उससे में आश्चर्यचकित हूं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। मैं इस घटना का सिलसिले का पूरा विवरण देकर सभा का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं परन्तु कतिपय तथ्य अत्यधिक चिन्ताजनक है। महोदया हमारे भारतीय नागरिकों के विरुद्ध हमारे ही जल क्षेत्र में अपराध किया जाता है और यह निर्विवाद तौर पर हमारे उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जिस जल क्षेत्र में इटली के नाविकों ने केरल के मछुआरों को इस संदेह पर कि वे समुद्री डाक हो सकते हैं मारा है, वह क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र नहीं हैं। मुझे विश्वास है तथा निश्चित रूप से यह भी संपुष्ट करता हूं कि भारतीय जल, विशेषकर हमारे तटीय क्षेत्र में समुद्री डाकू नहीं है। अत: ये इटली नाविक जो कि कोई इटली की ध्वज पोत में नहीं थे अपितु माल वाहक-पोत पर थे और इन्होंने हमारे मछुआरों की हत्या की है। यह एक ऐसी घटना है जिस पर पूरे राष्ट्र को चिन्ता करनी चाहिए। उन्हे गिरफ्तार किया गया। वे एक वर्ष से यहां पर थे।

महोदया, बड़े ही अजीब तथा अपूर्व ढंग से उन्हें पून: एक प्रकार कि पेरोल दी गई क्योंकि क्रिस्मर्स और नर्व वर्ष आने वाला था और यह पेरोल उन्हें क्रिस्मस मनाने के लिए अपने घर जाने के लिए दी गई थी। यह एक अत्यधिक असामान्य तथा असाधारण दयाशीलता थी क्योंकि वे इटली के नाविक दो भारतीयों की हत्य के अपराध के लिए बन्दी थे। इटली के इन नाविकों के साथ ऐसा बरताव क्यों किया गया? क्या इसी प्रकार के अपराध के लिए बन्दी बनाए गए भारतीय नागरिकों को भी दीपावली अथवा होली अथवा रमज़ान मनाने के लिए अपने घर आने दिया जायेगा? मुझे लगता है, उन्हें ऐसी अनुमति नहीं मिलेगी। तो फिर इस मामले में ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे इटली नाविक हैं? यह स्वीकार्य नहीं है।

तत्पश्चात, उन्होंने हमारे उच्चतम न्यायालय को एक आश्वासन दिया। केरल उच्च न्यायालय ने यह मांग की है कि उन्हें पुष्टि करनी चाहिए तथा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन नाविकों की शेष ट्रायल हेतु भारत लौटने की समुचित निश्चितता है। वे लौट आये और तत्पश्चात मैं बस यही कह सकता हूं कि उच्चतम न्यायालय यह कहते हुए ठीक है आप इटली के चुनावों में मतदान करने जा सकते हैं, एक बड़ा ही असमान्य निर्णय दिया।

महोदया, मैं इन नाविकों द्वारा स्वदेश जाने तथा वहां के चुनावों मतदान करने की जो इच्छा व्यक्त की है, उससे प्रभावित हुं। क्या वे भारतीय मूल के अपराधी से इसी प्रकार के व्यवहार की अनुमति देते हैं? अत: निस्संदेह प्रश्न उठता है कि इन नाविकों के साथ विशेष व्यवहार क्यों किया गया?

तत्पश्चात् की घटनाएं सर्व विपरित है। इटली सरकार उनके राजदूत द्वारा दिए गए आश्वासन पर कि बन्दी वापस आएंगे पुन: कायम है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उन्हें इस पूरी अवधि के लिए इटली सरकार के अभिरक्षण में रहना चाहिए। अत: यह उनकी जिम्मेदारी है। राजदूत को न्यायालय में दी गई वचनबद्धता के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

महोदया, मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि भारतीय के तौर पर हमने अपराधियों को हमारे देश से बाहर जाने देने की आदत बना ली है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भोपाल तथा एडरसव...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।...*(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : इसके बाद पुरुलिया में हथियार गिराने की घटना हुई। इस पुरूलिया मामले का भी वही हाल हुआ। इसके बाद क्वालोची नाम के इटली के नागरिक का कुष्यात मामला आया था जिसके दिल्ली से भागने में सी.बी.आई. भी सह अपराधी है...*(व्यवधान)* अब अचानक जब हमें पता चलता है कि ये दो नौसैनिक भारत वापस आने से इन्कार कर रहे हैं, फिर अमरीका ने सोमालिया तट पर मछुआरों को मारा है।

मेरा निवेदन है कि भारतीय नागरिकों के साथ इस प्रकार के बर्ताव को भारत को सहन नहीं करना चाहिये। क्या मैं अपने मित्रों और साथियों और सत्ता पक्ष में बैठे हुए सम्मानित सज्जनों को याद दिलाऊँ कि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति शपथ ली है, उनकी शपथ भारत के संविधान की रक्षा एवं सेवा करना है न कि किसी अन्य की सेवा एवं रक्षा करना?

महोदया, मैं एक और बात कहना चाहता हुं। वास्तव में सरकार से पूछना हमारा अधिकार है कि उनका इरादा क्या करने का है और वे इस स्थिति में कैसे सुधार करेंगे? मैं आभारी हूं कि प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं। क्या मैं कहूं कि वे यह समझे कि विचना समेलन वास्तव में किसी देश के संविधान का अध्यारोहण नहीं करता है? यह अत्यंत साधारण बात है कि राजदूत वियना सम्मेलन के अंतर्गत आते हैं इसलिये यह कम से कम मेरे लिए विश्वसनीय तर्क नहीं है कि वह भारत के संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं।

मेरी सरकार से अपीलक है कि यह स्थिति केवल सरकार के परीक्षण की साधारण बात नहीं है, हम सभी की परीक्षा ली जा रही है, देश की परीक्षा ली जा रही है, और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों में हमरी परीक्षा हो रही है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत कितना सतर्क है। सरकार इस मौके को समझे। धन्यवाद महोदया।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.के. बिजू, श्री देवजी पटेल, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री श्रीपाद नाईक, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती पूनम वी जाट, श्रीमती दर्शना जरदोहा, डा. किरीट पी. सोलंकी, श्री धनंजय सिंह, श्री ए. सम्पत, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, प्रो. रामशंकर, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री पन्ना लाल पुलिया श्री जसवंत सिंह द्वारा उठाये गये मुद्दे से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, यह विचिल बात है कि भारत के दो मछुआरे, केरल राज्य से...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी) : दादा, आप हिन्दी में बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे देश के दो गरीब मछुआरे, जिन्हें दो इटालियन मैरिन्स, अब मैरिन्स की क्या हिन्दी होगी?...*(व्यवधान)* आप नहीं जानते।...*(व्यवधान)* दो नौसैनिकों ने गोली चलाकर मार डाला। इसके बाद उन लोगों को पकड़ा गया। केरल सरकार की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उनका ट्रायल चल रहा था, लेकिन बात में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह मामला केरल हाई कोर्ट का न होकर सुप्रीम कोर्ट का है। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। इस बीच क्रिसमस के समय ऐम्बेसडर ने कोर्ट

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से कहा कि उन्हें अपने देश में जाने की इजाजत दी जाये। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। उस समय अंडटैकिंग भी दी गयी कि

[अनुवाद]

उन्हें वापस लाया जायेगा।

[हिन्दी]

एक महीने के बाद वे वापिस आये। फिर चुनाव के समय मांग की गयी कि वोट डालने के लिए उन्हें फिर जाने की इजाजत दी जाये। इटली में पोस्टल बैलेट का सिस्टम है। सरकार ने यह क्यों नहीं पता किया कि जब वहां पोस्टल बैलेट का सिस्टम है, तो उन्हें यहां से वोट क्यों नहीं डालने दिया गया। ऐम्बेसडर ने अंडर टैकिंग दी है।

[अनुवाद]

राजदूत ने एक परिवचन दिया है कि वोट डालने के बाद वे वापस लाये जायेंगें।

[हिन्दी]

आज यह बोल रहे हैं कि उन लोगों को यहां नहीं भेजेंगे। भारत सरकार को यह पता चला।

[अनुवाद]

भारत सरकार को इटली सरकार के रूख का पता चला है।

[हिन्दी]

हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

भारत सरकार ने उस राजदूत के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं जिससे परिवचन दिया है कि ये दोनों नौसैनिक अपने देश वापस लाये जायेंगे? क्या भारत सरकार ने इस मामले को इटली सरकार के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

तीन दिन गुजर गये। देश भर में इसकी मांग हो रही है।

[अनुवाद]

पुरा देश आन्दोलित है।

[हिन्दी]

लेकिन सरकार चुप बैठी हैं। हम एक सॉवरन कंट्री हैं।

[अनुवाद]

भारत एक संप्रभु देश है।

[हिन्दी]

हमारा देश एक सॉवरन देश है। हमारा अपना कानून है। वे उस कानून को मानेंगे नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपकी बात पूरी हो गयी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, हमने हथियार गिराने के मामले में देखा है। पीटर ब्लीच जो मुख्य आरोपी था, ने जेल के अंदर एक वक्तव्य दिया था कि ने क्यों हथियार लाये किस उद्देश्य से लाये थे। इसके बावजूद पीटर ब्लीच जो मुख्य आरोपी था रिहा कर दिया गया था। आज तक भारत सरकार दूसरे आरोपी किस डेवी को अपने देश में लाने में सफल नहीं हो पाई है। हमने देश कि क्वालोची और हेडली को भी क्या हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आपको बहुत-बहुत धन्यबाद

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइये, हो गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यूनियन कार्बाइड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडरसन हमारे देश आया और उसे वापस अमरीका ले जाया गया। उसके साथ में जिम्मेदार अधिकारी थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें। इतने अधिक समय तक नहीं बोलों। कृपया ध्यान रखें यह शून्य काल है

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मीलित नहीं होगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपने को सम्बद्ध कर सकते है। कृपया अपने को इस मामले से सम्बद्ध करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हमेशा व्यवधान न डालें। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा. तरूण मंडल शेख सैदुल हक, श्री नामा नागेश्वर राव, श्री धनंजय सिंह, श्री शिवराम गौडा, श्री राकेश सचान और श्री नीरज शेखर को श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाये गये मामले से सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मामले पर इटली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में दो राय नहीं है। हमारी सरकार ने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया है इटली सरकार की ये कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। वे राजनीतिक वार्ता के हर नियम का उल्लंघन करते हैं तथा एक संप्रभु सरकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमारे उच्चतम न्यायालय को दी गई पविल प्रतिब्रद्धता पर सवाल उठाते हैं। किसी भी मानक पर यह द्विपक्षीय संबंध जो कि विश्वास पर कायम है, के हित में नहीं है। इसलिये, हमारी सरकार ने दबाव दिया है कि इटली के प्राधिकारियों को भारत के उच्चतम न्यायालय में दिये गया परिवचन का सम्मान करना चाहिये और दो आरोपित व्यक्तियों को भारत में मुकदमें का सामना करने के लिए लिये लौटाना चाहिये। यदि वे अपने वचन का पालन नहीं करते हैं तो इटली के साथ हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, मैं सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सरकार जैसे इस मुद्दे पर आगे बढ़ती है वे भी इसे हर प्रकार से उतनी ही गंभीरता से ले जितनी की होनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि कल देश की सर्वोच्च अदालत का सरकार को एक तरह से मैसेज आया है, मैं उसे सलाम करता हूं। सी.ए.जी. करता हूं। सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में कोल ब्लाक्स के आबंटन को लेकर 1,86,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया था। केन्द्र सरकार को देश की जनता ने चुना है और जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन आप खुद ही खड़े नहीं होते। मैं यह नहीं मानता कि सरकार काम करती है तो उससे गलती न हो। सवाल यह है कि अगर गलती हो जाए तो सरकार कितनी जल्दी उस गलती को स्वीकार करती है और कैसे उस पर तत्काल कार्यवाही करती है।

मैंने इस मामले को कितनी ही बार यहां उठाया है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जी से भी कहा है कि जिन पार्टियों के लोग हैसियत में हैं और जिनका नाम इसमें आया है, जिन्होंने एक चौथाई कोल ब्लाक्स लिए हैं, यहां बड़े पदों पर हैं, वे अहम् पदों पर नहीं रहने चाहिए। एक काम जरूर हुआ है कि एक आदमी जो बड़े पद पर था, उसका इसमें नाम आया तो उसे नीचे कर दिया गया, उस पर आपने एक्शन लिया।

इससे पहले अदालत ने 2जी मामले में भी सरकार को संदेश दिया था। यह कितनी बड़ी बात है कि अदालत ने सी.बी.आई. को कहा कि आपको सरकार से सलाह नहीं करनी है। इससे एक विश्वास टूट गया है, यह विश्वास लोकतंत्र का है। जनता द्वारा चुने हुए हम प्रतिनिधि हैं और हम सरकार बनाते हैं इसलिए सारी चीजें हमें करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बात कहनी पड़ती है, वह कहना नहीं चाहती, लेकिन तो उनका मन भी व्यथित है और इसी कारण अदालत को यह कहना पड़ता है कि आपसे सलाह की जरूरत नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

सी.बी.आई. ने भी अच्छा काम किया है और बताया है कि इसमें गड़बड़ हुई है। कोल ब्लाक्स इस तरह बांटे गए हैं जैसे रेल के टिकट या सिनेमा के टिकट बांटे जाते हैं, इस तरह से एलाट किए गए हैं। अब देश के सामने सरकार सफाई दे रही है, वित्त मंत्री जी सफाई दे रहे हैं। हमारे देश में कोल तीसरे नम्बर

की खनिज सम्पदा है। आइरन ओर से लेकर कोल आदि कई खनिज हमारे देश में हैं। इन सारी चीजों के बावजूद यह देश कमजोर है।

जसवंत सिंह जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अभी एक मामला यहां उठाया था। कोई एक मामला नहीं है। दुनिया में हमारी कोई नहीं सुनता है। यदि हमने अपने को मजबूत और ताकतवर किया होता, अपने देश के संसाधनों को ठीक से युटिलाइज किया होता तो यह स्थिति नहीं होती और दुनिया में हमारी इज्जत होती। आज चीन के सामने कोई देश सिर नहीं उठा सकता, जबकि हमारे सामने हर कोई सिर उठाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वह बताए कि सरकार देश चला रही है या अदालतें चला रही हैं। इसलिए आप खड़े हों और इस पर निर्णय करें। सरकार कई बार जोखिम उठाकर भी फैसले करने पड़ते हैं, उन फैसलों से नुकसान हो सकता है, लेकिन देश का भविष्य बनता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप खड़े हों और इस पर जवाब दें। मान लें कि आपके अनुमान में कोई गलती हो गई है, तब भी देश की सम्पत्ति बचाने के लिए कड़े कदम उठाकर सारे कोल ब्लाक्स कैंसिल करने चाहिए और नया मैसेज देश के सामने देना चाहिए।

यही मेरी आपसे विनती है।

अध्यक्ष महोदया : श्री देवजी एम. पटेल, श्री बंस गोपाल चौधरी, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बीजू, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री रामसिंह कस्वां और प्रो. रामशंकर माननीय सदस्य शरद यादव जी द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री कुँवरजीभाई मोहनभाई बावलिया (राजकोट) : अध्यक्ष महोदया जी, आज गुजरात में स्वाइन-फ्लू से जो मृत्यु हो रही है, उस ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात राज्य में आज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 510 स्वाइन-फ्लू के रोगी इंडीकेट हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में अभी इसके 260 मरीज दाखिल हुए हैं, इनमें 143 पॉजिटिव पाये गये हैं। अब तक राजकोट में 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 37 लोग राजकोट अस्पताल में दाखिल हैं। जामनगर के अस्पताल में 14 लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो सरकारी अस्पतालों का हाल है, प्राइवेट अस्पतलों में जो लोग दाखिल हैं उनकी संख्या अलग है। अब तक राज्य में 103 लोगों की मौत हो चुकी है। आज गुजरात के राजकोट में स्वाइन-फ्लू की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। वहां पर इस बीमारी से मृतक लोगों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। आज जनता पर इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सरकारी अस्पतालों से लोगों का विश्वास उठाया जा रहा है। राजकोट की जनता बहुत भयभीत है। गुजरात सरकार गरीबों को दवाइयां और अन्य सुविधाएं देने में असमर्थ है जबकि दूसरी ओर गुजरात के...* माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दो मांगे हैं। एक तो केन्द्र से इस विषय पर एक टीम भेजी जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, धन्यवाद, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)***

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल. पुलिया को श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

[अनुवाद]

शून्य काल के शेष मामलों को दिन के अंत में लिया जायेगा।

अपराह्न 12.27 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण अब नियम उनके अधीन मामले सभा पटल पर रख जायेंगे। सदस्यों जिन्हें आज नियम 377क अधीन मामलों उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें केवल वही मामलें सभा पटल पर रखे माने जायेंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गयी हैं। शेष व्यापगत माने जायेंगे।

(एक) मलयालम भाषा को श्रेय भाषा का दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री एन. पीताम्बर कुरूप (कोल्लनम) : मलयालम दक्षिण भारत

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया

** कार्यवाही वृत्तां में सम्मिलित नहीं किया गया।

* सभा पलट-पर रखो माने गये।

की एक प्रचीन एवं समृद्धि कृतियों से भरी पड़ी है। केन्द्रीय साहित्सा अकादमी की उप समिति ने

मलयालम को श्रेव्य भाषा का दर्जा दिये जाने की सिफारिश करते हुये संस्कृति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है संस्कृति मंत्रालय ने सिफारिश स्वीकार कर ली है। ऐसा पता चला है कि संस्कृति मंत्रालय ने भी मलयांम को श्रव्य भाषा का दर्जा देने के लिये केन्द्र सरकार को यही सिफारिश की है।

इसलिए मैं, केन्द्र सरकार को शीघ्र ही मंलयालम भाषा को श्रेव्य भाषा का दर्जा देने का आग्रह करता हूं ताकि केरल वासियों की पुरानी मांग पूरी हो सके।

(दो) पी.जी.आई. चंडीगढ़ की तर्ज पर पंजाब के होशियारपुर जिले में एक चिकित्सा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर) : पंजाब में कैंसर रोग गंभीर रूप से धारण कर गया है। मालवा क्षेत्र के साथ-साथ द्वाबा क्षेत्र में भी कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला होशियारपुर जोकि पंजाब का एक मात्र पिछड़ा क्षेत्र है तथा मेरा संसदीय (रिजर्व) क्षेत्र है। यहां अधिकतर अनुसूचित वर्ग के लोगों की संख्या है तथा विकास की धीमी गति के कारण गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी तथा जंगली जानवरों से घिरी आबादी के कारण लोगों को अपने ही घर में बीमारी से लड़ानी पड़ती है। अत: कैंसर की बीमारी उच्च स्तर पर फैल रही है। यह बीमारी हर वर्ग बच्चे, बूढ़े, औरत व मर्द सब को अपनी लपेट में ले रही है। अत: आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध करना चाहती हूं कि पी.जी.आई. चण्डीगढ़ के समान होशियारपुर में एक अस्पताल खोला जाए जहां लोगों के इलाज के लिए उच्च स्तर की सहुलियतें मिल सकें क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में गरीब लोग कैंसर, हार्ट, किडनी तथा अन्य महंगे इलाज नहीं कर सकते। केन्द सरकार गरीबों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंतित है। इस परिप्रेक्ष्य में मेरी संसदीय क्षेत्र होशियारपुर को पी.जी.आई. चण्डीगढ़ के बराबर समरस्त सुविधा दी जाए।

(तीन) मेवाड़ के सलूम्बर के चूण्डावत सेनापति की बहादुर पत्नी रानी हाडा के नाम पर राजस्थान में उदयपुर से एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवीर सिंह मीणा (उदयपुर) : मैं राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। उदयपुर शहर भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। उदयपुर से लगे चित्तौड़गढ़, बांसवपाड़ा, डूंगरपुर के अलावा अनेक ऐतिहासिक धरोहर इस क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में एक वीरांगना हाड़ा रानी के नाम से हुई है, जिसने युद्ध में जाते अपने पति को निशानी मांगने पर अपना सिर काट कर भिजवा दिया था। यह रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी और उदयपुर (मेवाड़) के सलूम्बर गांव के राजा चुण्डावत की रानी थी जिनकी शादी का गठजोड़ा खुलने से पहले ही उनके पति रावत चुण्डावत को मेवाड़ के महाराणा राजा सिंह (1653-1681) और औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ की रक्षार्थ युद्ध का फरमान मिला।

उदयपुर से मेवाड़ एक्सप्रेस और चेतक एक्सप्रेस नाम से दो ट्रेनों का संचालन होता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस ऐतिहासिक वीरांगना हाड़ा रानी के नाम से भी एक ट्रेन चलाई जाए या किसी ट्रेन का नाम हाड़ा के नाम से किया जाए।

(चार) केरल में धर्मार्थ आश्रयों को रियायती दर पर पर्याप्त संख्या में एल.पी.जी. सिलेण्डर प्रदान किये जाने की आवश्यता

[अनुवाद]

श्री के. सुधाकरण (कन्नूर) : केरल में असहाय महिलाओं और बच्चों, भिग्र रूप से सक्षम व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों निक्षुओं तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति यदि के लिए हमारे पास 1924 परिचर्या संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों को अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षय और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के अंतर्गत या तो धमार्थों (पूर्व) आश्रमों या अनाथाल्यों के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे राज्य में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी परिचर्या संस्थानों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु एक पृथक अनाथालय नियंत्रण बोर्ड है। राज्य में लगभग 75000 निस्हायों के लिए परिचर्या और सहायता प्रदान करने वाले इन संस्थालों को राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान और रख रखाव जैसे रियायती दर पर राशन सामग्री निम्न दर पर बिजली और पानी, वाहनों के लिए कर-रियायत तथा भवन कर में छूट आदि प्रदान कर उन्हें सहायता की जाती है। इन संस्थानों के संचालन हेतु गैर-सरकारी संगठन आधार भूत संरचना और मानव संसाधन उपलब्ध कराती है, और इसके परिणामस्वरूप इन संस्थानों के उपेक्षित निस्सहाय वासियों को अच्छी परिचर्या प्राप्त होती है। हाल तक इन संस्थानों को भारत सरकार से छूट-प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत रियायती पर एल.पी.जी. सिलेंडर मिल रहे थे। यह ध्यात्म है कि वर्तमान में भारत सरकार परिवारों तथा परिचर्या संस्थानों की भी रियायती दर पर मात्र 9 सिलेंडर प्रदान कर रही है। एक परिवार में 35 सदस्य होते है, जबकि एक परिचर्या

आश्रम में 50-100 व्यक्ति रहते हैं। खपत की वर्तमान दर के अनुसार ऐसे संस्थानों को प्रतिवर्ष प्रति 6 वासियों के लिए 9 सिलिण्डर की जरूरत पड़ती है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं क एस. धमोक संस्थानों के लिए एल.पी.जी. सिलिण्डरों के विद्यमान मानकों को संशोधित करने तथा संस्थानों के वासियों की संख्या पर विचार करते हुए उन्हें रियायती दर पर सिलिण्डरों की आपूर्ति करे ताकि उन्हें सम्मानपूर्वक जीनें का अधिकार दिया जा सकें।

(पांच) महाराष्ट्र में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बच्चों को उत्तम शिक्षा देने से संबंधित योजना के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से की धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े 43 ब्लाकों में 6 से 12 वर्ग के बच्चों को उनके आस-पास ही उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना में केन्द्र और राज्य का हिस्सा 75.25 है और निर्माण उद्देश्य हेतु प्रत्येक विद्यालय को 3.02 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है। यह लागत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जिला दर अनुसूची (डी.एस.आर.) पर आधारित है और यह पूर्वापेक्षा है कि राज्य जिला दर अनुसूची डी.एस.आर. के आधार पर राज्य को विद्यालय का निर्माण करना चाहिए। तथापि राज्य सरकार का डी.एस.आर. केन्द्र सरकार के डी.एस.आर. से ज्यादा है। इसलिए राज्य के लिए 3.02 करोड़ रूपये की निर्धारित सीमा के अंदर विद्यालय का निर्माण करना संभव नहीं था। चूंकि राज्य इन विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है इसलिए राज्य ने प्रति विद्यालय 12-16 करोड़ रूपये का प्रस्ताव दिया है और जिसकी कुल लागत 587.364 करोड़ रूपये है।

यद्यपि, केन्द्र सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, और राज्य सरकार को योजना के मानक अर्थात् 3.02 करोड़ रूपये के अनुसार ही फिर से प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया है। तद्नुसार, मई, 2011 और नवम्बर, 2011 को विद्यालय शिक्षा विभाग, नई दिल्ली को संशोधित प्रस्ताव भेज दिया गया था। अद्यतन संशोधित प्रस्ताव कुल 129.86 करोड़ रूपये का है, जिसमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 97.395 करोड़ रूपये है। जब तक केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त नहीं होती है तब तक योजना का कार्यान्वयन करना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदया, इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से सम्पूर्ण केन्द्रीय राशि यथाशीघ्र जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गढचिरोली-चिमूर) : महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली चिमुर संसदीय क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गड़चिरोली जिले की तालुका आरमोरी की कोसरी ल.पा. प्रकल्प, डॉगरगांव-ठाणेगांव उ.सि.यो., कुरखेड़ा तालुका की येंगलखुड़ा ल.पा. प्रकल्प, चामोर्शी तालुका की हल्दीपुरानी उ.सि.यो., तलोधी (मोकासा) उ.सि.यो., पिपरी रीठ ल.पा. प्रकल्प, गणपुर उपसा सिंचन योजना, कढोली उ.सि.यो. अनखेडा उ.सि.यो., पोहार नाला प्रकल्प, गड़चिरोली तालुका की कोटगल उ.सि.यो., कोटगल बॅरेज, अहेरी तालुकी की महागांव गर्रा उ.सि.यो., देवलमारी उ.सि.यो., सिरोंचा तालुका की रेंगुंठा उ.सि.यो., धानोरा तालुका की पुलखल ल.पा.यो. केन्द्र सरकार के पास वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्लियरेंस न मिलने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित है, जिसकी वजह से गड़चिरोली जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित है, में आदिवासी किसान अपनी खेती को पानी के अभाव में सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि गड़चिरोली आदिवासी जिले की उपर्युक्त सभी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाए, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति इन परियोजनाओं से लाभांवित होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके।

(सात) दिल्ली में विद्युत उत्पादक संयंत्रों को पर्याप्त गैस दिये जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्वी दिल्ली) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रवेश में गैस की किल्लत के कारण बिजली संयंत्रों का काम रूकना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न सिर्फ बवाना संयंत्र में उत्पादन शुरू होने समस्या आ रही है, बल्कि गैस की किल्लत की आशंका के चलते दो अन्य बिजली संयंत्रों का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है।

राजधानी दिल्ली में घरेलू स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप विद्युत उत्पादन न होने के कारण बिजली कंपनियों को दूसरे राज्यों से महंगी विद्युत खरीदनी पड़ रही है। गैस की कमी को देखते हुए आयातित गैस बवाना संयंत्र में विद्युत उत्पादन किए जाने पर

बिजली की लागत घरेलू गैस से पैदा होने वाली बिजली की लागत के मुकाबले कई गुना प्रति यूनिट तक महंगा होने का अनुमान है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह दिल्लीवासियों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने और साथ ही बिजली का मूल्य नियंत्रित रखने के लिए दिल्ली में घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा मात्रा में बिजली का उत्पादन करवाए जाने हेतु कारगर कदम उठाए, ताकि अन्य राज्यों से बिजली न खरीदनी पड़े और साथ ही बवाना संयंत्र को पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस उपलब्ध कराने और गैस आधारित दोनों अन्य संयंत्रों - बामनौली व बदरपुर का निर्माण भी घरेलू गैस की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के साथ शीघ्र करवाए।

(आठ) बिहार के नवादा जिले में फतेहपुर और अकवरपुर के बीच काकोलत जलप्रपात तक जाने वाली सड़क की मरम्मत किये जाने तथा उक्त जल प्रपात के आस-पास के क्षेत्र के विकास हेतु एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : बिहार राज्य के नवादा जिलान्तर्गत गोविन्दपुर प्रखण्ड में काकोलत एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जल प्रपात है। प्राकृतिक संपदा का यह विरल रूप प्रकृति प्रदत्त उपहार है। लाखों देशी-विदेशी पर्यटक इस जल प्रपात में स्नान करने और यौवन प्राप्त करने के लिए आते हैं। कभी-कभी सैकड़ों विदेशी पर्यटक कई-कई दिनों तक इस जल प्रपात में स्नान करते रहते हैं, पर इस जल प्रपात में न तो कोई सीढ़ियां हैं और न कोई बचाव के उपकरण हैं। कभी-कभी हादसे होते रहते हैं। फतेहपुर, काकोलत पथ जो 17 कि.मी. है जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। वह बिहार सरकार के विकास की आकृति पेश करती है। 17 किमी. सड़क पार करने के लिए कम स कम 3 घंटे लगते हैं। राज्य सरकार ने इसे राजकीय उच्च पथ घोषित किया है, पर उसकी घोषणा के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है।

अतः मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वह काकोलत जल प्रपात को और उसे जोड़ने वाली फतेहपुर, अकबरपुर, सड़क की अस्मिता की रक्षा करे और काकोलत के विकास के लिए एक रोड़ मैप तैयार करे जिससे इलाके के जनजीवन की समृद्धि का सूरज चमक सके।

(नौ) पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 तथा उत्तर प्रदेश के अयोध्या और बिहार के जनकपुर के बीच राम जानकी मार्ग की मरम्मत किये जाने की आवश्यता

श्री कमलेश पासवान (बांसगांव) : मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एन.एच.-29 सड़क जो सारनाथ से गोरखपुर होते हुए लुंबिनी व कुशीनगर को जाती है तथा यह सड़क इलाहाबाद सहित कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों एवं व्यवसायिक केन्द्रों को भी जोड़ती है। वर्तमान समय में यह सड़क काफी जर्जर व गढ़ढा युक्त हो गयी है, कहीं-कहीं तो यह सड़क 5-5 फीट लंबे चौड़े गढ़ढे में तब्दील हो गयी है। खराब सड़क होने के कारण आये दिन दुर्घटना व रास्ता जाम लगा रहता है। पिछले साल 31 मार्च 2012 को तत्कालीन राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा गोरखपुर बाईपास के उद्घाटन के समय हमने जनहित के इस मांग को उनके सामने रखा तथा लिखित ज्ञापन भी दिया जिस पर माननीय मंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी की एन.एच.-29 को तीन महीनों के अंदर 4 लेन में बदलने का कार्य शुय हो जायेगा परंतु खेद की बात है कि 4 लेन मं बदलना तो दूर की बात रही एक साल बीत जाने के बाद इस सड़क का मरम्मत का कार्य तक नहीं किया गया। विगत 28 फरवरी, 2013 को हजारों लोगों ने बड़हलगंजक के पटना तिराहे पर सड़क टीक कराने के लिए लेकर कई घंटों तक सड़क जाम किया था। हमारी मौजूदगी के मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कल से ही मरम्मत कार्य शुरू हो जायेगा, परंतु आज तक कोई मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ।

इसी तरह रामजानकी मार्ग अयोध्या से लेकर बड़हलगंज, बरहज, मैहरौना होते हुए बिहार के जनकपुर तक जाता है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के साथ व्यवसायिक व आम जनता के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ जगहों पर कार्य तो प्रारंभ हुआ था किंतु वर्तमान समय में बंद पड़ा हुआ है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों सड़कों एन.ए.-29 व रामजानकी मार्ग को अविलंब आर्थिक सहयोग देकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए जिससे जनहित में आये दिन हो रही दुर्घटना व जाम को टाला जा सके।

(दस) उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग क्षेत्रों में भारी वर्षा और बादल फटने के कारण जिन परिवारों को जान-माल या नुकसान हुआ है, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग की ओर दिलाना चाहती हूं। यहां पर

अगस्त, सितंबर 2012 में भारी बारिश तथा बादल फटने के कारण भारी जान माल की हानि हुई है। सैंकड़ों लोग बेघर हो गए बादल फटने के कारण कई घर दब गये और कई लोग बह गये। बादल फटने से काफी लोग एवं पशु बह गये। इन गांवों के सैंकड़ों परिवार खुले में रहने को मजबूर हैं। राज्य सरकार की ओर से दी गई सहायता नाकाफी है। गरीब परिवारों के लोग पहाड़ों पर हो रही बारिश तथा बर्फबारी के कारण ठंड में रहने को मजबूर हैं।

मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह है कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आवश्यक धनराशि दी जाए तथा केन्द्र इसमें हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर उनके पुनर्वास हेतु भारी आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के चंदौली में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर एक रेल फैक्टरी स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित सैयदराजा नौबतपुर रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे की लगभग 150-200 एकड़ भूमि है जो कि पूर्णत: रेलवे के क्षेत्राधिकार में हैं जिसे रेलवे ने स्थानीय किसानों से अधिग्रहण किया था। वर्तमान बजट में रेलवे द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर रेलवे का कारखाना लगाया जायेगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुगलसराय रेल मंडल अंतर्गत यह भूमि वर्तमान में अनाधिकृत रूप से उपयोग की जा रही है जिससे रेलवे को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। जनपद चंदौली एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर रोजगार की काफी कमी है। रेलवे द्वारा यदि इस खाली पड़ी भूमि पर रेलवे के उपयोग आने वाले संयंत्र के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित किया जाता है तो एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड को स्थानीय संयंत्र कारखाने का लाभ भी मिल जाएगा साथ ही पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत मुगलसराय रेल मंडल का विकास होगा।

अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि पूर्वांचल के पिछड़े जनपद चंदौली के विकास को ध्यान में रखते हुए रेल विभाग की बड़े पैमाने पर खाली पड़ी लगभग 150-200 एकड़ भूमि पर रेलवे के निर्माणी कारखाना स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने कृपा करें ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जनपद चंदौली का विकास के साथ ही स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकें।

(बारह) **उत्तर प्रदेश में गोमती नदी को प्रदूषणयुक्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने जो की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : हाल के वर्षों में गोमती नदी के पानी की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आयी है और लखनऊ में कड़ीघाट के निकट सैकड़ों मछलिया मृत बहती पायी गयी हैं।

यह नदी जौनपुर, सुलतानपुर और इसके किनारे अवस्थित अर्द्ध बसावटों के लिए पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। इन जिलों जौनपुर जैसे में जहां तीन-चौथाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, वहां नदी में बढ़ता प्रदूषण चिंता का मुख्य कारण है। गोमती कार्य योजना चरण-I और II के अन्तर्गत प्रयास किये जाने के बावजूद चीनी मिलों से निकलने वाली औद्योगिक बहिस्रावों तथा अनुपचारित सीवेज से नदी के कई खण्डों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। कई नालियों को अभी भी परिष्ठापित सीवेज ट्राटमेंट प्लाट से नहीं जोड़ा गया है।

इसलिए, मैं गोमती नदी के प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से आवश्यक ठोस कदम उठाने और तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

(तेरह) **बिहार में बख्तियारपुर से खगड़िया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य में तेजी लाने तथा बेगुसराय और खगड़िया के बीच इस राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : बिहार राज्य अंतर्गत एन.एच. 31 बख्तियारपुर से खगड़िया तक पथ को फोर लेन निर्माण की योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसका निर्माण एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जाना है। एन.एच.ए.आई. ने उक्त पथ के निर्माण के लिए संवेदक को दस माह पूर्व काम भी आबंटित कर दिया है। भारी वाहन और अत्यधिक वाहन चलने से उक्त पथ काफी जर्जर हो गया है। संवेदकों द्वारा न तो उक्त पथ का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है और न ही जर्जर पथ की मरम्मत ही की जा रही है, जिससे आवागमत में भारी दिक्कत हो रही है।

अत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, एन.एच.ए.आई. को शीघ्र कार्य शुरू करने एवं उक्त पथ के बेगूसराय

से खगड़िया तक की जर्जर पथ की फिलहाल मरम्मत कराने का निर्देश दे, जिससे यह पथ गाड़ी चलने लायक हो सके।

(चौदह) **दिल्ली में वक्फ सम्पतियों को वापस सौंपे जाने के मुद्दे पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर) : हाल में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने महरौली, नई दिल्ली में एक मस्जिद को ध्वस्त किया है। यह मस्जिद 120 वर्षों से ज्यादा पुराना थी। उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 में यह अपेक्षित है कि वैसे उपासना स्थल जो 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में थे, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। यह अधिनियम ऐसे स्थलों के संरक्षण का उपबंध करता है। उप राज्य पाल के अधीन एक धार्मिक समिति होती है और ऐसे मामलों को सर्वप्रथम इस समिति के पास भेजा जाता है। समिति के समक्ष यह मामला नहीं भेजा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डी.डी.ए. को इसे धवस्त नहीं करने के लिए कहा था। डी.डी.ए. के इस कृत्य की आलोचना देश के सभी सम्यक-विचार वाले लोगों ने भी इससे पूर्व डी.डी.एन. मोगल क्षेत्र में नूर मस्जिद को भी ध्वस्त किया था। पिछले 40-50 वर्षों के दौरान डी.डी.ए. ने हजारों वक्फ सम्पतियों का गैर-सरकारी रूप से अधगृहित किया है और दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए न तो खाली किया है और न ही लौटाया है। मैं केन्द्र सरकार से इन मामलों की जांच करने तथा गैर-कानूनी रूप से अधिगृहित वक्फ सम्पतियों को वक्फ बोर्ड को लौटने के लिए उपयुक्त उपाय करने का आग्रह कराता हूं।

(पन्द्रह) **ओडिशा में पारादीप बंदरगाह कस्बे और उसके आस-पास रहने वाले गरीब झुग्गी वासियों को मूलभूत जन सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता।**

श्री बिभू प्रसाद तराई (जगतसिंहपुर) : पारादीप बंदरगाह और इसके आस-पास के क्षेत्र में एक समयावधि में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक ढ़ोचों की स्थापना हुई है। इन औद्योगिक स्थापनाओं के निर्माण के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों से भी मजदूर काफी समय पूर्व काम की तलाश में इस क्षेत्र में आ गए और वे संघाकुड़, अथरबंकी, लोकपाड़ा, वोरिया, पालंदा, बृन्दाबन कॉलोनी, लोकनाथ कॉलोनी, जगन्नाथ कॉलोनी आदि जगह स्थिति झुग्गियों मे रहने लगे। यह पारादीप बन्दरगाह के साथ-साथ पारादीप नगर पालिका के अंतर्गत है। समय के साथ-साथ, इन झुग्गी वासियों को पारादीप फास्फेट लिमिटेड, ईफ्फको, आई.ओ.सी.एल. के टर्मिनलों, बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., कारगिल खाद्य तेल कारखाना, कार्बन कम्पनी आदि की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान बिना समुचित पुनर्वास के समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया गया है। इन झुग्गी वासियों में से अधिकांश, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने की बजाय, 35 वर्षो से अधिक समय से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके पास मताधिकार भी है। यद्यपि, जिन झुग्गी बस्तियों में वे अब रह रहे हैं, उनमें पेयजल की आपूर्ति, बिजली, स्वच्छता आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं।

इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि इन गरीब झुग्गी वासियों को पेयजल की निर्बाध आपूर्ति, बिजली और स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने के साथ-साथ उनका उपयुक्त तौर पर पुनर्वास कराना हमारी संघ सरकार का उत्तरदायित्व है।

(सोलह) **फरीदकोट, पंजाब में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

श्री परमजीत कौर गुलशन (फरीदकोट) : फरीदकोट में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। क्योंकि इसमें मालवा का पिछड़ा क्षेत्र आता है। रोजगार की आभाव में, इस क्षेत्र के नौजवान रोजगार की खोज में दूसरे स्थान पर जाने को विवश हैं। इस तथ्यात्मक जमीनी हकीकत का अहसास करते हुए, केन्द्रीय रेल मंत्री में दिनांक 13.01.2013 को घोषणा की थी कि यदि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए भूमि उपलब्ध कराने को सहमत हो जाती है है तो मुक्तसर साहिब की पवित्र धरती पर एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित की जाएगी। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री के साथ अपनी मुलाकात में रेल कोच फैक्टरी की मांग को दोहराया है और इस उद्देश्य के लिए जमीन आबंटित करने का आश्वासन दिया है।

अतः, केन्द्रीय रेल मंत्री से आग्रह करती हूं कि अपना दिया गया वादा पूरा करने हेतु तुरन्त कार्रवाई करें।

(सत्रह) **पूर्वी रेलवे के सियालदह दक्षिण में रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता**

डॉ. तरूण मंडल (जमनगर) : पश्चिम बंगाल तट के सुन्दरवन के अंतर्गत मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक विदित एवं घोषित अविकसित और पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के केन्द्रीय भाग में, सियालद-लक्ष्मीकोतपुर-नामखाना नामक एक रेल लाइन लोगों के आवागमन का एकमात्र मार्ग है।

मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि पूर्वी रेलवे के सियालदह दक्षिण मंडल के इस मार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने हेतु लोकल रेलगाड़ियों के छह फेरे बढ़ाए जाएं। सुबह के समय लक्ष्मीकोतपुर और दक्षिण बारासत से बालीगंज/सोनपुर तक शटल रेलगाड़ी के एक फेरे से कोलकाता में अपने कार्यालय जाने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी।

चूंकि गंगासागर को जाने वाली इस लाइन पर कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं है, सियालदह से नामखाना तक तीव्र पैसेन्जर रेलगाड़ी का कम से कम एक फेरा जरूरी है।

अपराह्न 12.08 बजे

रेल अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन के अनुमोदन के बारे संकल्प,

रेल बजट (2013-14) - सामान्य चर्चा,

लेखानुदानों की मांगे, (रेल) 2013-14

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2012-13 और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 2010-11 जारी....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, हम मद संख्या 16 से 20 लेंगे।

माननीय रेल मंत्री।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है उन्हें स्पीच ले करने की पर्मिशन दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : उनके भाषणों को सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति है।

श्री विलास मुत्तेमवार : धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

***श्री सुरेन्द्र नागर** (गौतम बुद्ध नगर) : सर्वप्रथम मैं माननीय रेल मंत्री जी आ आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र से सम्बद्ध चोला से बुलन्दशहर और दादरी से सिन्दराबाद-बुलन्दशहर लाईन का प्रावधान किया है।

इस क्षेत्र के लिए नई लोकल रेलगाड़ी चलाए जाने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने की आवश्यकता थी और महिलाओं के लिए भी महिला स्पेशल रेलगाड़ी चलायी जानी चाहिए थी। लेकिन, इन सबके लिए इस रेल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इस प्रकार से देश के सर्वाधिक जनसंख्या/रेल यात्री वाले राज्य तथा गौतमबुद्ध नगर, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जहां से बहुत बड़ी संख्या में रेल यात्रियों का राजधानी दिल्ली व अन्य स्थानों के लिए आवागमन होता है, को रेल सुविधाएं प्रदान न करना उचित प्रतीत नहीं होता।

दिल्ली से मुम्बई के लिए रेलवे कॉरिडोर बनाए जानेके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दादरी व अन्य ग्रामों की भूमि अधिगृहित किए जाने की योजना है। लेकिन, किसानों को उनकी भूमि का वाजिब मुआवजा न मिलने के कारण कृषिकों में भारी रोष है। अत: मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उचित मुआवजा दिलवाया जाए।

मेरे गृह जनपद बुलन्दशहर के गुलावठी रेलवे स्टेशन को उच्चीकृत व नवीनीकरण करते हुए यहां पर संगम एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत दादरी एक प्रमुख रेलवे स्टोशन है। यह रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां से कई एक्सप्रेस रेलगाड़ियां होकर गुजरती हैं। लेकिन, इन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दादरी रेलवे स्टेशन पर न होने के कारण नोएडा व ग्रेटर नोएडा के नागरिकों को रेलवे आवागमन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भी भारी अभाव है।

अत: मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दादरी रेलवे स्टेशन को उच्चीकृत करते हुए यहां पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने और यात्रियों को विश्रामालय, पेयजल, शौचालय इत्यादि की सुविधाएं प्रदत्त करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मेरे क्षेत्र में लखनऊ, जो राज्य की राजधानी है, के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। अत: मेरे क्षेत्र से लखनऊ के लिए रेलगाड़ी चलायी जाए।

---

* भाषण सभा पटल रखा गया

[श्री सुरेन्द्र नागर]

रेलगाड़ी संख्या 6411 खुर्जा से दिल्ली जंक्शन और रेलगाड़ी 64152 दिल्ली से अलीगढ़ जं. के लिए चलती है, इनमें यात्रियों की संख्या को देखते हुए डिब्बे बढ़ाए जायें। रेलगाड़ी संख्या 54418 डाऊन मेरठ से नई दिल्ली के बीच चलती है, इसका लिंक 64102 के साथ गाजियाबाद जं. पर पुनः बहाल किया जाए, जोकि 20 वर्ष पूर्व था। रेलगाड़ी संख्या 64581 दिल्ली से सांय 5.25 पर हाथरस के लिए चलती है, इसका समय दोपहर बाद 3.50 किया जाए। आनन्द विहार रेल टर्मिनल से खुर्जा के लिए कोई पैसेंजर रेलगाड़ी नहीं है। इसलिए आनन्द विहार रेल टर्मिनल से खुर्जा के लिए दोपहर बाद 3 बजे तक पैसेन्जर रेलगाड़ी प्रारंभ की जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य का गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र के नागरिकों का अपने कामकाज के सिलसिले में दिल्ली प्रतिदिन आना-जाना होता है। इनमें महिला यात्रियों की संख्या भी काफी अधिक होती है। हालांकि महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के मार्गरक्षण हेतु रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है, जिनकी पूरी गाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन केवल महिलाए सवारी डिब्बों की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि दिल्ली-अलीगढ़ मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए महिला सवारी डिब्बों के लिए विशेष रेलवे पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत खुर्जा जंक्शन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से बड़ी संख्या में रेलगाड़ियों का आवागमन होता है तथा दिल्ली के निकट होने के कारण यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली एवं अन्य स्थलों के लिए अपने कामकाज के सिलसिले में आते-जाते हैं।

लेकिन, इस स्टेशन पर रेल सुविधाओं का भारी अभाव है। हालांकि रेलवे द्वारा यहां पर चार टिकिट खिड़कियों की स्थापना एक वर्ष पूर्व की गयी थी, मगर इन सभी खिड़कियों में कर्मचारी तैनात न होने की वजह से टिकिट वितरण का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सकता है। वर्तमान में खुर्जा जंक्शन पर सुबह के समय केवल दो खिड़कियों के माध्यम से ही टिकट बांटी जाती है, जो रेलवे यात्रियों की संख्या को देखते हुए नगण्य है।

अतः मेरा अनुरोध है कि खुर्जा जंक्शन पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त कराए जाने के साथ-साथ वहां स्थापित की गयी सभी टिकिट खिड़कियों के माध्यम से रेलवे टिकिट बांटने की सुविधा अविलम्ब उपलब्ध करवायी जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य का बुलन्दशहर जिला मुख्यालय राजधानी दिल्ली से रेलवे से सीधा जुड़ा हुआ न होने की वजह से वहां के लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां के लोगों की विगत काफी समय से यह मांग रही है कि बुलन्दशर को दिल्ली से रेल द्वारा सीधे जोड़ा जाए और यदि ऐसा किसी कारणवश संभव नहीं है तो फिर चोला रेलवे स्टेशन, जो दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाईन के अंतर्गत बुलन्दशहर से केवल 8 कि.मी. की दूरी पर पड़ता है, को उच्चीकृत करते हुए चालो रेलवे स्टेशन का नाम चोला-बुलन्दशहर करते हुए यहां पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाएं।

वर्तमान में गौतमबुद्धनगर जिले के अंतर्गत नोएडा में केवल एक रेलवे आरक्षण केन्द्र है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा की बढ़ती आबादी को देखते हुए यह नगण्य है। नोएडा व ग्रेटर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नोएडा व ग्रेटर नोएडा में कम से कम 2-2 रेलवे आरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए तथा गौतमबुद्धनगर जिले के अंतर्गत दादरी एवं दनकौर स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस सहित अन्य सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य का गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है तथा इसके अंतर्गत नोएडा व ग्रेटर नोएडा उप-नगर आते हैं। नोएडा व ग्रेटर में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों के नागरिक निवास करते हैं और उनका रेलवे से आवागमन होता रहता है।

लेकिन, वर्तमान में गौतमबुद्धनगर जिले के अंतर्गत केवल नोएडा में ही एक रेलवे आरक्षण केन्द्र है, जो नोएडा व ग्रेटर नोएडा की बढ़ती आबादी को देखते हुए नगण्य है। यदि नोएडा व ग्रेटर नोएडा में 2-2 रेलवे आरक्षण केन्द्र की स्थापना कर दी जाती है तो यहां रहने वाले नागरिकों को रेल आरक्षण हेतु सुविधा प्राप्त हो जाएगी और उन्हें टिकट प्राप्त करने के लिए इधर-उधर जाना नहीं होगा।

अतः मेरी मांग है कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नोएडा व ग्रेटर नोएडा में कम से कम 2-2 रेलवे आरक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने हेतु आवश्यक कदम

उठाएं, जिससे गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को रेलवे आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो सके।

उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत खुर्जा जंक्शन पर पुरी एक्सप्रेस (2815-2816) नीलांचल एक्सप्रेस (2875-2876), नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (2505-2506), आम्रपाली एक्सप्रेस (5707-5708), स्वतंता सेनानी एक्सप्रेस (2561-2562), पूर्वा एक्सप्रेस (2303-2304 / 2381-2382), दिल्ली-आजमगढ़ एक्सप्रेस, (2525-2526), मगध एक्सप्रेस (12401-12402) रेलगाड़ियों का ठहराव न होने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहां पर इन सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाएं तथा खुर्जा जंक्शन पर रेलगाड़ी नं. 4055 अप व 4056 डाउन ब्रहमपुत्र मेल और 4723 अप व 2424 डाउन कालिंदी एक्सप्रेस का रेलवे आरक्षण, जिसे बंद कर दिया गया है, को बहाल किया जाए एवं ट्रेन एट ए ग्लांस में खुर्जा जंक्शन का नाम शामिल किया जाए।

मेरे क्षेत्र में मालचा एक प्रमुख ग्राम है तथा आस-पास के निकटवर्ती गांवों को जोड़ता है। यहां पर रेलवे हॉल्ट है, लेकिन इन हॉल्ट पर रेलगाड़ी के ठहराव नहीं हैं। अत: मेरे क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण हॉल्ट पर रेलगाड़ियों के ठहराव प्रदान किए जाएं। इसी प्रकार से दनकौर रेलवे स्टेशन पर भी रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाएं।

रेलगाड़ी संख्या 64417-64418, जो नई दिल्ली-गाजियाबाद के बीच चलती है। इस रेलगाड़ी को दनकौर-खुर्जा तक बढ़ाए जाने हेतु विगत काफी वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि दनकौर एवं खुर्जा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहां से एक बड़ी संख्या में यात्रियों का दिल्ली के लिए आवागमन होता है। यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नई लोकल रेलगाड़ियां संचालित किए जाने की आवश्यकता है। अत: जब तक उक्त मार्ग पर नई लॉकल रेलगाड़ियां नहीं चलाई जाती हैं, तब तक के लिए उक्त रेलगाड़ी को दनकौर-खुर्जा तक बढ़ाया जाए, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत डेरी स्केनर पर रेलवे फाटक बनाया जाए। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि दिल्ली से अलीगढ़ के बीच एक नई ई.एम.यू. रेलगाड़ी चलाई जाए तथा महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में सुरक्षा हेतु आर.पी.एफ. की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

* **श्री बिलास मुत्तेमवार** (नागपुर) : मैं माननीय रेल मंत्री को एक ओर भारतीय रेल के लघु और दीर्घावधि विकास के मध्य संतुलन बनाने और दूसरी ओर रेल किराया न बढ़ाने का आश्वासन देकर गरीबों के हितों के संरक्षण हेतु समझदारीपूर्ण कृत्य के लिए बधाई देता हूं। भारतीय रेल विविध समस्याओं से जूझ रही है जिन्हें समुचित अध्ययन करके सुलझाए जाने की आवश्यकता है।

सबसे बड़ी चुनौति जिसे हम सभी को समझना होगा वह है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती रेल यात्रा की आवश्यकताओं को आधुनिक सुविधाएं जैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छता और साफ सफाई, नई रेल लाइन आदि को पूरा करना है, और पर्याप्त निधि के अभाव में संभव नहीं है। रेलवे का अधिशेष आंतरिक संसाधन काफी हद तक घट गया है जिससे निवेश के लिए खास धनराशि नहीं बची है। परिणामस्वरूप अब यह बड़े पैमाने पर बजट समर्थन और ऋण पर निर्भर हो गया है।

रेल लाइनों, डिब्बों रेलवे स्टेशनों, रेल उपरिपुल का रखरखाव बड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा करना अपने आप में वृहत कार्य है जिसमें तकनीकी औश्र गैर-तकनीकी कार्मिकों सहित प्रशासनिक अवसंरचना के साथ-साथ बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है।

हलांकि रेलवे बार्ड ने उन क्षेत्रों से आवश्यक संसाधन जुटाने की योजना बनाई है जिसमें इसे वहन करने की क्षमता है, रेल यात्रियों को भी उनके हिस्से का बोझ उठाना होगा। लगभग एक दशक से किराया नहीं बढ़ाया गया है। पूर्व रेल मंत्री यात्री किराया बढ़ाने के अनिच्छुक थे जिसके परिणामस्वरूप रेलवे की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। रेल किराये को न बढ़ाना आलोचन से बचने का बेहतरीन उपाय था। किन्तु मंत्री और प्रशासन को जैसे-जैस यात्रियों को यात्रा जोखिम से बचाकर अवसंरचना को अद्यतन करने और मजबूत बनाने संबंधी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है।

विद्यमान में रेलवे की वित्तीय हालत बहुत खराब है। रेल मंत्री ने स्थिति को उस स्तर तक लाने के लिए जहां से अत्यधिक सुधार होने की आशा है, कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। और उसे उन विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए बिना पूरा करना संभव नहीं है, जो निधि के आभाव में अधूरी पड़ी है।

* भाषण सभा पटल रखा गया

[श्री बिलास मुत्तेमवार]

इस समय प्राप्त राजस्व का 78 प्रतिशत वेतन, पेंशन और ईंधन संबंधी भुगतान में प्रयुक्त हो रहा है। इन प्राप्तियों में से मरम्मत और रखरखाव तथा आई.आर.एफ.सी. को पट्टा किराए का 9% भुगतान करने के पश्चात् रेलवे के पास कुछ भी निधि नहीं बचती है। अत: माननीय रेल मंत्री के पास लोगों की जेब पर अधिक भार दिए बिना कुछ धनराशि जुटाने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। इसलिए माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह रेल बजट लोगों द्वारा बहुत सराहा जा रहा है।

अतिरिक्त ट्रेन और अन्य आवश्यकताओं की मांग स्वभाविक है। सदस्यों को माननीय रेल मंत्री से इन सब की मांग करनी पड़ती है। ऐसी मांग उनके क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए अनिवार्य हैं। मुझे खुशी है कि मंत्रीजी इन मांगों के प्रति काफी सकरात्मक हैं और ऐसी मांगे या तो मान ली गई हैं अथवा मानने पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

नागपुर मेरा निवास स्थान है जो महाराष्ट्र की उपराजधानी है और देश के मध्य में स्थित जारी पंइंट होने के नाते इसको अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है। नागपुर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जंक्शनों में से एक है। विभिन्न स्थानों से आकर कुल 160 ट्रेनें नागपुर आकर ठहरती हैं। इनमें से 65 दैनिक ट्रेनें हैं और 26 नागपुर से चलती हैं अथवा नागपुर आकर समाप्त हो जाती हैं। लगभग 2 लाख यात्री नागपुर स्टेशन से रोजाना चढ़ते/उतरते हैं। शहर में काफी पर्यटक आते हैं, इसके कारण नागपुर से ट्रेनों को चलाने की भारी मांग हैं।

मैं इन मागों को माननीय रेल मंत्रियों के ध्यान में लाता रहा हूं। नागपुर के लोगों की मुख्य मांग वर्तमान रेलवे स्टेशन के विकास को गति देने की है। चूंकि वर्तमान नागपुर का मुख्य रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक है और रेलवे इसके रखरखाव के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहा है। इसके और विस्तार की गुंजाइश न होने के कारण नागपुर की जनता अजनी रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की मांग पिछले कुछ वर्षों से कर रही है। यह स्टेशन शहर के बीचों बीच है और यदि उसे विश्वस्तर के रेलवे स्टेशन के रूप विकसित किया जाता है तो यह शहर की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति काफी लम्बे समय तक करेगा। इसके अलावा नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा भी बन गया है तथा रेल सुविधाओं को तदनुरूप उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।

इस महत्वपूर्ण शहर के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। हलांकि नागपुर से अनेक ट्रेनें गुजरती हैं किन्तु इस स्टेशन से आरक्षित बर्थ की संख्या अपर्याप्त होने के कारण लोगों को काफी असुविधा होती है। अत: कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में नागपुर से आरक्षित बर्थ की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

कुछ समय से माननीय रेल मंत्री के पास मैंने जो महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं वह निम्नलिखित है:-

नागपुर में बाहर से आकर बसे लोगों की बड़ी संख्या है जिन्होंने भूमि पर अस्थाई निवास बनाए हैं जिसे जबरदस्ती हटाया जा रहा है। वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और समुचित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो है व तत्काल अत्यावश्यक ठोस कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इसी आधार पर मुबंई के लिए रेलवे भूमि पर अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास हेतु एक योना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गंभीर मामला होने के कारण तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है।

नागपुर में एक और स्टेशन है जिसे यदि समुचित रूप से विकसित किया जाए तो वह यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकता है जैसा कि देश के अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए किया जा रहा है। जैसा कि मैंने उपर बताया है नागपुर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य रेलवे स्टेशन के विकास हेतु आवश्यक योजना को तत्काल अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए इतवारी रेलवे स्टेशन भी जो शहर के मध्य में स्थित है को अन्य स्टेशनों के साथ आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

रेलवे सुविधाओं के विस्तार के साथ रेलवे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी है और यह मांग की जा रही है कि उन्हें और उनके परिवारों के लिए उसी अनुपात से चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जाए। ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब मौजूदा रेल चिकित्सा महाविद्यालय में समस्त आवश्यक अवसंरचना एवं वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाये ताकि इसे आवश्यक आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं वाले अस्पतालों के समान बनाया जा सके तथा रेलवे द्वारा देश में स्थापित किये जाने वाले अन्य 18 नये चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ-साथ सरकारी निजी भागीदारी आधार पर चिकित्सा महाविद्यालय-सह-अस्पताल की स्थापना की जा सके।

अजनी रेलवे स्टेशन पर यह रेल उपरिपुल 125 साल पुराना है और अब यह जीण-शीर्ण अवस्था में है। इसका इस्तेमाल काफी लोगों द्वारा किया जाता है और इसीलिये इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है क्योंकि यह की गई अथवा की जाने वाली छोटी-मोटी मरम्मत से कायम नहीं रह सकेगा।

हज़रत बाबा सईद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्ला दरगाह, नागपुर पर 25 लाख से ज्यादा श्रद्दालु आते हैं जिसमें मुसलमान लोग ही नहीं होते बल्कि प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से भी अन्य समुदायों के लोग आते हैं। इसके अलावा, अन्य अहयाओं वाले मुसलमान लोग भी। दरगार पर शीष नवाने आए हैं। अत:, नागपुर मुरके रेलवे स्टेशन का नाम हज़रत बाबा सईद, मोहम्मद ताजुद्दीन के नाम पर इसे रखे जाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह है नागपुर में रेलवे वैगनों के माध्यम से गुडस ट्रक ट्रान्सपोर्ट हब की स्थापना। नागपुर इस प्रस्ताव का आधार स्टेशन होना चाहिए। सरकार इस प्रस्ताव को किसी निजी उद्यमी के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से सिरे चढ़ा सकती है। नागपुर की नैसगिंक आदर्श मध्य स्थिति है, वहां की जलवायु अच्छी है, स्थल काफी प्रर्याप्त एवं सस्ता है, वातावरण शांतिपूर्ण एवं सुरोअत है, अच्छी अनुकूल अवसंरचना तथा अच्छी सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी है, जिसके फलस्वरूप इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन से रेलवे के वित्त में काफी वृद्धि होगी।

नागपुर कोयले, खाद्यानों, सीमेन्ट एवं फलों इत्यादि के लिये एक प्रमुख वाहनांतरणीय ट्रांस-शिपमेंट सेंटर केन्द्र है। हररोज़ लगभग 100 रेलगाड़ियां नागपुर के रास्ते कोलकाता, भुवनेश्वर, आन्ध्र प्रदेश, कर्णाटक और तमिलनाडु जाती हैं। नागपुर में आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध है और 5000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय की स्थापना हेतु किया गया है। नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है और एक प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक शहर के रूप में उभर दिया है। मध्य रेलवे के जोनल कार्यालयों से मुंबई में पहली ही मौजुद भीड़भाड़ में अभिवृद्धि होती है। अत: मध्य रेलवे का ज़ोनल कार्यालय मुबई से स्थानांतरित करके नागपुर लाये जाने की आवश्यकता है।

विदर्भ क्षेत्र एवं इसके साथ लगते क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ पर प्रार्थना करने हेतु अजमेर नियमित यात्रा करते रहते हैं। वर्तमान में, नागपुर से अजमेर के लिये कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है। सरकार ने अजमेर के रास्ते पुरी से माउंट आंबू जाने वाली एक रेलगाड़ी आरंभ की है। अजमेर की यात्रा करने वाले लोगों के लिये लगभग 200 शायिकाएं (बर्थ) प्रदान की जाती हैं। किन्तु यह संख्या काफी अपर्याप्त रहेगी क्योंकि इस ऐतिहासिक एवं पवित्र शहर की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अत:, नागपुर से अजमेर और अजमेर से नागपुर जाने एक विशिष्ट रेलगाड़ी आरंभ किये जाने की जरूरत है। नागपुर से प्रख्यान करने वाली रेलगाड़ी का नाम "हज़रत बाबा ताजुद्दीन एक्सप्रेस" तथा अजमेर से प्रख्यान कर नागपुर जाने वाली रेलगाड़ी का नाम सईद गरीब नवाज़ एक्सप्रेस" रखा जाये। यह एक काफी लंबे समय से चली आ रही मांग है और सरकार से मेरा यदि आग्रह है कि लाखों मुसलमान बंधुओं के इस अनुरोध को अत्यंत महत्व प्रदान किया जाये ताकि वे सुविधापूर्वक एवं आरामदायक तरीके से यात्रा कर पायें।

मौजूदा रेलगाड़ियों के बहुत कम संख्या में ठहराव एवं आरक्षित सीटों की अपर्याप्त संख्या की वजह से लोगों के नागपुर और दिल्ली के मध्य यात्रा करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है अत:, यह प्रस्ताव किया गया था कि नागपुर-दिल्ली नागपुर के बीच विशिष्ट रेलगाड़ियों आरंभ की जायें। इस मार्ग पर विशेष दुरन्तो रेलगाड़ी का आरंभ किया जाना नितान्त आवश्यक है और इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है।

नागपुर-इन्दौर पर मार्ग पर यातायात में बेतहाशा वृद्धि हुई है और फिलहाल लोगों द्वारा यह मांग की जाती रहती है कि पूरे सप्ताह एवं त्रिशताब्दी रेलगाड़ी चलाई जायें।

नागपुर-अहमदाबाद प्रेरणा एक्सप्रेस रेलगाड़ी मात्र बुधवार के ही चलती है। अहमदाबाद और नागपुर के मध्य व्यापार से इस मार्ग पर अत्यधिक दबाव पड़ा है और इसीलिये रेलगाड़ी के प्रचालन दिवसों में वृद्धि की मांग जोरो पर है।

नागपुर-हैदराबाद-बंगलौर-चेन्नई मार्ग पर व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नागपुर के रास्ते होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों में पर्याप्त आरक्षण नहीं होता जिसके कारण न केवल लोगों को अत्यंत असुविधा होती है बल्कि व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होता है अत:, यह नितान्त आवश्यक है कि नागपुर से इन स्थानां एवं इन स्थानों से नागपुर के लिये एक विशेष रेल गाड़ी चलाई जाये। वह अत्यंत तात्कालिक आवश्यकता है और रेलवें को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

[श्री बिलास मुत्तेमवार]

छोटी लाइन नागपुर-नगन्नीड मार्ग का आमान परिवर्तन कर इसे बड़ी लाइन बनाया जाये ताकि कृषकों, कृषि आधारित उद्योगों, कोल फील्ड्स आदि अपने उत्पादों को सुगमता से ले जाने में सुविधा मिल सके। इस प्रस्ताव पर सहमति हो गई थी और तत्कालीन रेल मंत्री के बजट भाषण के दौरान एक घोषणा भी की गई थी।

वाडसा-गढ़चिरौली क्षेत्र जनजाति-बाहुल्य क्षेत्र है और रेल लाइन के न होने की से यह अल्पविकसित क्षेत्र रह गया है। आदिवासी की अपने समग्र विकास के मामले में उपेक्षित महसूस करते हैं। यह समूचा क्षेत्र लौह अयस्क एवं वन क्षेत्र से भरपूर है।

नागपुर-कानपुर-लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर रेल यात्री यातायात बहुत अधिक है और इस क्षेत्र पर यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु सीमित कोटा है। अत:, लोग इस क्षेत्र के लिए एक विशेष रेलगाड़ी की मांग नियमित रूप से करते रहे है, इससे न केवल इस क्षेत्रपर यात्रा करने वाले लोगों को सहायता मिलेगी बल्कि नागपुर से झांसी एवं भोपाल जाने वाले यात्रियों को भी काफी सुविधा होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय रेल मंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि नागपुर के लोगों की इन गंभीर मांगों जिन्हें उनकी लंबे समय से चलती आ रही आकांशाओं को पूर्ण करने हेतु न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं के रूप में महसूस किया जाता है, को पूरा किया जाये।

[हिन्दी]

* **श्री हरीश चौधरी** (बाड़मेर) : रेल बजट में सुविधा एवं सुरक्षा पर जोर देते हुए हमारे मरूस्थलीय राज्य राजस्थान को कई नई रेलों एवं अन्य सौगात देने के लिए यू.पी.ए. अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, रेल मंत्री जी को मेरे संसदीय क्षेत्र एवं राजस्थान के नागरिकों की तरफ से हार्दिक बधाई एवं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के जैसलमेर जिले को मुम्बई से नई रेल सेवा से जोड़ने की घोषणा और बाड़मेर को बैंगलौर से रेल सेवा से जोड़ने के आश्वासन के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

मेरे निवेदन पर पिछले रेल बजट घोषणाओं में मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत जैसलमेर-बाड़मेर एवं बाड़मेर-भाभर रेल लाइन सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है, इसके लिए मैं आभारी हूं। यह रेल मार्ग रक्षा प्रयोजनार्थ, औद्योगिक विकास, पर्यटन एवं हर दृष्टि से आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जैसलमेर जिलों में पूरे देश के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, इसे देखते हुए यहां रिफाइनरी स्थापना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। मैं अनुरोध करूंगा कि उद्योगों के विकास के लिए रेलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, कोयला एवं लोक अयस्क की खानों के लिए रेल सम्पर्क, रक्षा उपयोगार्थ मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर एवं बाड़मेर-भाभर रेल लाईन सर्वे रिपोर्ट पर पुन: विचार कर आवश्यकता को देखते हुए इसकी स्वीकृति दिलावें।

मेरे संसदीय क्षेत्र बाडमेर एवं जैसलमेर में रेलवे विकास से देश के विकास को गति मिलेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। रक्षा संबंधी वाहनों को पहुंचाने, शाही पर्यटन रेल सेवा के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने का कार्य, खनिज पदार्थो को ढोने का कार्य, इत्यादि। मेरा संसदीय क्षेत्र प्राकृतिक साधनों से भरपूर है और यहां पर उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग लागने की काफी संभावनाएं हैं। बाडमेर में रेलवे उपकरण संबंधी कोई उद्योग बाडमेर एवं जैसलमेर में लग जाये तो यहां के लोगों को पलायन करके अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही साथ मारवाड़ क्षेत्र के लोग देश के हर कोने में फैले हैं और व्यापार एवं उद्योग में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बाड़मेर जोधपुर जिलों को बड़े शहरों से गरीब रथ रेल सेवा द्वारा जोड़ा जाय।

बाड़मेर में देश की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है जहां पर अन्य राज्यों के सैनिक देश की हिफाजत कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने भी सीमावर्ती बाडमेर को मुम्बई/पूर्वोत्तर/दक्षिणी राज्यों से रेलवे सेवा से जोड़ने का आग्रह किया है उनकी मांग पर विचार किया जाये। बाड़मेर जिले में बालोतरा एक बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है, जहां से बड़े पैमाने पर वस्त्र आयात-निर्यात का कारोबार होता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए बाड़मेर से चेन्नई की रेल सेवा शुरू करने से दक्षिणी राज्यों एवं बाड़मेर के मध्य औद्योगिक विकास का गति मिलेगी। वर्तमान में बाड़मेर से दिल्ली के बीच रही जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस में यात्रा भार को देखते हुए मण्डोर एक्सप्रेस को बाड़मेर तक बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध कर रहा हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में समदड़ी-भीलड़ी रेल मार्ग पर आमान परिवर्तन पूर्ण हो जाने के पश्चात बाड़मेर से मुम्बई रेल सेवा की घोषणा की पूरी आशा थी लेकिन यह पूरी नहीं हो पाई है। मैं अनुरोध करूंगा कि जोधपुर मुम्बई के बीच चलने वाली रेल

* भाषण सभा पटल रखा गया

का फेरा बाड़मेर तक बढ़ाया जाये। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दादर बीकानेर एक्सप्रेस की आधी गाड़ी को बाड़मेर स्टेशन तक बढ़ा दिया जाये, तो यहां के यात्रियों को कुछ सहूलियत होगी। बीकानेर मुम्बई के माध्य चलने वाली 2489/2490 दादर बीकानेर एक्सप्रेस वाया बाडमेर जिले के समदड़ी रेलवे रेलवे जंक्शन से चलती है, जो कि बाड़मेर रेलवे स्टेशन से मात्र 129 कि.मी. है। अंत में पुन: माननीय सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं माननीय रेल मंत्री को लोकप्रिय बजट को पेश किये जाने पर आभार व्यक्त करता हूं और इसे पास करने की अनुशंसा करता हूं।

* **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल** (वडोदरा) : श्री पवन कुमार बंसलजी द्वारा 2013-2014 को रेल बजट जो सदन के पटल पर पेश हुआ है, हम उनकी निंदा करते हैं और निम्न रूप से टिप्पणी करना चाहते हैं।

रेल बजट में नई लाइनों का जो प्रस्ताव किया गया है, उसमें गुजरात विशेषकर सौराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इस बजट में नई एक्सप्रेस गाड़ियों को शुरू करने के प्रस्ताव में भी सौराष्ट्र को नजरअंदाज कर दिया गया है।

नई पैसेंजर गाड़ियों को शुरू करने के संदर्भ में कुछ गाड़ियों का प्रस्ताव है जो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि सौराष्ट्र को दिल्ली से जोड़ने वाली गाड़ियों का कहीं भी कोई प्रस्ताव या उल्लेख तक नहीं किया गया है और न ही इन गाड़ियों को अहमदाबाद, गांधीनगर से जोड़ने को कोई प्रस्ताव है।

2013-14 में पूरी की जाने वाली नई लाइनों के प्रसंग में भी गुजरात तथा विशेष तौर पर सौराष्ट्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

2012-13 में दोहरीकरण परियोजनाओं में भी गुजरात विशेषकर सौराष्ट्र का नामोनिशान तक प्रस्तावित नहीं किया गया है, जो अत्यंत निंदनीय है।

2012-13 में आमान परिवर्तन पुरी की जाने वाली परियोजनाओं में भी न तो गुजरात अथवा सौराष्ट्र का उल्लेख नहीं किया गया है।

रेल पर्यटन के प्रस्ताव में यदि गुजरात को देखा जाये तो यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी जी के देश को रेल पर्यटन से दूर रखा गया है, जबकि इस संदर्भ में पोरबंदर, अहमदाबाद, ओखा, वापी, सोमनाथ, द्वारका, एवं जूनागढ़ जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

नई लाइन परियोजनाओं और आमान परिवर्तन परियोजनायें तथा दोहरीकरण परियोजना को शुरू करने के प्रस्ताव में सौराष्ट्र का नाम कहीं भी प्रस्तावित नहीं किया गया है, जबकि माननीय रेल मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य सरकारों, संसद सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, मगर इसके बावजूद सौराष्ट्र को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री जी ने सौराष्ट्र को रेल विकास के प्रसंग में भारत के नक्शे से बाहर कर दिया है और दूसरी ओर गांधी परिवार को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के देश को नजरअंदाज करते हुए रायबरेली में रेल फैक्टरी का निर्माण किया गया है, जो अत्यंत निंदनीय है।

[अनुवाद]

* **श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम) : यह रेल बजट तमिलनाडु के लोगों और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिये बड़ी हताशा है क्योंकि इसमें इन क्षेत्रों के लिये मांगी गई प्रमुख आवश्यक परियोजनाओं में से कोई परियोजना नहीं है। इस बजट में, मईलादुतुरई-तिरूवरूट-करईकुडी तथा तिरूतरई-अगस्तियमपल्ली लाईन के आमान-परिवर्तन नीदमंगलम-मन्नारमुडी रेल लाइन एवं मन्नारगुडी-पट्टुकोटई रेल लाइन की पुनर्बघली तथा तन्जावुर-पट्टुकोट्टई के नये वास्तविक फेरबदल (47.2 किमी.) संबंधी परियोजना के लिये 1190.05 करोड़ रू. की कुल अनुमानित लागत में से 859 करोड़ रू. की शेष आवश्यकता की तुलना में 100 करोड़ रू. की राशि आवंटित की गई है।

इस परियोजना हेतु धनराशि के अत्यल्प आवंटन की वजह से इस अति महत्वपूर्ण रेल लाइन पर कार्य में बहुत धीमी प्रगति हो रही है। तिरूवरूर-कटईकुडी मीटर गेज रेल लाइन के तिरूवरूर-तिरूतुरई पुंडी-पट्टुकोट्टई प्रखंड के आमान-परिवर्तन का कार्य काफी लंबी अवधि से लंबित है। मैंने इस मीटर गेज प्रखंड को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के लिये कई अभ्यावेद दिए हैं। वर्तमान में मईलादुतुरई-तिरूवरूर प्रखंड को बड़ी लाइन में बदला गया है। शेष क्षेत्रों अर्थात् तिरूवरूर-करईकुडी तथा तिरूतुरईपूंजी-अगस्तिचमपल्ली मन्नारगुडी-पट्टुकोट्टई; नीडमंगलम-मन्नारगुडी रेल लाइन की पुनर्बहाली

* भाषण सभा पटल रखा गया

* भाषण सभा पटल रखा गया

[श्री ए.के.एस. विजयन]

तथा तंजावुर-पट्टुकोटाई, के नये वास्तविक फेर बदल (47.2 किमी.) का कार्य लंबित पड़ा है। इसे युद्ध स्तर पर आरंभ किये जाने की जरूरत है।

मैं नागायट्टनम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसमें मइलादुतुरई, तिरूवरूर, तिरूतुरईपूंडी अगस्तिथमपल्ली, नीडमंगलम और मन्नारगुडी शामिल हैं। तिरूवरूर-तिरूंतुरईपूंडी पर मुथुपेट्टई में 800 साल पुरानी प्रसिद्ध दरगाह है जो समूचे देश तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। इसके अलावा यह देश का एक नमक उत्पादक क्षेत्र है। मैंने इस मीटरगेज (छोटीलाइन) प्रखंड को बड़ी लाइन (ब्राडगेज) में बदलने हेतु कई अभ्यावेदन दिये हैं। फिर भी इस परियोजना हेतु 100 करोड़ रू. का अत्यल्प आवंटन किया गया है।

यह आवंटन न्यूनतम 200 करोड़ रूपये बढ़ाया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि गत 14 वर्षों के दौरान मैंने इस मुद्दे को संसद में अनेक अवसरों पर उठाया है। मैंने इस बारे में विभिन्न रेल मंत्रियों को अनेक पत्र लिखे हैं लेकिन मांग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपसे लोगों के लाभ के लिये इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु निधियों के आवंतम में वृद्धि किये जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में मुथुपेट्टाई स्वर्गीय श्री संदानम अरथंगर का जन्म स्थान है जो देश के पहले रेल मंत्री थे। तिरूवरूर-मुथुपेट्टाई (लगभग 40 किमी.) बड़ी लाइन परियोजनां को भी शीघ्र लिया जाना चाहिये क्योंकि इस लाइन पर रेल परिवहन की अनुपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को अत्यंत कठिनाई होती है।

माननीय मंत्री ने अपने बजट में घोषणा की है कि चालू वर्ष में दो नई रेलगाड़ियों चेन्नै-वेलंकन्नी लिंक एक्सप्रेस (दैनिक) वारास्ता विल्लूपुरम, मयिल्तादुतुराई, तिरूवरूर तथा कोयम्बटूर मन्नारगुडी एक्सप्रेस (दैनिक) बारास्ता तिरूचिरापल्ली, तंजावुर, निदामंगलम शुरू की जायेगी। मैं इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिये आभार प्रकट करना चाहूंगा जो मेरे नागापट्टिनाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये अत्यंत सहायक होगा।

लेकिन, वर्तमान में नागोर और दिल्ली के बीच कोई सीधा रेल संर्पक नहीं है। उत्तर भारत के अनेक लोग बार-बार मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पर्यटक स्थानों का दौरा करते हैं तथा इन स्थानों के लोगों को रोजगार की खोज एवं अन्य उद्देश्यों के लिये उत्तर भारत का दौरा करना पड़ता है। नागोर और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी नहीं होने के कारण लोगों को रेलगाड़ी या चेन्नै या तिरूचिरापल्ली पर बदलनी पड़ती है जिससे बहुत असुविधा होती है और बहुत समय लगता है यदि नागोर और दिल्ली के बीच शीघ्र सीधी रेलगाड़ी शुरू की जाती है तो इससे इन क्षेत्रों के लोगों और उत्तर भारत के लोगों जो उपर्युक्त पर्यटन स्थलों पर जाते है, को अत्यंत सुविधा एवं मदद मिलेगी। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय रेलमंत्री ने हाल में तमिलनाडु के दौरे के समय कराईक्काल में उद्‌घाटन समारोह में आश्वासन दिलाया था कि नागोर और दिल्ली के बीच शीघ्र ही सीधी रेलगाड़ी शुरू की जायेगी। लेकिन चालू बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई जिससे अनके लोग निराश हो गये। इसलिए, मैं रेल मंत्री से नागोर और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू करने पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

नागापट्टिनाम और नागोर के बीच अक्कारापेट्टाई नामक स्थान है। इस क्षेत्र के लोगों को आर.ओ.बी. नहीं होने के कारण अक्कारापोट्टाई को पार करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रेल यातायात के कारण अवकारापेट्टाई पर रेल गेट बार-बार बंद होता है तथा इस रेल गेट को पार करने में लोगों को देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके कारण लोगों को रेल लाइन को पार करने के लिए अत्यधिक शीघ्रता बरतनी पड़ती है। जिससे लोगों के साथ बार-बार दुर्घटनाये होती हैं और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इससे बहुत लोगों को और विशेषकर रोगियों एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों को भारी असुविधा होती हैं। यदि अक्कारापेट्टई में किसी आर.ओ.बी. का निर्माण किया जाता है तो यह अत्यंत सहायक होगा। मैं रेल मंत्री से इस परियोजना को अविलम्ब शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

वर्तमान में नागोर और चेन्नै एगमोर के बीच चलने वाली कंबन एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 16176) का मम्बालम चेन्नै में ठहराव नहीं है। तम्बारम से चलने के बाद यह केवल चेन्नै एगमोर पर रूकती है। जो लोग तम्बाराम और चेन्नै एगमोर के बीच सामान लाते-ले जाते है या तो तम्बाराम या चेन्नै एगमोरे पर उसे उतारना पड़ता है तथा वापस लौटते समय भी कम्बन एक्सप्रेस (16175) चेन्नै एगमोरे से चालू होती है और केवल तम्बारम पर सकती है। सामान लेकर चलने वाले लागों को या तो चेन्नै एगमोरे या तम्बारम तक टैक्सी या आटो-रिक्शा किराये पर लेना पड़ता है तथा इन टैक्सी या आटोरिक्शा

वालों को किराये के तौर पर भारी राशि का भुगतान करना पड़ता है जिसे गरीब लोग वहन नहीं कर सकते हैं। यदि यह रेलगाड़ी मम्बालम, चेन्नै में एक मिनट के लिये रूके तो इससे बहुत मदद मिलेगी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कम्बन एक्सप्रेस (रेलगाड़ी सं. 16176/16175) को मम्बालम, चेन्नै पर एक मिनट का ठहराव देने का आदेश जारी करे ताकि लोग टैक्सी या आटो-रिक्शा के लिए भारी धनराशि देने से बच सकें। तीन यात्री रेलगाड़िया (सं. 56714, 56712 और 56852) तिरूचिराप्पल्ली से नागिवे बारास्ता नापाट्टिनम चल रही हैं। ये रेलगाड़ियां तिरूचिरापल्ली से 06.10 बजे, 10.05 बजे और 16.30 बजे चलती हैं और नागोर क्रमश: 10.50 बजे, 14.15 बजे और 20.55 बजे पहुंचती हैं तथा ये सभी रेलगाड़ियां 10 डिब्बों की हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इन रेलगाड़ियों को 16 डिब्बों की कर दीजाएं और 8 डिब्बों को नागापट्टिनाम में हटाकर वेलांकन्नी के लिये 8 डिब्बे को नागोर के लिये भेज दिया जाए तो इससे वेलांकन्नी में पर्यतकों का आगमन बढ़ेगा और वेलांकन्नी के लोगों को काफी मदद मिलेगी।

आधुनिकीरण पर विचार करते समय और आई.सी.एफ. की यूनिट-2 की शुरूवात करते समय रेलवे मेट्रो कोच प्रोडक्शन सेन्टर की स्थापना करने पर भी विचार करें जिससे हमारी स्थानीय मांग पूरी हो जाती है। तेल के मूल्यों में वृद्धि और पेट्रोल/डीजल के मूल्यों में बार-बार वृद्धि के कारण सड़क यात्रा पहले से अधिक महंगी हो गई है। उदाहरण के लिये तमिलनाडु में बस का किराया बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिये, मैं रेलमंत्री से इस तथ्य पर विचार करने का आग्रह करता हूं कि अब अधिक से अधिक यात्री रेले यात्रा कर रहे है। इसलिये, दक्षिण रेलवे को तिरूनेलवेली और चेन्नै, मदुरै और चेन्नै तथा त्रिची और चेन्नै के बीच चलने वाली मौजूदा रेल रेलगाड़ियों में अधिक डिब्बे जोड़ने का उपयुक्त निर्देश दिया जाए। इस मांग को पूरा करने के लिये कम से कम दो और लम्बी-दर वाली रेलगाड़ियां शुरू की जाएं। मैं रेल मंत्री से कोयम्बटूर और इरोड, वेल्लोर और अराक्कोनम, मदुरै और डिन्डीगुल, त्रिची और तंजाबुर तथा त्रिची और डिन्डीगुल, सलेम और इरोड के बीच उप नगरीय रेल सेवा शुरू करने का आग्रह करता हूं। तमिलनाडु में दैनिक यात्रियों द्वारा कानून का पालन करने की संस्कृति से रेलवे को राजस्व एवं संभाव्य सुरक्षित प्रचालन की क्षमता में वृद्धि करने सहायता मिलेगी है। मैं तमिलनाडु के लोगों के लाभ के लिये उपर्युक्त प्रस्तावों पर अनुकूलता से विचार किये जाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

* **श्री दत्ता मेघे** (वर्धा) : सबसे पहले मैं आदरणीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था कि वे रेलवे को दुबारा पटरी पर लायेगी, मंत्री जी ने अपने वादे को इस बजट में पूरी तरह से निभाया है। इसमें रेल किराये में कोई बढोत्तर नहीं की गई है और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। यात्रियों की सुरक्षा एक गंभीर समस्या है। प्रतिवर्ष रेल बजट में यात्रियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन कुछ होता नहीं। माल ढुलाई में एक बिलियन टन का जो रिकॉर्ड किया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने रेल बजट में सभी तबकों का थोड़ा बहुत भी ख्याल रखा है। किन्तु मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि इस बजट में सभी तबकों का थोड़ा बहुत भी ख्याल रखा है। किन्तु मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि इस बजट में महाराष्ट्र के लिये कुछ भी नहीं है। रेल मंत्रालय को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षो में हुआ वह हमने देखा है। जब 17 साल बाद कांग्रेस के पास रेल मंत्रालय आया तो मुझे पूरी आशा थी कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा को कुछ न कुछ मिलेगा, और इस आशा के अनुरूप एक नई गाड़ी नागपुर-सिकंदराबाद शुरू हुई है। इस नई ट्रेन के लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि नागपुर-सिकंदराबाद का एक स्टापेज हिंगनघाट को मिलना चाहिए, हिंगनघाट दो लाख बस्ती का शहर है और एक प्रमुख व्यापार केन्द्र भी है। इतना बड़ा शहर होने के बावजूद हिंगनघाटा स्टापेज नहीं दिया गया है। इसलिए लोगों में असंतोष है। इसके लिए हमारी पुरानी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। हमारी एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है।

मैं लगातार विदर्भ तथा मेरे संसदीय क्षेत्र को नई गाड़ियों और गाड़ियों के स्टापेज की मांगे आदरणीय रेल मंत्री जी के सामने रखता आया हूं, किन्तु अभी तक मेरी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। मेरे चुनाव क्षेत्र में चार-पांच बड़े टाउन हैं- वर्धा, हिंगनघाट, चांदुर (रेलवे), पुलगाव, वरुड, मोर्शी और धामनगांव, जहां से पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर जाने वाली सभी रेल गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन प्रमुख रेल गाड़ियों के इन शहरों में स्टापेज नहीं हैं। जिस कारण यहां के रेल प्रवासियों को असुविधा हो रही है। रेल गाड़ियां होने के बावजूद प्रवासियों को उपयोग नहीं के बराबर है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि हिंगणघाट शहर के लिए जयपुर एक्सप्रेस,

* भाषण सभा पटल रखा गया

मद्रास-जोधपुर एक्सप्रेस और सिकंदराबाद-बीकानेर एक्सप्रेस गाड़ियों के स्टॉपेज दें क्योंकि यहां से वर्धा और नागपुर जाने वाले व्यापारी, छात्र और नौकरी करने वाली स्त्री-पुरूष बड़ी संख्या में आना-जाना करते हैं।

चांदूर रेलवे धामणगांव के रेल यात्रियों की बहुत पुरानी मांग है कि हज़रत निजामुदीन-गोंडवाना एक्सप्रेस, अमरावती नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा जबलपुर एक्सप्रेस आदि गाड़ियों के स्टॉपेज उन्हें मिले।

सिंदी रेलवे एक बड़ा रेल स्टेशन है। नागपुर-अमरावती इंटरसिटी एक्सप्रेस और अमरावती-नागपुर गाड़ियों का सिंदी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है। यहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोग और छात्र-छात्रायें वर्धा और नागपुर आना-जाना करते हैं। इसी तरह, मोर्शी और वरुड के लोगों की मांग है कि हफ्ते में एक दिन चलने वाली इंदौर-यशवंतपुरम ट्रेन का स्टापेज उन्हें मिले। यदि रेल मंत्रालय ऊपर निर्देशित स्टापेज देता है तो भारतीय रेल को लाखो रुपये की आमदनी भी होगी और यात्रियों की सुविधा भी होगी। पुलगाववासियों की भी छोटी सी मांग है कि आजाद हिंद और नवजीवन एक्सप्रेस गाड़ियों के उन्हें स्टापेज मिलें।

अमरावती-नरखेड पैसेंजर का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु अभी तक यह ट्रेन शुरू हुई है, उसे जल्द से जल्द शुरू करें। वर्धा-यवतमाल-नांदेड मार्ग की घोषणा होकर भी काफी समय हो चुका है, किन्तु भूमि अधिग्रहण के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं की गई है। इस प्रस्तावित लाइन का कार्य शुरू करने के लिये आपसे निवेदन है कि इसी बजट में वर्धा यवतमाल नांदेड मार्ग के भूमि अधिग्रहण के लिये धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मैंने स्वयं यह बात सभागृह में दो बार रखी है। 377 के अंतर्गत भी यह मामला उठाया है। इतना ही नहीं मैंने स्वयं रेल मंत्री को दस लैटर लिखे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने आपको विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी की कर्म भूमि है। प्रतिवर्ष हजारों सैलानी महात्मा गांधी के आश्रम तथा विनोबा भावे के पवनार आश्रम देखने आते हैं। आशा है कि आप मेरी इस छोटी सी मांग को शीघ्रता से पूरा करने के लिये निर्देरश देंगे।

* **श्री सुदर्शन भगत** (लोहरदगा) : मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा, झारखण्ड राज्य का एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, तथा यह पूरा क्षेत्र उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित है। इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का बहुत ही अभाव है। यातायात के साधनों की कमी के कारण यह पूरा क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अभी तक पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में व्याप्त यातायात की जटिल एवं विषम परिस्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एवं माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह रेल बजट में कृपया निम्नलिखित रेलवे से संबंधित लोकहित के मुद्दों को सम्मिलित करने का कष्ट करें-

1. गुमला जिला एवं शहर को अविलम्ब रेलवे से जोड़ा जाये। विदित हो कि नई रेलवे लाइन बनाने हेतु पूर्व में सर्वेक्षण किया जा चुका है, परन्तु अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हो सकी है।
2. लोहरदगा से कोरबा, वाया गुमला, जसपुर होते हुए रेलवे लाइन का निर्माण किया जाये।
3. लोहरदगा से झाड़सूगड़ा वाया गुमला, जसपुर कोनकुरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए।
4. लोहरदगा से जमशेदपुर वाया-धनबाद, रेल सेवा प्रारंभ की जाये।
5. लोहरदगा रेलवे स्टेशन: रेलवे द्वारा इस रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाये जाने का दावा किया जा रहा है। परन्तु इस रेलवे स्टेशन पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। आरक्षण हेतु केवल एक ही काउंटर है तथा प्लेटफार्म भी केवल एक ही होने के कारण यहां यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।
6. गाड़ी संख्या 13351 व 13352 एलप्पी एक्सप्रेस का ठहराव पोकला स्टेशन पर किया जाए।
7. रांची से लोहरदगा रेलवे लाइन को डबल किया जाये एवं लोहरदगा से रांची के मध्य गाड़ी की आवाजाही बढ़ाई जाए।
8. रांची-लोहरदगा यात्री गाड़ी में कम से कम दो कोच आवश्य बढ़ाये जायें, जिसमें से एक केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हो।
9. गंगा सतलुज एक्सप्रेस (13307-13308) फिरोजपुर से धनबाद तक चलती है, का रांची तक विस्तार किया जाए।

* भाषण सभा पटल रखा गया

10. लोहरदगा से टोरी रेल लाइन के निर्माण में हो रही अप्रत्याशित देरी के कारणों का पता लगाया जाए एवं निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा किया जाये।

11. नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस को रांची-नई दिल्ली एवं नई दिल्ली रांची के मध्य सप्ताह में कम से कम छः दिन किया जाये।

12. लोहरदगा से देवघर के मध्य रेल सेवा प्रारंभ की जाए।

अतः आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा उठाये गये उपरोक्त लोकहित की परियोजनाओं एवं मुद्दों को अवश्य ही रेल बजट में सम्मिलित कर इस क्षेत्र की जनता को रेल सेवाओं से लाभांवित होने का अवसर प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं उन सभी 82 माननीय सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रेल बजट अर्थात्, वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगों, वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों और वर्ष 2010-11 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लिया।

महोदया, इन 82 सदस्यों के अलावा, अन्य 124 सदस्यों में समयाभाव के कारण अपने भाषण सभापटल पर रखे हैं और किसी भी सूरत में, यह वाद-विवाद 13 घंटे से अधिक चला।

महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा की गई आलोचना और उनके द्वारा दिए गए सुझावों से मुझे भरपूर लाभ मिलेगा और इससे रेलवे को अपनी सेवाओं में और सुधार करने में बहुत सहायता प्राप्त होगी।

महोदया, माननीय सदस्य, श्री वैजयंत पांड़ा, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत अधिक सम्मान है, मेरे अनुपूरक मांगों को अन्य बजट दस्तावेजों के साथ मिला देने पर उपहास करते लग रहे थे जब बजट भाषण में मैंने कहा था कि हमारे द्वारा किए गए वित्तीय अनुशासन के कारण, मैं वर्ष भर तक के दौरान किसी अनुपूरक मांगों के साथ सदन में नहीं आया था। महोदया, मैं उन्हें और अन्य माननीय सदस्यों को केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस बार अनुपूरक मांगों में कोई अतिरिक्त मांगें शामिल नहीं हैं। परन्तु कतिपय चीजों पर अतिरिक्त व्यय के कारण केवल परस्पर समायोजन हैं। हमारे कार्यपालन व्यय पहले की तरह ही हैं; और यही वह बात है जिसे मैं वास्तव में इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। यह उस सहयोग के कारण है जोकि हमें माननीय सदस्यों से मिला था जब मैंने किरायों में हल्की सी वृद्धि की थी और तब भी जबकि रेलवे द्वारा कतिपय अन्य सख्त उपाय किए गए थे।

महोदया, रेलवे की एक सशक्त आधार रेखा के साक्ष्य के तौर पर, परिचालन अनुपात...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : अध्यक्ष महोदया, पूरा देश रेल मंत्री जी का भाषण सुन रहा है। आप हिन्दी में बोलिए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं आपकी बात मानता हूं और अब जो भी कहूंगा, हिन्दी भाषा में कहूंगा।

अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष परिचालन अनुपात (दि ओपरेटिंग रेश्यो) एक फीसदी कम करके 87.8 तय किया है। लालू जी, मैं मानता हूं कि आपके समय भी यू.पी.ए. था और उस समय परिचालन अनुपात काफी अच्छा हो गया था, मतलब कम हो गया था। उसके लिए आपके कदमों की सराहना करता हूं और साथ ही साथ मं यह मानता हूं और आप भी मुझसे सहमत होंगे, उसके बाद छठा वेतन आयोग आया, जिसमें 73 हजार करोड़ रुपया उसके बाद पांच वर्षों में लगा। उस समय आप किस्मत के धनी थे कि उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा थी। उस समय मांग ज्यादा थी और इकोनोमी में हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में इसमें दिक्कतें आई हें। मैंने पहले 88.8 इस वर्ष के लिए रखा था और अगले वर्ष के लिए 87.8 तय किया है। हमें ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए कि हम इसे 80 तक ले आएं, जिससे कि जो पैसा हम बचा पाएं उसे नई लाइनों के लिए, उनके दोहरीकरणा के लिए, विद्युतिकरण के लिए या मेंटनेंस आफ दि रोलिंग स्टाक वगैरह के लिए इस्तेमाल कर पाएं।

मैं समझता हूं एक सवाल बहुत वाजिब है, जो श्री अनुराग ठाकुर ने, जिन्होंने इस विषय पर बहस शुरू की थी और अन्य सदस्यों ने इसकी काफी आलोचना की कि मैंने बजट से पहले भाड़े में वृद्धि की तथा उसके बाद अब बजट में कुछ चार्जेज को बढ़ाया है। महोदया, मैं इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि बजट दिशाहीन है, हमारा विजन नहीं है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह सिर्फ आपका काम है। आप

[श्री पवन कुमार बंसल]

कहीं से भी पैसा लाएं, जितने पैसे की जरूरत हो और वह पैसा करीब 10 लाख कराड़ रुपए है जो काकोदकर समिति की रिपोर्ट थी, जो सैम पित्रोदा समिति की रिपोर्ट है और जो प्लानिंग कमीशन के कुछ आंकड़े हैं, उन सभी को मिलाकर करीब दस लाख करोड़ रुपए है, जो हमें कहीं से नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए हमें देखना है कि हमारे पास क्या संसाधन हैं और उन्हें बनाने के लिए हमारे पास क्या साधन हैं। उसी के तहत हम काम करना चाहते हैं। मुझे इस बात की काफ़ी प्रसन्नता है कि हमें जो किराये जनवरी में बढ़ाने पड़े थे, उसके लिए मुझे यहां से तो उसकी आलोचना मिली, लेकिन बाहर से आलोचना नहीं मिली।

यहां एक बात माननीय सदस्य ने किसी के लेख का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने कहा है कि भारतीय रेल पटरी से उतर गई और उसके आगे का लेख पढ़ा नहीं। उन्होंने उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह कहा था कि भारतीय रेल पटरी से उतर गई, क्योंकि 12 वर्षों से किराया नहीं बढ़ाया गया और हम बारह वर्ष नई ट्रेंस का ऐलान करते रहे तथा जरूरत की नई लाइंस बनाते रहे। हमें इन सभी बातों पर गौर करने की जरूरत है कि हम इस बात को देखें कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को तय करने के लिए हमें क्या करना है, इसे पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि हमें राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। भारतीय रेलवे देश के एक-एक इंसान के जीवन को छूती है और सभी से इसका ताल्लुक है। इसी कारण रोजाना मेरे पास कई सदस्य आते हैं और अपने-अपने क्षेत्र के लिए जोर देते हैं कि हमारे यहां ऐसा होना चाहिए। उनकी ये बातें वाजिब भी हैं।

लेकिन चूंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं और मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि संसाधनों को मुहैया करवाने के जो जरीके हैं, वे भी सीमित हैं। इसलिए हमें आपस में फैसला करना होगा कि हमें क्या रास्ता अख्तियार करना है? फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो किराये उस वक्त बढ़ाये थे, उसके लिए एक एवरेज लीड लेते हैं और लालू जी जानते हैं तथा माननीय सदस्य भी जानते हैं कि एक एवरेज लीड ली जाती है कि एक श्रेणी में इतने लोग तकरीबन इतना फासला तय करते हैं। सैकेंड ऑर्डिनरी के लिए 32 कि.मी. है और उसके लिए दो पैसे किराया प्रति कि.मी. बढ़ा था। ऑर्डिनरी नॉन-सबर्बन के लिए पांच पैसा हुआ था। बाकी ऊपर वाली क्लास जैसे थ्री एसी टियर, ऐसी टू टियर, एसी प्रथम श्रेणी के उनसे थोड़े ज्यादा थे। लेकिन जो आम आदमी के लिए यू.पी.ए. सरकार वचनबद्ध है कि उनके लिए सब काम करने हैं और उसके लिए सहूलियतें मुहैया करवानी है। उनके लिए किराया सिर्फ दो पैसे प्रति कि.मी. उस वक्त बढ़ा था। उसके बाद जिक्र हुआ था और और सभी ने जिक्र किया था तथा मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने पीछे से जेब काट दी है। मैंने खुलेआम ऐलान किया है और मैं उसका मामूली सा जिक्र करना चाहता हूं तथा जब आप मेरी वह बात सुनेंगे, मेरे से आप इस बात से सहमत होंगे कि इनको यदि और भी बढ़ा दें तो गलत नहीं होगा। पहले कैंसीलेशन चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज की मैं बात करना चाहूंगा। आपकी वह मांग सही है क्योंकि आपने खुद देखा है कि जगह-जगह जो आपने आपको ट्यूर ऑपरेटर्स कहते हैं लेकिन टाउट्स हैं, दलाल हैं जिनका आपने जिक्र किया है, वे रेलवेज में टिकट ले लेते हैं। रेलवेज में बुकिंग 120 दिन पहले खुलती है और जिन लोगों के पास कुछ पैसा लागत करने के लिए है, वे लोग चार महीने पहले काफी बड़ी तादाद में टिकट खरीद लेते हैं। उन चार महीनों के बीच में उन टिकट को वे बेचने की कोशिश करते हैं और मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि 500 रुपये का टिकट 1500 रुपये में बिकता है। आप इसे कैसे रोकेंगे? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्योंकि कैंसीलेशन चार्जेज बहुत कम होते हैं, एक दिन पहले यानी कि 119 दिन के बीच में जितनी टिकटें बेच सकते हैं, वे बेच लेंगे और पैसा बना लेंगे। आखिर दिन जो बच जाएंगे, सिर्फ कुछ पैसा कटवाकर उनको वापस कर देंगे। इसलिए क्या जरूरी नहीं कि हम आहिस्ता आहिस्ता कैंसीलेशन चार्जेज को बढ़ाएं ताकि वे लोग इसमें नहीं आ पाएंगे और जो आम लोग होंगे, जो सही मायने मे सफर करना चाहेंगे, उनको ज्यादा महंगा टिकट नहीं मिलेगा और टिकट भी मिलेगा। उस वक्त कौन होगा, यह मैं नहीं कहक सकता हूं लेकिन फिर एक माहौल ऐसा जरूर बन जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप कैंसीलेशन चार्जेज कम कर सकते हैं। लेकिन वह माहौल बनना चाहित।

इसी के साथ दूसरा और मुद्दा रिजर्वेशन का भी है। रिजर्वेशन चार्जेज की भी बिल्कुल ऐसा ही सीधा सवाल है क्योंकि रिजर्वेशन चार्जेज कम होते हैं तो वे ही लोग इसका फायदा उठाते हैं, दूसरे नहीं। इसलिए मैंने इनको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया है और वह भी सैकेंड क्लास के लिए नहीं बढ़ रहा है। सैकेंड क्लास के लिए कैंसीलेशन है, तथा रिजर्वेशन और तत्काल दोनों के लिए ही नहीं बढ़ाया है। फिर कह रहे हैं कि तत्काल का सिस्टम आप कहां से ले आए हैं? बाहर का उदाहरण देने में मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं करता हूं। लेकिन एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। मेरे पास पिछले दिनों

मेरे रिश्तेदार बाहर से आए हुए थे। वहां से लंदन का फासला 240 कि.मी. है। उन्होंने बताया कि नॉर्मल टिकट तो 60 पाउंड का मिलता है। 240 किलोमीटर का 60 पाउंड का नॉर्मल भी आप हिसाब लगा लीजिए। लेकिन अगर कुछ दिन पहले लेना हो जिसको हम तत्काल कहते हैं तो 200 पाउंड का मिलता है।...*(व्यवधान)*

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात) : लंदन की सर्विसेज के बारे में भी बताइए।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने सिर्फ इतना ही कहा है। अगर आप मुझ पर इतनी कृपा करेंगे कि मेरी बात सुन लेंगे और उसके बाद आपको सब कुछ कहने का अधिकार है। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि यह तत्काल को भी लोग मानते हैं। यह तत्काल लोगों के हित में है और इसमें किसी को भी अगर ज्यादा कीमत पड़ती है, मैं मामूली सा जिक्र करना चाहता हूं, ...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.) : क्या तत्काल में तीस प्रतिशत कोटा होना चाहिए?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? आप बैठ जाइए। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, सिवाय उसके जो मंत्री जी कह रहे हैं

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : सैकेंड क्लास के लिए रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये था 15 रुपये ही रहेगा। इसे बढ़ाया नहीं है। ऑर्डिनरी स्लीपर के लिए 20 रुपये था और 20 रुपये ही रहेगा। इसे बढ़ाया नहीं है। सैकिंड क्लास के लिए मिनिमम तत्काल चार्जिस 10-15 था और वही रहेगा।...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन चार्जिस कितने लोगों पर लगते हैं। भारतीय रेल से 2 करोड़ 30 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। ...*(व्यवधान)* ये रिजर्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आप नहीं जानना चाहते है।...*(व्यवधान)* रिजर्वेशन के तहत टिकटें होती हैं, तमाम टिकटों का सिर्फ पांच फीसदी है। हमने जिनमें अंतर डाला है, बढ़ाया है वह पांच परसेंट का 15 परसेंट है यानी तकरीबन एक परसेंट रह गया।...*(व्यवधान)*

महोदया, शायद आप लोगों ने एक चीज नज़रअंदाज कर दी है, सिर्फ पैसा बढ़ाकर कमाई करना हमारा काम नहीं है। पहले एन्हांसड रिजर्वेशन चार्जिस होते थे। लालू जी, आप यह जानते हैं। ये क्या थे? मान लीजिए आपने दिल्ली बैठे मुम्बई से अहमदाबाद का टिकट लेना है, इसमें रिजर्वेशन चार्जिस में 30-35 रुपए और लग जाते थे। हम समझते हैं कि पैसेंजर से टेक्नोलाजी की कीमत लेने की जरूरत नहीं है। एन्हांसड चार्जिस का जगह पर दूसरी जगह से तीसरी जगह की टिकट बुक करवाने के लिए लगते थे, हमने उन्हें खत्म कर दिया है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो लोग सही मायने में टिकट लेना चाहते है उन्हें इसका फायदा होगा जबकि टाउट्स से फायदा नहीं होगा क्योंकि वे दूसरे स्टेशन का टिकट नहीं ले पाएंगे।

महोदया, एक और चीज डेवलमेंटल चार्जिस के बारे में है। हमने डेवलमेंटल चार्जिस खत्म कर दिए, हमने कहा हम कुछ छुपाएंगे नहीं। आपके पास सीधा आकर कहें कि यहां बढ़ाने की जरूरत है, पारदर्शिता के साथ बात करेंगे, डेवलमेंटल चार्जिस के नाम पर रेलवे विकास के नाम पर कुछ नहीं लेंगे, वह भी खत्म किया। ...*(व्यवधान)* अनुराग जी, आपने जरूर देखा होगा और मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी सबको बताने की है। जब हम किराया बढ़ाएं या किसी ढंग से मामूली सा पैसा हासिल करें, हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को सेवाएं अच्छी दें, बेहतर दें। यह कुछ दिन में नहीं हो सकता है।

महोदया, बेशक चाहे सफाई की बात हो। मुझे मालूम है कि शिकायतें बहुत आती हैं कि रेलवे में सफाई नहीं है। मैंने बजट में बताया था कि क्या कदम उठाए गए हैं। मैंने जनरल मैनेजर्स को खुद पत्र लिखे हैं और उनकी मीटिंग बजट के इस पीरियड के खत्म होती ही बुला रहा हूं। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा और उनकी जिम्मेदारी लगाऊंगा चाहे रेलवे स्टेशन हों या ट्रेन हों, इसकी सफाई के लिए आगे बढ़े। मैंने जिक्र किया था लोगों को बदलती सूरत दिखेगी, वह करके दिखाएंगे। यह मेरा वादा है कि हम कोई न कोई अंतर लाकर दिखाएंगे।

महोदया, माननीय सोनिया गांधी जी ने इस बात को जोर दिया था कि बायो टाएलेट्स होने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि बायो टाएलेट् स का काम शुरु किया था। डी.आर.डी.ओ. ने पहले सैनिकों के लिए बनाए थे, उनकी कामयाबी देखने के बाद हम इसे रेलवे में लेकर आए हैं। पुरानी गाड़ियों में इनकी रेट्रोफिटिंग का खर्च काफी ज्यादा पडता है। एक कोच का खर्च 40-45 लाख रुपए पड़

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पवन कुमार बंसल]

सकता है जबकि कई गाड़ियों में तीसरा हिस्सा खर्च होगा। हम फैसला कर रहे हैं कि इसे प्रोगेसिवली बढ़ाते और लगाते रहें।

महोदया, कैटरिंग में शिकायत आई है, मैं इस बात को मानता हूं। अब आप कहेंगे कि कहां से मैंने क्या देखा है। मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैं शताब्दी में जाता हूं और इसके अलावा भी कोचिस में जाता हूं। मुझे यह देखकर दुख हुआ है कि कैटेगिरीज़ में सेवाओं में कुछ न कुछ गिरावट आती जा रही है। हमारा कर्तव्य है कि इन गिरावटों को दूर किया जाए। मैंने पहले भी पूरे देश में डेडिकेटिड टेलिफोन नंबर जिक्र किया था कि कोई भी गाड़ी से शिकायत कर सकता है कि मैं इस कोच में बैठा हूं, यहां खाना गलत मिला है। उसकी शिकायत एकदम से नोट होगी और उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं। हमने इतने दिनों में लोगों पर 73 लाख रुपया पेनल्टी लगा चुके हैं, आगे और सख्त कार्यवाही करेंगे।

महोदया, मैं कुछ और अलग तरह की शिकायतों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूता हूं कि सफाई का काम महत्वपूर्ण रहेगा। लोगों ने आदर्श स्टेशन पर काफी जोर दिया है। पहले श्री दो स्कीम बनी थी-मॉडल स्कीम, माडर्न स्कीम। मैंने बाद में इसी को हिन्दी में लेते हुए आदर्श स्टेशन का जिक्र किया। 980 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन की स्कीम में डिक्लेयर किया है, छह सौ कुछ को कर चुके और औरों का काम बाकी है।

मैं यह मानता हूं कि जो लोगों की उम्मीद है, आदर्श स्टेशन का नाम लोगों के मन में जो ख्याल आपके मस्तिष्क में आता है। आपके मन में जो एक ख्याल पैदा करता है, वह शायद वही नहीं है, जो आप वहां देखते हैं। इसलिए हमने जो श्रेणियों के मुताबिक पहले जो उसका किया हुआ है कि ए-वन...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आप इधर-उधर की बातें कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री, कृपया जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : क्या आप यदि मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे, थोड़ा सा बात करने देंगे? आप समझते हैं...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : मैं मंत्री जी की बात से सहमत नहीं हूं इसलिए इसके विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

अपराह्न 12.46 बजे

इस समय श्री भर्तृहरि महताब सभा सदन से बाहर चले गए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदर्श स्टेशंन के लिए मैं एकदम मीटिंग्स ले रहा हूं और, उनका जो मानदंड हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं, हम उन्हें बदलेंगे, उन्हें और सख्त करेंगे और उनसे हम ज्यादा काम कर पायेंगे। मैं इस संदर्भ में कुछ जरूर कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृतांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। *[हिन्दी]* आप लोग बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, 980 स्टेशंस में से 632 स्टेशंन पर काम हो चुका है। मैंने बजट स्पीच में कहा था कि साठ और रेलवे स्टेशंन को हम आदर्श स्टेशंस बनायेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : हम मंत्री जी की बात से सहमत नहीं हैं और इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 12.46½ बजे

इस समय श्री अनंत गंगाराम गीते, डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री पवन कुमार बंसल : उनके नाम इस प्रकार हैं- आबू रोड, अडोनी, आंबली रोड, आनंदपुर साहिब, बाभनन, बालपुर, बनी बरेटा, बठिंडा, बेल्लारी, भक्तिनगर, भिलाई पावर हाउस, भूतेश्वर, बिजनौर, बीना, चाकुलिया, चिंगवनम, डाबरा, डेरा बाबा नानक, धुले, डोईवाला, डुमरांव, गदरवारा, ग्वालियर, इंदौर, इतवारी, जाइस, जसीडीह, जौनपुर सिटी, कनहनगढ़, कन्याकुमारी, कराड, कझकुट्टम, खन्ना, खुलपहाड़, कोल्हापुर, कोल्लम, कोझीकोड, कुदालनगर, लाडनूं, मानसा, मुसाफिरखाना, नौपाड़ा नौतनवा, पडरौना, पालसा, पलवल, पमबन, पार्वतीपुरम, पीलामुडु, पुदुचेरी, रायरंगपुर, रायसिंह नगर, राजपुरा, रूराह, शामली, श्री सत्य साई प्रशांति निलायम, त्रिपुनित्तुरा,

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विशाखापटनम और वृंदावन रोड। इसके अलावा हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इन दिनों जिक्र किया है, कुछ स्टेशंस और है, जिनका मैं नाम पढ़ रहा हूं और वे उससे ऑलरेडी शामिल हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- फतेहपुर, जौनपुर सिटी, वडकनचेरी, सिराथु, आजमगढ़, अम्बाला कैंट, चौरी चौरा, त्रिशूर, शक्तिनगर, बिजनौर...*(व्यवधान)* और इनके अलावा कुछ और स्टेशंन हैं, जिनका हम बतौर आर्दश स्टेशन विकास करेंगे, उनके इस प्रकार हैं - सादत, अमरोहा, टेहटा, पिपरिया, टेनी, चांदपुर, करनाल, गुरुवायुर, इरिंजकुडा, अरक्कोनम और धारीवाल...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल को वंचित रखा है।...*(व्यवधान)* वहां पर सैकड़ों परियोजनाएं चालू हैं, परन्तु उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई निधि नहीं दी जाती है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.47 बजे

इस समय डॉ. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, इस संदर्भ में मैं एक बहुत अच्छी चीज कहना चाहूता हूं कि मुझे पिछले दिनों बहुत से कारपोरेट बाडीज से, कारपोरेट सैक्टर से, बहुत सिफारिशें आती रहीं हैं, उनसे प्रस्ताव आते रहे हैं कि वे भी चाहते हैं कि वे रेलवे स्टेशंन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर पायें। इसलिए मुझे हाउस को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने यह फैसला किया है कि जो भी कोई कारपोरेट सैक्टर अपने कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिली के तहत रेलवे स्टेशंस को बेहतर बनाने के लिए वहां कोई अमेनिटीज देने के लिए अगर वह दो करोड़ रुपये तक या उससे ऊपर लगतो हैं तो उनको वहां हम एक प्लाक लगायेंगे कि इन्होंने इसके लिए पैसा लगया है। मुझे विश्वास है कि रेलवे स्टेशन को बेहतर करने इसमें सी.एस.आर. और अच्छा इस्तेमाल होगा और वे साथ मिलकर काम कर पायेंगे।...*(व्यवधान)*

मैडम, मुझे पैंसेजर अमेनिटीज के लिए कहा जाता है कि इसके लिए कुछ और करने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं कि आगे के लिए ज्यादा तादाद में एस्कलेटर्स का प्रावधान किया जायेगा। इसमें एक बात बहुत अहम है और आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे सुनेंगे। मैंनुअल स्केवेंजिंग का अक्सर जिक्र किया जाता है और यह कहा जाता है कि रेलवेज में यह ज्यादा तौर पर किया जाता है। मैंने यह बात अच्छी तरह से बैठक ले कर की है। ...*(व्यवधान)* जिसको मैन्युअल स्क्वेंजिंग कहा जाता है, वह पूरी तरह से बंद हुआ है। किसी भी कांन्ट्रेक्टर के जरिए भी यह नहीं होगा। एक चीज़ में अभी थोड़ी दिक्कत है कि जिन स्टेशंन पर वॉशेबल एप्रेंस हैं, वहां जेट के साथ साफ किया जाता है। लेकिन साफ करने वाला आदमी दूर हट कर साफ करता है। उसको मैन्युअल स्क्वेंजिंग नहीं कहा जाता है। उनको कोई मैला नहीं उठाना पड़ेगा। उसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। उसके नज़दीक नहीं जाना पड़ेगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे।...*(व्यवधान)* मैडम, एक बहुत बड़ी बात जिसको कहने की जरूरत है कि परमवीर चक्र और महावीर चक्र के जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.52

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, महावीर चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं ने ...*(व्यवधान)* देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी है।...*(व्यवधान)* देश ने उनकी कुर्बानीयों को एक्नॉलेज किया है। ...*(व्यवधान)* उनके लिए अब सैकेंड, ए.सी. की जगह फर्स्ट ए.सी. का टिकट मिलेगा। ...*(व्यवधान)* अपने कंपैनियन के साथ वे उसके हक़दार होंगे।...*(व्यवधान)* मैंडम, जो गैलेंट्री अवॉर्डीज़ हैं...*(व्यवधान)* अब तक उनको अपने पास का नवीनीकरण एक साल के बाद करवाना पड़ता था।...*(व्यवधान)* उसके लिए भी फैसला किया गया है कि उनको तीन साल के बाद अपने पास का नवीनीकरण करवाना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : उसके अलावा जो गैरेंट्री अवॉर्डीज़ हैं...*(व्यवधान)* जो कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस और बहु-

[श्री पवन कुमार बंसल]

दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं ...*(व्यवधान)* उनको पास नवीनीकरण के लिए अगर डी.आर.एम. के ऑफिस खुद आना पड़े तो उनके लिए काफी मुश्किल होती है।...*(व्यवधान)* इसलिए यह भी फैसला किया गया है कि हम नवीनीकरण के लिए कोई तरीका ढूंढें जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं हो। ...*(व्यवधान)* मैं जल्दी ही यह एलान करूंगा कि किस ढंग से वे अपना नवीनीकरण करवा सकें। ...*(व्यवधान)* उनको अपने पास के नवीनीकरण के लिए डी.आर.एम. के ऑफिस में न आने पड़े, यह बात हमने उसको साथ-साथ की है।...*(व्यवधान)*

मैडम, जब हम भाड़े का जिक्र करते हैं, तब सेफ्टी का जिक्र करते हैं। ...*(व्यवधान)* इस बजट में हमने सबसे ज्यादा बल रेलवे सेफ्टी पर दिया है।...*(व्यवधान)* आपको यह जान कर प्रसन्नता होनी चाहिए कि...*(व्यवधान)* इस साल उसके लिए हमेशा से ज्यादा एलोकेशन, यानि 41 हज़ार 112 करोड़ रुपये इस प्लॉन में होंगे। ...*(व्यवधान)* यह हमेशा से ज्यादा है। ...*(व्यवधान)* मैडम, सन् 2012-13 में इसके लिए 36 हज़ार 541 करोड़ रुपये का प्रावधन था। ...*(व्यवधान)* इस बार इसको बढ़ा कर 41 हज़ार 112 करोड़ रुपये किया गया है।...*(व्यवधान)* इसमें श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने यह एक बहुत ही अच्छी बात की थी ...*(व्यवधान)* जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं पुलों के प्रति यह कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)* जहां कहीं आवश्यकता समझा जाती है, पुलों की नॉन-डिस्ट्रक्विट जांच की जा रही है। कंकरीट की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्टर का प्रयोग किया जा रह है। ...*(व्यवधान)* 330 रेलवे पुलों का पानी के नीचे निरीक्षण के लिए चिन्हित किया गया है और निरीक्षण बहुत सतर्कतापूर्वक किया जा रहा है। 85 पुल चिन्हित कर दिए गए हैं जहां इन्स्टुमेंटेशन अर्थात स्ट्रेनगेजिंग की जा रही है...*(व्यवधान)* इस्पात के पुलों के लिए रेसिहयूअल लाईट अवशिष्ट प्रकार का भी इस जांच के हिस्से के रूप में हल निकाला जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैडम, माननीय सदस्यों ने बहुत जिक्र किया था कि...*(व्यवधान)* आपके पास इतनी जमीन पड़ी है ...*(व्यवधान)* आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। ...*(व्यवधान)* यह बहुत अच्छा सुझाव है। ...*(व्यवधान)* मैं उनके सुझावों का स्वागत करता हूं। ...*(व्यवधान)* उनको धन्यवाद भी देता हूं कि ...*(व्यवधान)* उन्होंने हमें यह सुझाव दिया है। ...*(व्यवधान)*

मैं यह बता देना चाहता हूं कि एक मिथक है। यह एक विचार है कि जमीन बहुत खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी काफी है, ...*(व्यवधान)* एक परसेंट भी बहुत होता है। ...*(व्यवधान)* इस वक्त जो ज्यादा खाली ज़मीन है, वह रेलवे ट्रैक्स के साथ-साथ है और वह आगे के लिए है। पांच वर्ष, दस वर्ष, पचास वर्ष या सौ वर्ष के बाद भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। उनको डबलिंग, ट्रेबलिंग, चार-चार लाइनें या और भी ज्यादा लाइनें बनानी पड़ेंगी, वह तो वहां जरूरत है। ...*(व्यवधान)* जहां और ज्यादा जगह है, उसके लिए हम चाहते हैं...*(व्यवधान)* मैं आज समय नहीं लेना चाहूंगा, कल जो तीसरे नंबर पर सवाल है, कल मैं विस्तारपूर्वक बताना चाहूंगा कि हम कैसे उसका अलग-अलग शहरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वह पैसा हमारे पास आ सके।...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : बिहार के साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसलिए हम वॉकआउट करते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.56 बजे

इस समय श्री दिनेश चन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, एक चीज और कही गयी थी।...*(व्यवधान)* एक चीज का और जिक्र हुआ था कि आप पैसा बाहर से ब्याज पर क्यों नहीं ले लेते और चाइना का उदाहरण दिया था।...*(व्यवधान)* आप जानते हैं कि चाइना में या और जगह आपको एक फीसदी ब्याज पर पैसा मिल सकता है। हमारे यहां जो सस्ते से सस्ता होता है, वह वर्ल्ड बैंक और जाईका का होता है और वह हम ले रहे हैं, लेकिन जरूरत कहीं ज्यादा है और वह एक परसेंट नहीं, वह भी सात-आठ परसेंट पर पड़ता है, मार्केट से लें तो और भी ज्यादा पड़ताक है। अगर उसको रोलिंग स्टॉक के अलाव किसी और चीज पर लगा दें, तो रेलवे ठप हो जाएगी, लालू जी इस बात को जानते हैं। उनका इस्तेमाल रोलिंग स्टॉक के लिए तो हो सकता है, क्योंकि वहां से रिटर्न आती है। उसका इस्तेमाल आप रेल लाइंस के लिए, नवीनीकरण के लिए, विद्युतीकरण के लिए नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)* अब उसके बाद मैं सिर्फ कुछ चीजों का ही जिक्र करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : माननीय मंत्री जी, तमिलनाडु राज्य

के लिए नई रेलगाड़ियों के लिए हमारे प्रश्न का क्या रहा? ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे पूरा कर लेने दीजिए, तत्पश्चात् मैं आपके अन्य प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, कृपया आप इधर सम्बोधित कीजिए। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.57 बजे

इस समय डॉ. एम. तम्बिदुरई और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, अनुराग ठाकुर जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने रिक्रूटमेंट का जिक्र किया था क्योंकि अब शायद आप इस समय उस पर बहुत ज्यादा जानना नहीं चाहते, मैं उसका बाद में आपको नोट भेज सकता हूं कि हमारी वर्षवार कितनी-कितनी रिक्रूटमेंट्स होती रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल प्रसाद : बंसल जी, व्यापार बढ़ाने के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर का क्या स्टेटस है? आप इधर-उधर की बातों में मत उलझाइये।...*(व्यवधान)* पूरे बिहार पर जो प्रोजेक्ट है, लोको का, बिजली का, डीजल का, कोच का कारखाना बनकर तैयार हो जाये तो मैडम को ले जाकर उसका उद्घाटन कराइएंगा। आप यह बात बताइये।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप बस दो मिनट और रूक जाइये, मैं उसी चीज पर आ रहा हूं। रेलवे स्टॉफ का जो जिक्र किया गया था, उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि जो 1 लाख 52 हजार का मैंने इस साल जिक्र किया था, वह इसी वर्ष में भर लिया जायेगा। रेलवेज में प्रतिवर्ष बहुत लोगों की रिटायरमेंट होती है और उसी के मुताबिक लगातार एक निरन्तर तौर पर यह प्रयास रहता है कि उसमें और-और भर्ती की जाये।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अभी तक आपने कितनी भर्ती की हैं, जो आप अब कर लेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं आपको लिखकर भेज दूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा उसको सुनने के लिए इस वक्त ख्वाहिशमंद नहीं हैं। इस वक्त भी मेरे पास वह चार्ट है, लेकिन मैं उसका जिक्र इस वक्त नहीं करना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं बहुत सी बातों को छोड़कर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर पर आना चाहता हूं। डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर एक लुधियाना से दनकुनी हावड़ा तक और दूसरा दिल्ली से लेकर मुम्बई तक है। दोनों का डिस्टेंस 3,338 किलोमीटर है। यह पहला प्रोजेक्ट है, खास तौर पर जो लुधियाना से दनकुनी कोलकाता तक है, उसके बीच में काफी टैंजिबल काम हुआ है। दोनों में मिलाकर 84 फीसदी से ज्यादा जमीन एक्वायर हो चुकी है। तकरीबन 1,800 में से 1,150 किलोमीटर के लिए पैसा देने के लिए वर्ल्ड बैंक सहमत हो गया है। यह तीन फेज़ेज़ में है।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आठ साल हो गये, लेकिन अभी तक जमीन ही पूरी नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : उसके लिए मैं आपका सहयोग चाहूंगा।...*(व्यवधान)* मैडम, मेरे पास हमारे माननीय सदस्यों के बहुत पत्र आ रहे हैं कि इसकी अलाइन्मेंट बदलिये।...*(व्यवधान)* यह जमीन आप एक्वायर कर रहे हैं, इसके लिए यह दीजिए। हमारे देश की जो एक प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें हमें उन सभी बातों पर पूरा अमल करते हुए ही आगे बढ़ना है, यह बात मैं इसके साथ जरूर कहना चाहता हूं और यही काम करेंगे।

अपराह्न 01.00 बजे

इसमें वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमैंट 975 मिलियन डॉलर्स का, फेज़-1 का काम हो चुका है। कल ही वर्ल्ड बैंक में प्रैज़ीडेन्ट आए थे और वे कानपुर गए थे। कानपुर से खुर्जा के लिए मैं समझता हूं कि काम बहुत ही शीघ्र शुरू हो जाएगा। उसके बाद दो फेज़ पर एक-एक करके काम शुरू होगा। इसके बीच में कुछ हिस्सा रेलवेज़ खुद बना रहा है और कुछ हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मोड में भी होगा। अलग-अलग समय पर अलग-अलग सैक्शन्स को कमीशन करना है लेकिन यह विचार है कि अवार्ड देने के चार वर्ष के बीच-बीच में ये दोनों प्रोजैक्ट पूरे कम्प्लीट हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि ...*(व्यवधान)* एक तो उसके लिए डैडिकेटेड लाईन तय होगी जिसमें सिर्फ फ्रेट जाएगा। इसके साथ-साथ जो दूसरी लाईनों पर गाड़ियां जाती है और रुकती हैं, आपने उसकी स्पीड का जिक्र किया था। गाड़ियां रुकती हैं, मालगाड़ियां साईड पर लगी रहती हैं, उनके लिए अगल लाइनें बनेंगी, इधर

[श्री पवन कुमार बंसल]

से लाईनें फ्री हो जाएंगी, इसमें हम और ज्यादा गाड़ियां चला सकेंगे, और लोगों के लिए ट्रेन्स की मांग पूरी हो पाएगी।...*(व्यवधान)*

महोदया, मेरे पास दार्जिलिंग के काफी रिप्रज़ैन्टेशन्स आए। मेरे साथी अधीर रंजन चौधरी जी ने इसका जिक्र किया, दीपा दासमुंशी जी के साथ बहुत लोग आए थे। मैंने पहले जिक्र किया था कि वह लाईन हमारी एक धरोहर है। वह जो टॉय ट्रेन है जिसके लिए दो फुट की पटरी है और उस पर वह ट्रेन चलती है, उसमें पिछले कुछ समय पहले पूरा का पूरा पहाड़ धंस गया था। उसके साथ सब सड़क धंसी तो उसके साथ ही हमारी एक वर्कशांप थी जिसमें डीज़ल और स्टीम लोकोमोटिव्स की रिपेयर होती थी, कोचेज़ का भी वहां काम होता था। वह काम भी काफी हद तक बंद हो गया और रेल लाईन चलती बंद हो गई। अब नीचे नदी से लेकर ऊपर पहाड़ तक जब तक एक आर्टिफिशियल सीमैन्ट का पहाड़ नहीं बना लिया जाता जिससे वह सड़क नहीं चल पाती, उतनी देर तक इसमें दिक्कत है। वे दो जगहें हैं- पगलाझोरा और तीनधरिया। इन दोनों के लिए अभी मुझे मालूम हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने 83.77 करोड़ रुपये वैस्ट बंगाल को सैंक्शन कर दिए हैं। अब मैं विश्वास करता हूं कि वैस्ट बंगाल की गवर्नमैंट जल्दी इस पर कार्रवाई करके इस काम को पूरा करेगी ताकि हम साथ के साथ उस ट्रेन को चला पाएं और उसके साथ-साथ जो वर्कशॉप है, उसको भी काम में ला पाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर) : महोदय, सुंदरवन के बारे में आपकी क्या राय है? सुंदरवन भी एक विश्व ऐतिहासिक स्थल है।

श्री पवन कुमार बंसल : सभी ऐतिहासिक स्थलों के संबंध में, मैने पहले ही कहा है कि यह हमारा वास्तविक प्रयास होगा कि देश में सभी ऐतिहासिक रेलगाडियों की संरक्षा की जाए।

[अनुवाद]

मैं वह अपने बजट में पहले ही कह चुका हूं।

महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने अलग-अलग मांग की हैं। मैं उनका मामूली सा जिक्र करना चाहता हूं। एक निदम्बेसरी स्टेशन का है। यह हॉल्ट स्टेशन का काम पहले नहीं हो पाया क्योंकि स्टेट गवर्नमैंट ने कमिटमैंट पूरा नहीं किया था। अब उनके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ आर.ओ.बी. वगैरह हो चुका है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें स्टेट गवर्नमैंट से persue करके जल्दी से जल्दी उसमें काम शुरू होगा। बजट 2010-11 में एक ऐलान किया गया था कि एक वैगन फैक्ट्री वारंगल में सैटअप की जाएगी।

[अनुवाद]

यह जे.वी. अथवा पी.पी.पी. माध्यम से एक मालडिब्बा निर्माण इकाई होगी। महोदया, 152.26 करोड़ रूपये की लागत पर इस कार्य को स्वीकृत किया जा चुका है। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 54 एकड भूमि हस्तांतरित की जा रही है, और यह मामला प्रगति पर है।

[हिन्दी]

इटावा-मेनपुरी के संबंध में माननीय मुलायम सिंह जी बहुत समय से बात करते रहे हैं। वाजिब बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी टोटल लंबाई 57.5 किलोमीटर है। उसकी टोटल कॉस्ट 245 करोड़ रुपये थी। इन्होंने इस वक्त इस बात का गिला किया है कि उसके लिए एलोकेशन कम है। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिंक बुक में आज के दिन आपकी एलोकेशन कितनी भी हो, कम काम पूरे वर्ष नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा और उसके लिए जितने पैसे की आवश्यकता होगी, वह हम करते रहेंगे। उसमें एक दिक्कत है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : ममता जी ने कहा था कि आने वाली जून तक ट्रेन चल जाएगी। केवल 23 किलोमीटर का रह गया है, बाकी बन चुका है। यहां तक कि पौने दो सो किलोमीटर गुना से ग्वालियर, भिण्ड और इटावा है। उसकी थोड़ी दूरी तो सरकार ने कर कर दी होगी। वायदा जून का था, जो निकल गया है। जून तक ट्रेन चलती थी। ममता जी ने यहां एलान किया था और...*(व्यवधान)* वह काम हुआ भी है, लेकिन 15 करोड़ रुपये आपने रखे हैं, वह मुझे समझ में नहीं आया। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं वही आपको बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : जब कि मैं वहां से संसद का सदस्य हूं। सात बार एम.एल.ए. रह चुका हूं और पांच वार एम.पी. बन चुका हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका काम बिना रुकावट के पूरे वर्ष चलता रहेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया जारी रखिए। मंत्री महोदय, कृपया जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : बिना रुकावट के ठीक रफ्तार पर काम पूरे वर्ष चलता रहेगा।...*(व्यवधान)* लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और वह मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूं कि आठ पुलों में से दो पुल आप आज बनवा दीजिए, अगले दिन मैं आपको तैयार करके दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबांधित करें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन दो पुलों का काम करवा दीजिए, उसके एकदम बाद वह आपको तैयार मिलेगी। उनके टैंडर अंडर फाइनाइलेजन हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी पूरा हो पाएगा।

मैडम, बिहार का जिक्र बार-बार हो रहा था। बिहार में दो प्रोजेक्ट्स के लिए पटना में गंगा ब्रिज के लिए पिछले साल के 145 करोड़ रूपये से बढ़ा कर इस साल 180 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं।...*(व्यवधान)* मुंगेर पर गंगा ब्रिज के लिए 145 से बढ़ा कर 175 कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के बड़नेरा में पीरियोडिक ओवरहॉल वर्कशॉप है। उसके लिए जितने फण्ड की जरूरत है, उसकी एलोकेशन की है। जब लैण्ड एक्वीजीशन का काम पूरा हो जाएगा तो उसके लिए काम एकदम शुरू कर दिया जाएगा।

बेला में रेल व्हील प्लांट, लालू जी इसको सुनना चाहते है शेडस् तथा इमारत सहित फैक्टरी का निर्माण कार्य, कारखाने की तामीर पर, उसका पूरा काम शैड्स बिल्डिंग और मशीन लगाने का काम पूरा होकर कमीशन हो गया है। उसकी ट्रायल प्रोडक्शन चल रही है और पांच सौ पहिए कास्ट किए जा चुके हैं। अब सिर्फ उसकी रैगूलर प्रोडक्शन शुरू करना है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मैडम को ले चलिए। इन्ही का किया हुआ प्रोजेक्ट है। मैडम के साथ डेट फिक्स कीजिए और उसका उद्घाटन कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : ठीक है, हम जल्दी से जल्दी इसको करवाने का प्रयास करेंगे। मैडम, रघुवंश प्रसाद जी ने वैगन एण्ड इंजीनियरिंग का जिक्र किया था।

[अनुवाद]

भारत वैगन एवं इंजिनियरिंग, लिमिटेड के पुनरूद्धार हेतु अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, एक पैकेज दिया जा रहा है। जहां वर्तमान वर्ष में जहां 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, वही वर्ष 2013-14 में अलग से 36 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं। हमने इसे 12 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 36 करोड़ रूपये कर दिया है। वास्तव में, सदन के समक्ष रखी गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों में चालू वर्ष के लिए निधियों का आबंटन शामिल हैं। मुझे आशा है कि वेतन की समस्या के साथ-साथ कामकाज पूंजी और बकाया ऋणों को चुकाने पर ध्यान दिया जाएगा भारत वैगन एवं इंजिनियरिंग लिमिटेड पुनर्लाभ के पथ पर अग्रसर होगी और रेलवे के विकास में सहायक होगी।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : मऊ में आर.ओ.बी. की चालीस साल से मांग हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं उस पर आ रहा हूं। आप मुझे पूरा सुन तो लीजिए। ...*(व्यवधान)* एक के बाद एक विषय बता पाऊंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

नई कोच फैक्टरी जिसे संयुक्त उद्यम/सरकारी निजी सहभागिता माध्यम के अंतर्गत केरल के लिए मंजूरी दी गई है। फैक्टरी की स्थापना करने नीलामी प्रक्रिया प्रबंधन के लिए, आर.आई.टी.ई.एस. की नियुक्ति परामर्शदाता के तौर पर कर दी गई है। इसके साथ-साथ, अर्हता के अनुरोध के अनुमोदन के लिए अंतर्मंत्रालयीय समूह के नामांकन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। यह पहला महत्वपूर्ण कदम है।

एस.ए.आई.एल. (सेल) के साथ एक वार्ता की जाएगी और यदि व्यवहार्य पाया गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। केरल सरकार से भूमि पहले ही खरीदी जा चुकी है। मैं समय सीमा तय करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस मामलें को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसके बाद तुरन्त समय सीमा निर्धारित कर दूंगा।

[हिन्दी]

मैडम, मुम्बई की जो मुम्बई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (एम.यू.टी.पी.) है, उसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उस

[श्री पवन कुमार बंसल]

का पहला चरण जैसा कि आप जानते हैं, वह पूरा हो चुका है। अब उसकी ऑग्मेंटेशन 1078 ई.एम.यू. सर्विसेज से, उन में नौ की जगह बारह कोचेज लगाने का और 449 एडिशनल सबअर्बन सर्विसेज शुरू करने का काम हो गया है। *[अनुवाद]* जिसके द्वारा 35 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता पैदा हुई है। एम.यु.टी.पी. के उपनगरीय नेटवर्क के सुधार और संवर्धन के लिए, 6100 करोड़ रूपये की अनुमानित अद्यतन लागत पर चरण-दो की स्वीकृति दी गई है। और इस चरण के बहुत से हिस्सों को मार्च 2016 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। *[हिन्दी]* जो तीसरा फेज है उसमें से 14,660 करोड़ रुपये का कार्य वर्तमान में निर्माणाधीन है। मुझे कुछ दिन पहले ही वहां के मुख्यमंत्री से इसके लिए पत्र आया है। उसका आधा-आधा कॉस्ट शेयरिंग होता है और उस पर हम जल्दी ही आगे काम करेंगे जिसमें पेन से अलीबाग के बीच एक इलेक्ट्रीफाइड सिंगल लाइन और विरार, वसई, पनवेल और थाणे भिवड़ी के बीच नया उपनगरीय कॉरिडोर उसमें शामिल हैं।...*(व्यवधान)*

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी) : ललितपुर-सिंगरौली का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में अलग-अलग ट्रेनों के ठहराव के लिए सुझाव आए हैं।...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों को, माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि उन सभी की जरूरत है। ...*(व्यवधान)* लेकिन आप मेरे साथ मेरी इस बात से भी मुत्ताफ़िक़ होंगे कि अगर सुपरफास्ट, मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी की ठहराव ज्यादा बढ़ाते रहें तो निश्चित तौर पर...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष जी, हम लोग यहां बहुत आस लगा कर बैठे थे और हम लोग बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सहयोगी दलों तक जा कर रूक गए और विपक्ष के लिए बिल्कुल नदारद हैं। कुछ नहीं है आप के पास।

श्री पवन कुमार बंसल : अभी सर्वेज का हमें जिक्र करना है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप ने लालू जी को संबंधित कर के कुछ दिया, मुलायम जी को दिया। सोनिया जी को पहली बार मालामाल ही कर दिया लेकिन विपक्ष के नेता के लिए कुछ नहीं है। आपने कुछ नहीं दिया पर पुराने किए हुए कार्यों के बारे में बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मैं माननीय नेता विपक्ष अनुरोध करता हूं कि मुझे बोलने दें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा आप पर अलग अधिकार है। मुझे लगता था कि कुछ मिलेगा। कुछ मिला तो नहीं लेकिन जो पुराने किए हुए कार्यों की बात आप बता रहे थे तो जो पुरानी घोषणाएं बजट में हुईं थी चाहे वह ममता जी ने की हों, चाहें लालू जी ने किए हों, वह जो किया उसके बारे में तो बता दीजिए। क्या उस में भी कुछ नहीं किया?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं सिर्फ दो मिनट के अंदर प्रोजेक्ट्स पर आता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरे लिए आप के खाते में कुछ नहीं है। लालू जी के लिए है, मुलायम जी के लिए है, सोनिया जी के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं स्टॉपेजेज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

मैडम, अगर माननीय नेता, विपक्ष इस का जवाब पहले चाहती हैं तो यह कहता हूं कि प्राथमिकताओं को बदलना भी होगा। जो प्रोजेक्ट्स पहले डिक्लेयर किए हैं, उन में कितना-कितना काम कैसे हो चुका है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं उन्हीं की बात कर रही हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : इसको देखते हुए कि किस काम में कितनी प्रोग्रेस हो गयी है *[अनुवाद]* ताकि हम कोई परिणाम न लाने वाले कुछ संसाधनों के बारे में न सोचें। उसको ध्यान में रखते हुए, मैं उसका ख्याल रखने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : रेल मंत्री जी, मैं आप से वही कह रही हूं कि पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में यह बताया कि यह कारखाना ममता जी ने दिया था।

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, यह मेरी गलती है। चूंकि मुझसे बात करने पर ये बार-बार मिसरोद पर जोर दे रही थीं।

मैंने तो समझा था कि शायद मिसरोद इनकी कंस्टीट्यून्सी में है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये उनके लिए कह रही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मिसरोद मेरी कंस्टीट्यून्सी में नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैंने तो कहा था कि जो ऑलरेडी मिला हुआ है, उसकी ही प्रोग्रेस बता दीजिए। मैंने तो मांगा ही नहीं।

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मैं पहले मिसरोद की बात कर दूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मिसरोद तो भोपाल में है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं कह रहा हूं कि यह मैंने आप के ही कहने पर इसमें डाला है। वहां इसके साथ ज्यादा कंजेसन हो रही थी *[अनुवाद]* मिसरोद, मध्य प्रदेश में मोटरीकृत बोगियों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना के लिए कार्यशाला *[हिन्दी]* के बारे में मैं पहले एलान कर चुका हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं वहीं आपसे कह रही हूं। मुझे आप यह बताएं कि मुझे जो ममता जी ने, लालू जी ने दिया था, उस पर आपने क्या किया? ...*(व्यवधान)* उस की प्रगति बताएं।

श्री पवन कुमार बंसल : आप जिन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उनमें उन के हिसाब से ठीक तरह से एलोकेशन होगी, यह मैं आप को वर्ष के दौरान होने वाले काम के लिए कहना चाहता हूं और यह मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम सदन से वॉक आउट करते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 01.14 बजे

इस समय श्रीमती सुषमा स्वराज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मेरे बहुत सारी मांगे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि *[अनुवाद]* मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित नई लाइनों आवश्यक अनुमोदन के बाद शुरू किया जाए और उन्हें आने वाले सत्र में अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किया जाए। अजमेर से सवाईमाधोपुर बरास्ता टोंक।

पुणे से नासिक।

मनमाड़ से इंदौर वरास्ता मालेगांव और धुले।

[हिन्दी]

मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम रेलवे के जो प्रोजेक्टस होते हैं, उन्हें राज्य वाइज नहीं करते। एक प्रोजेक्ट जो एक स्टेट में होता है, उसका सभी को फायदा मिलता है। मान लीजिए भोपाल में इस प्रोजेक्ट का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मानमाड़-इंदौर का, इसका नॉर्थ और साउथ में पता नहीं कितनी-कितनी फायदा होगा। ...*(व्यवधान)* हम कोई भी रेलवे लाइन बनाते हैं, उसका पूरे देश में फायदा होता है।...*(व्यवधान)* इसी बात को देखते हुए उसमें काम करते हैं।

[अनुवाद]

महोदया, परियोजना की 50 प्रतिशत लागत को वहन करने और इन परियोजनाओं के लिए मुफ्त जमीन देने हेतु मैं राज्य सरकारो का सहयोग भी चाहता हूं।

[हिन्दी]

माननीय सदस्यों से मुझे और भी काफी चीजों के लिए मांग आई हैं। मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि दिल्ली-शाहदरा-बागपत-श्यामली एंड मुजफ्फरनगर-तापड़ी सैक्शंस के डबलिंग का नया यातायात सर्वेक्षण करवा कर प्रोसेसिंग नेसेसरी एप्रूवल के लिए करवाऊंगा।

[अनुवाद]

कोसीकलां से गोवर्धन के मध्य नई रेल लाइन विछाने के लिए हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है। मैं आवश्यक अनुमोदन लेने से पूर्व कोसीकलां-गोवर्धन नई रेल लाइन को जाजनपट्टी तक विस्तार करने के लिए सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदया, मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नजनगोड़-नीलमपुर रोड और थालसेरी - मैसूर नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य को आपतन करवाने और मदुरै-एर्नाकुलम नई रेल लाइन परियोजना कार्य में को आगे बढ़ाऊंगा।

[हिन्दी]

इसी तरह बाराबंकी-फैजाबाद, अयोध्या-जाफराबाद सैक्शन के डबलिंग के सर्वे भी मैं रफ्तार के साथ करवाऊंगा।

[श्री पवन कुमार बंसल]

[अनुवाद]

महोदया, कुछ सदस्यों ने भरतपुर-दीग-कामा-कोसी और बोतड-गोंडल वाया जासदां नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए हाल में पुरे हुए सर्वेक्षण पर विचार करते हुए यातायात अनुमान की पुनः समीक्षा करने का अनुरोध किया है। परियोजना से बेहतर आय प्राप्त करने के लिए मैंन उन रेल लाइन के यातायात अनुमान की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा है।

अनुरोधानुसार मैंने साहजवां दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना के सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाऊंगा और इन्द्र दोहरीघाट-साहजवां संयुक्त सैक्शन हेतु यातायात अनुमान का मूल्यांकन करवाऊंगा।

मैं दोराला-पानीपत नई लाइन के सर्वेक्षण के अद्यतन करने का प्रस्ताव करना हूं। कोट्टीकुलम और कानीयूरू के मध्य नई रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण कराने की मांग पर मैंने अपने बजट भाषण में सर्वेक्षण कराने की घोषणा की थी, तथापि मैंने इस मामले की फिर से समीक्षा करायी है। चूंकि कांहागढ़ और पनावुर के बीच सर्वेक्षण पूरा हो गया है और पानाथुर तथा कानीयूरू के मध्य सर्वेक्षण जारी है, इसलिए मैंने इस सर्वेक्षण को छोड़ने का निर्णय लिया है।

महोदया, इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि छोटा उदयपुर - धार तथा दाहोड-इंदौर वाया धार संबंधी नई रेल लाइन परियोजना के कार्य में आवश्यक बजटीय आवंटन करने गति लाई जाएगी। इसी तरह, मेरठ-मुजफ्फर नगर रेल लाइन का दोहरीकरण, मघेपुरा-पूर्णिया रेल लाइन का आमान परिवर्तन और धौलपुर-सिरमुत्रा का गंगापुर तक विस्तार, गुलबर्ग-बीदर, मुनीराबाद-महबुबनगर और गया-चतरा नई रेल लाइन परियोजनाओं में कार्य में तीव्रता लाई जाएगी।

कुछ सदस्यों, विशेषकर भी मुलायम सिंह यादव जी और श्री रेवती रमण सिंह जी ने कार्य में गति लाने का अनुरोध किया है *...(व्यवधान)* उन्होंने इटावा-मैनपुरी नई रेल लाइन परियोजना के लिए अनुरोध किया है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यह परियोजना तीव्रता से पूरी की जाएगी और आवश्यक बजटीय आवंटन हेतु प्रावधान किया जाएगा।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण जी के अनुरोध पर रामबाग के लेवल कारीगर को हटाने के लिए एक बाई-पास लाइन की स्वीकृति दे दी गई है, जो सीधे इलाहाबाद स्टेशन को जोड़ेगी।*...(व्यवधान)* इसमें 52 करोड़ रूपये खर्च होंगे।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं भी देवगौड़ा जी को सूचित करना चाहता हूं कि चिकमगलुर सक्लेशपुर तथा बंगलौर-सत्यमंगलय नई रेल परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने की घोषणा मेरे बजट भाषा में हुई है। *...(व्यवधान)*

मैं छत्तीसगढ़ के अपने प्रतिष्ठित सहयोगियों को याद दिलाना चाहता हूं कि सहयोगियों को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने राज्य में पहले ही पी.पी.पी. मंडल पर दो नई रेल लाइन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ये परियोजना हैं- रायगढ़ (मांद कालियरी) - भूपदेवपुर और गेवरा रोड़ से पेंड्रा रोड़ तक।*...(व्यवधान)*

श्री प्रेमचन्द गुड्डु ने इसकी मांग की है और मैं रतलाम महो-इंदौर-खंडवा-अकोला आमान परिवर्तन परियाजना की भाग के रूप में उज्जैन-फलेहाबाद रेल लाइन का आमान परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं।*...(व्यवधान)* इसी तरह, श्री रतन सिंह के अनुरोध पर मैं धौलपुर-सिरमुत्रा आमान परिवर्तन की मांग के रूप में मोहरी-तांतपुर के आमान परिवर्तन को बंसी पहाड़पुर तक करने का प्रस्ताव करता हूं।*...(व्यवधान)*

मुझे केरल के अपने सहयोगियों से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। *...(व्यवधान)* मैं आपको बताता हूं।*...(व्यवधान)* कृपया बैठ जाइए। *...(व्यवधान)* मुझे केरल में नई रेल लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण संबंधी परियोजना के संबंध में केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों सदनों के अपने सहयोगी-सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।*...(व्यवधान)* मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं नजर रखूंगा कि केरल राज्य में सभी परियोजनाएं विशेषकर अंगमालि और सबरीमाला के मध्य नई रेल लाइन परियोजना तीव्रता से पूरी हो और मैं अपने प्रतिष्ठित सहयोगियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आवश्यक बजटीय आवंटन करने का प्रावधान किया जाएगा।*...(व्यवधान)*

यद्यपि, भूमि संबंधी लागतों में असामान्य वृद्धि होने के कारण इन परियोजनाएओं में व्यवधान आया है। भूमि की लागत लगभग 25 गुणा बढ़ गयी है। सामान्य अवस्था में एक किलोमीटर दोहरीकरण के कार्य पर 5 करोड़ रुपये खर्च होते थे। केरल में यह लागत बढ़कर 25 करोड़ रुपये हो गई है।*...(व्यवधान)* और इसकी साथ ही रेल परियोजनाओं के लिए मिट्टी की खुदाई करने और परिवहन

करने का जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है, और इससे विलंब होता है।...*(व्यवधान)* चूंकि मैं राज्य में सभी परियोजनाओं के तीव्र कार्यन्वयन के लिए कृत संकल्प है, तथापि मैं राज्य सरकार से लागत वहन करने के लिए आगे आने का अनुरोध करता हूं क्योंकि भूमि की लागत असामान्य रूप से बढ़ गयी है और मिट्टी की खुदाई करने संबंधी मुद्दे को दूर करने का भी निवेदन करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैडम, ओवर ब्रिजेज और अंडर ब्रिजेज के लिए बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास रिक्वैस्ट आयी हैं। ...*(व्यवधान)* मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में ऊपरी और नीचे वाले ब्रिजेज के लिए रिक्वैस्ट आयी है और यह सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ...*(व्यवधान)* जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं और मैंने बजट स्पीच में भी कहा था ...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स इनकी वजह से होते हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं उनको रिक्वैस्ट करूंगा कि वह इसमें सापेक्ष अपना हिस्सा लें। ...*(व्यवधान)* लेकिन एक आर.ओ.बी. इन लियू ऑफ बिनौली रेलवे क्रासिंग ऐट बड़ौत रेलवे स्टेशन और दूसरा अंडर ब्रिज इन लियू ऑफ लेवर क्रासिंग नंबर इलेवन और फिर एक रोड ओवर ब्रिज ऑन लेवल क्रासिंग नंबर 143 ए रूदोली रेलवे स्टेशन ऑन जाफराबाद, फैजाबाद, लखनऊ सैक्शन...*(व्यवधान)* और एक रोड ओवर ब्रिज इन लियू ऑफ लेवल क्रासिंग नंबर 103 बिटवीन गजनी एंड चकुलिया, इनको मैं नये उनमें शामिल करूंगा।...*(व्यवधान)*

मैडम, नयी ट्रेंस ...*(व्यवधान)* मैंने जैसा कहा, इसकी बेशक आलोचना होती रही।...*(व्यवधान)* लेकिन नयी ट्रेंस, जिनका मैंने बजट के समय ऐलान किया, उनके अलावा नयी ट्रेंस जिनको इंट्रोडक्शन करना है, वह हैं, दिल्ली-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस वीकली, हटिया, रांची, यशवंतपुर एक्सप्रेस (वीकली) जोधपुर, समदारी, भिलड़ी पैसेंजर डेली, मुंबई, कराईकल और बेलनकन्नी एक्सप्रेस वाया चेन्नई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

भोपाल के रास्ते नागपुर - अजमेर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) द्वारका होते हुए नागद-कांटा-ओखा नाथवाड़ा एक्सप्रेस (साप्ताहिक) टाटा-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस (साप्ताहिक); वाराणसी-शक्तिनगर लिंक एक्सप्रेस (दैनिक); बलिया होते हुए छपरा-आनंद बिहार (टर्मिनल) एक्सप्रेस (साप्ताहिक); राजकोट-निजामुदीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक); अम्बाला कैंट - दिल्ली एक्सप्रेस (दैनिक); बिलासपुर-जोधपुर एक्सप्रेस (द्वि-सप्ताहिक); बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस (द्वि-सप्ताहिक); रायपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) वाया अमृतसर, दुर्ग; बलिया के रास्ते छपरा एक्सप्रेस (दैनिक); कोट्टायम के रास्ते एर्नाकुलम-कोल्लम मेमु; एलेप्पी के रास्ते एर्नाकुल-कोल्लम मेमु। इन दोनों क्षेत्रों को शमिल किया जाएगा। तंदुर-सिंकदराबाद मेमु, सिकंदराबाद-यशवंतपुर-सिंकदराबाद एक्सप्रेस (त्रि-सप्ताहिक) वाया कुरनुल टाउन।

इसी संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ज्यादा रेलगाड़ियों के लिए कई अनुरोधों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक मात्र बाध्यता-बहुत ही अर्थवान् और प्रासंगिक बाध्यता यह है कि कुछ सैक्शन पर बहुत ही संतृप्त हो गये हैं। उन लाइनों पर भारी संकुलता है और इन पर नई रेलगाड़ी शुरू करना व्यावहारिक नहीं है। कुछ मामलों में जब मुख्य मार्ग को पार करते हुए सेक्शन क और ख के मध्य रेल लाइन की मांग की जाती है, तब हम प्रायः यह पाते हैं कि रेलगाड़ियों के अनुरारक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये प्रमाणिक कठिनाईयां है जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेराप्रयासहै कि यह प्रक्रिया गतिशील हो और हम आगे बढ़ते रहें। जहां तक हो सका हैं मैंने अधिक से अधिक सदस्यों की मांगों को पूरा करनेक का सच्चे दिल से प्रयास किए हैं।

इसके पश्चात् कतिपय लाइनों के विस्तार के बारे में है।

[हिन्दी]

ऊंचाहार-शाहगंज नई लाइन के बारे में मैं बताना चाहता कि ऊंचाहार-कादीपुर का काम सैंग्शन्ड हो चुका है, उसमें ऊंचाहार-अमेठी और अमेठी-सुल्तानपुर का फाइनल लोकेशन सर्वे टेक-अप हो रहा है।...*(व्यवधान)* उसके डिफरेंट प्रॉससेज होते हैं। कादीपुर से शाहगंज वाला काम अभी सैंग्शन्ड होना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम-कोझीकोड़ जनशताब्दी एक्सप्रेस का कन्नूर तक विस्तार; शोरनुर-कोझीकोड यात्री गाड़ी जैसा कि मैंने बजट भाषण में घोषणा की थी, का अब त्रिसूर तक विस्तार किया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी, पटना-सासाराम एक्सप्रेस को भभुआ रोड पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं के विकास होने पर इस एक्सप्रेस का भभुआ रोड तक विस्तार किया जाएगा।

वर्तमान संरक्षकों के हितों का संरक्षण करने के विचार से मैंने

[श्री पवन कुमार बंसल]

57 जोड़ी गाड़ियों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया था। *[हिन्दी]* मैडम, जब एक ट्रेन को दूसरी जगह एक्सटेंशन के लिए दूसरी मेम्बर्स ने मांग की तो मैंने देखा कि उस पर विरोध होना शुरू हो गया। मैं यह बात सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, उनके मन में जो शंका है, डर है उनको दूर कर देना चाहता हूं कि उनको वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए उस स्टेशन से गाड़ियों में उतने और डिब्बे लगा दिए जाएंगे, जितना वहां से टेक-ऑफ होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं जहां भी संभव है रेलगाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ाकर या ऐसी जगहों पर मौजूदा कोटे को पर्याप्त रूप से बचाये रखने उन स्टेशनों पर अनारक्षित सीटों के पर्याप्त हिस्से को आरक्षित रखूंगा।

रेलगाड़ियों की बारम्बारता के बारे में *[हिन्दी]* मैडम, इंदौर-पुणे गाड़ी को तीन से चार दिन करने का विचार है।

[अनुवाद]

मेरे बजट भाषण में घोषित मंगलौरे-काचेगुडा एक्सप्रेस रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन चलती है। मेरे बजट भाषण लोकमान्य कोचुवेल्ली रेलगाड़ी अब सप्ताह में दो बार चलेगी। मेरे बजट भाषण में घोषित पुरी-अजमेर एक्सप्रेस वाया आबू रोड अब सप्ताह में दो बार चलेगी और 12761/12762 करीमनगर-तिरूपति जो साप्ताहिक गाड़ी है वह अब सप्ताह में दो दिन चलेगी।

रेलगाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से चलाने की मांग भी प्राप्त हुई है। मेरे बजट भाषण में नरसापुर-नागर सोल एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि की गई है जो तीन से बढ़कर प्रतिदिन वाया गुंटुर-नदी कुड्डी-नालगोण्डा और सिकन्दराबाद से दो दिन के लिये मूल मार्ग पर शेष पांच दिन तक की गई बंगलौर-मंगलौर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) जिसकी मेरे भाषण में घोषणा की गई है, को कोझिकोड़ पलक्कछड और सलेम से होकर चलाया जायेगा। काकीनाडा-मुम्बई एक्सप्रेस, सप्ताहित जिनकी घोषणा मेरे बजट भाषण में की गई है, को गुंटुर, नादीकुडी, नालगोण्डा और बी.बी. नगर से चलाया जायेगा। बंगलौर-नागर कोइना एक्सप्रेस दैनिक की घोषणा में बजट भाषण में की गई थी जो कि वाया मदुरै, तिरूचेरापल्ली होकर की जायेगी। तथापि सलेमप, नामाक्कलि, करूर खंड में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने ओर लोकप्रिय मांग के कारण इसे अब डिन्डीगुल, करूर, नामाक्काल, सलेम और मदुरै से चलाया जायेगा।

[हिन्दी]

मैंने आर.ओ.बीज़ के बारे में कहा था। मैंने आर.ओ.बीज़ की लिस्ट नहीं पढ़ी। पुनिया जी ने भी बाराबंकी का आर.ओ.बीज़. का जिक्र किया था। वह सैंक्शन हो चुका है। मैंने इसमें आर.ओ.बीज़ का जिक्र नहीं किया। बहुत बड़ी तादाद में आर.ओ.बीज़ जगह-जगह सैंक्शन हुए हैं।

मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया था कि हमने वेस्ट बंगाल के लिए एलोकेशन्स कम दिए हैं। मैंने देखा पिछले वर्ष में जब एलोकेशन्स बहुत ज्यादा दी गई थी, ग्राउंड पर रिजल्ट यह था कि वह पैसा बहुत जगह इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। बहुत स्कीम्स में बहुत पैसा ऐलान हुआ था, लेकिन काम नहीं हो पाया था। मैं सदन को यह बात कहना चाहता हूं और इस समय सदन में जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमारे मन में कोई मतभेद नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते।

[अनुवाद]

मैं बिलासिता की बात नहीं करूंगा, जिसका सहारा कुछ सदस्यों द्वारा लिया गया था।

[हिन्दी]

मऊ के लिए सबसे बड़ी ट्रेन का ऐलान किया है। उसके साथ टर्मिनल बनेगा। मऊ का उससे ज्यादा काम नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)* मैं बजट में कह चुका हूं। आप उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

मैं वेस्ट बंगाल के बारे में कहना चाहता हूं। उसका यह कहना वाजिब नहीं कि उन्हें पैसा कम दिया गया है। वेस्ट बंगाल हिन्दुस्तान का हिस्सा है और यू.पी.ए. सरकार पूरे हिन्दुस्तान के लिए है। हमारे मन में किसी प्रांत के लिए कोई मतभेद नहीं होगा। हम सभी प्रांतों में एक संतुलित विकास देखने के लिए वचनबद्ध हैं। रेलवेज की तरफ से सभी प्रांतों के लिए जहां-जहां जितने काम की जरूरत होगी, उसे करेंगे। माननीय सदस्य अपने मन से इस आशंका को निकाल दें। अगर सौगत राय जी ने इधर से उधर जाने का फैसला किया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं।...*(व्यवधान)* यह फैसला उनका अपना था। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

हम पैसे को खराब नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

हम जिम्मेदारी के साथ जहां जितने पैसे की जरूरत है, हमारे पास कम पैसा है लेकिन उसका ठीक इस्तेमाल करना हमारा फर्ज बनता है। यह हमारी जिम्मेदारी है और इसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत चीजों का जिक्र नहीं किया।

[अनुवाद]

जैसे कि कांटा-रूद्रानंद खण्ड नित्य ऊना में, इसके बाद विलासपुर-मनाली, ऊना-तलवाडा और ऊना से नगला तक विस्तार।

[हिन्दी]

नीलगिरी लाइन, जो पुरानी धरोहर है, उसके लिए ओडिशा में 20 किलोमीटर जिक्र हुआ है। मैंने अपने विभाग में उसका जिक्र किया हुआ है। बात कुछ मुश्किल है, काफी समय के बाद उसका जिक्र हो रहा है। लेकिन मैंने कहा है कि उनके लिए जो भी रास्ता ढूंढ सकते हैं, वह ढूंढें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं इस सम्माननीय सभा से लेखानुदानों की मांगे 2013-14, अनुपूरक अनुदानों की मांगे 2012-13, अतिरिक्त अनुदानों की मांगे 2010-11 और संगत विनियोग विधेयक को अनुमोदन करने का अनुरोध करता हूं। मैं सभा से लाभांश की दर एवं अन्य संगत मामलों पर रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूर करने का भी अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व, आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) का तीसरा प्रतिवेदन जो 18 मई, 2012 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, और 82 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : मैं अब लेखानुदान की मांगे (रेल) 2013-14 सभा में मतदान के लिये रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

वर्ष 2013-14 के लिए लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगे (रेल)

मांग संख्या	मांग शीर्ष	सभा द्वारा स्वीकृत लेखा अनुदानों की मांगों की राशि (रुपए में)	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि (रुपए में)
1	2	3	4
1.	रेलवे बार्ड	42,33,50,000	211,67,50,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	149,81,50,000	749,07,50,000
3.	रेल संबंधी सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	986,73,85,000	4933,69,26,000
4.	स्थायी रेल पथ और निर्माण कार्य की मरम्मत और अनुरक्षण	1579,64,05,000	7898,20,23,000
5.	मांटिव पावर की मरम्मत और अनुरक्षण	732,84,16,000	3664,20,77,000

2		3	4
6.	सवारी डिब्बे और माल डिब्बे की मरम्मत और अनुरक्षण	1705,53,93,000	8527,69,67,000
7.	संयंज और उपकरण की मरम्मत और अनुरक्षण	908,34,04,000	4541,70,17,000
8.	संचालन व्यय चल स्टॉक और उपस्कर	1414,66,38,000	7073,31,88,000
9.	संचालन व्यय - यातायात	4840,89,70,000	12333,05,44,000
10.	संचालन व्यय - ईंधन	4412,34,94,000	22061,74,69,000
11.	कर्मचारी क्लयाण और सुविधाएं	802,78,12,000	4013,90,58,000
12.	विविध संचालन व्यय	814,83,46,000	4074,17,30,000
13.	भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3771,07,88,000	18855,39,38,000
14.	निधियों का विनियोजन	7110,30,00,000	35551,50,00,000
15.	सामान्य राजस्व के लिए लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अति पूंजीकरण के लिए प्राधिकार	4,28,83,000	6244,91,17,000
16.	आस्ति अर्जन, निर्माण और प्रतिस्थापन राजस्व	10,00,00,000	50,00,00,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	17081,12,63,000	77537,63,15,000
	रेलवे निधि	3706,30,75,000	12543,53,75,000
	रेल संरक्षा निधि	333,28,33,000	1666,41,67,000
	कुल	50407,16,05,000	232531,84,11,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदया : मैं अब अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2012-13 सभा में मतदान के लिये रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं-

मांग संख्या 3, 8, 9, 10, 13 और 16

वर्ष 2012-13 के लिये लोक सभा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि

मांग संख्या	मांग शीर्ष	सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि
1	2	3
3.	रेल संबंधी सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	30,93,16,000

1	2	3
8.	संचालन व्यय - चल स्टॉक और उपस्कर	500,03,24,000
9.	संचालन व्यय - यातायात	97,27,46,000
10.	संचालन व्यय - ईंधन	382,61,62,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ	1456,06,05,000
16.	आस्तियां - अर्जन, निर्माण और प्रतिस्थापन	-
	अन्य व्यय	
	पूंजी	265,00,01,000
	कुल	2731,91,54,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदया : मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) 2010-11 सभा में मतदान के लिये रखती हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए - सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपतिक को दी जाये:-

वर्ष 2010-11 के लिये लोक सभा द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की राशि
1	2	3
3.	रेल संबंधी सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	5,13,23,778
4.	स्थायी रेल पथ और निर्माण कार्य की मरम्मत और अनुरक्षण	5,67,47,7772
5.	मोटिव पावर की मरम्मत और अनुरक्षण	73,28,28,634
6.	सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	221,26,08,251
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	184,54,91,597
8.	संचालन व्यय - चल स्टॉक और उपस्कर	414,80,05,059
10.	संचालन व्यय - ईंधन	53,38,80,412
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	645,53,31,891
12.	विविध संचालन व्यय	1403,97,51,918
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	कुल	3047,32,06,596

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 1.32 बजे

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में कतिपय राशियां

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ग, दण्ड 2, दिनांक 13.3.2013 में प्रकाशित।

निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विधेयक पुर स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदया : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड दिये गये, अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई। खण्ड 1, अधीनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे "कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि विधेयक पारित किया जाए।"

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुन:स्थापित

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.40 बजे

विनियोग (रेल) विधेयक 2013 *

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है: "कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विधेयक पुरस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 24। मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है: "कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2012-13 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र - असाधारण, भाग-II, खण्ड- 2, दिनांक 13.03.2013 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

अध्यक्ष महोदया : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये। अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है "कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.43 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 2, विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेल के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग के प्राधिकार का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदाया : प्रश्न यह है: "कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेल के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदान रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग के प्राधिकार का उपबंध करने वाले विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विधेयक पुरस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 26, मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे। विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं प्रस्ताव करता हूं : " कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेल के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग के प्राधिकार का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है: कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेल के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग के प्राधिकार का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदया : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये। खंड-1 अधियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित, किया जाये।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि विधेयक को पारित किया जाए।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 13.3.2013 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है: "कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.44 बजे

झारखंड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्‌घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"कि यह सभा झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अन्तर्गत 18 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्‌घोषणा का अनुमोदन करती है।"

अपराह्न 1.44½ बजे

(श्री पी.सी. चाको *पीठासीन हुए)*

सरकार द्वारा इस सम्मानीय सभा के संकल्प लोग संबंधी परिस्थितियों की व्याख्या करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया था कि अन्य उपबंधों में से अनुच्छेद 356 का उपबंध उन असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक हैं जहां राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो।

इस अवसर पर मैं झारखंड में व्याप्त उन परिस्थितियों जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो संक्षेप में बताना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* झारखंड की विधान सभा के गठन के लिए चुनाव नवम्बर-दिसम्बर, 2009 में हुए थे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया वहा एकत्रित न हों अपने-अपने स्थान पर जाए। व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया वहां एकत्रित न हों। कृपया अपने स्थान पर जाए। वहां खडे न हों अपने स्थान पर जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 82 है जिसमें एक नामनिर्देशित सदस्य भी शामिल है। चुनाव के पश्चात् यथा गठित विधान सभा में दलगत स्थिति निम्नवत थी: भारतीय जनता पार्टी (बी.जे.पी.)-18 झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.)-18 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-14, झारखंड विकास मोर्चा (जे.वी.एम.)-11; जनता दल (यूनाइटेड)-2; राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.)-5; ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू)-5; निर्दलीय और अन्य दल-8। कुल संख्या 81।

निर्दलीयों और अन्य दलों के सदस्य संख्या निम्नवत है- द झारखंड पार्टी-1 सी.पी.आई. (एम.एल.)-1; एम.सी.सी.-1; जे.बी.एस.एम.एस.पी.-1; जे.जे.एम.-1; आर.के.पी.-1; श्री हरिनारायण राय-1; श्री विदेश सिंह-निर्दलीय-1। उनकी कुल संख्या-8 हो तदुपरान्त, आंग्लो-भारतीय समुदाय के एक सदस्य का नामनिर्देशन राज्यपाल द्वारा किया गया।

30 दिसम्बर, 2009 को झारखंड में गठबंधन सरकार सत्तासीन हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री शिबू सोटेन मुख्यमंत्री बने। सरकार के गठन के समय सत्तासीन गठनबंधन को 81 सदस्यों के सभा में 44 विधयकों का समर्थन प्राप्त था। एक नामनिर्देशित एंग्लो-भारतीय सदस्य के साथ दलगत सदस्य संख्या निम्नवत थी- झारखंड मुक्ति मोर्चा-18; भारतीय जनता पार्टी-18; ऑल झारखंड स्टुडेंट्स यूनियन-5, झारखंड जनाधिकार मंच-1, जनता दल (यूनाइटेड)-2।

राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण; 1.6.2010 को झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और राज्य विधान सभा को निलंबित रखा गया। 11 सितम्बर, 2010 को राज्य में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। श्री अजुर्न मुंडा 11 सितम्बर, 2010 को 46 सदस्यों के समर्थन के साथ बी.जे.पी. के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस गठबंधन की दलगत स्थिति निम्नवत है:- बी.जे.पी.-18, जे.एम.एम.-18, ए.जे.एस.यू.-6, झारखंड जनाधिकार मंच-1, जनता दल (यूनाइटेड)-2, निर्दलीय-1, कुल सदस्य संख्या-46 है।

श्री अर्जुन मुंडा सरकार से अपने समर्थन वापस लेने के संबंध में जे.एम.एम. राज्यपाल से मुलाकात की। श्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री अपने दल के कतिपय विधायकों के साथ राज भवन गये और वर्तमान झारखंड विधान सभा को भंग करने संबंधी मंत्रीमंडल की अनुशंसा के साथ मंत्रीपरिषद का त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा।

श्री अर्जुन मुंडा का त्यागपत्र विधिवत स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था हो जाने तक केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहने को कहा गया था। 9 और 12 जनवरी,

2013 के बीच राज्यपाल में राज्य में विभिन्न प्रमुख दलों के प्रतिनिधि मंड़लों के साथ विचार विमर्श किया था। राज्यपाल ने बताया कि जे.एम.एम. विधायक दल के अट्ठारह सदस्यों द्वारा समर्थन वापस ले लेने से श्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार राज्य विधान सभा में अल्पमत में आ गई है और इसके सदस्यों कि संख्या 46 से घटकर 28 हो गई है।

उपरोक्त तथ्य के आधार पर, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट था कि जे.एम.एम., आर.जे.डी., कांग्रेस तथा कुछ निर्दलीय राज्य में एक वैकल्पिक सरकार बनाने के पक्ष थे, जबकि जे.वी.एम. (पी), बी.जे.पी., झारखण्ड पीपुल्स पार्टी, जे.डी. (यू), ए.जे.एस.यू., भारतीय सोशलिस्ट पार्टी और बाम दल विधान सभा भंग होने के पश्चात् एक नए जनादेश के पक्ष में थे। राज्यपाल ने आगे बताया कि राज्य प्रशासन 8 जनवरी, 2013 जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के निर्णय की सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी, तब से अर्द्ध-पक्षाघात की स्थिति में था।

राज्यपाल ने आगे बताया कि पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ झारखंड विधान सभा में प्रमुख राजनीतिक दलों के रवैये से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया था कि झारखंड में कम से कम हाल-फिलहाल एक स्थायी, निर्वाचित सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा, यह स्थिति, राजनीतिक गतिरोध का और आगे जारी रहना प्रशासनिक तंत्र को पटरी से उतार देगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, राज्यपाल में, दिनांक 12 जनवरी, 2013 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि झारखण्ड राज्य विधान सभा को निलंबित रखते हुए झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया जाए।

झारखण्ड में उत्पन्न इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया और 18 जनवरी, 2013 को राज्य विधान सभा को निलंबन के अधीन रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा कर दी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सिफारिश करता हूं कि झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अंतर्गत दिनांक 18 जनवरी, 2013 को जारी की गई उदघोषणा को इस सम्मानित सदन द्वारा स्वीकृति दी जाए। जैसा कि संविधान में अनुबन्ध किया गया है, परम्परानुसार उद्घोषणा को जारी करने की सिफारिश करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी गई है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा झारखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत 18 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके बाद बजट आ रहा है। तत्पश्चात् आगे की चर्चा करेंगे। अब, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को बोलना है। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन को पुनर्स्थापित करने के विषय को सभापटल पर रखने का काम किया गया है। सभापति जी, झारखंड राज्य पर कुदृष्टि जब से राज्य का निर्माण हुआ, किसी न किसी रूप में, चाहे राज्य का डिवेलपमेंट, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह हैल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी-रेखा में रहने वाले लोगों के विकास की बात हो, चाहे सड्क-निर्माण की बात हो, ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, किसी न किसी रूप में शुरू से रही है। उसके बाद फिर केन्द्र की सरकार की कुदृष्टि लगती रही है। यह कहा कि अर्जुन मुडा की सरकार अस्थिर हो गई थी और उन्होंने महामहिम को जाकर कहा कि यहां सरकार अस्थिर हो गई है। इसके साथ-साथ अर्जुन मुंडा जी ने केबिनेट में इस विषय को पास कराया कि अविलम्ब झारखंड में विधानसभा भंग करके वहां चुनाव कराए जाएं। महोदय, अस्थिर तो केन्द्र सरकार भी रही है। वर्ष 1996 से 2004 तक हम लोगों ने चार बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि जिस नीति से राज्य का निर्माण प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने किया, वह पूर्ण रूप से सरजमीं पर नहीं उतर पाई। चूंकि इस राज्य पर बराबर केंद्र सरकार की कुदृष्टि रही और किसी न किसी रूप में जैसे सोने का मृग होता है, उसे दिखला कर और समय-समय पर झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करके समर्थन वापिस लेने का काम किया। आज झारखंड का...** बना हुआ है।...*(व्यवधान)*

...(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि अगर झारखंड की सरकार अस्थिर रही, तो झारखंड में....** झारखंड से चले गए। जो उनके एडवाइजर थे, उन पर सी.बी.आई. की एफ.आई.आर. हुई और इन्क्वायरी सेटअप-हुई तथा अलगअलग तरह से जैसा हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि राज्यपाल का जो भवन होता है, वह पवित्र स्थान होता है। पुराने जमाने के लोग किसी को कटाक्ष करते हुए कहा करते थे कि क्या कहीं के लार्ड गवर्नर हो। मतलब गवर्नर की पदवी सबसे ऊंची मानी जाती थी। आप देख सकते हैं कि आज गवर्नर साहब का आवास किस परिस्थिति में है। आज वहां विधानसभा को सस्पेंड करके रखा गया है। मतलब सरकार है, विधयक हैं लेकिन हम ड्राइवर बने हुए हैं तथा हम ही गाड़ी चलाएंगे। बाकी लोग पीछे सीट पर बैठे रहें। आप चुनाव कराएं और आपको पूर्ण बहुमत मिले। जो झारखंड की जनता का जनादेश हो उसके अनुरूप सरकार लगे, चाहे जिसकी सरकार बने। हम झारखंड की जनता को आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि जिसे आप पूर्ण बहुमत दें, उसी की सरकार बननी चाहिए।

अपरान्ह 02:00 बजे

जब राज्य का निर्माण हुआ तो झारखंड राज्य के निर्माण के शुरुआती दौर में हमें उग्रवाद मिला, अस्थिरता मिली चाहेह वह छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में विधान सभा की सीट बढ़ी हों लेकिन झारखंड की 81 सीट रहीं और जो काम डेवलपमेंट का करना था, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि झारखंड से बी.पी.एल. परिवार का सर्वे करके दो दो बार दिल्ली आए और दोनों बार यह कहकर वापस किया गया कि इतने गरीब कहां से बढ़ गए हैं. सवाल यह है कि जनगणना घर से लेकर सारे चीजों की होती है और उस पर गरीबों की संख्या बढ़ें तो आप अपने स्तर पर जांच करवाइए लेकिन यह जांच नहीं करवाई गई।

झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर नया बी.पी.एल. सर्वे अभी तक लागू नहीं किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। जहां तक जांच का सवाल है, वहां इस इंतजार में लोग हैं कि मधुकौड़ा जी का कोई अगर छोटा भाई मिल जाए तो हम लोग उसको मुख्य मंत्री बनाकर पूरे झारखंड का उसी तरह से चीरहरण कर लेंगे, जैसे महाभारत में द्रौपदी का हुआ था।

आज चाहे राज्य सभा का हॉर्सट्रेडिंग का मामला हो, चाहे वह कोयला खदान के आबंटन का मामला हो। लोग कहते हैं कि यहां से बड़े बड़े नेता लोग झारखंड में जाकर कहते हैं कि मुख्य मंत्री अर्जुन मुंडा के समय में यह आबंटन हुआ। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर अर्जुन मुंडा के समय में कुछ हुआ है तो केन्द्र में आपकी सरकार है, सी.बी.आई., विजिलेंस आपका है, आप जांच करवाइए। कहीं कोई कठिनाई की बात नहीं है।...*(व्यवधान)* डा. साहब, आप शांति से रहिए। आप नये नये आए हैं। ये आई.पी.एस. रहे हैं तो इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। जिस राज्य से हम आते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि झंडा फहराने के अधिकार तक जो काम मुखिया का है, केंद्र से मंत्री जाते हैं, मुखिया से झंडा नहीं फहरवाते हैं, अपने स्कूल में जाकर झंडा फहराते हैं। फटफटिया पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पर चलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं कि साथ विकास हमने ही कर दिया है। जहां हमारा क्षेत्र है वहां के बारे में जब हम लिखकर देते हैं तो वहां लाल धागा लगा रहता है कि यहां का काम नहीं करना है।

सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दो एडवाइजर हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वे खराब व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जहां इतने पदाधिकारी हैं, वहां दो एडवाइजर उस राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता को कैसे संभालेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो पदाधिकारी हैं, आज सारे बेलगाम हो गए हैं। आम जनता के हित, डेवलपमेंट की बात जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। अधिकारी का काम इम्पलीमेंट करना है। एम.एल.ए., एम.पी. रिजाइन करें और बन जाएं, आम जनता चुनेगी यह अलग विषय है। लेकिन डेवलपमेंट की बात वहां के विधयक सांसद, सरपंच करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय! कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको आज बजट के संबंध में भी बोलने का समय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: झारखंड गरीब राज्य है। यहां फंड का खर्च नहीं होता है। हमारे यहां रुकावट लगा देते हैं। जबरदस्ती किसी का पैसा छीनकर मार्केट में तो नहीं रख लेना है कि आप अपनी पॉकेट में रख लें। आप देखें, जे.पी.एस.सी. का घोटाला हुआ। इसकी सी.बी.आई. जांच करे और जो लोग इन्वाल्व हैं, उनका

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

पर्दाफाश करे। आज राज्य सभा के चुनाव में होर्स ट्रेडिंग का मामला हुआ। अगर उसकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो कम से कम 30 एम.एल.ए. जेल की हवा खाएंगे। आप समझ सकते हैं। इसकी जांच नहीं हो रही है। यहां भी लोगों में अड़ंगा लगाया है। जब मन में आता है जेल से छुड़ाते हैं और डलवा देते हैं। झारखंड में यही चल रहा है। चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो राशन कार्ड की बात हो, आज आबंटन की बात हो, ए.पी.डी.पी. खाद आबंटन की बात हो या इरीगेशन की बात हो, आज की तारीख में कहीं से भी केन्द्र से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

हमारा आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके झारखंड में चुनी हुई सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने। मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महामहिम राज्यपाल की झारखंड रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। इसकी संवैधानिक बाध्यता है कि इस सदन में छः महीने के अंदर अगर संसद पुष्टि नहीं करता है तो संवैधनिक संकट खड़ा हो जाएगा। रवीन्द्र पाण्डेय, बहुत जिम्मेदार संसद सदस्य हैं। वे जानते हैं कि सदन के सामने बहुत ही औपचारिक विषय आया हैं इस पर कोई बहस भी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सदन को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। अगर झारखंड में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां का बजट भी पारित नहीं होगा जिससे वहां कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का संवैधनिक संकट पैदा हो जाएगा और विकास की संभावनाएं रुक जायंगी।

महोदय, मैं समझता हूं कि सदन का संवैधानिक दायित्व है कि वह इसे पास करें। माननीय सदस्य ने कहा कि जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तब पूरे देश को इस बात की प्रसन्नता थी कि झारखंड अलग हुआ है और अब इसका विकास बहुत तेजी से होगा। झारखंड सरप्लस स्टेट था। यह कोल, मिनरल्स, खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे अच्छा राज्य था। इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है, एक-दूसरे की आलोचना नहीं हो सकती है। झारखंड सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों का राज्य है, इसके गर्भ में इतना भंडार है कि अगर इसे ढंग से एक्सप्लोर करें तो न सिर्फ झारखंड का विकास कर सकते हैं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान की इकनोमी मजबूत हो सकती है। मैं समझता हूं इस पर अलग से बहस होनी चाहिए। महोदय, वर्ष 2000 में झारखंड का गठन हुआ। वहां तब से कांग्रेस पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। आज 2013 है, मात्रा 12 साल में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय ! बीच में मत टोकिए। आप तब बोलिए जब आपकी बारी आती है।

श्री जगदम्बिका पाल: निश्चित तौर से जिसका नाम आपने लिया, चाहे वह मधु कोड़ा हों, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों या अन्य कोई मुख्य मंत्री हों, चाहे वे सब भारतीय पार्टी के ही लोग थे और आज अगर आप वहां किसी को गुनाहगार ठहराते हैं तो यह आपके ही गुनाहों की कोख से पैदावार है, उस झारखंड के जो भी मुख्य मंत्री हुए। मैं कहना चाहता हूं कि 2000 से 2013 तक मात्रा 12 साल में 8 बार सरकार बन चुकी है। इस अस्थिरता के लिए जिम्मेदार कौन हैं....*(व्यवधान)* पांडेय जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सुन रहा था कि पांडे जी क्या कहेंगे और निशिकांत जी क्या कहेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो आक्षेप हो। 2000 से 2013 में अगर आठ बार सरकार बनी तो इस प्रजातंत्र में हम जवाबदेह हैं, जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं। जनता की कसौटी पर कहीं न कहीं हमारी जवाबदेही बनती है कि जहां पांच सालों के लिए सरकारें निर्धरित होती हैं, उन पांच सालों के लिए शायद अगर सरकार चलती तो अभी तक केवल ढाई सरकार होती और ढाई सरकार की जगह पर अब तक आठ सरकारें बन चुकी हैं जब 2009 में चुनाव हुआ तो उस समय किसकी सरकार बनी, शिबू सोरेन जी की सरकार बनी और उसमें भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। शिबू सोरेन जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें कांग्रेस नहीं थी। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। मैं कहता हूं कि 2009 में अगर आपने शिबू सोरेन के साथ मिली-जुली सरकार बनाई, आपके उप-मुख्य मंत्री थे, वह मुख्य मंत्री थे तो 2009 से 2014 तक अगर वह सरकार नहीं चली तो इस सदन के माध्यम से देश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि शिबू सोरेन की सरकार आपने क्यों गिराई और सरकार गिराने का कारण यह था कि हम शिबू सोरेन की सरकार को गिरायें और किसी तरह से भारतीय जनता पाटी की सरकार बनायें। अगर पार्टी विद ए डिफरेन्स है, दूसरी पार्टियों से आपकी कार्य संस्कृति भिन्न है, आप अपने चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा इस देश के सामने बहुत सुंदर है तो क्या आपका यही चाल, चेहरा और चरित्र है, जो बेनकाब हो रहे हैं। वे आपके पार्टनर थे, आप उनके साथ मिली-

[श्री जगदम्बिका पाल]

जुली सरकार में थे, आपका गठबंधन था। लेकिन शिबू सोरेन जी को आप मुख्य मंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाये और उनकी सरकार को गिरा दिया और 2011 में आपने अपनी सरकार बनाई और शिबू सोरेन साहब के लड़के को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आखिर इसके पीछे क्या प्रयोजन होगा कि हम किसी तरह से सत्ता में आयें और सत्ता का सुख लें। आप कहते हैं कि जांच करा लीजिए, हम जांच की बात नहीं करते कि अर्जुन मुंडा जी की जांच करा लीजिए। लेकिन रवीन्द्र पांडेय जी आप उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री सुबोध कांत सहाय (रांची): आप जांच कराने का समर्थन क्यों नहीं करते हैं.

श्री जगदम्बिका पाल: मैं कह रहा हूं कि 125 एम.ओ.यू. साइन हुए। आपकी सरकार ने 125 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आरपोरेट हाउसेस से मिनरल्स और खनिज निकालने के लिए साइन किये। वे किसी जमीनें थीं, वे आदिवासियों की जमीनें थीं। परम्परागत उनके बाप-दादाओं, उनके पुरुखों की जमीनें थीं और उनसे उनकी जमीनों को लेकर आपने कारपोरेट हाउसेंस को दे दिया। उस झारखंड की जनता आपको देख रही है कि हमारे आदिवासियों की जमीनें, उन परम्परागत रहने वाले लोगों की जमीनों को आपने हिंदुस्तान के उन तमाम बड़े घरानों को दे दिया। इसका जवाब आपको 2014 के चुनाव में देना पड़ेगा कि आखिर कौन से कारण थे कि जिन पर झारखंडियों का स्वामित्व था, आदिवासियों का था, उनकी जमीनों को आपने दूसरों को दे दिया। उसके बाद आपने सरकार बनाई। आज भी आपकी सरकार चलती। आपने शिबू सोरेन की सरकार को गिरा दिया। अर्जुन मुंडा जी की सरकार चलती। लेकिन आपका अहंकार नहीं गया। जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 36 महीने हैं, 18 महीने आपने सरकार चला ली, अब 18 महीने हम सरकार चलायेंगे। आप उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन आपने उनकी सत्ता को गिरा दिया। फिर आपने सत्ता बनाई। जब अगर वे मांग कर रहे हैं कि 18 महीने आपने मुख्य मंत्री के रूप में माल काट लिया तो अब 18 महीने अगर हम सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए हमें भी चलाने दीजिए तो आपसे वह बर्दाश्त नहीं हुआ। निश्चित तौर से अगर आज झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है तो यह भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के कारण लगा है और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एक बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। उस झारखंड में पांच-पांच बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पांच बार राष्ट्रपति शासन लगने का जिम्मेदार कौन है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम केंद्र में हैं तो झारखंड का हित पर कुठाराघात न हो। झारखंड के हितों पर आप जो कुठाराघात कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने का दायित्व हम पर है। हम केंद्र में बैठे हैं और यह देखेंगे कि झारखंड का विकास न रुके। झारखंड का वेतन न रुके। हमने बजट दिया है चाहे सर्वशिक्षा अभियान में दिया है, चाहे एन.आर.एच.एम. में दिया है। आपने कभी उस झारखंड को बनाने के बारे में सोचा. आपको कितनी बार मौका मिला। बाबू लाल मरांडी जी थे, अच्छा-भला दो साल आपकी सरकार चलाई। कौन-सी राजनीति थी कौन सा अंतर्कलह था, एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी गणना थी, उनको आपने भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया।...**(व्यवधान)** मैं एक बात स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि हमने कभी झारखंड में मिलकरके आयाराम-गयाराम की सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। हम भी चाहते तो सरकार बना सकते थे। आज इस बात की कोशिश करें तो शायद कांग्रेस झारखण्ड में एक स्थिर सरकार दे सकती है। इसके बावजूद भी हमने तो आपको बार-बार मौका दिया। लेकिन अब यह साबित हो गया कि झारखण्ड की जनता ने सन् 2000 से 2013 तक जितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका दिया है, वह जनता की कसौटी पर असफल हुई है। अब कभी भी भविष्य में भा.ज.पा. सरकार नहीं बना सकती है और न कभी स्थिर सरकार दे सकती है। यह इस राष्ट्रपति शासन से मालूम हो गया है। जब झारखण्ड की जनता को आप एक स्थिर सरकार नहीं दे रहे हैं, हमने बीच में कोई अड़ंगा भी नहीं डाला, हम चाहते तो हम इस बात के लिए प्रयास करते कि आप सरकार न बना सकें। आपने सरकार बनाई। हमने सरकार को हर तरह से सहयोग किया। केंद्र ने आर्थिक सहयोग दिया कि ज्यादा से ज्यादा बजट मिले। इतने सालों बाद पंचायती राज के चुनाव हुए, हमने उसके लिए पैसा दिया। उसके बाद एन.आर.एच.एम. में पैसा दिया। सर्वशिक्षा अभियान में पैसा दिया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पैसा दिया...*(व्यवधान)* अब अगर उस पैसे को खर्च न कर पाएं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): महोदय, वह हर राज्य की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: अनुराग जी, वहां पर भी तो दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया, इस तरह से टोका-टोकी मत कीजिए। यह चर्चा का तरीका नहीं है।

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: मैं समझता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं यह झारखंड की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टोकने से अपने गुनाहों को छुपा नहीं पाएगी। झारखण्ड में जो बदनुमा दाग लगा है, वह वहां है। आज झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन है। वे कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों लग गया? विधानसभा भंग करनी चाहिए। यदि विधानसभा रोज भंग की जाए तो यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम होगा या लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम होगा? जब चाहते हैं कोई बात कभी एक पैरामीटर में करेंगे। जब इनको सूट करेगी तो दूसरे पैरामीटर में करेंगे। आज हमारा प्रयास है कि एक बार यदि कोई विधान सभा या लोक सभा लोकतांत्रिक ढंग से जनता के द्वारा चुनी गई है तो वह जनता के प्रति पांच साल के लिए उत्तरदायी रहे, पांच साल के लिए जनता के प्रति जवाबदेह रहे। कांग्रेस-यू.पी.ए. की यह मंशा है। हम यह नहीं चाहते हैं कि आज वहां विधान सभा भंग हो जाए। कौन सी गारंटी है कि फिर हंग असेंबली न आ जाए? फिर आप कहेंगे कि दोबारा मध्यावधि चुनाव कराए जाएं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी, जो प्रस्ताव लाए हैं, सदन को इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। इस बात के लिए कहना चाहिए कि वहां पर निश्चित तौर से सरकार बने। आज विधानसभा के जो विधायक चुने गए हैं, अभी बिहार में एक बार विधान सभा बनी थी, आपने देखा कि डेढ़ महीने बाद वहां दोबारा चुनाव हुए। कितना क्रिटिसिज्म हुआ। अगर आज वहां पर विधानसभा है। अगर आज वहां के विधायक हैं तो उनका कौन सा गुनाह है? वहां की जनता ने उनको पांच साल के चुना है। हमें जनता ने पांच साल के लिए लोक सभा के लिए चुना है। अब अगर ये सरकार नहीं चला पाते हैं, अपने गठबंधन के साथ अच्छा धर्म नहीं निभा पाते हैं, गठबंधन को विश्वास में लेकर परस्पर सहमति के साथ समझदारी से नहीं चल पाते हैं तो अपनी नाकामयाबी और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए झारखण्ड की जनता के ऊपर कुठाराघात क्यों करें? अपनी नाकामियों को, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए उस झारखण्ड की जनता के ऊपर क्यों कुठाराघात करें, झारखण्ड की जनता के सथ विश्वासघात क्यों हो?

महोदय, मैं चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाये।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, हमारे माननीय नेता सदन श्री सुशील कुमार शिंदे जी झारखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन 18 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए जो संकल्प लाये हैं, हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। चूंकि यह संविधानिक संकट का चर्चा है, यह देखा गया है कि पुराना बिहार प्रदेश वैसे भी बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। उसके बाद झारखण्ड राज्य 15 नवम्बर 2000 को बना। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, कई बार इस सदन में चर्चा भी हुई कि जो गरीब और पिछड़े हुए राज्य हैं, उन्हें विशेष दर्जा देकर वहां का विकास हो और उन राज्यों को बढ़ावा दिया जाये। एक तरीके से देखा जाये तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण झारखंड में बराबर सत्ता परिवर्तन हुआ और राष्ट्रपति शासन लगा है। यह झारखण्ड का दुर्भाग्य ही रहा है।...*(व्यवधान)* यह देखा गया है कि प्राकृतिक सम्पदा वहां पर इतनी जबरदस्त है कि मेरे ख्याल से देश की आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा योगदान झारखण्ड प्रदेश कर सकता है। महोदय, यह भी देखा गया है कि अब तक जो भी वहां पर ज्यादातर मुख्यमंत्री रहे हैं, वे आदिवासी रहे हैं, चूंकि वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब किसी आदिवासी को या अनुसूचित जाति वर्ग के किसी व्यक्ति को इस प्रकार का मौका मिलता है कि वह बागडोर संभाले तो उसको चलने नहीं दिया जाता है।...*(व्यवधान)* मैंदोनों तरफ की बात करना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* आपने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमेशा उसे अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, यह उसका मुख्य कारण रहा है। पाल साहब ने बड़े विस्तार से इस बात को बताया है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन देखा गया है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार होती है, उससे जनता को बहुत अपेक्षाएं और उम्मीदें रहती हैं। आज वहां पर जो गरीब और आदिवासी हैं, हर तरीके से दबे-कुचले लोगों के उत्थान के लिए कोई ऐसी कार्य योजना या विशेष दर्जा, विशेष पैकेज नहीं दिया गया, जिसके कारण वह राज्य पिछड़ा

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

रहा, जबकिह प्राकृति सम्पदा वहां पर है। अगर वहां निवेश किया जाये तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष को आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन में हमारी यह कोशिश होनी चाहिए, भारतीय संविधान और लोकतंत्र में यह है कि चुनी हुई सरकार हो ओर अगर चुनी हुई सरकार चलती है तो मेरे ख्याल से जनता को राहत महसूस होती है, जनता का विकास होता है और उस क्षेत्र का विकास होता है। जब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, वहां पर नौकरशाही होती है, ऑफिसर्स काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं। वैसे भी नौकरशाही बहुत ही हावी रहती है और राष्ट्रपति शासन में नौकर शाही को जब बागडोर संभालनी पड़ती है तो आम जनता विकास के रास्ते में, अपने उत्थान से काफी उन्मुख होती है, विकास से दूर रहती है और उसका विकास नहीं हो पाता है। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि ठीक है कि अगर यह संसद अनुमोदन कर रही है तो जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव कराये जाएं। मैं तो चाहूंगा कि लोक सभा के चुनाव के साथ न करके बल्कि लोक सभा चुनाव के पहले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर पुन: चुनाव हों और वहां पर चुनी हुई सरकार बने ताकि वहां जो मुख्यमंत्री बनें, वे उस राज्य का विकास कर सकें।

अब लोगों की कोशिश है, मैं जानता हूं कि कांग्रेस की भी सरकार भारतवर्ष में रही है। रवीन्द्र भाई ने राज्यपाल पर टिप्पणी की, जबकि महामहिम राज्यपाल का जो पद होता है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। आपकी भी सरकार रही, आपने भी विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की, उनसे अपेक्षाएं कीं। चूंकि वे संवैधानिक पद होते हैं, इसलिए किसी भी राज्यपाल पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक पद होता है, लेकिन यह बात सत्य है कि विपक्ष में जो लोग रहते हैं, जिनकी बात नहीं मानी जाती, उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल पर हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता रहा है कि जिसकी केन्द्र में सरकार होती है, राष्ट्रपति होता है, उसके कहने पर काम होता है। इस प्रकार की टिप्पणी लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा।

मैं ज्यादा कुछ न कहकर इतनी ही मांग करता हूं और माननीय शिन्दे जी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन बहुत अच्छा नहीं होता है। हम लोगों का अनुभव रहा है और मैं चाहता हूं कि यहां जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर वहां जनता की चुनी हुई सरकार बने ताकि क्षेत्र का विकास हो और लोगों का उत्थान हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद माननीय नेता सदन उसके अनुमोदन के लिए जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। 15 नवंबर, 2000 की जब बिहार और झारखंड अलग हुए, तो बिहार में भी लोग इस बात को लेकर चिन्तित हुए कि जो सबसे मूल्यवान जमीन थी, वह झारखंड में चली गई। झारखंड में जितनी प्राकृतिक सम्पदा है, उतनी अब बिहार में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि प्राकृतिक रूप से तो झारखंड सबसे मजबूत है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी झारखंड में है और उस गरीबी के साथ साथ वहां आदिवासियों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न भी होता है। संविधान में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो जमीनें हैं, उनको किसी दूसरे को बेचा नहीं जा सकता है। अगर बेचा जाए तो उसकी बाकायदा परमीशन लेनी चाहिए। लेकिन जब वहां मुंडा जी की सरकार थी तो उस समय मुंडा जी ने एक अमेन्डमैंट कर दिया था कि अनुसूचित जनजाति की जमीनें बेची जा सकती हैं। इसका परिणाम यह निकला कि उनकी जमीन पूंजीपतियों को भी बेच दी गई।...**(व्यवधान)** इसलिए इस तरह का जो अमन्डमैंट हुआ है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि गरीबों की जमीनें बेची न जा सकें। इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच में जो राष्ट्रपति शासन है, वह दुखदायी तो होता है और इसमें ब्यूरोक्रेसी ही राज करती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता सुनकर भेजती है, उसमें जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है और आम जनता उससे प्रभावित होती है, डैवलपमेंट भी प्रभावित होता है। इसलिए हम सदन के नेता और गृह मंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो, वहां चुनाव हो जिससे जनता की समस्याओं का निदान हो सके और उस प्रदेश का डेवलपमेंट हो सके। मैं यह चाहूंगा कि यह जल्दी वहां हो। अभी पाण्डे जी कह रहे थे कि वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, पेयजल और सड़क निर्माण प्रभावित हो रहा है। झारखण्ड में गरीबी इतनी बढ़ गयी है कि झारखण्ड के लोग सीजन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं और सीजन के समय में चाहे धनकटनी का मामला हो या गेहूंकटनी का मामला हो या रोपाई का सीजन हो, ऐसे समय में ये भाग कर चले आते हैं और सीजन खत्म होने के बाद फिर अपने प्रदेश में वापिस आ जाते हैं। यह भी सही है कि झारखण्ड

बनने के बाद वहां जितने मुख्यमंत्री बने, वह सब आदिवासी ही बने। कभी इधर की सरकार रही और कभी इधर के सहयोग से वहां सरकार बनी। लोगों को यह मैसेज देना शुरू किया कि आदिवासी व्यक्ति सरकार नहीं चला सके, इसीलिए समय-समय पर ये वहां सरकारों को गिराते रहे। आदिवासी लोग सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं, यह संदेश वे लोगों को देना चाहते हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनको मौका दिया जाए, तो आदिवासी व्यक्ति भी सरकार चलाने में सक्षम हो सकता है। यह खुराफात की जाती है और यह संदेश देते हैं कि आदिवासी सरकार नहीं चला सकते हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि वहां चुनाव कराया जाए और निश्चित रूप से वहां आदिवासी की सरकार बनेगी और अब की बार पूर्ण बहुमत में बनेगी तथा वह पूरे पांच साल तंक सरकार चलाएंगे। इससे वहां के गरीबों का कल्याण होगा, भला होगा।

महोदय, हम नेता सदन से चाहेंगे, गृह मंत्री जी से चाहेंगे कि वहां लोकतंत्र की बहाली हो। वहां जल्दी चुनाव कराए जाएं। अंत में मैं आप जो प्रस्ताव लाए हैं, उसका समर्थन करता हूं।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति महोदय, आपने झारखंड के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं आपको अतीत की ओर ले जाना चाहता हूं। झारखंड बिहार का ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। 14 नवंबर, 2002 को बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड राज्य के नाम से एक नए राज्य की स्थापना हुई। आजादी के दिनों में भी जब जंगे आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, तब तिलका मांझी, विरसा मुंडा जैसे शहीदों ने अपनी शहीदी दी और अपना जत्था कायम किया और जंगे आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा की। आजादी के बाद भी जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड बनाने की कल्पना शुरू हुई और तब से कभी झारखंड मुक्ति मोर्चे की ओर से और कभी भारतीय जनता की ओर से अलग राज्य बनाने की मांग होती रही।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अखंड बिहार था, उसी बिहार से इस देश को चलाने के लिए आधी दौलत आती थी। आज भी झारखंड में जितनी खनिज सम्पदा है जैसे कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। झारखंड और बिहार की इस खनिज सम्पदा से देश के दूसरे राज्य विकसित हो गए। लेकिन झारखंड और बिहार की जो स्थिति थी, उसी स्थिति में बिहार खड़ा रहा, झारखंड खड़ा रहा। मुझे दु:ख होता है। मैं भारी मन से कह सकता हूं कि जिस विषय की चर्चा झारखंड की विधानसभा में होना चाहिए था वह आज संसद भवन में हो रहा है। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पद्धति के अनुसार वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगा है, उस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इस प्रजातंत्र में जो प्रजा की अपेक्षा है, जो प्रजा की आकांक्षा है, उस में राष्ट्रपति शासन से उन को अपेक्षित और आकांक्षित फायदा नहीं हो सकता है।

महोदय, यह दुर्भाग्य है कि झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। झारखंड में आज भी 62 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आज भी वहां के 70 प्रतिशत गांवों में शौचालय नहीं हैं। आज भी वहां की मां-बहनें सड़कों के किनारे, तालाब के किनारे, नदियों के किनारे शौच करने जाती हैं।

मैं शिक्षा के संबंध में बताना चाहता हूं। वहां की स्थिति काफी जर्जर है। विद्यालय भवन चरमरा गए हैं। दीवारें फटी पड़ी हैं। शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। शुद्ध हवा भी नहीं मिल पाती।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड निश्चित तौर पर एक गरीब राज्य है और गरीबों को बड़ी अपेक्षा रहती है। जब वहां पांच बार मुख्यमंत्री बने, पांच बार राष्ट्रपति शासन लगे तो लोग हताश और निराश हो चुके हैं। झारखंड में आज भी दौलत है। झारखंड में आज भी खनिज संपदा है लेकिन केन्द्र सरकार की दोहरी नीति के चलते, केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार के चलते वहां का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं।

छेड़ने से मुख भी वाचाल हो जाता है, टूटने से शीशा भी काल हो जाता है, इस तरह गरीब राज्य को मत छेड़ा करो, वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाहूंगा, सदन के नेता और गृह मंत्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि लोकतंत्र जिन्दा रहे, लोकतंत्र की पद्धति जिन्दा रहे और लोकतंत्र की पद्धति के मुताबिक जो राज्य की गरिमा है, मर्यादा है, आदेश है, उन्हें अक्षुण्ण रखने में आप अहम भूमिका अदा करें और वहां राष्ट्रपति शासन को हटा कर लोकतंत्र के स्तर से चुनाव कराएं ताकि लोगों को अपने अधिकार और हक मिल सकें।

[श्री भूदेव चौधरी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम झारखंड में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के अनुमोदन के संबंध में केवल सांविधिक संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। बजट अभी तक नहीं आया है। यदि सभी माननीय सदस्य सहमत हों, तो हम चर्चा को यहां पर समाप्त करेंगे। झारखंड बजट अभी आ रहा है। हम केवल झारखंड से आने वाले माननीय सदस्यों को बोलने देंगे और तत्पश्चातद्य हम समाप्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहां से बोलने के लिए आप से अनुमति चाहता हूं।

महोदय, गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि राज्य में संवैधानिक तंत्र बिगड़ गया है। इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हम सभी लोग गृह मंत्री महोदय से सहमत हैं लेकिन चिंता की बात तब होती है यदि गृह मंत्री महोदय का आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो गृह मंत्री ने अंग्रेजी में कहा था 'कम से कम फिलहाल के लिए' जब इस 'फिलहाल' शब्द का इस्तेमाल होता है तो झारखंड में सभी लोगों को चिंता रहती है कि फिर से सरकार गठित करने में ऐसे का इस्तेमाल होगा और सी.बी.आई. का इस्तेमाल होगा।

मैं गृह मंत्री महोदय से पहले तो यह अनुरोध करूंगा कि झारखंड पहले से ही इस चीज में बदनाम है। वर्तमान स्थिति में किसी भी पार्टी द्वारा सरकार बनाना असंभव है। यह स्पष्ट है कि फिर से चुनाव कराने की आवश्यकता है। जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो तीन-बार कमेटियां गठित की गयीं। उस में से एक कमेटी कोयला और खान के लंबित प्रस्तावों को निष्पादित करने के लिए गठित की गयी। इस से स्पष्ट होता है कि जैसे ही झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तत्पश्चात कोयला एवं खनिज मुद्दों के संबंध में लंबित मामलों पर चर्चा करने हेतु एक समिति बनाई गई है। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो झारखंड की जनता की यह डर लग रहा है कि अगर हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो झारखंड में फिर से भ्रष्टाचार शुरू होगा। राष्ट्रपति शासन के नाम पर कोयला, आयरन और माइनिंग ब्लॉक्स के आवंटन होंगे। आप को तो मालूम होगा। अगर आप थोड़ा संक्षेप में भी देखेंगे तो झारखंड में कैश फोर वोट स्कैम, सीड स्कैम, लैंड स्कैम, रॉयल्टी स्कैम, माइनिंग स्कैम, रूरल रोड्स स्कैम इत्यादि अनेक स्कैम्स हैं।

जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तो हमें थोड़ा सा ताज्जुब इसलिए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उन्हीं का शासन चला और सबसे ज्यादा स्केम उनके समय में भी हुए। झारखंड पर सभी लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में सरकार के कुछ लोग एक और...* की खोज में हैं, ये आम जनता की चर्चा का विषय है। हरेक जगह जाइए, ये लोग खेज रहे हैं, क्योंकि सरकार के जितने भी संबंधित लोग हैं, वे लगातार दिल्ली एवं हर जगह आकर सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में यह आम चर्चा है कि एक और...* की खोज की जाए। एक चीज है कि ...* के समय में जो स्केम है, चार हजार करोड़ के आसपास लोग कहते हैं। कांग्रेस के साथी लोगों को यह कहना चाहेंगे कि चार हजार करोड़ का अगर स्केम होगा तो बिना वहां की सरकार के संबंधित लोगों की जानकारी के नहीं हो सकता था।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी तरह से, किसी हालत में वहां पर सरकार गठित करने का प्रयास न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलेंगे तो मैं यही कहूंगा कि उनकी अर्जुन मुंडा जी की सरकार में सबसे ज्यादा एलियनेशन ऑफ लैंड अगर आदिवासियों का हुआ है तो उनके मुख्य मंत्री महोदय के समय में हुआ है। हम ये भी जानना चाहेंगे। एक इंटरस्टिंग तरीका झारखंड में हुआ। जब भी सरकार आती है, एक महत्वपूर्ण बात होती है। शेडयूल-5 इलाके में आप पब्लिक सेक्टर को छोड़ कर किसी को कोल या आयरन और लैंड नहीं दे सकते। इन लोगों ने एक्सेस लेवल तक कर दिया, पब्लिक सेक्टर को आपने कांट्रेक्ट दे दिया और उसमें ज्वाइंट बैंचर बना दिया। यह वहां के आदिवासी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनवायरमेंट एंड फारेस्ट में शेडयूल-5 के अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है। जिस दिन हम लोग शेडयूल-5 को अमेंड करेंगे, वह सबसे खराब कानून वहां के आदिवासियों के लिए होगा।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं और चेतावनी भी इसलिए देना चाहूंगा कि अगर आप शेडयूल-5 में आदिवासी लैंड का एलियनेशन करेंगे तो बहुत खतरनाक चीज शुरू हो जाएगी। आपसे अनुरोध है कि स्टैंडिंग कमेटी में जो यह मामला पैंडिंग है, उस मामले में एक समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था और समता जजमेंट

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को जो है, टू गो राउंड द समता जजमेंट एक अमेंडमेंट लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि उसको रोका जाए। जब बजट का समय आएगा तो झारखंड के बारे में काफी चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय आपको एक छोटा सा स्टेटिस्टिक बताना चाहेंगे। ऐसा प्रदेश है कि जहां पर 60 प्रतिशत से ऊपर बच्चे मेलन्यूटिशन हैं। 75 लाख लोग डिसप्लेस्ड हुए हैं। कोयला उत्खनन और अन्य परियोजनाओं के कारण झारखंड में 6.5 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया है। कोई अन्य स्टेट में यह बात नहीं हुई। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय इस स्टेट के साथ हुआ है। 65 लाख, उसमें से 70 प्रतिशत महिला दिल्ली, मुंबई सभी जगह काम कर रही हैं। यह कहानी आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। पूरे आजार भारत में ये सबसे अफसोस जनक और दुःखभरी कहानी है। 65 लाख किसी प्रदेश में नहीं हैं।हम दस हजार, दो हजार में इतना हल्ला करते लगते हैं। वहां के आदिवासी लोग 75 लाख हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस बात का ध्यान रखा जाए।

वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा है, मैं इसलिए दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। एक श्री जेवियर डायस हैं और एक मिस बाला हैं। बी.जे.पी. सरकार ने उनको बंद कर दिया था। आदिवासी हक को लड़ने के लिए वहां पर लैंड एक्वीजिशन हो रहा था। लगातार गरीब दोनों आदिवासी हक के लड़ने वाले के लिए सिविल राइट्स के लोगों के लिए, उन पर केस थोपे गए हैं। वहां पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है, आपकी सरकार है, कम से कम ये केसेस तो विद्ड्रा हो जाएं, क्योंकि ये लोग आदिवासी हक के लिए लड़ रहे थे।

सर, आखिरी में मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया किसी हालत में ऐसी सरकार न बनाई जाए, चुनाव हो जाएं। एक...* जैसे व्यक्ति को, आम जनता वहां पर जो चर्चा कर रही है, उसकी तलाश न की जाए। झारखंड के लिए जरूरी है कि एक लोकतांत्रिक सरकार वहां जल्दी से जल्दी गठित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं निर्दलीय होने के नाते बहुत कम बोलता हूं क्योंकि बोलने का समय बहुत कम मिलता है। यह मामला झारखंड का है और मैं झारखंड की धरती का हूं। वहां की धरती ने मुझे यहां भेजा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री इन्दर सिंह नामधारी जी, जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो आपको एक और अवसर मिलेगा। इसलिए, कृपया आप अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयास कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, मैं बजट के बारे में नहीं बोलूंगा।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): यह जे.डी.यू. झारखंड स्टेट प्रेसीडेंट भी रह चुके हैं।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने आज झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगने की सूचना दी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि जो पार्टियां शासन कर रही थीं, उन्होंने तश्करी में परोसकर राष्ट्रपति शासन दिया है। झारखंड की स्थिति ऐसी है, जैसे अभी अजय कुमार जी बोल रहे थे, एक कवि ने लिखा है कि "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।" जैसे आज अबला जीवन के बारे में, आज भी महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि आंचल में तो दूध है, लेकिन आंखों में पानी है, वैसे ही झारखंड की धरती की कोख में तो भंडार भरे हुए हैं, लेकिन गोद में गरीबी है। इतनी अमीरी होने के बाद भी, "क्या नहीं है मेरे महबूब में, क्या नहीं, क्या नहीं?" अगर आज गिनाने लगे तो इसके लिए समय चाहिए। आज वहां के लोग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में होटलों में पत्तल साफ करते हुए मिलते हैं। यह हमारे राज्य का दुर्भाग्य है।

झारखंड राज्य को बने हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं। वहां सरकारें चलीं, लेकिन वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकीं। झारखंड जो एक शांतिप्रिय इलाका था, उसे आदिवासी और गैर आदिवासी में बांटने की कोशिश की गयी और वहां विकास नहीं हो पाया और जो लक्ष्य था, उस तक हम नहीं पहुंच पाए। वहां राष्ट्रपति शासन लगा। गृह मंत्री जी एक बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक आग्रह इनसे करना चाहता हूं कि आप कृपया यह मैसेज मत दीजिए कि राष्ट्रपति शासन का मतलब कांग्रेस का शासन। पहले तो पार्टियां थीं, जो शासन चला रही थीं, लेकिन आज वहां यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही हैं कि वहां के जो अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से भाषण देते हुए निकल गया कि अब तो अपना शासन आ गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह दूसरे सदन के सदस्य हैं। उनकी यह बात टी.वी. पर आयी कि अब तो हम लोगों का शासन आ गया

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इन्दर सिंह नामधारी]

है। गृह मंत्री जी, यह संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार नहीं चल पायी, तो आपने राष्ट्रपति शासन लगाया। लेकिन आज यह अगर मानकर चलते हैं कि एक पार्टी विशेष का शासन हो गया तो यह लोकतंत्र का गला घोंटने के बराबर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का शासन किसी दल विशेष का शासन नहीं, यह राष्ट्रपति का शासन है। राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। इसका गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। जयराम रमेश जी सदन में उपस्थित नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता था कि राष्ट्रपति शासन लगते ही, उन्होंने एक काम तो किया, एक-एक प्रखंड में पांच-पांच हजार इंदिरा आवास भेज दिए। पहले उनको यह याद नहीं आया, जब सरकार चल रही थी, एक छोटा सा प्रखंड बंडरिया है, गढ़वा जिले में, वहां 6,500 इंदिरा आवास दिए गए। आज वहां के सांसद को नहीं बुलाया गया, लेकिन जो निलंबित विधानसभा है, उसका विधायक आज 6,500 इंदिरा आवास वहां जाकर बांट रहा है और कह रहा है कि यह मैं लाया हूं, यह मेरा काम है।

मैं आदरणीय शिंदे जी से कहना चाहता हूं, मैं एक भी बात ऐसी नहीं कहूंगा, जो बात सही न हो। मैं आज की बात बता रहा हूं। अभी मुझे कौन आया कि निलंबित विधान सभा का एक विधायक है, वह वहां जा नहीं सकता, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, वह राज्यपाल को चिट्ठी लिखता है। एक आदिवासी मेला लगता था, मैं ही उस आदिवासी मेले को लगाता था, इसमें वहां के डी.डी.सी. का कोई हाथ नहीं था। उस पर वह खुश नहीं थे, कुछ कारण रहे होंगे, उन्होंने लिखा कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया डी.डी.सी. ने, उस डी.डी.सी. का तीन महीने के अंदर स्थानांतरण हो गया और उसे वहां पर बुला लिया गया। इसलिए कि एक निलंबित विधायक उन पर नाराज है। माननीय गृह मंत्री जी. यह अगर संदेश जाएगा, तो इसे राष्ट्रपति शासन कौन कहेगा?

मैं मानता हूं कि 12 सालों के बाद भी कांग्रेस को शासन को अवसर नहीं मिला है, लेकिन यह जो चिता पर रोटी सेंकने के बराबर होगा, अगर राष्ट्रपति शासन को आप कांग्रेस का शासन बना दें। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण आपको बता सकता हूं। मेरे अपने क्षेत्र लातेहार में, चतरा में पांच हजार इंदिरा आवास दिए गए, लेकिन मुझे सूचना नहीं है। कम से कम मुझे सूचना तो दे दी जाती, क्योंकि मैं उस एरिया का सांसद हूं। इसे वैसे लोगों के हाथों से बंटवाया जा रहा है, जिनके बांटने का कोई अधिकार नहीं है। *को पता नहीं किसने सिखा दिया, वह विधिवत समय देकर और पूरी पब्लिक मीटिंग करके यह बता रहे हैं और...* कि यह काम इनकी मर्जी से और इनकी कृपा से हो रहा है।

अगर यह राष्ट्रपति शासन का मतलब है तो मैं समझता हूं कि संविधान की धारा 356 पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा और मुझे आप पर विश्वास है कि जो प्रश्न मैंने उठाए हैं, आप उनकी जांच करें, और अगर हो पाये तो आप राज्यपाल महोदय को हिदायत भी दें, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात ज्यादा न हो, अति न हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी झारखंड के बजट के दौरान अवसर मिलेगा। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : आप बजट पर बोलिएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय के भाषण के बाद, आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। इन्हें उत्तर दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय मैं यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सात सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। इसलिए, हम चर्चा को यहां पर समाप्त कर रहे हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: सर, दो मिनट का समय दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदया इस उत्तर के पश्चात, निशिकांत दुबे जी आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं सभी सभा सदस्यों का बहुत आभारी हूं। हम तो कभी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहते थे। कभी-कभी ऐसी दुर्दय घटना होती है। इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? ये कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लाया, हमने तो इसे नहीं लाया। बहुत से सदस्यों ने यहां जो कहा मैं उनका आभारी हूं। ये राष्ट्रपति शासन अपने खुद के कृतित्व से आपने लाया है। यह भी समझना चाहिए। पांडे जी कह रहे थे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उस विभाग के प्रश्नों के लिए वे हमेशा झगड़ते रहे हैं मैं भी उनकी मदद करते रहा हूं, चाहे वे विरोधी दल हों। इस सभागृह में हम लोग बहुत लोगों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के कुलीग हैं। कभी हम उधर रहते हैं तो कभी वे इधर रहते हैं। लेकिन हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि वहां विरोधी दल के लोग बैठते हैं। यह भूल जाते हैं कि हमारी टीका-टिप्पणी किस सीमा तक रहनी चाहिए। एक महोदय ने कहा कि जब राष्ट्रपति महोदय पर टीका-टिप्पणी करते हैं तो एक मर्यादा तक रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं इसे समझ सकता हूं कि हमारे जो कांस्टिच्यूशनल प्रोविजन्स हैं, उनमें रहकर हमें टीका-टिप्पणी करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं। झारखंड में मैंने इसलिए दुर्दैव कह दिया कि वर्ष 2009 में चुनाव हो गए। किसी का सहारा लेकर कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। वहां की सरकार ने इस्तीफा दे दिया वहां राष्ट्रपति शासन आ गया। हमने यह नहीं सोचा कि कांग्रेस की सरकार गई है तो वहां परमानेंटली राष्ट्रपति शासन लगाओ। तीन महीने के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी और जे.एम.एम.एम. साथ में आकर मिले कि हम सरकार स्थापित करना चाहते हैं तो तुरंत परमिशन दे दी गई। उस वक्त कुछ रुकाव लाया?...*(व्यवधान)* उस वक्त बिल्कुल रुकाव नहीं लाया। लेकिन जब अपने खुद ही गिरते हैं तो कांग्रेस क्या कर सकती है? हमने थोड़ी बोला था कि सरकार गिराएं। आप भारत सरकार को देखिए, डा. मनमोहन सिंह पर कितने संकट आते हैं, कितनी टीका-टिप्पणी होती है, फिर भी तैयार हैं। हम इतनी कोलिशन संभालने को तैयार हैं, बी.जे.पी. को इसे समझना चाहिए। कोलिशन सरकार चलाना भी एक कला होती है।...**(व्यवधान)**

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: बाजपेयी जी से सीखना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे: जरूर। वे भी अच्छे थे, वे भी अच्छी सरकार चलाते थे। लेकिन आपने ठीक से नहीं किया। आप दोबारा अपनी सरकार क्यों नहीं लाए।...*(व्यवधान)* मैं क्या बोलूं। हिमाचल में थे, लेकिन वहां भी गंवा दी।...*(व्यवधान)* मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यंगस्टर हैं, नए मैम्बर हैं, मैं सहयोग देता हूं।

मैं इतना ही कहूंगा कि आपके मन में इस प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए कि हम वहां कांग्रेस की सरकार चलाना चाहते हैं। मैंने स्पैसीकिफकली कहा, श्री अजय कुमार, आई.पी.एस. अधिकारी रिजाइन करके सदस्य बन गए। गृह मंत्री जी ने कहा कि मर्यादित समय पर ये सरकार ला सकते हैं। मैं उनका आभारी हूं। टीका-टिप्पणी भी जरूर की, लेकिन वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं बताया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसमें खुशी नहीं है कि यह लम्बे समय तक चले। प्रजातंत्र में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि बहुत जगह ऐसा हुआ। जब तक मौका नहीं मिलता तब तक इस तरह होता है। इस बार भी राज्यपाल जी ने तीन दिन तक प्रयास किया कि क्या कोई सरकार बनाएगा। उन्होंने कांग्रेस से भी पूछा। कांग्रेस ने कहा कि हमं सरकार नहीं बनानी है, हम सम्मिलित नहीं होना चाहते। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। कान्सटीटयूशन में जब तक मेजॉरिटी नहीं होती तब तक सरकार नहीं बना सकते। इसमें और मौका देने के लिए एक रास्ता खुला है। जब तक राष्ट्रपति शासन है, तब तक और सरकार बनाएं। आपको किसी ने मना नहीं किया, आप सरकार बना सकते हैं। आइये, सरकार बनाइए, वहां बैठिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आदिवासी पिछड़ा समाज है उन्हें प्रोटैक्शन देना आपका, हमारा सबका कर्तव्य है। उनकी जमीन के बारे में यहां जिस तरह चर्चा हुई, मैं समझता हूं कि सरकार जरूर एलर्ट रहेंगी लेकिन सदन को भी एलर्ट रहना है। उन बेचारों की आवाज यहां तक ज्यादा नहीं आती, इसलिए उन्हें ज्यादा ताकत देना हमारा कर्तव्य होता है।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहां बजट पर चर्चा होनी है। मैं सदन से विनती करूंगा कि इस रेजोल्यूशन को मान्य कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: आदरणीय शिंदे साहब, आप रवीन्द्र पांडेय साहब पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: मेरा प्रश्न है इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। यह मानसिकता दिखाई देती है। गवर्नर रूल में लगातार एडवर्टाइजमैंट हो रहा है। आपको पहली बार दिखाई देगा कि टेलीविजन चैनल का किस तरह से वहां के...* कर रहे हैं। नामधारी जी कह रहे थे कि वहां...* बन गया है तो कोई गलत नहीं कह रहे थे। गवर्नर अपनी पब्लिसिटी नहीं करता। मेरा सवाल है कि वहां संथाल-परगना टेनेंसी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है। अर्जुन मुंडा जी पर गलत आरोप है और डोमीसाइल है जिसके कारण हाई कोर्ट का आदेश है कि डोमीसाइल पूरे देश का होता है, पूरे राज्य का नहीं होता। दो चीजें हैं, आप झारखंड को किस तरह लूटने का प्रयास कर रहे हैं। एक, पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण झारखंड में नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं रोका था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव हुए। आप यहां हमारे छः हजार करोड़ रुपये बकाया है। दूसरा, पेंशन है। संयोग से वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 03.00 बजे

सभापति महोदय, यह बड़ी इम्पोर्टैंट बात है। वर्ष 1956 के बाद से जितने भी राज्य बने हैं, जब राज्यों में पापुलेशन के आधार पर पैंशन का बंटवारा हुआ है चाहे किसी भी राज्य का हो। हमारे यहां आप कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कर रहे हैं। इससे 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान झारखंड को हो रहा है। मेरे आपसे केवल दो प्रश्न हैं कि पंचायत चुनाव के बाद जो हमारा 6 हजार करोड़ रुपया बकाया है, वह आप देना चाहते हैं या नहीं? दूसरा, पैंशन में जनसंख्या के आधार पर जो नियम पूरे देश भर में लागू है, वह नियम आप हमारे यहां क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इसमें केन्द्र सरकार को क्या समस्या है या झारखंड को कैसे आप बर्बाद नहीं होने देना चाहेंगे, इसका जवाब आप झारखंड की जनता को दीजिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: माननीय सदस्य का जो पहला सवाल है, उसकी इन्फोर्मेशन लेने के बाद ही मैं उन्हें उसकी मालूमात दे सकता हूं।

[अनुवाद]

वह यह प्रश्न मुझसे अंतिम समय में पूछ रहे हैं और, इसलिए, मैं आपको उत्तर देने में असमर्थ हूं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : वह इसे बजट चर्चा में उठा सकते हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: दूसरा प्रश्न जो कि उन्होंने उठाया है, के संबंध में वित्त मंत्री यहां पर हैं और इसका उत्तर उन्हें वित्त मंत्री जी से मिलेगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा झारखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत 18 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.02 बजे

सामान्य बजट (2013-14) - सामान्य चर्चा लेखानुदान की मांगें (सामान्य), 2013-14 अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 2012-13 अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2010-11

सभापति महोदय: सभा अब मद संख्या 28, 29 30 और 31 को एक साथ लेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1 से 34, 36, 37, 39 से 64, 66 से 76, 78, 79 और 81 से 106 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ-3 में दिखाई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

"कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 1 से 4-7, 9 से 17, 19 से 21, 30 से 33, 35, 40, 45 से 50, 52 से 55, 58 से 61, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 77, 81, 84, 85, 87 से 91, 93, 95 से 97 10 से 102 और 104 से 106" के संबंध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 33 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाय।"

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 11,

13, 21, 22, 23, 27, 31, 72, 101 और 102"के संबंध में 31 मार्च, 2011 समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

वर्ष 2013-14 के लिये लोकसभा में मतदान के लिये प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगें - बजट सामान्य

मांग संख्या और नाम		14 मार्च, 2013 को सभा में मतदानके लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि		सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.	राजस्व रु.	पूंजी रु.
1		2	3	4	5
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	4155,22,00,000	9,86,00,000	17719,12,00,000	49,30,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	941,53,00,000		4787,64,00,000	
3.	पशुपालन डेयरी उत्पादन	422,40,00,000	4,46,00,000	2112,07,00,000	22,28,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
4.	परमाणु ऊर्जा	1187,54,00,000	722,02,00,000	5448,81,00,000	3389,27,00,000
5.	परमाणु विद्युत योजनायें	657,19,00,000	49,61,00,000	3285,96,00,000	248,06,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	1055,49,00,000	1,67,00,000	277,49,00,000	8,36,00,000
7.	उर्वरक विभाग	22000,00,00,000	42,25,00,000	48629,72,00,000	211,23,00,000
8.	भेजष विभाग	33,11,00,000	4,95,00,000	165,52,00,000	24,75,00,000
नागर विमानन मंत्रालय					
9.	नागर विमानन मंत्रालय	142,07,00,000	838,30,00,000	710,35,00,000	4,91,50,00,000
कोयला मंत्रालय					
10.	कोयला मंत्रालय	82,95,00,000	8,33,00,000	414,75,00,000	41,67,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
11.	वाणिज्य विभाग	730,63,00,000	168,83,00,000	3653,14,00,000	844,17,00,000
12.	औद्योगिक नीति और संवर्धन	235,55,00,000	50,50,00,000	1177,74,00,000	252,50,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
13.	डाक विभाग	2812,66,00,000	72,22,00,000	14063,31,00,000	361,09,00,000

1		2	3	4	5
14.	दूरसंचार विभाग	2032,14,00,000	418,38,00,000	10160,72,00,000	2091,90,00,000
15.	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	478,75,00,000	29,92,00,000	2392,75,00,000	149,58,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
16.	उपभोक्ता मामलें विभाग	97,16,00,000	3,29,00,000	485,79,00,000	16,46,00,000
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	19651,07,00,000	1773,59,00,000	71434.70,00,000	8867,94,00,000
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	40,04,00,000	4,99,00,000	186,32,00,000	24,93,00,000
संस्कृति मंत्रालय					
19.	संस्कृति मंत्रालय	337,17,00,000	6,50,00,000	1685,83,00,000	32,50,00,000
रक्षा मंत्रालय					
20.	रक्षा मंत्रालय	3592,19,00,000	306,40,00,000	11862,94,00,000	1532,00,00,000
21.	रक्षा पेंशन	7416,55,00,000		37082,76,00,000	
22.	रक्षा सेवायें-सेना	14265,34,00,000		69622,99,00,000	
23.	रक्षा सेवायें नौसेना	2063,57,00,000		10317,86,00,000	
24.	रक्षा सेवायें - वायुसेना	3149,44,00,000		15747,22,00,000	
25.	रक्षा आयुध कारखाने	1709,27,00,000		-	
26.	रक्षा सेवायें - अनुसंधान और विकास	9,32,83,00,000		4664,13,00,000	
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत गुणवत्ता		18921,25,00,000		67764,04,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय					
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	308,00,00,000	58,83,00,000	1539,97,00,000	294,17,00,000
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय					
29.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	2544,28,00,000		12721,42,00,000	
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
30.	पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय	203,09,00,000	33,52,00,000	1289,43,00,000	167,59,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
31.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	469,02,00,000	11,51,00,000	2346,61,00,000	57,56,00,000

1		2	3	4	5
विदेश मंत्रालय					
32.	विदेश मंत्रालय	2501,60,00,000	361,25,00,000	7448,87,00,000	1407,25,00,000
वित्त मंत्रालय					
33.	आर्थिक कार्य विभाग	1477,52,00,000	57715,14,00,000	7387,60,00,000	8693,75,00,000
34.	वित्तीय सेवायें विभाग	1244,83,00,000	4983,40,00,000	6224,16,00,000	24917,00,00,000
36.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण	17923,66,00,000	...	83958,34,00,000	--
37.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि		37,50,00,000	...	187,50,00,000
39.	व्यय विभाग	23,35,00,000	...	116,77,00,000	
40.	पेंशन	3492,33,00,000	...	17461,67,00,000	
41.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेख विभाग	449,48,00,000	1,67,00,000	2247,37,00,000	8,33,00,000
42.	राज्य विभाग	1686,20,00,000	16,79,00,000	8430,97,00,000	83,92,00,000
43.	प्रत्यक्ष कर	628,65,00,000	356,35,00,000	3143,26,00,000	233,63,00,000
44.	अप्रत्यक्ष कर	638,29,00,000	24,88,00,000	3191,46,00,000	124,37,00,000
45.	विनिवेश विभाग	10,54,00,000		52,70,00,000	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
46.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	119,85,00,000		599,26,00,000	
स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
47.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	5502,05,00,000	477,11,00,000	27510,22,00,000	2385,56,00,000
48.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमयोपैथी (आयुष) विभाग	208,20,00,000	1,57,00,000	1041,40,00,000	7,83,00,000
49.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	168,00,00,000	...	840,00,00,000	
50.	एड्स नियंन्त्रण विभाग	295,00,00,000	2,50,00,000	1475,00,00,000	12,50,00,000
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय					
51.	भारी उद्योग विभाग	76,82,00,000	94,59,00,000	384,59,00,000	472,97,00,000
52.	लोक उद्यम विभाग	3,23,00,000		16,16,00,000	

1		2		3	
गृह मंत्रालय					
53.	गृह मंत्रालय	351,60,00,00	37,55,00,000	1756,91,00,000	27,80,00,000
54.	मंत्रिमण्डल	67,17,00,000		335,83,00,000	
55.	पुलिस	7480,74,00,000	1632,38,00,000	35906,25,00,000	7472,58,00,000
56.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	328,19,00,000	16,82,00,000	1640,92,00,000	7921,00,000
57.	संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	377,13,00,000	12,00,00,000	885,66,00,000	60,00,00,000
आवास और शहरी ग़रीबी उपशमन मंत्रालय					
58.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	244,67,00,000		1223,35,00,000	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
59.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	24666,79,00,000		52463,21,00,000	
60.	उच्च शिक्षा विभाग	4458,33,00,000		22291,67,00,000	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय					
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	502,72,000	4,80,00,000	2504,13,00,000	24,00,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
62.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	875,79,00,000	3,24,00,000	4379,15,00,000	16,17,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय					
63.	निर्वाचन आयोग	11,25,00,000	17,00,000	56,25,00,000	83,00,000
64.	विधि और न्याय	300,91,00,000	1,67,00,000	1504,54,00,000	8,35,00,000
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय					
66.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	535,15,00,000	13,13,00,000	2675,76,00,000	65,67,00,000
खान मंत्रालय					
67.	खान मंत्रालय	124.08,000	137,05,00,000	620,42,00,000	109,48,00,000
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय					
68.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	566,50,00,000	20,00,00,000	2842,48,00,000	100,00,00,000
नवीन और नवीकरणलीय ऊर्जा मंत्रालय					
69.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	239,01,00,000	16,58,00,000	1195,04,00,000	82,92,00,000

1		2	3	4	5
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय					
70.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	15,97,00,000	3,33,00,000	79,82,00,000	16,67,00,000
पंचायती राज मंत्रालय					
71.	पंजायती राज मंत्रालय	1166,76,00,000	-	5833,92,00,000	
संसदीय कार्य मंत्रालय					
72.	संसदीय कार्य मंत्रालय	2,21,00,000		11,07,00,000	
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
73.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	149,18,00,000	20,85,00,000	720,72,00,000	104,22,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
74.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10864,57,00,000	17,00,000	54322,84,00,000	83,00,000
योजना मंत्रालय					
75.	योजना मंत्रालय	1196,92,00,000	150,00,00,000	5984,59,00,000	750,00,00,000
विद्युत मंत्रालय					
76.	विद्युत मंत्रालय	1001,59,00,000	463,01,00,000	7044,26,00,000	2315,04,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय					
78.	लोक सभा	89,19,00,000		445,92,00,000	
79.	राज्य सभा	50,06,00,000		250,31,00,000	
81.	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	63,00,000		3,12,00,000	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
82.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2765,35,00,000	5377,19,00,000	13826,73,00,000	26886,96,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय					
83.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	24384,13,00,000		88920,72,00,000	
84.	ग्रामीण विकास विभाग	962,14,00,000		4810,71,00,00	
भू-संसाधन विभाग					
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	4,78,70,00,000	3,86,00,000	2693,52,00,000	1929,00,000
86.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	593,55,00,0000	1,62,00,000	2967,75,00,000	8,08,00,000

1		2	3	4	5
87.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग जैव प्रौद्योगिकी विभाग	250,34,00,000		1251,72,00,000	
पोत परिवहन, मंत्रालय					
88.	पोत परिवहन मंत्रालय	232.05,00,000	86,40,00,000	1160,23,00,000	571,99,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1065,20,00,000	50,83,00,000	5355,12,00,000	254,17,00,000
अंतरिक्ष्ज्ञ विभाग					
90.	अंतरिक्ष विभाग	508,70,00,000	623,16,00,000	2543,49,00,000	3115,79,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1129,09,00,000	2,69,00,0000	3806,44,00,000	13,46,00,000
इस्पात मंत्रालय					
92.	इस्पात मंत्रालय	19,83,00,000		99,14,00,000	
वस्त्र मंत्रालय					
93.	वस्त्र मंत्रालय	912,48,00,000		4511,44,00,000	7,67,00,000
पर्यटन मंत्रालय					
94.	पर्यटन मंत्रालय	225,88,00,000	33,00,000	1129,42.00,000	1,67,00,000
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
95.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	73,95,00,000	11,67,00,000	369,76,00,000	58,33,00,000
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमण्डल रहित)					
96.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	438,62,00,000	111,95,00,000	2193,07,00,000	559,77,00,000
97.	चण्डीगढ़	487,09,00,000	91,52,00,000	2435,42,00,000	457,60,00,000
98.	दादरा और नगर हवेली	93,01,00,000	41,14,00,000	465,04,00,000	205,67,00,000
99.	दमण और दीव	198,79,00,000	61,13,00,000	993,97,00,000	305,67,00,000
100.	लक्षद्वीप	129,74,00,000	41,05,00,000	648,69,00,000	205,25,00,000
शहरी विकास मंत्रालय					
101.	शहरी विकास विभाग	213,55,00,000	1266,51,00,000	1067,74,00,000	5678,56,00,000

1		2	3	4	5
102.	लोक निर्माण	244,92,00,000	93,04,00,000	1224,57,00,000	465,21,00,000
103.	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	43,34,00,000	18,00,000	216,72,00,000	92,00,000
जल संसाधन मंत्रालय					
104.	जल संसाधन मंत्रालय	317,02,00,000	32,76,00,000	1585,08,00,000	163,79,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	3405,00,00,000		17035,00,00,000	
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय					
106.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	202,08,00,000	15,00,000	1016,02,00,000	75,00,000
कुल राजस्व/पूंजी		225239,53,00,000	98043,86,00,000	897822,51,00,000	179391,83,00,000

वर्ष 2012-13 के लिए लोक सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या और नाम		सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.
1		2	3
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2,00,000	...
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3,00,000	...
3.	पशु पालन, डेयरी उत्पादन और मत्स्यकी	3,00,000	
4.	परमाणु ऊर्जा	2,00,00	2,00,00
7.	उर्वरक विभाग	4997,94,00,000	...
9.	नागर विमानन मंत्रालय	96,60,00,000	...
10.	कोयला मंत्रालय	1,00,000	214,95,00,000
11.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	...
12.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	1,00,000	
13.	डाक विभाग	940,87,00,000	
14.	दूर संचार विभाग	...	80,64,00,000
15.	इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	

1		2	3
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	2,00,000	...
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9942,44,00,000	...
19.	संस्कृति मंत्रालय	3,17,00,000	...
20.	रक्षा मंत्रालय	2,00,000	1,00,000
21.	रक्षा पेंशन	499,44,00,000	...
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	3,00,000	10,49,00,000
31.	विदेश मंत्रालय	665,00,00,000	1,00,000
32.	आर्थिक कार्य विभाग	2,00,000	1,00,000
33.	वित्तीय सेवाये विभाग	1,00,000	...
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	213,55,00,000	...
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	81,89,00,000	
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	5,00,000	1,00,000
47.	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयूष)	3,00,000	
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2,00,00	
49.	एड्स नियंन्त्रण विभाग	59,56,00,000	
50.	भारी उद्योग विभाग	5,70,00,000	
52.	गृह मंत्रालय	1,00,000	4,25,00,000
53.	मंत्रिमण्डल	214,01,00,000	1,00,000
54.	पुलिस	12,74,00,000	2,00,000
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	3,00,000	...
58.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	3,00,000	...
59.	उच्च शिक्षा विभाग	5,00,000	...
60.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	112,09,00,000	...
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2,00,000	...

1		2	3
65.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1,00,000	...
66.	खान मंत्रालय	31,08,00,0000	1,00,000
70.	पंचायती राज मंत्रालय	2,00,000	...
71.	संसदीय कार्य मंत्रालय	43,00,000	...
73.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	24773,77,00,000	480,50,00,000
75.	विद्युत मंत्रालय	90,21,00,000	1031,81,00,000
77.	लोक सभा	6,00,00,000	...
81.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	...	1,00,000
84.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	1,00,000	...
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	...
87.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	...
88.	पोत परिवहन मंत्रालय	3,00,000	10,01,00,000
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	...
90.	अंतरिक्ष विभाग	1,00,000	...
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	...
93.	वस्त्र मंत्रालय	4,00,000	63,33,00,000
95.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	1,00,000	...
96.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,00,000	...
97.	चण्डीगढ़	289,52,00,000	1,00,000
100.	लक्षद्वीप	37,31,00,000	...
101.	शहरी विकास विभाग	...	2,00,000
102.	लोक निर्माण	...	1,00,000
104.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	1,00,000
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1,00,000	...
106.	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	2,00,000	...
	कुल	**43074,05,00,000**	**1896,14,00,000**

वर्ष 2010-11 के लिए लोक सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या और मांगों के नाम		सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.
11.	वाणिज्य विभाग	...	6,56,75,990
13	डाक विभाग	366,63,29,167	...
21.	रक्षा पेंशन	3336,30,72,983	...
22.	रक्षा सेवायें - सेना	2864,01,52,379	...
23.	रक्षा सेवायें - नौसेना	138,84,60,256	...
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	1235,31,94,576
31.	विदेश मंत्रालय	6,32,33,514	26,97,65,506
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	...	14,000
101.	लोक निर्माण	7,79,95,991	...
102.	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	...	1,85,941
	कुल	**6719,92,44,290**	**1268,88,36,013**

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 के सामान्य बजट के संबंध में आपने मुझे चर्चा करने के लिए समय दिया है। संबसे पहले मैं वित्त मंत्री महोदय के साहस को दाद देना चाहता हूं। उन्होंने ऐसे समय में वित्त मंत्री बनना स्वीकार किया, जबकि उनकी सरकार ने पिछले आठ-नौ सालों में अर्थव्यवस्था को बिल्कुल 1990 और 1991 की स्थिति में पहुंचा दिया। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है और हम वर्ष 1990 और 91 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि उन्होंने इस कार्य को, इस दायित्व को जब स्वीकार किया, तो चुनौतियों और समस्याओं की पूरी गंभीरता को समझकर ही किया होगा। मैं मानता हूं ऐसी स्थिति में उनका जो बजट भाषण था, उसमें वह साहस या उनके अंदर की ऊर्जा मुझे दिखाई नहीं दी, जो ऐसी स्थिति में किसी वित्त मंत्री के भाषण में होनी चाहिए। इसमें परिस्थिति का वर्णन है। अगर इजाजत दें तो कहें कि परिस्थितियों का रोना है कि हाय, यह हो गया. हमारा एक्सपोर्ट गड़बड़ा गया, हमारे यहां बजट का घाटा बढ़ता चला गया, करंट अकाउंट डेफीसिट बहुत बढ़ गया। दुनिया में जो कुछ आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयां आयी थीं, ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, उसका हम पर प्रभाव पड़ गया। लेकिन हम उठ खड़े हो गये। यह बात तो ठीक है कि उठकर तो खड़ा होना ही है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भारत उठ खड़ा होगा, इसकी आर्थिक स्थिति उठ खड़ी होगी, लेकिन तब उस तरफ हम होंगे और इस तरफ आप। उस स्थिति को उठाना तो है, वह तो भारत की जनता इस स्थिति को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी जो आज है। मैं कुछ आपके प्रस्तावों पर, हो सकता है कि कुछ तीखी आलोचना करूं।

अपराह्न: 3:05 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

आप तिरुक्कुरल के बहुत प्रशंसक हैं। उसका अक्सर आप उल्लेख करते हैं। मैं वैसे तो तमिल भाषी नहीं हूं। लेकिन मैं तिरुक्कुरल के एक बहुत अच्छे पवित्र वाक्य को बोलने की कोशिश करता हूं।

[अनुवाद]

"सेविकैप्पाच्च सोरपोरुक्कुम पंबुदाई बेंधान
कवीकैक कीलभांगम उलाहू।"

[हिन्दी]

इसका अंग्रेजी भाषांतर है -

[अनुवाद]

"उस गुणवान उस शासक को जो सार्थक यद्यपि कि कड़ी आलोचना को धैर्य एवं शांति के साथ स्वीकार करता है उसे उसका बुद्धिमत्तापूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

"मैं आशा करता हूं कि आप बहुत धैर्य के साथ उन बातों को सुनेंगे और उसमें से जो भी आपको वाइज सजेशंस लगें, उन्हें आप स्वीकार भी करेंगे क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गयी और इसी हालत में चलती रही, तो यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वित्त मंत्री आप थे उसका नुकसान तो हम सबको उठाना पड़ रहा है। इसलिए मेरी आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना है कि इस मामले को आप बड़ी गंभीरता से लें। यदि आप इजाजत दें, तो में कहना चाहूंगा कि आप जिन सूत्रों का, जन सिद्धान्तों का अभी तक पालन करते रहे हैं, वाशिंगठन कांसेंसस के जिन सूत्रों को आप यहां लागू करते रहे हैं, अच्छा होगा कि आप बजाय वाशिंगटन कांसेंसस के दिल्ली कांसेंसस बनाएं, भारत के लोगों के साथ आम सहमति बनाएं, भारत की सभी पार्टियों के साथ आम सहमति बनाएं, भारत की गरीब जनता के साथ आमसहमति बनाएं, यहां के किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, गरीब नौजवानों से, मध्य-वित्त परिवारों से आमसहमतिबनाएं। यदि ऐसी कोई दिल्ली कांसेंसस आप बनाएंगे, तो मैं समझता हूं आप एक अच्छी दिशा में देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने के लिए याद किए जाएंगे। मगर यह मेरी सदिच्छा ही हो सकती है। मेरा आज तक का तजुर्बा यह है कि किसी अच्छी बात पर आम सहमति बनाने के लिए आप लोग नहीं तैयार होते हैं। यह आपकी इच्छा है, आपका अपना विचार है। लेकिन, जब भी मुझे सभापति महोदय ने बोलने का अवसर दिया है, मैं बार-बार आर्थिक मामलों के बारे में कहता रहा हूं कि यह केवल एक पार्टी का मामला नहीं है, यह सारे देश का सवाल है। एक सौ बीस करोड़ से अधिक लोगों के जीवन का सवाल है। उन छोटे दूधमुंहे नन्हें बच्चों के जीवन का सवाल है, जिनके पास आज पढ़ाई की सुविधा नहीं है, दवाई की सुविधा नहीं है। इसलिए इसे आप एक महत्वपूर्ण विषय मानकर, मैं समझता हूं, आगे विचार करेंगे। आप कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है,

[अनुवाद]

"उच्च-विकास जिससे समावेशी एवं स्थायी विकास हो।"

[हिन्दी]

इसे आपने मूल मंत्र बनाया है। अर्थात् आप कहते हैं कि ग्रोथ-इन-इक्विटी। ये आपका मूल मंत्र है। ग्रोथ का मतलब क्या? आपने आगे स्टिग्लिट्ज, अमर्त्य सेन और फितुशी की रिपोर्ट को पढ़ा। जब यूरोप में मेल्टडाउन हुआ, तब फ्रांस के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष सरकोजी को यह समझ में आया कि हो क्या रहा है? प्रगति-प्रगति, ग्रोथ-ग्रोथ। लेकिन, यहां तो दुनिया बिगड़ रही है, उलट गया है मामला।

[अनुवाद]

कल्याण नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, जिसके सदस्य थे अमर्त्य सेन, जो एशिया और गरीब देशों की अर्थव्यवस्था के बहुत ही गहराई से जानने वाले अर्थशास्त्री थे, उसमें थे स्टिग्लिट्ज, जिनका आपने उद्धरण दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नोबल पुरस्कार प्राप्त थे। उसमें दो व्यक्ति नोबल लॉरिएट थे और तीसरे फितुशी थे, जो यूरोपियन अर्थव्यवस्था के बहुत ही प्रकाण्ड विद्वान थे। ये बहुत ही ग्लोबल स्तर के व्यक्ति थे, उन्हें भी कभी भी नोबल पुरस्कार मिल सकता है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट की एक एक्जिक्यूटिव समरी भी है, रिपोर्ट बहुत बड़ी है। उस समरी का नाम है-

[अनुवाद]

"हमारे जीवन का गलत मापन - जी.डी.पी. से क्यों नहीं कुछ सुधार होता है।"

[हिन्दी]

हमारे जीवन की समस्त आर्थिक गतिविधियों का ठीक ढंग से मापन नहीं हो रहा है।

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

[अनुवाद]

मूल प्रश्न अर्थव्यवस्था में आप पद्धति का है - संकेतक, मानदंड एवं विशेषकर जी.डी.पी.।

[हिन्दी]

क्या डी.जी.पी. का बढ़ जाना, यह वास्तव में लोगों के जीवन स्तर को सुधरा हुआ बताता है? क्या जीवन स्तर की जो वास्तविकताएं हैं, ये सब जी.डी.पी. में प्रतिबिम्बित होती है? यह केवल एक इंडैक्स हो सकता है, लेकिन समग्र जीवन को जिसे आप कहते हैं, समावेशी एवं स्थायी विकास उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं होता है। इसलिए आपका आग्रह है जी.डी.पी. ग्रोथ बढ़ाने पर, क्योंकि मैंने आपके बजट को पढ़ा। इसमें ग्रोथ के साथ-साथ आपका अर्थ केवल जी.डी.पी. निकलात है। जी.डी.पी. के अलावा भी कोई ग्रोथ का इंडिकेटर है, मॉनिटर है, उसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में देश में गम्भीरता से बहस होनी चाहिए। दुनिया में हो रही है, हमारे देश में भी होनी चाहिए कि क्या वास्तव में जनता की आर्थिक, भौतिक उन्नति का एकमात्र पैरामीटर, एकमात्रह इंडिकेटर, एकमात्र सूचकांक केवल सकल घरेलू उत्पाद है। क्या यह सारे जीवन को प्रतिबिम्बित करता है? क्या इसके अलावा और चीजें नहीं हैं? इसलिए जब आप कहते हैं हायर ग्रोथ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ तो कैंसर में भी होती है, बड़े-बड़े टयूमर्स होते हैं। थायरायड में भी ग्रोथ होती है। फिर उसे आप कहें कि उस ग्रोथ को अब इक्वीटेबली बांट दिया जाए। क्या यह सम्भव है? क्या उसका मतलब है, ग्रोथ का मतलब क्या है?

[अनुवाद]

क्या यह बिना रोजगार का विकास है, इस विकास में स्वास्थ्य नहीं है, इसमें शिक्षा नहीं है, यह विकास सुरक्षा, चाहे भौतिक का अन्य कुछ, से मुक्त नहीं है,

[हिन्दी]

उसका मतलब क्या है?

[अनुवाद]

खुशी, संतोष, आनंद, अवकाश,

[हिन्दी]

यह सब कहीं जी.डी.पी. में रिफलेक्ट नहीं होता। लेकिन मानव जीवन के विकास के लिए डी.जी.पी.ह अकेली ही कोई बात नहीं होती। ग्रोथ, समूचे समाज की ग्रोथ, सभ्यता की ग्रोथ, संस्कृति की ग्रोथ, जब तक ग्रोथ आल इंक्लुसिव नहीं होगी, जब तक ग्रोथ के अंदर जीवन के उत्थान के जितने भी सूचकांक हैं वे सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक ग्रोथ केवल हवा में या अंधकार में सीटी बजाने की तरह है। इसका कोई यथार्थ, भौतिक मतलब नहीं होगा। यह केवल एक आंकड़ों का भ्रमजाल है। आप देखेंगेह कि उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मनुष्य की उन्नति, समाज की उन्नति, विश्व की उन्नति जानने के लिए कितने जटिल प्रकार के पैरामीटर नापने होंगे और उसकी तरफ विश्व को बढ़ना चाहिए, अगर सही मायनों में आप कोई आर्थिक सुधार करना चाहते हैं। लेकिन आप तो वाशिंगटन कांसेंसेस से बंधे हुए हैं। उससे एक इंच इधर भी नहीं जायेंगे, एक इंच उधर भी नहीं जाएंगे। उनका मूल मंत्र है वह कर दो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, सीधी सी बात है। लेकिन वही स्टिग्लिट्ज, जिसको आपने उद्धृत किया है, वह क्या कहते हैं, उन्हें जरा देखिए।

[अनुवाद]

"विकास की तरह वैश्वीकरण अपरिहार्य नहीं है यद्यपि इसके पीछे मजबूत मूलभूत राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियां हैं। अधिक ांश मापकों के अनुसार प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच वैश्वीकरण की गति एवं सीमा मन्द हो गयी थी और प्रतिकूल दिशा में भी चली थी। उदाहरण के लिये, जी.डी.पी. की प्रतिशतता के रूप में व्यापार का मापन वास्तव में घटा है। यदि वैश्वीकरण से देश के अनेक या अधिकांश नागरिकों का जीवन स्तर निम्न होता है और यदि इसके लिये मूलभूत सांस्कृतिक मूल्यों से समझौता किया जाता है तो इसे मंद करने या रोकने की राजनीतिक मांग होगी।

माननीय वित्तमंत्री जी मुझे आपके पूरे बजट के वक्तव्य में कहीं भी संस्कृति या मूल्यों का कोई उल्लेख नहीं है। यह संस्कृति से शून्य है। यह केवल खोखला वक्तव्य है, सरकार की आय एवं व्यय का खोखला संतुलन है जिसे कोई भी सनदी लेखाकार कर सकता है। तथा, इसलिये मेरा आपको अत्यंत विनम्र सुझाव है कि कृपया सनदी लेखाकार की भूमिका से ऊपर उठिये और वित्त मंत्री बनने का प्रयास करें क्योंकि केवल बजट ही नहीं है।

[हिन्दी]

आपने क्या किया है, मैं उस बारे में भी आपसे आगे चर्चा करूंगा। स्टिग्लिट्ज और भी आगे कुछ कहते है। आप तो फ्री

मार्केट और केपिटलिज्म के पुरोधा हैं और स्टिग्लिट्ज कोक कोट कर रहे हैं। स्टिग्लिट्ज कहते हैं,

[अनुवाद]

"एक धारणा यह भी बन रही है कि केवल एक ही प्रकार का पूंजीवाद नहीं है, अर्थव्यवस्था को चलाने का एक ही सही तरीका नहीं है। उदाहरण के लिये, बाजार अर्थव्यवस्था के अन्य रूप हैं जैसे कि स्वीडन में जहां अत्यंत विकास हुआ है जिससे अत्यंत भिन्न समाजों में बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध हुई है एवं असमानता कम है। स्वीडन की व्यवस्था अन्य कहीं कार्य नहीं कर सकती है यह किसी विशेष विकासशील देश के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती है लेकिन इसकी सफलता दर्शाती है कि रक्षात्मक बाजार अर्थव्यवस्था के वैकल्पिक रूप उपलब्ध हैं।

मुझे खुशी हुई थी जब चीन के नेता आये थे और कम्युनिस्ट पार्टी को यह बताया था कि चीन की प्रणाली की नकल न करें। अत- यही मार्ग है। स्टिकिग्लट्ज कहते हैं कि ऐसा कोई कठोर या निर्धारित नियम नहीं है जो पूरे विश्व पर लागू होता है। यही वह भूल है जो आप इस देश में कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्लानिंग कमीशन ने एक सेट बनाया और सारे देश पर लागू कर दिया। राजस्थान में भी वही लागू करिये, कश्मीर में भी वही लागू करिये, सुंदरबन में भी वही लागू करिये और केरल में भी वही लागू करिये, इस तरह से नहीं चलता है।

[अनुवाद]

इसलिये पूरी प्रणाली की समीक्षा पुन- जांच किए जाने की आवश्यकता है और पुनगर्ठन किया जाता है। शायद आपको यह अवसर नहीं मिलेगा। शायद यह कार्य इस पक्ष में बैठे हुए कुछ व्यक्तियों के ऊपर आ सकता है।

इसके बाद वह कहते हैं-

"जब विकल्प एवं पसंद उपलब्ध हैं, तब निर्णय लोकतांत्रिक। राजनीतिक प्रक्रिया पर केन्द्रित न हो न कि नौकरशाही केन्द्रित। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के बारे में मेरी एक आलोचना - जो स्टिग्लिट्ज की आलोचना है - कि वे बहाना बनाने का प्रयास करते हैं कि व्यापार अलग नहीं है। एक प्रकार को नीतियों से हर कोई बेहतर नहीं हो जाता जबकि अर्थशास्त्र इस मूल विकल्प में है, अर्थात विकल्प हैं जिसमें से कुछ से दूसरों की कीमत कुछ समूहों जैसे विदेशी पूंजीपतियों का लाभ होता है, जिसमें से कुछ अन्यों के लाभ के लिये कुछ समूहों जैसे कामगारों एवं श्रमिकों के लिये खतरा पैदा करते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए जब आप स्टिग्लिट्ज का उद्धरण दे रहे हैं तो उसके पूरे सिद्धांत को सामने रखकर उद्धरण दीजिए, केवल उसके एक वाक्य को संदर्भ से हटकर बात नहीं बनेगी। वह आगे कहते हैं-

[अनुवाद]

"जो लोग असमानता के बारे में कम ध्यान देते हैं और आर्थिक उत्कृष्टता के बारे में अधिक ध्यान देते हैं उनकी प्रवृत्ति गैर आर्थिक मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय, पर्यावरण, सांस्कृतिक विविधता, स्वास्थ्य परिचर्या एवं उपभोक्ता सुरक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच के प्रति कम चिन्तित रहने की होती है।"

[हिन्दी]

अर्थात अगर आपको विकास करना है तो घिसे-पिटे मॉडल पर जिसे आप ब्रेटनवुड इंस्टीट्यूशन्स कहें, वाशिंगटन कंसेंसस कहें, जी-20 फॉर्मूला कहें, जी-8 फॉर्मूला कहें, जो कुछ आप कहें, उससे काम नहीं चलेगा। एक नयी चीज की जरूरत है, एक नयी सोच की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने इस अखाड़े में कदम रखा है तो सोच कर चलिये कि पुराने जितने भी सोल्यूशन्स हैं वे काम नहीं आयेंगे, नयी बात लानी पड़ेगी क्योंकि नयी परिस्थिति है। देश के सामने नयी चुनौतियां हैं, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। आप नयी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, आप केवल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अध्यक्षा यू.पी.ए. के अलावा कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। देश में और भी कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां उस तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक करने की कोशिश करें। अगर उन्हें ठीक नहीं करेंगे तो यह स्थिति निश्चित रूप से वर्ष 1990-91 तक पहुंच कर ही रहेगी, उससे पहले रुकेगी नहीं।

आपका इसमें हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश है। स्टिजिलट्ज ने जो मोरल केस फॉर इंक्विटी कहा है और आप कहते हैं कि

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

[अनुवाद]

हमारे पास ऐसे देशों के उदाहरण हैं जो तीव्र विकास कर रहे हैं लेकिन उस विकास में महिलायें, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक और कुछ पिछड़े वर्ग पीछे छूट रहे हैं।

यह पूरा आपका माडल है। आपने अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, असंगठित क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है और आपने अनेक बेरोजगार युवाओं को पीछे छोड़ दिया है।

[हिन्दी]

यह तो आपका मॉडल है, आप इसे रिजैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुलकर कहिये कि यह हमसे गलत हो गया, हमसे गलती हो गयी। आइये, फिर आपसे बात करें। हिन्दुस्तान में इसके अलावा ऐसा भी मॉडल्स हैं जहां हर गरीब आदमी का ख्याल किया गया है, जहां आदमी ही नहीं, आदमी के साथ काम करने वाले जानवरों का भी ख्याल किया गया है, गाय-भैंस-बैल का भी ख्याल किया गया है, यहां मुर्गी और मुर्गी के बच्चों का भी ख्याल किया गया है। जहां गरीब आदमी का भी ख्याल किया गया है। जहां एग्रीकल्चरल ग्रोथ 18 परसेंट तक हुई है। ऐसे कई माडल्स हैं। आप उनकी तरफ देखिए। ऐसे माडल्स भी हैं जहां एक रुपये के चावल देने की बात है, जहां पांच रुपये में भरपेट भोजन देने की बात हो रही है। मेरा निवेदन है कि आप छत्तीसगढ़ चलिए, वहां पांच रुपये में भरपेट भोजन रिक्शे वालों के साथ, टांगे वालों के साथ तथा दूसरे गरीब लोगों के साथ कीजिए। दाल, चावल, सब्जी वगैरह आपको मिलगी, जो आप क्यों नहीं दे सकतेहैं। चूंकि वाशिंगटन कांसेंसिस में वह माडल नहीं आता, उसमें गरीब आदमी के साथ बैठकर खाने का जिक्र नहीं होता, इसलिए आप उसे नहीं मानेंगे। यही आपका संत्रास है, यही आपकी त्रासदी है। आपने बहुत अच्छी बात कही-

[अनुवाद]

बजट का उद्देश्य और वित्त मंत्री का कार्य है आर्थिक दायरा बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाना।

[हिन्दी]

यह सही बात है। यह फाइनेंस मिनिस्टर का काम है लेकिन आप देखें कि इकोनोमिक स्पेस कहां से पैदा करें, कैसे पैदा करें और रिसोर्सेस कहां से आए। इसके लिए मेरा पहला अनुरोध है किह आप सबसे पहले भारत को समझ लें। भारत का आर्थिक स्पेस कहां तक फैला हुआ है और आज कहां है, पहले इसे जानिए तभी आप आगे का स्पेस का स्पेस होगा। आपने एक बार विदेश में अंग्रेजों को और अमेरिकंस को भाषण दिया था कि आप भारत आए थे और दो सौ साल तक रहे। खूब समृद्ध हो कर गए। आप फिर से आइए, रहिए और आपको बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा। आपने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है, अगर आप इसका खंडन कर देंगे, तो खुशी होगी। आपने यह कहा, इसका मतलब है कि आपको अंग्रेजों के आने से पहले के भारत के स्पेस का पता ही नहीं था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी जब 1600 में आई तब भारत का इकोनोमिक स्पेस 24 परसेंट आफ दि वर्ल्ड जी.डी.पी. था। जब अंग्रेज यहां से दो सौ साल बाद गए, तब तीन परसेंट के करीब जी.डी.पी. थी और आज साठ-पैंसठ साल के बाद उतनी भी जी.डी.पी. नहीं है। आप हर साल कहते हैं कि दुगुना करेंगे, हर प्लान में कहते हैं कि दुगुना करेंगे लेकिन पौने दो परसेंट, दो परसेंट, सवा दो परसेंट ही है। आप कौन-सा इकोनोमिक स्पेस पैदा करना चाहते हैं? इकोनोमिक्स तो काफी लचीली होती है। इसमें तो बहुत इलास्टिसिटी है। आप कितना ही बड़ा स्पेस कर सकते हैं? क्या आप चौबीस परसेंट कर सकते हैं, तब तो आप 16वीं सदी के स्पेस में पहुंचेंगे क्या आप किसी ऐसी इकोनोमिक स्पेस की कल्पना कर सकते हैं। देश के वित्त मंत्री के नाते यह कल्पना बरनी चाहिए कि 16वीं सदी में हमारा जो स्पेस था, वह 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 में सवा या डेढ़ गुना ज्यादा स्पेस लेने की हमें हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन आप तो वहीं घूम रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को क्या दिशा देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं क़ि थोड़ी-बहुत लंगड़ी दौड़ चलती रहे कि कभी आधा परसेंट बढ़ गई, कभी पौन परसेंट बढ़ गई, कभी टैक्स इधर बढ़ा दिया, कभी टैक्स उधर घटा दिया। आप वित्त मंत्री की तरह काम कीजिए। देश को वित्त व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, रिसोर्स की, मोबेलाइजेशन की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कीजिए। मैं उस भंडार की बात नहीं कहना चाहता हूं जो उन्होंने हमारे यहां से लूटा व्यापार के तौर पर भी और हम लोगों के तौर पर भी, मैं नहीं समझता कि आज कोई भी वित्त मंत्री यह कह सकता है कि वह कोहिनूर हीरा जो हमारे यहां से गया था, अगर यह हीरा चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बड़ा हीरा हम देश में लाकर दिखाएंगे। ऐसा कोई नहीं कहता है।...**(व्यवधान)** उसे लाने का विचार छोड़ दिया है, उसे मना कर दिया है। लेकिन उससे

बड़ी चीज लाकर दिखानी चाहिए। तख्ते ताऊस चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ और बनाकर दिखाएंगे। उससे बड़ा तख्त बनाकर दिखाएंगे। देश में बड़ी समृद्धि ला कर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कहा है। डेढ़ परसेंट, दो परसेंट, सवा दो परसेंट, क्या यह कोई देश है? एक अरब बीस करोड़ लोगों का देश, सारी समृद्धि से भरा हुआ, सारे टेलेंट से भरा हुआ देश, सारे पुरुषार्थ और ऊर्जा से भरा हुआ देश है, लेकिन आप उसे केवल सवा परसेंट, दो परसेंट पर नचा रहे हैं। आप वर्ष 1990-91 की तरफ देश को वापिस ले जा रहे हैं। यह कैसा बजट है, कैसी वित्त व्यवस्था है, कैसा चिंतन है, मुझे बहुत अफसोस है। फिर आपने कहा कि क्या करें? बड़ी तकलीफ है। मगर फिसकल डैफिसिट, करेंट एकाउंट डैफिसिट और इंफ्लेशन ये हमारे लिए बड़ी समस्याएं हैं लेकिन अब आप इनका निदान क्या करते हैं? आप कहते हैं कि फॉरेन इंवेस्टमेंट, एफ.डी.आई, एफ.आई.आई. और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग है और आपका एक वाक्य देखकर मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आपने यह कैसे कहा है कि आप बार बार इसके लिए आग्रह करते आ रहे हैं।

[अनुवाद]

"वर्तमान में अधिक वित्तीय घाटे, चालू खाते के घाटे के वित्तपोषण के लिये विदेशी ऋणों, कमतर बचतों एवं कमतर निवेशों इत्यादि की वजह से आर्थिक स्थिति संकुचित है। मैं अपने भाषण के दौरान वे उपाय बताऊंगा जिनसे इनमें से प्रत्येक मुद्दे का समाधान हो पायेगा।"

[हिन्दी]

अब इसमें आपने करेंट एकाउंट डैफिसिट के लिए जो सबसे ज्यादा आग्रह किया है, वह यही कहा है कि

[अनुवाद]

स्पष्ट कहूं तो विदेशी निवेश आवश्यक है। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाये जो हमारे आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप हो।

आर्थिक उद्देश्य कौन से हैं? आपने इस बजट में आर्थिक उद्देश्यों का कहीं उल्लेख नहीं किया है। क्या यह बजट इस देश में पनप रहे कतिपय उद्योगों एवं उद्योगपत्तियों की सहायता के लिये ही है। अथवा क्या बजट निर्धन लोगों, परिव्यक्त लोगों वंचित लोगों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिये है? आपका उद्देश्य क्या है? आप एक समतावादी समाज का निर्माण चाहते हैं अथवा एक पूंजीवादी समाज का?

[हिन्दी]

आप क्या चाहते हैं? आपका क्या उद्देश्य है? इसलिए मैंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

आपके क्या उद्देश्य हैं? राष्ट्र के आर्थिक उद्देश्यों पर सर्वसम्मति होनी चाहिए। एक दल अथवा दो दलों अथवा तीन दलों के आर्थिक उद्देश्य नहीं हो सकते। आर्थिक उद्देश्यों पर एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनानी ही होगी और वह अर्थव्यवस्था में मात्र 1.8 प्रतिशत अथवा 1.75 प्रतिशत वैश्विक स्थिति कायम रखना नहीं हो सकता। यदि उस 24 प्रतिशत के पार जाने वाली होनी चाहिये। यह ऐसी हो ताकि इस देश में कोई भी भूखा न रहे।

[हिन्दी]

कोई आदमी बिना गेनफुल और डीसेंट एम्पलॉयमेंट के नहीं रहेगा। आपने इसमें कहीं नहीं लिखा है। आपके क्या उद्देश्य हैं? शब्दाडम्बर मात्र। *[अनुवाद]* लक्ष्य ठोस होने चाहिए। *[हिन्दी]* समय तय करिए। आप उधर हैं। मैंने बार-बार कहा है कि अगर देश के लिए सांझा कोइ कॉमन कंसेंसस बनता है, सारे देश के सम्पूर्ण विकास के लिए अगर सर्वसहमति बनती है जिसमें कल्चर वगैरह सब शामिल है तो मैं समझता हूं कि आप उसमें देश को आगे ले जा सकेंगे। मगर अफसोस, आप सिर्फ कदमताल करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। अब आप कहते हैं कि यही सबसे जरूरी है तो यही होगा। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। अभी एक बात और बता देता हूं जो उन्होंने कहा। आपको काफी पसन्द है। उन्होंने एक बात और कही है।

[अनुवाद]

जोसेफ स्टिगलिट्ज ने कहा है कि:-

"आप वालमार्ट संस्कृति का आयात क्यों करते हैं? वालमार्ट बतौर एक दुकान नहीं बल्कि वालमार्ट बतौर एक संस्कृति है।"

यह वह आर्थिक संस्कृति है जिसका वालमार्ट प्रचार-प्रसार कर रहा है। यदि वह संस्कृति है जो आर्थिक व्यवस्था से बहती है। यह शोषण आधिक लाभ की संस्कृति है और यह एक ऐसा संस्कृति

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

भी है जो पूर्णत: असंस्कृत है। इसमें कोई माननीय संस्कृति नहीं है। इसमें कोई मानवीय मूल्य नहीं है। यह मात्र लाभ एवं शोषण की संस्कृति है। अत:, वालमार्ट मात्र एक दुकान नहीं है बल्कि यह एक संस्कृति है।

"भारत इसलिये प्रसिद्ध है कि इस देश में आनुपातिक रूप से करोड़पतियों की संख्या सबसे अधिक है। यह इतने अधिक लोगों वाले औसत देश के लिये असाधारण एवं आश्चर्यजनक बात है। अब शीर्ष पर से लेकर बड़ी खाई है, बड़ा अन्तर है, जो कि समाज के भीतर विभाजनों की पुन: परिभाषा करने में अब वर्ग-आधारित नहीं है बल्कि पैसा-आधारित है। हमने असमानता के बढ़ने के समय ही पैसे संबंधी हितों को और अधिक महत्व देने के लिये खेल नियमों में बदलाव किया है। अमरीकी फर्म परमाणु संयत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, उसे समस्त जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए किन्तु वह ऐसा अमरीका में भी नहीं करती राज्य की राजसहायताएं उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। भारत में बड़ा प्रतिभाशाली उद्यमी वर्ग है। और बहुत सी बचतें एवं धन भी हैं। फिर, भारत में किसी क्षेत्र में विदेशी उद्यमियों की कहां जरूरत है?"

और यदि आप आर्थिक क्षेत्र में सीमा से अधिक विदेशी उद्यमी लेना प्रारंभ करते हैं, तो दिन दूर नहीं है जब यह पूरा संसद भवन यदि विदेशी होंगे से नहीं तो कतिपय विदेशी हितों तो शामिल होगा ही।

[हिन्दी]

यह मत कीजिए। सोच समझकर कीजिए। इसे मात्र इम्पेरेटिव मत मानिए, जितनी जरूरत हो लीजिए। दवाई की जितनी ज़रूरत हो जरूर लीजिए लेकिन बॉडी की इम्युनिटी ज्यादा जरूरी है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होना ज्यादा जरूरी है। एक आदमी जो कैंसर से ग्रस्त है, उसे थोड़ी देर जिंदा रखा जा सकता है लेकिन उद्धार नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अंतत: विकास सतत, आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय रूप से होना चाहिए।

[हिन्दी]

इसमें कहां बैलेंस है? एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है आप कुछ कह रहे हैं। अभी एक मिनिस्टर ने फरमाया कि इथिकल मार्किट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो मार्किट आप डील कर रहे हैं। वह अनइथिकल है। अखबारों में बड़ी हेडलाइन है। इकोलाजी वाला कुछ कह रहा है और इकनामी वाला कुछ कह रहा है। इसमें तमाशा यह है कि दोनों ही इको से संबंधित है *[अनुवाद]* एक इको का ज्ञान है और दूसरा इको का प्रबन्धन है, किन्तु दोनों में खींचतान है। *[हिन्दी]* इकोलाजी कुछ और कह रही है, इकनामी कुछ और कह रही है। आपकी तो सारी सरकार में ही झंझट है, उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा।

महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है इसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रियारिटी क्या है? कितना डेवलमेंट हैं? अभी माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आदिवासियों के साथ झारखंड ने बहुत अन्याय किया है। हो सकता है हो रहा हो। कहां नहीं हो रहा है? सारा डेवलपमेंट प्लान आदिवासियों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, बेसहारा लोगों के खिलाफ है। स्टडीज तो यह कह रही हैं कि बहुत सा अनरैस्ट इस देश में इसलिए हैं क्योंकि आपका प्लान लोगों के जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। *[अनुवाद]* श्री जोसेफ स्टिगलिट्ज कहते हैं: यदि इससे मौलिक सांस्कृतिक मूल्य दाव पर लगते हैं तो इसे धीमा करने अथवा बंद करने की राजनीतिक मांग होंगी *[हिन्दी]* रोड पोलिटिकल अनरैस्ट, रीड इकनॉमिक अनरैस्ट। वित्त मंत्री जी आपने चुनौती स्वीकार की है लेकिन आपके पास हथियार नहीं हैं। आपके साथी आपका साथ नहीं दे रहे हैं।

आपने पहले ही कहा है कि इन्फलेशन बहुत है। क्यों हैं? अनाज के भंडार भरे हुए हैं तो फूड इन्फलेशन क्यों है? लाखों टन अनाज के भंडार है, जितना बफर रिजर्व चाहिए उससे ढाई-तीन गुना आपके पास है। नई फसल आ आएगी तो आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। हां, आप अनाज जान बूझकर सड़वाते हैं और फिर शराब बनाने वालों को बेच देते हैं। क्या फायदा? आप गरीब आदमी को दीजिए। हमने मुफ्त में दिया है। दिया जा सकता है। भूख मिटाइए। भूख बड़ी जबरदस्त चीज होती है। कुछ दिन भूखे रहकर देखिए तब पता चलेगा कि भूखे के क्या मायने होते हैं। उपनिषद् में एक कहानी है, एक लड़के ने कहा कि पिताजी मैंने ब्रह्म को समझ लिया है। पिता ने कहा - बेटा तीन दिन बाद भूखे रहकर आना। तीन दिन बाद बेटा भूखा रहकर पहुंचा तो पिता ने कहा - बेटा, ब्रह्म क्या है? तब बेटे ने कहा - पहले अन्न चाहिए, ब्रह्म तो बाद में देखूंगा। अन्न ब्रह्म:। आप उस ब्रह्म को सड़वा देंगे? क्या कर रहे हैं *[अनुवाद]* सांस्कृतिक मूल्य कहां है? *[हिन्दी]* इकनामी

किधर जा रही है। एक तरफ किसान मर रहा है, दूसरी तरफ अनाज सड़ रहा है और तीसरी तरफ आदमी भूखा मर रहा है। हम यहां बैठकर बहस कर रहे हैं? बजट हो रहा है। अजीब हालत है? किस बात का बजट हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? किस मामले में हो रहा है? आप सिर्फ लेखाजोखा बराबर कर रहे हैं और क्या हो रहा है? *[अनुवाद]* यह तरीका नहीं है। *[हिन्दी]* यह ठीक नहीं है। डेफिसिटी कम कर लिया। कैसे कर लिया? बहुत तमाशा है। वही तो मैं कहता हूं कि चार्टर्ड एकाउंटेंट का काम है। पिछली बार आपने बजट में जो एस्टिमेट्स दिए थे, आपने देखा कि वह पूरे नहीं हो पाए इसलिए सब मिनिस्टरों से कहा कि घटाओ और घट गया। 60,000 करोड़ घटा दिया और फिर कहा, देखो 5.2 पर आ गए। आप इसमें 60,000 जोड़ दीजिए फिर क्या होगा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हिम्मत के साथ कहिये कि यह खर्च होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। दुनिया वाले हमें तो टोकेंगे, हमने यह वचन दिया है। अगर नहीं दे सकते तो कोई जरूरी नहीं है। अगर देश की जरूरत के लिए आपको 2-4 पाइंट बढ़ाना भी पड़ जाए तो कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, आम आदमी, देश की अर्थव्यवस्था, देश का जिंदा रहना, देश के उद्योग, देश का मजदूर या ये आंकड़ा कि हमने बजट डेफिसिट कम कर दिया। हमने क्या किया, हमने बड़ी कुशलता से देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज किया। लोग भूखे मर रहे हैं, मरने दो, लेकिन हमारा बजट घाटा 5.2 आ गया। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सी अर्थव्यवस्था है। आदमी महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है या यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे हंसी आती है। कहीं आप कहते हैं कि बजट ऐस्टीमेट की तुलना में इतना है और कहीं कहते हैं कि रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की तुलना में इतना है। आप पिछले बजट ऐस्टीमेट से अपना बजट ऐस्टीमेट कम्पेयर कीजिए। पिछले रिवाइज्ड ऐस्टीमेंट से अपना रिवाइज्ड ऐस्टीमेंट कवर कीजिए। लेकिन आप ये ऑरेंज और एपल्स क्यों कम्पेयर कर रहे हैं? कहीं आपको दिखाई देता है कि बी.ई. की तुलना में हमने बढ़ा दिया, कहीं आप कहते हैं कि हमने आर.ई. की तुलना में बढ़ा दिया। आप इसे गौर से पढ़िये और इसकी गलतियां ठीक करिये। ऐसे कोई फायदा नहीं होता है। देश की जनता सब समझती है, वह इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन बातों को न समझे। आप इसमें देख रहे हैं, आप कहते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं- *[अनुवाद]* 2013-14 में योजनागत व्यय चालू वर्ष के संशोधित प्राक्कलन से 29 प्रतिशत अधिक होगा किन्तु यह बजट प्राक्कलन से मात्र 6 प्रतिशत ही अधिक है। *[हिन्दी]* लोगों ने सुन लिया, अखबार वालों ने छाप दिया, जनता प्रसन्न हो गई। लेकिन जब उसे इन विटविन दि लाइंस पढ़ा गया तो समझ में आ गया। ऐसे बहुत से तमाशे हैं, यह कोई भी पढ़कर देख सकता है। आप एक-एक मिनिस्ट्री का कम्पेरिजन कर लीजिए, आपको पता लग जायेगा कि कहां कितना घटाया है और जितना आपने यहां घटाया है, उतना ही आपका घाटा कम हुआ है और कुछ बातें हैं। *[अनुवाद]* अतः, यह एक सनदी लेखाकार का काम है। *[हिन्दी]* इसके लिए आप जैसे विद्वान आदमी की जरूरत कहां थी। ऐसे लोग तो आपके ऑफिस में काम करते हैं, जो ये काम कर सकते हैं *[अनुवाद]* इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए आप जैसे काबिलीयत वाले वित्त मंत्री की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

इसके बाद आप कहते हैं कि शेडयूल्ड कास्ट्स और इन लोगों का आपने बहुत फेवर किया है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या किया गया है और उसमें क्या हुआ है और कैसे-कैसे हुआ है। *[अनुवाद]* वैसा व्यय होता है कि लाभार्थी कौन वे भाग्यशालियों के लिए ही है। *[हिन्दी]* एस.सी. एंड एस.टी. के जो आपके सब-प्लान हैं, उसमें प्लान में धन तो है, लेकिन खर्च हुआ नहीं है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की हिस्सेदारी 16.2 प्रतिशत है; अनुसूचित जाति उप-योजना 37113 करोड़ रू. की है। 2013-14 के लिए यह 4156 करोड़ रू. है। *[हिन्दी]* बजट शेयर दोनों में 9.50 टू 9.9 है। शेडयूल्ड ट्राइब्स में भी आपका वही शेयर 5.56 टू 5.87 है। लेकिन यहां आप देखिये।

[अनुवाद]

उदाहरणार्थ, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत बीज अवसंरचना सुविधा में अनुसूचित जाति विशेष योजना तथा जनजातीय विशेष योजना के लिये 79 करोड़ की राशि अभिनिर्धारित की गई है। एक ओर जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इसके लिये 270 करोड़ रुपए अभिनिर्धारित उत्पाद बढ़ाने के में लगा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की सहायतार्थ कोई योजना नहीं है। *[हिन्दी]* किस एस.सी. एंड एस.टी. की मदद हो रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये क्या आपके निवेश का यही तरीका है, क्या आपके आबंटन का यही तरीका है? *[हिन्दी]* मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन भाषण बहुत लम्बा हो जायेगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं।

आप सर्व शिक्षा अभियान को लिजिए।

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

[अनुवाद]

4,793 करोड़ रु. की राशि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों और टी.एस.पी. के लिये है किन्तु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के प्रवेश अथवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की भर्ती हेतु विशेष रूप से कोई योजनाएं नहीं हैं। पुनः, 2284 करोड़ रुपए की राशि मध्याह्न भोजन के शीर्षक के अंतर्गत अभिनिर्धारित की गई है, हालांकि यह सभी बच्चों के लिये है।

[हिन्दी]

वह तो सबके लिए ही है। आपकी मिनिस्ट्री का क्या हिसाब है कि रुपया रखना है, रख दो, खर्च नहीं होना, डाल देंगे बचत खाते में। घाटा बच जायेगा। प्लीज, ऐसे बचत को मत बनाइये। यह बड़े अफसोस की बात है, हिन्दुस्तान के लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है।

महोदय, मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं। हैल्थ को लीजिए, हैल्थ में ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे हम हैल्थ पर खर्च हमने किया है। आपके पास मेरे से भी ज्यादा आंकड़े होंगे। लेकिन आप देखिये, आपने आयुर्वेद यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के लिए कहा कि *[अनुवाद]* राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है। आयुर्वेद इस देश की एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति है। यूनानी हजारों वर्षों से यहां प्रचलित है। *[हिन्दी]* जब से हमारा अरब देशों से कॉन्टेक्ट है, तब से यूनानी सिस्टम है। जब से होम्योपैथी से आई है, वह तब से हमारे देश के अंदर है। सिद्धा तो पैदा ही हमारे देश में हुआ है। आप यह कहिए कि इनकी स्ट्रीम सूख रही थी, उसको रीचार्ज कर रहे हैं, एनरजाइज़ कर रहे हैं। *[अनुवाद]* क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति इस देश की प्रमुख चिकित्सा पद्धति है? यह एक नयी पद्धति है 300 वर्ष पुराना। *[हिन्दी]* अभी 60-70 साल पहले एलोपैथिक मैडिसीन में पांच-छह मिक्सचर्स के अलावा कुछ नहीं होता था। डॉक्टर साहब आते थे, बॉक्स में पांच-छह मिक्सचर रखते थे - मिक्सचर नंबर 1, मिक्सचर नंबर 5। *[अनुवाद]* यह पद्धति 300 वर्ष पुरानी है, एक कामयाब कहानी है। परन्तु कृपया आप देश को अमित न करे।

आप इसे एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पुकारते हैं। उभरती अर्थव्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है? वर्ष 1600 में 24 प्रतिशत तक इसका प्रसार था और अब वर्ष 2013 में आप इसे उभरती हुई कहते हैं। वास्तव में, आपने इसे गिरती हुई अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। कैस? *[हिन्दी]* सारी इकनॉकी ऋणग्रस्त है। *[अनुवाद]* यह पूरी तरह से ऋणग्रस्त है, घाटे में हैं।

अब, दूरसंचार क्षेत्र को ही देख; वित्तीय ऋण 2 लाख करोड़ रूपये है; सितम्बर-अक्टूबर, 2012; बैंकिंग क्षेत्र-गैर-निष्पादनकारी आस्तियां - जून 2012 तक 1.37 लाख करोड़। तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार सभी पुनर्निर्धारित ऋणों का पांचवा हिस्सा अशोध्य ऋण (गो. बेक) बन जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार, 31 मार्च, 2012 की तारीख तक बैंकों का 2.18 लाख करोड़ रुपये पुनर्निर्धारित ऋण (रीस्ट्रकचर लोन) में लगा था और मैं नहीं समझता हूं यह वसूली होगी।

इसके पश्चात्, क्रेडिट कार्ड का बकाया 22.150 करोड़ रुपये है। *[हिन्दी]* पता नहीं, यह आपको मिलेगा, या नहीं मिलेगा?

[अनुवाद]

भारत सरकार - कुल योजना उधार 5.7 लाख करोड़ रूपये है, जिसमें से 2 लाख करोड़ रूपये राजकोषीय वर्ष के दूसरी छमाही में होगा।

इसके बाद, बैकिंग क्षेत्र - क्रेडिट सुईस ग्रुप एथ 80 की रिपोर्ट यह उल्लेख करती है कि 10 बड़े औद्योगिक समूहों का ऋणजोखिम कुल बैंकिंग क्षेत्र का 13 प्रतिशत है। भारतीय बैंकों का खनन क्षेत्र पर 3,36,600 करोड़, दूरसंचार क्षेत्रका 93,000 करोड़ रुपये ऋण बकाया था। 5 विद्युत क्षेत्र में भी हैं। राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों का कुल घाटा दी 1.90 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसे 2 लाख करोड़ पार करना चाहिए। *[हिन्दी]* उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा।

[अनुवाद]

एयर इंडिया - का घाटा 67,520 करोड़ रूपये है। यह फरवरी, माह के आंकड़े है।

पैंटलून के कारण 3,300 करोड़ रुपये का घाटा है। यदि आप सभी घाटों को जोड़ दें, तो वर्ष के आरंभ में कुछ घाटा 40,500 करोड़ रुपये होता है। *[हिन्दी]* वह बढ़ गया होगा। उसके साथ देखिए कि आप रिसोर्स कहां से पैदा करेंगे। आपने कहा है कि आपकी जो नॉमिनल ग्रोथ है, वह पिछले साल 12 प्रतिशत थी। उसके

पहले जो आपकी एवरेज नॉमिनल ग्रोथ है, वह 15 प्रतिशत है। इस 15 प्रतिशत से 12 प्रतिशत होने में *[अनुवाद]* उत्पादन घाटा 3 लाख करोड़ है - केवल एक ही वर्ष में और हमें 3 लाख रूपये का घाटा हुआ है। *[हिन्दी]* इस साल भी आप कह रहे हैं कि यही होगा। 12 प्रतिशत होगी या 13 प्रतिशत होगी। *[अनुवाद]* और दो लाख करोड़ रुपये *[हिन्दी]* आपके जाने से पहले आप यह आउटपुट लॉस छोड़ कर जाएंगे तो फिर रिसोर्स कहां से लाएंगे? जो रिसोर्स आप बताते हैं, मैं बताऊंगा कि उसकी क्या हालत है। बैंकों की हालत यह है कि रियलिटी और सब को मिलाकर 4 लाख 37 हज़ार करोड़ रूपये रियल इस्टेट में आपका एक्सपोज़र है। 5 लाख मकान ऐसे हैं, जो अभी तक टिके नहीं हैं।

कृषि - अब आप देखिए कि दुनिया भर में हालत खराब है। *[अनुवाद]* संयुक्त राज्य अमरीका गंभीर सूखे की स्थिति से जुझ रहा है और भारत में इस वर्ष मानसून खराब है और वर्फबारी भी अनियत और अनिश्चित है।

[हिन्दी]

अभी तक आप यही कह रहे थे कि बहुत खराब फ़सल है, बहुत खराब फसल है, लेकिन स्टॉक पाइन्स ऑफ दि बिगेस्ट क्रॉप्स अभी तक हमारे यहां थे। आप बाहर से ऑयल सीड्स और पल्सेज मंगाते हैं, उन देशों में इस बार क्या हाल है, कुछ पता नहीं है।

[अनुवाद]

2013 में फसल से पूर्व मक्का गेहूं, सोयाबीन और चावल की संयुक्त माल सूची में 1.8 प्रतिशत की गिरावट आएगी जो चार वर्ष के निम्नतम पर होगी।

[हिन्दी]

यू.एस. गवर्नमेंट के यहां हालत खराब हो रही है क्योंकि यह कोने आदि सब उन्हीं के यहां का है।

[अनुवाद]

चौथे सबसे बड़े निर्यातक देश रूस में गेहूं के उत्पादन में इस वर्ष 20 प्रतिशत की कमी आएगी और आस्ट्रेलिया में उत्पादन में 19 प्रतिशत की गिरावट आएगी तथा भगवान बचाए, भारत में अगले वर्ष खराब वर्षा होने से हमारे लिए बहुत समस्याएं पैदा होंगी।

इन परिस्थितियों में आप खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि को किस प्रकार नियंत्रित कर रहे हैं। *[हिन्दी]* अगर बाहर फूड पैदा नहीं हो रहा है, आपके यहां है तो आप या तो एक्सपोर्ट करोगे तो दाम बढ़ेगा और अगर बाहर फूड नहीं है, वहां के महंगे फूड को इम्पोर्ट करोगे तो दाम बढ़ेगा। *[अनुवाद]* खाद्यान्न महंगाई का प्रमुख कारक है। *[हिन्दी]* उसे आप कैसे कंट्रोल करोगे। आपने कहा कि हम कंट्रोल कर लेंगे। मैक्सिमम कान्ट्रीब्यूशन फूड का है। आप देते नहीं, बाजार में खोलते नहीं, सेलोज बनाते नहीं, पता नहीं क्या करते हैं? हर साल कहते हैं कि सेलोज बनेंगे, लेकिन बनते कुछ नहीं। इसका नतीजा यह है कि जो एग्रीकच्लर हमको पहले 53 परसेंट कान्ट्रीब्यूट करती थी, वह अब 13-14 परसेंट कान्ट्रीब्यूट कर रही है। 60-65 परसेंट लोग इतना कम कान्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर से लोगों को कहीं ला सकते? जॉब्स कहां है, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स नहीं है, सिर्फ सर्विस सेक्टर में थोड़ी सी जॉब्स बढ़ी हैं। पिछले सालों को मेरे पास सारा आंकड़ा है कि कहां-कहां जॉब्स की क्या हालत है? आपने कहा था कि अगर हमारी 8 परसेंट ग्रोथ हो जायेगी तो हम एक करोड़ जॉब्स क्रिएट कर देंगे। 8 परसेंट ग्रोथ अगले साल कैसे होगी? अगर इटली के वोट का कोई नतीजा हमाको यूरोप में दिखाई दे रहा है और यूरोपियन इकोनॉमी बिल्कुल वहीं कदमताल कर रही है या पीछे हट रही है तो यह आपकी ग्रोथ कहां से होगी? आपने अपने दूसरे मार्केट्स तो अभी डेवलप नहीं किये। सवाल यह है कि अगर एक्सपोर्ट आपका बढ़े नहीं, इंटरनल रिसोर्सेज आपके बढ़े नहीं, तो आप कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लायेंगे और उससे बहुत पैसा पैदा करेंगे। यह बिल्कुल ठीक है, आपने इसमें कहा है, मैंने इसे देखा है, वह बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ कहा है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एन इंडस्ट्री, आपने एक बात कही है कि आप 55 लाख करोड़ 12वें प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। यह इनका भाषण है:-

[अनुवाद]

12वीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना क्षेत्र में 1 ट्रिलियन यू.एस.डी. या 55,00,000 करोड़ रूपये का निवेश परिलक्षित है।

[हिन्दी]

तो एक साल में 11 लाख करोड़ हुआ, ये 11 लाख करोड़ आप एक साल में कहां से लायेंगे? आप कहते हैं कि 47 परसेंट इसमें प्राइवेट शेयर होगा और बाकी इसमें पब्लिक शेयर होगा। 47 परसेंट जो इसका है, वह 5 लाख 17 हजार करोड़ होगा, ये 5

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

लाख 17 हजार करोड़ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक साल में कहां से लायेंगे? यानी वे प्राइवेट वाले धन कहा से लायेंगे, दुनिया से उधार मांगेंगे, क्या करेंगे? फिर आपने जो रास्ते बताये हैं, उसमें मैंने हिसाब लगाया, सिर्फ 75 हजार करोड़ की राशि होता है। फिर कहते हैं कि पब्लिक शेयर जो है, वह 5 लाख 83 हजार करोड़ है, यह पार्लियामेंट कहां से इम्पोर्ट करेगी 5 लाख 83 हजार करोड। कहीं जिक्र नहीं है कि यह 5 लाख 83 हजार करोड़ कहां से आयेगा? आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, जहां देखो कर्जा, जहां देखो कर्जा, विदेशों से बॉड लो, यह कर लो, वह कर लो, यानी आपने हाथ में आपने कुछ नहीं रखा, जो करना है, भरोसे करना है, यह क्या है? मेरी समझ में नहीं आया कि आप इन्फ्रास्ट्रक्चर में 5 साल में 55 लाख करोड़, 1 साल में 11 लाख करोड़ और इसमें से 5 लाख 17 हजार प्राइवेट करेगा और 5 लाख 83 हजार पब्लिक सेक्टर करेगा। कोई रास्ता तो दिखता नहीं है। जो अर्थव्यवस्था की हालत है और जो दुनिया की हालत है, उससे तो कहीं हमको दिखता नहीं है। फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन में घटा दिये हैं। रोड कंस्ट्रक्शन सबसे कम हुआ है। इनफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या बनाएंगे - हवाई अड्डे या सड़क? इन्फ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ह्यूमन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेगा या नहीं, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या नहीं? आपने कहा कुछ रुपये रखे हैं। उससे क्या बनने वाला है? कहीं फोकस करिए। इधर-उधर मत बांटिये। हां, बांटना आपकी मजबूरी है क्योंकि यह चुनाव का साल है। इसलिए आपने जितनी स्कीम्स बनाई हैं, वे सब इलैक्टोरेट्स को अपने पक्ष में करने के लिए बनाई हैं। अब जो आपकी कैश ट्रांसफर स्कीम्स आ रही हैं, उसकी जैनेसिस कर्ज़ा माफ़ी की स्कीम से है। जिन पांच राज्यों में आपको सबसे ज्यादा पोलिटिकल गेन्स की उम्मीद थी, वहां आपने कर्ज़ा माफ़ किए और उनसे जो फायदा हुआ, वह आप सुन लीजिए। आन्ध्र प्रदेश में 11353 करोड़ रुपये का कर्ज़ा माफ़ किया। वहां 2004 में कांग्रेस के पास लोक 29 लोक सभा सीटें थीं जो 2009 में 33 हो गईं। महाराष्ट्र में 8,953 करोड़ रुपये कर्ज़ा माफ़ किया। वहां इनके पास 9 सीटें थीं, जो 2009 में 17 हो गईं। उत्तर प्रदेश में आपने 9000 करोड़ रुपये बांटे। वहां इनके पास 9 सीटें थीं, जो बढ़कर 22 हो गईं। केरल में 2962 करोड़ रुपये, और वहां आपके पास कोई सीटन नहीं थी जो बढ़कर 13 हो गईं। कर्ज़ा माफ़ी में क्या हुआ, वह भी मैं आपको बताऊंगा। आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है जिस पर हम बहस कर चुके हैं। उसने कहा कि इतनी इर्रैगुलेरिटीज़ हुई हैं। जिनको नहीं मिलना था, उनको मिल गया और जिन्हें मिला था, उन्हें ज्यादा मिल गया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला कि 15 दिन के अंदर सबको पकड़ो। मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ, अब तो उसको डेढ़-दो महीने हो गए हैं। आपकी जो स्कीम्स हैं, उनका नतीजा यही है कि मैं तुम्हें...* यह है आपका बजट। ...*(व्यवधान)* हां, लेटेस्ट है।...*(व्यवधान)* नहीं, ...* महोदय, इन्होंने बजट में तीन मुद्दे छांटे हैं - महिला, नौजवान और गरीब। सबको डायरेक्ट पैसा दो। ये कहते हैं कि स्किल्ड नौजवान पैदा करेंगे।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : कितना पैसा दिया है?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जितना भी दिया है वह दिया तो उसी काम के लिए है, मैं वह भी बात दूं। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आप कहते हैं कि उनको स्किल्ड बनाएंगे और स्किल्ड बनाने के बाद उनको 10000 रुपये देंगे। आप उनको दिसम्बर-जनवरी तक स्किल्ड बना लेंगे और फरवरी-मार्च में उनको कहेंगे कि वोट करो...* स्किल्ड बनाने के बाद यह क्या उनको...* क्या आप लोगों को नासमझ समझते हैं? वे समझते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है। उस रिपोर्ट में वैनेज़ुएला के इलैक्शन्स को स्टडी किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि वहां ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे वोटर प्रभावित होता है। यह दूसरी रिपोर्ट आपको ज्यादा पंसद आएगी। आप उसको मानेंगे भी क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। हिन्दुस्तान की रिपोर्ट होती तो शायद आपको कम पसंद आती। यह रिपोर्ट कहती है:

[अनुवाद]

यद्यपि परिणाम यह दिखाता है कि मतदाना लक्षित अंतरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और कि इन अतंरणों से पदधारी को बढ़ावा न मिल सकता है और इससे राजनीतिक और विधायी तंत्र की रचना का मामला बनता है जो राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सफल और गरीब-विरोधी योजना को हरण करने से बचाता है।

[हिन्दी]

तो वह उन्होंने पूरा किया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कैश ट्रांसफर्स वाली एक बात है। आप कहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अफ़सर ने *[अनुवाद]*

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अगले तीन वर्षों में निर्यात को दोगुणा करने की रणनीति *[हिन्दी]* बनाई। मुझे पता नहीं, उसका क्या हुआ? ये अच्छे अफ़सर हैं। मैं कॉमर्स कमेटी का चेयरमैन था तो ये आते थे। *[अनुवाद]* समझदार व्यक्ति हैं। *[हिन्दी]* जिसने यह रिपोर्ट बनायी है। आप एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट चिल्ला रहे हैं और आपका आदमी कह रहा है कि यह स्ट्रैटजी है। आप माने या न माने वह बात अलग है, लेकिन इस पर डिसक्शन तो करेंगे। बात तो होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े? कौन सा बढ़े? किस चीज़ का बढ़े? उस एक्सपोर्ट से किस को काम मिलेगा? बंगाल की बहुत सी चीजें हैं, जिनको आप बढ़ावा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या कौन सा ऐसा प्रदेश नहीं है, जहां की चीज़ आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। आपको बहुत पैसा मिल सकता है, यदि आप टूरिज्म को डेवलप करें। भगवान ने आपको इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, जो कि परमानेंट हैं। उस पर आपका कोई खर्च नहीं होगा। मैं बनारस शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। लेकिन आपका वहां ध्यान ही नहीं है। आपके पहले की रेल मंत्री ममता जी ने कहा था कि बनारस स्टेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाएगा। आज 2013 है और अब वह नेशनल का भी नहीं रहा। हर साल कहा जाता है कि वीवर्स के लिए यह होगा। मेरे यहां बहुत वीवर्स हैं। सारी बनारसी साड़ियां वहां बनती हैं। मेरे यहां बहुत ज्यादा तादाद में कारपेट बुनकर हैं, हेण्डलूम वीवर्स हैं। वहां से लेकर बिहार तक हेण्डलूम वीवर्स हैं मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में हेण्डलूम वीवर्स हैं। बंगाल में क्या बढ़िया साड़ियां बनती हैं मूंगा सिल्क, लेकिन सिल्क का टैक्स बढ़ा दिया है। मारबल पर भी आपने टैक्स बढ़ा दिया है। मुझे एक कवि मिल गए और कहने लगे कि साहब, अब तो इश्क करना भी फ़िजूल हो गया है, क्योंकि अब कोई भी आदमी इश्क में मक़बरा नहीं बनवा पाएगा क्योंकि मारबल इतना महंगा हो गया है। *[अनुवाद]* इस प्रकार की प्रतिक्रिया लोग देते है। आपके बजट ने पूरे देश को निराश कर दिया है। *[हिन्दी]* मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को यह पसंद आया है या नहीं, लेकिन देश में इसका भयंकर क्रिटीसिज्म है। सब यह कहते हैं कि यह चुनावी बजट है और कुछ नहीं है।

आपने एक महापुरुष के वक्तव्य से अपने भाषण का समापन किया था। आपने प्रतिरक्षा में चीन क्या कर रहा है या पाकिस्तान क्या रहा है, उसे देख कर आश्वासन दे दिया कि पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन डिफेंस जस का तस है। पैसे की कमी नहीं होगी, मगर तैयारी भी जस की तस है। संस्कृत में एक कहावत है-

शस्त्रेण रक्षते राष्ट्र, अर्थ चर्चा प्रर्वतते।
शस्त्रेण रक्षते राष्ट्र, शास्त्र चर्चा प्रर्वतते।
शस्त्रेण रक्षते राष्ट्र, राज्य चर्चा प्रर्वतने।

जो देश वेल डिफेंडिड हैं, जिनकी आर्मी बहुत मजबूत है, वह शास्त्र चर्चा भी कर सकते हैं। *[अनुवाद]* वे सभी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। *[हिन्दी]* वह अर्थ चर्चा भी कर सकते हैं। *[अनुवाद]* सुरक्षित और रक्षित हो। *[हिन्दी]* रोज़ आप कांपते रहते हैं कि कभी चीन यह न कर दें, पाकिस्तान यह न कर दे। कहीं आतंकवादी न घुस जाएं। दिल्ली अनसेफ, मुम्बई अनसेफ है। कहां इकॉनामिक डेवलमेंट है। आप बार-बार कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपनी नितियां गलत हैं। आपके सिद्धांत और काम करने के तरीके गलत हैं। आपके यहां कौशिक बसु इकोनॉमिक एडवाज़र थे, जो बहुत दिनों तक आपके यहां रहे। उन्होंने क्या-क्या लिखा है, वह मैं बता दूं। वह यह कहते हैं कि आपके यहां जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, वह लैक ऑफ गवर्नेन्स से होती है।

अपराह्न 4.00 बजे

वह यह कहता है कि "यदि आप भारत में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते है, तो आपको मंजूरी मिलेने में औसतन 88 दिन लगेगा। चीन में 46 दिन; मलेशिया में 31 दिन और सिंगापुर में 8 दिन लगेगा। यदि आपका व्यवसाय संविदा के उल्लंघन करने संबंधी समस्या में फंस जाता है तो भारत में आपको इसे सुलझाने में 1 वर्ष लगेगा; चीन में 180 दिन, सिंगापुर में 50 दिन। लेकिन यदि आपने संविदा को लागू करवा सके और व्यवसाय शुरू कर सके, तो भारत में आपकी वास्तविक पेचीदगी यह होगी कि आय व्यवसाय चलाने में नाकाम होंगे दिवालिया संबंधी मामले को निपटाने और कम्पनी को बंद करने के लिए सिंगापुर में 7 माह, मलेशिया में 26 माह लगेगा, जबकि भारत में 11 वर्ष से ज्यादा समय लग जाएगा।"

[हिन्दी]

यहां कौन बिजनेस? ...*(व्यवधान)* आप इसे सुधारिए और इस में एफ.डी.आई. लाओ इत्यादि बंद कीजिए। आप पहले अपनी सरकार को सुधारिए। अपनी फाइनैंशिएल गवर्नेस को सुधारिए। आपकी मिनिस्ट्री *[अनुवाद]* संवैधानिक उल्लंघन *[हिन्दी]* करती है। आप *[अनुवाद]* भारत की संचित निधि *[हिन्दी]* से पैसा निकालते हैं। उसे खर्च दिखा देते हैं। आप यही कर रहे हैं। प्लीज़, प्लीज़ कम से कम फाइनैंस मिनिस्ट्री को फाइनैंस के मामले में संविधान का

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

उल्लंघन नहीं करना चाहिए। *[अनुवाद]* हमने इस मामले की पूरी जांच की है। हमने रिपोर्ट दे दी है। *[हिन्दी]* संविधान का भी मज़ाक उड़ा दिया। आपकी मिनिस्ट्रीज टाईम पर जवाब नहीं देती है। दो बातें कह कर मैं अपना भाषण खत्म करूंगा।

पहली बात तो यह कि जो इस मामले में हमारे देश के एक बड़े विद्वान थे - कौटिल्य *[अनुवाद]* उन्होंने कहां :

"राजा को सलाह दी जाती है, यद्यपि सरकार के शासन को सलाह दी जाती है कि अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन में हमेशा सक्रिय रहे क्योंकि धन का मूल अर्थिक क्रियाकलाप हैं निष्क्रियता से धन संबंधी कष्ट होते हैं। सक्रिय नीति के बिना विद्यमान समृद्धि और भविष्य के लाभ दोनों नष्ट हो जाएंगे।" उन्होंने लेखापरीक्ष तथा लेखों के उत्तरदायित्व के बारे में यह भी कहा :

"लेखा अधिकारी नियत समय पर लेखापरीक्षा हेतु स्वंय को प्रस्तुत करेंगे, अपने साथ बही खाते और खजाने से संबंधित आय के ब्यौरे लाएंगे। जब भी लेखा परीक्षक उन्हें बुलाए, लेखा परीक्षा हेतु तैयार रहें।"

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है? ऑडिट कहता है कि मैं ऑडिट करना चाहता हूं। सरकार कहती है कि मत करो, यह नहीं कर सकते। फौज़ वाले कहते हैं कि इधर मत देखो। इंडस्ट्री कहती है ज्वायंट वेन्चर को मत देखो। सरकार कहती है कि अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुम हमें अस्थिर कर रहे हो, तुम ऑपोजीशन से मिल गए हो। क्या बात है? *[अनुवाद]* उन्होंने यह भी कहा:

"जब भी लेखा परीक्षक बुलाएं, लेखापरीक्षा के लिए तैयार रहे; लेखापरीक्षा के दौरान प्रश्न किये जाने पर लेखों के बारे में झूठ नहीं बोले; और यदि किसी प्रविष्टि को अन्तर्देसित करने की कोशिश न करे मानों कि अनजाने में भूल गए हैं। किसी विनियमन में अनुरूपता नहीं होना दण्डनीय अपराध है।

यदि लेखापरीक्षा के दौरान विसंगति का पता चले तो संबंधित अधिकारी को अर्थदंड भुगतान पड़ेगा यदि विसंगति से अधिक आय होने या निम्नतर वास्तविक आय होने संबंधी प्रभाव पड़े तो इन दोनों मामलों में राज्य को घाटा होता है।"

वित्त मंत्री के रूप में आपका दोहरा कर्तव्य है। एक तरफ आपको देखना पड़ता है कि धन का संग्रहण हो रहा है और दूसरी तरफ आपको यह भी देखना पड़ता है कि धन का उचित रूप से उपयोग हो रहा है और लेखा रखा जा रहा है और इसके पश्चात इसे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए। लेखापरीक्षक को मना नहीं करे; उस संवेधानिक अधिकारी को बदनाम नहीं करें; और अन्ततः भ्रष्टाचार को दूर करें। मैं इसे विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि कई चर्चाओं में इस बारे में कहा गया है। कृपया अपने बजट को संशोधित करें ताकि आप इसमें सिद्धांत जोड़ सकें।

यदि मुझे याद है तो उसने स्वामी विवेकानन्द को उद्धत किया है।

मैं भी स्वामी विवेकानन्द के विचार के उद्धत करते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह है:

"मैं, अब तक जन्मे स्वाभिमानी व्यक्तियों में से एक हूं, लेकिन मुझे आपसे निस्संकोच कहना है, यह मेरे लिए नहीं है, वरन् मेरे पूर्वजों के बजह से है।

जल्दीबाजी न करें, किसी अन्य व्यक्ति का अनुकरण न करे। यह एक अन्य महती सबक है जिन्हें हमें याद रखना है; अनुकरण सभ्यता नहीं है।

हे! भारत, विदेशियों के अंधानुकरण से, विदेशियों पर यह अंध-आश्रितता, गुलामों जैसी यह कमजोरी, यह कायरता। क्या तुम महान ऊंचाई को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो?"

वित्त मंत्री महोदय, विदेशी ज्ञान; विदेशी धन पर बहुत अधिक निर्भर मत रहिए। भारत की अन्दरूनी शक्ति का आह्वान करने का प्रयास कीजिए, जो कि आपने कहा है कि आप करना चाहते हैं परन्तु आपका बजट दयनीय रूप से असफल हो जाता है। मुझे यह कहते हुए खेद है।

मैं कामना करता हूं, काश! आप स्वामी विवेकानन्द के इस कथन को पूरा कर पाते। जो कुछ आपने अन्त में कहा है बजट पूर्णतया उसके उलट है। मेरी कामना है कि वह आपके बजट का वास्तविक मूल विषय, किसी भी भारतीय बजट का वास्तविक मूल विषय होना चाहिए था। आने वाले समय में हमें नकल नहीं करनी चाहिए; नकल करना सभ्यता नहीं है। वित्त मंत्री महोदय, आइए हम अपनी स्वयं की अंदरूनी शक्ति को, भारत की ओजस्विता को महसूस करें। यह सभ्यता के प्रति भारत की चेतना है जिसे पुनः प्रदीप्त और पुनः जागृत किया जाना है। और उस भावना से, यदि आप

राष्ट्र के समक्ष आते हैं, तो मैं सोचता हूं, राष्ट्र उसी तरह से साथ देगा जिस तरह से लाल बहादुर जी का साथ दिया था, जिस तरह से इसने अटल बिहारी जी का साथ दिया था।

वित्त मंत्री महोदय, कृपया दोबारा विचार कीजिए, अपने बजट भाषण के एक और संशोधित संस्करण के साथ आइए, यदि आप ऐसा कर सकते हैं; अन्यथा यह आपका अन्तिम बजट होगा।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ नेता और विद्वान प्रो. डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने 2013-14 के बजट के ऊपर चर्चा की शुरूआत की है, शुरुआत करते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, जिसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणियां करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं सबसे पहले बहुत भारी मन से यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वह प्रदेश बहुत जबरदस्त सूखे से ग्रस्त है। वहां लाखों की संख्या में लोग परेशान हैं, ऐसे महाराष्ट्र को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो सहारा दिया, उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 4.08 बजे

(श्री इन्दर सिंह नामधारी *पीठासीन हुए)*

सभापति महोदय, 2013-14 का बजट एक बहुत ही चुनौतियों के बीच प्रस्तुत किया हुआ बजट है। तब जब हम आर्थिक उदारीकरण के लगभग 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। जब कि लगातार छः-सात वर्षों तक आठ प्रतिशत का जी.डी.पी. ग्रोथ रहा, अचानक पिछले दो वर्षों में विकास दर नीचे गई। तब जब कि हमारा जो बजटरी डेफिसिट है, वह पिछले एक-दो वर्षों में बेइंतहा बढ़ा, हमारे देश का करेंट एकाउंट डेफिसिट पहली बार चार परसैंट पिछले 20-22 वर्षों के बाद पार किया। इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम महंगाई कहते हैं, महंगाई की मार से जनता जूझ रही थी, परेशान थी, ऐसी चुनौतियों और विकट परिस्थितियों में चिदम्बरम साहब ने यह बजट पेश किया।

हमें बहुत डर था। पहला डर यह था कि कहीं जो प्लान एक्सपेंडिचर है, जो भारत सरकार की फ्लेगशिप स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के लिए जो खर्च हो रहे हैं, उन खर्चों में बजटीय घाटा या राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कटौती नहीं होगी। हम उस डर के बीच वित्त मंत्री महोदय के बजट का भाषण सुन रहे थे, लेकिन पूरे बजट की प्रस्तुति के बाद हमें विश्वास हुआ कि हमारे वित्त मंत्री, जिन्होंने हमारे देश का 82वां बजट पेश किया है, जो अब हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई साहब थे, उनके बाद आठवां बजट पेश किया और वह बजट इन विकट परिस्थितियों में संतुलित बजट था। मैं नहीं कह सकता कि इसमें विकास का रास्ता नहीं दिखाया गया, बिल्कुल था।

बार-बार कोई भी बजट आएगा तो विपक्ष के लोग जरूर कहेंगे कि आम आदमी के खिलाफ बजट है, गरीब के खिलाफ बजट है, किसान के खिलाफ बजट है, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में धीरे-धीरे इन विषयों पर बताऊं। लेकिन पूरा बजट पढ़ने-सुनने के बाद महसूस होता है कि यह आम आदमी को राहत देने वाला बजट है और देश के हर वर्ग को विकास के अवसर प्रदान करने वाला बजट है। किसान हों या महिलाएं, बच्चे हों या अल्पसंख्यक, एस.सी. हों या एस.टी. इस बजट ने किसी को भी निराश नहीं किया। तब जबकि बजटीय घाटे को लेकर इतनी बड़ी चुनौती थी, बजट पेश हुआ, उसके बाद आलोचना शुरू हुई, कहा गया कि यह बी.ई. से ज्यादा नहीं है, आर.ई. से ज्यादा है। भाजपा के एक साथी ने कहा कि वित्त मंत्री बाजीगर हैं, दूसरे एक साथी ने कहा कि वित्त मंत्री जादूगर हैं, डॉ. जोशी ने कहा, ये चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हैं, मैंने कहा, पहले आपस में तय कर लो भाई, ये क्या हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में ही मतभेद हैं, हमारे वित्त मंत्री को लेकर के...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर हि.प्र.) : इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब जानिये।

श्री संजय निरुपम : किसी व्यक्ति की अगर आलोचना करनी हो और उस आलोचना के तत्व नहीं मिलते तो अक्सर हम उसको जादूगर कहकर टाल देते हैं। ...*(व्यवधान)* 2012-13 का जो बजट था, वह 14,90,925 करोड़ रुपये का था, यह हमारा बजट एस्टीमेंट था। जो रिवाइज्ड एस्टीमेंट था, वह 14,30,825 करोड़ रुपये का था। इस बार का बजट कितना है, यह 16,65,297 करोड़ रुपये का बजट है, जो कि बजटरी एस्टीमेट से 11.7 प्रतिशत ज्यादा है और रिवाइज्ड एस्टीमेंट से 16.4 प्रतिशत ज्यादा है। तो आलोचना का जो एक आधार था कि नहीं, यह बी.ई. से ज्यादा नहीं है, आर.ई. से ज्यादा है और ये आंकड़ों में खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस आरोप की भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को वापिस ले लेना चाहिए।

अब अलग-अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं के ऊपर बड़ी टीका-टिप्पणी होती है, आलोचना होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि

[श्री संजय निरुपम]

फ्लैगशिप स्कीम्स पर क्या-क्या एनाउंसमेंट आई हैं, क्या-क्या इस तरह से एक्सपेंडीचर बढ़ा है, उसके बार में मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। मैं चाहता था कि जिन अलग-अलग फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में एलोकेशंस हैं, उनके बारे में डॉ. जोशी कुछ बतायेंगे, लेकिन वह ज्यादा समय जोसफ स्टिग्लिट के ऊपर ही व्यस्त रहे। स्टिग्लिट अलग मिजाज के अर्थशास्त्री हैं, नोबल प्राइज विनर हैं और ग्लोब्लाइजेशन के प्रभाव से लोगों को सावधान करने के लिए दो-दो किताबें लिख चुके हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने उनकी एक पंक्ति कोट की थी। डॉ. जोशी ने कई कोटेशंस सुना दिए। अगर स्टिग्लिट का इतना ज्ञान था, तो जब एन.डी.ए. का शासन था, तब भी उनको बताना चाहिए था। उस समय सरकार ने कोई बहुत स्वदेशी की भूमिका लेकर काम नहीं किया था। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को रिवोक नहीं किया था। जिस तरह से आज सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल रही है, बिल्कुल उसी तरीके से छः साल तक अटल जी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभाला और इसको ज्यादा करीब से मैंने देखा था। ...*(व्यवधान)* तब आपने विकास का जो मानवीय चेहरा होता है, उसे क्यों नहीं तलाशा, तब आपको क्या यह नहीं लगा कि ग्लोबलाइजेशन ह्यूमन इंडेक्स के खिलाफ है? क्या तब आपको नहीं लगा कि ग्लोबलाइजेशन के इतने सारे खतरे हैं? अगर अब जोशी जी ने स्टिग्लिट की वह सारी पंक्तियां अटल जी को, थोड़ा यशवंत सिन्हा जी को, बाद में जसवंत सिंह जी को सुनायी होती, तो वर्ष 2004 में शायद जनता इनको निकाल बाहर नहीं करती।...*(व्यवधान)* लेकिन आज आपको स्टिग्लिट याद आ रहे हैं। यह आपका विषय है। वित्त मंत्री महोदय का तमाम अड़चनों के बीच, तमाम चुनौतियों के बीच, जो फ्लैगशिप स्कीम्स पर फोकस है, उसे मैंने देखने की कोशिश की।

ग्रामीण विकास के लिए 80 हजार 194 करोड़ रूपए हैं, जो 46 परसेंट ज्यादा हैं। ...*(व्यवधान)* यह नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। 70 हजार करोड़ रूपए पिछली बार थे, लेकिन 50 हजार करोड़ रूपए खर्च हुए। ...*(व्यवधान)* आपने ठीक कहा, 70 हजार करोड़ रूपए पिछली बार का एलोकेशन था, 50 हजार करोड़ रूपए खर्च हुए और इस बार 80 हजार करोड़ रूपए का एलोकेशन है, इसका मतलब जो बजटरी एस्टीमेट था, उससे ज्यादा दिया जा रहा है। आर.ई. के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं है। यह जो आरोप बी.जे.पी. का है, कृपया करके उसे वापस ले लें, जनता की आंखों में धूल न झोंकें। हेल्थ सैक्टर ...*(व्यवधान)* मैं उस पर आता हूं। मैं उसका भी जवाब देता हूं, खर्च किस करना चाहिए, किसे करना है, इसे भी समझिएगा।...*(व्यवधान)* हेल्थ सैक्टर में 37 हजार 330 करोड़ रूपए का एलोकेशन है और इसमें सिर्फ नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर 21 हजार 240 करोड़ के आसपास का एलोकेशन है। यह भी 26 परसेंट ज्यादा है। एजुकेशन सैक्टर में 65 हजार 867 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, जो 17 परसेंट ज्यादा है।

शहरी विकास, पूरे देश में शहरों के लिए ही योजना है, एक ही फ्लैगशिप स्कीम है, जिसे हम जे.एन.एन.यू.आर.एम. कहते हैं। हालांकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. वन कंप्लीट हो चुका है, हम दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले उस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए 14 हजार 873 करोड़ रूपए रखे हैं, जो पिछले खर्च से दोगुना है।...*(व्यवधान)* ठीक है, बसें खरीदी गयीं, लेकिन कम से कम लोगों को बसें तो मिलीं। आज हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में जो चमचमाती हुई लो लेवल की बसें मिल रही हैं, इससे पहले ऐसा नहीं था। लेकिन कम से कम इस सरकार ने पिछले सात-आठ वर्षों में हिंदुस्तान के हर शहर को अच्छी बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परपज से दीं और वहां के लोग उन अच्छी बसों में सफर कर रहे हैं, अच्छे ढंग से अपने घर और कार्यालय जा रहे हैं। आई.सी.डी.एस. जिसमें आंगनबाड़ी और बालवाड़ी चलाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इनके लिए जितना एलोकेशन था, सारा का सारा इन्होंने यूटिलाइज किया और इस बार इसमें 17 हजार 700 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। यह कितने परसेंट ज्यादा है, मैं बताना चाहूंगा। यह 11.7 प्रतिशत ज्यादा है। यही दिलचस्प बात है कि इतने सारे संकट में, इतनी सारी चुनौनियों में, घाटे के संकट में, वित्त मंत्री महोदय को कहीं न कहीं कटौती करनी चाहिए थी, इसका हम को डर था लेकिन कटौती नहीं हुई है। माइनॉरिटी के लिए 3511 करोड़ रूपये जो पिछले एलोकैशन से 60 परसेंट ज्यादा है। एस.सी./एस.टी. के लिए जो हमारा सबप्लान है, उसमें 41 हजार करोड़ रूपये एस.सी. के लिए और 24 हजार करोड़ रूपये एस.टी. के लिए है, यह लगभग 19 परसेंट ज्यादा है। पहली बार इस देश के बजट को महिला बजट कहा गया है। इस बजट में महिलाओं और बच्चों के ऊपर जबर्दस्त फोकस किया गया है। लगभग 97 हजार करोड़ रूपये सिर्फ महिलाओं के कल्याण के लिए इस बजट में हमारे मंत्री महोदय ने आवंटित किया है। पहली बार इस देश के बजट में, बच्चों के लिए, जो कि 27 करोड़ के आसपास हैं, जो हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देखते हैं कि हमारी सरकार है, हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, पहली बार इस देश के 27 करोड़ बच्चों के लिए 77 हजार करोड़ रूपये का एलोकैशन किया गया है। ओ.बी.सी., एस.सी./एस.टी. स्कॉलरशिप,

इसके लिए 5280 करोड़ रूपये का एलोकैशन है। मिड डे मील एक अच्छी स्कीम है जो इस समय लगभग 11 करोड़ बच्चों को कवर कर रहा है, इस स्कीम के लिए 13215 करोड़ एलोकैशन है। बारबार कहते हैं, ग्लोबलाइजैशन...*(व्यवधान)* आप सही बोल रहे हैं। इतने फ्लैगशीप स्कीम्स हैं, इनका इम्पलिमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है, मेरा जवाब होगा बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है। इनमें बहुत कमियां हैं। इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। चाहे नरेगा हो, मीड डे मील हो, स्वास्थ्य मिशन हो, या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, इन तमाम योजनाओं के कार्यान्वयन में दोष है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम : डिलीवरी मैकेनिज्म में फॉल्ट है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा है लेकिन यह बात समझिए कि इन सारी योजनाओं के मद में जो खर्च आवंटित होता है, वह खर्च लागू कौन करता है? केन्द्र सरकार एक भी पैसा गांव में जा कर किसी के हाथ में नहीं दे रही है। राज्य सरकारों के जरिए बजट का सारा का सारा प्लान फंड इम्पलिमेंट होता है। अगर कहीं कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को मिल बैठ कर, बात करनी पड़ेगी। यह हमेशा आता है कि नरेगा में 25 परसेंट लूट है, इतना लूट है, इसमें ये खा गए, वे खा गए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप ऐसा न करें। वे डायवर्ट हो जाते हैं। वे चेयर को न एड्रेस कर आप से बात करने लगते हैं।

श्री संजय निरुपम : ग्राम सभाओं के ऊपर सोशल ऑडिट की तलवार लटक रही है। ग्राम सभाओं ने विरोध किया तो यह सब क्यों? अगर करप्शन हो रहा है, लोग पैसा खा गए, कहीं पर लिकेज हो रहा है, सिपेज हो रहा है, इसका मतलब स्कीम न बने, फंड न दिया जाए, यह जवाब नहीं हो सकता हौ। अगर कहीं लिकेज है तो उसको चेक करने का इंतजाम होना चाहिए और ऐसे वक्त पर सिर्फ केन्द्र सरकार की जवाबदारी नहीं है, राज्य सरकारों की भी जवाबदारी है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा।

डा. जोशी ने कहा कि ग्लोबलाइजैशन जी.डी.पी. ग्रोथ ले कर क्या करोगे। इस समय हम लोग 15 हजार करोड़ रूपये ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इस देश में लोगों को 86 परसेंट ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में लोगों को शुद्ध पीने का पानी देने के ऊपर हम जोर दे रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं। नरेगा के ऊपर 33 हजार करोड़ रुपये दिया गया, मैं खुद चौंक गया। मैंने वित्त मंत्री महोदय से पूछा कि एक साल इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपये था उसके बाद 39 हजार करोड़ रुपये हुआ, इस बार 33 हजार करोड़ रुपये क्यों है। क्योंकि यह डिमांड ड्रिवेन है। लोग अगर ज्यादा चाहेंगे तो मैं ज्यादा दूंगा। इसमें लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं। जितने लोगों को गांव में रोजगार चाहिए था, लगभग पांच-छः करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। जितने लोगों को रोजगार चाहिए था उतने लोगों को रोजगार मिला। राज्य सरकारें रुचि नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र में स्वयं नरेगा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जबकि महाराष्ट्र इसमें पाइनियर है। वर्ष 1971-72 में रोजगार हमी योजना इस नाम से यह स्कीम वहां शुरू हुई थी। लेकिन, आज खेती, मजदूरी में इतनी कमाई है कि लोग नरेगा के जरिए अपनी रोजी-रोटी का उपार्जन नहीं करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* आप यह भी बात सही कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मुझे बड़ी खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे बयान में ज्यादा आडवाणी जी के बयान पर विश्वास करें। ...*(व्यवधान)* यहां आपको जो कहना है, कह लीजिए। ...*(व्यवधान)* आडवाणी जी जब यूनाइटेड नेशन जाते हैं तो कहते हैं कि पूरी दूनिया में ...*(व्यवधान)* अच्छी बात है, बीच में आप टोका-टोकी कर सकते हैं। लेकिन, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि नहीं झेल सकता। मैं इसे झेल लूंगा।...*(व्यवधान)* अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो कृपा करके अपने वरिष्ठतम नेता आडवाणी जी की बातों पर विश्वास कीजिए जिन्होंने स्वयं युनाइटेड नेशन में जाकर कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जॉब देने वाली स्कीम अगर कहीं चल रही है तो वह हिन्दुस्तान में चल रही है और उसका नाम मरनेगा है। इसके बाद भी उसमें कमियां हैं, इससे कोई मना नहीं कर रहा है। जितने पैसे दिए जा रहे हैं, शयद वे पर्याप्त नहीं हैं, बढ़ाने चाहिए। अगर हमारी बैठक होती है तो समय-समय पर हम स्वयं मांग करते हैं कि इसे थोड़ा बढ़ाइए। सरकार की अपनी मजबूरी है और इसके तहत वह अपने ढंग से निर्णय लेगी। मनरेगा पर 33 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये और इंदिरा आवास योजना पर 15 हजार करोड़ रुपये। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो इस बजट में है, वह एग्रीकल्चर सैक्टर में बढ़िया से देखभाल करने का है।...*(व्यवधान)* समझ में नहीं

[श्री संजय निरुपम]

आएगा। जब छः साल एक एन.डी.ए. सरकार थी तो आखिर साल में एग्रीकल्चर सैक्टर में फार्म क्रेडिट कितना था और आज कितना है। वर्ष 2004 में फार्म क्रेडिट 80 हजार करोड़ रूपये था। मुझे याद है, उस समय मैं राज्य सभा में था। अक्सर चर्चा होती थी कि एग्रीकल्चर सैक्टर में लोन कम्पोनेंट बढ़ाइए, बहुत कम हैं। लोगों की डिमांड, जिद, आग्रह, चर्चा थी। उसके बाद इस सरकार ने किसनों की केयर लेने के हिसाब से, कभी 80 हजार करोड़ रुपये दिए जाते थे, आज 7 लाख करोड़ रुपये हिन्दुस्तानमें किसानों को फार्म लोन के तौर पर एक्सेस दिए जा रहे हैं और वह भी चार प्रतिशत रेट पर।...*(व्यवधान)* पिछले साल यह पांच-साढ़े पांच लाख रुपये थे।

जब बजट आया, उसी दिन मैं सुषमा जी को टीवी पर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा, कमाल है। इतनी बड़ी घोषणा, कम से कम उस घोषणा का स्वागत तो कर दीजिए, बाद में आलोचना कीजिए। पूरे एग्रीकल्चर सैक्टर में तकलीफें हैं क्योंकि बड़ा देश है, हर तरफ बराबर ढंग से विकास नहीं हुआ है। बड़े किसान बहुत अच्छी स्थिति में हैं, छोटे और मझोले किसान तकलीफ में हैं। छोटे और मझोले किसानों का दर्द लेकर हमारे साथी सदन में खड़े होते हैं। लेकिन पिछले नौ वर्षों में रूरल ओर एग्रीकल्चर सैक्टर पर इस सरकार ने जितना ध्यान दिया, उसका समय-समय पर नतीजा भी निकला। अगर पिछली पंचवर्षीय योजना का ऐवरेज निकालें तो वर्षों बाद एग्रीकल्चर ग्राथ रेट 3.6 प्रतिशत रही। एन.डी.ए. के जमाने में ढाई प्रतिशत से ज्यादा नहीं जा पाई थी। ...*(व्यवधान)* इससे कौन मना कर रहा है। आप कोई आसमान से गढ़कर फिगर्स ला रहे हैं? ...*(व्यवधान)* हम सब जानते हैं कि हमारे किसान तकलीफ में हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, आपने गौर किया होगा कि जब डा. जोशी बोल रहे थे तो हमने एक भी टिप्पणी नहीं की। सब अपनी-अपनी बात कहेंगे। आपको जो बात अच्छी लगे, वह मैं कहूं, यह जरूरी नहीं है। डा. जोशी ने जो कहा, सब बातें हमें अच्छी लगीं, ऐसा भी नहीं है। ...*(व्यवधान)* मेरा मानना है कि सदन में सबको अपनी-अपनी बात कहने की आजादी है। उस आजादी का सम्मान करते हुए मुझे जो कहना है, कहने दीजिए। अगर कुछ असत्य है तो आपको उस बात को दुरुस्त करने और मुझे सजा देने का हक है। लेकिन मुझे कम से कम अपनी बाते कहने दीजिए। पिछले नौ वर्षों में पिछला साल तकलीफदेह रहा। पूरे इलेवन्थ प्लान में हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पिछली बार 3.6 प्रतिश रही। अभी जो इकोनॉमिक रिव्यू आया है, उसमें 1.8 प्रतिशत की बात कही गई। सूखा पड़ा है। इसके बाद महाराष्ट्र में अगले साल की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या होगी, मुझे नहीं मालूम। लोग तकलीफ में हैं। सरकार अपने ढ़ंग से मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एग्रीकल्चर सैक्टर पर हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया, किसान को सिर्फ ग्रोथ रेट में चक्कर में छोड़ दिया, यह आरोप बेमानी है। मुझे लगता है कि इस आरोप को वापिस लेना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत कुछ ध्यान दिया गया। हाल के दिनों में दिल्ली में जो हादसा हुआ, उसकी वजह से पूरे देश की महिलाओं में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ। देश में महिलाओं का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, उनके लिए विशेष आयोजन होने चाहिए, उस भाव का, उस चिंता का आदर करते हुए हमारे वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित बैंक, मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक घोषणा है। इस घोषणा का भी बी.जे.पी. ने स्वागत नहीं किया। जो बार-बार जेंडर सेंसीटिविटी की बात करते हैं, जो बार-बार महिलाओं को आदर देने की बात करते हैं, इतनी बड़ी योजना, इतनी क्रांतिकारी योजना, क्रांतिकारी घोषणा का भी स्वागत करने के लिए उनके पास दिल बड़ा नहीं था। ...*(व्यवधान)* हमें डर था कि बजटीय घाटा बहुत ज्यादा है। अगर यह एक्सपेंडीचर कट नहीं करेंगे, तो रेवन्यू कलैक्शन के चैक्कर में हमारे ऊपर टैक्स का बोझ डालेंगे। लोग बहुत घबराये हुए थे, विशेषकर जो इनकम टैक्स पेयर हैं।

मुझे बहुत फख्र के साथ कहना है कि इस बजट में आम आदमी के ऊपर टैक्स के एक पैसे का भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। अगर किसी पर डाला गया, तो जिसे हम सुपर रिच टैक्स कहते हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, ऐसे 42 हजार 800 लोगों को टैक्स नेट में लिया गया और उनके ऊपर एक साल के लिए सरचार्ज डाला गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बड़ी कम्पनियां हैं, जो अपना प्रॉफिट रिकार्ड करती हैं लगभग 10 करोड़ रुपये से ज्यादा, उनके ऊपर भी दस परसेंटका एक सरचार्ज डाला गया और वह भी एक साल के लिए। यह पूरा बजट शिक्षकों, युवाओं, मध्यमवर्गीयश समाज, हमारे अपंग साथियों, एस.सी./एस.टी., माइनोरिटी आदि हर वर्ग का ख्याल रखने वाला बजट है।

मैं जानता हूं कि युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या

बेरोजगारी की है। यह देश की समस्या है। लगभग 25 से 35 साल की उम्र के जो बच्चे है, उस समय लगभग 55 से 59 प्रतिशत के आसपास हैं। सबसे ज्यादा नौजवान अगर दुनिया के किसी देश में हैं, तो वह हिन्दुस्तान है। ऐसे युवाओं पर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि सिर्फ एक साल में जिस स्किल डेवलपमैंट पर हम काम करने जा रहे हैं, उसके तहत 90 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। इस पर सवाल उठाने के बजाय...*(व्यवधान)* नौ मिलियन है। पूरे पांच साल करोड़ है और एक साल में 90 लाख है। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। अब इसमें सवाल उठाने के बजाय मुझे लगता है कि वित्त मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देनी चाहिए कि हां, इस पर आप फोकस कीजिए क्योंकि सचमुच हमारे देश की यह एक बड़ी समस्या है। जब किसान, बेरोजगार, नौजवान, महिलाओं, एस.सी./एस.टी., माइनोरिटी आदि सबकी चिंता हो रही थी तब इस देश में जो एकदम पीछे छूटा हुआ आदमी है, जिसे हम अंतिम आदमी कहते हैं, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, उसकी तरफ वित्त मंत्री महोदय ने ध्यान दिया है। वित्त मंत्री महोदय ने उसे एक सहारा दिया है और ऐसे जो आखिरी लोग हैं जैसे रिक्शा, आटो, टैक्सी चलाने वाले, सफाई कामगार, कचरा चुनने वाले और खदान में मजदूरी करने वाले जो अनस्किल्ड लेबर हैं, ऐसे लोगों के लिए वित्त मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अभी तक, आज तक, इस समय तक हमारी आलोचना की है, विरोध किया है यह जानते हुए भी कि हमारा देश, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्ष 2007 में दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आज हम 2 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी हैं मतलब लगभग 110 लाख करोड़ हमारा जी.डी.पी. है। अब लोग बार-बार पूछते हैं, कि जी.डी.पी. क्या करना है? जोशी जी भी बोल रहे थे कि जी.डी.पी., जी.डी.पी. करते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ क्या करेंगे? इस समय हमारा जो जी.डी.पी. है, वह 110 लाख करोड़ का जी.डी.पी. एक परसेंट बढ़ता है तो किसान बढ़ेगा, यह समझा जा सकता है। जितना आपका प्राडक्शन बढ़ेगा, उतना ही वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ही हर वर्ग को लाभ होगा। अगर पांच लाख, साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये का प्लान एक्सपेंडीचर है, तो कहां से आयेगा? बगैर जी.डी.पी. ग्रोथ किये नहीं आयेगा। इस वर्ड पर आपको ऐतराज हो सकता है, इस वर्ड से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन यह वर्ड हमारा उद्देश्य नहीं है। इस शब्द के माध्यम से, जी.डी.पी. के माध्यम से देश के गरीब को, कमजोर को राहत देना, कल्याण करना, उसका विकास करना हमारा उद्देश्य है। तब हमारी जी.डी.पी. अभी कहा कि जी.डी.पी. पांच पर्सेंट हो गया।...*(व्यवधान)* हमारे देश का जो जी.डी.पी. ग्रोथ-रेट है, इस समय लगभग पांच परसेंट के आसपास है, 6.2 परसेंट होना चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई है, वित्त मंत्री महोदय, ने। बजट के तुरंत बाद मूडीज़ की जो रेटिंगक है, उसके तहत भी इस प्रकार की एक भविष्यवाणी की गई है। जब हमारे देश का ग्रोथ-रेट पांच परसेंट है, तो दुनिया की क्या स्थिति है, इसे भी समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया में इस समय पिछले साल 3.9 प्रतिशत का जी.डी.पी. ग्रोथ-रेट था, इस समय 3.3 प्रतिशत है। पूरे यूरोप जाएंगे, तो पाएंगे कि कई देशों का निगेटिव जी.डी.पी. ग्रोथ-रेट चल रहा है। अमेरिका का एक दशमलव कुछ है। चाईना, जिसे हमलोग हमेशा एक मॉडल के तौर पर देखते थे, उसका ग्रोथ-रेट बहुत अच्छा है, उससे सीखा जाए, समझा जाए। वहीं से हमने एसी जेड बगैरह लिया। इस समय चाईना का ग्रोथ-रेट भी 7.2 परसेंट के आसपास होगा। जब पूरे ब्रिक कंट्रीज का 11-13 परसेंट तक है, अभी तक जमाने में चाईना का ग्रोथ-रेट 13 परसेंट था, वह 7.2 परसेंट पर आ गया है। जो आर्थिक रूप से दकियानूसी एप्रोच रखने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि ये जी.डी.पी.-जी.डी.पी. क्या है? इसका वैल्यू है। सन् 1950 में इस देश का जी.डी.पी. एक लाख करोड़ था। जब 1947 में पहला बजट आया था, तो वह बजट 197 करोड़ का था। आज जब चिदम्बरम साहब ने बजट पेश किया, तो उनका बजट 16 लाख करोड़ का है, तो कहीं-न-कहीं ग्रोथ हो रहा है और उस ग्रोथ का लाभ सबको मिल रहा है। यह और भी बेहतर ढंग से मिले, इसलिए हम इनक्लुसिव ग्रोथ की बात करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। हमारे देश में दूसरा बड़ा प्रश्न करेंट अकाउंट डेफिसिट का है। एक्सपोर्ट कम हुआ है और इम्पोर्ट बढ़ा है। ग्रिस, जो हाल के वर्षों में बरबाद हुआ, उसकी लगभग यही स्थिति थी। चार पर्सेंट से ज्यादा करेंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। करेंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रखा जाए, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास के तहत, कल ही खबर आयी, जब यह बजट आया था, तो बी.जे.पी. ने दो बातें मुख्य तौर पर कही थी कि इंडस्ट्रीयल ग्रोथ बढ़ाने की दिशा में इस बजट में कुछ भी नहीं है। कल ही दोनों खबरें आयीं। आपका इंडस्ट्रीयल ग्रोथ-रेट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा। इसका मतलब जब से वित्त मंत्री महोदय ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है और जब से आपने कामकाज शुरू किये हैं, कहीं न कहीं कमजोरियों को,

[श्री संजय निरुपम]

मजबूरियों, तकलीफों को समझ रह हैं और उसको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)* निश्चित तौर पर उसके नतीजे भी निकल रहे हैं। कल के अखबारों में सब कुछ आया हुआ है। आज भी इंडस्ट्रीयल आउटपुट के बारे में आया हुआ है। शंका और संदेश जारी करने के बजाए, एक वित्त मंत्री महोदय अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं और दुरुस्त करने के लिए जो कार्यक्रम बना रहे हैं, उन कार्यक्रमों को बगैर समझे उस पर टीका-टिप्पणी करना, उसको गलत साबित करना, एक निगेटिव एप्रोच रखना, मुझे लगता है कि यह पॉलिटिकली तो ठीक हो सकता है, लेकिन इकोनोमिकली सही नहीं है। हर बात में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कहीं-न-कहीं पॉलिटिक्स को त्यागने की आवश्यकता है। फ्लैगशिप स्कीम्स को अक्सर दोष दिया जाता है और हमारे डॉ. जोशी ने भी कहा कि ग्रोथ लेकर क्या करोगे? कल्चर का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए। मैं दो-तीन फिगर्स बताना चाहूंगा। पिछले आठ-नौ वर्षों में दो-तीन सेक्टर में जो काम हुआ है, उसकी जानकारी भी शायद नहीं है।

हमारे देश में बड़ी संख्या में प्रेगनेंट लेडीज डिलीवरी के समय मर जाती हैं। यूनाइटेड नेशन्स की रिपोर्ट में हमको आगाह किया गया कि अफ्रीकन देशों के बाद भारत का नंबर है। हमारे देश में ऐसे गरीब बच्चे हैं, जो पैदा होते ही मर जाते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है। मैं चाहूंगा कि डा. जोशी उस चीज को जानें, समझें। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट - डिलीवरी के समय जो औरतें डिलीवरी के समय कुपोषण की वजह से खुद भी मर जाती हैं और अपने बच्चे को भी बच नहीं पाती हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए। जब उनके ऊपर फोकस करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो यह रिजल्ट निकलकर आया कि वर्ष 2004 से लेकर 2006 के बीच एक लाख में 254 औरतें मर जाती थीं, लेकिन इस बार यह फिगर लगातार प्रयास करने के बाद भी 212 पर आ गयी। हमने एक मिलेनियम गोल स्थापित किया था और उसको एचव करने में अभी हमको थोड़ा वक्त लग रहा है। अलग-अलग राज्यों में क्या हो रहा है, उसे देखिए। जो बात-बात में अपने सिद्धांत बताते हैं, बी.जे.पी. शासित राज्यों की स्थिति सबसे खराब है।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है।...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम : अब हिमाचल प्रदेश बी.जे.पी. शासित नहीं है।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* मिलेनियम विकास उद्देश्य के 109 के लक्ष्य की पूरा करने वाला राज्य की संख्या 3 राज्य हो चुकी है:- तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और नया सदस्य, केरल बाकी सब अभी 212 से नीचे हैं। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राज्य एम.डी.जी. लक्ष्यों तक पहुंचने के करीब हैं। *[हिन्दी]* हिमाचल प्रदेश इनमें नहीं है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। ...*(व्यवधान)* मैं आंकड़े बाद में चेक कर लूंगा। यह एम.एम.आर. की बात है, जिसके लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इसके बाद अब आता है आई.एम.आर. अर्थात इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, जिसके लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाई गयी है। इन योजनाओं का अर्थ लोगों को समझे नहीं आता है, उनको लगता है कि वित्तमंत्री जी ने बजट में एनाउंस कर दिया, पैसा बर्बाद हो रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इस पैसे से लोगों की जिंदगियां बच रही हैं। पूरे देश में पिछले सात-आठ वर्षों में एक करोड़ नौ लाख महिलाओं को हमने बचाया है। पूरे देश में लगभग 12 लाख आशा वर्कर्स काम कर रही हैं। ये आशा वर्कर्स कौन हैं? पहली बार एक नई जमात निकलकर आई है देश में, गांव में जो थोड़ी सी पढ़ी-लिखी गरीब औरत है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, उसको भारत सरकार ने काम दिया कि तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब महिला प्रेगनेंट हो, अगर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराना चाहती है, तो उसकी केयर तुम करो। उस महिला को प्रत्येक महीने 1500 रुपये भत्ता दिया जाता है और आशा वर्कर्स को भी पैसे दिए जाते हैं। ऐसे वर्कर्स, जो महिलाएं हैं, उनकी मेहनत की बदौलत हमारे देश की गरीब महिलाएं बच रही हैं और बच्चे भी बच रहे हैं। एक जमाना था जब 1000 में से ...*(व्यवधान)*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : आप लोगों ने महिलाओं के शरीर में खून नहीं छोड़ा है।...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम : महोदय, हमारे देश में बच्चों में की हालत ऐसी ही थी। जन्म के समय की कुपोषण से ग्रस्त बच्चे, जो मर रहे थे, 1000 में से 86 बच्चे ऐसे थे। जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फिक्स किया गया तो वह 42 का किया गया। सन् 1990 में जो 86 था, आज घटकर एवरेज 47 रह गया है। कुछ राज्यों में तो 41-42 तक एचीव हुआ है। यह जी.डी.पी. ग्रोथ रेट का नतीजा है, जी.डी.पी. बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा और पैसा गांवों में, गरीबों के पास जाएगा, अस्पतालों पर खर्च होगा।...*(व्यवधान)* हमारे देश में हर दस मिनट में एक बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। उसे कहते हैं, अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट, यूफाइवएमआर। इसके ऊपर स्पेशली युनाइटेड नेशंस में बहस भी हुई है और हमारे देश में उन्होंने सर्वे

भी किया है। दुनिया में और देशों में भी इस तरह का सर्वे किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : यह सिर्फ एक बात ही बोल रहे हैं और वह भी सही नहीं है।

श्री संजय निरुपम : यह आप तय नहीं करेंगे कि मुझे किस बारे में बोलना है।

सभापति महोदय : संजय जी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री संजय निरुपम : मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह जो फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही हैं, इनके माध्यम से देश के अलग-अलग इलाकों में विकास का अच्छा काम हो रहा है।

यू.पी.ए. के अभी तक के आठ सालों में कितनी रोड्स बनी, यह मैं बताना चाहूंगा। जोशी जी ने कहा कि रोड्स नहीं बनीं, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का अर्थ सिर्फ एयरपोर्ट्स हैं। जब एन.डी.ए. सरकार थी, उस समय 7500 किलोमीटर रोड्स बनाने का अवार्ड किया गया था, लेकिन 2500 किलोमीटर ही बनीं और टोटल राशि 25,000 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार के समय में यानि यू.पी.ए. सरकार के समय में हम लोगों ने अभी तक 18,000 किलामीटर सड़कें बना दी हैं और 25,000 किलोकमीटर रोड्स का अवार्ड किया है। ...*(व्यवधान)* अगर मेरे आंकड़े सही नहीं हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अनुराग जी, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अनुराग जी, आपकी तरफ से और भी वक्त बालेंगे। जितनी बातें आप सुन रहे हैं संजय जी की, उसका एक-एक करके वे जवाब दे देंगे, लेकिन बीच में टोकना अच्छा नहीं है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : लेकिन यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप गुमराह क्यों हो रहे हैं, मत हों।

श्री संजय निरुपम : यहां पर कहा गया था कि रोड्स नहीं बन रही हैं। मैं मानता हूं कि वाकई में जितनी बननी चाहिए, उतनी नहीं बनी हैं, लेकिन इनके समय में तो केवल 2500 किलोमीटर की बनीं, जबकि 25,000 करोड़ रुपए अवार्ड किए थे करीब 8000 किलोमीटर रोड्स के लिए। मैं चाहता हूं कि रोड्स पर फोकस होना चाहिए और पी.पी.पी. माडल के तहत भी ज्यादा फंडिंग करनी चाहिए। एन.डी.ए. सरकार के समय जो रोड्स बनीं, वे ज्यादातर खराब निकलीं। यू.पी.ए. सरकार ने 1,90,000 करोड़ रुपए रोड्स के डवलपमेंट पर खर्च करने की बात कही है, जबकि आपने कुल 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महंगाई कितनी बढ़ गई है?

सभापति महोदय : रोड्स में भी महंगाई ले आए।

श्री संजय निरुपम : आप कहते हैं कि विकास का मतलब आम आदमी का विकास और उसे क्या मिल रहा है, मैं इसे भी बताना चाहता हूं। पिछले सात-आठ सालों में 6.8 लाख नए शिक्षक बहाल किए गए हैं। बिहार में जिसे आप शिक्षा मित्र कहते हैं, उन्हें यहां से पैसा जा रहा है। पूरे देश में हमारे बेरोजगार, मिडल एज नौजवान, पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार मिला है...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर (बलिया) : यह असत्य बात कह रहे हैं। राज्यों को क्या पैसा दे रहे हैं, यह देश का पैसा है? यह कोई इनका पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम : आजकल बहस का यह नया मुद्दा बना है कि पैसा कहां से आता है।...*(व्यवधान)* आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी सरकारें थीं, उन सरकारों ने इतना पैसा राज्यों में क्यों नहीं भेजा? इस देश की जनता टैक्स देती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल्याण जी, आप बैठ जाएं। संजय जी, आप भी एक मिनट के लिए बैठ जाएं। माननीय सदस्यों को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन संजय जी को कहूंगा कि जिस ढंग से आपने कहा है, ऐसा लगता है कि जैसे खैरात में से राज्यों को पैसा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात की टोन में खैरात जैसी बात महसूस हुई, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। यह खैरात नहीं है। अगर देश का विकास करना है, तो राज्यों का विकास करना बहुत जरूरी है।...*(व्यवधान)* कोई उपकार नहीं कर रहा है। मेरे कहने का आशय यह है कि जो बार-बार प्रश्न उठाए जाते हैं कि इन फ्लैगशिप स्कीम्स के ऊपर इतना खर्च करने का मतलब, आप कहें तो मैं यशवंत सिन्हा जी

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री संजय निरुपम]

का बयान पढ़ कर सुना दूंगा कि बी.जे.पी. के पास अल्टरनेट माडल इकोनोमी का क्या है। उन्होंने कहा है कि मैं जिस दिन आऊंगा सारी फ्लैगशिप स्कीम्स बंद कर दूंगा। यह अल्टरेनेटिव नहीं हो सकता है। आप ऐसा मत सोचिए। इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आप अंततः एकदम गरीब, कमजोर, पिछड़े हुए लोगों तक पहुंचते हैं और उनका कल्याण करते हैं। अब यह है कि इन तमाम योजनाओं का कार्यान्वयन करने की हमारी संघीय प्रणाली में पहले से एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के तहत काम हो रहा है। हम इतना ही तो कह रहे हैं। कि यह स्कीम बनाई और फंड दिया है। आप कह रह हैं कि क्या कोई खैरात दी है, हम कह रहे हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि आपका विकास हमारा विकास है। केन्द्र सरकार का जी.डी.पी. ग्रोथ रेट तब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक राज्यों का जी.डी.पी. नहीं बढ़ेगा। अगर राज्यों का जी.डी.पी. बढ़ाना है, तो जब तक उन्हें ज्यादा मदद नहीं देंगे, ज्यादा फंडिंग नहीं देंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। यह सच्चाई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अनुराग जी, नेतृत्व को आपको बोलने का मौका जरूर देना चाहिए। आपके पास स्टाक बहुत ज्यादा है।

श्री संजय निरुपम : महोदय, अभी हाल में यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी यहां आए थे। उन्होंने जो दो-तीन बातें कहीं, उनमें से एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि पहली बार इस देश में कोई बच्चा पोलियो का मरीज नहीं बना है। पोलियो की एक बूंद का अभियान जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन और सचिन तेंडुलकर का फोटो लगा कर कर रहे थे, उसकी यह अचीवमेंट है, यह देश की अचीवमेंट है, सरकार की अचीवमेंट है, देश के गरीब बच्चों की अचीवमेंट है कि अब कोई बच्चा पोलिया का मरीज नहीं है। एड्स और एच.आई.वी. जैसी बीमारियों को नियंत्रित कर पाने में सरकार बहुत कामयाब हो रही है।

मैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बोल रहा था, उसके पीछे सोच है। पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे शिक्षक चाहिए। यही शिक्षक देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं और शिक्षकों के साथ-साथ स्कूल भी बनाने चाहिए। 3956 सैकेंडरी स्कूल पिछले सात-आठ वर्षों में खोले गए हैं। पूरे देश में 15767 कमरे स्कूलों के लिए जोड़े गए हैं, जिन्हें हम एडिशन कैपेसिटी कहते हैं। 4.97 लाख एडिशनल कक्षाएं अलग से प्राइमरी में जोड़ी गईं। हमारे देश में अब प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल हो गया है। एक जमाना था जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते थे। यह सात-आठ वर्षों की अचीवमेंट है कि देश का हर बच्चा जब चार-पांच साल का होता है, उसे पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला मिलता है।...*(व्यवधान)* आप सही कह रहे हैं कि ऐसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुआ है। मैं आपसे एग्री करता हूं। सर्व शिक्षा अभियान में राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया। कई राज्यों चमत्कार हुआ और यह वाजपेयी जी के जमाने में आया। मैं मानता हूं कि एन.डी.ए. के जमाने में आया। जो अच्छी स्कीम है, उसे देश के हित में स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी चिंता थी, जिसे हम ग्रोस इनरोलमेंट रेश्यो। बच्चे दसवीं तक तो पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे। सौ में से केवल दस बच्चे कालेज में जाते थे। पिछले पांच वर्षों से इस पर पूरे ढंग से फोकस किया गया। लेटेस्ट रिपोर्ट है कि वह औसत दस से बढ़ कर अट्ठारह हो गई है। यह जी.डी.पी. ग्रोथ रेट की अचीवमेंट है। जी.डी.पी. के साथ अर्थव्यवस्था में जो पैसे आ रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, पास होत थे या फेल होते थे आगे की पढ़ाई नहीं करते थे। अब यह परिस्थिति है कि उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है।

महोदय, सदन में बार-बार महंगाई की चिंता की जा रही है। इस बात से कोई मना नहीं कर रहा है कि महंगाई है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि जयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिवर था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से, क्योंकि वह भाषण लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, स्वीकार किया कि हमें हर फ्रंट पर कामयाबी मिली है, लेकिन मंहगाई के फ्रंट पर कामयाबी नहीं मिल रही है, जबकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं और लगातार कोशिश करता रहूंगा। जब हम महंगाई की चर्चा करते हैं तो हमें दो-तीन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। दाल, खाद्य तेल आदि वस्तुएं क्यों महंगी हो रही हैं, क्योंकि जितना खाद्य तेल हमें चाहिए, उतना नहीं है। जितनी दाल हमें चाहिए, उतनी दाल का उत्पादन नहीं हो रहा है। जितनी सब्जियां या फल चाहिए, हालांकि हम दुनिया के दो-तीन बड़े देशों में से एक हैं, जिनका फल और सब्जियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। दूध के प्रोडक्शन में हम दुनिया में एक नम्बर पर हैं। खाद्य तेल के प्रोडक्शन में हम दुनिया में पहले नम्बर पर हैं, लेकिन हमारी 120 करोड़ की आबादी भी है लेकिन फिर भी हमें बड़े पैमाने पर खाने का तेल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है जिसका सीधे असर आपके करेंट एकाउंट डेफिसिट पर जाता है, आपकी इकोनोमी पर जाता

है और खाद्य तेल की कीमतों पर जाता है।...*(व्यवधान)* मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं।

सभापति महोदय : आप ओवरहियर बहुत कर लेते हैं।

श्री संजय निरुपम : मैं कहना चाहता हूं *[अनुवाद] ...(व्यवधान)* मैं जो भी कुछ कहना चाहता हूं, मैं वह कहूंगा। ...*(व्यवधान)* अब मुझे मत टोकिए।...*(व्यवधान)* मुझे टोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मुझे टोकने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : संजय जी, आप ओवरहियर कर लेते हैं। कोई बहुत धीमे भी बोलता है, तो आप सुन लेते हैं। थोड़ी-सी कमी आपमें भी है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संजय निरुपम : महोदय, हमारे यहां दूध का प्रोडक्शन वर्ष 1990-91 में 53.9 मिलियन टन था, वह वर्ष 2011-12 में 127.9 मिलियन टन हो गया है। अब मैंक परकेपिटा कंजम्पशन पर आता हूं। मैं दूध, दाल, तेल, फल तथा सब्जियों के बारे में बताऊंगा। इन चारों क्षेत्रों में प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ है और कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ है। आप खाद्य तेल को लीजिए। एक समय में 1992-93 में हमारे खाद्य तेलका परकेपिटा कंजम्पशन 5.8 किलोग्राम था।

अपराह्न 05.00 बजे

आज वह 14 कि.ग्रा. हो गया है और सिर्फ हमारे यहां ही नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में खाद्य तेल का जो पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में खाद्य तेल का भाव बढ़ा है। मेरा कहने का आशय यह है। पूरी दुनिया में दाल का कंजम्पशन बढ़ा है। पूरी दुनिया में दाल का एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बढ़ता रहा है जिसका असर हमारे यहां दाल के प्राइसेज पर पड़ा है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। इसलिए हमें प्राइसेज कंट्रोल करने पड़ेंगे। लेकिन प्राइसेज कंट्रोल नहीं करने के जो कारण हैं, उनको समझना पड़ेगा, जैसे एम.एस.पी. की बात कहते हैं, सामने से लोग चिढ़ जाते हैं लेकिन यह बता सच है कि चावल और गेहूं का जो एम.एस.पी. एन.डी.ए. के जमाने में था, लगभग आज उसका दुगुना हो चुका है।

अपराह्न 05.01 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

इनपुट लागत भी बढ़ी है। चाहे खाद हो या बीज हो या पानी हो या बिजली हो, इन चारों की इनपुट कॉस्ट बढ़ी है जिसकी वजह से यानी एम.एस.पी. बढ़ाने के बाद भी किसान तकलीफ में हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब 650-700 एम.एस.पी. होगा तो प्राइस स्टेट बोनस एड करते हुए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एड करते हुए ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 पर क्विंटल रेट निकलेगा लेकिन जब आपका एम.एस.पी. 1100-1200 होगा तो वह भाव बढ़कर 2200-2300 रुपया होना स्वाभाविक है। आज जो गेहूं और राइस के प्राइस डबल होने का बड़ा कारण यह है कि एम.एस.पी. बड़े स्तर पर बढ़े हैं। एम.एस.पी. नहीं बढ़ाना कोई पर्याय नहीं हो सकता। यह कोई विकल्प नहीं हो सकता कि हम एम.एस.पी. कम कर दें या आधा कर दें क्योंकि इससे जो लोग हमारे लिए खाना उपजाते हैं, उनको कष्ट होगा। बार-बार इसी सदन में एम.एस.पी. बढ़ाने की डिमांड होती रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं तो कष्ट की बात हो जाती है और यदि नहीं बढ़ाते हैं तो कष्ट होगा।

मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं। प्राइस राइज के और भी बहुत कारण हैं लेकिन दो तीन कारणों को जिनको मैंने समझने और विश्लेषित करने की कोशिश की है, उसमें से यह बात निकली है।

अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बजट में जो दो तीन बातें हैं, जो चुनौतियों से जुड़ा हुआ विषय है, वह मैं रखना चाहूंगा। एक तो सी.टी.टी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। जो नॉन-एग्रीकल्चरल कमोडिटी होगी, उसके ऊपर 0.01 प्रतिशत के आसपास सी.टी.टी. लगेगा। मेरे अपने क्षेत्र में लगभग डेढ़ हजार बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉबर कहते हैं, उनका आग्रह है कि यह बहुत ज्यादा सी.टी.टी. होगा और हम चाहते हैं कि *[अनुवाद]* माननीय वित्तीय राज्य मंत्री को यह नोट कर लेना चाहिए कि सी.टी.टी. वस्तु व्यापार कर है। *[हिन्दी]* जैसे एक बार शेयर मार्केट पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी एस.टी.टी. लगाया गया था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक-दो निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों की मांग है। उनकी तकलीफें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी एस.टी.टी. को कम किया गया क्योंकि शेयर मार्केट का एक बड़ा ग्रुप है, लॉबी है, उस पर प्रैशर आया। कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में इस सदन में बार बार चर्चा हुई कि महंगाई बढ़ाने का एक कारण यह भी है लेकिन अब जाकर मुझे समझ में आया है कि चूंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की यहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो

[श्री संजय निरुपम]

रही है। बड़ी ट्रेडिंग मैटल प्रोडक्ट्स की हो रही है जिसमें गोल्ड के ऊपर ज्यादा हो रही है। इसलिए गोल्ड की सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए जो सी.टी.टी. लाने का उद्देश्य है, उस सी.टी.टी. के रेट को थोड़ा कम किया जाए। ऐसी मैं एक मांग करना चाहूंगा।

राजीव गांधी इक्विटी स्कीम एक अच्छी योजना है। इसके जरिये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉमैस्टिक इंवेस्टर्स हैं, जो रिटेल इंवेस्टर्स हैं, उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए। पिछले साल प्रणब बाबू इसको लेकर आए थे। लेकिन वह विश्वास हम लोगों में नहीं पैदा कर पाए। पिछले साल इस योजना के तहत सिर्फ 40 इंवेस्टर्स आए थे। पूरे मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दो करोड़ के आस-पास इंवेस्टर थे। वे घटकर अब एक करोड़ दस लाख रह गये हैं। जो लगातार रिटेल इंवेस्टर्स की संख्या कम हो रही है, उसको सरकार ने और वित्त मंत्री ने भी समझा है लेकिन उनके अंदर विश्वास कैसे पैदा किया जाए, उस दृष्टिकोण से राजीव गांधी इंक्विटी स्कीम, मुझे नहीं लगता कि वह पर्याप्त है। इसलिए आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज में रिटेल इंवेस्टर्स का विश्वास बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से काम होना चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करूंगा।

आपने ए.सी. रेस्टोरेंट को सर्विस टैक्स नेट में डाला है। मुम्बई की हर गली में पांच ए.सी. रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। मुम्बई के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनका अगर 2000 स्क्वायर फीट का एक रेस्टोरेंट है तो उसमें दो या तीन सौ फीट का एसी एरिया होता है। बाकी एरिया नॉन एसी होता है। बाकी एरिया नॉन एसी होता है। किस पर टैक्स लगेगा, एसी, नॉन एसी पर या दोनों पर लगेगा? माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब दें तो इसे क्लियर करें। मुम्बई के साथियों का आग्रह है कि इसे क्लियर किया जाए कि क्या एसी एरिया पर सर्विस टैक्स लगेगा क्योंकि वे नॉन एसी पर ऑलरेडी वैट दे रहे हैं। उनका कहना है कि नॉन एसी का वैट खत्म किया जाए और सर्विस टैक्स लगाया जाए। जो भी रास्ता निकले, उसको अख्तियार करते हुए आदरणीय वित्त मंत्री जी एसी रेस्टोरेंट आनर्स को राहत देने की कोशिश करें।

मैं अपनी बात कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने तमाम चुनौतियों के बीच अच्छा संतुलित बजट, आम आदमी को राहत देने वाला, बगैर लोगों पर टैक्स का बोझ डाले, बगैर प्लान एक्सेंडिचर कट किए बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी पार्टी का बहुत आभारी हूं, यू.पी.ए. चेयरपर्सन सोनिया जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी और मेरे पार्टी की तरफ से बजट की चर्चा में बात रखने का मौका दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे माननीय सदस्य जो अपने लिखित भाषणों को सभापटल पर रखना चाहते हैं, वे उन्हें सभा पटल पर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, जोशी जी और संजय निरुपम जी द्वारा इस बार के बजट पर प्रकाश डाला गया है। जोशी जी ने एक बात कही है कि हम अपने देश की कोई मिसाल निर्धारित नहीं कर पाए हैं। 65 वर्ष हो गए हैं और हालत यह है कि हम जहां खड़े थे आज वहीं कदम ताल कर रहे हैं। कुछ लोगों की हालत अच्छी हुई है, उनकी तादाद बहुत कम है। इस बजट की एलोकेशन जोशी जी और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने पढ़कर सुनाई। मैं उन सारी बातों पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है जितना इन दोनों साथियों के पास था। मैं इस बात को एक दायरे के भीतर रखकर दो-चार बातें देश को बनाने के बारे में रखूंगा ताकि ये सदन और देश में बात को अपनी आंखों से देखकर समझ सकें। इस देश के पास तीन ताकतें हैं, सबसे ज्यादा जमीन यहां है। इस देश में खनिज दुनिया में तीसरे नंबर का है। मैं कामर्स मिनिस्टर रहा हूं। आज भी करंट डेफिसिट पर गौर से अध्ययन करके फाइनेंस मिनिस्टर देख लें, जिस दिन से आजादी आई है, हाथ का बना सामान, दस्तकारी का सामान कभी घटा नहीं है, बढ़ता गया है। देश के पास तीन ताकतें हैं, आदमी की आबादी ज्यादा है, किसानों के बाद दस्तकारों की सबसे बड़ी आबादी है। गांधी जी ने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। एक बार ऐसी परिस्थिति आई थी कि वे खुद दस्तकार बन गए थे। यानी खुद हाथ से कपड़ा बनाते थे।

महोदय, जब हम चीन की तरफ देखते हैं तो उसमें एक ही बात सामने आती है कि हमने दुनिया में बाजार को जिस तरह से माना, उसी तरह से उसने माना। लेकिन एक बात उसने सबसे बड़ी यह की कि उसके पास जो अपना ह्यूमैन रिसोर्स था, उसे उसने पहले संवार कर रखा। वह पचास साल साइकिल से चला। हम पहले दिन से विदेशों की तरफ देखते रहे कि हमारी वैकल्पिक नीति क्या हो। हम कभी रूस की तरफ देखते हैं और कभी यूरोप

और अमरीका की तरफ देखते हैं। हमने कभी अपने नीचे और अपने भीतर देखने का काम नहीं किया, अपने अंदर झांकने का काम नहीं किया। हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या स्ट्रैंथ है, हमने इसे कभी नहीं देखा। स्वदेशी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उसे कोई दूसरा नाम दे दें। इस देश का जो पुरुषार्थ है, जो शक्ति है, उसे जो नाम देना हो दे दो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीन ताकतें आपके पास हैं। अभी नामधारी जी यहां बैठे थे, हमारे देश में जो टोटल खनिज उपलब्ध है, उसका 42 फीसदी खनिज अकेले झारखंड में उपलब्ध है। यानी हमारी धरती आज की दुनिया के मुकाबले में जितनी मालामाल है, उतनी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। लेकिन हम अपना आयरन ओर फोकट में बेच रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पार्लियामैन्ट में भी इस पर डिबेट होती है। कोल सदियों में डिपाजिट होता है, उस कोल ब्लाक की जो बंदरबांट हुई है, जो बरबादी हुई, तबाही हुई है, उसे निकालने का काम माननीय सदस्य, श्री हंसराज जी अहीर ने किया है। लेकिन आज तक इनकी बात देश नहीं सुन रहा है।...*(व्यवधान)* चाहे थर्मल पावर हो, चाहे सीमेंट का मामला हो या अन्य कोई चीज हो, आपके पास और कोई दूसरी चीज नहीं है। आप अगर कोल ब्लाक के नीचे डेढ़ किलोमीटर चले जाएं तो वहां गैस ही गैस है। आपको गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ज्यादा इन आंकड़ों में फंसना नहीं चाहता। पहले जिस तरह हमारे मुनीम बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन आपने जिस तरह से नकल की है, करंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये शब्दावली आपकी नहीं है, बल्कि आपने उधार ली है। दुनिया से आप उधार जरूर लो, लेना चाहिए, यह अच्छी चीज है। लेकिन अपनी अच्छी चीजों को छोड़कर नहीं लेना चाहिए। इस देश में इतनी दौलत थी, आपने उस दौलत को बेचने का काम ही नहीं किया, आप उसकी सच्ची कीमत, अच्छी कीमत लेने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या यहां स्टील प्लान्ट्स नहीं लग सकते है? आजादी के बाद भिलाई और अन्य जगहों पर स्टील प्लान्ट बने। आप आयरन ओर क्यों बेच रहे हो? यह मिट्टी के दाम भी नहीं बिक रही है। आप कहते हो हमें घाटा है, घाटा किस बात पर है। यह करंट डेफिसिट आपकी जान की फांसी बना हुआ है। इस देश में पैट्रोल, डीजल और तेल देश की इकोनोमी की धुरी हो गये हैं और आप इनके सामने सिर झुकाये हुए हैं। आप रास्ता ही नहीं ढूंढते।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इतने कोल ब्लाक हैं और उसमें डेढ़ किलोमीटर नीचे इतनी गैस उपलब्ध है। आज मशीने भी आ गई हैं, टैक्नोलोजी भी आपके पास है। लेकिन आप गैस नहीं निकालते हैं। जहां गैस निकल आई, आज तक आप उसका समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। मंत्री बदले जा रहे हैं। लेकिन आप गैस का फैसला नहीं करते हैं। जो निकल आया है, उस पर भी तो करने को तैयार नहीं हैं। कश्मीर के बारे में मुझे नहीं मालूम है, मुलायम सिंह जी बता रहे हैं कि वहां पर भी पहाड़ों के नीचे गैस है। लेकिन छोड़ दीजिए, सभी कोल ब्लॉकों के डेढ़ किलोमीटर नीचे गैस ही गैस है। इस देश के देशी पूंजीपति या विदेशी पूंजीपति, आपको कौन रोक रहा है? आप परचून की दुकान में एफ.डी.आई. ला रहे हैं। इसमें एफ.डी.आई. लाने को तैयार नहीं हैं। बुलाइए आप कितनी एफ.डी.आई. बुला रहे हैं। हमें गैस की जरूरत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह खनिज, जो सही दौलत थी, उसको आपने ठीक से सहेजने का काम नहीं किया है। आप उस संपत्ति और दौलत को ठीक से दुनिया के बाज़ार में बेच पाते, ठीक से सहेजने का काम नहीं किया है। आप उस संपत्ति और दौलत को ठीक से दुनिया में बेच पाते, ठीक से उसके दाम ले पाते तो ये सारी चीज़े, सारी उलझनें कम होती। ये दस्तकारी, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, चीन को हम कह रहे हैं कि वह गणपति बनाकर भेज रहा है, वह पटाखे बना कर भेज रहा है, वह बजरंगबली बना कर भेज रहा है। हमारे यहां बजरंग बली बनाने वाले तो बहुत पुराने लोग हैं। वे असली बजरंग बली बनाते हैं। वे असली गणपति बनाते हैं। कारपेट से ले कर दस्तकारों का आज भी उत्तर प्रदेश सबसे गढ़ है। पिलखुवा से ही गढ़ शुरू हो जाता है। साऊथ से ले कर, कश्मीर से ले कर, सारी जगह बनते हैं। लेकिन हमने सब के सब ठप्प कर दिए हैं। अंग्रेजों ने अंगूठा काटा था, हमने उनके हाथ काट डाले। हम सोचते हैं हम तो बहुत आगे हैं। देश 65 साल में जहां कदम ताल कर रहा है, वहीं कर रहा है। दुनिया जितनी बढ़ रही है, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। दुनिया में हमारे लोग जाते हैं, कमा-काम के यहां ले आते हैं। जमीन के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है। आप इसको विकास कह रहे हैं? जमीन बेच कर विकास नहीं होता है। जिस दिन धरती बिकती है, उस दिन इज्जत, मान, संस्कृति और तहज़ीब भी बिक जाती है। यह हो रहा है। धरती नहीं बिकती है। धरती बेच कर के हम धंधा कर रहे हैं। अपनी दौलत-आयरन ओर, तांबा, एल्युमीनियम आदि को हम मिट्टी के दाम बेच रहे हैं।

सभापति जी, आप तो गोवा से आते हैं। आयरन ओर का तमाशा मैंने आपसे ज्यादा तो देखा नहीं है। कहते हैं कि वहां का आयरन ओर तीन ग्रेड का है। वह सब चीन ले गया है। सब शहर के लोग ले जा रहे हैं। यह हालत है। वित्त मंत्री जी, खनिज की

[श्री शरद यादव]

पॉलिसी है, वह कैसे बनेगी? जिससे देश का आगे बढ़ने का काम होगा। दस्तकारों की तरफ आपकी निगाह कब जाएगी? आप सब तरफ पैसा बांट रहे हैं, खुद ही आपके सदस्य बोल रहे थे, गरीबों के जितने कार्यक्रम आपने बना रखे हैं, वह एक भी गरीब के पास नहीं जा रहा है। चाहे वह हैल्थ के हों, चाहे पेय जल के हों, चाहे वह स्कूल कॉलेज के हों। मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ हूं। लेकिन आज-कल सरकारी कॉलेज उजड़ गए हैं। आज से 40-50 साल पहले जो शिक्षा थी, अधिकांश लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं, वे उसी शिक्षा की उपज हैं। आप की शिक्षा सर्व शिक्षा है। सर्वशिक्षा नहीं है, सर्वनाश का काम चल रहा है। मिड-डे मील - यानि मास्टर भोजन पकाने में लगा दिए हैं। इस तरह से पैसा बर्बाद कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और वह सिर्फ इसलिए कि हम गरीबों के लिए इंक्लूसिव है। न आदिवासी के पास पैसा पहुंच रहा है, न दलित के पास पैसा पहुंच रहा है, न कोई स्कूल-कॉलेज और इलाज के लिए पैसा पहुंच रहा है। अस्पतालों में कुत्ते सो रहे हैं। ये हालत है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जो इतना बड़ा काम करते हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास वह ढांचा है ही नहीं, जो हमारे पास ढ़ांचा है, वह पटवारी से लेकर बीडीओ तक, यानी वे एक भी पैसा गरीब आदमी के पास नहीं जाने देते हैं। क्या गरीब के पास उस पैसे को पहुंचाने की कोई विधि या कोई तरीका आप निकालेंगे? वह तरीका यह है कि तुम्हारे पास तीसरी सबसे बड़ी चीज है, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जरखेत जमीन। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जरखेत जमीन है।...*(व्यवधान)* हुक्मदेव नारायण यादव जी, हमारी बात सुनिये। गंगा और यमुना का मैदान तो आज हमने तबाह कर दिया, उसमें अर्थश्री है, मैं इस सारी चीज को फिर से दोहरा सकता हूं। आपने इसमें जिस तरह से पैसे की बंदरबाट की है, वह एक भी पैसा गरीब आदमी के पास जाने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है। जिसमें पैसा जाना चाहिए, उसके लिए आपने कितना किया है? इस देश में आपने सिंचाई के लिए एक हजार पांच सौ करोड़ रूपये किये हैं। ...*(व्यवधान)* यह पूरे देश के लिए किया है। पिछली साल आपने 776 करोड़ रूपये का अलोकेशन किया था, अनुमान आपने एक हजार पांच सौ करोड़ रूपये का लगाया था। फिर आपने अनुमान लगा लिया। मैं इस आंकड़े को यहां देना चाहता हूं। इस देश की 64 फीसदी जमीन आज भी बगैर पानी के है, असिंचित है।

महोदय, देश में मेरे से ज्यादा घूमने वाला कोई भी आदमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की धरती पर, देश में मैं सब जगह घूमा हूं। चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, मुलायम सिंह जी का इलाका हो। आपके यहां से तो मैं राज्य सभा का मेंबर भी रहा हूं। मैं आपके घर से, रामगोपाल यादव जी के घर से मैं राज्य सभा का मेंबर रहा हूं। मैं आपके यहां से लोक सभा का मेंबर भी रहा हूं। जहां-जहां भी आप पानी ले गये हैं, वहां मनरेगा वाले कम हैं। वहां मजदूरी ज्यादा है, वहां हर जगह पानी का संकट नहीं है। जहां पानी ले गये हैं, वहीं सड़क गयी है, वहीं स्कूल गया है, वहीं अस्पताल गया है। महोदय, यहां पानी गया है, वहां इंसानों के चेहरे पर पानी भी आ गया है। यानी चेहरे पर रौनक आ गयी है। जहां जमीन असिंचित है, वहां तो आंखों में पानी सूखेगा। सदियों से पानी के जितने नाम हैं, उतने किसी चीज के नाम नहीं हैं और पानी के ऊपर जितना पुराना साहित्य है, उतना किसी दूसरी चीज पर शायद नहीं है। पानी के महत्व को दुनिया और हम आज भी पहचानने को तैयार नहीं हैं। वित्त मंत्री जी जहां हमने सिंचाई की है, उस इलाके में चले जाइये और देख लीजिए। कि वहां आपका कितना मनरेगा चलता है? वित्त मंत्री जी आप आ गये हैं तो थोड़ा मेरी बात सुनिये, खजाना मंत्री जी मेरी बात जरूर सुनिये। सीधी सी बात है कि जहां आप पानी ले गये हैं, वह पंजाब का प्रताप सिंह कैरो, सब जगह से कारखाना ले गये थे, लेकिन कारखाने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड वाले लोग भूखों मर रहे हैं। अभी अजय कुमार बता रहे थे कि वहां से 75 लाख लोग बाहर चले गये। मैं जानता हूं कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं और इनकी समझ में भी बढ़िया है। पंजाब से कोई गया है तो वह अमेरिका गया है, कनाडा गया है। वहां भी जमीन खरीद रहा है। कोई हरियाणा से बाहर गया है। अभी महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में सूखा पड़ा है। वैस्टर्न यूपी में जहां गंग नहर है, कभी सूखा पड़ा क्या? आन्ध्र प्रदेश में सूखा, गुजरात में सूखा, कर्णाटक में सूखा लेकिन पंजाब तथा जिन क्षेत्रों में नहर है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, सभापति इस तरफ हैं। कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आपका नाम तो सारदीना है, इसलिए आपके चारों तरफ तो घूम ही सकते हैं।

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जमीन पर जो नतीजा आ गया, क्यों नहीं फाइनैन्स मिनिस्टर साहब मानते? 64 फीसदी जमीन जो गैर-सिंचित है, यदि बजट में आपने इसी तरह बूंद-बूंद टपकाने का काम किया तो इसको 1000 साल लगेंगे। आप क्यों नहीं इसमें पैसा डालते हैं? यह सारी जो आप गरीबों की स्कीम चला रहे हैं, कुछ एन.जी.ओज़ बैठकर आपको समझा रहे हैं। यह देश एन.जी.ओ. की समझ में नहीं आएगा, जो लोग किसान, मजदूर और राजनीति में हैं, उनकी समझ में आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए किया है। गरीबों के लिए तो हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूं। गरीबी बढ़ती है, घटती नहीं है। आपके आंकड़े कुछ कहते हैं लेकिन गरीबी वहीं मिटी है जहां आप पानी ले गए हैं। पानी जब ले जाते हैं तो उस इलाके के पेड़, पौधे, जानवर सबकी शक्ल बदल जाती है। फसल भी एक हो जाए...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : तीन फसल हो जाती हैं।

श्री शरद यादव : तीन फसल तो हो जाती हैं लेकिन उस फसल के भीतर भी एक चीज़ पैदा होती है जो गाय-भैंस खाती हैं। हम और आप एक नंबर पर दूध के उत्पादक हो गए। लेकिन जब भी दूध का मौसम आता है तो टीवी वालों को देखो, इस देश में प्रचार देखों कि ये दूध पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं। कहते हैं कि मिलावट है। एक आदमी कोई मरा हो तो मुझे बता दें। शराब से तो बहुत लोग मरे हैं लेकिन दूध पीने से कोई आदमी मरा हो, कोई खोवा या मिठाई खाने से मरा हो तो मुझे बता दें। ये जो चॉकलेट बेचना चाहते हैं, यह दस महीने और तीन साल तक चलती है। हमारे यहां कदम-कदम पर हर कस्बे में ऐसी मिठाई है कि हम दुनिया के बाज़ार में छा सकते हैं। हमारी मिठाई तीन दिन से ज्यादा नहीं चलती। हमारे यहां पुराना फूड भी है। ...*(व्यवधान)* गुड़ भी है, लेकिन हमारी मिठाई तीन दिन से ज्यादा नहीं चलती। ज्यादा रखेंगे तो खराब हो जाएगी।

श्री मुलायम सिंह यादव : गुड़ छः महीने चलता है।

श्री शरद यादव : गुड़ तो चलेगा, मगर मैं गुड़ की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मिठाई की बात कह रहा हूं। मैं तो मिठाई वाली बात कह रहा हूं।

महोदय, वित्त मंत्री जी यहां नहीं थे। मैंने कहा कि इस देश का जो खनिज है, मुझे आप सही कीजिए यदि मैं गलत कह रहा हूं, तीसरे नंबर का खनिज आपके पास है। सभापति जी जानते हैं, ये गोवा के हैं। मैं जहां जबलपुर में हूं, वहां देखा दो पहाड़ निकल गए। जब चाइना में ओलम्पिक हो रहा था तो वहां से पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। यानी यहां मिट्टी ज्यादा मंहगी मिल रही है, लेकिन आइरन-ओर सस्ता बिक रहा है। क्या यहां स्टील प्लांट नहीं बन सकते? क्या आइरन ओर की अच्छी कीमत नहीं मिल सकती? क्या हर चीज़ अदालत तय करेगी? मैं अदालत को बधाई देता हूं क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे तो अदालत ज़रूर करेगी। अदालत ने कहा और अब आपकी सी.बी.आई. कह रही है कि इसमें गड़बड़ हुई है। वह तो आपकी है, सरकार की है। वह कह रही है कि इसमें भारी गड़बड़ हुई है। इसलिए जहां आप पानी ले गए हैं, वैस्टर्न यूपी हो, हरियाणा हो, हरियाणा में जहां आप पानी नहीं ले गए, दक्षिण हरियाणा की नहरों में गीदड़ चिल्ला रहे हैं। वह भी भरा हो जाता है, यदि वहां पानी चला जाता है। लेकिन वहां पानी नहीं जा रहा है। मैं जिस इलाके में रहता हूं, वह बचपन में सूखा इलाका था। एक ट्रिब्यूटरी है, छोटी नदी है। उसका पानी आया। पंजाब और मेरे होशंगाबाद जिले में बराबरी की खेती होती है। जबकि मेरे गांव में मैंने मजदूर को भूखे मरते देखा है। आज कोई मजदूर हम को ऐसा नहीं मिलता है। पानी ने ऐसा कमाल किया कि एक धंधा नहीं, कई धंधे पैदा कर दिए। पानी की कभी कोई समस्या नहीं है, सूखे की कभी समस्या नहीं है। इस देश में ढाई करोड़ तालाब थे। आज केवल 55 लाख तालाब बचे हैं। हमारे पुरखे तो ज्यादा अक्ल वाले थे, उन्होंने पानी और उसका लेवल बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास और पुरुषार्थ किया था। लेकिन आपने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वॉटर लेवल नीचे जा रहा है। दिल्ली में वॉटर लेवल नीचे चला गया है। यमुना के लिए लोग निकले हुए हैं, गंगा के लिए लोग निकले हुए हैं। मुझे अफ़सोस और तकलीफ़ होती है कि गंगा और यमुना के लिए लोग डिबेट करें तो भारत सरकार क्या करेगी? पानी को हमने स्टेट सबजेक्ट बना दिया है। हमने उसे कंकरैन्ट लिस्ट में भी नहीं रखा है। पानी खेत, हरियाली और इंसान सब को बनाता है। इससे खेत हरा होता है और जहां-जहां खेत हरा होता है, वहां का बाज़ार हरा हो जाता है। जहां-जहां पानी ले जाते हैं, वहां उद्योग पनप जाता है। जहां-जहां पानी ले जाते हैं वहां इंसान में पुरुषार्थ आता है, स्वाभिमान आता है। जोशी जी बता रहे थे कि तीन चीज़ करिए। आप इन तीन चीज़ों पर अपनी ताकत झोंकिए। इन तीन पर पूरी ताकत झोंकेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप बाज़ार से भी मुकाबला करेंगे। बाज़ार से हम बच नहीं सकते हैं। यह करन्ट डेफ़ीसिट है। यह संकट है और यह इसलिए हमारे ऊपर है, क्योंकि हम

[श्री शरद यादव]

अपने भीतर की ताकत को नहीं बना रहे हैं। भीतर की ताकत को बनाने का काम इन तीन रास्तों से बनता है। मैं तो इंजीनियर हूं, मैं आपके जैसा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुभव है। अनुभव से दुनिया बनी है।

महात्मा जी ने कहा है कि विद्या की महातरी बुद्धि की महतारी विद्या नहीं हो सकती है। मैं अपनी समझ से कह रहा हूं। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक जो देखा है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि सबसे बड़ी ताकत पानी है, नदी है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। उसमें आप जो पैसा एलॉट कर रहे हैं, वह खर्च भी नहीं होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले बहुत काम हुआ है, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद इसमें बहुत दिक्कत आ गयी। सारे डैम अधूरे पड़े हैं। मैं नहीं कहता कि डैम बनाइए। ढाई करोड़ तालाब थे। आप चेकडैम बनाइए। मैं आपकी सरकार के ज़माने में राजस्थान और मध्य प्रदेश घूमा हूं। वहां आपके मुख्यमंत्री थे। वहां मैंने इतने चेकडैम देखे कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हमारा हो या किसी और दल का हो, वह पानी के लिए अगर कोई काम करता है तो उस इलाके का चेहरा बदल जाता है। जब खेत हरा करोगे तो दुनिया में किसी का मुकाबला कर सकते हो। आप कह रहे हैं कि ताल कमज़ोर है। नर्मदा का मैदान हमारा इलाका है। उसमें सबसे ज्यादा अरहर होती थी। आज कोई अरहर नहीं लगाता है क्योंकि वह अरहर लंबे समय में होती है। उसमें समय लगता है। उसके उत्पादन की ठीक कीमत नहीं मिलती है। हमारे इलाके के एम.पी. हैं श्री उदय प्रताप सिंह। आप इन्हें बुला कर पूछ लीजिए कि जो पिपरिया है, काटरवाड़ है, उसकी दाल कहां-कहां जाती है। इस देश में जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वे सब अरहर की दाल वहीं से ले जाते हैं। हमारे यहां का जो शर्बती गेहूं है वह प्रसिद्ध है। चना तो मरे इलाके में नहीं है। आप को बताएं कि मेरे इलाके में पंजाब के उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हो गया। मेरे गांव में जा मजदूर है उसे ढाई सौ रुपये मिलते हैं। वहां बिहार और छत्तीसगढ़ से मज़दूर आने लगे हैं। मेरे यहां पहले किसान के घर में मज़दूरों की भीड़ होती थी, पर अब मज़दूर के यहां किसानों की भीड़ है। आपने जो सारी स्कीम चलायी है, वित्त मंत्री जी, मैं आप से कहता हूं कि भले ही आप ने किसी एन.जी.ओ. के कहने से चलायी है जिस पर लोग बहुत ताली पीट रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि जिस समय यहां का श्रम करने वाला श्रम से दूर हो जाएगा तो कल आप बहुत भुगतेंगे। इसलिए मेरा इस बजट पर आपसे कहना है कि इन तीन चीज़ों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। यह कदमताल है। आप ने अपना पैर, जो लोग पहले जूता छोड़ गए, उन्हीं जूतों में डाला है। इसलिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जूते आप को दौड़ाते नहीं हैं, वे आप के पैरों को खराब करते हैं, इन्हें चलने नहीं देते है। आप इधर-उधर देखिए यानी कि जो श्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कुछ न कुछ तय कीजिए। यह परिस्थिति आप के साथ है। बजट का डेफिसिट आपके लिए है। सारी दुनिया में जो ग्लोबल इकॉनोमी है, उसका दबाव है। लेकिन मेरा एक फोरकास्ट है कि यह दुनिया बदलेगी, लेकिन यह दुनिया यूरोप और अमेरिका से बदलेगी। वहां बगावत होगी। यह बगावत पहले इसलिए नहीं हुई कि वे लोग दुनिया भर में राज कर रहे थे। जो वे लूट कर ले गए हैं, उस पर उनकी इकॉनोमी है। अब उनकी आगे नहीं चलेगी। अब वे हमारे यहां ये सारे उपाय कर रहे हैं।

इसमें आपने स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर की चिंता बहुत की है कि वहां रेटिंग न घट जाए। उनकी चिंता नहीं कीजिए। देश को बनाने के लिए मैंने तीन चीज़ों के बारे में कहा-

न इधर देख न उधर देख, सीधी चाल चल,
कैसे यह देख नहीं बनता, कैसे यह दुनिया नहीं बनती।

इस देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम इसी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

* **श्री सी. शिवासामी** (तिरूपुर) : आम बजट 2013-14 पर चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे प्रसन्नता है।

सर्वप्रथम, मैं वर्तमान बजट में रेडीमेड वस्त्र उद्योग को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सरकार का इरादा वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने का है। इसे पूरा करने के लिए सरकार को देश के कपास उत्पादों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कपास की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण के लिए, कपास उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। सरकार को कपास व्यापारियों जो कि कपास की भारी मात्रा को जमा कर लेते हैं और

* मूलतः तमिल में सभापटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुदान का हिन्दी रूपांतरण।

उसे काले बाजार में बेचने का प्रयास करते हैं के हक में काम नहीं करना चाहिए। पानी किसी भी राष्ट्र के विकास का स्रोत है। यह चिन्ता का विषय है कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए सरकार के पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। संघ सरकार आय का बड़ा भाग तमिलनाडु से आता है। परन्तु संघ सरकार तमिलनाडु की सभी प्रामाणिक मांगों को नकारते हुए उसके प्रति सौतेले रवैये के साथ काम करती है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्यी थालेवी अम्मा ने राज्य के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग की थी और संघ सरकार ने उस मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधियों को भी कम कर दिया जाता है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्यी थालैवी अम्मा ने तमिलनाडु राज्य के मिट्टी के तेल की अतिरिक्त कोटे की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था। परन्तु संघ सरकार ने तमिलनाडु राज्य वाले मिट्टी के तेल की आपूर्ति के विद्यमान कोटे को कम कर दिया है। तमिलनाडु में डी.एम.के. के नेतृत्व वाली सरकार के शासन के दौरान राज्य बिजली बोर्ड सही ढंग से काम नहीं कर पाता था और उसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी में वृद्धि हुई। इस स्थिति से निपटने के लिए, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्यी थालैवी अम्मा ने संघ सरकार को अनुरोध किया कि केन्द्रीय ग्रिड से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाए, उसे भी केन्द्र सरकार ने सिरे से नकार दिया है।

कावेरी में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्यी थालैवी अम्मा ने डेल्टा क्षेत्र के प्रभावित किसानों को 15000 रूपये का मुआवजा दिया है। कुल मिलाकर, कांग्रेस के नेतृत्व वाली संघ सरकार उन गतिविधियों में लिप्त है जो कि तमिलनाडु के अधिकांश लोगों को हर मोर्चे पर प्रभावित करती हैं। नए कर आरंभ करने की बजाय, यदि वर्तमान सरकार चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार पर काबू कर लेती है, तो यह एक कर-मुक्त बजट प्रदान कर सकती है। 120 करोड़ लोगों के विकास पर ध्यान दिया बगैर, केन्द्र सरकार की अधिक रूचि 100 विशाल पूंजीपतियों के विकास में है। कुल मिलाकर, यह आम बजट राष्ट्रीय विकास के लिए नहीं है बल्कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े-बड़े व्यवसायियों के फायदे के लिए है।

* **श्री एन. पीताम्बर कुरूप** (कोल्लम) : माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट 2013-14 का लक्ष्य देश को विकास, गौरव और उन्नति की नई ऊंचाई पर ले जाना है। उन्होंने बताया कि विश्व की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में भी 2010-11 के बाद प्रगति धीमी रही है। माननीय वित्त मंत्री जी को पूर्ण विश्वास है कि देश 8 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त कर लेगा। अब भी विश्व के बड़े देशों में केवल चीन और इंडोनेशिया ही 2012-13 में भारत से तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य उच्चतर विकास पर प्राप्त करना है ताकि समेकित और सतत विकास किया जा सके। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। मुद्रस्फीति से भी प्रत्येक मोर्चे पर लड़ना होगा। इस बजट का लक्ष्य युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल प्राप्त करने के लिए अवसर पैदा करना है जिससे वे सम्मानजनक नौकरी या स्वरोजगार-प्राप्त कर सकें, जिससे उन्हें पर्याप्त आय होगी। इससे वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और भयरहित वातावरण में रह सकने के काबिल होंगे।

केन्द्र सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए बहुत बड़ी राशि 37,330 करोड़ रुपये आवंटित की गयी है। चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 4,727 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी जैसे परम्परागत स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1069 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं।

कोई भी देश अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा के बिना उन्नति नहीं कर सकता है। माननीय मंत्री के बिना उन्नति नहीं कर सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 65,867 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित मान से 17 प्रतिशत से ज्यादा है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 27258 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। मध्याह्न योजना के लिए 13,215 करोड़ रुपये का आवंटन करके इसे बढ़ावा दिया गया है। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता हेतु चालू वर्ष के 1300 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 15,260 करोड़ रूपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए वर्ष 2013-14 में 80194 करोड़ रूपये की एक बड़ी राशि आवंटित की गई है। मनरेगा को 33,000 करोड़ रुपये, पी.एम.जी.एस.वाई. को 21,700 करोड़ रुपये और आई.ए.वाई. को 15,184 करोड़ रूपये मिलेंगे। 2009 से 2012 के दौरान 14,000 बसों की संस्वीकृति देने से शहरी परिवहन में बड़ा योगदान हुआ है। चालू वर्ष के 7383 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान के विपरीत 14,873 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री शरद यादव]

वर्ष 2013-14 के दौरान कृषि मंत्रालय के लिए 27,049 करोड़ रुपये का आवंटन करने से चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 22 प्रतिशत ज्यादा है। इस आवंटित राशि में से कृषि अनुसंधान के लिए 3,145 करोड़ रुपये दिया जाएगा। हरित-क्रांति और फसल विविधिकरण कार्यक्रम के रूप में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। निवेश आकर्षित करने तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 2013-14 में एक नई परियोजना नामत: राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू की गयी है। इस मिशन हेतु 307 करोड़ रूपये नियत किये गये हैं। संसद द्वारा पारित होने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत खाद्य राजसहाता के लिए 10,000 करोड़ रुपये अलग रखे गये हैं।

देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ-साथ स्वदेशी निवेश भी महत्वपूर्ण हो 12वीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना के विकास के लिए 1 ट्रिलियन यू.एस.डी. या 55,00,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हेतु 800 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए है।

रक्षा हेतु 203, 672 करोड़ रुपये आवंटित करते समय माननीय मंत्री महोदय ने सदन को आश्वस्त किया था कि राष्ट्र की सुरक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने की राह में कोई कठिनाई नहीं आएगी।

पंचायती राज संस्थान में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2013-14 में पंचायती राज मंत्रालय को 455 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

महिलाओं की प्रतिष्ठा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया कोष के नाम से कोष बनाया गया है जिसके 1,000 करोड़ रुपये दिये गये हैं। देश में केवल महिलाओं के लिए हीं एक नया बैंक खोला गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं:

केरल देश में एक अग्रणी राज्य है जिसने पंचायती राज प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया है। यही एक राज्य है जहां पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी हैं और इसका ईमानदारी पूर्वक पालन भी किया गया है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से केरल में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा इसका विकास करने के लिए ज्यादा धन आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत ही मजबूत है। उचित मूल्य की दुकानों के आवाश्यकताओं को पूरा करने के लिए केरल को और ज्यादा चावल, चीनी और गेहूं आवंटित किया जाना चाहिए।

स्व-सहायता समूहों का कुदुमबाश्री या अचालक्कुट्टमों जैसे महिला सशक्तिकरण संबंधित समूहों ने केरल के मजबूती से जड़ जमा ली हैं।

इन्हे मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए ज्यादा धन आवंटित किया जाना चाहिए।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत केरल के विभिन्न शहरों में नई बस सेवाएं शुरू करने के लिए और ज्यादा धन आवंटित किया जाना चाहिए।

कचरे से बिजली का उत्पादन करने के लिए केरल राज्य हेतु धन का आवंटन बढ़ाना चाहिए।

केरल सौर-प्रणाली के माध्यम से बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दस संबंध में राज्य को और अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

केरल में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए, केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

कोल्लम, केरल में एम्स स्तर के कैंसर अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए।

केरल के काजू कामगारों की सहायता के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिया जाना चाहिए।

कोल्लम, केरल में रबड़ पार्क भी बनाया जाना चाहिए।

सम्पूर्ण केरल में जबरदस्त सूखा पड़ा है। केरल में अप्रत्याशित सूखे के कारण बड़ी मात्रा में फसले नष्ट हो गई हैं। सूखे के कारण 5800 करोड़ रुपयें का कृषि द्वारा हुआ है। राज्य के अनेक बांधों में पानी की कमी के कारण केरल विद्युत बोर्ड को 1610 करोड़ रूपये का घाटा हो रहा है। केरल के विभिन्न जिलों में पेयजल

की गंभीर कमी है। कई स्थानों पर बांध सूख गये हैं। इसलिए, केरल के सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाना है। उपर्युक्त स्थितियों को देखते हुए, राज्य में एक केन्द्रीय दल तत्काल भेजा जाना चाहिए और केरल के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मै माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम जी द्वारा प्रस्तुत 2013-14 के विकासमय परिकल्पित बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : माननीय सभापति महोदय, बजट के बारे में, सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि यह बजट दिशाहीन है और वास्तव में इसमें कोई नई बात नहीं है।

महोदय, हमारे राज्य की पिछले 20 वर्षों की ऋणस्थगन संबंधी मांग पर वित्त मंत्री द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वर्ष 2011 में जब पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने कार्यभार संभाला था, वह 2,03,300 लाख करोड़ से अधिक के कुल संचित ऋण से लदी पड़ी थी। वस्तुत: पश्चिम बंगाल के लोगों पर 21,000 प्रति व्यक्ति ऋण का बोझ था यू.पी.ए.-एफ. के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2004 और 2006 के बीच में राज्य का ऋण 497 प्रतिशत तक बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में राजस्व दायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक वर्ष 2010 में लागू हुआ। वर्ष 2010 से पहले, केन्द्र सरकार से इस ऋण को देख समझ कर लेने की स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न अवसरों पर वित्त मंत्री ने अपने पूर्ववर्ती सहित यह आश्वासन दिया था कि वे इस मामले पर ध्यान देंगे। परन्तु कुछ नहीं किया गया है, बजट के संबंध में भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है। अब हमारी समझ में नहीं आता कि पश्चिम बंगाल के संबंध में रेल मंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों द्वारा सौतेला रवैया क्यों अपनाया गया है।

केन्द्र सरकार अब पश्चिम बंगाल राज्य से ब्याज के रूप में 25,000 करोड़ रुपये काट रही है जबकि जो राजस्व आ रहा है, वह केवल 21,000 करोड़ रुपये है। महोदय, आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मात्र एक वर्ष में, पश्चिम बंगाल राज्य में, बिना कोई कर बढ़ाए, अपने राजस्व में 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। राज्य की जी.डी.पी. राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर 5.5 प्रतिशत तक बढ़ी है। इन सभी बाध्यताओं के साथ, हम काम कर रहे हैं; हर बार हम इसे माननीय वित्त मंत्री के संज्ञान में लेकर आए हैं, परन्तु इस पर विचार नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अब पश्चिम बंगाल के प्रति ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जाता है।

बनाने का प्रस्ताव किया और इन निधियों का एक हिस्सा एक नए कार्यक्रम, जिससे कि आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्णाटक, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कुछेक राज्यों को लाभ होगा, आबंटित किया। मुझे इन राज्यों के बारे में कुछ नहीं कहना है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार में उन स्रोतों से कार्य किए जा रहे हैं जोकि सभी राज्यों से प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होते हैं। उनके राजस्व का स्रोत राज्य हैं। यदि राजस्व का स्रोत सभी राज्यों से है, तो केवल सड़कों का विस्तार करने के लिए पांच राज्यों को ही क्यों चुना गया है? भारत में, तकरीबन सभी राज्यों में नई सड़कों की आवश्यकता है। केवल पांच राज्यों को ही क्यों चुना गया है?

महोदय, वे वास्तव में अन्तर्राज्यीय संबंधों में वैमनस्यता लाकर अन्तरराज्यीय संबंधों में हस्तक्षेप कर रहे हैं; कुछ राज्यों को लाभ पहुंचा रहे हैं और दूसरे राज्यों को वंचित कर रहे हैं। ऐसा क्यों? सभी राज्यों से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आ रहे हैं।

महोदय, मुझे खुशी हुई होती कि सबसे निचले स्तर पर आयकर दाता को 2000 रूपये का लाभ देने की बजाय, जो इस स्लैब में आते हैं, उन्हें स्लैब में वृद्धि की होती। केवल 2,00,000 रूपये से 2,50,000 रूपये करने से कम से कम 1.5 करोड़ लोगों लाभान्वित होते है। यदि वे वास्तव में आम आदमी के लिए सोचते हैं, यहां पर दो करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक आम आदमी हैं। केवल इस उद्देश्य के लिए, उन्हें 2,000 रूपये का लाभ मिलेगा और अनावश्यक रूप से, कम से कम, 1.5 करोड़ फाइलें खोलनी होंगी, अधिकारियों को समय दिया जाना होगा। ऐसा क्यों है? स्लैब को ही बढ़ा सकते थे और 1.5 करोड़ लोगों लाभन्वित कर सकते थे।

वित्त विधेयक में धारा 91 पुर:स्थापित करके, सेवा करके मामले में वित्तमंत्री पुन: इंस्पेक्टर राज ले लाए। वित्त विधेयक की धारा 91 के अधीन प्राधिकारियों को पुन: नीति संबंधी शक्तियां दे दी गई हैं। सेवा करके क्षेत्र में कौन काम कर रहा है? यह मध्यम वर्ग, रेस्तरों, होटल इत्यादि हैं। वे मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उस स्थिति में ऐसा क्यों है? सेवा कर के दक्ष कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु, यदि वित्त मंत्री को प्रभावी वित्त मंत्री बनने के लिए पुलिस की ताकत की जरूरत पड़ती है, तो वित्त मंत्री को गृह मंत्री की शक्तियों की आवश्यकता है।

महोदय, इस बजट द्वारा संविधान के साथ एक बाजीगरी, एक धोखा किया गया है। कर की दर को बढ़ाकर 1 करोड़ से अधिक कर देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह दस प्रतिशत

[श्री कल्याण बनर्जी]

अधिशुल्क क्यों लगाया गया है? यदि आयकर आया होता और यदि यह राशि मुख्य ढ्रांचे में सम्मिलित कर ली गई है, तो राशि राज्यों में वितरित की जा सकती थी। परन्तु जब यह अधिशुल्क में सम्मिलित है, तो अधिशुल्क की यह राशि राज्यों में वितरित नहीं की जा सकती। जहां तक व्यक्तिगत क्षमता का संबंध है, यह राशि 2,47,000 रुपये तक आती है और जहां तक कम्पनियों का संबंध है, यह 4,19,000 रुपये के लगभग आती है। कुल जोड़ 6,66,000 रुपये आता है। इसलिए, आयकर के अधीन, आप 6,60,000 रूपये एकत्र करेंगे। इस 6,66,000 रूपये का लाभ राज्यों को नहीं मिलेगा। केवल केन्द्र द्वारा इसका लाभ उठाया जाएगा। आपने कहा है कि यह आय केवल एक वर्ष के लिए कर रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि एक वर्ष पश्चात आप लौटकर नहीं आएंगे। इसी उद्देश्य के लिए, आप राज्यों का धन राज्यों में बांटने के बगैर ही इसके लाभ का आनन्द लेने चाहते हैं। यह संविधान के साथ धोखा है; यह संघवाद के साथ धोखा है।

महोदय, कृषि क्षेत्र में, अनुसंधान प्रयोगशाला से किसान के खेत तक प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूर्वी राज्यों में वास्तविक सुधार लाने के लिए आबंटन बहुत ही कम है। पश्चिम बंगाल में, हम 10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं। औसत ऋण राशि बैंकों से आती है; वे ऋण देते हैं। जहां तक राष्ट्रीय औसत का संबंध यह 78,000 रुपये है, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध बैंक औसतन 48,000 रुपये का ऋण देती हैं। यह भेदभाव क्यों है? पश्चिम बंगाल के संबंध में यह भेदभाव बार-बार क्यों होता है?

महिला सशक्तिरण, महिला सुरक्षा के बारे में बहुत बातें की जाती हैं। निर्भया योजना के अंतर्गत आप केवल 1000 करोड़ रूपये लेकर आए हैं। यह कुछ भी नहीं है; यह नगण्य है। प्रत्येक महिला, जो कि लाभ प्राप्त करने की हकदार है, को केवल 8 रूपये मिलेंगे। औसत 8 रूपये प्रति महिला आती है। यह पिछले वर्ष के बजट में महिलाओं के लिए आबंटन में मात्र 2 प्रतिशत की वृद्धि है। कुछ नहीं है। यह बड़ी बाजीगरी, बड़े शब्द, बड़े भाषण, बड़ी चीजें, बड़े टेलिविजन साक्षात्कार हैं कि वे महिलाओं के लिए इतनी अधिक कर रहे हैं। वास्तव में, यदि आप देखें, तो बजट में महिलाओं के लिए मात्र 2 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे अधिक कुछ नहीं है। यदि कोई घरेलू हिंसा योजना को कार्यान्वित करता है, तो घरेलू हिंसा योजना के सही कार्यान्वयन के लिए यह जो विधेयक आया है, इसके लिए पूरे भारत के लिए कम से कम 1154 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह मांग काफी समय से लंबित है। इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। घरेलू हिंसा संबंधी योजना के कार्यान्वयन हेतु 1154 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है।

महोदय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला और बाल विकास के मामले में आवंटन यू.पी.ए.-I के कार्याकाल की अपेक्षा यू.पी.ए.-II में घटा है। मैं इस बारे में आंकड़े देना चाहूंगा। यू.पी.ए.-I के मामले में शिक्षा में यह आवंटन 25.7 प्रतिशत था। किन्तु अब यू.पी.ए.-II के कार्यकाल में यह 21.7 प्रतिशत है। स्वास्थ्य के मामले में यह आवंटन 19 प्रतिशत था; किन्तु अब यू.पी.ए.-II के दौरान 16.2 प्रतिशत है। महिला और बाल विकास के मामले में, यह आवंटन 29.8 प्रतिशत था; किन्तु अब यह 25.4 प्रतिशत है। शिक्षा क्षेत्र के लिये बजट में की गई वृद्धि अपर्याप्त है। मैंने शिक्षा मंत्री जी को उसी दिन पेरू की ओर जाते और उन्हें यह बताते हुये देखा था कि शिक्षा मंत्रालय के लिये बहुत ही कम राशि का आवंटन किया गया है; वे वित्त मंत्री जी से इसमें वृद्धि किये जाने का अनुरोध करेंगे। वह क्या है? कुछ भी तो नहीं किया गया है। महोदय, हमें वैट को सैद्धांतिक तौर पर आरंभ किये जाने में कोई आपति नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं। किन्तु सी.एस.टी. जो देय हो जिसे प्रथमत: चुकाए जाने की जरूरत है। वैट आरंभ होने से पूर्व, जो भी सी.एस.टी. देय हो उसे सभी राज्यों को चुकाया जाना चाहिए। राज्यों के सभी वित्त मंत्रियों ने वह कहा है। इस बार बजट का आवंटन 9000 करोड़ रू. का है। मात्र पश्चिम बंगाल राज्य के लिए देय राशि 1800 करोड़ रूपये की है। वे इसे किस प्रकार देंगे। कृपया आकर यह कहिये कि हां, वैट आरंभ होने से पूर्व राज्यों को देय समस्त सी.एस.टी. का भुगतान किया जाना चाहिए। पहले हमें कृपया वह बताइये। उससे पूर्व आप यह कह रहे हैं कि आपने 9000 करोड़ का बजट रखा है। केवल शब्दों का जाल बनाने के प्रयोजन से ही ऐसा किया गया है। महोदय, वेतन भोगी वर्ग के लिये निराशा की स्थिति है। चूंकि यात्रा भत्ते, चिकित्सा भत्ते, बच्चों की शिक्षा संबंधी भत्ते जैसे भत्तों के लिये छूट में वृद्धि करके चिरप्रतीक्षित राहत बजट में तनिक भी प्रदान नहीं की गई है। कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया है। उनकी काफी समय से लंबित मांगों की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है।

शरद यादव जी ने पेयजल के बारे में काफी देर तक बोला है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। गांवों में पेयजल सुविधा नहीं है। वहां कुछ नहीं है। प्रत्येक वर्ष पेयजल के लिये बजटीय आवंटन होता है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इन आवंटनों का

कोई कार्यान्चयन नहीं है। गांव-दर-गांव पानी ही नहीं है। हर गांव में मोबाइल तो पहुंचा दिया गया है परन्तु पेयजल अब तक नहीं पहुंचाया गया है। यह हमारे देश की बहुत ही खराब एवं दुःखदायक स्थिति है।

पेट्रोल एवं डीज़ल के दाम प्रत्येक सप्ताह बढ़ जाते हैं। यह कीमत वृद्धि कहां जायेगी? कोई इस बारे में नहीं जानता। इस बारे में कोई नीति भी नहीं है। सुबह ही अचानक पता चलता है कि आधीरात को ही पेट्रोल एवं डीज़ल के दामों में वृद्धि हो गई है। महोदय इस सम्मानीय सदन में इस वर्ष तक बहुत ही नई प्रथा लाई गई है। वह प्रथा इस प्रकार है। जो मंत्री उसी सरकार में प्रभारी हैं वे रेल मंत्री से पिछले मंत्रियों की आलोचना कर रहे हैं। उसी सरकार और उसी प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहते हुऐ वह आलोचलना कर रहे हैं। मौजूदा वित्त मंत्री जी ने अपने से पहले वाले मंत्री, जो अब राष्ट्रपति भवन में हैं, की आलोचना की है और कहा है कि: वर्ष 2012-13 के बजट में योजनागत व्यय का अनुमान अत्यंत महत्वाकांक्षी था और गैर-योजनागत व्यय का अनुमान अत्यंत दकिनायूसी भरा था। आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? प्रधानमंत्री वहां चुपचाप बैठकर इसे स्वीकार कर रहे थे। हमारे देश के लिये यह बात अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी दो तरह की बातें करते हैं। विगत वर्ष वे कुछ बात कर रहे थे और इस वर्ष कुछ और बात कर रहे हैं। जो प्रथा आरंभ की गई है, मालूम नहीं यह कब तक चलेगी। यदि बजट में कोई बदलाव किया जाता है तो अगले वित्त मंत्री जी फिर मौजूदा वित्त मंत्री जी की आलोचना करेंगे। मुझे इसका विश्वास है। महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस बजट में कोई दिशा नहीं है। यह बजट इस देश के लोगों के सपनों को साकार करने में विफल रहा है। एक संशोधित बजट लाया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

***श्री राधा मोहन सिंह** (पूर्वी चम्पारण) : बजट दस्तावेज के रूप में जो कुछ सामने आया है उसमें यही स्पष्ट होता है कि सरकार अपनी ही चिंता के समाधान की ठोस कोशिश नहीं कर सकी है। सामाजिक कल्याण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खर्च किये बिना गरीब तबके और मध्यम वर्ग का हित नहीं किया जा सकता। पिछले बजट से तुलना करे तो इन क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं या तो खर्च यथावत रखे गये हैं या फिर जो वृद्धि की गयी है वह वास्तविक अर्थ में कोई वृद्धि नहीं है। मनरेगा का ही उदाहरण ले 2012-13 में 40 हजार करोड़ रुपये खर्च की व्यवस्था की गयी थी जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 33 हजार करोड़ रुपये ही होगा।

यही हाल दूसरी सामाजिक योजनाओं की भी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सही मायने में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है तो यही स्थिति सर्व शिक्षा अभियान की है। मनरेगा की तरह खाद्य सुरक्षा को स्वयं यह सरकार अपने एजेंडा में शीर्ष पर बता रही थी लेकिन बजट में इस बात की पुष्टि नहीं होती। बजट लाने के तीन दिन पहले ही खाद्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के लिए 25000 करोड़ रुपयों की जरूरत बतायी थी लेकिन बजटीय पन्नों को उलटने पर महज दस हजार करोड़ रुपये निकले। सरकार की इस योजना के प्रति गंभीरता स्पष्ट है। देश के मतदाताओं के साथ इस सरकार ने लगता है मजाक करने का मूड बना लिया है।

महिलाओं के लिए महिला बैंक, निर्भय कोष जैसे एलान करके सरकार ने आधी आबादी को आंखों में धूल झोकने का काम किया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बने कानून का अमल में लाने के लिए राशि का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। अलग से महिला बैंक की घोषणा उंट के मुंह में जीरा के समान है। इससे अच्छा तो यह होता कि मौजूदा बैंकों को महिलाओं के लिए 30-40 प्रतिशत का बजट के प्रावधान का निर्देश दे दिया गया होता। निर्भय कोष कोई नियमित बजट नहीं है। यह कार्पस फंड है चूंकि यह मामला इतना संवेदनशील था और इतना शोर हुआ इसलिए एलान कर दिया गया लेकिन देश भर में रोजाना होने वाली सैकड़ों वारदातों पीड़ीतों की कोई बात नहीं की गयी है अलग से बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण ने जो उम्मीद जतायी थी बजट ने उसे भी चकनाचूर किया है। आर्थिक सर्वेक्षण को देखने से पता चला था कि यह सरकार विकास और महंगाई को महत्वपूर्ण मसलों के तौर पर चिन्हित करती है। पर इन दोनों ही मोर्चों पर बजट कुछ भी करता हुआ दिखाई देता है। मुद्रा स्फीति और भ्रष्टाचार केन्द्र सरकार की पहचान बन गयी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से गिरती हुई स्थिति देश के लिये गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनाने के प्रति माननीय अटल जी की सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम ही था 4% से कम विकास पर जो 1998 में विरासत में आपने आपनी सरकार दी थी उसे 8% से ज्यादा पर पहुंचा दिया जब यू.पी.ए. की सरकार बनी तो आपको विरासत में मिली थी। आज देश आश्चर्यचकित है

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राधा मोहन सिंह]

कि इस सरकार के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के कौन से करतब का परिणाम है कि हमारा विकास दर 5% से नीचे चला गया हो। माननीय अटल जी के वर्ष कार्यकाल के दौरान 5% मुद्रास्फीति दर के साथ 10% विकास दर प्राप्त करने के बजाए इस संप्रग सरकार को इसके बिल्कुल विपरीत उपलब्धि हुई - 10% की मुद्रास्फीति दर और 5% की विकास दर। संकीर्ण से संकीर्ण अनुमान के अनुसार भी कांग्रेसनीय संप्रग सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से देश कई दशक पीछे चला गया है। इसके मुकाबले यह देखने योग्य बात है कि राजग ने 4% सकल घरेलू उत्पादन विकास से शुरूआत की थी और वह देश को 8 प्लस प्रतिशत विकास के पथ पर ले आई, जबकि संप्रग को 8 प्लस प्रतिशत जी.डी.पी. की विकास दर विरासत में मिली थीं और यह इसे कम करके 4% विकास दर पर ले आई है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने चिंता जतायी थी कि महंगाई, मुख्यत: खाने पीने की चीजों में महंगाई आसमान पर है पर यह महंगाई बजट बाद में होता दिखायी नहीं दे रहा है। वित्त मंत्री जी ने खाने पीने की चीजों समेत रोग के लिए जरूरी कई चीजों पर कर कम करके यह संदेश दे सकते हैं कि वे महंगाई कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर यह बजट खाने-पीने के किसी भी चीज को सस्ता नहीं करता उल्टे आज लोग अभूतपूर्व महंगाई से पिस रहे हैं, वे राहत चाहते हैं। इसके बदले सरकार ईधन उत्पादों के डिरेग्यूलेशन कर रही है और उंची कीमतों, करों, सेवा प्रभारों को बढ़ाने जा रही है। डीजल के मूल्यों में एक मुश्त 5 रूपये बढ़ा दिए गए और इसके बाद प्रति माह 50 पैसे की किश्त के अनुसार 10 रुपये बढ़ा दिये हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ता की एक नई श्रेणी सृजित की है और एक ही बार में 11 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनकी कीमत बढ़ा दी है। इस दौरान जमीनी हकीकत की उपेक्षा करते हुए सरकार ने गैस सिलिंडरों की सीमा बांध दी है जिसके परिणामस्वरूप काफी भ्रम पैदा हो रहा है और पिछले दरवाजे से कीमतें बढ़ा दी गई है। सभी प्रकार के परिवहन लागततुरंत बढ़ जाने के साथ-साथ इसका सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पेट्रोलियम पदार्थो के लगातार बढ़ रहे मूल्यों को आगे और बढ़ाने का बजट में साफ-साफ संदेश दे रखा है। 96980 करोड़ रूपये की पेट्रोलियम सब्सीडी को कम करके 60,000 करोड़ रूपये करने का इरादा है। इससे यह पता चलता है कि पेट्रोल, डीज़ल और गैस के मूल्य और बढ़ेगें। स्वाभावित है इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन से जुड़े उपभोग की सभी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होगी।

बुनियादी विकास पर माननीय अटल जी के विशेष प्रयास को गत एक दशक से संप्रग के दूर दृष्टिविहीन प्रशासन के कारण धक्का लगा। राजग शासनकाल में राजपथों का निर्माण प्रतिदिन 11 कि.मी. के स्तर पर पहूंच गया था। आज प्रति दिन 22 कि.मी. राजपथ बनाने के बड़-बड़े वायदे के बावजूद यह मात्र तीन कि.मी. प्रतिदिन रहा गया है जो बहुत ही निराशाजनक बात है। ईस्ट-वेस्ट और नार्थ-साउथ को कोरिडोर अब तक दिवास्वप्न बने हुये हैं। यहां तक की ग्राम सड़क योजना भी धीमी पड़ गई है। इस बार बजट में राशि भी कम कर दी गयी है।

विद्युत उत्पादन, जिसका लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में 78000 मेगावाट रखा गया था, वास्तव में केवल 540000 मेगावाट हो पाया है। नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 40 हजार करोड़ की आवश्यकता बतायी गयी थी बजट में 20 करोड़ रुपये भी नहीं दिया गया है। रेल बंदरगाहों तेल और गैस जैसे अन्य बुनियादों क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन पूरी तरह से निराशाजनक है। राजगने चार वर्षो के दौरान 40 मिलियन अतिरिक्त परिवारों को गैस कनेक्शन देना सुनिश्चित किया था जबकि संप्रग सरकार गत 9 वर्ष के कार्यकाल में भी इन आंकड़ों के बराबर भी नहीं पहुंची है। एम.टी.एन.एल., बी.एस.एन.एल., एन.टी.पी.सी., एयर इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्र के उपकरण उनके राजनीतिक आंकड़ों द्वारा दुरूपयोग और कुप्रबंधन के कारण हुई भारी हानि की वजह से बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप सकल निवेश में भी गिरावट आई है।

गरीबी उन्मूलन के बारे में इस सरकार का रवैया हकदारी का है न कि सशक्तिकरण का। यद्यपि सशक्तिकरण एक लाभदायक और टिकाऊ रणनीति है तथापि हकदारी लोगों को स्थायी रूप से सरकार पर निर्भर बनाने वाली है

महोदय आपकी यह सरकार जिसे राजद और लोजपा का भी समर्थन है, की गलत नीतियां आर्थिक कुप्रबंधन एवं घोटालों के कारण आज देश चतुर्दिक संकट में फंसा हुआ है। आसमान में हेलीकाप्टर घोटाला, पाताल में कोयला घोटाला और जमीन पर टेलीफोन घोटाला राष्ट्रमंडल खेल घोटाला आदर्श सोसाईटी घोटाला से भी बड़ा किसान के कर्ज माफी एवं कर्ज वितरण घोटाला ने देश को शर्मशार कर दिया है। किसानों को संस्थागत कर्ज में छुटकारा

दिलाने के लिए भारत सरकार ने ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 लागू की थी। इस योजना के तहत 3.69 करोड़ छोटे और 60 लाख अन्य किसानों को 52516 करोड़ की कर्ज माफी दी गई थी। संसद में पेश सी.ए.जी. (कैग) रिपोर्ट के मुताबिक 90576 खातों की जांच पड़ताल की गई जिसमें 20242 खातों में गड़बड़ी पायी गई। जांच में पाया गया कि कई ऐसे किसानों की माफी की गई है जो इसके हकदार नहीं थे जबकि कई ऐसे किसान जिनके कर्ज माफी होने चाहिए उनको इसका लाभ नहीं दिया गया।

रिजर्व बैंक के गर्वनर डी सुब्बा राव ने स्वीकार किया है कि सब्सीडी वाला कृषि ऋण दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2009-10 में दिल्ली एवं चंडीगढ़ जैसे महानगरों में जितना कृषि ऋण (32400 करोड़) दिया गया, वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड को मिले कुल कृषि ऋणी (31000 करोड़) से भी ज्यादा हैं। यह साबित करता है कि वर्तमान भारत सरकार की आर्थिक नीतियां देश की जनता के सबसे बड़े वर्ग के व्यवसाय, कृषि और इससे जुड़े किसान के प्रति बहुत उपेक्षा पूर्ण एवं संवेदनहीन रही है। औसतन हर 12 घंटे में एक किसान आत्म हत्या करता है। खेती पर आश्रित देश की 70 प्रतिशत आबादी बहुत दयनीय स्थिति में है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि यदि यह सरकार इस देश का भला चाहती है। संपन्न, शक्तिशाली और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना चाहती है तो निश्चित रूप से गांव, गरीब और किसान को मजबूत बनाना होगा, संपन्न बनाना होगा और यह तभी संभव होगा जब हम बजट में कृषि और किसान को प्रमुखता देगें। रेल मंत्रालय की तरह कृषि मंत्रालय के लिये भी अलग से कृषि बजट बनाया जाय। यही मेरा निवेदन है। आशा है सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी।

*** श्री के.सी. सिंह "बाबा"** (नैनीताल-उद्यमसिंह नगर) : सर्वप्रथम मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की अध्यक्षता माननीया सोनिया गांधी जी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं, जिसके कुशल मार्गदर्शन द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय जी के अथक प्रयासों से आज हमारा देश आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है। माननीय मंत्री महोदय ने आर्थिक विकास की ऊंची वृद्धि दर तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया है। साथ ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति और प्रतिकूल विदेशी स्थितियों से निपटने हेतु सराहनीय प्रयास किए हैं। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और बच्चों को फायदा पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इस बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष निधि के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। पिछले बजट में कृषि उत्पादन को बढ़ावा व प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप एवं किसानों के कठिन परिश्रम से कृषि उत्पादन बहुत अच्छा बना रहा। ग्यारहवीं योजना में कृषि वार्षिक विकास दर 3.6 प्रतिशत रही, जबकि 9वीं एवं 10वीं योजना में यह दर क्रमशः 2.5 तथा 2.4 प्रतिशत थी। किसानों को उनके कठिन परिश्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बजट में कृषि ऋण को भी माननीय मंत्री महोदय ने 5,75,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,00,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। निवेश जुटाने तथा स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2013-14 में राष्ट्रीय पशु मिशन शुरू किया गया है।

महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने महिलाओं के साथ दृढ़ता से खड़े होने के लिए अग्रिम रूप से "निर्गम निधि" की स्थापना के साथ, 1,000 करोड़ अंशदान का प्रस्ताव किया है। इस योजना की सराहना हम सबको करनी चाहिए। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किए जाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से प्रस्ताव किया है कि छात्रों के लिए भिन्न-भिन्न कौशलों में प्रशिक्षण के लिए पाठयचर्या और मानक नियत करने का प्रस्ताव है, जिसके फसस्वरूप कोई भी संख्या या निकाय प्रशिक्षण दे सकेगा। परीक्षा उतीर्ण करने का उम्मीदवार को एक प्रमाण पत्र तथा प्रति उम्मीदवार औसतन 10,000 रुपये का मौद्रिक इनाम दिये जाने का प्रस्ताव किया है। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 60 प्रतिशत अधिक निधि का प्रावधान किया है।

एक अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने खेल को प्रोत्साहिन देने हेतु महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव इस बजट में किया है।

एक अच्छा और संतुलित बजट पेश करने के लिए हमें वित्त मंत्री जी की सराहना करनी चाहिए जो कि समदेशी विकास को बढ़ावा देगा। नकद आधारित सब्सिडी योजना एक क्रान्तिकारी कदम

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री के.सी. सिंह "बाबा"]

रहा है जिससे आम आदमी को काफी फायदा हुआ। बजट में कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास का आवंटन बढ़ाया जाना महत्वपूर्ण है।

देश के औद्योगिकरण के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण नवयुवकों के लिए ग्राम में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं बनी हैं, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए देश के हर गांव तथा प्रत्येक परिवार को योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

देश को निर्धारित समय सीमा में, विकसित देश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए मानव विकास संसाधन की योजनाओं के लिए सामाजिक अवसंरचना के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अवसंरचना किसी देश के आर्थिक विकास की बुनियाद होती है। मुख्यत: हम आर्थिक अवसंरचना के सेवाओं में परिवहन, विद्युत, संचार जलापूर्ति इत्यादि से जुड़ी सेवाएं तथा सामाजिक अवसंरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मानव विकास संबंधी सेवाओं को रख सकते हैं। मानव विकास संबंधी सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने की ओर हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्वस्तरीय सेवाओं के लिए हमें अवसंरचना के प्रावधान हेतु खास तौर पर बहुत लम्बी निर्माणवधि के साथ पर्याप्त पूंजी निवेश की जरूरत होती है। इस दिशा में एक ऐसा प्रेरक नीतिगत माहौल सृजित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जो घरेलू और विदेशी दोनों को बड़े पैमाने पर निवेश प्रवाहों के लिए रास्ते खोले और उपयुक्त प्रोद्योगिकी तथा सर्वोत्तम प्रबंधन व्यवहारों की उपलब्धता में सुधार लाकर निवेशों की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता को बेहतर बनाए।

सरकारी तंत्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठाये जाने की और अधिक आवश्यकता है। विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं में विदेशी प्रत्येक्ष निवेश की अनुमति देने पर विचार करने की आवश्यकता है। सड़क और पत्तन क्षेत्रों में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य भौतिक आधारभूत परियोजनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) के द्वारा औद्योगिक संगठन सीधे ही पूंजी बाजार से निधि जुटाने के लिए पूंजी बाजार को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। देश के सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष भर में किये गये व्यय से देश के विकास मे हमारी क्या भागीदारी रही है? यानि हमने देश के विकास में क्या हासिल किया है? ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाओं को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर पर बनाने की आवश्यकता है जिससे योजनाओं के सुचारू रूप से कार्य करने की जवाबदेही निर्धारित करने में कठिनाई न हो, इस तरह योजनाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि परिणामों को न केवल सृजित किया जा रहा है बल्कि वे वास्तव में हकदार लोगों तक भी पहुंच रहें हैं। इसे प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लाना होगा। हमारा लक्ष्य है कि आज प्रशासनिक सुधारा, भ्रष्टाचार को समाप्त करके, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए। प्रशासनों को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए हमें और अधिक गंभीरता से विचार करना होगा। जिससे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को समाप्त करना तथा लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

उत्तराखण्ड एक पर्यटक, वनाच्छादित एवं आयुर्वेदिक औषधि बहुलता वाला प्रदेश है। प्रदेश की आवश्यकताओं के निमित्त मानव विकास सुविधाओं की वृद्धि एवं प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं एवं अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। प्रदेश की आर्थिक अवसंरचना के अभाव में संपूर्ण विकास में प्रगति नहीं हो पायी है जिस कारण उत्तराखण्ड राज्य विकास दर में पिछड़ा है। प्रदेश में विकास को तीव्र करने के लिए केन्द्र सरकार को कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड के पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है। उत्तराखण्ड में पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है। उत्तराखण्ड में पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने पर विदेशी पूंजी का सृजन होगा जिससे उत्तराखण्ड भी देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करेगा।

हिमालयी सचल महाकुम्भ प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाने वाली श्री मां नन्दा देवी राजजात 2013 के आयोजन में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ढांचागत सुविधाओं के सृजन हेतु केन्द्र सरकार से और अधिक आर्थिक सहायता की अपेक्षा है। राज्य के प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 एवं 74 क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/नवीनीकरण हेतु निधि देने की आवश्यकता है तथा पर्वतीय क्षेत्र में नालों के ऊपर स्थित सड़कों पर ब्रेस्ट वाल निर्माण करने की

आवश्यकता है तथा पर्वतीय क्षेत्र में नालों के ऊपर स्थित सड़कों पर ब्रेस्ट वाला निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे भूस्खलन की समस्या से निजात मिल सकती है। प्रदेश में पेयजल व स्वास्थ्य योजना सुलभ कराने के लिए और अधिक गंभीरता से विचार करने के साथ और अधिक निधि की आवश्यकता है। राज्य में सिंचाई के प्रबंध करने के साथ जल स्रोत को सूखने से बचाने के लिए भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वनों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु प्रदेश की निधि को बढ़ाने की आवश्यकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखण्ड में गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। उत्तराखण्ड के कुमांऊ मंडल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा मैडीकल कालेज खोला जाए। उत्तराखण्ड की सीमायें चीन और नेपाल के साथ लगती हैं जोकि उत्तर पूर्व राज्यों की भौगोलिक स्थिति के समान है। उत्तराखण्ड को भी केन्द्रीय योजनाओं विशेषकर सर्व शिक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्व राज्यों की तर्ज पर 90:10 के अनुपात की छूट दी जाये। उत्तराखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) के अंतर्गत सरकार द्वारा भुगतान की जा रही राशि को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड में पर्यटक एवं आयुर्वेदिक औषधि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन आर्थिक अवसंरचना, के अभाव में इसमें तीव्र प्रगति नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश में बॉर्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाने की आवश्यकता है तथा विदेशी सीमा से लगे गांव जैसे नेपाल की सीमा से लगे टोगिया गांव, खटीमा के बग्गा-54 आदि ग्रामों के चहुमुखी विकास हेतु अधिक केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड प्रदेश के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष छूट तथा प्रदेश में नव उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखण्ड में स्थापित होने वाले उद्योगों को वर्ष 2020 तक करों में छूट दी जाए। उत्तराखण्ड में कृषि आधारित उद्योगों को जैसे फल, सब्जी, दूध, पशुपालन एवं अन्य योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नए एग्रो बेस्ड उद्योग लगाने के साथ-साथ उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में फूड पार्क का निर्माण करने की आवश्यकता है, जोकि पर्यावरण की दृष्टिकोण से प्रदूषण रहित उद्योग होंगे। उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए यातायात हेतु रोपवे का निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण संतुलन के साथ वनों को भी नुकसान नहीं पहुचेगा तथा दुर्गम पर्वतीय स्थल पर रहने वाले लोगों का विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा और पर्वतीय क्षेत्र से नवयुवकों का पलायन भी रूकेगा।

केन्द्र सरकार की अनुकम्पा एवं मेरे प्रयास से गेल के माध्यम से उत्तराखण्ड के काशीपुर क्षेत्र में गैस प्लांट खोला गया था जिसमें सरकार की काफी निधि खर्च हो चुकी है, लेकिन वह प्लांट गैस आपूर्ति के अभाव में बंद पड़ा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गैस प्लांट को शीघ्रतिशीघ्र गैस उपलब्ध कराई जाए जिससे प्रदेश में विकास के कार्य को गति मिल सके।

वर्तमान में प्रस्तावित एक लाख अस्सी हजार कर सीमा में छूट को तीन लाख रूपये सीमा तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे नौकरी पेशा एवं माध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा।

उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता है कि वहां स्थापित लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए बजट में विशेष अनुदान प्रस्तावित किए जाएं। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को पूर्व में दी जाने वाली कर छूट को वर्ष 2020 तक बढ़ाए जाने पर वित्त मंत्री विचार करे। इससे न केवल राज्य का औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ेगा बल्कि राज्य की बेरोजगारी की समस्या से निपटने में कारगर उपाय साबित होगा। ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण सुविधा देकर स्थानीय उद्यम को बढ़ावा दिया जा सकता है।

उत्तराखण्ड में अपार जल संपदा का भंडार है। इस जल संपदा का उपयोग सिंचाई, पेय या बिजली उत्पादन के लिए किया जाये तो जल परियोजनाओं से प्रदेश के विकास होने के साथ देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है। उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा काल में भूस्खलन होता रहता है तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप देखने में आता है। भूस्खलन एवं बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए छोटे छोटे बांध के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पेय जल एवं सिंचाई के लिए चैक डैम बनाने पर सरकार विचार करे। मेरा अनुरोध है कि उत्तराखण्ड में बाढ़ और पर्यावरण को बचाने के लिए नदियों का ड्रेजिंग और डिसिलटिंग कर भूमि कटाव को रोकने के लिए बजट में निधि आवंटित किया जाय। ड्रेजिंग और डिसिलटिंग द्वारा भविष्य में भूमि की तथा पर्यावरण की रक्षा के साथ जानमाल की रक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी।

वर्तमान में उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से पर्यटन

[श्री के.सी. सिंह "बाबा"]

पर निर्भर है। राज्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना की अत्यधिक आवश्यकता है जैसे ग्रामीण बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क और रेल यातायात, पानी, विद्युत, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मेगा पार्क का निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त कर सुविधा दिये जाने की आवश्यकता है। पर्यटक स्थलों तथा धार्मिक स्थलों को सौन्दयीकरण एवं विश्वस्तरीय बनाने के लिए बजट कें निधि का प्रावधान किया जाए। रूग्ण चीनी मिलों तथा गन्ना किसानों की बकाया देय राशि को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता है। एच.एम.टी. घड़ी कारखाने की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए तथा कारखाने द्वारा निर्मित घड़ियों का प्रचार एवं प्रसार के लिए सरकार द्वारा निधि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे सुझावों एवं प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर वर्ष 2013-14 के बजट में समाहित करने के साथ उत्तराखण्ड की सीमायें अन्य देशों के साथ जुडी होने के कारण एवं एक पर्वतीय प्रदेश होने के नाते प्रदेश में समुचित निधि का आंवटन करना अत्यधिक आवश्यक है जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होने के साथ साथ उत्तराखण्ड देश की प्रगति में अपनी भूमिका भी निभा सके। वर्ष 2013-14 के लोकोनमुख बजट का मैं समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय जी आ आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलंगिर) : महोदय, मुझे वित्त मंत्री के बजट से ईर्ष्या नहीं है। अर्थव्यवस्था में निराशा है। केवल वैश्विक ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी निराशा में है। उन्हें आगे चुनावों का सामना करना है, यदि इस वर्ष नहीं तो निश्चय ही अगले वर्ष। उन्हें व्यय पर ध्यान देना है। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये करना है और मतदाताओं को तुष्ट करना है जिसे उन्होंने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए समाज के कुछ वंचित तबकों के लिये सांकेतिक रूप से किया है तथा ये सारे कार्य वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने की वरियता दर्शाते हुये किया गया है। मैं अन्य सदस्यों की उन बातों से सहमत नहीं हूं जिसमें उन्होंने उनकी इस बात के लिये आलोचना की है कि वित्तीय जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे ऊपर वित्तीय घाटे की जिम्मेदारी है। हमें इसे नियंत्रित रखना चाहिये ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों के ऊपर उस कर्ज का बोझ नहीं डालें जो हम ले रहे हैं।

महोदय, आवश्यकता इस बात की है जैसाकि वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि विकास को गति दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि नौकरशाही से मामले को सुलझाकर सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के व्यय में वृद्धि करके विकास को गति दी जा सकती है ताकि विदेशी वित्तीय निवेश-एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. अर्थव्यवस्था में आ सकें। मेरे माननीय मित्र श्री संयज निरूपम जी बजट से उस समय बहुत प्रसन्न थे जब वह 13.4 प्रतिशत व्यय वृद्धि की बात कर रहे थे। महोदय, वह यह नहीं समझ सके थे कि यह मामूली वृद्धि करते हैं तो व्यय गत वर्ष के पांच से छह प्रतिशत व्यय कम हो जाता है। लेकिन, महोदय, वित्त मंत्री ने जो पूर्वानुमान लगाये हैं, क्या हम उनके उन सपनों को प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने हमारे देश के लिये देखे हैं इसके लिये हमें बजट की ब्यौरे का जांच करनी होगी। महोदय, बजट में 2012-13 में 8,71,828 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति बढ़कर 2013-14 में 10,56,331 करोड़ रूपये होने का पूर्वानुमान है - इसका अर्थ है कि 13.4 प्रतिशत की मामूली जी.डी.पी. विकास दर के साथ 21.2 प्रतिशत की विकास दर। लेकिन, महोदय, क्या वित्त मंत्री ईमानदारी से मानते हैं कि वह इसे प्राप्त कर पायेंगे? क्योंकि अच्छे दिनों, 2010 से 2013 के बीच जब जी.डी.पी. वृद्धि दर औसतन 15.84 प्रतिशत थी, तब हमारी राजस्व प्राप्ति केवल 16.2 प्रतिशत तक बढ़ी थी। अत:, क्या जी.डी.पी. की निम्न वृद्धि दर के साथ क्या हम 21 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे? महोदय, राजस्व प्राप्तियों के दो मुख्य घटक हैं- कर राजस्व और गैर-कर राजस्व। हम कर राजस्व को देखें। माननीय वित्त मंत्री अनुमान लगा रहे हैं कि कर 19.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। हमे यह समझना चाहिये कि कर-प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष; व्यक्तिगत एवं कार्पोरेट कहां से आता है; वास्तव में कार्पोरेट प्रत्यक्ष कर सबसे बड़े समूह में से है, तथा आज की व्यवस्था में प्रत्यक्ष करों ने अप्रत्यक्ष करों से अन्तत: बढ़त हासिल कर ली है।

महोदय, आज, कार्पोरेट भारत निराशा में है। वह ऐसे माहौल में है जहां आर्थिक लिहाज से बर्बादी की बदबू आ रही है। मुद्रास्फीति अधिक है। नकदी प्रवाह प्रचालन अनुपात के संबंध में उनकी बाध्यता (डेट) अत्यंत उच्च है। उनमें अपने देश में निवेश करने का विश्वास नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि आर्थिक अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, इसका कारण सरकार की निर्णय लेने में पूरी की पूरी असहायता है। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री ने

कोयला क्षेत्र, तेल क्षेत्र एवं गैस क्षेत्र की समस्याओं और अत्यावश्यक नीतियों के संबंध में निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन्हें चार वर्षों तक क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी है। ये ऐसी समस्यायें हैं जो देश के लिये नयी नहीं हैं लेकिन, महोदय, आज के आर्थिक परिवेश में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की; अक्षमता की; लालफीताशाही और नौकरशाही की इस प्रकार की समस्यायें हैं जिनके बारे में मुझे भय है कि स्वयं वित्त मंत्री इन पर ध्यान नहीं दे पायेंगे।

महोदय, सात प्रतिशत की मुद्रास्फीति की वृद्धि दर से मांग कम होगी, जी.डी.पी. वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप कर संग्रहण पर भी।

महोदय, चालू वर्ष के बजट में वास्तविक कर संग्रहण में लगभग पांच प्रतिशत की कमी हुई है। क्या हम इस वर्ष सदस्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, जैसी कि उन्हे आशा है? हम गैर-कर राजस्व को देखें। माननीय वित्त मंत्री ने आशा की है कि 2013-14 में गैर-कर राजस्व में 32.8 प्रतिशत तक वृद्धि होगी, जो 1,29,713 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,72,25 करोड़ रुपये होगी। महोदय, गैर कर राजस्व के प्रमुख घटक है लाभांश, विनिवेश और स्पेक्ट्रम की बिक्री। हम बैंकों से मिलने वाले लाभांश को देखें। बैंकों में गैर निष्पादनकारी आस्तियां पड़ी हैं। क्या वे उस प्रकार से लाभांश का भुगतान कर पायेंगे जैसा कि उन्होने गत वर्ष किया था?

महोदय, हम विनिवेश को देखें। हमने विनिवेश में सरकार के अनर्थ एवं घोटाले को देखा है। चालू-वर्ष में विनिवेश 30,000 करोड़ रुपये होना था जबकि माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष केवल 24000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त किया है। केवल यही नहीं, 1990 से लेकर अब तक विनिवेश के इतिहास में महोदय, 2.1 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य था लेकिन वास्तविक विनिवेश केवल 1.3 लाख करोड़ रुपये का रहा है जो लगभग 60.4 प्रतिशत है। अत: इस वर्ष उनका 55,800 करोड़ रुपये का लक्ष्य है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह इस आंकड़े तक कैसे पहुंचेगें।

महोदय, अब मैं स्पेक्ट्रम पर आता हूं। हमने कुछ महीने पहले ही स्पेक्ट्रम बिक्री की पूरी असफलता देखी है।

सायं 06.00 बजे

माननीय वित्त मंत्री ने स्पेक्ट्रम की बिक्री से 40,847 करोड़ रुपये प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। तथापि इस वर्ष 40000 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम लक्ष्य में से 19,440 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। अत: वे 55000 करोड़ रुपये कहां से जुटाने जा रहे हैं?

महोदय, तथ्य यह है कि मैं नहीं सोचता, मैं नहीं मानता कि कोई उस आंकड़े से सहमत होगा जिसकी बात उन्होंने राजस्व निर्धारण में की है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, अब सायं के 6 बजे हैं और मेरे पास सामान्य बजट में चर्चा में भाग लेने वाले वक्ताओं की लम्बी सूची है। इसके बाद शून्य काल भी लेना है।

अत:, यदि सभा सहमत हो तो मैं सभा का समय रात्रि 8 बजे तक बढ़ा सकता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है, महोदय।

सभापति महोदय : अत: सभा का समय रात्रि 8 बजे तक बढ़ाया जाता है।

जी हां, श्री सिंह देव, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : महोदय, माननीय वित्त मंत्री अपने राजस्व पूर्वानुमानों को पूरा नहीं कर सकते हैं। वह केवल दो बातें कर सकते हैं। वह या तो वित्तीय घाटा बढ़ा सकते हैं और हमारी भावी पीढ़ियों के ऊपर ऋण भार डाल सकते हैं या वह व्यय कम कर सकते हैं जिसका नि:संदेह विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अभियान भी कमजोर पड़ जायेगा।

सायं 6.01 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए)*

महोदय, वित्त मंत्री जो नहीं कर सके या कम से कम जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में नहीं किया है वह राजस्व जुटाने का एक प्रमुख स्रोत जिसका प्रयोग अधिकांश विकसित देश अपने यहां करते हैं और वह है अप्रयुक्त भूमि संसाधनों के उपयोग के द्वारा या उनसे धन जुटाकर राजस्व में वृद्धि करना।

महोदय, हमारे यहां इतने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनके पास कई हजार करोड़ मूल्य की भूमि है फिर भी मेरा मानना है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्वयं ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे यह सच पता है कि सरकार को यह नहीं पता कि भूमि कहां

[श्री कालीकेश नारायण सिंह देव]

है, उसका कुल मूल्य कितना है, उस पर कब्जा है या नहीं, तथा क्या उन्होंने उसे खाली कराने के लिये कोई कदम उठाया है या नहीं उठाया है।

महोदय, अब हम व्यय की बात करें। हम स्पष्टत: मान सकते हैं और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है कि वित्तीय धारा 5.2 और 4.8 का लक्ष्य प्राप्त करें क्योंकि उन्होंने खुद निर्धारित किया है कि यह कैसे हो सकता है। मेरे मित्र माननीय संजय निरूपमजी विभिन्न विभागों के व्यय के बारे में बात कर रहे थे। वह ग्रामीण विकास विभाग के व्यय के संबंध में अत्यंत गर्व से भरे थे। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब ग्रामीण विकास विभाग को अंतिम रूप से 75000 करोड़ रुपये दिये गये थे तब वह केवल 55000 करोड़ रुपये ही क्यों व्यय कर सका? वह पूरा 75000 करोड़ रुपये व्यय करने में असफल रहा। अत: उसे अब 95000 करोड़ रुपये क्यों दिये गये हैं? क्या वे इसे व्यय कर पायेंगे? क्या सुपुर्दगी तन्त्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिये कुछ किया गया है?

पी.एम.जी.एस.वाई. के बारे में भी मामला यही है। यह अच्छी योजना है। लेकिन यदि उस धन को व्यय करने का ढांचा आपके पास नहीं है तो उस धन को देने का कोई मतलब नहीं है। महोदय, आप केवल सपने बेच रहे हैं। आप सपने बेच रहे हैं कि चुनावी वर्ष में 'हम ग्रामीण विकास की तरफ देखते हैं, हम गांवों के विकास की तरफ देखते हैं। लेकिन मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री स्वयं जानते हैं कि यह धन व्यय नहीं हो पायेगा। इसलिये वह इस धन से राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति करेंगे जो गत वर्ष बचत के कारण थी। गत वर्ष के बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की बचत थी। महोदय, यदि हम प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु और मध्यम उद्योग पर गौर करें तो भी स्थिति ठीक नहीं है। सत्ता दल के एक सदस्य कह रहे थे कि 'बजट में वृद्धि की गई है।' महोदय क्या मैं अत्यंत विनम्रता से उन्हें बता सकता हूं कि कृषि में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और एम.एस.एम.ई. की बजट 4.2 प्रतिशत बढ़ा है। ये दोनों आंकड़े मुद्रास्फीति से कम हैं। यदि आप उनको किये गये वास्तविक आबंटन में वृद्धि को लें तो यह नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं। अत: इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें।

महोदय, क्या होना चाहिये था? माननीय वित्त मंत्री ने सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में स्वयं बताया था कि : हमारे पास आपूर्ति तन्त्र नहीं है; हमारे पास उत्पाद को किसानों के पास से उपभोक्ताओं तक सुपुर्द करने की क्षमता नहीं है; हमारे पास अवसंरचना के लिये आवंटित है जो अंत में कृषि के लिये हैं। यह कितना पर्याप्त होगा? क्या इससे किसानों को कोई उत्पाद मिलेगा? आपूर्ति से मुद्रास्फीर्ति के समाधान का कोई प्रयास नहीं किया गया है। वास्तव में ब्याज दर बढ़ाने में विकास नहीं होगा, इससे घरेलू उद्योग समाप्त होगा और मकान एवं कार खरीदने वाले माध्यम वर्ग के क्रेताओं को अधिक कठिनाई झेलनी पड़ेगी; और वेतनभोगी लोगों को मुद्रास्फीति एवं उच्च ब्याज दरों के साथ रहना होगा।

अत: महोदय, यदि आप सरकारी व्यय नहीं करें तो विकास नहीं होगा। लेकिन आप विकास कर सकते हैं यदि आप निजी व्यय करें, यदि आप घरेलू व्यय करें, और यदि विदेशी निवेशकों द्वारा यहां पर व्यय किया जाए। अत: हम यह समझे कि वित्त मंत्री ने विकास दर बढ़ाने के लिये क्या किया है क्योंकि वह स्वंय कहते हैं: हमारा देश और हमारी विकास दर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हम इसे समझें। मैं आपकी अनुमति से उद्धृत करता हूं, "एक नई आई.एफ.सी. और 'डूइंग बीजनेस" नामक विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत को 185 देशों में 132वां स्थान देती है जो श्रीलंका से नीचे हैं, बांग्लादेश से नीचे है और नेपाल से नीचे है। क्या हमारे व्यापार करने के लिये इस प्रकार की रैंकिंग से घरेलू निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा? जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमने देखा है, जिस प्रकार की लालफीताशाही हम देखते हैं, जिस प्रकार की अक्षमता हम देखते हैं, जिस प्रकार की लड़ाई हम एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच देखते हैं जहां हजारों करोड़ का निवेश फंसा हुआ है क्योंकि सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग के प्रस्तावों से सहमत नहीं है, फिर क्या वास्तव में निवेश होगा?

महोदय, वित्त मंत्री को जो करने की आवश्यकता है उसके बारे में मेरी आशा है कि वह किसी न किसी चरण पर अधिक पारदर्शिता लाने के लिये और आर्थिक नीतियों के बारे में बेहतर समझ एवं भावी नीति तैयार करने संबंधी अस्पष्टता समाप्त करें ताकि हम वास्तव में निवेश प्राप्त कर सकें। यदि हम शीर्ष 20 घरेलू कारपॉरेट घरानों से बात करें तो उनमें से कोई भी भारत में निवेश करना नहीं चाहता है। उनमें से कोई भी भारत में निवेश करना नहीं चाहता है क्योंकि वे परेशान हैं। वे भ्रष्टाचार से परेशान हैं। वे अक्षमता से परेशान हैं। वे 'क्रोनी कैपिटलिज्म' से परेशान हैं और हमने इसके पर्याप्त उदाहरण देखें हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। सरकार को निवेश को लाने, चाहे यह विदेशी हो या भारतीय, की अनुमति देने संबंधी अपनी नीति पर स्पष्टता रखने की आवश्यकता

है। तथापि, रक्षा मंत्रालय में हमने घोटाले के बाद घोटाले देखे हैं जहां मेरे विचार से अत्यंत ईमानदार एवं स्वच्छ छवि के रक्षा मंत्री हैं फिर भी हमने देखा कि घोटाले के बाद घोटाले हुये हैं क्योंकि पारदर्शिता नहीं है। वे खरीद की एक प्रणाली की बात करते हैं। वे दूसरी प्रणाली अपना लेते हैं। इसमें पारदर्शिता नहीं है कि लोग इस प्रणाली के साथ अपना कार्य कैसे करें।

विदेशी निवेश के बारे में माननीय वित्त मंत्री को चालू लेखा घाटे में कटौती होने की आशा है और विदेशी निवेश, चाहे यह एफ.डी.आई. हो या एफ.आई.आई. के माध्यम से विकास में गति प्राप्त होने की आशा है। यदि भारत की लक्षित उधारी 6.29 लाख करोड़ है तो क्या विदेशी निवेशक, एफ.आई.आई. या एफ.डी.आई., वास्तव में भारत आना चाहते हैं? यदि आपने बाहरी मूल कंपनियों को देय कर या रायल्टी में वृद्धि की है तो क्या इससे विदेशी निवेशक को भारत आने में सहायता मिलेगी या व्यवधान होगा?

माननीय वित्त मंत्री ने एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. सीमा के बारे में बात की है। वह कहते हैं 10 प्रतिशत होल्डिंग और एफ.आई.आई., से कम; 10 प्रतिशत होल्डिंग और एफ.डी.आई. से अधिक। लेकिन महोदय, क्या वित्त मंत्री को पता है कि एफ.डी.आई. होल्डिंग के रूप में वर्गीकृत 586 कंपनियों में 270 में समग्र विदेशी स्वामित्व 10 प्रतिशत से कम है तथा 1317 कंपनियां जो एफ.आई.आई. के रूप में वर्गीकृत हैं उनमें से 380 कंपनियों में समग्र होल्डिंग 10 प्रतिशत है? उन्हें कंपनी कानून के लाभ प्राप्त करने और कर छूट प्राप्त करने के लिये या तो अपनी इक्विटी बढ़ाना है या वर्गीकरण में परिवर्तन लाना है।...*(व्यवधान)* ठीक है, मुझे लगता है है वित्त मंत्री जी मामलों का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं किन्तु मैं उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वे मामलों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कतिपय क्षेत्रों में एफ.डी.आई. की अनुमति है और कुछ क्षेत्रों में एफ.आई.आई. की अनुमति है। होगा यह कि एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. - दोनों के द्वारा कंपनियों की मल्कियत हासिल हो जायेगी। वित्त मंत्रालय की जानकारी और आर.बी.आई. की सहमति के बगैर वास्तव में वे व्यवस्था में धोखाधड़ी कर लेंगी...*(व्यवधान)* कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिये।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि विदेशी निवेश चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने के लिये महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है हमारे देश का व्यापार शेष तथा भुगतान शेष। यह आवश्यक है। किन्तु इसका वित्तीय घाटे पर भी असर पड़ता है क्योंकि यदि चालू खाता घाटा नियंत्रण से बाहर हो जाये तो रुपये का छवमूल्यन होगा। हमारे बाह्य ऋणों के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी तथा वित्तीय घाटा बढ़ेगा और ब्याज भुगतान में भी वृद्धि हो जायेगी। अपने चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने का एक मुरक तरीका सोने की खरीद को सीमित करना है। किन्तु वास्तव में आपने लोगों को इसे बड़ी मात्रा में धारण करने की अनुमति दे दी है। पता नहीं सोने संबंधी नीतियां क्या हैं। मैंने उनका व्यापक अध्ययन नहीं किया है। किन्तु आज के समाचार पत्र में हमने एक लेख पढ़ा जिसमें एक राजनयिक को गिरफ्तार किया गया। उसे 20 किलोग्राम सोना लाये जाने पर हवाई अड्डे पर पकड़ा गया और मैंने समाचार पत्र में एक दूसरा लेख यह भी पढ़ा कि एक दूसरे भद्र पुरूष ने अपने शरीर के रंध्र द्वारों में कुछ सोना छिपाया हुआ था। वह सोने की तस्करी कर रहा था। अतः, पता नहीं वित्त मंत्रालय सोने संबंधी नीति को लेकर क्या कर रही है। किन्तु मैं यह निश्चय ही कह सकता हूं कि यह एक संकेत हैं फिर यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपके सोने संबंधी नीति पर पुनर्विचार करना होगा।

निर्यातों को बढ़ाया जाना चाहिये था। व्यापार घाटे को कम किया जाना चाहिये था। मेरे विचार में दुर्भाग्यवश वित्त मंत्री जी ने अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों पर गौर करके किस बात पर बल दिया है, मुझे खुशी है कि एक क्षेत्र जिसे बजट में समुचित स्थान दिया गया है, वह है महिलाओं के लिये बजट निर्धारिण व्यवस्था, जिसमें महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान है। निस्संदेह, इससे उन्हें राजनीति में फायदा होगा, चुनावों में लाभ मिलेगा। निःश्चय ही यह सही दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है। किन्तु महोदय, मुझे आशा है कि यह 50 करोड भारतीय महिलाओं के लिये 1000 करोड़ की सांकेतिक राशि से ज्यादा कर दिया जायेगा। इससे तो भारत में प्रति महिला मात्र 20 रुपए की राशि ही बैठती है। आशा है कि आप आगामी वर्षों में एक कदम आगे बढ़कर कार्य करेंगे।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को अपनी अंतिम एवं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं। वे काफी सक्षम व्यक्ति है, मेरे विचार में वे अपनी सरकार में एक अधिक सक्षम मंत्री हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे उनसे काफी उम्मीद थी। मुझे उम्मीद थी कि जब वे अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र को संबोधित करेंगे, जोकि निस्संदेह उनका और उनके सहयोगियों का धर्म है, तो वे विकास पर ज़ोर देंगे; वे निवेश पर और अधिक ज़ोर देंगे, वे रोज़गार सृजन पर और अधिक ज़ोर देंगे। इस देश के युवा जाकर पढ़ने एवं कौशल प्रशिक्षण लेने के लिये अपने लिये बतौर प्रोत्साहन 10,000 रुपए की राशि नहीं

[श्री कालीकेश नारायण सिंह देव]

चाहते। आप उन्हें रोज़गार प्रदान करे; आप उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करें; तो वे स्वयं को प्रशिक्षित करके बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने का तरीका स्वयं तलाश कर लेंगे। हम इसी भारत की बात कर रहे हैं। हमें इस सरकार से अलवा किसी भी सरकार से शिक्षा नहीं चाहिये। मेरे विचार में, इस समाननीय सभा में मैं बेझिझक यह कह सकता हूं कि यदि मैं युवाओं के पक्ष में बोलूं और यह बता सकूं कि हमें एक बजट चाहिये; तो हमें एक सरकार की आवश्यकता है जो हमें अपना पक्ष रखने की अनुमति दे, हमें अपने पैरो पर खड़े होने की अनुमति दे; जो कि हमें ऐसा ढांचा प्रदान कर पाये जहां हम अपनी शुरूआत कर सकें। महोदय इन सभी संदर्भों में मेरे विचार में इस बजट से हम विफल हो गयें हैं। अतः, मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा सभा में प्रस्तुत बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।

उनके द्वारा प्रस्तुत बजट में, 5.3 प्रतिशत का घाटा दर्शाया गया है जो लगभग 5,20,925 करोड़ रुपए है। मैं यह नहीं कहता कि बजट बुरा है क्योंकि यह घाटे का है अथवा बजट अच्छा है क्योंकि यह अधिशेष है। साथ ही, बजट में कोई दूरदर्शिता होनी चाहिए। बजट मात्र आय और व्यय दर्शाने वाला लेखा संतुलन नहीं है। इसमें वार्षिक योजना के अतिरिक्त कुछ दूरदर्शिता, अनुमान और संदर्शी दृष्टिकोण होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि शायद बाहरी कारकों के दबाव के कारण इस बजट में ऐसी बुद्धिमत्ता या संदर्शी दृष्टिकोण का सच में अभाव है।

महोदय, जब हम बजट का आकलन करते हैं तो हमे देखना होता है कि व्यय कहां किया गया है; हम संसाधनों को कहां से एकत्र करें, हम किस उद्देश्य हेतु खर्च कर रहे है; और बजट का सामान्य अनुमान क्या होना चाहिए। जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो हमें वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी वित्त मंत्री और सभी विशेषज्ञ वास्तव में वर्तमान स्थिति, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, के ऊपर निर्भर रहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है न कि निजी एजेंसी द्वारा। परंतु, हमारे वित्त मंत्री और कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह आर्थिक सर्वेक्षण पूरी तरह सही नहीं है। उनका मानना है कि पिछली तिमाही में तीव्र वृद्धि होनी चाहिए थी। वास्तव में, सरकार का पूर्वानुमान, अपेक्षा और महत्वाकांशा है। साथ ही, 12 महीनों में से, नौ महीनों के अनुभव, जो कि वास्तविकता है और अन्य कारकों तथा मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए, जिन अधिकारियों ने आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया है वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि यह वर्ष एक संतोषजनक वर्ष नहीं है। सिर्फ यही नहीं, लगभग सभी क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि रहा।

यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण का अवलोकन करें तो पाएंगे कि 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद की दर 9.5 प्रतिशत थी जो कि अब पांच प्रतिशत है। कृषि विकास दर 5.1 प्रतिशत थी और अब यह 1.8 प्रतिशत है।

जहां तक कृषि का संबंध है, 2011-12 में यह 6.2 थी, अब यह 1.8 है; खनन में 4.9 थी, अब यह 0.6 है; विद्युत 6.5 थी अब यह मात्र 4.9 है; व्यापार 7.7 थी, अब यह 5.2 है; वित्तीय और सामाजिक सेवा में 11.7, थीं, अब यह 6.2 है, उपभोग व्यय 8.1 था, अब यह 4.1 है, निजी उपभोग व्यय 8.1 था, अब यह केवल 4.0, है सरकारी उपभोग व्यय में भी कमी आई है। यदि हम निर्यात की बात करें तो पहले यह 15.3 था, अब यह 4.5 है। आयात 21.5 था, अब यह 5.7 है। पूंजी निर्माण, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, 8.5 था, अब यह 7.9 है, निजी निर्माण 26.5 था अब 24.9 है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

जहां तक अनेक आवंटनों और परियोजनाओं का संबंध है, इन आंकड़ों के आधार पर वित्त मंत्री यह कैसे कह सकते है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा? मैं सिर्फ आंकड़े भर नहीं हैं। इन आंकड़ों में कुछ तो वास्तविकता है। जैसाकि वित्त मंत्री जी ने कहा, कि हम पिछली तिमाही के अंतर को पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसे विशेषज्ञ फुटबाल प्रशिक्षण की तरह है जो कुल 90 मीनट में से पहले 70 मिनट अभी अपनी टीम के चार गोल से पिछड़ने के बाद कहता है कि अगले 20 मिनटों में हम चार गोल उतार देंगे और प्रथम स्थान पर आयेंगे।

प्रवासी भारतीय कार्यमंत्री (श्री वायालार रवि) : और मैच जीतेंगे।

श्री पी. करुणाकरण : यह सच है। हम वित्त मंत्री जी का बधाई दे सकते हैं क्योंकि आशावादी होना ही चाहिए। परंतु यह कैसे संभव है? इसका कुछ आधार तो होना चाहिए क्योंकि पहले 70 मिनटों के खेल से पता चलता है कि टीम कमजोर है। इसलिए, अगले

20 मिनटों में सबसे आगे आना संभव नहीं होगा। जहां तक वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का संबंध है, यह सच है।

इन आंकड़ों से हमें यह पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं, खासतौर पर सब्जियों और दूसरे आवश्यक सामानों की कीमतें बढ़ी है। सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी साधन है। केरल और तमिलनाडु के पास सर्वोत्तम तरीका है। हम यह कहते रहे है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। परंतु आप इस संबंध में मुझसे सहमत होंगे कि आपकी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ये आंकड़े सच में दर्शाते हैं कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अधिकाधिक कठिन होती जा रही है।

जब हम राजस्व के एकत्रीकरण और सरकार के अनुमानों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सरकार कहां से धन प्राप्त करती है और इस संबंध में सरकार के स्रोत क्या हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति से सरकार बहुत गंभीर प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने जा रही है। सरकार ने कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों की घोषणा की है क्योंकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है। इसलिए वित्त मंत्री महिलाओं, युवाओं और बच्चों से संबंधित जैसे कुछ मुद्दों को रखने के लिए बाध्य हुए हैं। मैं उनसे असहमत नहीं हूं। साथ ही सरकार द्वारा किए गए उपाय इस बजट की विशेषता दर्शाते है।

सरकार द्वारा दर्शाया गया घाटा 5.3 प्रतिशत है, जो 5,20,920 करोड़ रुपए है। साथ ही, कर रियायत 5,73,630 करोड़ रुपए है। इसका अर्थ यह है कि यह घाटे से लगभग 53,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। कर रियायत से आपका क्या आशय है? कर रियायत वह छूट अथवा प्रोत्साहन है जो सरकार ने कारपोरेट क्षेत्र को दिए हैं। मैं यह नहीं कहता कि लघु इकाईयां है ही नहीं। वे हो सकती हैं। परंतु ज्यादातर कर छूट अथवा प्रोत्साहन कारपोरेट को दिया गया है। यदि सरकार कर एकत्र करने के लिए निर्णय लेती। जैसा कि हम पिछले बजट में ले चुके हैं और योजनाओं को लागू करती, तो आप एक अधिशेष बजट प्रस्तुत करने में सक्षम होते। लेकिन, अब यह एक घाटे का बजट है क्योंकि जिस धन को सरकार को प्राप्त करना है उसे भी यह कहती है कि उस धन को प्राप्त नहीं करना चाहती।

साथ ही, जैसाकि मेर सहयोगी ने कहा है, वित्त मंत्री जी ने विनिवेश माध्यम से सार्वजनिक से 50,000 करोड़ रुपए अर्जित करने का निर्णय लिया है और पेट्रोलियम राजसहायता में 30,000 करोड़ रुपये की कटौती की है। सार्वजनिक उद्यम वास्तव में राष्ट्र की सम्पत्ति होते हैं। यह सरकार विनिवेश के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सार्वजनिक सम्पत्तियों को बेचने और लूटने का उनका क्या अधिकार है? इस बार आप 50,000 करोड़ रूपयों की आशा कर रहे हैं। साथ ही, आपने पेट्रोलियम राजसहायता में 30,000 रुपए की कटौती की है। इससे वास्तव में आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक पेट्रोलियम राजसहायता में कटौती का संबंध है, यह लोगों की कम शक्ति को प्रभावित करेगी। जैसाकि आप जानते है, पेट्रोल, डीजल और अन्य सामनों की कीमतें बढ़ेंगी। कीमतों में वृद्धि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के कारण होगी। यह सरकार 20वीं बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की जिम्मेदार है और इन्होंने डीजल, केरोसीन, एल.पी.जी. और ऐसे ही अन्य सामानों की भी कीमतें बढ़ाई हैं। दूसरी तरफ, जहां तक राजसहायता का संबंध है, उसमें कमी हुई है।

जब श्री प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री थे- अभी वह राष्ट्रपति हैं- उन्होंने कहा था कि सरकार 'गार' के कार्यान्वयन हेतु सिर्फ एक वर्ष की छूट दे रही है। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि कुछ करेंगे क्योंकि उन्होंने "गार" के संबंध में बहुत ही सुन्दर प्रस्तुतीकरण दिया है और कहा है कि वह संशोधन प्रस्तुतीकरण दिया है और कहा है कि वह संशोधन करने वाले हैं और चर्चाओं का दौर चल रहा है। तत्पश्चात्, उन्होंने कहा कि यह 2016 में ही लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार फिर से दो या तीन सालों के लिए गार को लागू करने नहीं जा रही है। सरकारी खजाने को उसे मिलने वाले धन का नुकसान हो रहा है।

सरकार कहती है कि खाद्य सुरक्षा को लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह भी सही नहीं है क्योंकि सरकार ने पिछले साल ही 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किए हैं। इसलिए, हकीकत में इसका अर्थ केवल 5,000 करोड़ रुपए है न कि 10,000 करोड़ रुपए। इस तरह, राजसहायता में कुल कमी 26,571 करोड़ रुपए होती है।

मैं यह मानता हूं कि मनरेगा योजना एक अच्छी योजना है और इसे लागू करने के लिए आवंटन भी किया गया है। साथ ही, क्या सरकार कह सकती है कि आवंटन में कोई

[श्री पी. करुणाकरण]

बढ़ोत्तरी की गई है? यह स्थिर है। मनरेगा योजना के संबंध में कोई भी नया आवंटन बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए, आपको इस मुद्दे का समाधान करना होगा और जहां तक मनरेगा योजना का संबंध है रोजगार अवसरों मे भी वृद्धि करनी होगी।

सामाजिक क्षेत्र के संबंध में, हम इस बात को समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र हैं। जी.डी.पी. के संबंध में स्वास्थ्य हेतु बजट आवंटन पिछले वर्ष किए गए आवंटन से कम है। माननीय मंत्री कृपया इसका विश्लेषण करें। जी.डी.पी. के अनुपात में शिक्षा हेतु बजट आवंटन की पिछले वर्ष के आवंटन से कम किया गया है।

अब, हमारे वित्त मंत्री ने एक नयी तकनीक ईजाद की है कि वह वास्तविक प्राक्कलनों के बारे में बात न करके संशोधित प्राक्कलनों के बारे में बात करते हैं। सिर्फ यही एक मामला नहीं है। आजकल बजट के प्रस्तुतीकरण की परंपरा भी बदल गई है। पहले, प्रत्येक कर पर संसद में चर्चा होती थी, लेकिन आज कल, रेल मंत्री और वित्त मंत्री संसद के आरंभ होने से पहले ही सभी निर्णय करके आते हैं। हम रेल किराये और पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे के बारे में जानते ही है। उन्होंने सदस्यों द्वारा की जाने वाली आलोचना कि उन्होंने कर लाद दिए हैं, से बचने के लिए ऐसा किया है। यह एक नयी तकनीक है जिसे सरकार ने इस बार भी अपनाया है।

अजा/अजजा जनसंख्या के मामले में, सरकार बहुत दावे करती है, परंतु क्या वे कह सकते हैं कि वे अजा/अजजा जनसंख्या के साथ न्याय कर रहे हैं। जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत संविधान में दिए निदेश की तुलना में 20,900 करोड़ रुपए कम आवंटित किए गए हैं। जहां तक अजा/अजजा वर्ग का संबंध है, संविधान में इसके लिए निदेश है। यह बात सच है कि अज/अजजा के लिए विशेष घटक योजना में कमी हुई है। इसलिए, बजट लोगों की तत्काल जरूरतों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं है। सरकार यह नहीं कह सकती कि जो वह कर रही है, वह पर्याप्त है। निस्संदेह, हम कह सकते हैं कि आवंटन करोड़ों रुपयों में है, परंतु साथ ही, पिछले साल की तुलना में और लोगों की जरूरतों के हिसाब से यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। काले-धन के संबंध में वित्त मंत्री चुप हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल कालाधन एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। चौदहवीं लोक सभा में भी हमने काले धन की कुल मात्रा के बारे में चर्चा की थी। सरकार कहती है कि उनके पास कोई तंत्र नहीं है, लेकिन वे ऐसा कैसे कह सकते है? इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस और इटली सभी खातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। काला धन कितनी मात्रा में मौजूद है? क्या हम उस काले धन तक पहुंच सकते है?

वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरह चुप हैं। महोदय, आपने स्वयं इस सभा में 2जी स्पेक्ट्रम का मुद्दा उठाया है। हमने राष्ट्रमंडल खेलों, आदर्श फ्लैटों, काले धन के संबंध में मुद्दों पर चर्चा की है और सबसे अंत में हमने रक्षा घोटाले के मुद्दे पर चर्चा की थी। कैग ने करोड़ों रुपए की कृषि ऋण माफी योजना के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसके पास इन लोगों में से किसी पर कार्यवाही करने की राजनितिक इच्छा शक्ति है। क्या इस कोल धन को हासिल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति उनके पास है? यह उनके पास नहीं है।

यदि आप 2जी स्पेक्ट्रम मामले से लेकर कृषि ऋण माफी योजना के उदाहरणों के देखें तो इनमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। हमारे देश में आवश्यक संसाधन उपलब्ध है और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए और वह राजनीतिक इच्छाशक्ति इस सरकार में नहीं है। यही कारण है कि वे कहते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है। महोदय, अब मैं अपने राज्य के संबंध में कुछ मुद्दों की बात करना चाहता हूं। केरल एक उपेक्षित राज्य है। केरल से आए मंत्री भी यहां बैठे हैं। केरल बहुत उपेक्षित है। हमारे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री आये और वित्त मंत्री से मिले। मैं नहीं जानता कि कुछ होगा।

अब, मैं केरल, जिसने शत प्रतिशत साक्षरता हासिल की है, में एक आई.आई.टी. स्थापित करने के मुद्दे पर आता हूं। जब प्रधानमंत्री केरल आये, तो उन्होंने कहा कि वह जब भी किसी नये आई.आई.टी. की स्थापना की घोषणा करेंगे तो इसकी स्थापना केरल में ही होगी। हमारे वायालार जी और वेणुगोपाल जी का इस पर क्या कहना है? वह आई.आई.टी. कहां है?

महोदय, श्री वायालार रवि जी प्रवासी मामलों के प्रभारी हैं। हमें 66 बिलियन अमेरिकी डालर बाहर से भेजे जो रहे

हैं, जिसका मतलब है कि खाड़ी देशों से हर वर्ष 3,33,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। आप उन्हें क्या पैकेज दे रहे हैं? केरल में हमारी सरकार ने कुछ किया है, परंतु यहां कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। अपने उत्तर के दौरान, क्या सरकार इस पर कुछ कहेगी?

मैं केरल में कासरगोड़ से आता हूं। एंडोसल्फन का मुद्दा हमेशा से हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर 475 करोड़ रुपए मांगे है, परंतु इस संबंध में आपने कोई सहायता नहीं प्रदान की है।

वित्तीय सहायता दिए जाने के संबंध में, मैं थूथुकुडी, जिसे आपने काफी राशि दी है, के विरुद्ध नहीं हूं और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं किन्तु इसके साथ-साथ मैं खुश नहीं हूं क्योंकि सरकार ने विजगम को कुछ नहीं दिया है।

कृषि क्षेत्र और रबर को छोड़कर नकदी फसलों के लिए वित्तीय सहायता किए जाने के संबंध में, चूंकि अधिकांश क्षेत्रों में गिरावट आ रही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमें हमारा हिस्सा देने और क्या केरल के हमारे मंत्री यह लेने हेतु कडा रूख अपनाने के लिए तैयार हैं? हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम यह सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

केरल में सहकारी क्षेत्र वास्तव में उत्कृष्ट है। पिछली बार जव मैं पार्टियों के सभी प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से भी मिला था और उन्हें बताया था कि हम सहकारी क्षेत्र से 70,000 करोड़ रुपए एकत्र कर रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ था। यह सहकारी क्षेत्र की भारी सफलता है। इसके साथ-साथ इस संसद द्वारा पारित नए अधिनियम से इस सहकारी क्षेत्र पर जरूर प्रभाव पडेगा। सरकार को इस संबंध में कुछ छूट देनी होगी।

अंतिम बात यह है कि केरल में एक काफी बड़ी और अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है जो कि के.एस.आर.टी.सी. है। डीज़ल के दाम में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण यह बंद होने के कगार पर है। एक ओर सरकार यह कहती है कि विकास ऊंची है और वह महंगाई पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है किन्तु दूसरी ओर लोग केरल सरकार द्वारा स्थापित राज्य परिवहन निगम की बसों में सफर नहीं कर पा रहे हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा डीज़ल दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिए जाने के कारण, के.एस.आर.टी.सी. अपनी बसों को चलाने की स्थिति में नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर कोई निर्णय लेने के लिए तैयार है?

अब मैं अंतिम बात पर आता हूं। जहां तक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसे पी.एम.जी.एस.वाई. अथवा एस.एस.ए. या कोई अन्य योजना का संबंध है, समस्या यह है कि सरकार सभी राज्यों के लिए समान मानदंड बनाती है। जहां तक शिक्षा का संबंध है, केरल राज्य इसमें अग्रणी है। हम केरल की तुलना अन्य राज्यों से कैसे कर सकते हैं? यदि हम तमिलनाडु को देखें तो उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफी अच्छी है। यह सबसे अच्छी है। इस मामले में हम तमिलनाडु की तुलना अन्य राज्यों से कैसे कर सकते हैं? केरल और तमिलनाडु में इन सफलताओं के कारण ही उन्हें दंडित किया जा रहा है। उन्हें कई क्षेत्रों में यथोचित राशि नहीं दी जा रही है। भारत का ढांचा संघीय है। इसका अर्थ नहीं है कि एक निर्णय को सभी राज्यों पर लागू किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी समस्या है। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार लचीलेपन के संबंध में कोई निर्णय ले, अन्यथा कई राज्यों को विद्यमान जटिलताओं के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करना हूं।

[हिन्दी]

*** श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़) : यू.पी.ए. द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट से समाज के सभी वर्गों में घोर निराशा की स्थिति निर्मित हुई है। आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बजट से पूर्व ही डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और भी भभक गई। वर्ष 2012-13 में शून्य पर टिकती औद्योगिक विकास दर, कहर ढाती महंगाई पिछले 12 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत तक पहुंचता राजकोषीय घाटा और अब तक सबसे बड़ा चालू विदेशी भुगतान शेष का घाटा अर्थशास्त्रयों नीति निर्माताओं और देशवासियों की नींद हराम करता रहा है। वित्त मंत्री जी विदेशी निवेश का प्रबध समर्थन करते हैं, किंतु इस बात को नजरअंदाज करना चाहते हैं कि विदेशी निवेश देश के लिए अच्छा है या बुरा। विदेशी भुगतान घाटा चिंता का विषय है। वर्ष 2011-12 में देश में मात्र 22 अरब डालर का ही एफ.डी.आई. आया, जबकि ब्याज रायल्टी जैसे मदों के नाम पर 26 अरब डालर विदेश चले गये, यानि एफ.डी.आई. फायदे का सौदा नहीं रह गया। कोयला, तेल,

* भाषण सभा पटल रखा गया

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

सोना आदि के आयात के महंगे होने के पीछे भुगतान घाटे का कारण बतलाया गया, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार बढ़ते भुगतान घाटे की जिम्मेदारी सरकार की है जिसे वह ओढ़ना नहीं चाहती। बढ़ते राजकोषीय घाटे की चिंता तो बताते हैं, लेकिन उसे ठीक करने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति का पूर्णतया अभाव इस बजट में दिखा है। वित्त मंत्री जी ने भविष्य की जो उजली तस्वीर पेश की है उस पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। विकास दर 4.5 प्रतिशत रह गई है जबकि एन.डी.ए. की सरकार के समय विपरीत परिस्थितियों में भी 8.4 प्रतिशत थी। यह आंकड़े केन्द्र सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी बजट में की गई है। देश में आतंकी एवं उग्रवाद की घटनायें बढ़ रही हैं। सरकार इस खतरे से वाकिफ है। अगर रोकने के लिए चिंतित होती तो पर्याप्त धनराशि देती, किन्तु आंतरिक सुरक्षा पर बजट पिछले साल से भी कम कर दिया है। सरकार ने बजट में आवास और वेतन जैसे मामलों में मद में काफी धन दे दिया। नक्सलियों, आतंकवादियों और उग्रवाद से लोहा ले रहे सी.आर.पी.एफ. को गत वर्ष हथियार आदि खरीदने के लिए दो करोड़ का प्रस्ताव था, मगर दिया गया मात्र 80 लाख रुपया। इस वर्ष बजट तो पिछले वर्ष से भी कम कर दिया गया। एन.एस.जी. को नए हथियार और अत्याधुनिक बनाने के नाम पर वित्त मंत्रालय ने मुंह फेर लिया, कुछ नहीं दिया। सीमा सुरक्षा बल जो भारत की सीमा पर और आंतरिक सुरक्षा में लगी है उसे गत वर्ष पांच करोड़ के बदले में मात्र 80 लाख दिया। इस वर्ष भी बजट पांच से घटाकर दो करोड़ कर दिया। देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, जो एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा रही है। दूसरी तरफ देश के अंदर अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। देश के मजदूरों गरीबों के हक भी छीन रही है।

कमाई बढ़ाने की आड़ में सरकार ने मध्यम वर्ग को निचोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। आयकर से छूट की दर से कोई बढ़ोत्तरी न किया जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मात्र तीन से पांच लाख सालाना का योग्य आमदनी वालों को कर में 2000 रुपये की छूट देकर भरमाने की कोशिश की हैं, जिससे कर्मचारियों एवं मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ निराशा ही लगी है। घर के लिए सोयाबीन तेल, जैतून का तेल, स्टील के बर्तन खरीदने, एसी रेस्तरा में भोजन करने, सिगरेट पीने, सेट टॉप बाक्स खरीदने, घर में संगमरमर का फर्श बनाने, रेशमी कपड़े अथवा जड़ाऊ जेवरात खरीदने तथा दो हजार से ज्यादा कीमत के मोबाइल फोन को महंगा किया जाना सीधे मध्यम वर्ग की जेब हल्की करेगा। अपना घर बनाने को लिए गए 25 लाख रुपये तक का कर्ज पर ब्याज के चुकाने में एक लाख रुपये की छूट से इस वर्ग में मुट्ठी भी आबादी को राहत मिलेगी, क्योंकि इस कीमत में मकान छोटे शहरों में तो मिल सकते हैं महानगरों में असंभव है। यह अन्य बात है कि छूट देने का असली मकसद औद्योगिक रीयल स्टेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को फिर खड़ा करना है।

कृषि के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। देश में हर वर्ष बाढ़ एवं सूखें के कारण किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। सिर्फ कर्ज देने से समस्या का हल नहीं होगा। महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है। राजस्थान भी पानी की कमी से जूझ रहा है। किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफी के साथ ही मुफ्त खाद बीज उपलब्ध कराने, बिजली बिल माफ कराने में भी केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देकर किसानों की मदद के लिए कदम उठाने होंगे। सिंचाई साधनों को बढ़ाना होगा। राज्यों से भेजी गई लघु मध्यम सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने में मदद करनी होगी। किसानों के बच्चों को अभावों में शिक्षा बीच में न छोड़नी पड़े। अतः आपदा ग्रस्त किसानों के बच्चों के लिए शिक्षा कोष का प्रबंध करना चाहिए।

देश में उपलब्ध संसाधनों का ठीक से उपयोग करने एवं राज्यों में कारखाने लगाने की दिशा में संसाधन जुटाने की पहल राजनैतिक पूर्वग्रहों को ताक पर रखकर देश के विकास की भावना को दृष्टिगत रखकर की जानी चाहिए, ताकि रोजगार एवं विकास साथ-साथ बढ़ सके। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड पैकेज की राशि, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह सागर, दतिया जिलों को दी गई, लेकिन विकास का लक्ष्य अभी अधूरा है। अतः बुंदेलखंड पैकेज की राशि तब तक प्रतिवर्ष दी जानी चाहिए जब तब कि बुंदेलखंड विकास की दौड़ में विकसित जिलों के बराबर नहीं आ जाता है। टीकमगढ़ छतरपुर संसदीय क्षेत्र में खनिजों की भरमार है। यहां डायमंड, रॉकफॉस्टेट, लाइमस्टोन, डोलोमाईट, रेड ऑक्साइट, ग्रेनाईट, डायसफोर, आयरन, बाक्साईट, मैगनीज, पायरोफ्लाईट आदि प्रचुर

मात्रा में उपलब्ध है। अत: विशेष सर्वे कराकर इन पर आधारित कारखाने तथा यहां के नागरिकों द्वारा लंबे समय से यहां उपलब्ध लोहे के आधार पर स्टील प्लांट लगाने की मांग की जा रही है। अत: छतरपुर सागर की सीमा पर स्टील प्लांट लगाने से बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ेगा। यहां लोगों को रोजगार मिलेगा तो पलायन कम होगा। सिंचाई साधनों के विकास पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उसमें भी बुंदेलखंड के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं है। एन.डी.ए. की सरकार के समय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन, बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में स्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में पूरा सहयोग करने के बाद भी एवं कोर्ट के ओदशों को भी नजरअंदाज कर केन्द्र द्वारा इस संबंध में पूरा सहयोग करने के बाद भी एवं कोर्ट के आदेशें को भी नजरअंदाज कर केन्द्र द्वारा इस योजना को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है जबकि केन बेतवा नदियों के जुड़ने से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, रायसेन जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई जिले सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से लाभांवित होंगे। मध्य प्रदेश की गणेशवपुरा, बानसुजारा सिंचाई योजनाओं के साथ ही केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन लघु एवं वृहत सिंचाई योजनाओं को अधिकतम राशि देकर शीघ्र पूरा कराना चाहिए।

मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, जीर्णोद्वार, फोरलेन एक्सप्रेस मार्गो के लिए भी नजरअंदाज किया गया है, जबकि एन.एच.-75 रीवा, छतरपुर, झांसी एन.एच.-76 ग्वालियर, हरपालपुर, मिर्जापुर एन.एच.-86 कानपुर, सागर, देवास को प्राथमिकता से वित्तीय प्रबंधन कर शीघ्र सड़कों का निर्माण तथा झांसी, छतरपुर, सतरा मार्ग का फोरलेन एक्सप्रेस में परिवर्तन की कार्यवाही जो बीच में रोक दी गयी है उसे पुन: प्रारंभ कर सड़क निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। छतरपुर में एन.टी.पी.सी. को शीघ्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए अधिक राशि का आवंटन कर इसे अविलंब प्रारंभ करवाना चाहिए। चंदला के पास केन नदी पर थर्मल पावर की विशेष संभावनाएं हैं, कोई सर्वे की योजना नहीं। अत: बजट में सर्वे को प्राथमिकता देकर कार्य प्रारंभ होना चाहिए। खजुराहों हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किये लंबा समय हो गया, 10 वर्ष से ज्यादा समय से वहां कार्य चल रहा है। किन्तु धनाभाव के कारण अधूरा है, जबकि यह देश के विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सबसे प्रमुख केन्द्र के रूप में जाना जाता है। बजट में उल्लेख नहीं है प्राथमिकता देनी चाहिए।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छत्तरपुर जिले में खोला जाना चाहिए। इससे कृषि की संभावनाओं के विकास के साथ ही रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। छतरपुर यूनिवर्सिटी एवं नौगांव, इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी कर केन्द्र को भेजी गई हैं जिनको केन्द्र द्वारा की जाने वाली स्वीकृतियां देकर शीघ्र प्रारंभ करवाना चाहिए तथा बुंदेलखंड में शिक्षा के विकास हेतु इन्हें विशेष वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। टीकमगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ हो चुका है किन्तु निजी भवन नहीं होने से असुविधा हो रही है। अत: शीघ्र राशि देकर बनवाना चाहिए।

देश में बढ़ते घोटाले, दिनों दिन बढ़ती महंगाई तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई स्पष्ट नीति सरकार की नज़र नहीं आ रही है, जिससे आम आदमी में निराशा इस बजट से बढ़ी है। अंतिम छोर पर खड़े गरीब व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक विकास के बगैर भारत निर्माण अधूरा है।

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल) : भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आज सारे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है। वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्लो-डाउन के दौर से गुजर रही हैं, ऐसे में माननीय यू.पी.ए. चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी के नेतृत्व में भारत सरकार की दूरदर्शी, स्पष्ट कुशल और सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो-डाउन के दौर में भी विकास कर रही है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर तीव्र होती। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वह जनसाधारण, ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, शिक्षा स्वास्थ्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। मुझे आशा है कि हमारे देश की महिलाएं बालक और हमारे देश का आधार हमारे किसान भाई इस बजट से लाभांवित होंगे, उनकी व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्र का विकास होगा तथा साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है और सरकार द्वारा देश के विकास के लिए बजट में जो

* भाषण सभा पटल रखा गया

[श्री सतपाल महाराज]

नीतियां बनाई गई हैं वह ग्रामीण परिवेश को ही दृष्टिगत रखकर बनाई गई है। हमारे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल तथा रोजगार के अवसर मुहैया करवा दिये जाएंगे तो हमारे देश का विकास शीघ्रता से होगा।

महिलाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में प्रथम महिला बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इसकी आरंभिक पूंजी के तौर पर 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 2013-14 में जेंडर बजट के लिए 97,134 करोड़ रुपए तथा बालबजट हेतु 77,236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अकेली महिलाएं और विधवा महिलाओं सहित महिला समाज के दुर्बल वर्गों तथा युवा महिलाएं जो हर जगह खासकर, कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं की चिंताओं के निराकरण के लिए स्कीमें तैयार करने को 200 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया है। इससे सरकार की महिलाओं के प्रति सोच व संवेदनशीलता का पता चलता है।

बजट में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को बजट 2013-14 में 37,330 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है। इसमें से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रस्तावित शहरी स्वास्थ्य मिशन को 21,239 करोड़ रुपए मिलेंगे। ए.डी.आई.पी. स्कीम के लिए अशक्त कार्य विभाग को 110 करोड़ की धनराशि के आबंटन का प्रस्ताव है। चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के लिए 4,727 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाने के लिए आयुश विभाग को 1069 करोड़ आबंटन का प्रस्ताव है। एम्स जैसे 6 संस्थानों के लिए 1650 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है।

मैं सरकार के सम्मुख अपने कुछ निम्न प्रस्ताव रख रहा हूं। आशा करता हूं कि सरकार इन पर गौर करेगी:-

काले धन के ऊपर देश में नई-नई पार्टियां बन रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु बजट में काले धन के बारे में कुछ नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए कुछ स्वेच्छा स्कीम इत्यादि का प्रावधान करे।

आम आदमी के लिए तो बजट में कर छूट की सीमा 20,000 रुपये बढ़ा दी गई है, परंतु महिलाओं व सीनियर सीटिजन के लिए कुछ न करना निराश करता है। उनके लिए भी बजट में कुछ किया जाना चाहिए। धारा 80 सी के अंतर्गत 1 लाख तक ही बचत कर छूट का लाभ है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बाण्डस बगैरह जारी करके, जिससे लोग ज्यादा बचत करें। इसका फायदा सरकार को ही मिलेगा। इन्हें करने से कांग्रेस पार्टी को भी लाभ मिलेगा।

पर्वतीय राज्य, विशेषकर उत्तराखंड राज्य, विकास दर में पिछड़े हैं। यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में मूलभूत ढांचे का अभाव है। पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। उत्तराखण्ड राज्य में सड़कों का अभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही वहां वैकल्पिक मार्गो के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। वहां के पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य में 68 प्रतिशत वन है। पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार, सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों में शिक्षा की एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी, रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए।

पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें

धामों की तरह विकसित करने का तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रुपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रुपये तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रुपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रुपये दैनिक की जानी चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है।

गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए। देहरादून से काठमांडू तक अंतर्राष्ट्रीय सीधा हवाई सम्पर्क शुरू किया जाये।

गौचर, चिन्यालीसौड़ विमान पत्तनों का विस्तार किया जाये, जिससे यहां बड़े जहाज भी उतर सकें। पंत नगर विमान पत्तन का नाम बदल कर जिम कार्बेट पंत नगर विमान पत्तन किया जाये, जिससे जिम कार्बेट आने वाले टूरिस्ट आकर्षित होंगे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चिन्हित कर हैलीपैडस का निर्माण किया जाये जिससे आपदा के समय राहत व बचाव कार्य शीघ्रता से हो सके।

वेदनी, बुग्याल, आली को एल्पाइन गांव व एस.के.आई. रिसोर्ट के रूप में विकसित किया जाये। रामनगर में गेल की गैस पाइपलाइन लाई जाये, जिससे वहां खाता बनाने के लिए गैस पाईप से सीधी घरों में उपलब्ध हो सके।

राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बॉर्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है। ऐसे बॉर्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए। भारत विश्व के 7 बड़े देशों में आता है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाल ही में दिनांक 13 से 16 सितम्बर, 2012 के बीच रूद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ व जखोली तहसील में भारी बारिश व बादल फटने की सिलसिलेवार घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। जिसमें 69 लोगों की जाने गई। सार्वजनिक अवसंरचना का 67.42 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ जिसमें से 39.37 करोड़ की रकम तत्काल आवश्यक है। उखीमठ के गांव जुआ, किमारा, ब्रह्मणखोली, प्रेम नगर, डंगवारी, मंगोली, चुन्नी, सालामी और गिरिया गांव बुरी तरह प्रभावित हुए और इन गांवो में जान माल की भारी नुकसान हुआ। भूस्खलन के कारण जखाली तहसील के किरोरा मल्ला और तिमली गांव में भारी नुकसान हुआ, जिसमें 70 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये। रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ व जखोली में आपदा से 44 गांव प्रभावित हुए जिसमें 1022 जनसंख्या प्रभातव हुई। 30.027 हैक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ, साथ ही 25.175 हैक्टेयर कृषि भूमि का भी नुकसान हुआ। 57 पक्के बने मकान जमींदोज हो गये। 46 पक्के मकानों में 50 प्रतिशत तक नुकसान हुआ। 66 पक्के मकानों में आंशिक नुकसान हुआ। राजस्व विभाग के अनुसार 2804.70 लाख का नुकसान हुआ। लगभग 10 सड़कें पूरी तरह से बह गई, कई पुल व पैदल पुल ध्वस्त हो गये। उत्तरकाशी व ऊखीमठ में आई आपदा के कारण काफी लोग घर विहीन हो गये। जानमाल की भारी नुकसान हुआ। ऊखीमठ में ही 58 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये, सरकार को मदद देकर उन 58 मकानों को बनवाने चाहिए। चूंकि उत्तराखण्ड सीमान्त राज्य है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल के साथ लगती हैं और ऐसे में यह कोई आतंकवादी घटना न हो, इसकी गहनता से जांच करवानी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष योजना बना कर राज्यों के साथ मिलकर लागू करनी चाहिए।

उत्तराखण्ड का पर्वतीय एरिया पूर्णतया सिसमिक जोन है। ऐसे में वहां पर विस्थापन व पुनर्वास की नीति का न होना अत्यंत गंभीर विषय है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड का रिंगवाड़ी, मथाड़ा, पझाड़ा, चुकुम बैंथाणा आदि ऐसे गांव हैं जिनका शीघ्र विस्थापन कर पुनर्वास आवश्यक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल

[श्री सतपाल महाराज]

सबके लिए उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाना चाहिए। पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में लम्बित पड़ी पेयजल योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार को आवश्यक पहल करनी चाहिए।

आज पूरे विश्व में योग का प्रचार-प्रसार हो रहा है। विश्व को योग शिक्षा देने वाले भारत में ही अनेक प्रशिक्षित योग शिक्षक बेरोगार हैं। शिक्षण संस्थाओं में योग को अनिवार्य कर इन्हें सेवायोजित किया जाना चाहिए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः एक बार फिर यू.पी.ए. अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिय गांधी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री माननीय श्री पी. चिदम्बरम जी एवं युवा सांसद श्री राहुल गांधी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिनके कुशल मार्गदर्शन में देश विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है। मैं बजट 2013-14 का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आंनदराव अड्सुल (अमरावती) : सभापति महोदय, 2013-14 के बजट पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने चालू खाते में लगभग 75,000 बिलियन डॉलर के घाटे पर चिंता व्यक्त की है। इस घाटे का कारण तेल आयात पर निर्भरता, अधिक मात्रा में कोयले का आयात और सोने के प्रति अत्यधिक आकर्षण होना है।

मेरे अनुसार, प्रत्येक वित्त मंत्री को चालू खाता घाटे पर ध्यान देना होता है। दुर्भाग्यवश हमारे वित्त मंत्री जी ने चालू खाता घाटे पर ध्यान नहीं दिया है बल्कि उन्होंने संसद के आगामी चुनावों पर ध्यान केन्द्रित किया है। वस्तुतः जब हम विभिन्न विभागों को निधियों के आवंटन पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने यह सोचा होगा कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और संप्रग सरकार फिर से सत्ता में आएगी। इस बजट का उद्देश्य यही है।

हमारे वित्त मंत्री सकल घरेलू उत्पाद का उल्लेख कर रहे थे जो कि वैश्विक स्तर पर 3.2 प्रतिशत है। परन्तु हमारे स.घ.उ. की दर 5.5 प्रतिशत है। इस समय सरकारी गणना के अनुसार यह दर 5 प्रतिशत है विश्व के सबसे धनी लोगों में से 44 भारतीय है और विश्व से सबसे अधिक धनी दस लोगों में से भी 4 भारतीय हैं। यह सच्चाई का एक पक्ष है और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को दो वक्त का भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और स्वयं को गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाने के लिए एक घर नसीब नहीं है। प्रतिशत के हिसाब से ऐसे लोग 37% हैं। इस गरीब देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को स.घ.ड. दर से कुछ लेना-देना नहीं है फिर चाहे वह 5 प्रतिशत हो या 5.5 प्रतिशत या विश्व स्तर पर सर्वाधिक हो।

मैं वित्त मंत्री द्वारा रक्षा के लिए 2,03,672 करोड़ रुपये का आवंटन किए जाने की सराहना करता हूं। यह समय की मांग है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हमारी एक ओर चीन है दूसरी ओर पाकिस्तान है। वे एक साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए इसके लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। दूसरी ओर मानव संसाधन विकास संबंधी अनेक योजनाएं हैं। इस संबंध में 65,867 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह भी अति आवश्यक था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 37,330 करोड़ का आवंटन किया गय है; सर्व शिक्षा अभियान के लिए 27,258 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने नाबार्ड को विशेष रूप से गोदामों और भंडारगृहों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किय है। यह भी समय की मांग है। भंडारगृहों में पर्याप्त स्थान न होने के कारण लाखों टन खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने बजट में महिलाओं, किसानों और छात्रों को प्राथमिकता दी है और उनके पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया है। यह भी प्रशंसनीय कदम है। उदाहरण के लिए निर्भया नामक एक नई योजना आरंभ की गई है। महिला आवश्यकता निधि और महिला सरकारी क्षेत्र बैंक नामक योजनाएं भी चल रहीं हैं। उन्होंने प्रत्येक योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि 289 और शहरों में निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। वे इस बात को भूल गए हैं कि ऐसे सैकडों एफ.एम. रेडियों स्टेशन

हैं जो स्टाफ की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक रेडियों स्टेशन में पर्याप्त स्टाफ हो।

उन्होंने 25 लाख रुपये तक के नए आवास ऋण पर 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त कटौती की घोषणा की है। वित्त मंत्री जी ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि किसी महानगर में 25 लाख रुपये में एक बी.एच.के. फ्लैट भी नहीं मिलेगा। इसलिए यह घोषणा केवल कागजों तक सीमित रहेगी। आम आदमी विशेष रूप से मध्यवर्गीय वेतन भोगी वर्ग को बजट से बहुत आशाएं हैं। मंहगाई के दिनों में यह वर्ग यह चाहता है कि कर सीमा में वृद्धि करके उसे कुछ राहत प्रदान की जाए। परन्तु हमारे वित्त मंत्री जी ने कर सीमा में वृद्धि नहीं की है। उन्होंने 2 लाख से 5 लाख रुपये की आय वर्ग में आने वाले लोगों को केवल 2,000 रुपये की राजसहायता अथवा नकद प्रतिपूर्ति प्रदान की है।

पिछले बजट के 5.75 लाख रुपये की तुलना में इस बजट में कृषि ऋण हेतु 7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं वित्त मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए वैधनाथत समिति की नियुक्ति की गई थी। ये बैंक ट्रैक्टर, बैल जोड़ी कृषि उपकरणों आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करते हैं। आज कल उनकी स्थिति काफी खराब है। वैधनाथत समिति ने सभी राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को 4500 करोड़ रुपये का एक पैकेज प्रदान करने का सुझाव दिया था। इसमें से महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के लिए 950 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। दुर्भाग्यवश, गत तीन वर्षों के दौरान यह धनराशि जारी नहीं की गई है। अब यह बैंक दिवालियापन की स्थिति में हैं। इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

बजट में वित्त मंत्री जी ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछले बजट में तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने भी विशेष पैकेज प्रदान किया था। मैंने पिछड़े क्षेत्र की परिभाषा जानने की इच्छा व्यक्त की थी। यदि क्षेत्र में जनजातीय लोग रहते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि उसे पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। विदर्भ क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरावती में तीन लाख से अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। दूसरे इस क्षेत्र के अंतर्गत अमरावती, अकोला, यवतमाल बुलढ़ाना, वाशिम और वर्धा छः जिले आते हैं। पिछले दस वर्षों में इस क्षेत्र में 12,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। इसका कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं और उद्योगों की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए किसान वस्तुतः मुसीबत में हैं और वहां प्रतिदिन एक या दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कर रहे हैं। अतः, इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए।

पिछले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर देते हुए मेरे विदर्भ क्षेत्र हेतु विशेषरूप से सिंचाई सुविधाओं के संरक्षण हेतु 300 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस बजट में भी पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए केवल इतना ही नहीं, केन्द्र सरकार को स्वयं इसकी निगरानी करनी चाहिए। मैंने यह देखा है कि वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री पैकेज के माध्यम से इस क्षेत्र को 3750 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। उसमें से 2177 करोड़ रुपये विशेष रूप से सिंचाई के लिए प्रदान किए गए थे। परन्तु हमारी राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने फर्जी उपयोग प्रमाण पत्र देकर उस धनराशि का दुरुपयोग किया है। उन्होंने वहां धोखाधड़ी की है। इसलिए यदि केन्द्र सरकार धनराशि प्रदान कर रही है तो केन्द्र सरकार की स्वयं उसकी निगरानी करनी चाहिए।

मेरे सहयोगी श्री करुणाकरण जी ने काले धन से संबंधित मुद्दा उठाया और मैं उसका समर्थन करता हूं। हजारों करोड़ों रुपये का कालाधन विदेशों में जमा है। यदि हम इस धनराशि को आपने देश में वापस लाने में सफल हो जाते हैं तो इससे हमारे देश के विकास में सहायता मिलेगी। देश में अनेक घोटाले हुए हैं- 1,76,000 करोड़ रुपये का 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, 1,86,000 करोड़ रुपये का कोयला और 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला आदि। यदि हम इस धनराशि को जोड़ दे तो वस्तुतः हमें देश में किसी व्यक्ति पर कोई कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम इस धनराशि को एकत्र कर लें तो हम अपने देश का अच्छा विकास कर सकते हैं।

जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है और निधियों का दुरुपयोग किया है उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। इनमें से कुछ जेल जा चुके हैं। परन्तु इससे देश की जनता का क्या भला होगा।

[श्री आंनदराव अड़सुल]

जनता को यह धनराशि नहीं मिलेगी। देश की जनता के लिए यह धनराशि खो चुकी है। कोई इस बारे में नहीं सोचता कि यदि इतनी बड़ी धनराशि देश की अर्थव्यवस्था में लग जाए तो निश्चित रूप से हमारा देश पहले की तरह विश्व का सबसे समृद्ध देश बन जाएगा।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : सभापति जी, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं। मैं जनरल बजट पर वित्त मंत्री जी के सामने कुछ कमेंट्स पेश करना चाहता हूं। सर, आपने कहा है कि साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये की डेफिसिट होगी। अगर हम लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंण्डिया का लॉस देखेंगे तो, भंडारण के बाद की हानि दो लाख करोड़ रुपये तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया से ही बच जाता है। हमारा यही कहना है कि इस बजट में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अजीब-अजीब प्रावधान हैं। जैसे कि एस.यू.वी. गाड़ियों पर आपने एक्साइज़ बढ़ा दिया है, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एस.यू.वी. टैक्सियों का एक्साइज़ वही रखा है। एस.यू.वी. टैक्सी भी अमीर लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे समझ नही आता है कि एस.यू.वी. टैक्सियों का एक्साइज़ क्यों नहीं बढ़ाया है। दूसरा उदाहरण मारबल का है। मार्बल को आपने 30 रुपये से 60 रुपये कर दिया है। जो भी कारण हो, मरबल की लॉबी है या अन्य कोई कारण होगा लेकिन एडजस्ट करेंगे तो काफी पैसा सरकार को मिल सकता है। सिगरेट के मामले में आपने 65 मिलिमीटर सिगरेट के ऊपर 18 प्रतिशत बढ़ा दिया है जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो छोटे सिगरेट हैं, जो गरीब लोग पीते हैं, खास तौर से डिस्इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो गरीब आदमी वही दाम होने के कारण पीते रहेंगे और बीमार होते रहेंगे। एक चीज़ इंट्रस्टिंग है कि इतने सालों से हम लोग कभी यह चर्चा नहीं करते हैं कि मिनिस्ट्री की बढ़ोत्तरी हो रही है। दुनिया में भारत ही ऐसी जगह है, जहां हम लोग बोलते हैं कि डेफिसिट है, लेकिन मंत्रालय बढ़ते रहते हैं, ज्वाइंट सैक्रेट्री बढ़ते रहते हैं। डॉक्टरों की कमी है, टीचर्स की कमी है। जो एसेंशियल चीज़ है जैसे एग्रीकल्चल एक्टेंशन वर्कर, डॉक्टर, नर्सेज़ आदि का पूरा आभाव है। आपको ज्वाइंट सैक्रेट्री की कमी नहीं दिखाई देगी। आपको सैक्रेट्री की कमी कही नहीं दिखाई देगी। आपको डी.जी.पी. की कमी कहीं नहीं दिखाई देगी। हमारा यह कहना है कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार को आने विभागों को रेशनलाइज़ करना चाहिए। ऐनिमल हस्बैंड्री एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, जिसके लिए आपने तीन सौ करोड़ रुपये इस बजट में दिए हैं। जहां सरकार छूती तक नहीं है, वहां हम लोग सबसे अच्छा करते हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। जहां सरकार छूती नहीं है, और जहां सरकार के पास सबसे कम पैसा है, वहां पर आम किसान और आम आदमी अपनी मेहनत के बल पर सफल हो जाता है। हमको यह बात समझ में नहीं आती है कि ऐनिमल हस्बैंड्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग को मंत्रालय ने सिर्फ तीन सौ करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार के लोग चाइना का उदाहरण देते रहते हैं। मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप मंत्रालयों को कंबाइंड कीजिए। खास तौर से जो क्रिटिकल पोजिशंस जैसे नर्सेज़, डॉक्टर और टीचर्स पर फोकस करें।

यहां पर रेल बजट पेश होता है। लेकिन एच.आर.डी. मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बजट पेश नहीं होते हैं। आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, वहां दोनों जगह एग्रीकल्चर बजट पेश होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर भविष्य में हम एग्रीकल्चर और एच.आर.डी. मिनिस्ट्री का भी बजट पेश करेंगे और उस पर डिबेट चलेगी तो उससे देश को बहुत फायदा होगा। उससे इस देश के लिए बहुत फायदा होगा।

चौथा पॉइंट डिफेंस इंसेटिवाइज़ेशन का है। सर, यह तो सेंसटिव टॉपिक है। इस देश में इंडिजिनाइज़ेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैचरिंग कभी हो नहीं पाएगा। पिछले साठ साल से हम लोग विदेशी हथियारों पर निर्भर हैं। जब तक हम लोग इंडिजिनाइज़ नहीं करेंगे, जिस देश में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, यदि हम उसको इंडिजिनाइज़ नहीं कर लेते हैं उस पर फास्ट ट्रैक करते हैं तो बहुत फायदा होगा। हर साल यही चर्चा होती है। 60 साल से हम लोग यही चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन आप इंडिजिनाइज़ नहीं करेंगे। लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इस पर ध्यान देना चाहिए। फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर बहुत चर्चा हुई थी। डायरेक्ट फर्टीलाइज़ इंसेंटिव के लिए सरकार नके अच्छा कदम उठाया है। सन् 1978, 1997 और 1998 का जो बजट में फर्टिलाइज़र

सब्सिडी का जो बिल था यदि आप उससे तालाब और कुआं खोदते तो आप भी मिलियन हैक्टेयर सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन शरद जी ने ठीक कहा कि जिस गावं में पानी की व्यवस्था है, वहां पर सरकार से किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हर बजट में माइनर इरिगेशन और स्मॉल इरिगेशन को नज़रअंदाज किया जाता है। हम लोग किसान को सरकार के ऊपर निर्भर रहने के लिए मज़बूर कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक है। जहां तक टैक्स कंपलायंस और प्रॉब्लम्स इन रिफॉर्म है, हास्यास्पद स्थिति इसलिए है कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि 40 हज़ार लोग एक करोड़ रुपये से अधिक कमाते हैं। यदि आप गुडगांव के फार्महाऊस और लुटियंस दिल्ली में जाएंगे तो आपको वैसे 40 हज़ार लोग मिल जाएंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि इंकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कंप्लायंस है, वह बहुत ही अफसोसजनक है।

महोदय, मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, यहां पर बहुत सारे माननीय सांसद महोदय किसान परिवार से आते हैं। हमारी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि हमारे दादा जी एक अनपढ़, अंगूठा छाप बटाईदार किसान थे। हमारा यहां आने का एक ही कारण था क्योंकि हमारे पिता जी को एक सरकारी नौकरी मिल गयी। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यहां पर हर वक्त एफ.डी.आई. इन रिटेल, इंश्योरेंस पर चर्चा करते हैं। हम लोग कभी भी डिटेल में इरीगेशन के बारे में नहीं करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने पहले भी कहा था कि एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी की अबॉलिशिंग, ये सब अनिवार्य कदम हैं। जहां तक आदिवासी क्षेत्रों की बात है, क्योंकि मैं झारखण्ड से आता हूं, एक हक कमेटी की रिपोर्ट थी, हक कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 करोड़ आदिवासी परिवारों के लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं। लेकिन इस देश में अभी तक हमने माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। उसके अलावा जब सरकार ने किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों को सिर्फ चार या पांच हजार करोड़ चाहिए। 27 करोड़ परिवारों को देखने के लिए हमको सिर्फ चार हजार और पांच हजार करोड़ के बीच में बजटरी सपोर्ट चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया, पूरे 12वें प्लॉन में दो हजार करोड़ दिया, इसका मतलब चार हजार करोड़। एक तरफ 27 करोड़ आदिवासी जनता आपके लिए कुछ नहीं है, आपको चार हजार, पांच हजार करोड़ मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गाड़ी की सब्सिडाइज करने के लिए हमारे पास साठ-सत्तर हजार करोड़ हैं। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से यही अनुरोध होगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया जाये क्योंकि 27 करोड़ आदिवासी लोगों का भविष्य इस पर निर्भर है। जहां तक ट्राइबल सब प्लॉन की बात है, फार्मर्स लोन के बारे में है। अधिकांश आदिवासी जमीन को सरकार ने फॉरेस्ट घोषित कर लिया है तो आपने पट्टा नहीं दिया। इसलिए उसे बैंक से लोन नहीं मिलता है और वह मजबूर होकर मनी लेंडर के पास चला जाता है। यदि आप लोगों को आदिवासी लोगों के हित में सचमुच काम करना है तो पहले मनी लेंडर लोन माफ कर दीजिए क्योंकि उसने बैंक लोन तो कभी जिन्दगी में लिया ही नहीं है। उनकी जो पारम्परिक जमीन थी, उसे आपने फॉरेस्ट डिक्लेयर करके उसे इल्लीगल ठहरा दिया है। हर जगह झारखण्ड में यही स्थिति है। मैं यही अनुरोध करूंगा कि हम लोग यह बात समझ ले कि किसी भी आदिवासी के पास बैंक लोन इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी जमीन जो है, आपने उसे इन्क्रोच करके फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हम केवल एक ही चीज कहना चाहेंगे, हर आदमी ने यही कहा है कि आजकल सर्व शिक्षा अभियान के जितने भी प्रोग्राम हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, वे मनरेगा लायक ही रहेंगे क्योंकि स्कूल में कोई टीचर नहीं है। यह सिर्फ दाल-भात योजना बनकर रह गयी है, इसलिए सरकार इस पर जरूर ध्यान दे।

अंत में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हम लोग यहां जितनी भी चर्चा करेंगे, मैं एक सरकारी अफसर रह चुका हूं, जब तक हम लोग सरकारी, गवर्नेंस, टैक्नोलॉजी की गरीब को सुविधा पहुंचाने लायक नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इस देश में गवर्नेंस रिफार्म्स की अति आवश्यकता है। आम जनता का सरकारी पदाधिकारी से पिंड छुड़ा दीजिए तो इस देश का बहुत कल्याण होगा। मैं वित्त मंत्री महोदय, से अनुरोध करूंगा कि बजट में रिफार्म्स इन गवर्नेंस टू यूजिंग टैक्नोलॉजी का जरूर प्रावधान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, हमारे सामने जो बजट पर सामान्य चर्चा की जा रही है, चूंकि यह बजट पर सामान्य चर्चा है, इसलिए करीब-करीब सरकार के मातहत जितने विषय हैं, उन सभी विषयों पर इसमें चर्चा हो जाती है। वित्त मंत्री जी अमेरिका से पढ़े हुए अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, मैं उनके अर्थशास्त्र की विद्या को नमस्कार करता हूं। मैं जो कुछ भी कहूंगा, वह उनके जैसे ही महान विद्वान जर्मनी से पी.एच.डी. किये हुए महान स्वतंत्रता सेनानी डॉ. राममनोहर लोहिया के कुछ प्रसंगों को उनके सामने रखता चला जाऊंगा। जब कभी हम बात करते हैं तो हिन्दुस्तान के गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, बनवासी की बात करते हैं। हिन्दुस्तान में जब यह बजट बना है तो यहां दो बातों का संघर्ष है। एक तरफ हिन्दुस्तान में पसीने वाले हैं और दूसरी तरफ पैसे वाले हैं। पैसे वाले के तन से पसीना नहीं आता, पसीना बहाने वाले के पास पैसा नहीं जाता। जो पसीने से लथपथ रहता है, जेठ की चिलचिलात दुपहरी में अपने शरीर को झुलसाता है, पानी में अपने शरीर को गलाता है, जाड़े में अपनी हड्डी को ठिठुराता है, उसी पर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था-

"कुत्ते को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
मां की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं।
हटो स्वर्ग के दूत, मैं स्वर्ग लूटने आता हूं।"

आज हिन्दुस्तान की जो तस्वीर है, उस तस्वीर पर क्या अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और हमारे महान् अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का क्या कभी ध्यान जाता है? अर्थशास्त्र भी कई तरह के हैं। एक है ग्रामीण कृषि अर्थशास्त्र और एक है औद्योगिक पूंजीपति अर्थशास्त्र। डॉ. लोहिया ने कहा था- "आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह और अनुग्रह से प्रेरित होकर इस देश में सत्ता को चलाया जाता है।" एक तरफ इनके मन में कुछ लोगों के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है। जैसे पिछड़ी जाति, दलित और वनवासी के लिए मन में यह दुराग्रह है कि उनके घर में कोई तेजस्वी, प्रतिभाशाली, योग्य, दक्ष और सक्षम पैदा हो नहीं सकता है। इस दुराग्रह से प्रेरित होकर ये सरकार को चलाते हैं और समाज को बनाते हैं तो यह देश कैसे बन सकेगा? एक तरफ कुछ लोगों के प्रति दुराग्रह और पूर्वाग्रह है- गांव, गरीब, किसान और मज़दूर के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है कि उनका जितना शोषण कर सकते हो करो, ये बोलेंगे क्या? जाति के दलदल में ये इतने धंसे हुए हैं और दलों के बीच में ये इतने बंटे हुए हैं कि ये न कभी एकजुट और इकट्ठा होंगे। जब वोट का समय आएगा, जाति का लस्सा लेकर जाएंगे और सबको फंसाएंगे और चिड़िमार के जैसे सबकी गर्दन मरोड़कर रख देंगे, लेकिन हिन्दुस्तान में बजट को उन पूंजीपतियों के लिए बनाएं- कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना।

आपकी दृष्टि कहीं है और काम किसी के लिए करते हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये समाजवाद की चर्चा करते हैं। मैंने इस संसद में पढ़कर बताया था। मैं फिर उन पंक्तियों को पढ़कर बता देना चाहता हूं कि इन विद्वान अर्थशास्त्रियों के बीच एक समाजवादी, महान् स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के साथ रहने वाले, नेहरू के आनन्द भवन में विदेश सचिव का कार्यभार संभालने वाले, ऐसे महान् अर्थशास्त्री विद्वान डॉ. लोहिया ने समाजवाद के बारे में क्या कहा था, जरा सुनें।

"समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह एक होता है
थोक, एक होता है फुटकर,
एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है
सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम।
समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो। उस सीढ़ी का नाम
है बराबरी। उस बराबरी से एक
सीढ़ी नीचे उतरो। आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी,
राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी।
उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो तो उसके बाद आएगी
समता, पूर्ण समता, संभव
समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो। तब अधिकतम
और न्यूनतम की सीमा लगाओ।"

इसमें डॉ. लोहिया ने धार्मिक बराबरी की भी बात की है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं हैं, ये कोई शिवसेना के शब्द नहीं हैं। महान समाजवादी डॉ. लोहिया ने धार्मिक समता, धामिक बराबरी की बात क्यों की थी? इसका मतलब यह है कि इस देश में धार्मिक विषमता है, सांस्कृतिक विषमता है और इस तरह सामाजिक-सांस्कृतिक समन्वय की बात करने वाले लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि किस सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हो? डॉ. लोहिया ने सांस्कृतिक समन्वय की बात को कहे हुए उस संसद में 26 मार्च, 1966 को बोलते हुए कहा था-

"समन्वय दो तरह का होता है। एक दास का समन्वय,

एक स्वामी का समन्वय। पिछले 1000 बरस के इतिहास में हिन्दुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा, यह एक दास का समन्वय रहा है। इसलिए भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हैं, यहां दासभाव का समन्वय है, स्वामीभाव का समन्वय नहीं है।"

इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर समाजवाद की बात करो, समता-समाज की बात करो तो पूर्णता में बात करिए। खंडित में बात करने की कृपा मत करिए। आपका बजट बनता है, आप क्या बजट बनाते हैं, आपके बजट का आधार क्या है? आपका बजट साठ-गांठ से बनाया गया है, गठबंधन से बनाया गया है। किसके गठबंधन से? राजनीतिक दलों का गठबंधन अलग है, लेकिन आपके बजट का गठबंधन अलग है। वह गठबंधन की अर्थ नीति क्या है?

सायं 7.00 बजे

सत्ता और नौकरशाही का गठबंधन, सत्ता और व्यापार का गठबंधन, सत्ता और भ्रष्टाचार का गठबंधन, सत्ता और बहुराष्ट्रीय कम्पनी का गठबंधन। इस बजट में चारों गठबंधन हैं और इन्हीं चार खूंटों पर इस बजट को बनाया गया है।

मैं पहले आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता और नौकरशाही का गठनबंधन कैसे? आपका बजट नौकरशाही उन्मुखी है। आपका बजट नौकरशाहियों के द्वारा नियंत्रित है, संचालित है, प्रबंधित है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब नौकरशाही के हाथ में रहेगा, इसका छोटा सा उदाहरण है कि कितने नौकरशाह पकड़े गए हैं। सत्ता के गठबंधन में नौकरशाही के संबंध में डॉ. लोहिया ने इसी लोक सभा में बोलते हुए कहा था- मैं इस सिद्धांत को उठा रहा हूं कि राजनीति और नौकरशाह का संबंध क्या रहना चाहिए। क्योंकि अगर यह तीन-चार सौ मंत्री अपने नौकरशाहों का इस्तेमाल करते हैं या तो खुद धन बटोरने के लिए, ज़रा गौर करिएगा, या अपने रिश्तेदारों के लिए धन बटोरने के लिए या अपनी पार्टी के लिए धन बटोरने के लिए और मान लें कि धन न भी बटोरे तो शक्ति का संचय करने के लिए ताकि अपने गुट को मज़बूत बना कर राज्य पर कब्ज़ा कर लो। यह चार चीजें उन्होंने गिनायी हैं। नौकरशाह के साथ इसलिए इसका गठबंधन है। जितने घोटाले की बात हमारे साथियों ने की है, वह घोटाले के पीछे किसका हाथ है? नौकरशाही का हाथ है? जितने राजनैतिक नेता पकड़े गए, उनके नाम आ गए, लेकिन नौकरशाही और बड़े व्यापारी घरानों के कितने लोग पकड़े गए, क्या वह जेल में गए? 2जी स्पैक्ट्रम में...* घराने का हाथ था या नहीं?...* घराने का हाथ था या नहीं? उनका नाम था या नहीं। क्या...* को गिरफ्तार किया गया? ...* और ...* को क्या गिरफ्तार किया गया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य द्वारा किए गए नामों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : एम.एल.ए. और एम.पी. पकड़ में आ जाएं तो उन्हें गिरफ्तार करो, उनके लिए आवाज़ लगाओ, लेकिन इन बड़े घरानों के ऊपर हाथ मत लगाओ, क्योंकि उनकी पूंजी से, उनके पैसे से सरकार चलाते हो। यह है व्यापार और नौकरशाह का गठबंधन। इस गठबंधन पर सरकार को चलाते हो। मैं हिन्दुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और देश के नौजवानों से कहता हूं कि आओ, बढ़ो, उमंग से उछाल मारो। एक बार हनुमान के जैसे कूद चलो। उस पार जाओ। या तो अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी, जालिम सत्ता को जला कर राख कर दो या समुद्र में डूब कर मर जाओ। लेकिन अब चैन से मत बैठो। सहते-सहते हम थक चुके हैं।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके बजट का आधार क्या है? मैंने यह चार्ट बनाया है। इसमें पांच चीज हैं- भय, भोग, भ्रष्टाचार, भ्रांति और भगदड़। यही आपके बजट का आधार है। भय क्या है? 12.12.12 को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है- दिनांक 31.10.12 की स्थिति के अनुसार 57 मामले सुनवायी के लिए सी.बी.आई. के अधीन लम्बित हैं। जिनमें आठ पूर्व मुख्यमंत्री, 71 राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, पूर्व संसद सदस्य, पूर्व पार्षद और विभिन्न दलों के सदस्यों सहित शामिल हैं। इन सुनवायी के अधीन मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री मामलों में शामिल हैं, पदाधिकारी इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। यही तो है आपका आधार-भय। भय दिखाओ, मेरे साथ आओ, चरण चुम्बन कर लो। मेरे चरण चुम्बन में आओ, सिर झुकाओ, नहीं तो सी.बी.आई. है, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट है, आयकर विभाग है। घेरेंगे, फंसाएंगे, जेल में बंद कर देंगे और इसके कारण

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

राजनैतिक दलों का यह चरित्र बन गया है कि सड़क पर रहते हो तो सरकार के खिलाफ़ बोलते हो, सदन में आते हो और जब सरकार गिराने को मौका आता है तो उनके साथ हाथ मिलाते हो। वाह रे यह दोहरा चरित्र राजनैतिक दल का। क्या इससे हिन्दुस्तान बनेगा? इससे हिन्दुस्तान नहीं बन सकता है। इससे देश नहीं बन सकता है, इसलिए हिन्दुस्तान के उन पिछड़े दलितों और आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि इन दोहरे चरित्र वाले को जब तक साफ नहीं करोगे, तब तक हिन्दुस्तान की राजनीति सुधरेगी नहीं, हिन्दुस्तान की व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तुम उनके पीछे जाति के नाम पर दौड़ते रहोगे, दलदल में धंसते रहोगे। वह जाति के नाम पर लाएंगे, तुम को कांग्रेस के जंगल में फंसाएंगे। कांग्रेस तुम्हारी हड्डी मांस खा जाएगी, कांग्रेस तुम्हारा रक्त पी जाएगी। तुम्हारे पूर्वजों का पीया है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कांग्रेस के साथ-साथ उन दलों को भी सावधान करता हूं जो कांग्रेस के साथ आंख में आंख मिलाते हैं और कांग्रेस के साथ गले मिलते हैं। 'बाहर आंख में लाली और अन्दर कांग्रेस की दलाली' - ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं अपनी बात मुख्तसर में कहते चला जा रहा हूं। इस सरकार में अंतर आया है। गांव-शहर का अंतर, कृषि और उद्योग का अंतर, गरीब और अमीर का अंतर, जनता और नौकरशाह के बीच अंतर तथा खाई बढ़ी है जो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। क्या इस बजट से वह खाई कम होगी? क्या इस बजट के द्वारा वह खाई पाटी जाएगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इसका भी कारण है। मैं वह कारण आप को बता देना चाहता हूं। दो-चार मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

अन्तर कहां-कहां बढ़ा है, जरा गौर करिए। वर्ष 1951 में गांव के लोग थे 82.7% वर्ष 2001 में ये हो गए 72.2% यानि माइनस 10.5%। यह आंकड़ा है। गावं के 10.5 प्रतिशत लोग कहां भाग गए, कहां डूब गए? गावं का किसान था। वह एक एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़, पांच एकड़ जमीन जोतता था। गावं में खाने के लिए रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं रहा। वह शहर में भाग आया। शहर में रिक्शा चलता है, ठेला चलाता है, फुटपाथ पर रहता है, पेड़ के नीचे सोता है। ये 10.5% किसानों को आप ने गरीब बनाया है, मज़दूर बनाया है। वर्ष 1951 में किसान 71.9% थे, वर्ष 2004 में उनकी संख्या 54.4% हो गयी। बाकी 17.5% किसान कहां लुप्त हो गए? खेतिहर मज़दूर 28.1% थे, वर्ष 2001 में बढ़ कर हो गए 45.6%। आपके आंकड़ बताते हैं कि 17.5% किसान लुप्त हुए हैं और 17.5% खेतिहर मज़दूरों की संख्या बढ़ी है।

मैं आप से प्रार्थना करना चाहूंगा। आप बजट में पांच लाख करोड़ रुपये कर्ज़ लेते हैं और तीन लाख करोड़ रुपये सूद चुकाते हैं। मैं गांव का किसान हूं। पांच लाख रुपये कर्ज़ लिया, तीन लाख रुपये महाजन को सूद दिया, बच गया दो लाख रुपये और बजट बन गया सोलह लाख रुपये का। साहब, आप किस को धोखा देते हैं? मेरे हिसाब से तो वह तीन लाख रुपया सूद में चला गया, बाकी बचा दो लाख करोड़ रुपया। इसलिए यह किस लिए हुआ? केवल सरकारी बैंकों और गैर सरकारी बैंकों का जिन पर एन.पी.ए. का बकाया है, बट्टा खाते का बकाया है, एक करोड़ रुपये से ऊपर जिन पर टैक्स का बकाया है, उनको जोड़ दें तो वर्ष 2009 तक के आंकड़े मेरे पास है। वह 2,90,643 करोड़ रुपये होता है। यह बकाया जो बड़े घरानों के ऊपर है और जिसे आपने छोड़ा है, अगर यह बकाया नहीं रहता, अगर यह तीन लाख करोड़ रुपये आप उन से वूसल लिए होते तो आपको कर्ज़ क्यों लेना पड़ता? आप उनको छोड़ते जाते हैं। उन पर लूटाते जाते हैं।

पहले गांव में ज़मींदार होते थे। अजय जी, आप हमारे इधर के बारे में जानते हैं। गांव में पहले बाबम साहब ज़मींदार होते थे। वे खेत बेचते थे, दरवाज़े पर मुज़रा करवाते थे। उसी तरह आज यह सरकार लुटाती है। अगर इन बड़े घरानों को दी गयी सारी छूट को निकाल लें तो यह लगभग दस लाख करोड़ रुपये बनते हैं जिससे एक साल के बजट में केवल पांच लाख रुपये की कमी रह जाती है।

महोदय, आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा समय न ले कर केवल एक बात कहना चहूंगा। एक मामला मेरे पास है। मेरे पास का नहीं है, हमारी नेता सुषमा स्वराज़ जी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के इम्प्लॉयज एसोसिएशन वाले दिया। वे गांव में किसान के, मज़दूर के बीच में, दूरदराज़ देहातों में काम करते हैं। उनके इम्प्लॉयज ने शर्तें रखी थीं कि उनको भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर सभी सुविधाएं दी जाएं। बाबू प्रणब मुखर्जी जब यहां वित्त मंत्री थे, उन्होंने उनको बुलाया, बैठाया,

समझौता किया और उस कागज़ पर उनके भी विभाग का हस्ताक्षर है, मुहर है। लेकिन, आज के वित्त मंत्री कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्या प्रणब बाबू का किया हुआ सौदा, समझौता या इक़रार किया हुआ आप नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। मैं अपनी बात को अंतिम चरण पर ले जाते हुए केवल इतनी प्रार्थना करूंगा।

सभापति महोदय, मैं हिन्दुस्तान के गांव के गरीब किसान, मज़दूर सबको यहां से आह्वान करना चाहता हूं। आज वहां लाखों-करोड़ों की संख्या में लोग संसद की कार्यवाही को देख रहे होंगे। गांव के गरीब किसान, मजदूरों, दलितों, तुम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानों। जब तक दोस्त और दुश्मन को पहचानने के लिए तुम्हारी दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक तुम ऐसे रहोगे।...*(व्यवधान)* बैंक में, जितनी भी अंडरटैकिंग्स हैं, वहां एक भी उस समाज का व्यक्ति नहीं है। कहीं इन पिछड़े दलितों को किसी भी ऊंची कुर्सी पर स्थान नहीं, सैक्रेट्री, ज्वाइंट सैक्रेट्री एवं अंडर सैक्रेट्री भी वहां उस समाज का नहीं है। "राज चलाओ तुम, खून बहाएं हम, राज चलाओं तुम, तेल लाएं हम और नाच नाचो तुम।" ये कब तक देश में चलता रहेगा?

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस अत्याचार, जुल्म को बंद करो। अब मैं दो पंक्तियां सुना कर आपनी बात को समाप्त करूंगा। साहब, इतना अवसर दे दीजिए। हमारी पार्टी के दूसरे वक्ता में से दो मिनट कम कर लीजिएगा, हमारा समय है। मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जो जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में गाते थे। विधान सभा में मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने इमर्जेंसी में जेल में अपनी हड्डी जलाई थी, 20 किलो खून सूख गया था। तब मैं गाया करता था- "लाख-लाख झोंपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता सम्पत्ति के बंगले में हंसती पूर्णमासी है, ये सब अब न चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आओ श्रमिक कृषक मजदूरों इंक्लाब का नारा दो, शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, तब देखें ये सत्ता किनती बर्बर और बोराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई हैं।" इसलिए आओ, सब मिल कर छलांग लगाओं, इस जालिम, जुल्मी, गांव विरोधी, किसान विरोधी सत्ता को जला कर राख नहीं करोगे, तब तक हिन्दुस्तान का कल्याण नहीं होगा। इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ, आओ हिन्दुस्तान को आजाद करो, गांव गरीब किसान, मजदूर को आजाद करो।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मेरे नेता ने मुझे दूसरा वक्त बनाया, इसलिए सब के प्रति धन्यवाद।

श्री बलीराम जाधव (पालधर) : सभापति महोदय, अभी हुक्मदेव जी ने भाषण किया कि जब तक आदिवासी साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक उनका कुछ नहीं होगा। एक एम.पी. आदिवासी को रोकता है तो गांव में रहने वाले आदिवासी का क्या होगा।

लोक सभा में वर्ष 2013-14 के लिए एक संतुलन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने लगभग समाज के सभी वर्गों एवं सभी राज्यों को कुछ न कुछ देकर एक शुभ संकेत की तरफ इशारा किया कि सभी को मिलेगा सब कुछ, परन्तु सही वक्त आने पर मिलेगा। यहां यह कहना जरूरी है कि जिन सात राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां कुछ जरूर ज्यादा आबंटन किया गया है। सदा हमेशा से होता है और होता रहेगा।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी के सामने देश एक बहुत बड़े परिवार की तरह है, जिसमें परिवार के मुखिया को परिवार के सभी सदस्यों की तरफ देखना होता है। शिक्षा, कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योगों और महिलाओं के लिए सौगतें दी हैं। महिलाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपए के फंड के साथ विश्व में अपनी तरह का पहला बैंक खोलने और इतनी ही राशि में महिला निर्भया कोष करने की घोषणा की। कृषि कर्ज के लिए सात लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। आशा है कि किसानों को कर्ज के लिए बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। इससे साहुकारों पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। इसी तरह पांच राज्यों में - गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छः महीनों के अंदर तीन हजार किलोमीटर सड़कें बनाने तथा 21.700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए प्रावधान किया गया है। कुछ नये औद्योगिक कॉरीडोर जैसे चेन्नै-बैंगलूरू तथा मुम्बई-बैंगलूरू बनाने तथा गुजरात के धौलेरा और महाराष्ट्र के शैंद्रा बिडाकिन के रूप में दो नये स्मार्ट औद्योगिक शहर शुरू करने की घोषणा की गई है।

[श्री बलीराम जाधव]

यद्यपि इनकम टैक्स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किया, परन्तु फिर भी पांच लाख रुपये तक की आय पर दो हजार रुपये की छूट दी है। बाकी अन्य क्षेत्रों में कई तरह की छूट तथा सुविधाएं प्रदान करने की घोषणाएं की गई हैं तथा अतिरिक्त धन जुटाये जाने की घोषणाओं के साथ यह कहना सही होगा कि वित्त मंत्री ने हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है।

मैं अब महाराष्ट्र में पड़े सूखें और ओलावृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य के करीबन 25 जिलों में, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र पालघर जिला ठाणे (महाराष्ट्र) भी आता है, अकाल विकराल रूप धारण कर चुका है। वहां पानी की भारी किल्लत है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, ओले, बाढ़ आना आदि से खड़ी फसलों को, खास तौर पर रबी की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना किसानों के बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तो राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को आपस में सहयोग करके आगे आना चाहिए और भरपूर मदद करनी चाहिए, अन्यथा किसान के पास सिवाय खुदकुशी करने के और कोई दूसरा चारा नहीं होता है। माननीय सदन इस बात से पूरी तरह अवगत है कि महाराष्ट्र के विदर्भ में, खास तौर से हर साल सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करके मरते हैं, क्योंकि, सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है और न ही उनकी माली हालत ऐसी होती है, जिससे वह बैंकों से लिया कर्ज बैंकों को वापस कर सके।

इस सन्दर्भ में मेरा सरकार से आग्रह है कि केन्द्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय न होने की वजह से गरीब किसान पिसता न रहे और खुदकुशी को दस्तक देने से बच सके, इसके लिए सरकारी सहायता जल्द से जल्द मुहैया कराई जाये। साथ ही जिन किसानों पर बैंकों का कर्ज है, उनको माफ भी किया जाये।

हमारे देश का किसान बड़ा संतोषी जीव है। एक तो चुपचाप वह प्राकृतिक आपदाओं का सहन करता है और दूसरे निधि के अभाव को भी सहन करता है। अत: इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपत्ति निवारण आयोग की स्थापना करनी चाहिए, जो इस प्रकार की समस्याओं से प्रभावित किसानों को पूर्ण रूप से तथा जल्द से जल्द न्याय दिलाने में सक्षम हो।

इसी प्रकार पानी की जो किल्लत है, चाहे वह पीने का पानी हो खेती के लिए, उसको भी जल्दी से जल्दी एक नदी जोड़ो योजना के तहत पूर्ण करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में तीन पहाड़ी इलाके हैं, जोवार, मोरवाड़ा तथा विक्रमगढ़ जहां पानी 400-500 फीट पर ही पीने के लिए निकलता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। कृपया अब समाप्त कीजिए। अब डा. के.एस. राव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलीराम जाधव : एक मिनट। इसके अलावा मेरे क्षेत्र पालघर में एक ही केन्द्रीय विद्यालय है, जिसकी वजह से क्षेत्र के सारे बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री जी से एक और केन्द्रीय विद्यालय पालघर में खोलने के लिए प्रार्थना की है।

मेरे संसदीय क्षेत्र पालघर से पाइप्ड नैचुरल गैस (पी.एन.जी.) महाराष्ट्र के कई इलाकों में, गुजरात और यू.पी. में आती है, परन्तु मेरे क्षेत्र के लोगों को इसकी सप्लाई नहीं मिलती है। इस समस्या को कई बार मैं मंत्री महोदय से मिलकर अकेले तथा शिष्टमंडल के साथ भी उठा चुका हूं, परन्तु अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अत: मैं सरकार से गुज़ारिश करता हूं कि मेरे क्षेत्र में यह काम होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह समाप्त हुआ। अब डॉ. के.एस. राव बोलेंगे। कृपया अब अपना भाषण शुरू कीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में इसके अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह यादव, आपकी पार्टी एक छोटी पार्टी है। आप पहले ही पर्याप्त समय ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

***श्री निखिल कुमार चौधरी** (कटिहार) : इस चुनावी साल में अपेक्षाकृत कम पापुलिस्ट बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* भाषण सभा पटल रखा गया

माननीय पलनियप्पन चिदंबरम को बधाई देता हूं। वरना यू.पी.ए. सरकार का यह इतिहास रहा है कि ठीक चुनाव के पहले इन्हें जनता की याद आती है। सरकारी खजाने को खोल दिया जाता है जिसका भारी नुकसान देश को उठाना पड़ता है और जिस जनता के लिए आप सरकारी खजाने को खोलते हैं वहीं जनता महंगाई के तले दब जाती है।

एन.डी.ए. के शासन काल में कीमतें लगभग स्थिर थी। लोगों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती थी। इसका कारण था वित्तीय अनुशासन। गैर योजना खर्च पर नियंत्रण था। संस्थागत ढांचे के विकास पर जोर था। वित्तीय अनुशासन का ही नतीजा था कि कीमतें लगभग स्थिर थी। विकास दर ऊंचा था। जाते-जाते हमने आपको उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था विरासत में दिया। लेकिन आपने उसे विरासत का क्या किया? अपने 9 साल के शासन काल में विकास दर को धीमा कर लगभग 5 प्रतिशत कर दिया तथा मुद्रास्फीति दर 7 प्रतिशत है, जो घटने के बावजूद काफी अधिक है।

देश का राजकोषीय घाटा 5.3 प्रतिशत है, जो सुरसा की तरह मुंह बाये खड़ा है। इतना राजकोषीय घाटा रहने पर न तो आप अर्थव्यवस्था को स्थिर कर पायेंगे और न ही कीमतों को। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि चालू खाता घाटा, करन्ट एकाउंट डेफिसिट के वित्त पोषण के लिए आपको 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी।

अभी कुछ महीने पहले माननीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने पटना के एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि सरकार मेरे संसदीय क्षेत्र कटिहार में एक मक्का अनुसंधान केन्द्र खोलगी। इस घोषणा का स्वागत है। पर यह घोषणा, घोषणा ही न रह जाए। इसे अतिशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

मेरा गृह राज्य बिहार आज विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य सरकार के अथक प्रयास से वहां कानून व्यवस्था मजबूत हुई है तथा विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। सड़क परिवहन में व्यापक सुधार हुआ है। पर जैसा कि ज्ञात है यह राज्य प्रकृति की मार झेल रहा है। करीब-करीब हर साल बाढ़ आती है जिससे प्रदेश के संसाधनों का गहरा नुकसान होता है। कृषि क्षेत्र भयानक रूप से बाढ़ चपेट में आता है। जिससे प्रति व्यक्ति आय घट जाती है। इन कारणों से राज्य सरकार केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है, पर सरकार इस जायज मांग पर चुप्पी सीधे हुए है, यह दुखद है। मैं मांग करता हूं कि बिहार को अतिशीघ्र विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि वहां विकास कार्य को और तेज किया जा सके। अब आप जा रहे हैं, जाते जाते कम से कम अच्छा काम अवश्य कर जाइये।

साथ ही, बिहार में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। पवित्र गंगा नदी प्रदेश को दो हिस्से में बांटती है। वर्तमान में मात्र तीन जगह ही पुल बने हुए हैं जो उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से जोड़ती है। एक पुल है पटना में , एक मोकामा और एक भागलपुर में। पटना के महात्मा गांधी सेतु या यातायात का इतना अधिक दबाव रहता है कि वहां घंटों जाम लगना एक आम घटना हो गई है। अत: यातायात के दबाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी गंगा नदी पर पुल बनाया जाये। इससे लोगों के बीच दूरियां भी कम होंगी।

आपने बताया कि आपके पास तीन रास्ते हैं, एफ.डी.आई., एफ.आई.आई. और विदेशी वाणिज्यिक उधार। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एफ.डी.आई. इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लेकिन इतना एफ.डी.आई. आप लायेंगे कहां से और कैसे, यह स्पष्ट नहीं है। आपके पास विजन की कमी है। फिर आप कहते हैं महंगाई का एक कारण मात्र आपूर्ति असंतुलन है। जैसाकि तिलहन और दलों की कीमतों से स्पष्ट है। अगर आपको यह पता है कि तिलहन और दालों का उत्पादन मांग की तुलना में कम है तो इन खाद्य पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए आपने क्या किया है? स्पष्ट है कि यहां भी विजन की कमी है।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक विकास दी ग्यारहवीं योजना में 3.6 प्रतिशत रही जो 9वीं तथा दसवीं योजना की वृद्धि दर से अधिक है। तथापि, इस वृद्धि दर का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों के बीच आत्महत्या बदस्तूर जारी है। वर्ष 1995 से अब तक लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर बारह घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। इसका सबसे दु:खद पहलू यह है कि किसान आत्महत्या दर पर लगाम लगाने में सरकार पूर्णरूप से असफल रही। जैसे-जैसे कृषि विकास दर में वृद्धि हो रही है, वैसे-वैसे किसानों के बीच आत्महत्या की प्रवृति भी बढ़ रही है।

[श्री निखिल कुमार चौधरी]

आजादी के बाद से शायद सबसे बड़ा कृषि संकट से देश गुजर रहा है। इससे कुशलता से निपटने की जरूरत है। राहत के नाम पर अरबों रुपये व्यय किए जा रहे हैं, पर ये रूपये कहां जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। अगर इस पैसे का सदुपयोग होता तो किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होते। मैं भी एक किसान हूं और किसानों की मजबूरी को अच्छी तरह से समझता हूं। किसान अगर आत्महत्या करता रहेगा तो देश कभी विकास नहीं कर सकेगा। मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार झारखण्ड प्रदेश के काफी निकट पड़ता है, पर बीच में गंगा नदी पर पुल नहीं बनने के कारण कहिटार और झारखंड के बीच दूरी काफी अधिक है। अत: मेरी मांग है कि कटिहार के मनिहारी तथा साहेबगंज के बीच रेल तथा सड़क पुल का निर्माण यथाशीघ्र किया जाये। जायज मांग वर्षों से लंबित है इसमें और देरी मत कीजिए।

साथ ही मेरी मांग है कि राज्य के अन्य हिस्सों अर्थात् आंरा और छपरा के बीच तथा समस्तीपुर और बख्तियारपुर के बीच भी पुल का निर्माण किया जाए जिससे राज्य के विकास में और गति आ सके।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव (एलूरू) : सभापति महोदय, मैं 2013-14 के आम बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह यादव, आपको जो कुछ भी देना है, उसे आप माननीय मंत्री जी को दे सकते हैं। वे इसे बालेंगे। डॉ. राव, कृपया जारी रखिए।

डॉ. के.एस. राव : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा के सदस्यों की एक आहट बन चुकी है कि जो सदस्य सत्ता पक्ष से संबंधित हैं वे ढोल पीट रहे हैं और जो विपक्ष में हैं वे बिना किसी कारण के उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सिर्फ नए सदस्यों पर ही लागू नहीं होता बल्कि वरिष्ठ सदस्य भी यही कार्य करते हैं। मैंने विद्वान प्रोफेसर और बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, एम.एम. जोशी जी का भाषण ध्यानपूर्वक सुना। जोशी जी ने वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम से यह कहकर सहानुभूति व्यक्त किया कि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने वर्तमान स्थिति में भी चुनौतियों को स्वीकार किया है परन्तु दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा बिना किसी संसाधन और मिलों की सहायता लिए ही किया। उन्होंने टिप्पणी की कि बजट में कोई दम नहीं है, और इसमें कोई नयापन नहीं है, दिशाहीन है। ये सारी बातें मैं समझ सकता हूं क्योंकि वह कह सकते हैं कि यह एक उत्कृष्ट बजट है। मैं भी यही कहता हूं। यह रोमांचक नहीं हो सकता है, यह उत्तेजना बढ़ाने वाला नहीं हो सकता है, परन्तु यह कहना कि यह एक चुनावी बजट है, यह कहना कि यह बजट सिर्फ मत प्राप्त करने के लिए है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं विस्तार से बताऊंगा कि यह कैसा है।

मुक्त मंत्र के बारे में बताते हुए वह मुक्त मंत्र जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि वह समावेशी विकास चाहते है, के वह उच्च विकास चाहते हैं, और वह गरीबों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हैं! अब, माननीय एम.एम. जोशी कह रहे हैं कि इस मुक्त मंत्र में विकास या खुशहाली को ध्यान में नहीं रखा गया है, उन्होंने यह भी कहा कि इसमें शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सुरक्षा नहीं है, खुशी नहीं है इत्यादि। महोदय, मैं शिक्षा हेतु आबंटित राशि के बारे में बताना चाहूंगा। सरकार ने 65,867 करोड़ रुपये आवंटित किया है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार ने 27,258 करोड़ रुपये आवंटित किया है। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) का उद्देश्य क्या है? यह आज ही शुरू नहीं हुआ है। यह काफी वर्ष पहले संप्रग सरकार द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। इससे भी बढ़कर इसे समाज के निर्धनतम तबकों के बच्चों को स्कूल जाना बन्द करने से रोकने के लिए शुरू किया गया था। हमने इस सभा में चर्चा की थी कि कई गरीब तबकों के परिवार सोचते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी करने भेजने पर उन्हें कुछ अधिक आय की प्राप्ति होगी, इस प्रकार समाज के गरीब तबकों में अधिकांश स्कूल छोड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। इसे रोकने के लिए, यह सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए अनिवार्य शिक्षा योजना लेकर आई है। सरकार ने इतना ही नहीं किया है, सरकार ने भारी मात्रा में धनराशि भी आबंटित किया है। सरकार ने शिक्षा पर बजट को एक वर्ष में नौ गुना बढ़ा दिया है। स्वतंत्रता के बाद किसी भी सरकार ने इतना अधिक धन आवंटित नहीं किया है। क्या वे कहते हैं कि आवंटित धनराशि गरीबों के लिए नहीं है? यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में जाते हैं, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में उनमें से लगभग सभी बच्चे समाज के गरीब तबकों

से ही होते हैं। इसलिए, यदि शिक्षा पर भारी मात्रा में धनराशि आवंटित की जाती है, यह सिर्फ गरीबों और गरीब परिवारों के लिए ही होती है।

उन्होंने स्वास्थ्य सुविधा के बारे में बात की। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा हेतु 37,330 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। मैं विशेषतः चिकित्सा शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। इस सभा के प्रत्येक सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का अनुभव है कि वहां कोई डॉक्टर नहीं है। आज भी वहां डॉक्टरों की कमी है। इस सरकार ने देश के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट बढ़ाने पर ध्यान दिया है। उसके अतिरिक्त, सरकार ने अलग से 4,727 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है। जब एक इस देश में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक नहीं होंने स्वास्थ्य सुविधा पर चाहे जितनी भी धनराशि आवंटित की जाये, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, इस सरकार ने विचार किया और गहराई में गई, समस्या की जड़ तक गई, और चिकित्या शिक्षा के लिए भी धनराशि आवंटित की।

उसके अलावा, पहले चिकित्सा शिक्षा केवल गैर-लाभकारी न्यासों के हाथ में था। अब, कॉरपोरेट क्षेत्र को भी कॉलेज शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है। इसका अर्थ, उस विशेष श्रेणी में हमें काफी संख्या में डॉक्टरों काफी संख्या में पैरामेडिकल कर्मचारी दिया, काफी संख्या में नर्सों, काफी संख्या में सहायकों (हेल्परों) की आवश्यकता है। स्वास्थ सुविधा क्षेत्र में इतनी क्षमता है कि सिर्फ इसी क्षेत्र में 10 मिलियन लोग समायोजित किया जा सकते हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य सुविधा आवश्यक है। गरीब आदमी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उसे किफायती दाम पर अनाज मिले, उसके पास अपने परिवार हेतु एक अच्छा, स्थायी घर हो, और अच्छी शिक्षा हेतु एक स्कूल, जहां उसके बच्चे पढ़ सकें और अपने परिवार की जीवनशैली बदल सकें और रोजगार पा सकें। मैं समझ सकता हूं कि यदि सदस्य यह आलोचना करें कि इस प्रकार की शिक्षा जो देश में उपलब्ध है उससे गरीबों को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

महोदय, कोई कह रहा था कि यदि हम रोजगार उपलब्ध करा दें, तो सब कुछ हल हो जायेगा। परन्तु हमारा अनुभव है कि हर रोज हम जहां भी जाते हैं हमें देश में कुशल श्रमिकों की कमी मिलती है। उदाहरण के लिए, जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं, गांव के लोग आते हैं और कहते हैं: महोदय यदि हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है तो महीनों इसकी मरम्मत नहीं हो पाती है क्योंकि कोई लाइनमैन नहीं है। फसल महीनों तक प्रतीक्षा नहीं करेगी। फसल नष्ट हो जायेगी और उस समय तक जो फसल उगी है बर्बाद हो जायेगी और गरीब किसान को ही नुकसान होगा। अतः, इसका अर्थ है कि इस देश में पर्याप्त संख्या में कुशल लाइनमैन नहीं है। वह सिर्फ लाइनमैनों तक सीमित नहीं है। जब हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है वह नहीं मिलता है, जब हमें एक स्टेनोग्राफर की आवश्यकता होती है वह नहीं मिल पाता, जब हमें एक सचिव की जरूरत पड़ती है वह नहीं मिल पाता, जब आपको अपनी मोटर साइकिल की मरम्मत के लिए एक कुशल व्यक्ति की जरूरत होती है तो वह नहीं मिल पाता और यदि आपको अपनी टेलीविजन सेट की मरम्मत हेतु एक कुशल व्यक्ति (कारीगर) चाहिये होता है तो वह नहीं मिलता। इसलिए, यहां मेरा यह कहना है कि वे सरकार की यह कहकर आलोचना कर सकते हैं कि इस समय देश में जिस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध है वह व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, हमारे विद्यार्थियों को कोई कौशल प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण और विकास हेतु केवल 1000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई है जो पर्याप्त नहीं है। अतः इस सरकार ने कौशल विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में धन आबंटित नहीं किया और मैं इसे समझ सकता हूं। किन्तु विपक्षी दल के सदस्य बिना किसी बात के यह कह कह कर आलोचना कर रहें है कि यह गरीब लोगों के लिये नहीं है, वहां शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। डॉ. मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता ऐसा कह रहे हैं।

जब माननीय सदस्य श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में समाज के निर्धनतम वर्ग को लाभ दिलवाना चाहते हैं ताकि उनके रहन सहन में सुधार हो सके। मैं समझ सकता हूं और मैं इसे समर्थन देता हूं। किन्तु डा. जोशी कह रहे थे कि हमारी संस्वीकृति और हमारे मूल्यों का ह्रास हो रहा है मगर बजट में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

वितत मंत्री के रूप में उन्हें यह देखना होता है कि धनराशि का आबंटन किस प्रकार हो और संसाधन कहां से जुटाए जाएं। मैं वित्त मंत्री जी के कार्य की प्रशंसा करता हूं

[डॉ. के.एस. राव]

क्योंकि उन्होंने न केवल कठिन समय में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है बल्कि उन्हें अनेक चुनौतियों का समाना भी करना था। इसके बावजूद उन्होंने वोटों की परवाह न करते हुए विभिन्न क्षेत्रो में व्यय को कम करके राजकोषीय घाटे को 5.8% से घटाकर 5.2% कर दिया।

अब, डीज़ल का मूल्य बढ़ गया है। कुछ लोग कहेगें कि डीज़ल की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये। डीज़ल कहां से आता है? यह हमें हमारे देश से प्राप्त नहीं होता। भारत में हम 111 अमरीकी डालर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल बाहर से आयात कर रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल का कोई स्रोत हमारे देश में नहीं है और कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम इसकी कीमतें निर्धारित नहीं कर सकते। आयात करते हुए यदि हम मूल्य बढ़ाएं और उपभोक्ता पर डाल दे तो इससे तेल विपणन कम्पनियां को हानि होगा। वह पैसा कहां से आयेगा? वह पैसा पुन: उसी राजस्व स्रोत अर्थात गरीब लोगों से जुटाया जायेगा। अत: इसे या तो बाजार मूल्यों पर लोगों में बांट देना चाहिये या सरकार को लोगों के पैसे को खर्च करना चाहिये। देश में वे कौन लोग हैं जो डीज़ल की खपत सबसे अधिक करते हैं? आंकड़े बताते हैं कि डीज़ल की अधिकांश खपत धनी लोग द्वारा की जाती है तथा गरीबों या किसानों तक डीज़ल की बहुत कम मात्रा पहुंच पाती है। अत: यदि सरकार डीज़ल की कीमत बढ़ाती है और ईंधन पर सबस्डिी कम करती है तो यह गलत नहीं है।

महोदय, डीजल का कीमतों में वृद्धि पर नागरिकों और विपक्ष के हंगामें के बाद उन्होंने सबस्डिी कम कर दी है। उन्होंने वर्तमान वर्ष में 60,100 करोड़ रुपये की बचत की है। तथा राजकोषीय घाटे को 5.8% से घटाकर 5.2% किया है। हम वित्त मंत्री जी को गलत कैसे ठहरा सकते हैं जबकि उन्होंने बहुत समझदारी से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया है। राजकोषीय घाटा क्या है? जब धन की कमी है, जब व्यय की तुलना में राजस्व कम है और हमें घरेलु बाजार से या विदेशी बाजार से लाखों करोड़ों रुपयों का उधार लेना पड़ रहा हो तो यह राजकोषीय घाटा है। उस ऋण की अदायगी कौन करेगा? प्रति वर्ष ब्याज की राशि बढ़ती जायेगी। अत: हमारे पास केवल एक ही रास्ता शेष रहता है वह है अपने राजस्व को बढ़ाना। हम अपने राजस्व कैसे बढ़ाए। राजस्व में वृद्धि के लिये हमें निर्माण में वृद्धि करनी होगी। वास्तव में निर्माण ही किसी भी राष्ट्र की सुदृढ़ता का आधार है। हम निर्माण में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? केवल निवेश और लोगो के कौशल से ही निर्माण में वृद्धि हो सकती है। दो चीज़े आवश्यक है एक निवेश और दूसरा लोगों का कौशल। वर्तमान में कौशल में कमी है। सरकार को देश के प्रत्येक नागरिक को कौशल प्रतिशक्षण देने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। देश के लोगों में कौशल का विकास करने से उत्पादन लागत में भी कमी आयेगी। उत्पादन लागत में कमी आने से वैश्विक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। तब हमारे निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यातों में वृद्धि होने से व्यापार घाटा में कमी आयेगी और रुपये के मूल्य में वृद्धि होगी। किन्तु मात्र शब्दों की बाजीगरी से ऐसा नहीं होगा। मेरे कुछ मित्र कह रहे थे कि यह मात्र शब्दों का इंद्रजाल है किन्तु ऐसा नहीं है। यह बजट वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है और यह अत्यंत सुस्पष्ट है।

निवेश कहां से आयेगा? हमें घरेलू निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना होगा। तो क्या स्थानीय लोगों को निवेश के लिये प्रोत्साहित करना गलत है? क्या एफ.डी.आई. को प्रोत्साहन देना गलत है? नहीं।

इसी प्रकार, इसमें महिलाओं, युवाओं और गरीब लोगों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। गरीबों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हमारी महिलाएं भी पीछे रह गई है। इसीलिये हम महिलाओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, वे योग्य हो, कौशल संपन्न हो तथा भविष्य में देश को संपन्न बनाने में सक्षम हों। अत: इस ओर ध्यान देना तर्क संगत हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यय, विशेषरूप से गैर-योजनागत व्यय में कमी लाने पर भी ध्यान दिया है। वह निष्फल व्यय पर रोक लगाना चाहते हैं। वह जहां कहीं भी ऐसा पाते है, तुरंत कार्यवाही करते है। इसमें कुछ गलत नहीं है।

वह अत्यधिक धनी लोगों पर कर लगा रहे हैं। क्या यह गलत है? वास्तव में मैं तो यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वह सरचार्च और बढ़ा सकते है। इससे अत्यधिक धनी लोगों से अभी प्राप्त हो रहे 13,300 करोड़ रुपये दुगने होकर 26,600 करोड़ रुपये हो जायेंगे। मैंने सदन में पहले भी यह सुझाव दिया था कि बड़े पैमाने पर हुए लाभों पर कर लगा दिया जाना चाहिये। एक किसान को मजबूरी में अपनी परिसंपत्तियां बेचनी पड़ती है जबकि एक उद्योगपति, एक व्यापारी अपनी

परिसंपत्तियां लगातार बढ़ता जाता है। यदि इस वर्ष यह 1 लाख करोड़ है तो अगले वर्ष यह 2 लाख करोड़ होगा। अत्यधिक धनी लोगों को बड़े पैमाने पर हुए लाभों पर कर देय बनाने में क्या गलत है?

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : वह आप राज्यों में वितरित नहीं करेंगे। वह केवल केन्द्र सरकार के लिये बना है। आप सरचार्ज क्यों लगा रहे हैं? प्रत्यक्ष कर लगाइये।

डा. के.एस. राव : ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आय साल में एक करोड़ से भी अधिक है? पूरे देश में केवल 42,800 लोग ऐसे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जारी रखें।

डा. के.एस. राव : एक व्यक्ति जिसकी आय एक करोड़ रुपये है, यदि 10,000 रुपये कर के रूप में अदा करता है तो कोई बड़ी धनराशि नहीं है। अत: अत्यधिक धनी लोगों पर कर लगाना गलत नहीं है। वह विशेष रूप से ऐसी वस्तुओं पर कर लगा रहे है या शुल्क बढ़ा रहे हैं जिनका प्रयोग अत्यधिक धनी लोगों द्वारा किया जाता है। उत्पाद शुल्क में वृद्धि क्या है? 20000 रुपये में अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनो, सिगरेट, महंगे वाहनो और संगमरमर पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है।

माननीय एम.एस. जोशी चिंतित थे कि मार्बल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। मार्बल का उपयोग कौन करेगा? क्या आम आदमी मार्बल का उपयोग करेगा? क्या एक मध्यम वर्गीय आदमी मार्बल का उपयोग करेगा? केवल धनवान आदमी मार्बल का उपयोग करेगा। इसका अर्थ है, जहां तक मैं जानता हूं यह बहुत स्पष्ट है कि भाजपा ने कभी भी समावेशी विकास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी भी गरीब आदमी पर चर्चा नहीं की और न ही उसके लिए लड़ाई लड़ी। अब उन्हें मार्बल की चिंता है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं और वास्तव में कुछ और सदस्यों ने भी इस बारे में कहा है कि 75 अरब डॉलर की चालू खाते की कमी है। हर वर्ष आयात किए जा रहे स्वर्ण का कुल मूल्य 68 अरब डालर है। स्वर्ण का उपयोग कौन करेगा। ऐसा इसलिए है कि भारतीय महिलाएं स्वर्ण को पसंद करती है, क्या हमें उनका समर्थन करें? क्या हम अन्य सभी देशों में स्वर्ण आकर इस देश में देर लगाएं और फिर इसे धनवान लोगों के घरों में रखे या क्या उन्हें इसे अपने शरीर पर पहनकर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करनी चाहिए? मैं वास्तव में पिछले बजट में भी तत्कालीन वित्त मंत्री की प्रणव मुखर्जी से भी निवेदन कर रहा था कि स्वर्ण के आयात पर कम से कम 10 से 15 प्रतिशत की लेवी होनी चाहिए। अब मैं कहता हूं, कि इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर देना चाहिए। चालू खाते में 75 अरब डॉलर की कमी के कारण रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। हमारे देश में महिलाओं में परम्परागत रूप से स्वर्ण आभूषणों के लिए जो पागलपन है उसके कारण रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। क्या इससे उत्पादन में कोई लाभ होता है? क्या इससे किसी भी तरह इसे देश में गरीब आदमी की स्थिति में सुधार आता है?

भाजपा के सदस्यों पिछले वर्ष के बजट में एक मुद्दा उठाया था और कहा था: "नहीं, स्वर्ण पर लगाए गए सीमा शुल्क को कम किया जाए।" मैंने कहा था: "प्रणव मुखर्जी जी इसे कम मत करो।" मुझे नहीं पता कि किस कारण से फटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसमें कम से कम 15 प्रतिशत बढ़ाये। इस तरह, इस चालू खाते में धन बचा सकते हैं।

अब, इस देश में लगभग 80 करोड़ मोबाइल हैं। प्रत्येक मोबाइल पर 200 रुपये लगाकर हमारे नेट में 16000 करोड़ रुपये आएंगे। इससे किसी के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं कह सकता हूं कि यदि एक मोटरसाइकिल की खरीद पर 500 रुपये या 1000 रुपये की उगाही की जाती है तो इससे किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप एक मोटरसाइकिल पर 1000 रुपये की उगाही करते हैं तो 1000 करोड़ रुपये आएंगे। वे ऐसी चीजों की सलाह सरकार को दे सकते हैं परन्तु वे ऐसी सलाह नहीं देते।

माननीय जोशीजी कह रहे थे: "इस साल अच्छी फसल है और भंडारण की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए, सारा खाद्यान्न सीके गरीब आदमियों में वितरित कर दो।" मैं वितरण के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस वितरण का समर्थन करता हूं। वह साथ ही यह भी कहते है: "बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास दिन में दो वक्त का भोजन भी नहीं हैं।" मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार इस देश में भिखारी के पास भी दिन में दो वक्त का भोजन है। एक या दो हो सकते हैं अन्यथा इस देश में

[डॉ. के.एस. राव]

भोजन की कमी से परेशान नहीं है। संभवत: उसके पास शर्ट न हो; उसके पार घर न हो; उसकी जेब में पैसा न हो; परन्तु इस देश में उसके पास भोजन की कमी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं परन्तु यह कोई मुद्दा नहीं है।

वह कह रहे थे कि राज्य विद्युत बोर्डों को 1.9 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। पर इसका जिम्मेदार वित्त मंत्री को मानते हैं। वित्त मंत्री इसके लिए जिम्मेदार कैसे हैं? यदि राज्य विद्युत बोर्डों को राज्य में घाटा हो रहा हैं तो यह देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसका भारत सरकार के कोई लेना-देना नहीं है और विशेषकर वित्त मंत्री से कोई लेना-देना नहीं है। महोदय, यह सिर्फ आलोचना जैसा है।

उन्होंने इस बात की भी आलोचना की है कि पहले देश में खाद्य मुद्रास्फीर्ति शून्य थी। वित्त मंत्री मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कैसे कर सकते है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने अनुभवों के बारे में बता रहा हूं। गांवों में गरीबों द्वारा खाद्य वस्तुओं की खपत बढ़ गई है। अब, गरीब लोगों के पास पैसा है क्योंकि भारत सरकार ग्रामीण लोगों, जिनमें काम करने वाले लोग शामिल है, के पास लाखों करोड़ो रुपये भेज रही है। एक गरीब आदमी जो एक सप्ताह या एक माह में चिकन नहीं खा सकता था वह अब प्रतिदिन चिकन खा सकता है। अपने बचपन के दिनों में यदि हमारे घर में चिकलन करी बनती थी तो हम इसे त्यौहर कहते थे। यदि चिकन करी बनती थी तो वहां त्यौहार का वातावरण हुआ करता था। हमारे यहां तभी चिकन बनता था जब हमारे घर में मेहमान आते थे। परन्तु आज यह आम आदमी की पहुंच में है। मछली, मीट, अंडा, तरकारी जैसी हरेक चीज आम आदमी की पहुंच में है। स्वाभाविक है कि खपत बढ़ी है। जब खपत बढ़ गई है तो स्वाभाविक है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। इस देश में यह गलत बात नहीं है। बहुत बार खाद्य मुद्रा स्फीर्ति को गलत अर्थ में लिया जाता है।

महोदय, मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता हूं कि शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में; समाज के धनी वर्गों से गरीब वर्गों में धन का हस्तांतरण होना चाहिए और संप्रग सरकार के दौरान पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है।...*(व्यवधान)*

महोदय, रिकार्ड बताते हैं कि आज तरकारी, फलों आदि जैसी सड़ने वाली 1,00,00,000 रुपये की वस्तुओं का नुकसान हो रहा है। सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इसे कैसे रोका जाये। उसके लिए हमें शीतागार श्रृंखला और परिवहन सुविधा चाहिए। मेरे मित्र उसके विपणन के लिए कम आवंटन की बात कर रहे थे और मैं उनका समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ. राव कृपया संक्षेप में कहें। हमें इसके बाद 'शून्य काल' लेना है।

डॉ. के.एस. राव : मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन अपर्याप्त है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि तरकारी, मीट, मछली, फल जैसी सड़ने वाली वस्तुओं, जिनका समाज के गरीब वर्गों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन किया जा रहा है, के भंडारण हेतु और धन का आवंटन करें। ताकि उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। ऐसा करके हम गरीब वर्गों की आय बढ़ाने और फिर उनके परिवारों का तानाबाना परिवर्तित करने के लिए उनकी मदद करेंगे।

महोदय, उन्होंने कहा है कि 12वीं योजना में अवसंरचना के लिए 55 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उसका 47 प्रतिशत गैर-सरकारी लोगों से है। वास्तव मेरी भी कई बार सरकार से अलग राय होती है। अंत संरचना में सुधार के लिए किस चीज की जरूरत है। सड़क बनाने के लिए पर्वत को टुकड़ों में काटना पड़ेगा, लाइमस्टोन को सीमेंट में परिवर्तित करना पड़ेगा। ये सभी चीजें देश में उपलब्ध है; तकनीक देश में उपलब्ध है; मशीनरी देश में उपलब्ध है। और क्या चाहिए? यह प्रेरणा अथवा एक नीति मात्र है जिससे यह काम जल्दी किया जा सके। मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, और इस सड़क के निर्माण में विलम्ब का एक कारण अनुमति ना होना, भूमि अधिग्रहण में देरी और पर्यावरणीय अनापति प्राप्त करने में देरी है। इन सब चीजों में सरकार का दोष है। हमें इन पर बल देना चाहिए, और हम सबको मिल बैठकर सुनिश्चित करना चाहिए कि नीति में बदलाव हो। हम सब कुछ स्पष्ट करें और तत्पश्चात् उनसे इसे बनाने को कहें। अगर हम वैसा करते है, तब हम अगले पांच वर्षों में अवसंरचना पर 55,00,000 लाख करोड़ रुपए नहीं बल्कि 100,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं चाहे किसी बन्दरगाह, किसी विमान पत्तन, सड़क अथवा अवसंरचना से

संबंधित कोई भी मामला हो। इसलिए, हम हमेशा ऐसे उपाय सुझा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ. राव, कृपया अगले बिन्दु पर आइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करे।

डॉ. के.एस. राव : महोदय, माननीय मंत्री ने लोगों द्वारा बाहर से अर्जित रॉयल्टी पर कर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत बढ़ा कर दिया है। इसमें गलत क्या है? वह समाज के धनी वर्गों, जो पैसा कमा रहे हैं, से कुछ राजस्व लेना चाहते हैं। उन्होंने अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) द्वारा अर्जित ब्याज पर कर घटा दिया है ताकि वह एन.आर.आई. से निवेश आकर्षित कर सके। महोदय, एन.आर.आई. के रूप में सिर्फ एक बिलियन नहीं, बल्कि सैकड़ों बिलियन डॉल उपलब्ध हैं। सरकार की समुचित नीतियों से, हम उस सारे निवेश को ना सिर्फ डॉलर के रूप में बल्कि तकनीक और मानवशक्ति के रूप में भी इस देश में आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए, उस तरह से, उन्होंने उसे कम किया है, और अब हमें बहुत सा धन प्राप्त होगा।...*(व्यवधान)*

महोदय, विनिवेश के संबंध में, उन्होंने 55,814 करोड़ रुपए की राशि की आशा जताई है। महोदय, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं की है। नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास ही रहेगा। यदि वह कुछ शेयरों का विनिवेश करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है, कि वह प्रशासनिक और प्रौद्योगिकीय प्रतिभा को आकर्षित कर रहे हैं, और इसी तरह निजी निवेश को आकर्षित कर उद्योग पर लेखा नियंत्रण भी इसमें शामिल है। इसलिए, इन सब चीजों के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुशलता बढ़ेगी। विनिवेश में कुछ भी गलत नहीं है, और जब वह कहते है कि हमें 55,814 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। यह उनका आत्मविश्वास दर्शाता है हमें इसकी सराहना करनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। हम इस तरह से उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

डॉ. के.एस. राव : इसी प्रकार, महोदय, वह बन्दरगाहों, विमानपत्तनों आदि पर 1,20,000 रुपए के निवेश का प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या आप इसे मना करेंगे? आज, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जब हम बच्चे थे, हम सोचते थे कि सिर्फ श्री चिदम्बरम अथवा केन्द्रीय मंत्री अथवा जमींदार ही हवाई यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज, कम से कम, मध्य आम समूह के लोग बड़ी संख्या में हवाई यात्रा कर रहे हैं। इसमें बहुत क्षमता है। हम लोगों का समय बचा सकते हैं, जिसका सार्थक उपयोग हो सकता है। इसलिए, हवाई यात्रा को प्रोत्साहित करंना गलत नहीं है। परंतु विपक्ष के मेरे मित्रों को इसमें दोष दिखाई दे रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, यदि आप हर समय टिप्पणियां ही करते रहेंगे, तो मैं सभा का संचालन नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत दुःख है। यह सही नहीं है। कृपया सभा में शान्ति बनाए रखिए।

डॉ. के.एस. राव : इसी तरह, वस्त्र उद्योग में, वह 1,51,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद कर रहे हैं। यह वस्त्र उद्योग क्या हैं? वस्त्र उद्योग अधिकतर आम लोगों के लिए हैं। यह बहुत धनी लोगों के लिए नहीं है। मंत्री जी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं और टी.यू.एम., प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु प्रोत्साहन को जारी रख रहे हैं। यह एक अच्छी चीज है। इसलिए उन्होंने हर चीज का सावधानीपूर्वक ध्यान रखा है कि इसके क्या परिणाम होंगे, इससे क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं। परंतु विपक्ष में मेरे मित्र इसकी अलोचना कर रहे हैं। सबको पता होना चाहिए, कि किस परिस्थिति में, वह सबकुछ कर रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जब पूरे विश्व की जी.डी.पी. 3.2 प्रतिशत है। यू.के. की जी.डी.पी. एक प्रतिशत या उससे भी कम है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : यू.के. आर्थिक मंदी की गिरफ्त में है।

डॉ. के.एस. राव : यू.एस. की जी.डी.पी. एक प्रतिशत अथवा दो प्रतिशत है। बहुत से ऐसे देश है, जिनका विकास नकारात्मक भी है।

ऐसी परिस्थिति में भी, हमारे वित्त मंत्री को परिदृश्य बदलने का विश्वास है और उन्हें विश्वास है कि वह अगले साल में हमारी जी.पी.डी. को छह प्रतिशत से अधिक पर और बाद में आठ प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर वापिस ले आयेंगे। हमें इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए।

[डॉ. के.एस. राव]

माननीय सदस्य, डॉ. एम.एस. जोशी बता रहे थे कि 1600 में विकास दर 24 प्रतिशत होती थी। तब तो, यदि हम ईसा मसीह से पहले की बात करें, तो यह 100 प्रतिशत भी हो सकती है। यहां मुद्दा यह है कि एक प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में, अब लोग अनजान नहीं है। हम वैश्वीकरण के युग में भी रह रहे हैं। हम कोई जानता है कि अगले मिनट में न्यूयार्क में क्या हो रहा है या लंदन में क्या हो रहा है। इसलिए, लोगों की उम्मीद और महत्वाकांशाएं बढ़ी हैं। इंटरनेट की सहायता से, कोई भी आसानी से यह पता लगा सकता है। कि किस सामान की कीमत क्या है, और किस स्थान पर...*(व्यवधान)*

श्री निशिकान्त दूबे : अमेरिकी अर्थव्यवस्था। 1.8 प्रतिशत से 2.3 तक बढ़ रही है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायण सामी) : क्या यह कोई बड़ी उपलब्धि है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ. राव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : डॉ. राव, आप अपनी बात जारी रखिए।

डॉ. के.एस. राव : महोदय, वित्त मंत्री वस्त्रों के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। वस्त्र किनके द्वारा तैयार किए जाते हैं? इन्हें धनी लोग तैयार नहीं करते। यह किसी गांव में रहने वाला किसी महिला सहित किसी गरीब आदमी की मेहनत है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों मशीनें काम कर रही हैं, जहां वे वस्त्र तैयार करते हैं और चीन से मुकाबला करते हैं। यह ऐसे सामानों में से एक है, जिससे निर्यात में वृद्धि हो रही है।

अत:, हमें इसे अवश्य ही प्रोत्साहित करना चाहिये। उन्होंने वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित किया। इससे वस्त्र बनाने में लगे गरीब आदमी को लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार, उन्होंने वायुयान अनुरक्षण को प्रोत्साहित किया न कि वायुवान को। यह सत्य है। हमारे देश में वायुयान अनुरक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यदि कुछ भी खराबी होती हैं, तो हमें देश के बाहर के शक्तियों को भारी धन राशि अदा करनी पड़ती है, या हमें वायुयान को सिंगापुर अथवा किसी अन्य देश में भेजनी पड़ती है। अत: स्वाभाविक रूप से, इस क्षेत्र में अनुरक्षण को प्रोत्साहित करना उचित है।

महोदय, वे विद्युत उत्पादकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कुंजी, विद्युत है। यदि बिजली नहीं है तो उपयोग नहीं होंगे; यदि उद्योग नहीं होंगे, तो कोई विनिर्माण नहीं होगा और यदि कोई विनिर्माण नहीं होगा, तो कोई निर्यात नहीं होगा; और यदि निर्यात नहीं होगा, तो सभी चीजों के दाम बढ़ते जायेंगे। अत: माननीय मंत्री जी, विद्युत क्षेत्र का समर्थन करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सुविधा को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि वे इसे एक वर्ष के लिए ही नहीं, बल्कि और दो वर्ष के लिए या और तीन वर्ष के लिए अर्थात् तब तक के लिए बढ़ाएं जब तक कि देश में पर्याप्त विद्युत नहीं प्राप्त हो जाती है। हम लोग इस कदम का हमेशा समर्थन करेंगे।

इस संदर्भ में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा। महोदय, हम व्यापार घाटे से जूझ रहे हैं और हम चालू खाते के घाटे से जूझ रहे हैं। मैं एक दिन कह रहा था कि तेल आयात से हमें हानि हो रही है। हम मुख्यत: ईंधन तेल, खाद्य तेल और दालों का आयात कर रहे हैं। मैंने कल माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री और माननीय वाणिज्य मंत्री जी को विस्तार से बताया था कि प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपये के पाम ऑयल का आयात हो रहा है, और हमारे किसान देश में ही 40,000 करोड़ रुपये के मूल्य का तेल उत्पादित करने के लिए तैयार हैं, जिससे देश में काफी रोजगार भी मिलेगा।

यह आवश्यक है कि उन्हें अचानक होने वाले बाजारी उतार-चढ़ावों से बचाया जाए। एक महीने पहले उन्हें पाम ऑयल फ्रूट के तेल लिए 7800 रुपये मिल रहे थे। परंतु आज यह 5200 रुपये हैं। क्या एक किसान इसे सह सकता है? अत:, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे इस पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाकर किसानों की रक्षा के बारे में सोचें। माननीय वाणिज्य मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना, क्योंकि इससे सब्सिडी बढ़ जायेगी और सरकार को हानि होगी। आपको क्यों नुकसान हो? आप 25 प्रतिशत शुल्क लगा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप अपना राजस्व बढ़ा रहे हैं। उसी राजस्व का उपयोग गरीब

लोगों को सब्सिडी देने में किया जा सकता है। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। साथ ही इससे किसानों की रक्षा भी होगी।...*(व्यवधान)* यह क्या है?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। हमें 'शून्य काल' भी शुरू करना है।

डॉ. के.एस. राव : चार वर्ष के पश्चात् पाम ऑयल के आयात हेतु एक डालर भी विनिमय करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम 40,000 करोड़ रुपये बचा लेंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी, आप यहां नहीं थे। इसी तरह, स्वर्ण आभूषण और हीरे पर, आपको कुछ कर अवश्य बढ़ाना चाहिए, चाहे यह 10 प्रतिशत हो या 15 प्रतिशत या फिर 20 प्रतिशत हो। अपने देश में बिना किसी लाभकारी उद्देश्य के हम 68 बिलियन डालर का सोना क्यों आयात करें? कृपया स्वर्ण पर शुल्क बढ़ाने के बारे में विचार करें। वास्तव में, मैं आयात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कहूंगा।...*(व्यवधान)* मैं इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति कह रहा था कि शुल्क में वृद्धि करने से तस्करी होने लगती है। आप तस्करी को नियंत्रित कीजिए। आपको इन तस्करों के प्रति सख्त होना चाहिए। आप तस्करों को फांसी पर लटका दीजिए। तस्करों के फायदे के लिए आप व्यापार घाटा 147 विलियन डालर तक जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अत: आप इसे कम करें। इसी प्रकार, चाहे यह दालो हों, या सोना चांदी या हीरा आभूषण या खाद्य तेल हों, कृपया यह ध्यान रखिए कि किसानों के हितों की रक्षा हो और देश चालू खाते के घाटे से बच सके।

आपने एन.एच. कर रहित बॉण्ड का सुझाव दिया था, जो कि निश्चित रूप से अवसंरचना को प्रोत्साहित कर रहा है। अंततः, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बारे में बताना चाहता हूं कि वे मुक्तत: राजस्व बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश की समस्याओं का यही एक मात्र समाधान है। महोदय, आप राजस्व कैसे बढ़ायेंगे? आप सिर्फ विनिर्माण के द्वारा ही राजस्व बढ़ा सकते हैं। आप विनिर्माण कैसे बढ़ायेंगे? एक निवेश से और दूसरा, कौशल से इस समय हमारे देश में कुशल व्यक्तियों की कमी है। आपको अच्छी तरह ज्ञात है, आप किसी भी उद्योग में जाइये तो पायेंगे कि कुशल व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि हमें भारी धन राशि अदा करनी पड़ती है। यही कारण है कि विनिर्मित वस्तुओं की कीमत वैश्विक बाजार की तुलना में अधिक है और इससे निर्यात में कमी हो रही है।

अत:, मेरा विनम्र निवेदन है कि चाहे बजट से या मनरेगा से ही, आप कौशल विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित कीजिए। हम किसको प्रशिक्षण दे रहे हैं? हम समाज के गरीब तबकों को यह प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये शिक्षित युवा हैं। इस समय, देश में कृषि मजदूरों की कमी है। अत:, ये शिक्षित व्यक्ति, कृषि व्यवसाय से बाहर निकलकर खुश होंगे और किसी उद्योग या व्यापार अथवा किसी सेवा क्षेत्र में कार्य करेंगे। उन्हें महसूस होना कि, वे भी आम लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा क्रार रहे हैं। कला, वे यह थी महसूस करेंगे कि वे एक ऐसे समाज में हैं जहां सभी के साथ प्रतिस्पर्धा है। मैं अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकता हूं। मैं अपने परिवार की जीवन शैली बदल सकता हूं। अत: हमारा ध्यान मुख्यरूप से इसी पर होना चाहिए। जब यह देश के नागरिकों को कौशल में वृद्धि नहीं होनी, तब तक कितनी थी गणना करने, जोड़ने, घटाने, परिवर्तन, पुनआबंटन और आवंटन करने का कोई लाभ नहीं होगा।

सभापति महोदय : श्री राव जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. के.एस. राव : अत:, माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा यही विनम्र निवेदन है।

इसी प्रकार, खाद्य सब्सिडी के संबंध में, सन् 1985 से ही मैं कहना आया हूं कि एफ.सी.आई. एक सफेद हाथी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि धान का भण्डारण करने का अर्थ गांवों में स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाये। आप स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर धन दीजिए, उनसे अपने ही गांवों में भण्डारण के लिए कहिये, उनसे आस-पास के क्षेत्र की उचित मूल्य की सभी दुकानों पर विशिष्ट दर पर आपूर्ति करने के लिए कहिए। यह एक मण्डल यूनिट हो। चाहे यह 10 गावों की यूनिट हो। या 20 गांवों की हो ताकि कार्य का दोहरीकरण नहीं हो। इससे सामान नहीं सड़ेगा, भ्रष्टचार नहीं होगा, और कुछ भी गलत नहीं होगा। इससे हम देश में कम से कम 30,000 करोड़ रुपये बचा लेंगे।

महोदय, देश में प्रमुख समस्या, उच्च ब्याज दर की है। उच्च ब्याज दर से होता यह है कि यदि मेरे पास 10 करोड़ रुपये हों तो मैं कार्य नहीं करूंगा क्योंकि इस धन को बैंक में

[डॉ. के.एस. राव]

जमा कर देने पर मुझे 10 या 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। परन्तु यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं कार्य करूंगा और धन अर्जित करूंगा। इसका अर्थ है कि धन के मूल्य की तुलना में मानव मूल्य में वृद्धि होगी।

प्रत्येक उद्योग सिर्फ ब्याज की उच्चदर के कारण ही अपंग हो रहा है। यदि एक उद्योग छह माह तक असफल रहता है, तो इस पर ब्याज बढ़ता जायेगा और यह कभी भी पूर्व स्थिति में नहीं आ पायेगा। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसके बारे में गंभीरता से विचार करें। देश में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ब्याज दर में कमी की जानी चाहिए। तब, देश निश्चित रूप से विकास करेगा और कोई समस्या नहीं रहेगी।

मेरा सुझाव है कि आपको आयात घटाना चाहिए। मैंने पहले ही स्वर्ण, हीरे, कच्चे तेल इत्यादि के आयात को घटाने का सुझाव दिया है। इस बारे में क्या किया जाना चाहिए? मेरा विनम्र निवेदन है कि श्रम कानूनों में संशोधन किया जाये।

मुझे पता है कि यदि मैं यह कहूं कि नौकरी की सुरक्षा ऐसा कारक है जो देश समृद्धि को अवरुद्ध कर रहा है तो लोग मुझमें ही कमी निकालेंगे। मैंने हर व्यक्ति से निवेदन और याचना की, मैं गया और एक नौकरी पाने के लिए संसद सदस्यों के पैर छुए। कई साल मैंने उनके पैर छुए। परन्तु जैसे ही मुझे नौकरी मिल गई, काम समाप्त हो गया, मुझे कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि, यह अकेले वित्त मंत्री का ही कार्य नहीं है, सम्पूर्ण मंत्रिमंडल अवश्य बैठक करे और नौकरी की सुरक्षा के बारे विचार करे कि आप किस सीमा तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और किस सीमा तक नहीं प्रदान कर सकते।

कुल मिलाकर, नीतियां अत्यन्त अच्छी हैं। परन्तु जब कार्यान्वयित करने की बात आती है तो वहां कुछ कमी आती है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में सभी कमियों को दूर करें। खाद्यान्नों के बफर स्टाक के संबंध में, यहां तक कि खाद्य सुरक्षा विधेयक जो आप लाने वाले है: को देखते हुए, 93 मिलियन टन या 100 मिलियन टन अनाज के भण्डारण या खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश अतिरिक्त खाद्यान्न करने वाला राज्य है। आन्ध्र प्रदेश को अपनी जरूरतें पूरी करने दीजिए और केवल अतिरिक्त अनाज ही आप लीजिए। स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) शेष अनाज से संबंधित व्यवस्था करें। इसी प्रकार पं. बंगाल को बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है; छत्तीसगढ़ को भी बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं, है, हरियाणा को भी बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। अतः, इस पर कार्य कम करके हम काफी धन बचा सकते हैं और हमें 90 मिलियन टन स्टॉक का भण्डारण करने की और 65,000 करोड़ रुपये या 1,00,000 करोड़ रुपये खाद्य सब्सिडी पर बर्वाद करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात मैं कहना चाहता हूं।

हमारे देश में सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावना है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर, हम काफी हद तक ईंधन तेल के आयात को बचा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनका ध्यान मत हटाइये। कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

डॉ. के.एस. राव : माननीय वित्त मंत्री जी, देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ब्याज की दर घटाना आवश्यक है। आपको अन्य किसी चीज की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए केवल ब्याज की दर घटाइये, तब विद्युत की कीमत में भी वृद्धि होगी और कोयला या तेल से उत्पादित विद्युत के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा।

मेरा अगला मुद्दा लालफीता शाही से संबंधित है। हमारे कुछ मित्र निर्णय लेने की क्षमता के अभाव के बारे में बात कर रहे थे। इस देश में सबसे खराब-चीजों में एक निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। कुछ व्यक्तियों को एक निर्णय लेने में महीनों और वर्षों लग जाते हैं। यदि कोई मुद्दा हो तो तुरंत निर्णय के लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर मंत्रिमंडल में आवश्यक ही कुछ चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें इस विषय पर कोई समाधान निकालना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डॉ के.एस. राव : महोदय, मैंने देखा है कि आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रालयों के लिए बजटीय सहायता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि रेलवे के लिए बजटीय सहायता क्यों होनी चाहिए। रेलवे के पास लाखों और करोड़ों रुपए मूल्य

की परिसम्पत्तियां हैं। उन्हें इससे धन अर्जित करके आपको देना चाहिए। उन्हें धन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि मैं एक ट्रक या लॉरी के लिए ऋण लेता हूं, तो मुझे उस पर ब्याज अदा करना होगा, मुझे कर अदा करना होगा, मुझे आय कर और सब कुछ अदा करना होगा, और उसके बाद मैं उससे आय अर्जित करूंगा। यदि मुझे इस तरीके से अर्जित करना होगा, तो रेलवे के साथ भी ऐसा ही क्यों नहीं है? इसी प्रकार एयर इंडिया के साथ भी ऐसा ही होना चाहिये। क्या हमें एयर इंडिया को सब्सिडी देते रहना चाहिए, क्या हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे आर्थिक मामलों से जुड़े मंत्रालयों को बजटीय सहायता को बढ़ावा देते रहना चाहिये?...*(व्यवधान)* आप आवश्यक सीमा तक डीजल का मूल्य बढ़ाइये, आप पेट्रोल के दाम भी बढ़ाइये। कोई घाटा नहीं होना चाहिए। आपको ओ.एन.जी.सी. को या पेट्रोलियम मंत्रालय को 1 रुपया भी आवंटित नहीं करना चाहिए।

रात्रि 08.00 बजे

अत:, इन विभागों को आवंटित धन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

ऐसा बताया गया था कि 3.5 करोड़ परिवार कर के दायरे से बाहर हैं। अपने अधिकारियों के कुछ और व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें कर के दायरे में लाने पर ब्याज देने दीजिए। यदि आप 3.5 करोड़ परिवारों से 1000 करोड़ रुपये प्राप्त करते हैं तो आप कर का दायरा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं।

इस संबंध में, मैं एक बार पुन: कहता हूं कि कुछ कमी हो सकती है। हो सकता है यह एक उत्साहवर्धक और संवेदनात्मक बजट न हो, परन्तु यह निश्चित रूप से एक संतुलित बजट है निश्चित रूप से एक चुनावी बजट नहीं है, निश्चित रूप से यह बजट वोट प्राप्त करने के लिए नहीं है और विद्यमान परिस्थितियों में यह एक संतुलित बजट है। मैं यह बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

सभाति महोदय : अब शून्य काल आरम्भ होता है। सदन का समय शून्य काल समाप्त होने तक बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया) : सभापति महोदय, जीरो ऑवर में आपने मुझे बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल इलाकों में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया में पड़ने वाली नदियों के पास के गांव हर बार बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले कुशीनगर में इस बार बाढ़ का भीषण कहर रहा है। पूर्वान्चल और बिहार के उत्तरी हिस्सों में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ से कई अरबों रुपये की फसल नष्ट हो गई है और सैकड़ों पशु मारे गए हैं तथा लोगों की जानें भी जाती हैं। बाढ से गांव के गांव बह जाते हैं और नदियों के किनारों पर कटाव होता है जिसके कारण लोगों के खेत इधर से उधर हो जाते हैं। इस कारण से लोगों में कई झगड़े होते हैं। इन कटाव से बंजर भूमि का क्षेत्रफल हर साल बढ़ जाता है जिससे लोगों का रहन सहन तथा बच्चों के विकास एवं पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के नारायणी नदी के समीप स्थित जमीन पर कटाव बड़ी मात्रा में हो रहा है। सदन के सदन माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि चाहे पूर्वान्चल हो या बिहार हो और चाहे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हों, बाढ़ से बचाव करने की योजना तीन महीने के पहले बननी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाढ़ के वक्त सहानुभूति केवल दिखावा मात्र है तथा इस तरह से जनता केवल भ्रमित रहती है और यह सरकारी पैसों की बर्बादी मात्र है। बाढ़ के समय पानी का बहाव एवं कटाव जोरों पर रहता है जिससे राहत कार्य संतोषजनक नहीं हो पाता है। इसलिए सदन के माध्यम से मेरा सुझाव है कि पानी का उपयोग पनबिजली सृजन में किया जाए जिससे पूरे क्षेत्र में यू.पी. और बिहार में बिजली की कमी को पूरा करने में सहयोग मिलेगा।

[अनुवाद]

***श्री पोन्नम प्रभाकर** (करीम नगर) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैंने तेलगू भाषा में बोलने की अनुमति ली है। 5 मार्च 2013 को संघ लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किये। तेलगू सहित क्षेत्रीय भाषाओं को वैकल्पिक विषयों की सूची से हटा दिया गया है जिससे तेलगू साहित्य का

*मूलत: तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपातंर।

[श्री पोन्नम प्रभाकर]

अध्ययन करने वाले लाखों छात्रों प्रभावित होंगे। हम दुनिया भी में तेलगू सम्मेलन आयोजित करते हैं। हमारे पास लोकसभा और राज्य सभा में भी तेलगू भाषा में बोलने का विकल्प है। साथ ही हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में भी तेलगू भाषा को सम्मिलित किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग को तेलगू, तमिल या कन्नड़ साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलत करना चाहिये क्योंकि यह इन सभी राज्यों का मामला है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे तथा संघ लोक सेवा आयोग को क्षेत्रीय भाषाओं को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने की पुरानी व्यवस्था को फिर से आरम्भ करने का निर्देश दे।

सभापति महोदय : डा. के.एस. राव और श्री पी. लिंगम को श्री पोनन्म प्रभाकर द्वारा उठाये गये मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

* **श्री पी. लिंगम** (तेनकासी) : माननीय सभापति महोदय, मैं कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल प्राधिकरण के गठन के अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले पर बोलना चाहता हूं। कावेरी जल विवाद-न्यायाधिकरण ने 5 फरवरी, 2007 को अपना अंतिम निर्णय दिया और 19 फरवरी, 2013 को इसे संघ के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। मैं इसका स्वागत करता हूं और केन्द्र सरकार को इसके लिये धन्यवाद देता हूं। अधिसूचना के अनुरुप तमिलनाडु और अन्य राज्यों के लिये कावेरी नदी में पानी छोड़ा जाना चाहिये। अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6क / 7 के अधीन राजपत्र में अधिसूचित निर्णय को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। मैं आग्रह करता हूं कि राजपत्रित अधिसूचना को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी में जल छोड़े जाने की नियमित रूप से जांच और विनियमन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता में स्थापित कावेरी जल प्राधिकरण और निगरानी समूह ने अपनी शक्तियां खो दी हैं। इस स्थिति में, जैसा कि सिफारिश की गई है, कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियामक प्राधिकरण का गठन अवश्य किया जाना चाहिये। पानी की कमी के कारण तमिलनाडु में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे लोग विशेष रूप से किसान बुरी तरह प्रभावित हैं। वहां पीने के पीनी की समस्या भी पैदा हो गई है। मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियामक प्राधिकरण का गठन तुरंत करें ताकि दक्षिण भारतीय राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु की जल संबंधी समस्याओं को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार विभाजन के पूर्व बिहार में डाक विभाग सर्कल के मुजफ्फरपुर और रांची दो क्षेत्रीय कार्यालय थे। बिहार के हिस्से में बंटवारे के पास मुजफ्फरपुर आया। मुजफ्फरपुर से आबादी के दबाव को देखकर डाकघर का सुचारु रूप से संचालन नहीं हो रहा है। सीमांचल के क्षेत्र से नेपाल और बांग्ला देश की सीमा लगती है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज 25,000 किलोमीटर क्षेत्र के लोगों के लिए डाकसेवा बेहतर करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए। चूंकि भेदभाव बरता गया है, 1925 में पूर्णिया को डाक प्रमंडल बनाया गया था। इसमें कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, अररिया और किशनगंज आते हैं। मेरी मांग है कि इन क्षेत्रों को देखते हुए कटिहार को प्रमंडल और क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का काम जल्द से जल्द किया जाए।

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा के लिए पिछले रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी जी ने दो ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की थी जिनमें रीवा-इन्दौर ट्रेन की एक वर्ष बाद 2 मार्च, 2013 में शुरूआत हो गई है। मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का बहुत धन्यवाद करता हूं। रीवा से चिरमिरी के लिए ट्रेन नं. 51753 और 51754 चलाने की घोषणा के बावजूद अभी तक मंत्रालय की हरी झंडी नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी अपने वादे को शीघ्र पूरा करें।

महोदय, रीवा-सिंगरौली रेवले प्रोजेक्ट में मंत्रालय ने निर्धारत मद देने में देर कर दी है। विलंब के कारण 1 करोड़ का प्रस्तावित प्रोजेक्ट का खर्च 10 करोड़ रुपए में हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा होने के लिए 20 करोड़ रुपए चाहिए नहीं तो यह प्रोजेक्ट 50 करोड़ रुपए का हो जाएगा और इससे सरकारी धन का दुरुपयोग होगा।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन और

*मूलत: तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपातंर।

औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अभी जबलपुर से चलकर मुम्बई और मुंम्बई से चलकर जबलपुर तक एक गरीब रथ ट्रेन जो चल रही है, इसकी मांग लम्बे समय से चली आ रही है। यह जबलपुर में आकर 12 से 14 घंटे खड़ी रहती है। मेरी मांग है कि इस ट्रेन पर परिचालन रीवा तक बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा) : सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओ.सी.आई.) कार्डों से संबंधी शिकायतों को शीघ्र दूर करने का प्रयास करें। सरकार ने भारतीय मूल के लोगों को जीवन भर के बीसा के रूप में ओ.सी.आई. कार्ड योजना आरम्भ की जिससे उन्हें भारत में रहते हुए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के पास पंजीकरण नहीं कराना पड़ता। तथापि, भारतीय मूल के लोगों विशेष रूप से अमरीका में रहने वालों को यह शिकायत है कि हमारे मिशन ने अब ओ.सी.आई. को जीवन भर के दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा रहा। हमारा मिशन इस बात पर जोर देता है कि भारतीय मूल के लोगों को पासपोर्ट के नवींकरण के अनुरुप ओ.सी.आई. कार्ड का भी समय-समय पर नवीनीकरण कराना होगा। भारतीय मूल के लोगों को पासपोर्ट लौटाने और ओ.सी.आई. कार्ड बनवाने पर लगने वाले शुल्क में की गई वृद्धि के संबंध में भी शिकायत है। इसके साथ-साथ उन्हें विदेशों में हमारे मिशन में प्रक्रिया में लगने वाले असाधारण विलम्ब की शिकायत भी की है। इस कारण ओ.सी.आई. कार्ड लेने के लिए भारतीय मूल के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं सरकार से इन मामलों के संबंध में भारतीय मूल के लोगों की शिकायतों का समाधान करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : सभापति महोदय, आपने शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हम ग्रामीण अंचल से आते हैं। काशी-प्रयाग के मध्य भदोही हमारा लोक सभा क्षेत्र है। अभी दो दिन पहले हमने एम्स की मांग की थी। हमारे क्षेत्र में जिला अस्पताल है, लेकिन एम्स का होना बहुत दूर की बात है। हम जब से सदन में आये हैं, तब से पिछले चार वर्षों से इसके लिए मांग कर रहे हैं। सारी योजना के तहत जो उसकी औपचारिकता है, वह पूरी करके जिले से जा चुकी है। प्रदेश स्तर से भी डिमांड आई, लेकिन वह अभी दूर की बात है। लेकिन वहां जो जिला अस्पताल है, वहां जिले के अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, वे सुविधाएं नहीं है। हमारे यहां कालीन नगरी होने की वजह से वहां बुनकर, शिल्पी आदि लोग रहते हैं। राजीव गांधी हस्त शिल्प योजना के अंतर्गत वहां जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, हार्ट केयर मशीन नहीं है, आई.सी.यू. नहीं है, ट्रामा सैंटर भी नहीं हैं। इसके अलावा जो सुविधाएं एक जिला अस्पताल में मिलनी चाहिए वे सुविधएं वहां नहीं मिल पाती हैं। गांव के लोग बीमार होते हैं तो वे 70-80 किलोमीटर दूर या तो इलाहाबाद जाएं या वहां से 80-90 किलोमीटर दूर वाराणसी जाएं। छोटी-मोटी चिकित्सा सुविधाएं भी जिले में उपलब्ध नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह ग्रामीण अंचल का अस्पताल है, उसे अपग्रेड करते हुए सिटी स्कैन, हार्ट केयर मशीन, आई.सी.यू. और ट्रामा सैंटर आदि सुविधाओं की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा विकास की धरोहर है। बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं होता है और 21वीं सदी जो विज्ञान एवं टैक्नोलोजी की सदी है, इसमें शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए हर माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए सभी माता-पिता तमाम कष्ट झेलकर उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सांबरकांठा एक आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है। हमारे यहां शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने के कारण हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। 25 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम वाला एक ही केन्द्रीय विद्यालय हिम्मतनगर में स्थापित किया गया है। इस केन्द्रीय विद्यालय में सी.बी.एस.ई.

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

का पाठ्यक्रम होने से लोग अपने बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश हेतु आते हैं। लेकिन इससे ज्यादातर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता मिलती है और हमारे क्षेत्र मूल निवासियों के बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। लोग हमारे पास एक सांसद के रूप में प्रवेश कोटा के तहत अपने बच्चों के एडमिशन हेतु आते हैं। हमारी मर्यादा छः एडमिशन की है, जबकि मांग करने वालों की संख्या डेढ़ सौ के आसपास होती है। हम सभी बच्चों को न्याय नहीं दे सकते और प्रवेश न मिलने पर लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हमारे क्षेत्र में दूसरा कोई सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम वाला विद्यालय नहीं है। अब हमारे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा को दो जिलों में विभाजित किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप एक सी.बी.एस.ई. स्कूल चाहते हैं। आप सीधे कहिए। 'शून्य काल' में आपको स्पष्ट कहना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : सर, मेरे जिले का अरवाली जिला तथा साबरकांठा जिला के रूप में विभाजन हुआ है। महोदय, हम मांग करते हैं कि क्लास रूमों की संख्या एवं प्रवेश के लिए निर्धारित छात्रों की संख्या को बढ़ाया जाए।...*(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : सभापति जी, मैं बिहार का नवादा हूं एक प्यासी आत्मा हूं। ऐसी बात नहीं कि हमारी कोख से नदियां नहीं निकली हैं। अपरसकरी है, ढाढर है, खुड़ी है, तिलैया है और धनंजय है। सभापति जी, हमारी ये नदियां तीन महीने में जन्म लेती, युवा होती और मर जाती हैं। आज मैं इस सदन में भारत की मां की जो सिहरन है, जो अर्चना है, जो व्यवथा है, उसको फिर से आपके सामने रखता हूं। जब कभी मैं ज़ीरा आवर में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो आसन पर आप ही रहे हैं। मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। हम इस हालत में हैं कि बिहार केसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्णा सिंह ने हमें सहलाने का काम किया पर वह योजना अधूरी रही। फिर बिहार के चन्द्रशेखर सिंह ने हमें दुलाने की कोशिश की पर वह योजना काल ग्रास बन गई। अभी भारत सरकार फिर एक योजना ले कर आई है। सभापति महोदय, यह योजना है कि बाढ़ में गंगा नदी में और नवादा में गंगा नदी में भारत सरकार की जो पंप योजना है, वह 13 हज़ार करोड़ रुपये की योजना है। इतिहास, समय और काल ने मुझे बड़ा प्रताड़ित किया है।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि अनंत काल से मैं प्यासी आत्मा हूं, नदियां हूं, फिर भी प्यासी हूं। आज इस सदन में मैं अपनी व्यथा को रखता हूं।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार) : सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने ज़ीरों ऑवर में मुझे बोलने का मौका दिया है। सर, बजट सत्र चल रहा है। देश के कई राज्य जैसे असम, बिहार और बंगाल में इस समय जूट की बुवाई चल रही है। जूट अत्यधिक गरीब किसानों की फसल है। इकनॉमिक फसल है। केन्द्र सरकार ने जो एम.एस.पी. तय किया है, वह 22 सौ रुपये प्रति क्विंटल है। यह एम.एस.पी. बहुत कम है। कैमिकल फर्टिलाइज़र और मज़दूरी की कीमत बढ़ गयी है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि किसानों की सुविधा के लिए एम.एस.पी. को बढ़ा कर 5 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की) : मैं सरकार का ध्यान किसान क्रेडिट कार्ड योजना और शिक्षा कृषि योजना के संचालन में सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सामने उपस्थिति मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

बैंक लघु और सीमांत किसानों के ऋण प्रदान करने के लिए नावार्ड से जारी मंजूरी लेकर 2005 से योजनाएं लागू कर रहा है। किन्तु नवार्ड ने इस कारण से कि कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (ए.आर.डी.बी.) अल्पावधि ऋण देने के लिए स्वीकृत सूची में नहीं हैं और ए.आर.डी.बी. सहकारी बैंक नहीं है, जैसाकि बैंककारी विनियमन अधीनियम में उपबंध किया गया है, 2010-11 से अचानक बैंक को पुनार्वित्त की सुविधा खेद कर दी। उपर्युक्त कारण से 2009-10 से अल्पावधि ऋण के शीघ्र भुगतान के लिए दी जाने वाले ब्याज परिदाय प्रोत्साहन की सुविधा से भी ए.आर.डी.बी. को वंचित कर दिया गया। इसी प्रकार, बैंक को शिक्षा ऋणों पर ब्याज अर्थिक सहायता की भोजन के दायरे से बाहर कर दिया गया जिससे गरीब छात्र लाभ से वंचित रह गए।

यह मुद्दा दीर्घावधि ऋण ढांचे के कार्यकरण और अस्तित्व दोनों को प्रभावित करता है। ऋण लेने वाले मासूम लोगों को ए.आर.डी.बी. से ऋण लेने के लिए दण्डित किया जाता है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अल्पावधि किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के.सी.सी.) और के.सी.सी. तथा शिक्षा ऋण योजना दोनों के अंतर्गत अनुमत्य ब्याज परिदाय सुविधा के संचालन हेतु नाबार्द द्वारा रियायती वित्तपोषण हेतु ए.आर.डी.बी. को पात्र संस्थाओं के रूप में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए, जो अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए विदेश जाते हैं। जहां से विदेश जाने पर वे गायब हो जाते हैं, अपने काम पर पहुंच नहीं पाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में श्रीमती कौशल्या देवी, निवासी रतनपुर कुम्भी चौड, कोटद्वार का पुत्र गायब है। जिसने वैसल एम./वी. अमोल अंडर दी एजेंसी नेशनल अंजुमान पैट्रोल कंपनी में ज्वाइन किया था। दिनांक 4 जनवरी 2013 को घर से रोजगार के लिए निकले, परन्तु पहुंच नहीं सके। इसी प्रकार से अन्य भारतीयों की शिकायत आती है कि वे यहां से जाते हैं और वहां उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, उनसे बहुत ही घिनौने काम कराये जाते हैं और उन्हें कम पैसा दिया जाता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वे देश से रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाने वाले व्यक्तियों को भारतीय दूतावास से कनेक्ट करने की कोई योजना बनाये। जिससे कि देश से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले भारतीयों को प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े और वे अपने देश और परिजनों के सम्पर्क में रहें।

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर) : महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में आजादी के 65 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी श्रेत्रवासी यूनिवार्सिटी व केन्द्रीय विद्यालय से वंचित हैं, जिनकी मांग मैं लगभग 3 वर्ष से लगातार कर रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में ग्राम मिर्जापुर, विधान सभा रामपुर में और नवोदय विद्यालय, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2005-06 से लगभग 8 वर्ष से चल रहा है। जिसकी धनराशि लगभग 15 करोड़ रुपये है। नवोदय विद्यालय के निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है और दो वर्ष से निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद है। निर्माण कार्य बंद होने के कारण शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह केन्द्र निधि का खुला दुरुपयोग है, जिसकी जानकारी मैं लगातार मंत्रालय को दे रहा हूं। जिसके कारण जनपद में शिक्षा का स्तर लगातार घटता जा रहा है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र तीन प्रदेशों से लगा हुआ है। यहां के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। इस लोक सभा क्षेत्र के अधिकांश छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे प्रदेशा में आने-जाने में असमर्थ हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्से में बहुत गरीब जनजातियां निवास करती हैं।

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में प्राथमिकता पर जनहित में यूनिवर्सिटी व केन्द्रीय विद्यालय खोला जाये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद होने के क्या कारण हैं? मानक के अनुरुप कार्य न होने की विभागीय जांच कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कराये जाने व विद्यालय का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने की मांग करता हूं।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धंन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से झारखंड की जो त्रासदी है और भगवान भरोसे यह राज्य चल रहा है, उसके बारे में सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। चूंकि वहां विधान सभा नहीं है और अभी गर्मियों के दिन आने वाले हैं, वहां पानी की बड़ी किल्लत है। न सिंचाई के लिए पानी है, न लोगों को पीने के लिए पानी है और न ही जानवरों के पीने के लिए पानी है और सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है।

महोदय, झारखण्ड के साथ यह त्रासदी है कि वर्ष 1841 से लेकर वर्ष 2013 तक यह देखा गया है कि प्रत्येक दो साल वहां सुखाड़ आता है और एक साल वहां बारिश होती है। इसका मतलब यह है कि तीसरे साल जब बारिश होगी, तभी आप पानी कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे इरीगेशन के लिए पानी मिलेगा, जिससे वहां के पाने के लिए पानी मिलेगा। पूरा का पूरा जो झारखण्ड है, चूंकि वहां माइन्स और मिनरल्स हैं, केवल दस प्रतिशत खेती जो है, वह इरीगेटिड हैं, इरीगेटिड लैंड है,

90 परसेंट खेती में इरीगेशन की कोई सुविधा नहीं है। ड्राई ज़ोन इतना बड़ा है कि 200 फीट, 300 फीट या 1000 फीट तक आप खुदाई करेंगे तो भी लोगों को पानी नहीं मिलता है। वहां आर्सेनिक वॉटर है, वहां मिनिरल्स हैं, माइन्स हैं। मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दें, वहां वॉटर मैनेजमेंट करें और इर्रीगेशन का पानी तथा लोगों को पीने का पानी और जानवरों के लिए पानी कैसे मिलेगा, इसकी सुविधा और उपाय करें।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बैंकों की ग्रामीण शाखाएं खोलने की आवश्यकता का अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों से मिलकर बना देश में बैंकिंग क्षेत्र हमारी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित कर रहा है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अध्कि से अधिक शाखाएं खोलना अनिवार्य है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान, जैसेकि गरीब और वृद्ध लोगों को पेंशन का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही किया जाता है। छात्रों को छात्रवृत्ति भी बैंक खातों के माध्यम से ही दी जाती है। शिक्षा संबंधी ऋणों के लिए भी व्यक्ति को बैंकों में ही जाना पड़ता है। इसलिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुक्कुदल, पूलनकुलम, पुदुपट्टी, कदमालुरिति और राधापुरक क्षेत्र में कुथनकुडी में ग्रामीण शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में तत्काल बैंक की शाखाएं खोली जानी चाहिए। मैंने इस संबंध में पहले ही लीड बैंक अधिकारी से बात की है। उन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों की कल्याण सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बैंक की शाखाएं खोलनी होंगी।

[हिन्दी]

श्री नारनभाई काछड़िया (अमरेली) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगा। गुजरात राज्य में पाकिस्तान से सटी लगभग 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा है जो कि देश की सुरक्षा की नज़र से बेहद संवेदनशील और कमज़ोर है। इस लंबी समुद्री सीमा पर गुजरात राज्य के मछुआरों द्वारा प्रचुर मछली दल की खोज में ज़खाव जाना पड़ता है। जो कि इंटरनेशनल मैरीन बॉर्डर लाईन (आई.एम.बी.एल.) के बिल्कुल नज़दीक है। यहां पाकिस्तान मैरीन सिक्यूयरिटी एजेन्सी (पी.एस.एम.ए.) के लोग अक्सर भारतीय मछुआरों को उनकी बोट सहित पकड़ लेते हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सन् 1994-95 से लेकर 2011-12 तक पाकिस्तान ने 4529 मछुआरों को उनकी बोट सहित पकड़ा जिसमें पाकिस्तान ने अभी तक 4141 मछुआरों को छोड़ा है। इस प्रकार अभी 388 मछुआरे पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बंद हैं जबकि उनमें से कुछ मछुआरे 22 महीने से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। वर्तमान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा मछुआरों को उसकी सज़ा काटने के बाद तुरंत रिहा किया जाए। इस संबंध में केन्द्र सरकार के साथ कई स्तर पर पत्र-व्यवहार और बैठकें की जा चुकी हैं। इसके अलावा सन् 2005 से पहले पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों को समुद्री रास्ते से बोट सहित छोड़ा जाता था, जबकि वर्तमान में पाकिस्तान पकड़े गए भारतीय मछुआरों को सड़क मार्ग द्वारा वाघा बॉर्डर के रास्ते छोड़ता है, तथा पकड़ी गई बोट को अपने स्थानीय मछुआरों को सस्ती कीमतों पर नीलाम कर देता है। इससे उन भारतीय मछुआरों के लिए उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं बचता है। परिणामस्वरूप पकड़े जाने के बाद मछुआरों के सामने जीवनयापन करने की बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जनहित में गुजरात के मछुआरों की दशा में सुधार करने के लिए गंभीर कदम उठाएं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : महोदय, देश में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों के साथ जोड़ा जाए, यह एक बेहतर योजना है। आज देश में पी.एम.जी.एस.वाई, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक व अन्य स्त्रोतों से सड़कों का जाल बिछ रहा है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। वहां सड़कों का बनाना कठिन तो हैं, उस पर खर्चा भी ज्यादा होता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ सड़कों का निर्माण इंटरनेशनल बिडिंग के माध्यम से किया जा रहा है जिन पर प्रदेश सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी प्रकार की एक सड़क मेरे शिमला लोग सभा क्षेत्र में ठियोग से रोहडू के लिए बन रही है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदा हुई थी। 2008-09 में इसका काम एक चीनी कंपनी ने लिया था। तीन वर्ष में उसे पूरा करने की अवधि थी, परंतु खेद का विषय है कि उक्त कंपनी द्वारा लगभग 60-65 किलोमीटर सड़क के प्रथम चरण में इतनी तोड़-फोड़ कर दी कि उस पर गाड़ियां तो दूर,

पैदल चलना भी कठिन हो गया है।...*(व्यवधान)* सर पूरा तो कहने दें। यह क्षेत्र हमारे सेब उत्पादों के बागीचों को जोड़ता है। जैसे आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश 'सेब राज्य' के नाम से प्रसिद्ध है...*(व्यवधान)* मेरा आग्रह है कि सड़क को तुरन्त ठीक किया जाए ताकि आदमी की परेशानियों को दूर किया जा सके।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री नायक बोल सकते हैं।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : महोदय, मुझे 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। हम केन्द्र सरकार से नवी मुम्बई में लैंडिग और टेक ऑफ के लिए एक हेलीपोर्ट स्थापित करने का अनुरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुम्बई में हेलीपोर्ट के विकास को मंजूरी देने हेतु नागर विमानन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही नेस्ल में लैंडिग और टेक ऑफ के लिए हेलीपोर्ट हेतु अनापति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। इसलिए, मैं नगर विमानन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि आवश्यक कार्यवाही करें। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री दिलीपकुमार गांधी। कृपया केवल एक मिनट लें। मैं इससे अधिक की अनुमति नहीं दूंगा। पूरी बात मत कहिए, अंतिम बात पर कहिये और आप जो कहना चाहते हैं वह अनुरोध करें।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : सभापति महोदय, अन्य व औषध प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन की लचर प्रणाली से अहमदनगर (दक्षिण) संसदीय क्षेत्र में देअलगांव (सिद्ध) नामक ग्राम में छोटे जानवर (भेड़/बकरी) का कत्ल करके मीट प्रोसैसिंग अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट रिअरिंग और प्रोसैसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड देउल गांव का प्रोसैसिंग परखाना धारक अवैध रूप से बड़े जानवर (गाय/बैल) का कत्ल करके उनका मीट प्रोसैसिंग करके धड़ल्ले से बेचने का गोरखधंधा खुलेआम कर रहे हैं और अचरज की बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस अवैध व्यवसाय को सब्सिडी मिलती है। मानों कि गाय/बैल जैसे पवित्र पशुओं की हत्या का लाइसेन्स ही उसे दे दिया गया है। अवैध रूप से हो रहे व्यवसाय के कारण वहां गंदगी फैली हुई है और गंदगी के कारण...*(व्यवधान)* उसके ऊपर फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय की ओर से...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी स्पीच ले कर देता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप यह माननीय मंत्री को दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विभिन्न जनपद चन्दौली के 240 तथा वाराणसी 580 गांव, मजरे, पूर्वे के विद्युतीकरण हेतु पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 10.01.2011 को जनपद चन्दौली तथा वाराणसी जनपद के लिए 31.12.2010 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को भेजा गया था। दोनों जपनदों की परियोजना लागत चन्दौली- 5050.09 लाख रुपये तथा वाराणसी के लिए 8928.99 लाख रुपये है। लेकिन अभी तक कोई राशि भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गयी है। परियोजना का कार्य पूर्ण करने का वित्तीय वर्ष 2011-2013 है। लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी कोई राशि जारी नही की गयी है। आपसे मांग है कि सरकार के द्वारा इसके लिए धन उपलब्ध कराया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आपको मौका दिया जाता है तो आपको बताना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इसे बढ़ाईये मत।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदय, गाय हमारे देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का मूल आधार है किन्तु आज हमारे देश में गोरक्षा के लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता है। प्रायः देखा जाता है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक

* भाषण सभा पटल रखा गया

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

लोग उसके दाना-पानी की व्यवस्था करते रहते हैं किन्तु जब वे दूध देना बंद कर देती हैं तब उसे भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं। ये गायें भूख प्यास से व्याकुल होकर कहीं पॉलिथीन तो कहीं रास्ते के कचरे के ढेर पर पड़ी सड़ी गली वस्तुओं को खाकर और फिर चिकित्सा के अभाव में बीमार होकर तड़प-तड़प कर मरने को मजबूर हो जाती हैं। भारत के यांत्रिक कत्लखनों में से मासूम गायें निर्मममतापूर्वक काटी जा रही हैं। भारत में लोगों की आबादी बढ़ी है किंतु उसी गति से पशुओं की संख्या घटी है। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है, जब भारत देश भी अपने पड़ोसी बांग्लादेश व पाकिस्तान की तरह गोवंश विहिन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अभी भी देश में श्रेष्ठ गायों की कई प्रजातियां खत्म हो गयी हैं। जबकि सर्वाधिक भारतीय गाय ब्राजील में पायी जाती हैं। 1880 के आस-पास प्रवासी भारतीय अपने साथ भारतीय गायों को लेकर गए थे। आज ब्राजील विश्व में अन्य देशों को भारतीय नस्ल को गायों का निर्यात करता है। जर्मन वैज्ञानिक डा. जोजस बेल्ज लिखते हैं कि गोवंश यदि गांवों में नहीं रहेगा तो 10 से 20 करोड़ लोग प्रति वर्ष गावं से शहर में पलायन कर जाएंगे। इज़राइल ने गीर नस्ल की भारतीय गाय से 120 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का साबित कर दिया है कि भारतीय नस्ल की गाय सर्वश्रेष्ठ गाय है। इस गाय का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। गाय एक चलता-फिरता औषधालय है जिसका दूध इंसान को स्वस्थ व दीर्घायु बनाता है, वहीं इसका मूत्र और गोबर तक का मानव हित में उपयोग होता है। कोई भी शुभ कार्य गाय के गोबर से लीपकर, चौक बनाकर ही किया जाता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पशुधन बचाने के लिए यांत्रिक कत्लखाने पर प्रतिबंध गोमांस निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने तथा गोसंरक्षण हेतु गोशालाओं की संख्या में वृद्धि करवाने का सहयोग करें।...*(व्यवधान)*

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी) : महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग-75 एक्सटेंशन करीब 110 किलोमीटर लम्बा है और उसकी हालत इतनी खराब हो गयी है कि 110 किलोमीटर की जो यात्रा होती है, उसमें चार घण्टे लगते हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल उस सड़क का सुधार करा दिया जाए, जिससे आवागमन सुविधा हो सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, चंडीगढ़ में स्थित मनीमाजरा के जनता नगर पॉकेट नं. 8 स्थित मकानों एवं झुग्गियों को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 31 जनवरी, 2013 को तोड़ दिया गया। ये लोग इस स्थान पर पिछले बीस-तीस सालों से कह रहे हैं। इन लोगों के पास अपने मकानों के पट्टे भी हैं, रजिस्ट्री भी थी और कई लोग की तो इंतकाल भी हो रखी है। चंड़ीगढ़ प्रशासन द्वारा बिना कोई वैकल्पिक स्थान दिए हुए, इन लोगों के मकान तोड़ दिए गए। स्थानीय निवासियों ने पहले निरन्तर भूख हड़ताल की, कैंडल मार्च निकाले, रोष प्रदर्शन किए, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 31 जनवरी से वे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इनका घर और साथ ही साथ सारा सामान भी ध्वस्त हो गया। इन के घर और साथी ही सारे सामान ध्वस्त हो गए। दिनांक 4 मार्च, 2013 से एक स्थानीय निवासी श्रीनिवास काला आमरण अनशन पर हैं।

शहरी विकास मंत्री से यह मेरी मांग हैं। "कि उजड़े हुए नागरिकों को वहीं बसाया जाये तथा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक उनको वहीं बसने की इजाजत दी जाये ताकि उनका रोजगार प्रभावित न हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं आप के माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थीं तो पूरे हिन्दुस्तान में सेविका सहायिका के कार्य को शुरू कराया गया। आज लगभग 80 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं। इनमें झारखंड में लगभग

* भाषण सभा पटल रखा गया

चालीस लाख केन्द्र हैं और 80 हजार सेविका सहायिका कार्यरत हैं।

सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि समय-समय पर काफी आंदोलन हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि इन लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, इनकी छुट्टी बढ़ायी जाए। ये बच्चों को संभालती हैं। इसलिए इन्हें छुट्टी भी मिले। भारत सरकार से आग्रह है, कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा कल 14 मार्च, 2013 का पूर्वाहन 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन 1934 (शक) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन डॉ. संजय सिंह	221
2.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	222
3.	श्री भूदेव चौधरी श्री प्रदीप माझी	223
4.	श्री यशवंत लागुरी श्री लक्ष्मण टुडु	224
5.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री धर्मेन्द्र यादव	225
6.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	226
7.	श्री पूर्णमासी राम श्री दानवे रावसाहेब पाटील	227
8.	श्री अर्जुन राम मेघवाल श्री एम.के. राघवन	228
9.	श्रीमती मीना सिंह श्री एम.बी. राजेश	229
10.	श्री एस.आर. जेयदुरई श्री गुरुदास दासगुप्त	230
11.	श्री संजय धोत्रे श्री भर्तृहरि महताब	231
12.	श्री एन. पीताम्बर कुरूप	232
13.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल श्री संजय सिंह चौहान	223
14.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	234
15.	श्री गणेश सिंह कुमारी सरोज पाण्डेय	235
16.	श्री विलास मुत्तेमवार श्री जगदीश शर्मा	236
17.	श्री वैजयंत पांडा	237
18.	श्री एस. सेम्मलई	238
19.	डॉ. बलीराम	239
20.	डॉ. भोला सिंह श्री गजानन ध. बाबर	240

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई. प्रताप	2696
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	2619, 2644, 2704, 2710
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2584, 2685, 2748, 2756
4.	श्री अधि शंकर	2606
5.	श्री आनंदराव अडसुल	2584, 2685, 2748, 2756, 2760
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2681
7.	श्री हंशराज गं. अहीर	2611
8.	श्री सुल्तान अहमद	2669
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2551
10.	डा. रतन सिंह अजनाला	2613, 2621
11.	श्री अनंत कुमार	2638
12.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2713

1	2	3
13.	श्री सुरेश अंगड़ी	2548, 2701, 2751
14.	श्री अशोक अर्गल	2632
15.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2607, 2679
16.	श्री गजानन ध. बाबर	2584, 2685, 2748, 2756
17.	श्रीमती हरिसमरत कौर बादल	2692, 2707
18.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	2566
19.	श्री रमेश बैस	2606
20.	श्री कामेश्वर बैठा	2702
21.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2694
22.	डा. बलीराम	2747
23.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	2586
24.	श्री पुलीन बिहारी बासके	2613
25.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	2689
26.	श्री सुदर्शन भगत	2619
27.	श्री ताराचन्द भगोरा	2597, 2624, 2688, 2692, 2701
28.	श्री शिवराज भैया	2610
29.	श्री समीर भुजबल	2672, 2747
30.	श्री पी.के. बिजू	2601
31.	श्रीमती बोचा मांसी लक्ष्मी	2658, 2671
32.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2700, 2709
33.	श्री हरीश चौधरी	2598, 2642, 2683, 2703
34.	श्री जयंत चौधरी	2644
35.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2735

1	2	3
36.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2572
37.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2616, 2695
38.	श्री भूदेव चौधरी	2744
39.	श्री निखिल कुमार चौधरी	2629, 2702
40.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2568, 2729
41.	श्री खगेन दास	2631, 2654, 2700
42.	श्री राम सुन्दुर दास	2558, 2759
43.	श्री कालीकेश नारायध सिंह देव	2547, 2549, 2674, 2692
44.	श्री के.डी. देशमुख	2607, 2702
45.	श्रीमती अश्वमेध देवी	2682
46.	श्रीमती रमा देवी	2630
47.	श्री के.पी. धनपालन	2600
48.	श्री संजय धोत्रे	2689, 2750
49.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2548, 2570, 2679, 2687, 2727
50.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2549, 2599, 2746
51.	डा. रामचन्द्र डोम	2709
52.	श्री निशिकांत दुबे	2613, 2694
53.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2660, 2711
54.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2556
55.	श्री एकनाथ महोदव गायकवाड	2597, 2616, 2691, 2695
56.	श्रीमती मेनका गांधी	2620
57.	श्री वरुण गांधी	2662, 2699, 2705
58.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	2589, 2602, 2644, 2689, 2701

1	2	3
59.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2597
60.	श्री एल. राजगोपाल	2590
61.	श्री डी.बी. चन्द्र गौडा	2575, 2627, 2688, 2736
62.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	2599
63.	शेख. सैदुल हक	2709
64.	श्री महेश्वर हजारी	2594, 2712
65.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2644, 2723
66.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2630, 2653
67.	श्री बलीराम जाधव	2688, 2693, 2700
68.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2683, 2684, 2715
69.	श्री बद्रीराम जाखड़	2555, 2722
70.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2563
71.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	2703
72.	श्रीमती जयाप्रदा	2650, 2751
73.	श्री नवीन जिन्दल	2576, 2607, 2633, 2729, 2737
74.	श्री महेश जोशी	2704
75.	श्री प्रहलाद जोशी	2547, 2692, 2752
76.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2582
77.	श्री सुरेश कलमाडी	2585, 2683, 2705
78.	श्री पी. करुणाकरण	2565, 2707, 2758
79.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2558, 2747, 2759
80.	श्री राम सिंह कस्वां	2623
81.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	2623

1	2	3
82.	श्री चन्द्रकांत खैरे	2613
83.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2613, 2657, 2709, 2710
84.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2589, 2603, 2661
85.	श्री अजय कुमार	2636
86.	श्री पी. कुमार	2612, 2678, 2693, 2700
87.	श्री शैलेन्द्र कुमार	2627
88.	श्री यशवंत लागुरी	2684, 2725
89.	श्री एम. कृष्णास्वामी	2548, 2570, 2700, 2727, 2732
90.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2552, 2653, 2720
91.	श्री सतपाल महाराज	2676, 2757
92.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2607, 2659
93.	श्री नरहरि महतो	2637, 2689
94.	श्री भर्तृहरि महताब	2750
95.	श्री प्रदीप माझी	2628, 2668
96.	श्री जोस के. मणि	2624, 2755
97.	श्री हरि मांझी	2606
98.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2567
99.	श्री दत्ता मेघे	2666
100.	अर्जुन राम मेघवाल	2635, 2687, 2714
101.	श्री भरत राम मेघवाल	2705
102.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2614
103.	श्री महाबल मिश्रा	2655
104.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2617

1	2	3
105.	श्री विलास मुत्तेमवार	2754
106.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2625
107.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2619, 2698, 2699, 2713
108.	श्री नामा नागेश्वर राव	2591, 2704
109.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	2587
110.	श्री नारनभाई काछड़िया	2534, 2549, 2557, 2599, 2746
111.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	2592
112.	श्री संजय निरुपम	2664
113.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	2749
114.	श्रीमती मौसम नूर	2535, 2705, 2718, 2733
115.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2542, 2717
116.	श्री पी.आर. नटराजन	2579, 2635, 2731
117.	श्री वैजयंत पांडा	2752, 2756
118.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2550
119.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2689
120.	श्री जयराम पांगी	2548, 2643
121.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2597, 2616, 2695
122.	श्री कमलेश पासवान	2593
123.	श्री देवराज सिंह पटेल	2635, 2690
124.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2584, 2623, 2704, 2705
125.	श्री बाल कुमार पटेल	2574
126.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2628, 2698,

1	2	3
127.	श्री हरिन पाठक	2656
128.	श्री संजय दिना पाटील	2619, 2698, 2699
129.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2595, 2756
130.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2660, 2756
131.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2597, 2616, 2695
132.	डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2641, 2700
133.	श्रीमती कमला देवी पटले	2540
134.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2562, 2606, 2687, 2727
135.	श्री अमरनाथ प्रधान	2537
136.	श्री नित्यानंद प्रधान	2532, 2656, 2659, 2709, 2747
137.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	2635, 2690
138.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2560, 2604, 2612, 2726
139.	श्री एम.के. राघवन	2743, 2747
140.	श्री अब्दुल रहमान	2665, 2693, 2736
141.	श्री रमाशंकर राजभर	2631, 2751
142.	श्री सी. राजेन्द्रन	2604
143.	श्री पूर्णमासी राम	2749, 2751
144.	श्री प्रो. रामशंकर	2652
145.	श्री रामकिशुन	2622
146.	श्री जगदीश सिंह राणा	2538, 2661, 2716
147.	श्री निलेश नारायण राणे	2536, 2719, 2751
148.	श्री रायपति सांबासिवा राव	2658

1	2	3
149.	श्री रामसिंह राठवा	2539, 2641, 2700, 2750
150.	डॉ. रत्ना डे	2544, 2718
151.	श्री अशोक कुमार रावत	2651, 2656
152.	श्री रुद्रमाधव राय	2639
153.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2545, 2616
154.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2618, 2693, 2696, 2697
155.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2689
156.	प्रो. सौगत राय	2645, 2692, 2705
157.	श्री एस. अलागिरी	2605, 2692
158.	श्री एस. सेम्मलई	2691, 2731
159.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2532, 2597, 2643, 2747
160.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2575, 2688, 2736, 2742
161.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2581, 2656, 2661, 2739
162.	श्री ए. सम्पत	2601
163.	श्री फ्रांसिस्कों कोज्मी सारदीना	2700
164.	श्रीमती सुशीला सरोज	2594, 2712
165.	श्री तथागत सत्पथी	2677, 2703, 2744
166.	श्री हमदुल्लाह सईद	2533, 2721
167.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	2610
168.	श्री एम.आई. शानवास	2604, 2626
169.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	2635
170.	श्री जगदीश शर्मा	2754

1	2	3
171.	श्री नीरज शेखर	2632, 2644, 2708
172.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	2647
173.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2604, 2644, 2697
174.	श्री एंटो एंटोनी	2613, 2635
175.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	2649
176.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2546, 2703, 2709
177.	डॉ. भोला सिंह	2759
178.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2598, 2613, 2644, 2690, 2752
179.	श्री दुष्यंत सिंह	2648
180.	श्री गणेश सिंह	2753
181.	श्री महाबली सिंह	2554, 2757
182.	श्रीमती मीना सिंह	2744
183.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2598, 2615
184.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	2553
185.	श्री राधा मोहन सिंह	2663
186.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2623, 2670
187.	श्री राकेश सिंह	2543, 2692
188.	श्री रतन सिंह	2692
189.	श्री रवनीत सिंह	2578, 2597, 2604, 2703
190.	श्री सुशील कुमार सिंह	2634
191.	श्री उदय सिंह	2661, 2689
192.	श्री यशवीर सिंह	2632, 2689
193.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2675, 2713

1	2	3
194.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2609, 2642
195.	श्री विजय बहादुर सिंह	2760
196.	डॉ. संजय सिंह	2686, 2703, 2715
197.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2577, 2619, 2662, 2738, 2745
198.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2633
199.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2667
200.	श्री के. सुधाकरण	2640, 2706,
201.	श्री ई.जी. सुगावनम	2539, 2571, 2693, 2734
202.	श्री के. सुगुमार	2608
203.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2673, 2699
204.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2542, 2559, 2747
205.	श्री मानिक टैगोर	2583, 2741
206.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2569, 2730, 2747
207.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2573
208.	श्री जगदीश ठाकोर	2561
209.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2531, 2745
210.	श्री आर. थामराईसेलवन	2606, 2631, 2756
211.	श्री पी.टी. थॉमस	2564, 2728, 2747,
212.	श्री मनोहर तिरकी	2637, 2689
213.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2557, 2724
214.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2613, 2754
215.	श्री लक्ष्मण टुडु	2613, 2725, 2740

1	2	3
216.	श्री शिवकुमार उदासी	2596
217.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2594, 2712
218.	श्री हर्ष वर्धन	2594, 2712
219.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2605, 2609, 2613
220.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2612, 2678, 2693, 2700
221.	श्री सज्जन वर्मा	2623
222.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2594, 2712
223.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2680
224.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	2683, 2747
225.	श्री पी. विश्वनाथ	2539, 2541, 2604, 2661
226.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2588, 2687
227.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	2683, 2689
228.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2686
229.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2584, 2685, 1748, 2760
230.	श्री ओम प्रकाश यादव	2580, 2731
231.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2595, 2699, 2705
232.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2603
233.	श्री मधुसूदन यादव	2744
234.	श्री मधु गौड यास्खी	2628, 2748, 2756
235.	योगी आदित्यनाथ	2689, 2706

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	238
नागर विमानन	:	222, 228, 236, 237
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	224, 239
विदेश	:	230
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
मानव संसाधन विकास	:	225, 229, 231, 240
प्रवासी भारतीय कार्य	:	235
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	227, 233
योजना	:	221, 234
अंतरिक्ष	:	
शहरी विकास	:	223, 226, 232

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2539, 2625, 2626, 2654, 2668, 2675
नागर विमानन	:	2539, 2540, 2546, 2549, 2560, 2562, 2565, 2577, 2582, 2594, 2595, 2597, 2600, 2601, 2604, 2612, 2614, 2636, 2647, 2656, 2659, 2661, 2688, 1689, 2691, 2693, 2696, 1700, 2710, 2729, 2730, 2748, 2756, 2758, 2759
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2542, 2556, 2557, 2568, 2570, 2575, 2579, 2581, 2598, 2606, 2608, 2613, 2616, 2628, 2635, 2641, 2644, 2650, 2653, 2678, 2687, 2692, 2694, 2701, 2731, 2742, 2750, 2760
विदेश	:	2545, 2558, 2578, 2584, 2624, 2697, 2734, 2735

आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2563, 2619, 2620, 2631, 2657, 2674, 2718, 2740
मानव संसाधन विकास	:	2532, 2533, 2534, 2537, 2543, 2550, 2552, 2555, 2559, 2561, 2564, 2566, 2567, 2572, 2573, 2576, 2580, 2583, 2586, 2587, 2589, 2596, 2599, 2609, 2610, 2611, 2615, 2617, 2621, 2623, 2627, 2630, 2633, 2637, 2638, 2639, 2640, 2642, 2643, 2645, 2646, 2649, 2655, 2658, 2662, 2663, 2666, 2667, 2669, 2670, 2671, 2673, 2676, 2677, 2679, 2680, 2681, 2683, 2685, 2690, 2695, 2699, 2703, 2704, 2705, 2706, 2708, 2711, 2712, 2715, 2719, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2732, 2737, 2738, 2741, 2743, 2751, 2752, 2754,
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2548, 2605
संसदीय कार्य	:	2602
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2593, 2603, 2607, 2629, 2632, 2634, 2651, 2682, 2709, 2714, 2721
योजना	:	2544, 2551, 2553, 2585, 2590, 2591, 2592, 2622, 2660, 2672, 2684, 2686, 2698 2702, 2707, 2713, 2717, 2722, 2739, 2744, 2745, 2757
अंतरिक्ष	:	2531, 2571
शहरी विकास	:	2535, 2536, 2538, 2541, 2547, 2554, 2574, 2588, 2618, 2648, 2652, 2664, 2665, 2716, 2720, 2733, 2736, 2746, 2747, 2753, 2755

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और बंगाल ऑफसैट वर्कस, 335 खजूर रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।